त्रयोदश माला, खंड 17, अंक 6

सोमवार, 30 जुलाई, 2001
8 श्रावण, 1923 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

सातवां सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खण्ड 17 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा० (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी०सी० चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डॉ० राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

उर्वशी वर्मा
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 17, सातवां सत्र, 2001/1923 (शक)]

अंक 6, सोमवार, 30 जुलाई, 2001/8 श्रावण, 1923 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 101 से 104	2-27
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 105 से 120	27-49
अतारांकित प्रश्न संख्या 1057 से 1286	49-297
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
सेवानिवृत्त वायुसेना अधिकारियों के आवासों पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मारे गए छापे	
श्री जसवन्त सिंह	297-298
सभा पटल पर रखे गए पत्र	298-303
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	
छठा प्रतिवेदन	303
खाद्य निगम (संशोधन) विधेयक	305
खाद्य निगम (संशोधन) अध्यादेश के बारे में व्याख्यात्मक विवरण	306
पशुधन आयात (संशोधन) विधेयक	308
पशुधन आयात (संशोधन) अध्यादेश के बारे में व्याख्यात्मक विवरण	308
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) मध्य प्रदेश में मलेरिया के प्रकोप को रोकने के लिए तुरन्त उपाय किए जाने की आवश्यकता	
श्री प्रहलाद सिंह पटेल	308
(दो) सैन्य कार्यवाही में मारे गए अर्द्धसैनिक बलों अथवा सशस्त्र सेनाओं के तीनों स्कन्धों के शहीदों को कारगिल शहीदों के समान सुविधाएं देने के लिए नीति बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री किशन सिंह सांगवान	309
(तीन) उड़ीसा में ट्रालर द्वारा मछली पकड़ना तट से सात किलोमीटर की परिधि से बाहर तक सीमित रखने की आवश्यकता	
श्री अनादि साहू	309
(चार) गुजरात के गोधरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ग्रामीण विद्युतीकरण किए जाने की आवश्यकता	
श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी	310

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
(पांच) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के विलय/उनमें कटौती करने के प्रस्ताव पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता	
श्री के०एच० मुनियप्पा.	310
(छह) प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत बिहार के लखीसराय जिले में बाईपास का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री राजो सिंह . . .	311
(सात) केरल के तटीय क्षेत्रों के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए तटीय विनियामक क्षेत्र अधिनियम में संशोधन किए जाने की आवश्यकता	
श्री टी० गोविन्दन	311
(आठ) आन्ध्र प्रदेश में खड़ी फसलों को बचाने के लिए कर्नाटक सरकार को कृष्णा नदी से अधिक जल छोड़े जाने की सलाह दिए जाने की आवश्यकता	
डा० मन्दा जगन्नाथ.	312
(नौ) फूलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बरूना नदी से उत्पन्न जल भराव की समस्या के समाधान के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री धर्मराज सिंह पटेल. .	312
(दस) तमिलनाडु में पेयजल की भारी समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता	
श्री डी० वेणुगोपाल.	313
(ग्यारह) परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के बदले किसानों को मिले मुआवजें को आयकर से मुक्त किए जाने की आवश्यकता	
श्री सुरेश रामराव जाधव	313
(बारह) उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद में और अधिक रेल सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री चन्द्र विजय सिंह	313
मणिपुर राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा की गई उद्घोषणा का अनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प – स्वीकृत	
श्री लालकृष्ण आडवाणी	314
श्री संतोष मोहन देव	316
श्री खारबेल स्वाइं	326
श्री बाजू बन रियान	330
श्री के० येरननायडू	332
श्री मुलायम सिंह यादव	335
श्री राजीव प्रताप रूडी	339
श्री मणिशंकर अय्यर	341

विषय	कॉलम
श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल	351
श्री पी०एच० पांडियन	352
श्री सुदीप बंद्योपाध्याय	355
श्री होलखोमांग हौकिप	357
श्री पी०आर० किन्डिया	360
श्री रघुनाथ झा	363
डा० जयन्त रंगपी	365
डा० रघुवंश प्रसाद सिंह	369

लोक सभा

सोमवार, 30 जुलाई, 2001/8 श्रावण, 1923 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, यू०टी० आई० घोटाले को ये लोग दबाने में लगे हुए हैं ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 101, श्री सेल्वागनपति।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री सेल्वागनपति के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप रोज हाउस में ये क्या करते हैं ? अब आप बैठ जाएं।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, इस सम्बन्ध में हम पहले ही स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दे चुके हैं। ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : रघुवंश जी, मैं बार-बार कह चुका हूं कि आपका बिहेवियर हाउस में अच्छा नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री सेल्वागनपति के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : क्या आप प्रश्न-काल में ही सभी विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं ? यह क्या तरीका है ?

(व्यवधान)

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम० वैंकय्या नायडू) : अध्यक्ष महोदय, वह हर बार मंत्री महोदय का नाम पुकारते हैं। इसकी अनुमति नहीं होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं कह चुका हूं कि यह कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)

डा० विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : महोदय, वह सभापति तालिका के सदस्य हैं और वह इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। उन्हें सभापति तालिका से निकाल दिया जाना चाहिए। *(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.01 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत परियोजनाओं की लागत में भागीदारी

***101. श्री टी०एम० सेल्वागनपति** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एन०आर०सी०पी०) के अंतर्गत भविष्य में शुरू होने वाली परियोजनाओं की लागत का 30 प्रतिशत भाग राज्यों द्वारा वहन किए जाने की संभावना है जबकि वर्तमान में केन्द्र सरकार द्वारा ही पूरा खर्च वहन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में अब तक कितनी परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं और कितनी क्रियान्वित की गई है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने अब तक स्वीकृत परियोजनाओं की समीक्षा की है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) और (ख) प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में 13 मार्च, 2001 को आयोजित राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण (एन०आर०सी०ए०) की दसवीं बैठक जिसमें राज्यों के मुख्य मंत्री भी उपस्थित थे, में विस्तृत विचार-विमर्श करने के पश्चात यह निर्णय लिया गया था कि निर्माण कार्यों की लागत केन्द्र तथा राज्यों/स्थानीय निकायों/जनता के बीच 70:30 आधार पर शेयर की जायेगी। जनता, लागत का कम से कम 10% अंशदान करेगी क्योंकि यह महसूस किया गया था कि इस तरह के कार्यक्रम की सततता में नदी कार्य योजनाओं में जनता की भागीदारी से सुधार लाया जा सकता है। वस्तुतः कार्यक्रम की सततता से संबंधित अधिकांश समस्याओं का समाधान संचालन एवं रखरखाव की लागत की वसूली के लिए एक विस्तृत योजना बना

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

कर ही किया जा सकता है जो कि भविष्य में परियोजना प्रस्ताव का हिस्सा होगी। यहां एक महत्वपूर्ण निहितार्थ यह था कि भागीदार राज्य इस कार्यक्रम को सफल बनाने में वे अपना दायित्व और भागीदारी समझें। उपर्युक्त संदर्भ में, न केवल नदी प्रदूषण का समाधान करना है बल्कि आन्तरिक सीवरेज, ठोस अपशिष्ट निपटान, कम लागत के शौचालय आदि जैसे अन्य घटकों का समाधान करके सभी भावी कार्यों के लिए एक हालिस्टिक एवं एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।

(ग) पंजाब में 70 : 30 के वित्तपोषण की नई पद्यति से हाल ही में 14.97 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक परियोजना मंजूर की गई है। इस परियोजना में सतलुज नदी की सहायक नदी नामत: पश्चिम बेन के किनारों पर स्थित दो शहरों नामत: कपूरथला और सुल्तानपुर लोदी में प्रदूषण उपशमन कार्य शामिल हैं। यह परियोजना कार्यान्वित की जा रही है।

तथापि, राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण के निर्णय से पहले सरकार ने फरवरी, 2001 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत तमिलनाडु के सात शहरों अर्थात् करूर, कुम्बकोनम, म्ब्रालादुथुरई, थंजावुर, मदुरई, तिरूनेलवेली तथा तिरूचिरापल्ली से संबंधित प्रदूषण उपशमन के लिए 575.50 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की स्कीमें मंजूरी की हैं। भारत सरकार के हिस्से को 282.15 करोड़ रुपए तक सीमित रखा गया था जबकि 293.15 करोड़ रुपए की शेष राशि, जिसमें जहां लागू हो, भूमि की लागत भी शामिल है, को राज्य सरकार (125.95 करोड़ रुपए) स्थानीय निकायों (117.70 करोड़ रुपए), तथा जनता/स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधियों (49.50 करोड़ रुपए) के बीच शेयर किया जाना था।

(घ) और (ङ) गंगा कार्य योजना की प्रगति तथा कार्यान्वयन की विभिन्न स्तरों पर नियमित पुनरीक्षा की जाती है। शीर्ष स्तर पर कार्यक्रमों की पुनरीक्षा प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण तथा पर्यावरण एवं वन मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण की स्थायी समिति द्वारा की जाती है। योजना आयोग के सदस्य की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति तथा सचिव, पर्यावरण एवं वन की अध्यक्षता में एक संचालन समिति कार्यक्रमों की तिमाही आधार पर पुनरीक्षा करती हैं।

अप्रैल, 1995 में गंगा कार्य योजना चरण-I का मध्यावधि मूल्यांकन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, रूड़की विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर तथा अखिल भारतीय स्वास्थ्य-कर एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता के प्रतिनिधियों की एक टीम द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। जनवरी, 1998 में गंगा कार्य योजना चरण-I का लागत लाभ विश्लेषण मैट्रोइकनोमिका, यू०के० तथा कुछ भारतीय संस्थाओं अर्थात् इन्स्टीट्यूट आफ इकानामिक ग्रोथ, नई दिल्ली, भारतीय विष-विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ तथा अखिल भारतीय स्वास्थ्य-कर एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता के प्रतिनिधियों के एक दल द्वारा किया गया था।

कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों के संचालन एवं रख-रखाव की समस्याएं हैं। इनमें परिसम्पत्तियों को चलाने के लिए बिजली की लगातार आपूर्ति न होना तथा समय से राशियां उपलब्ध न होना, शामिल हैं। पूर्व गंगा कार्य योजना अवधि के मुकाबले में जल गुणता में काफी सुधार हुआ है। उदाहरण के लिए 1986 में जैव-रसायन आक्सीजन मांग (बी०ओ०डी०) जो कि नदी जल गुणता के प्रदूषण का एक सूचक है, गंगा के कन्नौज से वाराणसी के अत्यधिक प्रदूषित भाग में प्रतिलीटर 5.5 मि०ग्रा० से 15.5 मि०ग्रा० थी। इसकी तुलना में इस भाग में 1999 में बी०ओ०डी० का मान प्रति लीटर 1.8 मि०ग्रा० से 6.5 मि०ग्रा० के बीच आ गया। इसी प्रकार, घुलित आक्सीजन (डी०ओ०) जो नदी की सफाई को दर्शाता है, इस भाग में 1986 में प्रतिलीटर 5.6 से 7.2 मि०ग्रा० की रेंज में था तथा 1999 में इसमें प्रति लीटर 6.8 से 8.8 मि०ग्रा० तक सुधार हुआ।

श्री टी०एम० सेल्वागनपति : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सैंकड़ो, हजारों करोड़ रुपये की लागत वाली राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना संबंधी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैंने एक प्रश्न यह उठाया था कि ऐसी कौन सी परियोजनाएं है जिनकी सरकार ने आवधिक रूप से समीक्षा की हैं और उसके क्या परिणाम रहे। सभा पटल पर रखे गए विवरण में इस बात की जानकारी नहीं है कि किस तरह की समीक्षा की गई। कब की गई, क्या समीक्षा की गई और उसका परिणाम क्या रहा। संसद सदस्य द्वारा उठाये गये प्रश्न का जवाब देने का यह तरीका है ?

अब मैं मुख्य मुद्दे पर आता हूं। राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण ने निर्णय किया है कि केन्द्र और राज्यों की भागीदारी का अनुपात 70:30 होगा और लागत का दस प्रतिशत स्थानीय निकायों के माध्यम से जनता देगी। मैं इस सभा का ध्यान गंगा कार्य-योजना के चरण-2 के सम्बन्ध में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के सख्त रवैये की ओर दिलाना चाहता हूं। प्राधिकरण ने 1997 में इस सम्बन्ध में बैठक की थी। प्रधान मंत्री महोदय ने उसकी अध्यक्षता की थी और यह निर्णय किया था ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री सेल्वागनपति, प्रश्न काल में बीस प्रश्न पूछे जाने हैं। यदि आप इस प्रकार बोलेंगे तो दो प्रश्न भी पूरे नहीं हो पाएंगे।

श्री टी०एम० सेल्वागनपति : मैं अपना प्रश्न पूछ रहा हूं। इस परियोजना की शत-प्रतिशत लागत केन्द्र को वहन करनी चाहिए। पुनः यही निर्णय किया गया था और विशेष रूप से उस स्थिति में किया गया जब राज्य सरकारें भारी वित्तीय संकट का सामना कर रही हैं।

केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच समुचित समन्वय के अभाव के कारण अनेक योजनाएं बेकार हो गई है ? मेरे विचार से, यदि फिर वही निर्णय जारी रहता है, तो सारा प्रयास व्यर्थ हो जायेगा।

क्या भारत सरकार वर्तमान परिस्थितियों में, केन्द्र और राज्यों के बीच लागत वहन करने संबंधी प्रस्ताव की पुनः समीक्षा करेगी जैसाकि गंगा-कार्य योजना से पता चल चुका है कि व्यवहार्य रूप से यह संभव नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का प्रश्न लागत के केन्द्र और सरकार के बीच बांटने से संबंधित है।

श्री टी०आर० बालू : अध्यक्ष महोदय, संबद्ध राज्य सरकार प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। वर्ष 1985 में केन्द्र सरकार ने गंगा-कार्य योजना चरण-I नाम से एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम तैयार किया था। इसे चरणबद्ध रूप में लागू किया गया था और 452 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। 31.3.2000 को यह योजना बंद हो गई।

वर्ष 1993 से 1996 के बीच हमने गंगा-कार्य योजना के चरण-II को आरंभ किया जिसमें यमुना, दामोदर और गोमती कार्य योजनाओं पर विचार किया गया। इस योजना के लिए 1499 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। वर्ष 1996 में कार्य प्रगति की समीक्षा की गई। उसके पश्चात्, हमें राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना पर विचार किया। नौंवी योजना में हमने 3,318 करोड़ रुपये दिए। 16 राज्यों और 151 शहरों को शामिल करते हुए 27 नदियों पर विचार किया गया। यह कार्य प्रगति पर है।

महोदय, जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न का सम्बन्ध है, यह इस बात से संबंधित है कि विशेष रूप से तमिलनाडु के लिए शत-प्रतिशत धनराशि क्यों नहीं दी गई। मैं यह समझता हूं कि वह यह जानना चाहते हैं कि तमिलनाडु सरकार को 50 प्रतिशत से ज्यादा धनराशि वहन करने के लिए क्यों कहा गया।

तत्कालीन, डा० कलईनार करूणानिधि के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकान ने सात शहरों के प्रस्ताव भेजे जिनमें वह लागत का 50 प्रतिशत से अधिक वहन करने पर सहमत हो गए थे। महोदय, स्पष्ट बात यह है कि आरंभ में अर्थात् 1985 से केन्द्र और राज्य सरकारों को इस कार्यक्रम का लागत वहन करने का अनुपात 50:50 था। तत्पश्चात् इसमें संशोधन कर दिया गया क्योंकि कोई भी राज्य सरकार इस परियोजना के लिए आगे नहीं आई।

गंगा-कार्य योजना चरण-I में ही हमने शत-प्रतिशत धनराशि लगाई है। अब चूंकि तमिलनाडु सरकार उसमें 50 प्रतिशत धनराशि लगाने के लिए आगे आई है अत:, हमने उस परियोजना को शुरू किया है।

स्पष्ट बात तो यह है कि मेरे मित्र कुछ समय बाद आकर मुझसे मिले, तो मैं उन्हें विस्तार से बताऊंगा। इन योजना के अन्तर्गत पानी में रूकावट डालने, उसकी दिशा बदलने और उसे साफ करने के लिए 230 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया था परंतु हमने 280 करोड़ रुपये दिए हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि हम स्थानीय सरकारों और जन-सहभागिता बढ़ाने के लिए राज्यों को आगे आने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं।

जहां तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणी का सम्बंध है, मेरे विचार में, मेरे सहयोगी श्री सेल्वागनपति ने सारी वस्तुस्थिति का अध्ययन किया होगा परन्तु वह बड़े आराम से उसके दूसरे भाग का उल्लेख करना भूल गये। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने स्वयं स्पष्ट रूप से टिप्पणी की है कि ''चूंकि राज्य और जन-सहभागिता का अभाव है अत: इन परियोजनाओं ठीक ढंग से नहीं लिया गया है।'' नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों में भी यह पंक्ति मौजूद है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, यदि राज्य सरकारें आगे आयें, तो क्या आप इस मामले पर विचार करेंगे ?

श्री टी०आर० बालू : यदि राज्य सरकार आगे आयेगी, तो हम निश्चित रूप से इस पर विचार करेंगे। धनराशि मंजूर की जा चुकी है। राज्य सरकारों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि इन परियोजनाओं को तत्काल शुरू किया जाये।

श्री टी०एम० सेल्वागनपति : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य प्रश्न से कई प्रकार से ध्यान हटाया जा सकता है। हम इन परियोजनाओं को गम्भीरता से लेंगे और भारत सरकार से शत प्रतिशत लागत वहन करने के लिए आग्रह करेंगे जिस पर माननीय मंत्री विचार करने के लिए सहमत हो गए हैं। *(व्यवधान)*

श्री टी०आर० बालू : मैं शत-प्रतिशत के लिए सहमत नहीं हुआ हूं। *(व्यवधान)* मैं इस बात के लिए सहमत नहीं हुआ हूं कि शत-प्रतिशत लागत केन्द्रीय सरकार वहन करे। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री टी० एम० सेल्वागनपति, उन्होंने जो कुछ कहा है, वह कार्यवाही-वृत्तांत में है। आप इसके बारे में चिंता न कीजिए।

(व्यवधान)

श्री टी०एम० सेल्वागनपति : अब, मैं अपने दूसरे अनुपूरक प्रश्न पर आता हूं। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना और स्वीकृत प्रदूषण कटौती योजनाओं के अंतर्गत तमिलनाडु के सात शहरों अर्थात् करूर कुम्भकोणम, यईलादुतुराई, तंजावूर, मदुरै, तिरून्वेलवेल्ली और तिरूचिरापल्ली को लिया गया है। यहां भी नये प्रस्ताव के अनुसार, स्थानीय निकाय को उसमें सहभागिता निभानी है। परंतु इन शहरों में से किसी में भी निगम के पास इन सभी लागतों को वहन करने के लिए बिल्कुल धनराशि नहीं है।

वे भी भारी वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं। योजनाओं को कैसे शुरू किया जाये, आप यह किस प्रकार सुनिश्चित करते हैं ? धनराशि नहीं है; कोषागार में भी पैसा नहीं है। आप कैसे उम्मीद करते हैं कि यह कार्य होगा ?

अध्यक्ष महोदय : आपका अनुपूरक प्रश्न क्या है ?

श्री टी०एम० सेल्वागनपति : माननीय मंत्री ने जो कहा है, वह सिर्फ कागजों में है। गंगा-कार्य योजना के पूर्ण रूप से असफल हो जाने पर वर्ष 1997 में माननीय प्रधानमंत्री ने शत-प्रतिशत लागत वहन करने का निर्णय किया था। क्या माननीय मंत्री वर्तमान परिस्थितियों में जबकि ये सभी सात शहर भारी आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं, पुन: इसकी समीक्षा करेंगे ?

श्री टी०आर० बालू : मैं सबसे पहले दूसरे भाग का उत्तर दूंगा। गंगा-कार्य योजना असफल नहीं हुई है। तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने गंगा-कार्य योजना चरण-I तैयार की थी। उस समय प्रदूषण की मात्रा 1340 एम०एल०डी० थी, जबकि हम सिर्फ 873 एम०एल०डी० से ही निपटने का प्रयास कर रहे थे। अत:, सरकार

ने धनराशि की कमी होने के कारण जानबूझकर ऐसा किया। यह उस समय का लगभग 60 प्रतिशत प्रदूषण है। पिछले 15 सालों में जनसंख्या बढ़ी है। 15 वर्षों के पश्चात् हम इस मामले पर यहां चर्चा कर रहे हैं। हम केवल 60 प्रतिशत प्रदूषण समाप्त कर पाये हैं। गंगा-कार्य योजना-I सफल योजना थी।

मैं थेम्स नदी की कहानी बताना चाहता हूं। यह मात्र लगभग 250 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई नदी है जबकि गंगा नदी उससे 10 गुना अधिक अर्थात् लगभग 2525 किलोमीटर क्षेत्र से होते हुए बहती है। टेम्स नदी के नदी संरक्षण कार्यक्रम को पूरा करने में 35 वर्ष लगे और इस पर करोड़ों पाउंड व्यय किए गए। इसके बावजूद भी 100 वर्ष बाद ही सोलोमन मछली फिर दिखाई दी, इसका मतलब यह है कि नदी 100 वर्षों बाद साफ की गई थी।

हमने भी एक महत्वाकांक्षी योजना बनायी है। हमारी जनसंख्या दिनों-दिन बढ़ रही है। माननीय सदस्य और मेरे मित्र यह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार इसकी समीक्षा करेगी। इसकी कदापि संभावना नहीं है, इसमें अनेक समस्याएं हैं, यह राज्य सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है कि वह इस संबंध में आगे आए। यह हम समेकित परियोजनाएं शुरू करना चाहते हैं। इन समेकित परियोजनाओं के अन्तर्गत हम सबके द्वार तक जाएंगे। इसका मतलब यह है कि हम आंतरिक गंदे पानी के नाले को मुख्य नाले से जोड़ेंगे और इस मुख्य नाले से यह पानी जल शोधन संयंत्रों तक ले जायेंगे और शोधन के पश्चात शोधन संयंत्र से इस पानी को मूल नदी में छोड़ दिया जाएगा या शोधन के बाद इसका औद्योगिक कार्यों में इस्तेमाल किया जाएगा।

श्री टी०एम० सेल्वागनपति : इस सब कार्य के लिए धन कहां से आएगा ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना उत्तर समाप्त कीजिए।

श्री टी०आर० बालू : जहां तक निधि का सवाल है, निश्चित रूप से स्थानीय निकायों, लोगों और राज्य सरकारों को आगे आना पड़ेगा। यह केन्द्रीय सरकार का ही नहीं बल्कि राज्य सरकार का भी प्राथमिक कर्त्तव्य है।

[हिन्दी]

श्री चिन्मयानन्द स्वामी (जौनपुर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया है कि शहरी आबादी बढ़ रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उस स्थिति में जब गंगा कार्य योजना प्रारम्भ की गई थी, उस समय हरिद्वार, गढ़मुक्तेश्वर, फरुखाबाद, इलाहबाद, वाराणसी, पटना और मुंगेर में गंगा नदी में प्रदूषण की स्थिति क्या थी और आज की तारीख में उन स्थानों पर गंगा में प्रदूषण की स्थिति क्या है ? साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं, क्या टिहरी बांध बना देने से गंगा के प्रदूषण पर कोई प्रभाव पड़ेगा ? अगर पड़ेगा, तो कितना प्रभाव पड़ेगा ?

[अनुवाद]

श्री टी०आर० बालू : 1986 में बायोकैमीकल आक्सीजन डिमांड (बी०ओ०डी०), जो नदी जल प्रदूषण को दर्शाता है, कन्नौज से वाराणसी तक गंगा नदीं के संवेदनशील भाग में 5.5 से 15.5 मि०ग्रा० प्रति लिटर के स्तर तक पहुंच गया था। इसके विपरीत, 1999 में नदी के इसी भाग में बी०ओ०डी० का स्तर 1.8 से 6.5 मि०ग्रा० प्रति लिटर था। इसी तरह घुली हुई आक्सीजन (डी०ओ०) जो नदी की स्थिति को दर्शाती है, का स्तर 1986 में इसी भाग में 5.6 से 7.2 मि०ग्रा० प्रति लिटर था। 1999 में इसका स्तर 6.8 से बढ़कर 8.8 मि०ग्राम प्रति लिटर हो गया।

श्री के० येरननायडू : महोदय, मूसी नदी, जो दो जुडवां शहरों हैदराबाद और सिकन्दराबाद को बांटती है में, अत्यधिक मात्रा में गंदा पानी गिरता है। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत एक प्रस्ताव भेजा था। यदि केन्द्र सरकार ने इसकी जांच कर ली है तो क्या मंत्री महोदय इसे इस वर्ष की कार्य योजना में शामिल करेंगे ?

श्री टी०आर० बालू : आन्ध्र प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री ने मुझसे व्यक्तिगत रूप से निवेदन किया है और मूसी नदी को साफ करने संबंधी एक पत्र भी भेजा है। डी०एफ०आर० हमारे पास भेज दिया गया है। कुछ समय पूर्व हमने इस बाबत माननीय सदस्यों के शिष्टमंडल जिसकी अध्यक्षता की येरननायडू ने की थी, के साथ चर्चा भी की है। उसके बाद अधिकारियों का एक दल मूसी नदी का निरीक्षण करने भेजा गया। सच तो यह है कि, संसद के सत्र के बाद मैं तत्स्थानिक निरीक्षण के लिए वहां जाऊंगा। मूसी नदी में प्रदूषण बहुत ज्यादा है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मूसी नदी के मामले पर शीघ्र विचार विमर्श किया जाए। हमने राज्य सरकार से निवेदन किया है कि डी०पी०आर० तैयार करके हमारे पास भेजा जाए।

श्री प्रकाश यशवन्त अम्बेडकर : माननीय अध्यक्ष महोदय, दो विभाग एक ही कार्य कर रहे हैं उनमें से एक शहरी विकास विभाग है जो नगर पालिकाओं और निगमों को जल-मल निकासी और सफाई संयंत्रों को लगाने के लिए धन देता है। दूसरा यह मंत्रालय है, जो उसी योजना पर पुन: कार्य कर रहा है। मंत्री महोदय ने कहा है कि इस विभाग के पास कार्य को जारी रखने के लिए धन की कमी है। शहरी विकास विभाग नगर पालिका और निगमों को 15 प्रतिशत ब्याज पर धन देता है। नगर पालिकाएं और नगर निगम 15 प्रतिशत ब्याज की दर पर ऋण नहीं ले सकती। क्या मंत्री महोदय इस मामले में शहरी विकास विभाग मंत्री से विचार विमर्श करेंगे। यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन निकायों को कम ब्याज दर पर धन उपलब्ध कराया जाए ? क्या मंत्री महोदय अत्याधुनिक संयंत्र चाहे यह शुद्धिकरण संयंत्र हो या बिजली संयंत्र, लगाने की बात भी इसी प्रकार सोचते हैं ? या सीधे-सीधे पुरानी प्रणाली का ही अनुसरण करेंगे ?

एक अन्य बात इसी नदी की बालू जिसे रेत कहते हैं, से संबंधित है जिसका बहुत तेजी से उत्खनन हो रहा है। नदी जल को प्राकृतिक तरीके से शुद्ध करने की प्रक्रिया समाप्त होती जा रही है इसका भूमिगत जल के स्तर पर भी प्रभाव पड़ा है। पर्यावरण मंत्री होने के नाते क्या वे इस मामले पर ध्यान देंगे ? मंत्री महोदय ने नोट में कहा है कि नदी तलों से होने वाले रेत के उत्खनन के बारे में राष्ट्रीय जल संरक्षण प्राधिकरण द्वारा कुछ नहीं कहा गया है।

श्री टी०आर० बालू : नदी तल से होने वाले रेत उत्खनन का कार्य मेरे मंत्रालय के कार्य क्षेत्र से बाहर है।

श्री प्रकाश यशवन्त अम्बेडकर : मैं यह जानता हूं परन्तु चूंकि मंत्री महोदय अंतर्राज्यिक जल विवाद विधेयक जिस पर सभा में चर्चा हो रही है, का उल्लेख कर रहे है इसलिए यह उनकी सम्पत्ति है।

श्री टी०आर० बालू : इस मामले पर शहरी विकास मंत्री के साथ चर्चा हो चुकी है। हमने शहरी विकास मंत्री से यह अनुरोध किया है कि तमिलनाडु परियोजनाओं को भी शुरू किया जाए और उन्होंने इस पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी है।

श्री प्रकाश यशवन्त अम्बेडकर : मैं नहीं चाहता कि यहां तमिलनाडु पर चर्चा हो। मैं जानना चाहता हूं कि इस संबंध में सरकार की नीति क्या है *(व्यवधान)* हम न तो आन्ध्र प्रदेश की और न ही तमिलनाडु की चर्चा कर रहे हैं। हम यह चर्चा कर रहे हैं कि इस संबंध में राष्ट्रीय नीति क्या होगी। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रत्येक बात के लिए आप तमिलनाडु का हवाला क्यों दे रहे हैं ?

श्री टी०आर० बालू : महोदय, तमिलनाडु परियोजनाओं के लिए भी, हमने शहरी विकास मंत्रालय से निवेदन किया है कि कुछ स्थानीय निकायों को भी इनमें शामिल किया जाए। वे दो परियोजनाओं में भागीदारी करने पर राज़ी भी हो गये हैं। तथापि, श्री प्रकाश अम्बेडकर ने अच्छा सुझाव दिया है और इस पर गौर किया जाएगा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं, माननीय मंत्री का आभारी हूं जिन्होंने यह माना है कि गंगा कार्य योजना चरण-I, जो स्वर्गीय श्री राजीव गांधी का सपना था, सफल हुई है। यदि वह गंगा कार्य योजना समिति, जिसका सदस्य बनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था, की कार्यवाही पर ध्यान दें तो उसमें एक निर्णय लिया गया था कि समय-समय पर राज्य सरकार और केन्द्र सरकार तीन मुद्दों पर परस्पर विचार-विमर्श करेगी। पहला यह पता करना है कि नदी पर प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ रहा है और यह पता लगाएं कि उसे कैसे समाप्त किया जा सकता है, दूसरा गंगा किनारे के नगर-निगम वाले शहरों का विकास करना और तीसरा, इन किनारों पर प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों का विस्तार न हो। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उस प्रस्ताव का जो श्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने अपने प्रधान मंत्री काल में प्रस्तुत किया था, राज्य सरकारों के प्रमुख सुधारों में सावधानीपूर्वक अनुसरण किया गया है और यदि नहीं तो क्या सरकार इन मुद्दों पर राज्य सरकारों के साथ एक नीति को अपनाने को तैयार है ताकि तटों पर गंगा की जीवन रेखा सभ्यता, जो गंगोत्री से प्रारम्भ होकर मालदा तक जाती है, यह गंगा के बहने का हिस्सा है, को सभी प्रकार के प्रदूषण के खतरों से बचाया जा सके। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय राज्य सरकार के साथ आवधिक समीक्षा की इस नीति पर विचार करेंगे। मैं जानता हूं कि पश्चिम बंगाल सरकार ने इस संबंध में पहले तीन रचनात्मक प्रस्ताव प्रस्तुत दिए थे। परंतु गंगा-कार्य योजना द्वारा किसी प्रस्ताव पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की गई।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैं भी एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, आपका प्रश्न पहले ही पूछा जा चुका है।

श्री टी०आर० बालू : महोदय, हम लगातार निगरानी कर रहे है। सच तो यह है कि, 13 मार्च को, राष्ट्रीय जल नदी संरक्षण प्राधिकरण ने जिसके माननीय प्रधानमंत्री सभापति हैं मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में इसकी समीक्षा की है। दस बार से भी ज्यादा बैठकें हो चुकी हैं। मेरे सभापतित्व में स्थायी समिति ने इस पर तीन बार पुनर्विचार किया है; योजना आयोग के सदस्य की अध्यक्षता में गठित निगरानी समिति ने इस पर 13 बार पुनर्विचार किया है; मेरे सचिव की अध्यक्षता में गठित संचालन समिति ने इस पर 45 बार से भी ज्यादा पुनर्विचार किया है। प्रदूषण रोकने के लिए पूर्व सरकारों द्वारा बनाई नीतियों, चाहे वे स्वर्गीय राजीव गांधी या किसी अन्य व्यक्ति ने बनाई है; का हम पालन करेंगे।

जल संसाधनों का सर्वेक्षण

***102. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में जल संसाधनों को बढ़ाने और उनका सदुपयोग करने हेतु अखिल भारतीय स्तर पर एक सर्वेक्षण कराने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सर्वेक्षण कब तक करा लिए जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी) : (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

जल संसाधनों को बढ़ाने और उनका उपयोग करने के लिए जल संसाध्नों का मूल्यांकन करना एक महत्वपूर्ण कार्य (इनपुट) है। यह एक लगातार जारी रहने वाली प्रक्रिया है। जल संसाधन मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय केन्द्रीय जल आयोग ने 245 तलछटन प्रेक्षण केन्द्रों सहित 570 प्रमुख जल वैज्ञानिक प्रेक्षण केन्द्रों की स्थापना की है। इन जल वैज्ञानिक केन्द्रों में किए जा रहे सर्वेक्षण के अनुसार, केन्द्रीय जल आयोग ने यह आकलन किया है कि देश की नदी प्रणालियों में औसत वार्षिक प्रवाह 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर (बी०सी०एम०) है। जल संसाधान मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों सहित देश के विभिन्न भागों मे लगभग 15,000 केन्द्रों पर भूमि जल का सर्वेक्षण/अन्वेषण किया है। इन सर्वेक्षणों के आधार पर यह आकलन किया गया है कि देश में वार्षिक पुनर्भरणीय भूमि जल क्षमता 432 बी०सी०एम० है।

सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण, राज्यों में जल संसाधनों का उपयोग करने के लिए जल संसाधन परियोजनाओं का

सर्वेक्षण और अन्वेषण, आयोजन, कार्यान्वयन तथा प्रबंधन राज्य सरकारों द्वारा अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार तथा अपने योजना-संसाधनों से किया जाता है।

देश में जल संसाधनों में वृद्धि करने की दृष्टि से, भारत सरकार ने वर्ष 1982 में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की स्थापना की थी। इस अभिकरण ने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के जल-संतुलन अध्ययन एवं व्यावहारिकता-पूर्व-अध्ययन (प्री-फिजीबिलिटी स्टडीज) किए हैं। इन अध्ययनों में अधिशेष जल वाले बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों में जल हस्तांतरण करने के लिए विभिन्न प्रायद्वीपीय नदियों एवं हिमालयी नदियों को परस्पर जोड़ने की योजना है। सभी प्रस्तावित 31 अन्तः जल हस्तांतरण संपर्कों के नाम अनुबन्ध में दिए गए हैं। हिमालयी घटक के यमुना-राजस्थान संपर्क तथा राजस्थान-साबरमती संपर्क से पश्चिमी राजस्थान में जल संसाधनों की वृद्धि की योजना है। स्थल-सर्वेक्षणों पर आधारित इन संपर्कों की व्यावहारिकता रिपोर्ट 2008 तक पूरी होने की संभावना है।

अनुबन्ध

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा तैयार की गई व्यावहारिकता पूर्व-रिपोर्टों से संबंधित प्रस्तावित जल हस्तांतरण सम्पर्कों की सूची।

प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक

1. महानदी (मणिभद्र) — गोदावरी (दोवलेश्वरम) संपर्क
2. गोदावरी (पोलावरम) — कृष्णा (विजयवाड़ा) संपर्क
3. गोदावरी (इंचम्पल्ली) — कृष्णा (पुलिचिंताला) संपर्क
4. पार-तापी नर्मदा संपर्क
5. केन-बेतवा संपर्क
6. कालीसिंध — चम्बल संपर्क
7. पम्बा — अचनकोविल — वेंइप्पार संपर्क
8. गोदावरी (इंचम्पल्ली) — कृष्णा (नागार्जुनसागर) संपर्क
9. दमनगंगा — तानसा संपर्क
10. बेदती — वर्दा संपर्क
11. नेत्रावती — हेमावती संपर्क
12. कृष्णा (नागार्जुनसागर) — पेन्नार (सोमासिला) संपर्क
13. कृष्णा (श्रीसैलम) — पेन्नार (पोडट्टुर) संपर्क
14. कृष्णा (अलमट्टी) — पेन्नार संपर्क
15. पेन्नार (प्रोडट्टूर) — कावेरी (अपर अनिकट) संपर्क **
16. पेन्नार (सोमासिला) — कावेरी (लोअर अनिकट) संपर्क **
17. कावेरी (कट्टालै) — वैगाई (गुण्डार) संपर्क

**इन दोनों संपर्कों को एक संपर्क में जोड़ दिया गया है जिसे "पेन्नार (सोमासिला कावेरी (ग्रैंड अनिकट) संपर्क") का नाम दिया गया है।

हिमालयी नदी विकास घटक

1. कोसी — मेची संपर्क
2. कोसी — घाघरा संपर्क
3. गंडक — गंगा संपर्क
4. घाघरा — यमुना संपर्क
5. सारदा — यमुना संपर्क
6. यमुना — राजस्थान संपर्क
7. राजस्थान — साबरमती संपर्क
8. चुनार — सोन बैराज संपर्क
9. सोन बांध — गंगा संपर्क की दक्षिण सहायक नदियां
10. ब्रह्मपुत्र — गंगा संपर्क (मानस-संकोश-तीस्ता-गंगा)
11. फरक्का — सुन्दरबन संपर्क
12. गंगा-दामोदर — सुवर्नरेखा संपर्क
13. सुवर्णरेखा — महानदी संपर्क
14. जोगीघोपा — तीस्ता — फरक्का संपर्क

टिप्पणी : उपर्युक्त सभी संपर्कों का व्यावहारिकता-पूर्व अध्ययन पूरा कर लिया गया है।

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : महोदय, इस देश में जल संसाधनों का आधुनिक भारत के निर्माण पर सीधा प्रभाव पड़ता है। पिछले पांच दशकों में, जल संसाधनों का विकास किया गया है। इसके बावजूद, जल की उपलब्धता में कमी आई है। 1955 के दौरान, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल की उपलब्धता 5200 प्रति क्यूबिक मीटर थी। परंतु वर्ष 2000 तक यह मात्रा घट कर 2000 रह गई। यह कमी रेगिस्तानी और कम वर्षा वाले इलाकों में अधिकता से पाई जाती है। मैं राजस्थान का उदाहरण देना चाहता हूं। पीने और सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति केवल भूमिगत जल से की जाती है। जल का स्तर गिर रहा है। वहां पर कोई नदी नहीं है। वहां जल का कोई बारहमासी स्रोत नहीं है।

मेरे प्रश्न के उत्तर में, मंत्री महोदय ने जवाब दिया है कि उन्होंने राजस्थान के लिए नदियों को जोड़ने की दो योजनाएं बनाई है। एक यमुना-राजस्थान संपर्क और दूसरी राजस्थान-साबरमती संपर्क है। इनका सर्वेक्षण कार्य वर्ष 2008 तक पूरा कर लिया जाएगा। सर्वेक्षण कार्य पूरा होने के बाद यह कार्य 30-40 वर्षों में पूरा कर दिया जाएगा। इस प्रकार आज से 50 सालों में, यमुना के पानी को मरूभूमि में ले जाया जा सकेगा। प्रत्येक वर्ष वहां सूखा पड़ता है। 50 वे दशक के आरंभ में, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी कल्पना दृष्टि में इंदिरा गांधी नहर की शुरूआत की थी।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : केन्द्र सरकार इसके लिए धनराशि उपलब्ध करा रही थी। परंतु दुर्भाग्य से, पिछले तीन

वर्षों से धनराशि देना बंद कर दिया गया है। राजस्थान सरकार को बहुत थोड़ा आवंटन मिला है। वे स्वयं ही इसे पूरा नहीं कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारी योजनाएं बनायी गई है।

अध्यक्ष महोदय : आपका अनुपूरक प्रश्न क्या है ? यह चर्चा नहीं है।

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : इसलिए, जैसलमेर, जालोर, बाड़मेर, नागौर और जोधपुर को जल की आपूर्ति वहां से हो रही है। नदियों को जोड़ने के इस कार्य को पूरा करने में 40-50 वर्ष लग जायेंगे। इसलिए, क्या सरकार इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो कि राष्ट्रीय परियोजना है, को धन देगी और साथ ही उन जल आपूर्ति योजनाओं को, जिनकी लागत 200 करोड़, 900 करोड़ रु० और 1200 करोड़ आ रही है, भी निधि उपलब्ध कराएगी। राजस्थान सरकार के लिए अपने आप यह कार्य करना संभव नहीं है। क्या सरकार इस कार्य को करेगी ?

श्री अर्जुन सेठी : माननीय सदस्य ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना की स्थिति के बारे में पूछा है। यह सच है कि यह नहर बहुत दिनों से निर्माणाधीन है। मैं इस सभा को सूचित करना चाहता हूं कि सरकार ने 'बोर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम' के तहत आज तक 556.86 करोड़ रुपये की निधि उपलब्ध करायी हैं। इसी प्रकार भारत सरकार ए०आई०डी०पी० के तहत 160 करोड़ रुपये दे चुकी है।

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी (बाड़मेर) : आपने गत तीन वर्षों से इस प्रोजेक्ट के लिए धन नहीं दिया है। मैं पूछता हूं कि आपने इसे क्यों रोक दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछ चुके हैं और मंत्री महोदय को उत्तर नहीं देने दे रहे हैं। यह वाद-विवाद नहीं है। ऐसा लगता है कि आप मंत्री जी से उत्तर नहीं प्राप्त करना चाह रहे हैं।

श्री अर्जुन सेठी : यह एकदम सच नहीं है कि हमने धन देना बन्द कर दिया है। मैं यह सूचित करना चाहता हूं कि त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए०आई०बी०पी०) के तहत हमने इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लिए 1997-98 में 36 करोड़ रुपये दिए; 1998-99 में 74 करोड़ रुपये दिए, 1999-2000 में हमने 50 करोड़ रुपये दिए। यह सही है कि वर्ष 1999-2000 के दौरान राज्य सरकार द्वारा अपना उपयुक्त शेयर न देने के कारण वर्ष 2000-01 में इस परियोजना के लिए किसी प्रकार की केन्द्रीय ऋण सहायता (सी०एल०ए०) का अनुमोदन नहीं किया गया। जैसाकि आपको ज्ञात है कि ए०आर० बी०पी० के अधीन केन्द्रीय ऋण सहायता तब उपलब्ध करायी जाती है जब राज्य सरकार 2:1 में अपना शेयर जमा करे। राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त शेयर न देने पर केन्द्र सरकार द्वारा निधि उपलब्ध कराना कठिन हो जाता है।

मैं पहले ही कह चुका हूं कि हमने कई वर्षों से बहुत अधिक धन खर्च किया है। इस परियोजना में तीन बार संशोधन किया गया है। यह प्रोजेक्ट मूलत: 1957 में शुरू की गई थी। प्रत्येक संशोधन में समय और लागत में बढ़ोत्तरी हुई है। इसलिए, यह प्रोजेक्ट अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है। तथापि केन्द्र सरकार इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए राज्य सरकार की सहायता करने हेतु भरसक प्रयास कर रही है।

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : उन्होंने मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि केन्द्र सरकार ने गत तीन वर्षों से इस प्रोजेक्ट के लिए धन उपलब्ध कराना क्यों बन्द कर दिया।

अध्यक्ष महोदय : आप उचित अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं इसलिए वह भी उत्तर देने से बच रहे हैं।

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : ऐसा हो सकता है कि वहां कांग्रेस सरकार होने के कारण ऐसा किया जा रहा है। सबसे पहले उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को धन देना क्यों बन्द कर दिया।

श्री अर्जुन सेठी : हमने एकदम धन देना बन्द नहीं किया बल्कि राज्य द्वारा ए०आई०बी०पी० के तहत अपना शेयर न देने के कारण ऐसा हुआ है।

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि उस क्षेत्र में अत्यन्त सीमित भूमिगत जल उपलब्ध होने पर भी, आप सिंचाई और पेयजल में सिंचाई को प्रथम वरीयता क्यों दे रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप 'डार्क जोन' बनाने के लिए कोई सर्वेक्षण करेंगे। आपने पहले ही कुछ क्षेत्रों को 'डार्क जोन' घोषित कर दिया वहां सिचाई बन्द कर दी गई है तथा जल को पीने के लिए सुरक्षित कर दिया गया है।

श्री अर्जुन सेठी : जैसा कि मैंने पहले बताया है कि हमने इस प्रोजेक्ट को धन देना बन्द नहीं किया है। हम, इस बात के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत जो भी संभव है, करें। हमने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए विभिन्न धन प्रदान करने वाली योजनाओं के तहत, आज तक 710 करोड़ रुपये दिए हैं। लेकिन कुछ समय से लागत और समय में बढ़ोत्तरी हुई है और इसमें संशोधन किया गया है। परिणामत:, अब तक इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं किया जा सका है। ए०आई०बी०पी० के अधीन की गई व्यवस्था के अनुसार यदि राज्य सरकार अपना शेयर न दे तो केन्द्र सरकार द्वारा धन उपलब्ध कराना कठिन होगा।

मैं माननीय सदस्य की चिन्ता से पूर्णत: सहमत हूं और हम राज्य सरकार के सहयोग से इस प्रोजेक्ट को पूरा कराने हेतु धन उपलब्ध कराने का भरसक प्रयास करेंगे।

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : मैंने 'डार्क जोन' से संबंधित जो प्रश्न किया, उसका उत्तर नहीं दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : अब, श्री राजीव प्रताप रूडी अनुपूरक प्रश्न पूछेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री राजीव प्रताप रूडी, मैंने आपसे सदस्यों के साथ वाद-विवाद करने के बजाय अनुपूरक प्रश्न पूछने को कहा है।

(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, हम देश में जल स्रोतों के उपयोग के बारे में बात कर रहे हैं *(व्यवधान)* प्रश्न देश में जल स्रोतों के उपयोग से संबंधित है। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : अध्यक्ष जी, राजस्थान में तीन साल से अकाल पड़ा हुआ है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, यह जानकर आश्चर्य होता है कि देश की नदियों में 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर जल बह रहा है तथा भूमिगत जल से 432 बिलियन क्यूबिक मीटर जल आपूर्ति की संभावना है। इन सबके बावजूद, हम देखते हैं कि देश में सूखा पड़ता रहता है। यह प्रश्न का भाग नहीं है लेकिन मेरा यह कहना है कि सिंचाई राज्य का विषय है इसलिए इसका उल्लेख किया जाए *(व्यवधान)*

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : महोदय, मेरे दूसरे अनुपूरक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपने अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछ लिया है और उन्होंने उत्तर भी दे दिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल में व्यवधान न डालें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : अध्यक्ष जी, मेरे सैकिण्ड सप्लीमेंटरी सवाल का जवाब नहीं दिया गया है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : माननीय सदस्य को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है और यदि मंत्री उचित उत्तर नहीं देते हैं तो आपके हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, महोदय *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी, मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, जल का उपयोग राज्य का विषय है। चूंकि जल प्रबंधन राज्य का विषय है। अत: मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इसका उत्तर दें। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैंने अन्य माननीय सदस्यों से अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए कहा है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत : अध्यक्ष जी, इन्दिरा गांधी कैनाल की जांच कराई जाये।

अध्यक्ष महोदय : यह आप क्या कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रो० रासासिंह रावत, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। यह क्या है ? कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री रूडी, कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए प्रश्न काल का आधा घंटा पहले ही बीत चुका है।

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, मैं बहुत ही अनुशासित व्यक्ति हूं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रो० रावत, बहुत हो गया।

(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, चूंकि जल प्रबन्धन राज्य का विषय है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे अपील करता हूं कि आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डॉ० गिरिजा व्यास : अध्यक्ष जी, सैंट्रल गवर्नमेंट से मदद नहीं मिल रही है। *(व्यवधान)*

श्री राजीव प्रताप रूडी : सैंट्रल गवर्नमेंट से बराबर पैसा जा रहा है लेकिन राज्य सरकार उसका उपयोग नहीं कर पा रही है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैडम, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। माननीय सदस्य, यह उचित नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री रूडी, आप अपना अनुपूरक प्रश्न पूछेंगे या नहीं ?

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, अब मैं अपना अनुपूरक प्रश्न पूछता हूं। चूंकि जल प्रबंधन राज्य का विषय है इसलिए क्या माननीय

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मंत्री जी यह बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य, जो कि नेपाल की सीमा पर स्थित हैं, जहां से हिमालय क्षेत्र की नदियां हमारे देश में बहती हुई आती हैं, (क) बाढ़ को रोकने के लिए जल का किस प्रकार उपयोग करें ? ...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। मैं आपसे अपील कर रहा हूं। स्पष्टीकरण मांगने का यह तरीका नहीं है। आप प्रश्न काल में व्यवधान डाल रहे हैं।

(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप स्पष्टीकरण चाहते हैं तो मंत्री जी से पूछ सकते हैं लेकिन इस प्रकार नहीं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(*व्यवधान*)

श्री राजीव प्रताप रूडी : चूंकि जल प्रबन्धन राज्य का विषय है। ...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, अपने स्थान पर बैठकर उत्तर देना उचित तरीका नहीं है।

(*व्यवधान*)

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, मैं अपना अनुपूरक प्रश्न चौथी बार पूछ रहा हूं और कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है। (*व्यवधान*) जल प्रबन्धन राज्य का विषय है और जब हम जल के उपयोग के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य, जो कि नेपाल की सीमा पर स्थित हैं और जहां से हिमालय क्षेत्र की अनेक नदियां हमारे देश में बहती हुई आती हैं :

(क) बाढ़ का रोकने के लिए जल का उपयोग करने के लिए;

(ख) यह सुनिश्चित करने कि उन क्षेत्रों में छोड़े गए जल को नियंत्रित करने के लिए;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य के हित में अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर विशेषकर नेपाल के साथ बातचीत करने के लिए, किस बात की आवश्यकता है।

[*अनुवाद*]

श्री अर्जुन सेठी : जहां तक बिहार और उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं वाली नदियों में बाढ़ आने का सम्बन्ध है, नेपाल सरकार के साथ बातचीत चल रही है। समय-समय पर हमारे अधिकारियों ने नेपाल जाकर वहां के अधिकारियों के साथ बातचीत की है। अभी भी बातचीत जारी है। मेरे विचार से, शीघ्र ही इसके कुछ परिणाम निकलेंगे और बिहार और उत्तर प्रदेश की नदियों में बाढ़ पर नियंत्रण करने के लिए हम कुछ उपाय कर पाएंगे। ...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य बोलेंगे।

(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी, मैंने प्रश्न पूछने के लिए श्री बसुदेव आचार्य का नाम पुकारा है।

(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी, मैं आपके सदस्य को बोलने का अवसर प्रदान करूंगा।

(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : यह उचित नहीं है। आप हर समय सभा के कार्य में व्यवधान डाल रहे हैं।

(*व्यवधान*)

[*हिन्दी*]

डॉ० गिरिजा व्यास (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, मंत्री जी ने हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। इसलिए इस भेदभाव की नीति के कारण हम सदन से वाकआउट कर रहे हैं।

पूर्वाह्न 11.37 बजे

[*तत्पश्चात् डा० गिरिजा व्यास और कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी सभा भवन से बाहर चले गये*]

[*अनुवाद*]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, प्रतिवर्ष भूटान से आने वाली नदियों से उत्तर-बंगाल के कुछ जिलों, विशेष रूप से जलपाईगुड़ी, कूचबिहार में बाढ़ आने के कारण विनाश होता है। संयुक्त भारत-भूटान-जल-आयोग स्थापित करने का एक प्रस्ताव था। भूटान और भारत के बीच इस आयोग की स्थापना के सम्बन्ध में भारत सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं।

श्री अर्जुन सेठी : अनाधिकारिक स्तर पर भूटान सरकार के साथ सहयोग स्थापित करने के लिए बातचीत चल रही है ताकि निचले क्षेत्रों में आने वाली बाढ़ की समस्या पर नियंत्रण पाया जा सके। बातचीत जारी है। मेरे विचार से, यह दोनों देशों के लिए हितकारी होगा।

राजकुमारी रत्ना सिंह : राजस्थान में प्रसिद्ध नदी सरस्वती अदृश्य रूप से बह रही है अर्थात् इसका बहाव धरती के नीचे-नीचे चल रहा है। क्या मंत्रालय वहां कुछ अन्वेषण कर रहा है ? उपग्रह से प्राप्त तस्वीरें सरस्वती नदी को दर्शाती हैं, जो भूमिगत हो गई प्रतीत होती है। उपग्रह से प्राप्त तस्वीरें अब यह दर्शाती हैं कि सरस्वती नदी घाटी का उदगम कहीं हिमालय में मानसरोवर झील से लगभग साठ किलोमीटर की दूरी पर हुआ था। वहां से हरियाणा, राजस्थान और फिर कच्छ से अरब सागर में जाकर समाप्त हुई। नदी का यह

भूगत बहाव अब सभी उपग्रह तस्वीरों में प्राप्त हो रहा है। इसे सरस्वती घाटी नदी-तल कहा जाता है। क्या मंत्रालय वहां कुछ खोज कर रहा है ? उनका कहना है कि वहां जमीन के नीचे अथाह पानी है। यह पश्चिमी राजस्थान से होकर प्रवाहित होता है।

श्री अर्जुन सेठी : यह हाल में उपग्रह से प्राप्त तस्वीरों के माध्यम से देखा गया है। आगे अध्ययन जारी है। चूंकि अध्ययन आंरभिक स्थिति में है, अत: उसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मेरा मंत्रालय यही काम कर रहा है।

भू-जल के उपयोग को विनियमित करने हेतु विधेयक का पुर:स्थापन

\+

***103. श्री अशोक ना० मोहोल :**
श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भू-जल के उपयोग को विनियमित करने की आवश्यकता महसूस करती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसके लिए कोई विधेयक पुर:स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने भू-जल के उपयोग को विनियमित करने हेतु राज्य सरकारों को विधान बनाने के लिए कोई निर्देश जारी किये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो किन राज्यों ने ऐसे विधान को पारित कर दिया है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

यद्यपि केन्द्र सरकार भूमि जल के उपयोग को विनियमित करने संबंधी आवश्यकता को स्वीकार करती है, तथापि, जल राज्य का विषय होने के करण, भूमि जल का विनियमन एवं नियंत्रण करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उचित कानून बनाये जाने हैं। इसलिए केन्द्र सरकार ने ''भूमि जल निकासी तथा इससे संबंधित कार्यों को विनियमित तथा नियंत्रित करने के वास्ते एक मॉडल बिल'' राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेजा है ताकि वे भूमि जल की निकासी के विनियमन एवं नियंत्रण के लिए उचित कानून बना सकें। अभी तक गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु ने भूमि जल के उपयोग को विनियमित करने के लिए कानून बनाए हैं।

[हिन्दी]

श्री अशोक ना० मोहोल : अध्यक्ष महोदय, यह खुशी का विषय है कि सरकार पानी की समस्या को गम्भीरता से ले रही है। किन्तु आज देश में मौजूदा जमीन के पानी का स्तर दिन-ब-दिन नीचे जा रहा है जिसके कारण देश के 50 परसेन्ट लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्तमान में जमीनी पानी का स्तर क्या है तथा पानी के गिरते हुए स्तर को उठाने के लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों को क्या सहायता दी जाती है।

[अनुवाद]

श्री अर्जुन सेठी : भूमिगत जल स्तर का घटना वाकई में देशभर की समस्या है। नियमित अध्ययन जारी है। समय-समय पर हम राज्यों के साथ, विशेष रूप से ऐसे क्षेत्रों के बार में जहां समस्या ने विकट रूप धारण कर लिया है, अर्थात 'डार्क' और 'ग्रे' एरियाज के बारे में बातचीत करते हैं। अत: जल-स्तर में कमी पर नियंत्रण करने के लिए हमने विभिन्न राज्यों को एक मॉडल विधेयक जारी किया, है। कई राज्यों ने गिरते 'जल-स्तर पर नियंत्रण पाने और उसकी रोकथाम के लिए अधिनियम बनाये हैं। अभी भी देश में कुछ राज्य ऐसे हैं, जिन्होंने ऐसे कानून नहीं बनाये हैं। हालांकि हम उस पर विचार कर रहे हैं। हम यह सुनिश्चित करने का भी प्रयास कर रहे हैं कि राज्य शीघ्र ही यह कानून बनाये जिसके परिणामस्वरूप पानी के घटते स्तर को रोका जा सके और भविष्य में इस प्रकार की समस्यायें न उत्पन्न हो अन्यथा यह स्थिति हमारे लिए तथा संपूर्ण देश के लिए चेतावनी होगी।

[हिन्दी]

श्री अशोक ना० मोहोल : अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा था कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को क्या सहायता देती है ?

[अनुवाद]

श्री अर्जुन सेठी : जहां कहीं भूमिगत जल-स्तर में कमी आने की समस्या उत्पन्न हुई है, वहां जिन राज्यों ने अपनी योजनाएं पेश की हैं, उनकी मदद हेतु हमने एक पायलट-योजना बनाई है। हमने उन्हें धनराशि और हर प्रकार की मदद दी है। नौवीं पंचवर्षीय योजना में हमने 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस धनराशि को शीघ्र ही उपयोग में लाया जायेगा। इस पायलट-योजना के सफल होने के उपरांत, हम दसवीं पंचवर्षीय योजना में निश्चित रूप से और सहायता प्रदान करेंगे।

[हिन्दी]

श्री अशोक ना० मोहोल : अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार ने भूमि जल निकासी तथा इससे संबंधित कार्यों का नियंत्रण करने के लिए एक मॉडर्न पॉलिसी बनाई है और इस मॉडर्न पालिसी को राज्य सरकारों को भी भेजा है। उसमें राज्य सरकारों को क्या निदेश दिए हैं और उससे क्या राज्य सरकारें सहमत हैं ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, इसका उत्तर दे चुके हैं।

श्री अर्जुन सेठी : जी हां, महोदय। मैं यह कहना चाहता हूं कि सभी राज्यों ने हमारे प्रयास को सराहा है। जैसाकि मैंने पहले कहा है, कुछ राज्यों ने इस संबंध में कानून बनाये हैं। कुछ राज्यों में यह प्रक्रिया जारी है। जब तक सभी राज्य ये कानून नहीं बनाते, तब तक भूमिगत जल के घटते स्तर को नहीं रोका जा सकता। अतः, हम यह मामला राज्यों के साथ उठा रहे हैं, क्योंकि राज्य ही इस योजना के कार्यान्वयन से मुख्य रूप से सम्बद्ध हैं।

श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री राजीव गांधी के शासन के दौरान 50,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक की धनराशि देकर भूमिगत जल संसाधनों का दोहन किया गया था ताकि दलितों, अन्य पिछड़े वर्गों और लघु काश्तकारों को फायदा हो सके। बाद में, विद्युत पम्प सेट और डीजल पम्प सेट भी उन्हें दिए गए। उत्तरोत्तर, जीवनधारा के नाम से दस मिलियन कुंओं के लिए भी केन्द्र ने धनराशि प्रदान की थी। मैं यह जानना चाहता हूं, चाहे यह योजना अब लागू हो या न हो। क्या इस परियोजना की सफलता आंकने के लिए कोई अध्ययन किया गया था अथवा नहीं और विकास के उस प्रयोग पर आधारित कोई प्रावधान इस मॉडल विधेयक में किया गया है अथवा नहीं।

श्री अर्जुन सेठी : मैं समझता हूं कि यह प्रश्न मेरे मंत्रालय से सम्बद्ध नहीं है क्योंकि हम लघु और सीमांत किसानों को अपने खेतों में पम्प सेट लगाने हेतु धनराशि नहीं देते हैं। यह विषय ग्रामीण विकास मंत्रालय से सम्बद्ध है।

श्री एस०एस० पलानीमनिक्कम : अधिक प्रभावित क्षेत्रों अर्थात 'डार्क एरियाज' में भू-जल के स्तर में सुधार के लिए विभाग ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री अर्जुन सेठी : मैंने माननीय सदस्य द्वारा पहले पूछे गए प्रश्न के जवाब में कहा है कि मॉडल-विधेयक परिचालित किया गया है। जो राज्य यह कानून बना चुके हैं, मैंने, उनके नाम बताये हैं। मैं सभा को इसके बारे में सूचना दे सकता हूं।

गुजरात, आंध्र-प्रदेश, मध्य-प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र ने यह विधान बनाया है। यह कानून बनाकर सरकार कुछ क्षेत्रों को 'डार्क' एरिया घोषित कर सकते हैं जिसका तात्पर्य है, उपलब्ध भूमिगत पानी का 85% से अधिक दोहन और कुछ क्षेत्रों को 'ग्रे एरिया' घोषित कर सकती है, जिसका तात्पर्य है उपलब्ध मात्रा का 65 प्रतिशत से अधिक दोहन। वर्ष 1997 में केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण का गठन किया गया था और केन्द्र ने केन्द्र-स्तर पर कुछेक क्षेत्रों को 'डार्क' और 'ग्रे' क्षेत्र भी घोषित किया है। अतः, इन क्षेत्रों में आगे पानी की कमी को रोकने के लिए कोई पम्प सेट अथवा गहरे टयूबवैल नहीं लगाये जायेंगे।

श्री वरकला राधाकृष्णन : अध्यक्ष महोदय हाल ही में केरल में पहाड़ी जिले इदुक्की में भूमिगत जल उबलता हुआ पाया गया और फिर एकाएक ट्यूबवैलों से पानी गायब होना शुरू हो गया। क्या सरकार इसके प्रति जागरूक है ? यदि नहीं, तो सरकार को यह पता लगाने के लिए जांच करनी चाहिए कि इस भूमिगत जल का वास्तव में क्या हुआ।

अग्रेतर, दो दिन पहले, भारी वर्षा के उपरांत अनेक स्थानों पर लाल रंग का पानी बरसा। लोगों में आतंक छा गया। वे यहां तक संदेह करने लगे कि इसका सम्बन्ध इटली के ज्वालामुखी से है। लोग आतंकित हैं। अतः, आप कृपया पहले यह जांच करायें कि भूमिगत जल कहां चला गया और दूसरे लाल रंग की वर्षा, जो वहां देखी गई है। *(व्यवधान)* यह समाचार पत्रों में आया है। भूमिगत जल समाप्त हो रहा है क्योंकि कूंए सूख गए हैं। फिर लाल पानी की बात आती है। हम पीने के पानी के बारे में बहुत चिंतित हैं। हालांकि यह राज्य विषयों के अंतर्गत आता है तथापि सरकार को इनकी जांच करनी चाहिए क्योंकि जल संसाधन एक निगरानी एजेंसी भी है। अतः मैं, माननीय मंत्री से भूमिगत जल की उपलब्धता और भारी वर्षा के उपरांत हुई लाल वर्षा के कारणों का पता लगाने के लिए विशेषज्ञ-दल भेजने का अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, पहले आपको लाल रंग की वर्षा होने संबंधी प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा और फिर आप भूमिगत जल के बार में उत्तर दे सकते हैं।

श्री अर्जुन सेठी : महोदय, जहां तक लाल वर्षा होने का सम्बन्ध है, मुझे राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त करने के लिए समय अवश्य चाहिए क्योंकि लाल पानी की उपलब्धता के बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।

कानून बनाने सम्बन्धी यह जानकारी मैं सभा को देना चाहता हूं कि गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में इस सम्बन्ध में कानून बनाया है परन्तु पश्चिम बंगाल, पंजाब, कर्नाटक और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र ने केन्द्र की मंजूरी के लिए उसे केन्द्र को भेजा है। इन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप ने यह विधान मंजूरी के लिए केन्द्र को भेजा है और अन्य राज्य कानून बना चुके हैं।

श्री जे०एस० बराड़ : अध्यक्ष महोदय, पंजाब में भूमिगत पानी के अधिक उपयोग के कारण 117 प्रखंडों में से 90 प्रखंड 'डार्क क्षेत्रों' के अंतर्गत आ गये हैं। पंजाब राज्य हमारे देश का मुख्य खाद्यान्न उत्पादक राज्य है। यह अनुपूरक प्रश्न-पूर्व प्रश्न से संबंधित है परंतु यह माननीय मंत्री के मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सिंचाई सुविधाओं की कमी के कारण हमने अपने राज्य में भूमिगत जल का अधिक उपयोग किया है। अतः, क्या सरकार पंजाब राज्य के लिए कोई विशेष उपाय करेगी ?

श्री अर्जुन सेठी : महोदय, यह सच है कि पंजाब के 90 प्रखंडों को 'डार्क' क्षेत्र घोषित किया गया है। हमने पंजाब राज्य को अपनी चिंता से अवगत करा दिया है। अधिक दोहन के कारण ऐसा हुआ है। पंजाब सरकार से अधिक दोहन की संपूर्ण योजना को विनियमित करने के लिए एक विधेयक लाई है। इस कानून के बनने के साथ ही सारे पंजाब की समस्या झुलझ जायेगी।

श्री जे०एस० बराड़ : माननीय मंत्री, एक विकल्प है। रावी नदी का लाखों क्यूसेक पानी पाकिस्तान में बर्बाद चला जाता है। क्या सरकार इस पानी को बर्बाद होने से रोकने के लिए कमद उठायेगी। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप अन्य सदस्यों के भाषण में व्यवधान डाल रहे हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती जसकौर मीणा : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न देश के कुछ राज्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। यदि इस प्रश्न का उत्तर सही हो तो कई राज्यों के लिए बहुत लाभकारी होगा। यह अधिकांश ऐसे राज्यों के लिए है जिसमें राजस्थान भी एक है। राजस्थान में बहते जल के प्रबंधन के अभाव में वहां की जनता हर साल अकाल का मुंह देखती है और बर्बादी होती है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि बनास, चम्बल और मोरेल जैसी नदियों पर जो प्रबंधन की योजना बनी है, उसमें केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को कितना धन दिया है? *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी को उत्तर देने दीजिए।

श्री अर्जुन सेठी : महोदय, किसी विशेष परियोजना के बारे में सभा इस तथ्य से भली-भांति परिचित है कि किसी परियोजना की जांच, आयोजना और कार्यान्वयन मुख्य रूप से राज्य की जिम्मेदारी है। माननीय मंत्री ने यहां कुछ परियोजनाओं का उल्लेख किया है। मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप बाद में भेज सकते हैं।

श्री अर्जुन सेठी : मैं बाद में उन्हें भेज सकता हूं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न सं० 104 लेंगे। डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह बोलेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं अगले प्रश्न पर पहुंच चुका हूं कृपया अपने स्थान पर बैठें।

मैच फिक्सिंग

+

***104. डा० रघुवंश प्रसाद सिंह :**
श्री राम प्रसाद सिंह :

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा क्रिकेटरों के लिए प्रस्तुत आचार संहिता के प्रारूप को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ''मैच फिक्सिंग'' गति-विधियों पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रीय खेल संघों, खिलाड़ियों और अन्य व्यक्तियों के लिए ऐसी कोई आचार संहिता बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में ''मैच फिक्सिंग'' को समाप्त करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

[हिन्दी]

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (कुमारी उमा भारती) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा खिलाड़ियों, टीम अधिकारियों, प्रबंधकों, अम्पायरों और प्रशासकों के लिए जारी किए गए विनियमों की एक प्रति इस मंत्रालय में दिनांक 25 अगस्त, 2000 को प्राप्त हुई थी। तथापि, न तो सरकार के अनुमोदन के लिए अनुरोध किया गया था और न ही वह दिया गया था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) भाग (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

(घ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी०बी०आई०) ने पहले ही मैच फिक्सिंग और संबंधित कदाचारों के बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और वह इस मामले की आगे जांच कर रहा है। यह रिपोर्ट बी०सी०सी०आई० को दोषी खिलाड़ियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करने के लिए भेजी गयी थी। सरकार ने मोहम्मद अजहरूद्दीन, अजय जडेजा और मनोज प्रभाकर को दिया गया अर्जुन पुरस्कार वापस लेने के लिए इन खिलाड़ियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किए हैं। मोहम्मद अजहरूद्दीन ने बी०सी०सी०आई० द्वारा लगाए गए प्रति-बंध आदेश को सिविल न्यायालय, हैदराबाद में चुनौती दी है तथा अजय जेडजा ने बी०सी०सी०आई० द्वारा लगाए गए प्रतिबंध आदेश और अर्जुन पुरस्कार वापस लेने के लिए उसको जारी किए गए कारण बताओ नोटिस को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। दोनों याचिकाएं माननीय न्यायालयों के समक्ष विचाराधीन हैं।

विधि मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि वह विभिन्न राज्यों के जुआ अधिनियमों के प्रावधानों का अध्ययन करे ताकि मैच फिक्सिंग तथा अन्य कदाचारों जैसे मामलों पर प्रभावी रूप से कार्रवाई करने के लिए, राज्यों के विचारार्थ आदर्श संशोधन तैयार किये जा सकें।

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान सौ करोड़ की आबादी का देश है लेकिन जब दुनिया के मुल्कों के साथ अंतर्राष्ट्रीय खेल होते हैं तो हिन्दुस्तान के खिलाड़ियों को खपता भी नहीं मिलता, गोल्ड तमगे को कौन पूछे। जब यह प्रश्न पूछा गया कि क्या खिलाड़ियों और खेल से संबंधित लोगों के लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट है तो सरकार यह जवाब देती है कि बी०सी०सी०आई० की तरफ से रैगुलेशन भेजी गई है। उसे न मंजुरी दी गई है और न मंजूरी मांगी गई है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि खिलाड़ियों और खेल से संबंधित लोगों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट, आचार-संहिता क्यों

नहीं है और सरकार इसे कब तक बनाएगी, कब तक लागू करेगी ? *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : माननीय सदस्यों के लिए एक आचार संहिता भी महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, मेरे विचार से, आचार संहिता खिलाड़ियों से अधिक सदस्यगण के लिए महत्वपूर्ण है।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने खेल संघों के लिए आचार-संहिता के बारे में जो सवाल किया है, मैं आज इस सवाल का एक लाभ भी उठाना चाहूंगी और आपके माध्यम से सदन से निवेदन करना चाहूंगी कि खेल संघों के लिए अगर आचार-संहिता लागू होने की बात हो तो आचार-संहिता का स्वरूप ऐसा हो कि उसे लागू करने में हम सक्षम हों और उसका उल्लंघन करने पर कुछ नियम और प्रावधान हों। यह हमारी कठिनाई है और इस कठिनाई को दूर करने के लिए हमने समय-समय पर विचार भी किया। इसके लिए 3 मार्च को देश के सभी राज्यों के खेल मंत्रियों की बैठक भी बुलाई गई थी। उनके सामने हमने एक आचार-संहिता का प्रारूप रखा था, जिस पर सभी राज्यों के खेल मंत्रियों ने अपनी सहमति दी थी। लेकिन दिक्कत यह है कि जब हम उस आचार-संहिता को कानूनी जामा पहनाना चाहते हैं तो खेल राज्यों का विषय होने के कारण खेल संबंधी कानून बनाने का अधिकार राज्यों का है। उसके कारण हमारे सामने यह कठिनाई खड़ी हो जाती है कि एक तरफ खेल मंत्रियों की बैठक में वे हमें सहमति दे देते हैं कि हम आचार-संहिता बनाएं।

लेकिन केन्द्र द्वारा जब आचार संहिता को कानूनी जामा पहनाने की जब बात आती है, तो दिक्कत पेश आती है, क्योंकि खेल समवर्ती सूची में नहीं हैं। मैं माननीय सदस्य के इस सवाल का लाभ उठाते हुए आपके माध्यम से पूरे सदन से निवेदन करना चाहती हूं, यहां पर नेता प्रति पक्ष भी मौजूद हैं, पिछले शीत कालीन सत्र में भी जब यह सवाल आया था तो प्रमुख विरोधी दल की एक माननीय सदस्या, जो कि पूर्व खेल मंत्री भी रह चुकी हैं, श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा, ने आश्वस्त किया था कि उनका दल हमारा सहयोग करेगा। *(व्यवधान)* यहीं पर बात हुई थी, मैं सदन का वह रिकार्ड प्रस्तुत कर सकती हूं।

श्री बसुदेव आचार्य : यह राज्यों का अधिकार है। आप उनसे यह अधिकार छीनना चाहती हैं।

कुमारी उमा भारती : माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है, सदन के विरोधी दल के उप नेता श्री माधवराव जी सिंधिया सदन में आश्वासन दे रहे हैं तो मैं उनको निवेदन करना चाहूंगी कि जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं, उन राज्यों के खेल मंत्री कोड आफ कंडक्ट पर हमारा समर्थन तो करते हैं, लेकिन जब उसको कानूनी जामा पहनाने की बात आती है, समवर्ती सूची में लाने की बात आती है तो वे हमारा समर्थन नहीं करते। इससे हम कमजोर हो जाते हैं।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, इससे पहले आप यह पता लगायें कि खेलों पर कितनी धनराशि व्यय की गई है। यहां तक कि हमारे बजट का 0.5 प्रतिशत भी खेलों पर खर्च नहीं होता और वे सभी अधिकार लेने की सोच रहे हैं।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : मैं माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में यही कहना चाहूंगी कि इस उत्तर के दो भाग हैं। कोड आफ कंडक्ट को लागू करने के लिए हमने काफी विचार किया, हमारे विभाग में भी विचार चल रहा है। लेकिन जब उसका उल्लंघन होगा। *(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : आपने वादा किया था कि गांव वालों को प्राथमिकता देंगी। आप स्वयं गांव से चुन कर आई हैं। अगर आप गांव वालों को प्राथमिकता दें तो आचार संहिता अपने आप ही सुधर जाएगी। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : महोदया, आपको केवल डा० रघुवंश प्रसाद सिंह के प्रश्न का उत्तर देना है।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : कोड आफ कंडक्ट को लाने पर हम विचार कर रहे हैं। अगर उसके उल्लंघन पर कोई दंड की प्रक्रिया लागू करनी हो तो उसके लिए हमें खेलों को समवर्ती सूची में लाना होगा और इसके लिए जो सरकार का प्रस्ताव है, उसे सदन के सभी दलों का समर्थन चाहिए, नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। अगर उसका उल्लंघन हो, मान लीजिए कोई कठोर प्रक्रिया लागू करना चाहते हैं तो उस स्थिति में हम अपने आप को कमजोर पाएंगे। इसलिए हम विचार कर रहे हैं। कोड आफ कंडक्ट को लाने पर राज्यों के मंत्रियों का सहयोग और परामर्श मिल चुका है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगी कि हम खेलों को समवर्ती सूची में लाने में सहयोग करें ताकि खेलों में जो कठिनाइयां आती हैं, उनसे हम निपट सकें।

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसा ही उत्तर होगा, जिसमें अगर, मगर, बट होगा तो कैसे काम चलेगा। हमने स्पेसिफिक पूछा था कि आचार संहिता कब तक तैयार हो जाएगी और कब तक लागू हो जाएगी, उसका जवाब नहीं आया। सरकार गाइडलाइन बनाकर विभिन्न खेल संघों की मदद करती है। मैं जानना चाहता हूं किस खेल संघ ने गाइडलाइन का उल्लंघन किया है और फिर भी उसे सरकार मदद दे रही है तथा उन खेल संघों के अध्यक्ष कौन हैं, यह भी बताया जाए ? इसमें राजनीति को लाकर आप खेल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री राजीव प्रताप रूडी : अभी तो लालू यादव जी भी अध्यक्ष बने हैं। *(व्यवधान)*

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : इसीलिए तो पूछ रहा हूं।
(व्यवधान)

कुमारी उमा भारती : मैं माननीय सदस्य रघुवंश प्रसाद जी के सवाल का स्पष्ट उत्तर दे रही हूं।

मध्याह्न 12.00 बजे

वह स्पष्ट उत्तर यह है कि हम आचार संहिता लाने पर विचार कर रहे हैं, उसको हम कड़ाई से लागू कर सकेंगे अगर समवर्ती सूची में लाने में आप सब लोग हमारा सहयोग कर देंगे। *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : सरकार राज्यों का अधिकार छीनना चाहती है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : महोदया, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

कुमारी उमा भारती : बसुदेव आचार्य जी ने मेरा समर्थन किया है। *(व्यवधान)* उन्होंने जो सप्लीमेंट्री सवाल किया है, उसका उत्तर मैं यह देना चाहती हूं कि मेरे पास वह सूची मौजूद नहीं है लेकिन मैं बहुत जल्दी माननीय सदस्य के लिए और सदन की जानकारी के लिए वह सूची उपस्थित करूंगी। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न काल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

सेल्यूलर टेलीफोन

105\. **श्री पी०डी० एलानगोवन :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की देश के ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में और अधिक संख्या में सेल्यूलर टेलीफोन कनेक्शन देने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) सरकार ने महानगरीय सेवा क्षेत्रों और दूरसंचार सर्किल सेवा क्षेत्रों के वास्ते सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सी०एम०टी०एस०) के लिए प्राइवेट ऑपरेटरों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के ऑपरेटरों, महानगर टेलीफोन निगम लि० (एम०टी०एन०एल०) और भारत संचार निगम लि० (बी०एस० एन०एल०) को लाइसेंस प्रदान किए हैं, जिसके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। अधिकतर सेवा क्षेत्रों में सी०एम०टी०एस० के एक और प्राइवेट ऑपरेटर को शामिल करने के लिए आगे कार्यवाई शुरू कर दी गई है, जिसके लिए बोलियां प्राप्त हो गई हैं। अतिरिक्त ऑपरेटर के आने से, देश के अधिकतर सेवा क्षेत्रों में तीन प्राइवेट ऑपरेटर और एक सरकारी ऑपरेटर होगा।

लाइसेंस की शर्तों में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी व्यवस्था है कि लाइसेंस प्रभावी होने की तारीख से प्रथम वर्ष में कम से कम 10% जिला मुख्यालय शामिल किए जाएंगे और 50% जिला मुख्यालय तीन वर्ष के भीतर शामिल किए जाएंगे। लाइसेंसधारियों को जिला मुख्यालयों के स्थान पर जिले के किसी अन्य शहर को शामिल करने की भी अनुमति दी गई है। कवर किए जाने वाले जिला मुख्यालयों/शहरों और 50% से अधिक तक जिला मुख्यालयों/शहरों का और आगे विस्तार करने का विकल्प लाइसेंस प्रदाता कंपनियों के पास होता है जो उनके व्यापार संबंधी निर्णय पर निर्भर करता है। मंजूरशुदा लाइसेंसों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों को अनिवार्य रूप से शामिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक सेवा क्षेत्र में अनेक प्रचालक होने से, यह आशा की जाती है कि सभी लाइसेंसधारी अर्द्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों सहित अधिकाधिक क्षेत्र शामिल करेंगे।

बी०एस०एन०एल० ने, दिल्ली और मुम्बई महानगरीय सेवा क्षेत्रों के अलावा, सम्पूर्ण देश को कवर करते हुए सी०एम०टी०एस० लाइसेंस दिए हैं। इसने सम्पूर्ण देश में, जहां कहीं भी अनुमत्य हो, सभी जिला मुख्यालयों, महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों, प्रमुख राजमार्गों और रेल मार्गों को कवर करने का प्रस्ताव किया है। सिगनल कवरेज के भीतर आने वाले ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों को भी सेल्यूलर मोबाइल सेवाओं का लाभ प्राप्त होगा।

विवरण

सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रदाताओं की सूची

क्रम सं०	सेवा क्षेत्र (महानगरीय/दूरसंचार सर्किल)	ऑपरेटर का नाम
1	2	3
1.	दिल्ली	भारती सेल्यूलर लि०
		स्टर्लिंग सेल्यूलर लि०
		महानगर टेलीफोन निगम लि०
2.	मुम्बई	बी०पी०एल० मोबाइल कम्युनिकेशन्स लि०
		हुत्चिसन मैक्स टेलीकॉम लि०
		महानगर टेलीफोन निगम लि०
3.	कोलकाता	स्पाइस सैल लि०
		ऊषा मार्टिन टेलीकॉम लि०
		भारत संचार निगम लि०
4.	चेन्नई	आर०पी०जी० सेल्यूलर सर्विसेज लि०
		स्काईसेल कम्यूनिकेशन्स प्रा० लि०
		भारत संचार निगम लि०

1	2	3
5.	आंध्र प्रदेश	टाटा सेल्यूलर लि०
		भारती मोबाइल लि०
		भारत संचार निगम लि०
6.	असम	रिलायन्स टेलीकॉम (प्रा)लि०
		भारत संचार निगम लि०
7.	बिहार	कोशिका टेलीकॉम प्रा०लि०*
		रिलायन्स टेलीकॉम (प्रा)लि०
		भारत संचार निगम लि०
8.	गुजरात	फैसल लि०
		बिरला ए०टी०एंड टी० कम्यूनिकेशन्स लि०
		भारत संचार निगम लि०
9.	हरियाणा	एस्कोटेल मोबाइल कम्यूनिकेशन्स प्रा० लि०
		एयरसेल डिजीलिंक इण्डिया लि०
		भारत संचार निगम लि०
10.	हिमाचल प्रदेश	भारती टेलीनेट लि०
		रिलायन्स टेलीकॉम (प्रा)लि०
		भारत संचार निगम लि०
11.	कर्नाटक	भारती मोबाइल लि०
		स्पाइस कम्यूनिकेशन्स लि०
		भारत संचार निगम लि०
12.	केरल	एस्कोटेल मोबाइल कम्यूनिकेशन्स (प्रा) लि०
		बी०पी०एल० सेल्यूलर लि०
		भारत संचार निगम लि०
13.	महाराष्ट्र	बी०पी०एल० सेल्यूलर लि०
		बिरला ए०टी०एंडटी० कम्यूनिकेशन्स लि०
		भारत संचार निगम लि०
14.	मध्य प्रदेश	आर०पी०जी० सेलकॉम लि०
		रिलायन्स टेलीकॉम (प्रा)लि०
		भारत संचार निगम लि०
15.	पूर्वोत्तर	रिलायन्स टेलीकॉम (प्रा)लि०
		हैक्साकॉम इण्डिया लि०
		भारत संचार निगम लि०
16.	उड़ीसा	कोशिका टेलीकॉम प्रा०लि०*
		रिलायन्स टेलीकॉम (प्रा०)लि०
		भारत संचार निगम लि०
17.	पंजाब	स्पाइस कम्यूनिकेशन्स लि०
		भारती मोबाइल लि०
		भारत संचार निगम लि०
18.	राजस्थान	एयरसेल डिजीलिंक इण्डिया लि०
		हैक्साकॉम इण्डिया लि०
		भारत संचार निगम लि०
19.	तमिलनाडु	बी०पी०एल० सेल्यूलर लि०
		एयरसेल लि०
		भारत संचार निगम लि०
20.	उत्तर प्रदेश (पश्चिमी)	एस्कोटेल मोबाइल कम्यूनिकेशन्स लि०
		कोशिका टेलीकॉम प्रा०लि०*
		भारत संचार निगम लि०
21.	उत्तर प्रदेश (पूर्वी)	एयरसैल डिजीलिंक इण्डिया लि०
		कोशिका टेलीकॉम प्रा०लि०
		भारत संचार निगम लि०
22.	पश्चिम बंगाल	रिलायन्स टेलीकॉम (प्रा०)लि०
		भारत संचार निगम लि०

लीजेंड : *लाइसेंस फीस का भुगतान न करने के कारण ये लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं।

टिप्पणी : फिलहाल जम्मू व कश्मीर, उत्तर-पूर्व और असम दूरसंचार सर्किलों में सुरक्षा कारणों से प्राइवेट ऑपरेटरों एवं भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा नई सेल्यूलर मोबाईल टेलीफोन सेवा शुरू करने अथवा उसका विस्तार करने की अनुमति नहीं है।

सी०डी०एम०ए० — डब्ल्यू०एल०एल० आपरेटर्स पालिसी

*106. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संशोधित राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1999 की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या सरकार को बिना किसी निविदा के कोई भी दूरसंचार परिचालन, विशेषरूप से "वायरलेस इन लोकल लूप" (डब्ल्यू०एल०एल०) परिचालन, "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर किसी निजी पक्ष को आबंटित करने का अधिकार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या दूरसंचार विभाग के लिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (टी०आर०ए०आई०) की सिफारिशों को स्वीकार करना अनिवार्य है ?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (घ) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति (1994) के स्थान पर नई दूरसंचार नीति, (एन०टी०पी०-99) लाई गई है जिसका अब तक संशोधन नहीं किया गया है।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की सिफारिशों के आधार पर नई दूरसंचार नीति, 99 में नए सेवा प्रदाताओं के प्रवेश का प्रावधान किया गया है। तदनुसार इस संबंध में ट्राई की सिफारिशें मांगी गई। ट्राई की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने बुनियादी टेलीफोन सेवा मुहैया कराने के लिए अप्रतिबंधित प्रवेश की घोषणा की। अत: कोई निविदा आमंत्रित नहीं की गई।

ट्राई की सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ उपभोक्ताओं द्वारा कम दूरी प्रभारण क्षेत्र के भीतर हैंड हेल्ड सेटों के प्रयोग सहित अभिगम प्रौद्योगिकी (ऐक्सेस टेक्नोलॉजी) के रूप में वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यू०एल०एल०) के प्रयोग का प्रावधान किया गया है। इस प्रयोजनार्थ कुल स्पेक्ट्रम का आबंटन ट्राई की सिफारिशों के अनुरूप किया जाना है। स्पेक्ट्रम का वास्तविक आबंटन विभिन्न चरणों में किया जाएगा जो कार्य निष्पादन से सम्बद्ध होगा और इसके लिए निर्धारित शुल्क वसूल किया जाएगा।

वर्ष 2000 में ट्राई अधिनियम में संशोधन से अब ट्राई अधिनियम की धारा 11 की उपधार (1) के खंड (क) के उपखंड (i) और (ii) में विनिर्दिष्ट मामलों में ट्राई की सिफारिशें प्राप्त करना अनिवार्य हो गया है। ऐसे मामलों में ट्राई द्वारा सिफारिशें एक पारदर्शी और व्यापक परामर्श की प्रक्रिया अपना कर की जाती हैं। इस मामले में भी, एक विस्तृत परामर्श पत्र परिचालित किया गया था और चार महानगरों में खुली चर्चा की गई थी। यद्यपि सिफारिशों को स्वीकार करना अनिवार्य नहीं है, फिर भी ऐसे मामलों में, विशेषकर उनमें जिन्हें उपभोक्ताओं के हित में समझा जाता है, अधिकतर सिफारिशों को स्वीकार किया जाता रहा है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय युवा नीति

*107. **श्री सुरेश चन्देल :**
श्री महेश्वर सिंह :

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने युवकों के विकास हेतु कोई नई राष्ट्रीय युवा नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसके कब तक बनाए जाने और क्रियान्वित किए जाने की संभावना है ?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (कुमारी उमा भारती) : (क) और (ख) सरकार की पहले से ही एक राष्ट्रीय युवा नीति है जिसे वर्ष 1988 में तैयार किया गया था। परिवर्तनों तथा प्राप्त किए गए अनुभव को ध्यान में रखते हुए, इस मंत्रालय ने नई राष्ट्रीय युवा नीति का एक मसौदा तैयार किया है जिसमें युवाओं की 15-35 वर्ष की परिभाषित आयु को कम करके 13-35 वर्ष करने का प्रस्ताव रखा गया है। राष्ट्रीय युवा नीति, 2001 के मसौदे में प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं :-

1. युवा अधिकारिता
2. लिंग न्याय
3. अंतर क्षेत्रीय दृष्टिकोण
4. सूचना और अनुसंधान नेटवर्क

इस नीति में निम्नलिखित क्षेत्रों को युवाओं से संबंधित प्रमुख क्षेत्रों के रूप में मान्यता दी गई है :-

1. शिक्षा
2. प्रशिक्षण और रोजगार
3. स्वास्थ्य
4. पर्यावरण
5. खेल और मनोरंजन
6. कला और संस्कृति
7. विज्ञान और प्रौद्योगिकी, और
8. नागरिक शास्त्र और नागरिकता

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) नई राष्ट्रीय युवा नीति, 2001 का मसौदा मंत्रिमंडल का अनुमोदन लेने के लिए तैयार है।

[अनुवाद]

आप्टिकल फाइबर केबल्स

*108. **ए० ब्रह्मनैया :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पूरे देश में ''आप्टिकल फाइबर केबल'' बिछाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सेल्यूलर टेलीफोन प्रौद्योगिकी के युग में उक्त महंगे आप्टिकल फाइबर केबल बिछाना कितना प्रासंगिक है ?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) चालू वर्ष के दौरान, कुल 1,26,000 रूट किलोमीटर आप्टिकल फाइबर केबल (ओ०एफ०सी०) बिछाने की योजना है। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) अलग-अलग उपभोक्ताओं को एक्सचेंज से मोबाइल कनेक्शन प्रदान करने के लिए सेल्यूलर टेलीफोन प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है, जबकि आप्टिकल फाइबर केबल का प्रयोग बैक बोन नेटवर्क प्रदान करने के लिए और विभिन्न टेलीफोन एक्सचेंजों को परस्पर जोड़ने के लिए अथवा अधिक संख्या में उपभोक्ताओं को ब्रॉडबैंड अभिगम्यता प्रदान करते हुए दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाता है। इन दोनों का अनुप्रयोग का क्षेत्र अलग-अलग है और वे एक-दूसरे के बदले प्रयुक्त नहीं होते हैं।

विवरण

वर्ष 2001-2002 में आप्टिकल फाइबर केबल चालू करने के लक्ष्य

क्रम सं०	दूरसंचार परियोजना/सर्किल	ओएफसी (आरकेएमएस)
1	2	3
1.	पूर्वी दूरसंचार परियोजना	3500
2.	उत्तरी दूरसंचार परियोजना	6650
3.	दक्षिणी दूरसंचार परियोजना	6650
4.	पश्चिमी दूरसंचार परियोजना	6600
5.	उत्तर-पूर्व कार्य दल	364
6.	आंध्र प्रदेश	7000
7.	अंडमान व निकोबार	84
8.	असम	500
9.	बिहार	7000
10.	झारखंड	4000
11.	गुजरात	9050
12.	हरियाणा	1550
13.	हिमाचल प्रदेश	1700
14.	जम्मू व कश्मीर	650
15.	कर्नाटक	6100
16.	केरल	1100
17.	मध्य प्रदेश	8700
18.	छत्तीसगढ़	3855
19.	महाराष्ट्र	10175
20.	उत्तर-पूर्व-I	325
21.	उत्तर-पूर्व-II	175
22.	उड़ीसा	3500
23.	पंजाब	3522
24.	राजस्थान	9100
25.	तमिलनाडु	2700
26.	उत्तर प्रदेश (पूर्वी)	12000
27.	उत्तर प्रदेश (पश्चिमी)	2300
28.	उत्तरांचल	1100
29.	पश्चिम बंगाल	5000
30.	चेन्नई टी०डी०	760
31.	कोलकाता टी०डी०	300
	कुल जोड़	126000

राष्ट्रीय राजमार्गों पर चिकित्सा सुविधाएं

*109. **श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा :** क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने पिछले दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर चल चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने हेतु राज्यों को कोई विशेष धनराशि प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कर्नाटक राज्य को कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) से (ग) वर्ष 1999-2000 में राष्ट्रीय राजमार्ग गश्त स्कीम के अंतर्गत एक क्रेन और एक एंबुलेंस की खरीद के लिए कर्नाटक सहित 11 राज्यों को 25-25 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी गई थी। वर्ष 2000-2001 में इस स्कीम के कार्य-क्षेत्र में संशोधन किया गया। विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों और राज्य परिवहन उपक्रम को नकद राशि के बजाए 41 एंबुलेंस प्रदान की गई हैं। बंगलौर महानगर परिवहन निगम को वर्ष 2000-2001 में 2 एंबुलेंस प्रदान की गई हैं। गत दो वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों और गैर-सरकारी संगठनों को प्रदान की गई सहायता के ब्यौरे क्रमशः विवरण-I और II में दिए गए हैं।

विवरण-I

राष्ट्रीय राजमार्ग गश्त स्कीम के अंतर्गत वर्ष 1999-2000 में प्रदान की गई सहायता के ब्यौरे

(लाख रुपए)

क्रम सं०	राज्य का नाम	धनराशि
1.	कर्नाटक	25.00
2.	हिमाचल प्रदेश	25.00
3.	गुजरात	25.00
4.	हरियाणा	25.00
5.	असम	25.00
6.	पश्चिम बंगाल	25.00
7.	उत्तर प्रदेश	25.00
8.	मध्य प्रदेश	25.00
9.	मिजोरम	25.00
10.	तमिलनाडु	25.00
11.	राजस्थान	25.00

विवरण-II

राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2000-01 में प्रदान की गई सहायता के ब्यौरे

राज्य परिवहन निगम/उपक्रम

क्रम सं०	राज्य परिवहन उपक्रम का नाम	एंबुलेंसों की सं०
1	2	3
1.	त्रिपुरा सड़क परिवहन निगम, त्रिपुरा पश्चिम	1
2.	असम राज्य परिवहन निगम, असम	1
3.	नागालैंड राज्य परिवहन, नागालैंड	1
4.	जे० एंड के राज्य सड़क परिवहन निगम, जम्मू एंड कश्मीर	1
5.	मेघालय परिवहन निगम, मेघालय	1
6.	हिमाचल सड़क परिवहन निगम, हिमाचल प्रदेश	1
	शहरी (शहर) उपक्रम	
7.	कलकत्ता राज्य परिवहन निगम, पश्चिम बंगाल	2
8.	महानगर परिवहन निगम, (चेन्नै मंडल-I) लि० तमिलनाडु	1
9.	बंगलौर महानगर परिवहन निगम लि०, कर्नाटक	2
10.	दिल्ली परिवहन निगम, नई दिल्ली	1
11.	थाणे नगर पालिका परिवहन उपक्रम, महाराष्ट्र	1
12.	चंडीगढ़ परिवहन उपक्रम, चंडीगढ़	1
13.	महानगर परिवहन उपक्रम, (चेन्नै मंडल-II) लि०	1
	नगरेतर उपक्रम	
14.	पेप्सू सड़क परिवहन निगम, पटियाला, पंजाब	1
15.	उड़ीसा राज्य सड़क परिवहन निगम, उड़ीसा	1
16.	राज्य एक्सप्रेस परिवहन निगम, (तमिलनाडु मंडल-I) लि०, तमिलनाडु	1
17.	तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम, (कुम्बाकोनम मंडल-II) तमिलनाडु	1
18.	उत्तरी बंगाल राज्य सड़क परिवहन निगम, कूच बेहर	1
19.	तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम, (कोयम्बतूर मंडल-I) लि० तमिलनाडु	1
20.	तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम, (विल्लुपुरम मंडल-I) लि० तमिलनाडु	1
21.	केरल राज्य सड़क परिवहन निगम	1
22.	दक्षिण बंगाल राज्य परिवहन निगम	1
23.	महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम	1
24.	महानगर परिवहन निगम लि०, चेन्नै (मंडल-I और II)	2
	कुल	28
	गैर-सरकारी संगठन	
1.	मै० लोकमान्य मेडिकल फाउण्डेशन, चिंचवाड, पुणे	2
2.	मै० आटोमोबाइल एसोसिएशन आफ सदर्न इंडिया, ए०ए०एस०आई० केंद्र, तमिलनाडु	2
3.	मै० कर्णोदय सेवा संस्थान, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश	2
4.	मै० जौरम ड्राइवर्स यूनियन, बांगकान, आइजौल, मिजोरम	1

1	2	3
5.	मै० मणिपुर ट्रक आनर्स वेलफयेर एसोसिएशन, इम्फाल, मणिपुर	1
6.	एसोसिएशन फार वेलफेयर ऑफ बेकवर्ड क्लासिज इन सिक्किम, साउथ सिक्किम	1
7.	मै० करल यूथ कोर्डिनेशन सेन्टर, बिहार	1
8.	इंस्टीटयूट ऑफ रोड ट्रैफिक एडुकेशन, नई दिल्ली	1
9.	पुलिस विभाग, महाराष्ट्र सरकार को हस्तांतरित मै० हाइवे यूजर्स सेन्टर (आई) लि०, मुंबई	1
	जोड़	13

"बोइंग लीजिंग कंपनी" से नुकसान की क्षतिपूर्ति वसूलना

*110. श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की क्या कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एअरलाइंस का विचार लीज संविदा के अनुसार विमान सौंपने में असफल होने पर मैसर्स जी०आई०ए०एल० बोइंग लीजिंग कंपनी से क्षति पूर्ति की मांग करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इंडियन एअरलाइन्स को कुल कितने राजस्व की हानि हुई और इस संबंध में मैसर्स जी०आई०ए०एल० पर कितना अर्थदंड लगाया गया ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) इंडियन एयरलाइन्स के निदेशक मंडल ने दिनांक 20 दिसम्बर, 1999 को हुई अपनी 50वीं बैठक में सिद्धान्त रूप में यात्री यातायात की सुचारू व्यवस्था के लिए वर्ष 2000-2001 के शीतकालीन सीजन के लिए पट्टे पर विमान क्षमता को बेड़े में शामिल करने का अनुमोदन किया था। नवम्बर 2000 से 3 वर्ष की समयावधि के लिए बेड़े में 4 विमान (ए-320/बी-737-300-400) ड्राई लीज पर शामिल करने के लिए मार्च, 2000 में एक विश्व स्तरीय निविदा आमंत्रित की थी।

दिनांक 17 जुलाई, 2000 को निविदा बोलियां खोली गई। सात प्रस्ताव मिले थे जिनमें से 3 प्रस्ताव बोइंग 737-200 के लिए जबकि 4 प्रस्ताव ए-320 विमानों के बारे में थे। बोइंग-737 के बारे में तीन प्रस्ताव निम्नलिखित पार्टियों से संबंधित थे :—

(i) पैरागोन (ii) जी०ई०सी०ए०एस० जैकास (iii) जी०आई०ए० (गीआ) इंटरनेशनल लि०।

नागर विमानन महानिदेशालय विनियमों में यह व्यवस्था है कि पट्टा करारों के अन्तर्गत 15 वर्षों से अधिक आयु के दाबी (PRESSURIZED) विमानों को आयातित नहीं किया जा सकता है। पैरागोन ने जिन 4 विमानों का प्रस्ताव किया है वे 15 वर्ष से अधिक पुराने हैं। अतः वे नागर विमानन महानिदेशालय विनियमों की पूर्ति पर खरे नहीं उतरते हैं। जी०ई०सी०ए०एस० (जेकस) के प्रस्ताव 15 वर्ष से पुराने दो विमानों के लिए है जी०ई०सी०ए०एस० (जेकस) द्वारा जिन दो विमानों के लिए प्रस्ताव किए है वे जी०आई०ए०एल० (गेल) द्वारा किए गए प्रस्ताव जैसे ही है। तद्नुसार, जी०ई०सी० ए०एस० (जेकस) ने बताया कि उनके द्वारा प्रस्तावित दो बी-737 200 विमान जो इंडियन एयरलाइन्स ने पट्टे पर लिए थे, उपलब्ध नहीं है क्योंकि कहीं और पट्टे के लिए इन विमानों के बारे में पहले ही हस्ताक्षर हो गए हैं।

इस तरह जी०आई०ए०एल० (गेल) ही एक मात्र पात्र पार्टी थी जो नागर विमानन महानिदेशालय के विनियमों और निविदा अपेक्षाओं की पूर्ति पर खरी उतरती है।

अतः जी०आई०ए०एल० (गेल) को इंडियन एयरलाइन्स की लीज कमेटी के साथ विचार-विमर्श हेतु आमंत्रित किया गया था। अगस्त, 2000 में जी०आई०एल० (गेल) के साथ हुई बैठक में विस्तृत विचार-विमर्श किए गए। जी०आई०ए०एल० (गेल) ने यह पुष्टि की कि डी०जी०सी०ए० (नागर विमानन महानिदेशालय) द्वारा यथा अपेक्षित सभी तकनीकी अपेक्षाओं/अनिवार्य आशोधनों का पालन प्रत्येक विमान की डिलिवरी से पूर्व की जाने वाली "सी" चेक के दौरान सुनिश्चित कर दिया जाएगा।

इंडियन एयरलाइन्स के बोर्ड ने दिनांक 18 सितम्बर, 2000 को हुई अपनी 54वीं बैठक में नवम्बर, 2000 से आगे तीन वर्षों की समयावधि के लिए जी०आई०ए०एल० (गेल) से पांच बोइंग 737-200 विमानों को ड्राई लीज पर लेने संबंधि प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया था और उसने पार्टी को इस आशय का पत्र भी जारी करने की अनुमति दे दी थी।

इंडियन एयरलाइन्स और जी०आई०एल० (गेल) के बीच दिनांक 21 सितम्बर, 2000 को एक आशय पत्र निष्पादित किया गया जो पांच बोइंग-737 विमान पट्टे पर लिए जाने से संबंधित था। आशय-पत्र के अनुसार पहला विमान 25 नवम्बर, 2000 तक डिलिवर करने और उसके बाद हर 14 दिन के बाद एक विमान डिलिवर करना था।

विधि सलाहकारों द्वारा विधिवत पुनरीक्षित इन पट्टे-सहमति-पत्रों पर 15 दिसम्बर, 2000 को नई दिल्ली में इंडियन एयरलाइन्स और जी०आई०एल० (गेल) के बीच हस्ताक्षर किए गए। पट्टा करार के अनुसार निम्नानुसार डिलीवरी अनुसूची थी :—

22 दिसम्बर, 2000	पहला विमान
29 दिसम्बर, 2000	दूसरा विमान
10 जनवरी, 2001	तीसरा विमान
22 जनवरी, 2001	चौथा विमान
31 जनवरी, 2001	पांचवा विमान

पट्टा करार विशेषकर विमानों की समय पर डिलिवरी से संबंधित शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए, पट्टा करारों में निम्नलिखित प्रावधान होते हैं :—

(i) पट्टेकर्ता को पट्टेदार को तब तक प्रत्याशित डिलिवरी तारीख के बाद प्रत्येक दिन के अनुसार 8,500 अमेरिकी डालर की राशि का निर्धारित हरजाने के बतौर भुगतान करना होगा जब तक या तो विमान पट्टेदार को डिलिवरी नहीं किया जाता है अथवा पट्टेदार विमान को पट्टे पर लेने संबंधी अपने दायित्व को समाप्त के विकल्प का प्रयोग नहीं करता।

(ii) पहले विमान की डिलिवरी 7 दिन की रियायती अवधि के अनुसार 22 दिसम्बर, 2000 को यथा स्थिति की जानी थी। 29 दिसम्बर, 2000 को इंडियन एयरलाइन्स सभी विमानों से संबंधित पट्टा संविदा को रद्द करने का निर्णय ले सकता था।

(iii) नवीनतम डिलिवरी तारीख यानी 7 फरवरी, 2001 जिसको इंडियन एयरलाइंस बाकी शेष डिलिवर न किए गए विमानों से संबंधित पट्टा संविदा को रद्द करने का निर्णय ले सकता था।

सतत् अनुवर्ती कार्रवाई के बावजूद, 7 फरवरी, 2001 की बाद की तारीख तक जी०आई०ए०एल० (गेल) द्वारा किसी विमान की डिलिवरी नहीं की गई। इंडियन एयरलाइंस ने तब इस मामले को अपने विधि सलाहकारों के माध्यम से जी०आई०ए०एल० (गेल) के साथ उठाया है। जी०आई०ए०एल० के साथ इंडियन एयरलाइन्स के सतत् प्रयासों से उसने मार्च, 2001 के महीने में डिलिवरी संबंधी एक संशोधित डिलिवरी अनुसूची दी।

डिलिवरी अनुसूची के निरंतर आस्थगन के दृष्टिगत, इंडियन एयरलाइन्स ने विमानों की डिलिवरी संबंधी मसले पर विचार विमर्श करने की दृष्टि से जी०आई०ए०एल० (गेल) की टीम को भारत बुलाने का निर्णय लिया।

आखिरकार जी०आई०ए०एल० (गेल) की टीम 27 अप्रैल, 2001 को भारत आई। 17 मई, 2001 तक विचार विमर्श चलते रहे लेकिन जब कोई मसला हल नहीं हुआ तब इंडियन एयरलाइन्स द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जी०आई०ए०एल० (गेल) की विमानों की डिलिवरी न करने की अक्षमता को देखते हुए, यह ही कार्रवाई सर्वोचित होगी की पट्टा करारों को समाप्त कर दिया जाए। दिनांक 21 मई, 2001 को अंततः ये पट्टा करार समाप्त कर दिए गए।

इंडियन एयरलाइन्स पार्टी के विरुद्ध देय दावा के संबंध में पट्टेशुदा विमानों की डिलिवरी न किए जाने के कारण पट्टा करारों के प्रावधानों के अनुसार विधि सलाहकारों के साथ परामर्श करके आवश्यक कदम उठा रही है।

[हिन्दी]

अवैध टेलीकॉम नेटवर्क

*111. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी :
श्री किरीट सोमैया :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कई भागों में विशेषकर मुम्बई में अवैध टेलीकॉम नेटवर्क चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन महीने के दौरान और आज की स्थिति के अनुसार सतर्कता विभाग द्वारा पता लगाए गए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप सरकार को कितना नुकसान हुआ है;

(घ) इसमें कितने कर्मचारी शामिल पाए गए; और

(ङ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसे कदाचार को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ङ) पिछले तीन महीनों के दौरान, वी०एस०एन०एल० के अंतर्राष्ट्रीय गेट-वे को बाई-पास करते हुए गैर-कानूनी इनकमिंग अंतर्राष्ट्रीय कॉलों की रूटिंग से संबंधित 3 मामले मुंबई में और 9 मामले देश के अन्य भागों में सामने आए हैं। इन मामलों में घाटे का कारण वी०एस०एन०एल०/बी०एस०एन०एल०/एम०टी०एन०एल० का राजस्व के उस हिस्से से वंचित रहना है, जो कि उन्हें प्राप्त होता यदि ये कालें वी०एस० एन०एल० के गेटवे से गुजरी होतीं। इन में से 7 मामलों में यह नोशनल घाटा लगभग 20.68 करोड़ रु० होने का अनुमान है और शेष मामलों में इस प्रकार के घाटे का आकलन नहीं किया जा सका। चूंकि इन गैर-कानूनी कार्यकलापों में प्राइवेट लौंक शामिल होते हैं, इसलिए इन मामलों की जांच और इन पर उचित कार्रवाई के लिए सी०बी०आई०/पुलिस की मदद ली जाती है। यदि कोई कर्मचारी इनमें लिप्त होंगे, तो इसका पता सी०बी०आई०/ पुलिस द्वारा जांच पूरी होने के बाद ही चलेगा। सरकार ऐसे दुरुपयोगों को रोकने के उपायों की लगातार पुनरीक्षा कर रही है और इसे रोकने के लिए सुधारात्मक कदम उठा रही है जिसमें निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :—

(i) विशिष्ट रूप से दूरसंचार संबंधी धोखाधड़ी का पता लगाने और इसे रोकने के लिए 4 मैट्रो शहरों में समर्पित सी०बी०आई० प्रकोष्ठ गठित किए गए हैं।

(ii) फील्ड यूनिटों को अनुदेश जारी किए गए हैं कि इंटरनेशनल प्राइवेट लीज्ड सर्किटों के दुरुपयोग का पता लगाने के लिए आकस्मिक जांच की जाए।

(iii) जिन स्थलों पर वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल (वीसेट) एन्टेना और भारी तादाद में टेलीफोन कनैक्शन लगे हैं, उनपर विशेष निगरानी रखी जाती है।

(iv) सभी फील्ड यूनिटों को अनुदेश जारी किए गए हैं कि वे गैर-कानूनी ढंग से वॉइस कॉल के संचरण पर निगरानी रखने के लिए इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आई०एस०पी०) की स्थापनाओं का निरीक्षण करें।

(v) ऐसे गैर-कानूनी नेटवर्कों की जांच करने के लिए निगरानी भी रखी जा रही है।

(vi) अपराधियों को पकड़ने के लिए सेवा प्रदाता और जांच एजैंसियों के बीच निकट संपर्क बनाए रखा जाता है।

उपभोक्ता न्यायालयों में मामले

*112. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 30 जून, 2001 की स्थिति के अनुसार उपभोक्ता न्यायालयों द्वारा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम०डी०एन० एल०) और विदेश संचार निगम लिमिटेड (वी०एस०एन०एल०) को कितने मामलों में दोषी पाया गया;

(ख) उन पर कुल कितनी राशि का अर्थ दंड लगाया गया; और

(ग) ग्राहकों को बेहतर सुविधा प्रदान करने और ऐसे मामलों की संख्या कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) 30.06.2001 की स्थिति के अनुसार हालांकि विदेश संचार निगम लिमिटेड के खिलाफ उपभोक्ता न्यायालयों द्वारा दिये गये प्रतिकूल निर्णय का कोई मामला नहीं है, परन्तु 1.4.99 से 30.6.2001 की अवधि के दौरान एम०टी०एन०एल० के खिलाफ उपभोक्ता न्यायालयों ने 521 मामलों में प्रतिकूल निर्णय दिए हैं।

एम०टी०एन०एल० पर कुल मिलाकर 15.59 लाख रुपये का जुर्माना किया गया है। 92 मामलों के सम्बन्ध में स्टेट कमीशन के समक्ष अपील दायर कर दी गयी हैं जो न्याय-निर्णयाधीन हैं।

महानगर टैलीफोन निगम लिमिटेड ने बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये हैं जिससे कि उपभोक्ता शिकायतों की संख्या में कमी आ सके।

(i) प्राथमिकता के आधार पर उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण करने के आशय से क्षेत्रीय महाप्रबन्धक प्रत्येक शुक्रवार को मिलने का समय निर्धारित किये बिना ही जनता से मिलते हैं और उनकी शिकायतों का समाधान करने का प्रयास करते हैं।

(ii) उपभोक्ताओं के विवादों का निपटान करने के लिए एक स्थायी लोक अदालत कार्य कर रही है।

(iii) उपभोक्ता द्वारा भुगतान कर दिये जाने के पश्चात् टेलीफोन सेवा तत्काल दुरूस्त करने के लिए एक क्विक रेस्टोरेशन सर्विस (क्यू०आर०एस०) सेवा शुरू की गयी है।

(iv) उपभोक्ता की शिकायतों का निवारण करने तथा नेटवर्क की विश्वसनीयता में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं :-

- भारी संख्या में स्विचन नोडों अर्थात् रिमोट स्विचन यूनिट (आर०एस०यू०) और डिजीटल लाइन कैरियर्स (डी०एल०सी०) को चालू करना।
- वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यू०एल०एल०) प्रणाली लगाना।
- समयबद्ध ढंग से पेपर कोर केबल का प्रतिस्थापन।
- बाह्य संयंत्र नेटवर्क की पुन:स्थापना।
- उपभोक्ता शिकायतों का निवारण करने के लिए काल सेन्टर शुरू करना।

[अनुवाद]

डाक वितरण प्रणाली

*113. **श्री चन्द्र भूषण सिंह :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलैक्ट्रानिक संचार का उपयोग होने और डाक शुल्कों में बढ़ोतरी के कारण डाक विभाग की डाक वितरण प्रणाली बुरी तरह प्रभावित हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डाक प्रणाली कई स्तरों पर चुनौतियों का सामना कर रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या डाक विभाग में पिछले कई वर्षों से लगातार बढ़ते राजस्व घाटे में कोई कमी की प्रवृत्ति नहीं देखी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में कौन से उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ङ) इलैक्ट्रानिक संचार के उपयोग से देश में डाक सेवाओं पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा है। वास्तव में, गत वर्षों में देश के कुल डाक परियात में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। इसे नीचे दी गई तालिका में देखा जा सकता है :-

(करोड़ में)

डाक की श्रेणी	1997-98	1998-99	1999-2000
पंजीकृत तथा अपंजीकृत डाक मदें	1574.92	1576.64	1578.15

तथापि, ई-मेल के रूप में वैकल्पिक संचार माध्यम तथा 200 कि०मी० के दायरे के भीतर की टेलीफोन काल के लिए स्थानीय

काल की दर से शुल्क लेने से डाक परियात की वृद्धि पर प्रभाव पड़ा है। डाक शुल्क में वृद्धि 1.6.2001 से की गई है। परियात पर इस वृद्धि का प्रभाव अभी देखा जाना है।

वसूलियों सहित कुल राजस्व प्राप्तियां प्रत्येक वर्ष बढ़ रही हैं तथा वृद्धि का प्रतिशत 1996-97 में 5 प्रतिशत से 1999-2000 में 21 प्रतिशत के बीच रहा। इसी अवधि के दौरान कार्यकारी व्यय की वृद्धि का प्रतिशत भी 1996-97 के 4.6 प्रतिशत से 1999-2000 के 21 प्रतिशत के बीच रहा। डाक विभाग के घाटे में वृद्धि मुख्यत: स्थापना के भारी खर्च तथा विभाग द्वारा सेवाएं प्रदान करने के लिए निर्धारित कम डाक दरों के कारण है।

विभाग घाटे को कम करने के लिए सभी सभंव प्रयास कर रहा है। फील्ड यूनिटों को समय-संमय पर कार्यालय व्यय, समयोपरि भत्ते, यात्रा-व्यय तथा चिकित्सा व्यय जैसी नियत मदों पर खर्च कम करने के अनुदेश दिए जाते हैं। राजस्व की लीकेज को रोकने, नई प्रोद्योगिकी की शुरूआत तथा उपग्रह के माध्यम से धनराशि के अंतरण, बधाई डाक, स्पीड पोस्ट-पासपोर्ट सेवा, डाटा पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, बिजनेस पोस्ट, डाकघरों के जरिए अंतर्राष्ट्रीय धन-अंतरण सेवा तथा म्युचुअल फंड का वितरण जैसी मूल्य वर्धित सेवाओं की शुरूआत जैसे उपायों से भी अतिरिक्त राजस्व जुटाने के प्रयास किए जाते हैं।

बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास

***114. श्री अरूण कुमार :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2001-2002 के लिए बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु राज्य सरकारों को केन्द्रीय अनुदान जारी कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की स्थिति के अनुसार कुल कितने बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास अभी भी किया जाना शेष है; और

(घ) उनके पूर्ण पुनर्वास हेतु बनाई गई कार्य-योजना का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया) : (क) से (घ) वर्ष 2001-2002 के दौरान, बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत, राज्य सरकारों को निम्नलिखित अनुसार केन्द्रीय सहायता जारी की गई है :—

(लाख रुपये में)

राज्य का नाम	जारी केन्द्रीय सहायता
तमिलनाडु	384.40
कर्नाटक	54.00
उत्तर प्रदेश	25.00
राजस्थान	10.00

राज्य सरकारों ने अब तक 2,82,090 बंधुआ श्रमिकों के पहचान की सूचना दी है, जिसमें से 31.5.2001 तक 2,60,669 मुक्त कराये गये बंधुआ श्रमिकों का पुनर्वास किया गया है। 20,509 बंधुआा श्रमिकों की उत्प्रवासी प्रवृत्ति के कारण पुनर्वास संभव नहीं हो सका है। अवशेष 912 बंधुआ श्रमिकों का पुनर्वास किया जा रहा है।

मुक्त कराये गए बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास कार्य में राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन की सहायता करने के उद्देश्य से मई, 1978 से श्रम मंत्रालय केन्द्र प्रायोजित योजना क्रियान्वित करता रहा है। इस योजना के अन्तर्गत, मुक्त कराये गए प्रति बंधुआ श्रमिक को 20,000/- रुपए की दर से पुनर्वास सहायता दिए जाने का प्रावधान है। योजना के अंतर्गत बंधुआ श्रमिकों का सर्वेक्षण, मूल्यांकन अध्ययन तथा जागरूकता लाने सहित संबंधित क्रियाकलापों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

राज्य सरकारों को गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों, जैसे स्वर्ण जयंती ग्राम-स्व रोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, रोजगार आश्वासन योजना, अनुसूचित जाति एवं जनजाति उप-योजना हेतु विशेष संघटक योजना आदि के साथ एकीकृत करके उपर्युक्त बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना को कार्यान्वित करने की सलाह दी गई है।

डॉल्फिन मोबाइल टेलीफोन सेवा

***115. श्री प्रभुनाथ सिंह :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम०टी०एन० एल०) को दिल्ली और मुम्बई में इसकी डॉल्फिन मोबाइल/सेल्यूलर सेवाओं के लिए लोगों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;.

(ग) क्या एम०टी०एन०एल० निजी सेल्यूलर आपरेटरों से प्रतिस्पर्धा करने में समर्थ नहीं है;

(घ) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार एम०टी० एन०एल० को कितना नुकसान हुआ है; और

(ङ) एम०टी०एन०एल० द्वारा दोनों नगरों में डॉल्फिन मोबाइल/ सेल्यूलर सेवाओं को सुधारने हेतु कौन से उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की डॉल्फिन मोबाइल सेवा के लिए लोगों से उत्साहवर्द्धक प्रतिक्रिया मिलनी शुरू हो गई है।

(ग) और (घ) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड तीसरा आपरेटर होने के बावजूद उत्तरोत्तर रूप से अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ा रहा है। यह परियोजना प्रचालन के दूसरे वर्ष में न लाभ न हानि की स्थिति और प्रचालन के छठे वर्ष से लाभ प्राप्त होने की आशा से शुरू की गई है। इन्हें प्राप्त कर लिए जाने की आशा है।

(ङ) नेटवर्क के इष्टतम उपयोग से सेल्यूलर सेवाओं में सुधार लाना एक सतत् चलने वाली प्रक्रिया है। इस संबंध में निम्नांकित कदम उठाए जा रहे हैं :–

(i) निकटवर्ती शहरों अर्थात् फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद (दिल्ली में) और कल्याण, नवी मुम्बई (मुम्बई में) भी यह सेवा प्रदान करने की योजना है।

(ii) सेवा के विषणन के लिए पर्याप्त संख्या में फ्रैंचाइजी नियुक्त किए जा रहे हैं।

(iii) देश के भीतर सभी स्थानों के लिए और विदेशों में रोमिंग सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

(iv) शीघ्र ही प्री-पेड सेवा शुरू किए जाने का प्रस्ताव है।

नए प्राणि उद्यान

***116. श्री जे०एस० बराड़ :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की पर्यावरण के चहुंमुखी सुधार हेतु कोई ठोस कार्य योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देश में नए प्राणी उद्यानों/पक्षी अभ्यारण्यों की स्थापना करने के बारे में विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने पर्यावरण और वनों की सुरक्षा संरक्षण और सुधार के लिए नीतियां, कार्यक्रम और कार्ययोजनाएं तैयार की हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :–

– राष्ट्रीय वन नीति, 1988, राष्ट्रीय संरक्षण कार्यनीति एवं पर्यावरण एवं विकास पर नीति विवरण, 1992 तथा प्रदूषण उपशमन पर नीति विवरण, 1992।

– संयुक्त वन प्रबंधन से संबंधित कार्यक्रम।

– प्रदूषण नियंत्रण के लिए ढ़ांचे को मजबूत बनाना।

– विकासात्मक परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन।

– लघु उद्योग समूहों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजनाएं तैयार की गई व वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

(ग) और (घ) माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार फिलहाल कोई नया प्राणि उद्यान स्थापित नहीं किया जा सकता। नए पक्षी अभयारण्यों को अधिसूचित करने की शक्तियां राज्य सरकारों के पास विहित हैं।

[हिन्दी]

विदेशी कंपनियों के सहयोग से डाक सेवाएं

***117. श्री पदमसेन चौधरी :**
डा० अशोक पटेल :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग का विचार अपना राजस्व बढ़ाने के लिए विदेशी कंपनियों के सहयोग से ग्रीटिंग कार्ड्स बेचने, कुरियर सेवा, धन अंतरण योजना और विशेष अवसरों पर फूल भेजने जैसी सेवाएं शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन सेवाओं का परिचालन कब तक प्रारंभ हो जाने की संभावना है; और

(घ) इससे कितना राजस्व प्राप्त होने की आशा है ?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (घ) डाक विभाग ने स्पीड पोस्ट, बधाई डाक तथा डाकघर के माध्यम से शुभ अवसरों पर फूल भेजने की स्कीम की पहले से ही शुरूआत कर दी है। डाक विभाग तथा वैस्टर्न यूनियन फाइनेंसियल सर्विसेज ने 185 देशों से भारत में चुने हुए डाकघरों के द्वारा धनराशि के तत्काल प्रेषण के लिए सहयोग किया है। यह सेवा 19.4.2001 को शुरू हुई थी। यह सेवा विशेष रूप से अप्रवासी भारतीयों (एन०आर०आई०) के भारत में रह रहे आश्रित परिवारों, विदेशी पर्यटकों तथा विदेशी छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयोजन से तैयार की गई है। विदेशी कंपनियों के सहयोग से, धनराशि अंतरण स्कीम को छोड़कर अन्य कोई सेवा नहीं है। प्रथम वर्ष में 28 लाख रु० का राजस्व जुटाए जाने की आशा है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत धन एकत्र करना

***118. श्री इकबाल अहमद सरडगी :**
श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 58,000 करोड़ रुपये की राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एन०एच०डी०पी०) का आंशिक वित्त पोषण करने हेतु बाजार से उधार लेकर 3,600 करोड़ रुपये एकत्र करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अब तक शुरू किए गए कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इस परियोजना को पूरा करने हेतु कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता है;

(घ) क्या इस परियोजना का कार्य योजनानुसार चल रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कब तक पूरी कर लिए जाने की संभावना है ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) जी, हां। हमने 656 करोड़ रु० पहले ही जुटा लिए हैं और वर्ष 2001-2002 में 2944 करोड़ रु० जुटाने की योजना है।

(ख) और (ग) 30.06.2001 की स्थिति के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के संबंध में सौंपे गए 99 ठेके प्रगति पर हैं। इन ठेकों का कुल मूल्य 11,328 करोड़ रु० है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना और अन्य परियोजनाओं की कुल लागत 58,000 करोड़ रु० है।

(घ) जी, हां।

(ङ) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सौंपे गए 99 ठेकों में से 55 ठेके स्वर्णिम चतुर्भुज पर (मूल्य 8907 करोड़ रु०), 36 ठेके उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम महामार्गों पर (मूल्य 1868 करोड़ रु०) और 8 ठेके अन्य परियोजनाओं पर (मूल्य 553 करोड़ रु०) हैं।

(च) स्वर्णिम चतुर्भुज को दिसम्बर, 2003 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

[हिन्दी]

कृषि मजदूर

***119. श्री दानवे रावसाहेब पाटील :**
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृषि श्रमिकों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण हेतु एक सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है तथा योजनाओं के स्थानों का जिला-वार/राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु कितनी धनराशि आबंटित/निर्धारित की गई; और

(ङ) इससे कृषि श्रमिकों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के किस हद तक लाभान्वित होने की संभावना है ?

श्रम मंत्री (डॉ० सत्यनारायण जटिया) : (क) से (ङ) असंगठित क्षेत्र में कृषि श्रमिकों के लिए सरकार ने 1 जुलाई, 2001 से ''कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना-2001'' लागू की है। इस योजना के तहत, सामाजिक सुरक्षा के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं :

(क) जीवन-सह-दुर्घटना बीमा

(ख) धनवापसी, तथा

(ग) पेंशन और अधिवर्षिता लाभ।

इस योजना की पात्रता के लिए 18 से 50 वर्ष तक की आयु के कृषि श्रमिकों को सम्मिलित किया गया है। इसमें बीमित श्रमिक को प्रतिदिन 1/-रुपया, या प्रतिवर्ष 365/-रुपए का अंशदान और भारत सरकार, सामाजिक सुरक्षा निधि से प्रतिदिन 2/-रुपए, अथवा प्रतिवर्ष 730/-रुपए, के हिसाब से अंशदान करेगी। इस योजना में मृत्यु, दुर्घटना और अशक्तता की स्थिति में एकमुश्त भुगतान एवं अधिवर्षिता के हितलाभ सम्मिलित हैं।

योजना को क्रियान्वित करने के लिए विस्तृत कार्य योजना बनाई जा रही है। जैसे ही यह कार्य योजना तैयार हो जाएगी, कृषि श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के लाभ मिलने प्रारंभ हो जाएगें।

सामाजिक सुरक्षा निधि से इस योजना में सरकार का अंशदान सुनिश्चित किया गया है।

इस योजना को प्रथम चरण में देश के सभी प्रदेशों को प्रतिनिधित्व देते हुए 50 जिलों में लागू किया जाएगा।

[अनुवाद]

डाक सेवाओं का निजीकरण

***120. श्री नरेश पुगलिया :**
श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग ने व्यय सुधार आयोग की विभाग का निजीकरण करने की सिफारिश का कड़ा विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार डाक सेवाओं के निजीकरण किए जाने संबंधी मुद्दे की समीक्षा करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, नहीं। व्यय सुधार आयोग ने विभाग के निजीकरण की सिफारिश नहीं की है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भू-जल संबंधी अध्ययन

1057. **श्री राजो सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भू-जल पर अनुसंधान कराने के लिए बिहार विश्वविद्यालय को कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो कब तक उक्त सहायता उपलब्ध कराए जाने की संभावना है; और

(ग) इससे बिहार के किस सीमा तक लाभान्वित होने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) यद्यपि, भू-जल पर अनुसंधान करने के लिए बिहार विश्वविद्यालय को वित्तीय सहायता देने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं। फिर भी, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड देश के विभिन्न भागों में केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के तहत "भू-जल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी अध्ययनों" को क्रियान्वित कर रहा है। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा इस योजना के अंतर्गत पटना विश्वविद्यालय में भू-जल के कृत्रिम पुनर्भरण करने का एक प्रस्ताव रखा गया है। इस स्कीम का लक्ष्य इस क्षेत्र में जल स्तर और भूमि जल की उपलब्धता को बढ़ाने का है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय प्राणि उद्यान प्राधिकरण की सिफारिशें को लागू करना

1058. **श्री जय प्रकाश : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्षों के दौरान नन्दनकानन में बाघों की मौतों को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय प्राणि उद्यान प्राधिकरण द्वारा जारी सिफारिशों को, विभिन्न राज्यों में स्थित अधिकांश प्राणि उद्यान लागू नहीं कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन सिफारिशों को सख्ती से लागू करने के लिए राज्य प्राणि उद्यान प्राधिकरणों को क्या कार्यवाही करने के लिए कहा है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) "चिड़ियाघरों को मान्यता नियम, 1992" के अनुसार ऐसे 51 मानदण्ड एवं मानक हैं जिनका पालन किया जाना चिड़ियाघरों के लिए आवश्यक है। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा चिड़ियाघरों को समयबद्ध ढंग से अपेक्षित मानकों के अनुरूप स्वयं को तैयार करने के प्रयास जारी हैं। जब कभी यह पाया जाता है कि कोई चिड़ियाघर ऐसी मुख्य शर्तों और मानकों का अनुपालन नहीं कर रहा है जिससे किसी जानवर के स्वास्थ्य और उसकी दीर्घायु पर सीधा प्रभाव पड़ता है तो ऐसा मामला पर्यावरण एवं वन मंत्री स्तर पर जो कि केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं, राज्य सरकारों के साथ उठाया जाता है। यदि संबंधित राज्य सरकार प्रत्युत्तर नहीं देती तो केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा चिड़ियाघर की मान्यता वापस ली जा सकती है।

[हिन्दी]

कृषि श्रमिकों के लिए योजना

1059. **श्री रामदास आठवले : क्या श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तारीख में महाराष्ट्र के पंढरपुर क्षेत्र में कृषि श्रमिकों के लिए वर्षवार कौन-कौन सी योजनाएं स्वीकृत की गई हैं;

(ख) इन योजनाओं से कृषि श्रमिक किस सीमा तक लाभान्वित हुए हैं;

(ग) आज की तारीख में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के वैसे कृषि श्रमिकों का ब्यौरा क्या है जो ऐसी योजनाओं से लाभान्वित नहीं हुए हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गई हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के वैसे कृषि श्रमिकों को कवर करने के लिए कदम उठाने का है जो इनसे लाभान्वित नहीं हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के पंढरपुर क्षेत्र में कृषि श्रमिकों के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित कोई विशिष्ट योजना नहीं है।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

झारखंड में टेलीफोन कनेक्शन

1060. **श्री राम टहल चौधरी : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झारखंड में 28 फरवरी, 2001 तक जिलेवार कितने लोग टेलीफोन कनेक्शन हेतु प्रतीक्षा सूची में हैं; और

(ख) इस प्रतीक्षा सूची को कब तक निपटाए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) 28 फरवरी, 2001 की स्थिति के अनुसार झारखंड में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या 20660 थी और इनके जिलेवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) प्रतीक्षा सूची में दर्ज 20660 आवेदकों में से 8400 को टेलीफोन कनेक्शन दिए जा चुके हैं तथा शेष दिसम्बर 2001 तक दिए जाने की संभावना है।

विवरण

28.2.2001 की स्थिति के अनुसार झारखंड दूरसंचार सर्किल की प्रतीक्षा सूची के जिलेवार ब्यौरे :

क्रम सं०	जिले का नाम	28.2.2001 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची
1.	पलामू	568
2.	गढ़वा	99
3.	लटेहर	121
4.	गिरिडिह	677
5.	छतरा	168
6.	कोडरमा	172
7.	हजारीबाग	2531
8.	धनबाद	1227
9.	बोकारो	865
10.	रांची	1769
11.	गुमला	215
12.	लोहारगड्डा	121
13.	सिमडेगा	64
14.	देवघर	1918
15.	दुमका	823
16.	गोड्डा	824
17.	जमात्रा	161
18.	पाकुर	91
19.	साहिबगंज	507
20.	सिंहभूम (पूर्व)	7135
21.	सिंह भूम (पश्चिम)	604
	जोड़	20660

बाघों की खाल और हड्डियों का संरक्षण

*1061. **श्री प्रह्लाद सिंह पटेल :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाघों की हड्डियां और खालें औषधीय प्रयोजन के लिए उपयोगी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या मृत बाघों की हड्डियां और खालों को जलाया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) बाघों विशेषकर सफेद बाघों की हड्डियों और खालों के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (ग) औषधि की पारम्परिक पद्धति में बाघ के शरीर के हिस्सों और अस्थियों का महत्व स्वीकार किया गया है। इस देश में बाघ के हिस्सों को औषधि के रूप में प्रयोग करने का चलन नहीं है। लेकिन चीन औषधकोश में यह एक आम बात है। सरकार ने यह निश्चय किया है कि बाघ की अस्थियों को वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए चोरी से रोकने हेतु बाघ के पूरे अस्थि पिंजर को एक जिम्मेदार अधिकारी की उपस्थिति में जला दिया जाए।

(घ) भारत सरकार का बाघ की आस्थियों और खाल, चाहे वह श्वेत हो या अन्यथा, को सुरक्षित रखने का कोई विचार नहीं है। ऐसा करने से लोगों को बड़े पैमाने पर बाघ का चोरी छिपे शिकार करने को प्रोत्साहन मिलेगा। परन्तु राज्य सरकारें बाघ की खालों को संग्रहालयों और शैक्षिक संस्थानों को अनुसंधान और शिक्षा के प्रयोजन से दे सकती है।

टेलीफोन कनेक्शन

1062. **डा० जसवंतसिंह यादव :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख में विवेकाधिकार कोटा के अन्तर्गत टेलीफोन कनेक्शनों के लिए राजस्थान से जिलेवार कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) वर्तमान में जिलेवार कितने कनेक्शन दिए गए हैं;

(ग) जिलेवार कितने आवेदन लंबित पड़े हुए हैं;

(घ) इसमें विलंब के क्या कारण हैं; और

(ङ) शेष आवेदनों को कब तक निपटा लिए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए है।

(घ) निम्नलिखित कारणों की वजह से लम्बित स्वीकृतियों वाले कनेक्शन प्रदान नहीं किए जा सके :—

(i) क्षेत्र तकनीकी तौर पर अव्यवहार्य होने पर; और

(ii) आवेदकों द्वारा औपचारिकताएं पूरी न करने पर।

(ङ) वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व शेष कनेक्शन उत्तरोत्तर रूप से प्रदान कर दिए जाएंगे।

विवरण

27.07.2001 की स्थिति के अनुसार राजस्थान में सांसदों के विवेकाधिकार कोटे की स्थिति

क्रम सं०	जिले का नाम	प्राप्त आवेदनों की संख्या	प्रदत्त कनेक्शनों की संख्या	लम्बित आवेदनों की संख्या
1	2	3	4	6
1.	अजमेर	64	63	1
2.	अलवर	81	5	76
3.	बांसवाड़ा और	10	5	5
4.	डूंगरपुर			
5.	बाड़मेर	12	–	12
6.	भरतपुर और	138	111	27
7.	धौलपुर			
8.	भीलवाड़ा	–	–	–
9.	बीकानेर	16	15	1
10.	बूंदी	12	12	–
11.	चित्तौड़गढ़	70	50	20
12.	चुरू	48	46	2
13.	जैसलमेर	4	3	1
14.	जयपुर और	35	13	22
15.	दौसा			
16.	झालावाड़	1	–	1
17.	झुन्झुनू	67	28	39
18.	जोधपुर	43	11	32
19.	कोटा और	12	11	1
20.	बारन			
21.	नागपुर	42	20	22
22.	पाली	78	36	42
23.	सवाई माधोपुर और	44	31	13
24.	करौली			
25.	सीकर	98	51	47
26.	सिरोही और	12	8	4
27.	जालोर			
28.	श्रीगंगानगर और	91	59	32
29.	हनुमानगढ़			
30.	टोंक	16	14	2
31.	उदयपुर और	33	30	3
32.	राजसमंद			
	जोड़	1027	622	405

[अनुवाद]

झीलों के आस-पास वानिकीकरण

1063. श्री ए० नरेन्द्र : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश में कुछ बड़ी झीलों के आस-पास वानिकीकरण अभियान शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो स्थानवार ये झीलें कौन-कौन सी हैं; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ, संबंधित राज्यों को कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) जी, हां। इस समय देश में बड़ी झीलों के इर्द-गिर्द वनीकरण अभियान शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

दूरभाष केन्द्रों का विस्तार और उनका आधुनिकीकरण

1064. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास वर्ष 2001-2002 के दौरान पश्चिम बंगाल में दूरभाष केन्द्रों के विस्तार और उनके आधुनिकीकरण का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलेवार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल में हावड़ा जिले के उलूबेरिया सब डिवीजन में नए दूरभाष केन्द्रों को स्थापित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन केन्द्रों को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) पश्चिम बंगाल में सभी टेलीफोन एक्सचेंज इलेक्ट्रॉनिक बना दिए गए हैं। वर्ष 2001-2002 के दौरान पश्चिम बंगाल में टेलीफोन एक्सचेंजों के जिलावार विस्तार की योजना संलग्न विवरण में दर्शायी गई है।

(ग) इस संबंध में किए गए उपाय निम्नानुसार हैं :–

(i) नए एक्सचेंजों के लिए भवनों को किराए पर लेने और इलैक्ट्रिक पावर प्राप्त करने के लिए अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।

(ii) स्विचन और पारेषण उपस्करों की अधिप्राप्ति की प्रक्रिया चल रही है।

(iii) उपभोक्ता केबल और ओ०एफ०सी० केबल की अधिप्राप्ति की प्रक्रिया चल रही है।

(iv) विभिन्न स्थलों पर संस्थापना का कार्य किया जा रहा है।

(घ) जी, हां।

(ङ) और (च) चालू वित्तीय वर्ष 2001-02 की अंतिम तिमाही में उलूबेरिया अनुमंडल के कुलगछिया में एक नया एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव है।

विवरण

क्र० सं०	जिला	एस०एस०ए०	टेलीफोन एक्सचेंजों की प्रस्तावित क्षमता-विस्तार, लाइनों में
1	2	3	4
1.	आसनसोल	आसनसोल	56500
2.	बांकुरा	बांकुरा	10500
3.	मुर्शिदाबाद	बरहामपुर	22000
4.	हावड़ा	कलकत्ता	4500
5.	हुगली	कलकत्ता	31500
6.	24 परगना (उत्तरी)	कलकत्ता	16000
7.	24 परगना (दक्षिणी)	कलकत्ता	7000
8.	कूच बिहार	कूच बिहार	12500
9.	जलपाईगुड़ी	जलपाईगुड़ी	14000
10.	मिदनापुर	खड़गपुर	43000
11.	नादिया	कृष्णानगर	29000
12.	माल्दह	माल्दह	15500
13.	पुरूलिया	पुरूलिया	11000
14.	दिनाजपुर (उत्तरी)	रायगंज	11500
15.	दिनाजपुर (दक्षिणी)	रायगंज	7500
16.	दार्जिलिंग	सिलीगुड़ी	22000
17.	बीरभूम	सूरी	14200
18.	कोलकाता	कोलकाता	170000
	कुल		498200

स्थानीय कॉल सुविधा

1065. श्री चिंतामन बनगा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मुम्बई और दहानू के बीच स्थानीय कॉल सुविधा प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं। मुम्बई और दहानू के बीच 180 सेकेण्ड पल्स दर पर स्थानीय कॉल सुविधा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, 30 सेकेण्ड पल्स दर परकोड "95" पर मुम्बई और दहानू के बीच सीधी डायलिंग उपलब्ध है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) "0" रहित 180 सेकेण्ड पल्स दर पर स्थानीय कॉल सुविधा तभी प्रदान की जा सकती है, जब :–

(i) जब दो कम दूरी प्रभारण क्षेत्र (एस०डी०सी०ए०) संन्निकट हों।

(ii) जब समान अथवा सन्निकट लंबी दूरी प्रभारण क्षेत्रों में आने वाले दो कम दूरी प्रभारण क्षेत्रों के दो कम दूरी प्रभारण केन्द्रों के बीच की अरीय दूरी 50 कि०मी० तक हो।

(iii) जब दो असन्निकट एलडीसीए के दो लम्बी दूरी प्रभारण केन्द्रों (एलडीसीसी) के बीच की अरीय दूरी 50 किलोमीटर तक हो।

दहानू कल्याण एल०डी०सी०ए० के दहानू एस०डी०सी०ए० का एक भाग है। जबकि मुंबई एक अन्य स्वतंत्र एस०डी०सी०ए०/

एल०डी०सी०ए० है। दोनों एल०डी०सी०ए० सन्निकट हैं। चूंकि दहानू न तो मुंबई एस०डी०सी०ए० के सन्निकट है और न ही उनके एसडीसीसी के बीच की अरीय दूरी 50 कि०मी० तक है; अत: मुंबई और दहानू के बीच 180 सेकेण्ड पल्स दर पर स्थानीय कॉल सुविधा प्रदान नहीं की गई है।

[हिन्दी]

बिहार की सिंचाई परियोजनाएं

1066. **डा० मदन प्रसाद जायसवाल : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी सहायता से बिहार की किन-किन सिंचाई परियोजनाओं को क्रियान्वित किया गया है/किया जा रहा है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक परियोजनाओं के लिए विदेशों से कितनी धनराशि प्राप्त हुई; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान अब तक शुरू किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) वर्तमान में विदेशी सहायता से बिहार में कोई भी सिंचाई परियोजना क्रियान्वित नहीं की जा रही है। विगत वर्षों में विदेशी सहायता से कार्यान्वित सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

क्र० सं०	परियोजना का नाम	वित्तपोषण अभिकरण	उपयोग की गई सहायता*	क्रियान्वयन अवधि
1.	सोन सिंचाई परियोजना	विश्व बैंक	15.00	1962-67
2.	सुवर्णरेखा सिंचाई परियोजना	विश्व बैंक	127.00	1983-89
3.	बिहार जन नल कूप परियोजना	विश्व बैंक	21.29	1986-94

*मिलियन अमेरिकी डालर

[अनुवाद]

सीमा शुल्क में कटौती

1067. **डा० वी० सरोजा : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्विचिंग और ट्रांसमिशन उपकरणों के विनिर्माण हेतु अपेक्षित मुख्य हिस्से और कलपुर्जों के आयात पर सीमा शुल्क में कटौती की थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने दिनांक 26 अप्रैल, 2001 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं० 44/2001 के तहत स्विचन और पारेषण उपकरणों के विनिर्माण हेतु कलपुर्जों (पोप्यूलेटिड पी०सी०बी० के अलावा) पर मूल सीमा शुल्क 15% से घटाकर 5% कर दिया था। स्विचन और पारेषण उपकरणों के विनिर्माण हेतु पाप्यूलेटिड पी०सी०बी० पर मूल सीमा शुल्क 15% ही है।

कर्मचारी भविष्य निधि हेतु न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि

1068. **श्री अबुल हसनत खां : क्या श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा 1 जून, 2001 से कर्मचारी भविष्य निधि योजना, कर्मचारी पेंशन योजना, कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना का विस्तार करके 5000 रुपए से 6,500 रुपए प्रतिमाह तक मजदूरी पाने वालों को इस योजना के अंतर्गत लाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) उक्त योजना के विस्तार से कितने कर्मचारियों के लाभान्वित होने और इसके अंतर्गत आने की संभावना है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) जी, हां।

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 के तहत 1.6.2001 से व्याप्ति के लिये मजदूरी की अधिकतम सीमा 5000/रु० से बढ़ाकर 6500/-रु० प्रतिमास कर दी गई है।

(ग) मजदूरी की अधिकतम सीमा 1.6.2001 से बढ़ाई गई है इसलिए इतनी जल्दी लाभान्वित होने वाले कर्मचारियों की संख्या का अनुमान लगाना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

जल स्तर को पुन: अपने स्तर पर लाने हेतु योजना

1069. **श्री हरिभाई चौधरी : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश से भू-जल स्तर को बनाये रखने के लिए योजना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(घ) क्या उक्त योजना की अन्य राज्यों में भी क्रियान्वित किए जाने की संभावना है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने का है; और

(च) यदि हां, तो योजना को कब तक स्वीकृति दे दिए जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश से बागपत जिले के चौगांव क्षेत्र, भूजल भवन, लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर, लखनऊ, जल निगम कॉलोनी इन्द्रा नगर, लखनऊ तथा अलीगढ़ शहर से भूमि जल के पुनर्भरण के लिए कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुई हैं जिनमें से चौगांव क्षेत्र का प्रस्ताव पूरा हो गया है तथा भूजल भवन, लखनऊ, विश्वविद्यालय परिसर, लखनऊ तथा जल निगम कालोनी इन्द्रा नगर, लखनऊ के प्रस्ताव का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

(ग) से (च) जल संसाधन मंत्रालय के तहत केन्द्रीय भूजल बोर्ड "भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी अध्ययनों" संबंधी एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम का प्रायोगिक आधार पर क्रियान्वयन कर रहा है। सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस स्कीम के लिए 25.00 करोड़ रुपये की निधियां निर्धारित की हैं। भू जल का कृत्रिम पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन इस स्कीम के अभिन्न अंग हैं। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य किसी क्षेत्र में भूजल स्तर और भूजल की उपलब्धता में सुधार लाने के वास्ते प्रौद्योगिकियों का विकास करना है। यह स्कीम देश के अन्य विभिन्न राज्यों में भी क्रियान्वित की जा रही है। इस स्कीम के तहत अनुमोदित प्रस्तावों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। अनुमोदित प्रस्तावों के 1-2 वर्षों के अंदर क्रियान्वित किए जाने की संभावना है।

विवरण

भू जल पुनर्भरण स्कीमों से संबंधित अनुमोदित प्रस्तावों के राज्यवार ब्यौरे

क्र० सं०	राज्य	स्कीमें (संख्या)	अनुमोदित लागत (लाख रुपये में)	स्थिति
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	10	54.55	क्रियान्वयनाधीन
2.	असम	1	56.69	क्रियान्वयनाधीन
3.	बिहार	4	18.69	क्रियान्वयनाधीन
4.	दिल्ली	14	86.43	चार स्कीमें पूरी कर ली गई और शेष क्रियान्वयनाधीन हैं।
5.	गुजरात	3	18.95	क्रियान्वयनाधीन
6.	हरियाणा	8	139.12	तीन स्कीमें पूरी कर ली गई हैं और शेष क्रियान्वयनाधीन हैं।
7.	हिमाचल प्रदेश	6	81.65	तीन स्कीमें पूरी हो गई और शेष क्रियान्वयनाधीन हैं।
8.	जम्मू और कश्मीर	11	190.19	एक स्कीम पूरी हो गई है और शेष क्रियान्वयनाधीन हैं।
9.	झारखण्ड	6	28.04	क्रियान्वयनाधीन
10.	कर्नाटक	1	13.75	क्रियान्वयनाधीन
11.	केरल	9	67.62	पांच स्कीमें पूरी होने के अंतिम चरण पर हैं और शेष क्रियान्वयनाधीन हैं।
12.	मध्य प्रदेश	5	53.85	चार स्कीमें पूरी कर ली गई और शेष क्रियान्वयनाधीन हैं।
13.	महाराष्ट्र	3	76.63	क्रियान्वयनाधीन
14.	मेघालय	1	28.00	क्रियान्वयनाधीन
15.	मिजोरम	1	28.00	क्रियान्वयनाधीन
16.	नागालैंड	1	70.00	क्रियान्वयनाधीन
17.	उड़ीसा	2	437.40	क्रियान्वयनाधीन
18.	पंजाब	15	251.49	छ: स्कीमें पूरी कर ली गई हैं और शेष क्रियान्वयनाधीन हैं।
19.	राजस्थान	13	84.27	एक स्कीम पूरी हो गई है और शेष क्रियान्वयनाधीन हैं।

1	2	3	4	5
20.	तमिलनाडु	8	198.98	एक स्कीम पूरी हो गई है और शेष क्रियान्वयनाधीन हैं।
21.	उत्तर प्रदेश	5	37.21	क्रियान्वयनाधीन
22.	उत्तरांचल	1	2.00	क्रियान्वयनाधीन
23.	पश्चिम बंगाल	8	167.82	क्रियान्वयनाधीन

[अनुवाद]

वृक्षों की कटाई से सम्बन्धित नियमों का उल्लंघन

1070. **श्री सुबोध मोहिते :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में आज तक नागपुर जिले के अन्तर्गत रामटेक रेंज में महाराष्ट्र वन विकास निगम द्वारा वृक्षों की कटाई संबंधी नियमों के उल्लंघन का पता चला है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (ग) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

कर्नाटक में सिंचाई परियोजनाएं

1071. **श्री जी० मल्लिकार्जुनप्पा :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य में सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने हेतु हुडको से ऋण लेने हेतु संपर्क किया है;

(ख) यदि हां, तो हुडको कुल कितनी धनराशि उपलब्ध कराने पर सहमत हुआ है;

(ग) कौन-कौन सी सिंचाई परियोजनाएं शुरू किये जाने की संभावना है; और

(घ) इन परियोजनाओं पर कार्य कब तक प्रारम्भ हो जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती बिजया चक्रवर्ती) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय टेलीफोन उद्योग

1072. **श्री सुल्तान सल्लाउद्दीन ओवेसी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय टेलीफोन उद्योग ने 1999 में 13.5 करोड़ रुपए का ऋण माफ करने के लिए सरकार को आवेदन किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने भारतीय टेलीफोन उद्योग के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो इसके ब्याज सहित भारतीय टेलीफोन उद्योग के पास इस समय कुल कितना ऋण बकाया है;

(घ) क्या सरकार का विचार ऋण पर और ब्याज देय होने से रोकने के लिए इस पर अस्थाई रोक लगाने की घोषणा करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) भारतीय टेलीफोन उद्योग के ऋण को माफ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार कुल बकाया ऋण 13.55 करोड़ रु० है और ब्याज 14.42 करोड़ रु० है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) कम्पनी को 1997-98 से लगातार मुनाफा हो रहा है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिमी घाट की पारिस्थितिकी व्यवस्था पर अनुसंधान कार्य

1073. **श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पश्चिमी घाट की पारिस्थितिकी व्यवस्था पर अनुसंधान कार्य करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितने अध्ययन किए गए हैं;

(ग) क्या अध्ययन दल द्वारा कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) सरकार विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत बहुत से विश्वविद्यालयों/संस्थानों में जैवविविधता संरक्षण, मानव जाति जैविकी, वहन क्षमता और पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, खनन क्षेत्रों का सुधार, प्रदूषण निवारण आदि जैसे क्षेत्रों में अनेक अनुसंधान अध्ययनों को प्रायोजित करके पश्चिमी घाटों की पारि-प्रणाली पर अनुसंधान संवर्धन संबंधी गतिविधियों में पहले से ही कार्य कर रही है।

(ग) इस प्रयोजन के लिए कोई विशेष अध्ययन दल गठित नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

बीड़ी कामगारों के लिए चिकित्सा सुविधाएं

1074. श्री रामजी मांझी : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीड़ी कामगारों की देखरेख के लिए विभिन्न राज्यों में चिकित्सकों, चिकित्सा व्यवसाय से जुड़े कर्मचारियों और औषधालयों की कमी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनी लाल) : (क) और (ख) बीड़ी कामगार कल्याण निधि के अंतर्गत चलाए जा रहे अस्पतालों/औषधालयों और इनमें चिकित्सा से जुड़े स्टाफ की कोई कमी नहीं है, तथापि, इन 197 औषधालयों तथा 4 अस्पतालों में 41 चिकित्सा अधिकारियों की कमी है। इनमें से अधिकांश औषधालयों के दूर-दराज क्षेत्रों में स्थित होने के कारण कभी-कभी चिकित्सा अधिकारी इन क्षेत्रों में कार्य ग्रहण करने के अनिच्छुक होते हैं, इसलिए कुछ पद खाली रह जाते हैं।

(ग) चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने के लिए चिकित्सा अधिकारियों की ठेका आधार पर नियुक्ति के प्रयास भी किए गए हैं।

भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों द्वारा निषिद्ध औषधियों का उपयोग

1075. श्री हरीभाऊ शंकर महाले :
श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :
श्री शिवाजी माने :

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों द्वारा निषिद्ध औषधियां लेने के आरोप के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में किसी जांच के आदेश दिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) कुछ प्रमाणरहित प्रेस रिपोर्टें हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) अंतर्राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुसार, ऐसे परीक्षण संबंधित अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसंघों/संघों/बोर्डों के नियमों/विनिर्देशों के अनुसार किये जाते हैं और परीक्षण में प्रभावयुक्त पाये गये खिलाड़ियों के विरुद्ध कार्रवाई संबंधित राष्ट्रीय परिसंघ द्वारा की जानी अपेक्षित होती है।

सेल्युलर टेलीफोन

1076. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और मुम्बई में सेल्युलर टेलीफोन आपरेटरों को कितनी अवधि का लाइसेंस दिया गया;

(ख) दोनों शहरों में यह लाइसेंस किस तारीख से प्रभावी होगा और सेल्युलर टेलीफोन कम्पनियों के साथ संविदा का नवीकरण कब होगा;

(ग) क्या इन कम्पनियों द्वारा सरकार के साथ संबंधित संविदा में किसी अटल खंड पर हस्ताक्षर किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ङ) क्या देश में सेल्युलर कम्पनियों द्वारा जनता का वाणिज्यिक रूप से शोषण किया जा रहा है; और

(च) सरकार द्वारा जनता के हितों में समझौते की समीक्षा करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोम सेवा (सी०एम०टी०एस०) लाइसेंस की अवधि लाइसेंस की प्रभावी तिथि से 20 वर्ष है जब तक कि किसी कारण से इसे पहले रद्द न कर दिया जाए। दिल्ली और मुम्बई सी०एम०टी०एस० लाइसेंसों की प्रभावी तिथियां संलग्न विवरण में दी गयी हैं। लाइसेंसदाता लाइसेंस की प्रभावी तिथि के 19वें वर्ष के दौरान अनुरोध किए जाने पर परस्पर सहमत निबंधन एवं शर्तों के अधीन लाइसेंस की अवधि को एक बारगी 10 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा सकता है। इन लाइसेंसों का प्रभावी तिथियों से 20 वर्ष

की अवधि समाप्त होने से पूर्व नवीकरण कराना होगा यदि अन्यथा इन्हें पहले ही रद्द न कर दिया गया हो।

(ग) और (घ) लाइसेंसधारी और लाइसेंसदाता के बीच हस्ताक्षरित लाइसेंस करार में परस्पर सहमत निबंधन एवं शर्तों का विस्तृत उल्लेख किया जाता है। लाइसेंसदाता लाइसेंस के निबंधन एवं शर्तों को किसी भी समय आशोधित कर सकता है यदि लाइसेंसदाता की राय में ऐसा करना आम जनता के हित में या तार व्यवस्था के समुचित संचालन या सुरक्षा संबंधी कारणों से आवश्यक या उचित हो।

(ङ) सेल्यूलर आपरेटर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित अधिकतम टैरिफ सीमा के भीतर सेवा प्रदान करने के लिए बाध्य हैं। स्थानापन्न टैरिफ योजनाओं को लागू करने से पूर्व यह आवश्यक है कि इनकी सूचना ट्राई को भेजी जाए जैसा कि दूरसंचार टैरिफ आदेश-1999 में विहित है।

(च) सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के लिए लाइसेंस करार सरकार को जनहित में लाइसेंस के निबंधन और शर्तों को आशोधित करने का अधिकार प्रदान करता है।

विवरण

लाइसेंसों की प्रभावी तिथि

क्रम सं०	सेवा क्षेत्र	सेवा प्रदाता का नाम	लाइसेंस की प्रभावी तिथि
1.	दिल्ली महानगर	भारती सेल्यूलर लिमिटेड	29.11.1994
2.	दिल्ली महानगर	स्टर्लिंग सेल्यूलर लिमिटेड	30.11.1994
3.	दिल्ली महानगर	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	15.9.1999
4.	मुम्बई महानगर	बी०पी०एल० कम्युनिकेशन लिमिटेड	30.11.1994
5.	मुम्बई महानगर	ह्यूटचिशन मैक्स टेलीकॉम लिमिटेड	29.11.1994
6.	मुम्बई महानगर	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	15.9.1999

नागर विमानन प्रशिक्षण केन्द्रों का कार्यकरण

1077. **श्री ए० वेंकटेश नायक :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय नागर विमानन नीति की घोषणा न किए जाने के कारण नागर विमानन प्रशिक्षण केन्द्रों के कार्यकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त नीति की घोषणा में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप प्रशिक्षणार्थी आधुनिक तकनीकों से वंचित हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या प्रशिक्षण केन्द्र विमानों की भारी कमी का सामना भी कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) विभिन्न मंत्रालयों और विभागों इत्यादि से विचार-विमर्श करने के बाद प्रारूप नागर विमानन नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

इंडियन एयरलाइन्स के लिए समेकित परिवहन नीति

1078. **श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इंडियन एयरलाइन्स के लिए समेकित परिवहन नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) यात्रियों को कौन-कौन सी अतिरिक्त सुविधाएं दिए जाने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) इस समय नागर विमानन मंत्रालय के अधीन ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अरूणाचल प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण

1079. **श्री एम०के० सुब्बा :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 जून, 2001 के ''असम ट्रिब्यून'' में ''अरुणाचल फ्लड-इंडिया इंग्नोर्ड चाइनाज वार्निंग'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चीन के वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश में विनाशकारी बाढ़ की संभावना के बारे में पहले ही चेतावनी दे दी थी;

(घ) यदि हां, तो क्या जान और माल की क्षति को रोकने के लिए निवारक कदम नहीं उठाए जा सके थे;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

(च) क्या सरकार ने बाढ़ से निपटने के लिए दोनों देशों के बीच उचित समन्वय हेतु कोई विशेषज्ञ दल चीन भेजा है;

(छ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ज) सरकार का इस दिशा में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जी, हां।

(ख) अरुणाचल प्रदेश में सियांग (ब्रह्मपुत्र) नदी में 11-12 जून, 2000 के दौरान भारी बाढ़ आई थी। इस बाढ़ के कारण लगभग 10,000 लोगों के प्रभावित होने की सूचना प्राप्त हुई है। उपलब्ध सूचना के अनुसार यह अप्रत्याशित भारी बाढ़ भारत के क्षेत्र में अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी के अरूणाचल प्रदेश स्थित जल ग्रहण क्षेत्र में हुई वर्षा के कारण नहीं आई थी बल्कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र के ऊपरी धारा के भाग में खड़े अवरोधों में दरार आने अथवा उनके हटने के कारण आई थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) से (ज) अरूणाचल प्रदेश के सियांग/ब्रह्मपुत्र नदी में जून, 2000 में आई बाढ़ के बाद इस मामले को भारत के विदेश मंत्री ने चीन के विदेश मंत्री, श्री तांग जियावक्सान को 21-22 जुलाई, 2000 के दौरान भारत दौरे में, उनके समक्ष रखा गया था। विदेश मंत्री ने चीन के विदेश मंत्री से यह कहा कि तिब्बत (चीन) में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपरी धारा में आई बाढ़ के कारण भारत के निचले तटवर्ती राज्य में जान-माल की भारी क्षति हुई है। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि भारत और चीन ऐसी प्राकृतिक आपदा के समय भारत में होने वाले जान-माल की क्षति को कम करने संबंधी तौर-तरीकों पर विचार करने के लिए वार्तालाप कर सकते हैं। इस पर चीन के विदेश मंत्री ने कहा कि वे हमारी चिंताओं से पूर्णत: अवगत हैं।

विदेश मंत्रालय ने इस मामले पर तीव्र कार्रवाई की थी। इस मामले पर भारत के साथ विचार-विमर्श करने के लिए चीन सहमत हो गया है।

जल संसाधन मंत्रालय की तरफ से विचार-विमर्श करने के लिए एक भारतीय प्रति-निधि मंडल ने 8 जून, 2001 को बीजिंग का दौरा किया था। भारत पक्ष ने प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत में होने वाले जान-माल की क्षति को कम करने के लिए ब्रह्मपुत्र और सतलज दोनों नदियों से संबंधित जल वैज्ञानिक आंकड़ा वार्षिक आधार पर उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर बल दिया। चीनी पक्ष ने बाढ़ मौसम के दौरान ब्रह्मपुत्र के संबंध में वर्षा, जल स्तर और निस्सरण आंकड़ा के प्रावधान का प्रस्ताव किया। इस वार्ता के अगले दौर में तत्संबंधो तौर-तरीकों पर विचार-विमर्श किया जाना है।

शमशाबाद में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा

1080. **श्री राजैया मल्याला :** क्या नागर विमानन मंत्री शमशाबाद में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के बारे में 12.3.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2063 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद के निकट शमशाबाद में प्रस्तावित अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या परियोजना को पूरा करने के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (घ) निजी क्षेत्र की भागीदारी से संयुक्त उद्यम के अन्तर्गत हैदराबाद के समीप शमशाबाद में ग्रीनफील्ड अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण हेतु सरकार की ओर से सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन हो चुका है। आंध्र प्रदेश सरकार अब संयुक्त उद्यम वाले निजी भागीदार के चयन तथा परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित ब्यौरे को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। चूंकि यह प्रस्ताव आरंभिक चरण में है अभी कोई विशिष्ट समय सीमा नहीं बताई जा सकती है।

महाराष्ट्र की लम्बित पड़ी परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी देना

1081. **श्री रामशेठ ठाकुर :**
श्री अशोक ना० मोहोल :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधि और अनेक अन्य सार्वजनिक प्रतिनिधि उनसे मिले थे और विशेषरूप से सिंचाई और अन्य जल समस्याओं के बारे में महाराष्ट्र के लम्बित प्रस्तावों को शीघ्र मंजूरी देने का अनुरोध किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे लम्बित प्रस्ताव कौन-कौन से हैं; और

(ग) इन प्रस्तावों को पर्यावरणीय स्वीकृति कब तक दिए जाने की संभावना है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (ग) जी, हां। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत सिंचाई परियोजनाओं की मंजूरी सहित मंत्रालय में लम्बित मामलों पर चर्चा के लिए राज्य के मुख्य मंत्री, संसद सदस्यों और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित की गई हैं।

महाराष्ट्र से 1998 से जून, 2001 तक वानिकी मंजूरी के लिए प्राप्त 372 प्रस्तावों में से 211 को अनुमोदित कर दिया गया है, 40 को गुणदोष के आधार पर अस्वीकृत किया गया है, 6 को राज्य सरकार को लौटा दिया गया/वापिस ले लिया गया है, 47 पर मंत्रालय में सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है, और 68 मामले राज्य सरकार से आवश्यक सूचना के अभाव में लम्बित है। सिंचाई परियोजनाओं के सम्बंध में 12 पर मंत्रालय में सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है और 20 प्रस्ताव आवश्यक सूचना के अभाव में महाराष्ट्र सरकार के पास लम्बित हैं। इन 32 प्रस्तावों की सूची संलग्न विवरण में है। धुले जिले में सुलवाड़े लिफ्ट सिंचाई स्कीम नामक केवल एक प्रस्ताव पर्यावरणीय मंजूरी के लिए लम्बित है क्योंकि मांगी गई आवश्यक सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है।

मंत्रालय ऐसे सभी प्रस्तावों की, जो सभी प्रकार से पूर्ण हो, 90 दिन के भीतर मंजूर करने के लिए वचनबद्ध है। अधूरे प्रस्तावों के मामले में राज्य सरकार/परियोजना प्राधिकारियों से मांगी गई सूचना जब तक प्राप्त नहीं हो जाती तब तक इन प्रस्तावों पर कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता। अत: इन परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

विवरण

क्र०सं०	प्रस्ताव का नाम	क्षेत्र	स्थिति
1	2	3	4
1.	केसारी एम०आई०टी०, गदछिरोली	102.558	कार्रवाई की जा रही है।
2.	यैंगलखेड़ा एम०आई०टी०, गदछिरोली	109.48	कार्रवाई की जा रही है।
3.	भागलपुर लिफ्ट सिंचाई, जलगांव	279.00	कार्रवाई की जा रही है।
4.	श्री पदमालय II पम्प स्टीरेज स्कीम, जलगांव	58.00	कार्रवाई की जा रही है।
5.	उपादगढ़ एम०आई०टी०, भण्डारा	5.60	कार्रवाई की जा रही है।
6.	घाट प्रभा मीडियम परियोजना, सिंधदुर्ग	12.00	कार्रवाई की जा रही है।
7.	कन्डवान एम०आई०पी०, कोल्हापुर	8.45	कार्रवाई की जा रही है।
8.	लघु सिंचाई टैंक का निर्माण, नासिक	7.84	कार्रवाई की जा रही है।
9.	नवेगांव पी०टी०, नागपुर	18.75	कार्रवाई की जा रही है।
10.	घाटकरवाड़ी एम०आई०टी०, कोल्हापुर	19.16	कार्रवाई की जा रही है।
11.	सुपरसाल न्यू एम०आई०टी०, भण्डारा	7.69	कार्रवाई की जा रही है।
12.	इजोली एम०आई०टी०, कोल्हापुर	5.46	कार्रवाई की जा रही है।
13.	सलचेटी एम०आई०टी०, भण्डारा	61.45	01.5.01 को आवश्यक विवरण मांगा गया।
14.	नवाटोला लघु सिंचाई परियोजना	79.13	01.5.01 को आवश्यक विवरण मांगा गया।
15.	गुंजवानी सिंचाई परियोजना पुणे	50.08	29.9.00 को आवश्यक विवरण मांगा गया।
16.	थाणे जिले में दोभीहारा नदी परियोजना	37.46	01.5.01 को आवश्यक विवरण मांगा गया।
7.	भीमलकासा लघु सिंचाई परियोजना, भण्डारा	116.03	18.01.01 को आवश्यक विवरण मांगा गया।
18.	ह्यूमन नदी परियोजना, चन्द्रपुर	2895.0	वानिकी दृष्टि से कार्रवाई की गई पर्यावरण मंजूरी के लिए प्रस्ताव की प्रतीक्षा।
19.	तादाला चन्द्रपुर में फीडार चैनल	0.74	11.1.2000 को आवश्यक विवरण मांगा गया।
20.	खेरकुटी, धुले के कोल्हापुर टाईप बनधारा का निर्माण	0.94	16.12.1999 को आवश्यक विवरण मांगा गया।
21.	सांगवी धुले के कोल्हापुर टाइप बनधारा का निर्माण	0.97	16.12.1999 को आवश्यक विवरण मांगा गया।
22.	महासदी 2 धुले में पी०टी० का निर्माण	2.50	8.11.00 को आवश्यक विवरण मांगा गया।

1	2	3	4
23.	कोल्हापुर टाइप का निर्माण भण्डारा चन्द्रपुर	4.99	19.11.00 को आवश्यक विवरण मांगा गया।
24.	वनकारी टोला एम०आई० टैंक का निर्माण, भण्डारा	3.77	23.01.01 को आवश्यक विवरण मांगा गया।
25.	नन्दोरा एम०आई० टैंक का निर्माण, नागपुर	2.20	13.3.01 को आवश्यक विवरण मांगा गया।
26.	कोल्हापुर टाइप का निर्माण भण्डारा, चन्द्रपुर	1.72	11.4.01 को आवश्यक विवरण मांगा गया।
27.	मनगजारी एम०आई०टी०, भण्डारा	9.92	19.9.00 को आवश्यक विवरण मांगा गया।
28.	सनगाड़ी एम०आई०टी०, भण्डारा	8.26	21.11.00 को आवश्यक विवरण मांगा गया।
29.	जनमाली एम०आई०टी०, भण्डारा	16.50	28.11.00 को आवश्यक विवरण मांगा गया।
30.	माहदेव दोनवाड़ा पी०टी० धुले	8.06	25.1.01 को आवश्यक विवरण मांगा गया।
31.	जम्बहाली टैंक, भण्डारा	19.30	19.3.01 को आवश्यक विवरण मांगा गया।
32.	तेम्भू लिफ्ट सिंचाई टैंक, सांगली और सतारा	7.051	19.3.01 को आवश्यक विवरण मांगा गया।

[अनुवाद]

अन्तर्राष्ट्रीय जल विवाद

1082. श्री रतन लाल कटारिया : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार जल विवाद के समाधान के लिए पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) अभी हाल ही में, जल संसाधन के संबंधित माननीय केन्द्रीय मंत्रियों ने एक सौहार्दपूर्ण समाधान के एक प्रयास के रूप में जल से संबंधित अंतर्राज्यीय मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों को एक बैठक के लिए आमंत्रित किया था जोकि प्रारंभ में 2.2.2000 और उसके पश्चात 11.9.2000 और 27.6.2001 को आयोजित होनी प्रस्तावित थी। यद्यपि, विभिन्न कारणों से यह बैठक अभी तक आयोजित नहीं हो सकी है, तथापि, जल संसाधन मंत्रालय शीघ्र ही इस बैठक को बुलाने का प्रयास कर रहा है।

[अनुवाद]

कृषि श्रम कल्याण निधि योजना

1083. श्री नरेश पुगलिया : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने 18 मई, 2001 को नई दिल्ली में 37वें भारतीय श्रम सम्मेलन में बोलते हुए यह घोषणा की थी कि कृषि श्रमिकों के लिए 150 करोड़ रुपए की कल्याण निधि योजना जुलाई, 2001 से शुरू की जाएगी;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या उक्त योजना लागू कर दी गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (ङ) सरकार ने 1 जुलाई, 2001 से कृषि कर्मकारों के लिए 'कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 2001' प्रारंभ की है। श्रम मंत्रालय के तत्वाधान में, भारतीय जीवन बीमा निगम उक्त योजना को कार्यान्वित करेगा। इस योजना के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा के निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं :—

(क) जीवन-सह-दुर्घटना बीमा

(ख) धनवासी, तथा

(ग) पेंशन और अधिवर्षिता लाभ।

18 से 50 वर्ष तक के आयु वर्ग वाले कृषि श्रमिक इस योजना के अंतर्गत पात्र है। इस योजना के अंतर्गत कर्मकार 1/-रुपया प्रतिदिन या प्रतिवर्ष 365/-रुपए प्रतिवर्ष तथा भारत सरकार, सामाजिक सुरक्षा निधि से प्रतिलाभार्थी 2/-रुपए प्रतिदिन या 730/-रुपए, प्रतिवर्ष अंशदान करेगी। लाभों में मृत्यु/दुर्घटना के कारण मृत्यु तथा स्थायी/आंशिक विकलांगता के मामले में भी एक मुश्त अदायगी किया जाना शामिल है। कर्मकार, मृत्यु पर परिवार को एकमुश्त अदायगी के साथ-साथ 60 वर्ष की आयु तक जीवित रहने पर प्रतिमाह पेंशन का लाभ भी प्राप्त करेंगे। धनराशि इस योजना में प्रवेश की आयु पर आधारित होगी।

प्रारम्भिक रूप से, यह योजना 50 जिलों में लागू की जाएगी। प्रथम चरण के दौरान योजना के निष्पादन तथा निधियों की

उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, बाद में इस योजना को और जिलों में लागू किया जाएगा। जिलों की पहचान करने की कार्रवाई शुरू कर दी गयी है।

सरदार सरोवर परियोजना का तटबंध विद्युत केन्द्र

1084. **श्री जी०जे० जावीया** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरदार सरोवर परियोजना का तटबंध विद्युत केन्द्र आयात शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त परियोजना की सूची में इसे शामिल करने के लिए अपेक्षित मानदंड पूरा करता है;

(ख) क्या गुजरात सरकार का इस परियोजना को उक्त सूची में शामिल करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक शामिल कर लिए जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना का नदी तल विद्युत गृह डीम्ड मेगा विद्युत गृह के स्तर को प्राप्त करने तथा टर्बो जनरेटर सेट पर आयात शुल्क के भुगतान की छूट प्राप्त करने के योग्य नहीं पाया गया। गुजरात सरकार ने, विशेष मामले के रूप में, इसको मेगा विद्युत परियोजना का स्तर प्रदान करने तथा इस परियोजना के लिए टर्बो जनरेटर सेटों पर आयात शुल्क के भुगतान की छूट देने के वास्ते केन्द्र सरकार को एक प्रस्ताव दिया है। गुजरात सरकार को मांगी गई कुछ सूचना भेजनी है तथा सार्वजनिक क्षेत्र के मेगा विद्युत परियोजनाओं के लिए लागू संशोधित मेगा विद्युत नीति की शर्तों को अपनाने संबंधी पुष्टि से अवगत कराना है।

बाल श्रमिकों को बेचना

1085. **श्री वीरेन्द्र कुमार** :
श्री जी०एस० बसवराज :
श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों विशेषकर दिल्ली, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और बिहार में कारखानों में बच्चों को बेचने के मामलों में शामिल एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले पर चर्चा करने हेतु श्रम मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दिल्ली और देश के अन्य भागों में इस खतरे को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सिंधु जल समझौता

1086. **वैद्य विष्णु दत्त शर्मा** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के बीच हुये सिंधु जल समझौता 1960 में सिंधु जल प्रणाली के जल के बारहमासी प्रवाह के संबंध में कोई खण्ड शामिल नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इस कमी को दूर करने और जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के बड़े जल संग्रहण क्षेत्र के सूखे और समाप्त हो रहे जल स्रोत को पुनः जीवित करने हेतु पाकिस्तान के साथ क्या उपाय किये गये हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उत्तर-भारत में आने वाली अधिकांश विनाशकारी बाढ़े नेपाल की हिमाचल पर्वत श्रृंखला से उत्पन्न होती हैं;

(ङ) यदि हां, तो भारत द्वारा नेपाल सरकार के साथ नेपाल की हिमालय पर्वत श्रृंखला में वन रोपण और भू-अपरदन के नियंत्रण हेतु अन्तर्राष्ट्रीय समझौता करने हेतु क्या उपाय किये गये हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) सिन्धु जल सन्धि में सिन्धु नदी प्रणाली में जल के बारहमासी प्रवाह के संबंध में कोई खंड शामिल नहीं है।

(ख) और (ग) चूंकि भारत ऊपरी तटवर्ती देश है इसलिए इस सन्धि में निर्धारित किए गए अनुसार सिन्धु नदी प्रणाली का जल भारत के लिए भी उपलब्ध होता है और इसलिए सिन्धु नदी प्रणाली के जल के बारहमासी प्रवाह का मामला पाकिस्तान के साथ उठाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(घ) जी, हां। नेपाल की ओर से बहने वाली नदियों के कारण, उत्तर भारत के कुछ भागों, विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार में भारी बाढ़ आती है।

(ङ) और (च) भारत सरकार और नेपाल की महामहिम सरकार के बीच दो मुख्य नदी घाटी परियोजनाओं अर्थात महाकाली नदी (भारत में सारदा) पर पंचेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना और कोसी नदी पर सप्तकोसी उच्च बांध तथा सनकोशी परियोजना पर बातचीत चल रही है। पंचेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना के संबंध में संयुक्त परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। दोनों सरकारों के बीच कोसी नदी पर सप्तकोसी और संकोशी परियोजना के लिए ऐसी ही रिपोर्ट तैयार करने के मामले पर भी विचार-विमर्श चल रहा है। जब ये विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार हो जायेंगी तो इनका पर्यावरणीय प्रभाव

आकलन किया जायेगा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पुन: वनरोपण और कटाव नियंत्रण उपायों सहित आवाह क्षेत्र के सुधार को ध्यान में रखा जायेगा।

आंध्र प्रदेश में विमानपत्तनों का विकास

1087. **श्री चाडा सुरेश रेड्डी :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश में विमानपत्तनों के विकास हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ख) अभी तक शुरू किये गये कार्यों का विमानपत्तन-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) विमानपत्तनों के त्वरित गति से विकास को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) 2001-2002 के लिए आंध्र प्रदेश में हवाई अड्डों के विकास के लिए निर्धारित की गयी कुल राशि 21.11 करोड़ रुपए है।

(ख) हैदराबाद हवाई अड्डे पर, नये अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल भवन के निर्माण और वर्तमान अंतर्देशीय टर्मिनल भवन के परिवर्धन/विस्तार, चार एयरोब्रिजों की संस्थापना का कार्य 1999 में पूरा हो गया था। मार्च, 2001 में धावनपथ तथा संबद्ध फर्श के बाह्य रूपरेखा का स्तरोन्नयन का कार्य किया गया था। एप्रन के विस्तार और नये टैक्सी ट्रेक के निर्माण और पृथक्करण कार्य आरंभ किया गया है। जिसके मार्च, 2002 तक पूरा हो जाने की आशा है। वर्तमान धावनपथ के 10,000 फुट तक विस्तार और सुदृढ़ीकरण करने के लिए विस्तृत इंजीनियरिंग योजना तैयार कर ली गयी है। राजामुन्दरी हवाई अड्डे पर, धावनपथ के सुदृढ़ीकरण का कार्य, एन नये एप्रन और लिंक टैक्सीपथ और चारदीवारी के निर्माण का कार्य आरंभ किया गया है जिसके मार्च, 2002 तक पूरा हो जाने की संभावना है। विजयवाड़ा हवाई अड्डे पर, वर्तमान धावनपथ का सुदृढ़ीकरण किया गया है और लिंक टैक्सीपथ सहित एक नए एप्रन का निर्माण किया गया है। कार्य जुलाई, 1999 में पूरा हो गया था। विशाखापत्तनम् हवाई अड्डे पर 10000 फुट × 150 फुट बीमा वाले एक नये धावनपथ के निर्माण किये जाने का प्रस्ताव है। नये एप्रन, लिंक टैक्सीपथ इत्यादि के निर्माण, दिक्चालनात्मक सुविधाओं और भू प्रकाश सुविधाओं की स्थापना, चारदीवारी, परिधि सड़क, उप-अग्निशमन स्टेशन, एप्रोच सड़क इत्यादि और अंतर्देशीय और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को हैंडल करने के लिए एक नये एकीकृत टर्मिनल भवन के निर्माण किये जाने का प्रस्ताव है। परियोजना अपने आरंभिक चरण में हैं।

(ग) हवाई अड्डों का विकास एक सतत् प्रक्रिया है और इसे मांग और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर किया जा रहा है।

नाल्को के कर्मचारियों का असंतोष

1088. **श्री भर्तृहरि महताब :** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को) के कर्मचारियों में अपने वेतन ढांचे के संबंध में गंभीर असंतोष है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) श्रमिकों और प्रबंधन के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने हेतु सरकार का क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंग राव गायकवाड़ पाटील) : (क) से (ग) नाल्को प्रबंधन और गैर-कार्यपालक कर्मचारी यूनियन के बीच अभी तक कामगारों के वेतन में संशोधन के संबंध में कोई समझौता नहीं हुआ है। प्रबंधन और यूनियन के बीच वेतन संबंधी समझौते के लिए वार्ता जारी है और अभी तक लगभग दस दौर की बैठकें हो चुकी है।

ई०एस०आई०सी० में पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करना

1089. **श्री सुरेश रामराव जाधव :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई०एस०आई०सी०) में पांचवे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम में पांचवे वेतन आयोग की सिफारिशों की समीक्षा करने हेतु वेतन समिति/निकाय का गठन कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त वेतन समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन कब तक दे देने और उसे लागू कर दिये जाने की संभावना है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा गठित वेतन समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। सेवानिवृत्ति पर 240 दिनों की छुट्टी नगदीकरण के अतिरिक्त प्रतिवर्ष 15 दिनों की छुट्टी नगदीकरण की सुविधा को जारी रखने के लिए समिति की सिफारिशों में एक सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया है।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के उपबन्धों तथा पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों को पहले से ही दिए लाभों को ध्यान में रखते हुए, वेतन समिति की शेष सिफारिशों को स्वीकार करना व्यवहार्य नहीं पाया गया है।

बनारपाल चक से अंगुल कस्बे के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-42 को चार लेन में बदलना

1090. **श्री के०पी० सिंह देव :** क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा से लगातार बनारपाल चक से अंगुल कस्बे के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-42 को चार लेन में बदलने की मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे नाल्को, एम०सी०एल०, एन०टी०पी०सी०, एफ०सी०आई०, आई०ए०पी०एल० से राष्ट्रीय राजमार्ग-5 पर कटक तक और राष्ट्रीय राजमार्ग-6 पर संबलपुर तक माल तथा सेवाएं ले जाने में आसानी होने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) उड़ीसा सरकार से अब तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

अन्तरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू करना

1091. श्री प्रकाश वी० पाटील : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न विमानपत्तनों से कुछ नई अन्तरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू किये जाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो विमानपत्तन-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) यातायात मांग के आधार पर समय-समय पर विभिन्न हवाई अड्डों से अन्तरराष्ट्रीय उड़ानों के प्रचालन का नवीकरण किया जाता है जो एक सतत् प्रक्रिया है। नवम्बर, 1999 से विभिन्न विदेशी एयरलाइनों को बंगलौर, हैदराबाद, अमृतसर, कोचीन, अहमदाबाद, त्रिवेन्द्रम, वाराणसी, कलकत्ता, चेन्नई और मुम्बई पर प्रचालन करने की अनुमति दी गयी है। तथापि, वास्तविक प्रचालनों को उनके वाणिज्यिक विवेक पर छोड़ दिया जाता है। इनमें से कुछ एयरलाइनों ने पहले ही अपने प्रचालन आरंभ कर दिये हैं। एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स ने भी कुछ नयी उड़ानें आरंभ की हैं और ड्राई लीज के आधार पर अतिरिक्त विमान प्राप्त कर लेने के बाद मुम्बई, कोचीन, कालीकट और हैदराबाद से और अधिक अंतरराष्ट्रीय सेवाओं को आरंभ करने की योजनाएं हैं।

[हिन्दी]

राजमार्गों के लिए विदेशी सहायता

1092. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 2001 से 30 जून, 2001 तक परिवहन तथा राजमार्गों के सुधार/विकास हेतु विदेशी सहायता के रूप में कितनी राशि मिली;

(ख) उक्त राशि में से महाराष्ट्र को कितनी राशि उपलब्ध कराई जानी है और इस राशि को परिवहन के किस साधन पर व्यय किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या 1 जनवरी, 2001 से पहले प्राप्त की गई सहायता राशि का अभी तक उपयोग कर लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का घटक स्वर्णिम चतुर्भुज पर पड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को सुधार कर चार लेन के स्तर का बनाने के लिए विश्व बैंक ने 5.89 मिलियन अमरीकी डालर का एक ऋण अनुमोदित किया है। इस ऋण के किसी भाग का उपयोग महाराष्ट्र अथवा किसी अन्य राज्य के लिए नहीं किया जाना है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गुजरात में सिंचाई परियोजनाओं का क्रियान्वयन

1093. श्री सवशीभाई मकवाना : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में गुजरात में विदेशी सहायता से कितनी सिंचाई परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं;

(ख) इन परियोजनाओं का वित्त पोषण करने वाली विदेशी एजेंसियों के नाम क्या हैं;

(ग) इन परियोजनाओं के पूरा होने में कितनी प्रगति हुई है;

(घ) गुजरात में मंजूरी के लिये लंबित ऐसी शेष विदेशी सहायता हेतु प्रस्तावित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है व इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति मिल जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) इस समय, गुजरात में 34.74 मिलियन एफ०एफ० (फ्रेंच फ्रांक) फ्रांस की सहायता से ''आठ गेटरहित स्कीमों पर हाइड्रोप्लस फ्यूजगेट प्रणाली के संस्थापन'' संबंधी कार्य का कार्यान्वियन किया जा रहा है। छह स्कीमों से संबंधित कार्य पूरा कर लिए गए हैं। शेष दो स्कीमों में फ्यूजगेटों के संस्थापन संबंधी कार्य चल रहे हैं। इस परियोजना पर 31 मई, 2001 तक 31.70 मिलियन एफ०एफ० खर्च किया जा चुका है।

इसके अतिरिक्त, विश्व बैंक से सहायता प्राप्त ''जल वैज्ञानिक परियोजना'' के अंतर्गत, जिसमें गुजरात एक सहभागी राज्य है, 31 मार्च, 2001 तक 31.28 करोड़ रु० का संचयी संवितरण किया गया है।

(घ) और (ङ) गुजरात सरकार से विदेशी सहायता के लिए प्राप्त परियोजना प्रस्तावों की स्थिति संलग्न विवरण में दर्शायी गई है। परियोजना की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दाता अभिकरणों एवं भारत सरकार के दिशा-निर्देशों की अनुपालना पर निर्भर करती है।

विवरण

गुजरात सरकार से विदेशी सहायता के लिए प्राप्त परियोजना-प्रस्तावों का विस्तृत विवरण एवं उनकी स्थिति इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपये में)

क्र०	परियोजना का नाम	मांगी गई सहायता राशि	वर्तमान स्थिति
1.	अति दोहित जल भृत्तों में सतही जल पुनर्भरण का संवर्धन	359.58	इस प्रस्ताव को दिनांक 20.7.2000 को जापान से सहायता के लिए आर्थिक कार्य विभाग को भेज दिया गया है और इसके बाद इसे 5.2.2001 को डच सहायता के लिए पुन: प्रस्तुत किया गया है।
2.	गुजरात सिंचाई एवं लवणता रोधी परियोजना	276.70	इस प्रस्ताव की मंत्रालय में जांच की गई और टिप्पणियां राज्य सरकार को अनुपालना के लिए दिनांक 30.5.2000 को भेजी गई हैं।
3.	गुजरात जल संसाधन समेकन परियोजना	724.02	इस प्रस्ताव को आर्थिक कार्य विभाग ने दिनांक 2.5.2000 को विश्व बैंक के समक्ष प्रस्तुत किया है।
4.	गुजरात लवणता रोधी परियोजना	1160.63	इस प्रस्ताव को आर्थिक कार्य विभाग ने दिनांक 14.6.2000 को विश्व बैंक के समक्ष प्रस्तुत किया है।
5.	गुजरात में किसानों की भागीदारी के माध्यम से लघु सिंचाई कार्यक्रम	31.0	इस प्रस्ताव को दिनांक 30.8.95 को डच सहायता के लिए प्रस्तुत किया गया है। आर्थिक कार्य विभाग से दिनांक 14.3.2001 को पुन: अनुरोध किया गया है कि वे प्रस्ताव पर पुन: विचार करने के लिए डच प्राधिकारियों से संपर्क करें।

[हिन्दी]

कृषि मजदूरों के लिए पेंशन योजना

1094. श्री सुन्दर लाल तिवारी :
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि मजदूरों के लिए एक बीमा और पेंशन योजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना में कितने मजदूरों को लाभ मिलने का अनुमान है;

(घ) उक्त योजना को कितने चरणों में क्रियान्वित किए जाने की संभावना है;

(ङ) उन जिलों के नाम क्या हैं जहां उक्त योजना का पहला चरण क्रियान्वित किए जाने की संभावना है और इन जिलों का चयन करने में क्या मानदंड अपनाए गए हैं; और

(च) इसे पूरे देश में कब तक क्रियान्वित कर दिए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (च) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) से (च) सरकार ने 1 जुलाई, 2001 से कृषि कर्मकारों के लिए 'कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 2001' प्रारंभ की है। श्रम मंत्रालय के तत्वाधान में, भारतीय जीवन बीमा निगम उक्त योजना को कार्यान्वित करेगा। इस योजना के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा के निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं :—

(क) जीवन-सह-दुर्घटना बीमा

(ख) धनवापसी, तथा

(ग) पेंशन और अधिवर्षिता लाभ।

18 से 50 वर्ष तक के आयु वर्ग वाले कृषि श्रमिक इस योजना के अंतर्गत पात्र है। इस योजना के अंतर्गत कर्मकार 1/-रुपया प्रतिदिन

या प्रतिवर्ष 365/-रुपए प्रतिवर्ष तथा भारत सरकार, सामाजिक सुरक्षा निधि से प्रतिलाभार्थी 2/-रुपए प्रतिदिन या 730/-रुपए, प्रतिवर्ष अंशदान करेगी। लाभों में मृत्यु दुर्घटना के कारण मृत्यु तथा स्थायी/आंशिक विकलांगता के मामले में भी एक मुश्त अदायगी किया जाना शामिल है। कर्मकार, मृत्यु पर परिवार को एकमुश्त अदायगी के साथ-साथ 60 वर्ष की आयु तक जीवित रहने पर प्रतिमाह पेंशन का लाभ भी प्राप्त करेंगे। धनराशि इस योजना में प्रवेश की आयु पर आधारित होगी।

प्रारम्भिक रूप से, यह योजना 50 जिलों में लागू की जाएगी। प्रथम चरण के दौरान योजना के निष्पादन तथा निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, बाद में इस योजना को और जिलों में लागू किया जाएगा। जिलों की पहचान करने की कार्रवाई शुरू कर दी गयी है।

[अनुवाद]

एल०ए०एन० के माध्यम से इंटरनेट

1095. श्री के०ई० कृष्णमूर्ति : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एल०ए०एन० के माध्यम से इंटरनेट के लिये लाइसेंस देने और इसके संचालन में अस्पष्टता को दूर करने हेतु केबल आपरेटरों को कोई स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किये गये हैं/किये जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) इंटरनेट सेवा प्रदाता (आई०एस०पी०) नीति के अनुसार लागू केबल कानूनों के अध्यधीन बिना किसी अतिरिक्त लाइसेंस के प्राधिकृत केबल ऑपरेटर के जरिए इंटरनेट तक पहुंच की अनुमति दी गई है। अनेक इंटरनेट सेवा प्रदाता केबल के जरिए इंटरनेट तक पहुंच उपलब्ध करा रहे हैं।

[हिन्दी]

गंगा नदी में राजस्थान का हिस्सा

1096. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने गंगा नदी में अपने हिस्से का दावा किया है;

(ख) यदि हां, तो यह दावा कब किया गया था;

(ग) क्या केन्द्रीय जल आयोग ने इस संबंध में अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राजस्थान को अपना हिस्सा कब तक मिल जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जी, हां।

(ख) राजस्थान सरकार ने मानसून के दौरान 100 दिनों के लिए 1133 क्यूमेक गंगा जल को पुराना हरिद्वार से तथा 566 क्यूमेक गंगा जल को पुराना-बिजनौर से मोड़ने के लिए वर्ष 1984 में प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

(ग) से (ङ) राजस्थान के उपयोग के लिए हरिद्वार और बिजनौर के समीप गंगा के बाढ़-जल को मोड़ने संबंधी संभावनाओं को तलाशने के लिए केन्द्रीय जल आयोग द्वारा किए गए अध्ययनों से यह पता चलता है कि इन दो स्थानों पर राजस्थान को जल मोड़ने के लिए एक वर्ष में 20-30 दिनों से अधिक समय के लिए गंगा में पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं रहता है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय नदी जल ग्रिड

1097. डा० मन्दा जगन्नाथ : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विस्तार अन्तर्राज्यीय नदियों को जोड़कर नदी ग्रिड बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी अनुमानित लागत आने की संभावना है; और

(ग) जल संसाधनों का दुरुपयोग रोकने हेतु इसे लागू करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) सिंचाई मंत्रालय (अब जल संसाधन मंत्रालय) तथा केन्द्रीय जल आयोग ने जल संसाधनों के विकास संबंधी एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की है, जिसमें जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के लिए अधिशेष जल वाले बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों में जल हस्तांतरित करने के वास्ते विभिन्न प्रायद्वीपीय नदियों और हिमालयी नदियों को पारस्परिक रूप से जोड़ने की योजना है। भारत सरकार ने जल संतुलन का पता लगाने तथा राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अन्य अध्ययनों को पूरा करने के वास्ते जुलाई, 1982 में एक स्वायत्तशासी सोसाइटी के रूप में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एन०डब्ल्यू०डी०ए०) की स्थापना की है। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने जल संतुलन और संपर्क संबंधी सभी प्रस्तावों का व्यावहारिकता-पूर्व अध्ययन पूरा कर लिया है। सर्वेक्षण और अन्वेषण के आधार पर अब तक 5 संपर्कों की विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्टें पूरी कर ली गई हैं। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के प्रस्तावित अभिज्ञात संपर्कों की अनन्तिम अनुमानित लागत (वर्ष 1995-96 के मूल्य स्तर पर) 3,30,000 करोड़ रु० प्रस्तुत की गई है। ऐसे जल हस्तांतरण संपर्क संबंधी प्रस्तावों का कार्यान्वयन प्रस्तावित जल हस्तांतरण के संबंध में बेसिन राज्यों के बीच आपसी सहमति, विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने और निधियों की उपलब्धता आदि जैसे विभिन्न घटकों पर निर्भर करेगा।

पर्यावरण में सुधार हेतु परियोजनाएं

1098. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आज तक पर्यावरण में सुधार हेतु राज्य-वार विशेषकर गुजरात में शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक परियोजना में अभी तक कितनी सफलता हासिल की गई है; और

(ग) नौंवी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान देश में शुरू की जाने वाली ऐसी अन्य परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

कृषि क्षेत्र में रोजगार

1099. **श्री रामजीलाल सुमन :**
श्री अजय सिंह चौटाला :
डा० सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि क्षेत्र देश में सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या आकलन है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में रोजगार के अवसरों के सृजन में गिरावट आई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) देश में कुल श्रमिकों की तुलना में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत कितना है; और

(च) उक्त अवधि व वर्ष 2001-2002 और 2002-2003 के दौरान कृषि क्षेत्र में रोजगार वृद्धि दर बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एन०एस०एस०ओ०) द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, वर्ष 1993-1994 के दौरान 65% की तुलना में वर्ष 1999-2000 के दौरान कुल कामगारों का 60% कृषि क्षेत्र में लगा हुआ था। कृषि क्षेत्र से गैर-कृषि क्षेत्र में कामगारों का स्थानांतरण बेहतर रोजगार के लिए अनिवार्य तथा अपेक्षित है।

(च) नौवीं योजना दृष्टिकोण में पर्याप्त उत्पादक रोजगार सृजित करने तथा गरीबी का उन्मूलन करने की दृष्टि से कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देने की परिकल्पनाा की गई है। बेरोजगारी एवं अल्प रोजगार की उच्च दरों की प्रवत्ति वाले क्षेत्रों में श्रम सघन सैक्टरों, सब सैक्टरों तथा प्रौद्योगिकियों पर संकेन्द्रण से विकासात्मक प्रक्रिया में अधिक उत्पादक रोजगार स्वत: ही सृजित होगा।

वन्यजीवों की तस्करी

1100. **श्री शंकर सिंह वाघेला :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष ''वन्यजीव संरक्षण दिवस'' पर जलाई गई वन्यजीवों की खालों की कीमत क्या थी;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में सुनियोजित ढंग से जानवरों की तस्करी की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अब तक देश में और देश से बाहर कितने तस्कर तस्करी संबंधी गति-विधियों के लिए रंगे हाथों पकड़े गए/मारे गए और उनसे कितने और किस-किस श्रेणी के वन्यजीव बरामद किए गए;

(घ) इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(ङ) भविष्य में ऐसी गतिविधियों को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र ने सूचित किया है कि संलग्न विवरण में दिए गए ब्यौरे के अनुसार उन्होंने वन्य प्राणियों की खाले जला दी थी। चूंकि, देश में वन्य जीवों के व्यापार की अनुमति नहीं है, इसलिए आर्थिक मूल्य का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता।

(ख) से (घ) पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से मिली सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान वन्यजीवों की तस्करी के दो मामलों का पता लगाया गया है। ब्यौरा निम्नानुसार है :—

(i) 14.1.98 को कल्याणी पुलिस स्टेशन पर एक ट्रक सहित 879 जीवित और 134 मृत कछुए जब्त किए गए, तीन तस्कर गिरफ्तार किए गए।

(ii) 7.1.2001 को 115 वॉटर मॉनीटर छिपकलियां जब्त की गई। दो तस्कर गिरफ्तार किए गए।

दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में मामले दर्ज किए गए हैं।

(ङ) वन्यजीवों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) **राज्य स्तर पर उठाए गए कदम**

(i) वन्य प्राणियों को उनके शिकार और वाणिज्यिक प्रयोग से बचाने के लिए वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अन्तर्गत कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है।

(ii) वन्यजीवों के अवैध शिकार और व्यापार को रोकने के लिए अनेक राज्यों में राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर समन्वय समितियां गठित की गई हैं।

(iii) सभी चार दक्षिणी राज्यों के मुख्य वन्यजीव वार्डन सीमा क्षेत्र की सुरक्षा तथा अवैध शिकार व व्यापार की समस्याओं से निपटने के लिए आवधिक रूप से बैठकें करते हैं।

(iv) अवैध रूप से शिकार करने वालों और तस्करों से निपटने के लिए नियमित कार्य बल जिसमें पुलिस और वन अधिकारी शामिल हैं, गठित किया गया है।

(v) दक्षिण भारत राज्यों के संवदेनशील क्षेत्रों में अवैध शिकार रोधी कैंप लगाए गए हैं।

(vi) कर्नाटक राज्य ने वन संबंधी अपराधों से निपटने के लिए पुलिस विभाग में एक विशेष वन सैल स्थापित किया है जिसमें 300 कार्मिक हैं और एक पुलिस महानिरीक्षक को इसका अध्यक्ष बनाया गया है।

(vii) वन सुरक्षा अधिकारियों को अवैध शिकार करने वालों और तस्करों पर यदि गोली चलानी पड़ती है तो इस कृत्य के लिए उन्हें उनकी गिरफ्तारी से प्रतिरक्षा प्रदान की गई है।

2. **राष्ट्रीय स्तर पर उठाए गए कदम :**

(i) भारत सरकार ने वन्यजीवों और उनके उत्पादों की तस्करी को रोकने के लिए देश के प्रमुख निर्यात और व्यापार केन्द्रों में वन्यजीव परिरक्षण हेतु क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए हैं।

(ii) केन्द्रीय जांच ब्यूरो को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत वन्यजीव अपराधियों को पकड़ने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं। इंटरपोल की मदद से अवैध शिकार विरोधी प्रयासों का समन्वय किया जा रहा है।

(iii) विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों, अर्थात् बाघ परियोजना, हाथी परियोजना, राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास और वन्यजीवों को प्रभावी सुरक्षा देने के लिए राज्यों की क्षमता और ढांचागत सुविधाओं में वृद्धि के प्रयोजन के संरक्षित क्षेत्रों के आसपास पारि-विकास आदि स्कीमों के अंतर्गत राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता दी जा रही है, विशेषकर संगठित अवैध शिकारियों का मुकाबला करने के लिए स्ट्राइक फोर्स तैयार करने और सुरक्षा कर्मियों को हथियार आदि मुहैया कराने के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। अवैध शिकारियों और तस्करों के बारे में सूचना देने वाले व्यक्तियों को ईनाम देने के लिए भी सहायता दी जाती है।

(iv) अवैध शिकार और वन्यजीवों के अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए सचिव, पर्यावरण एवं वन, भारत सरकार की अध्यक्षता में एक विशेष समन्वय समिति गठित की गई है।

(v) निर्यात-आयात नीति के अंतर्गत वन्यजीवों और उनके व्युत्पन्नों के निर्यात पर प्रतिबंध है।

(vi) राज्य सरकारों के पर्यावरण एवं वन मंत्रियों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन 29 और 30 जनवरी, 2001 को आयोजित किया गया था। अवैध शिकार को प्रभावी ढंग से रोकने और संरक्षित क्षेत्रों के भीतर और बाहर, दोनों स्थानों पर प्रवर्तन संबंधी आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए इस सम्मेलन में मौजूदा सुरक्षा कर्मियों को व्यवहारिक स्वरूप में संगठित करने का संकल्प लिया गया।

(vii) गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को लिखा है कि वे वन्यजीवों के अवैध शिकार और अवैध व्यापार को रोकने के लिए फील्ड फारमेशन्स की मदद करें।

(3) **अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाए गए कदम :**

(i) भारत सरकार वन्यजीवों के अवैध शिकार और व्यापार को नियंत्रित करने के लिए कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एन्डेंजर्ड स्पीसिज़ आफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फाउना (साइट्स) के प्रावधानों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करती है।

(ii) सीमा पारीय व्यापार को नियंत्रित करने लिए पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चीन के साथ एक प्रोट्रोकोल पर हस्ताक्षर किए गए हैं नेपाल सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(iii) बाघ संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर विचार करने के लिए टाइगर रेंज देशों का एक विश्व स्तरीय मंच तैयार किया गया है।

विवरण

जलाई गई वन्य जीवों की खालों का विवरण

राज्य का नाम	जलाई गई खालों की संख्या	तारीख	अभ्युक्तियां
आन्ध्र प्रदेश	94	10.3.2001	
महाराष्ट्र	6	5.6.2001	विश्व पर्यावरण दिवस

डाक पहुंचने में विलंब

1101. **श्री मनसुखभाई डी० वसावा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास ऐसा कोई तंत्र है जिससे डाक पहुंचने में विलंब का पता लगाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे मामलों का पता लगाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) विभाग अखिल भारतीय लाइव मेल सर्वेक्षण, परीक्षण कार्ड और परीक्षण पत्र डाक में डालकर तथा पर्यवेक्षकीय व निरीक्षण अधिकारियों द्वारा आकस्मिक जांच जैसे विभिन्न तंत्रों के माध्यम से डाक की वितरण दक्षता को मॉनीटर करता है। इन सर्वेक्षणों तथा जांच उपायों के निष्कर्षों के आधार पर जहां कहीं डाक के वितरण में विलम्ब हुआ पाया जाता है, वहां सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

सर्वेक्षणों के दौरान यह पाया गया कि देश में डाक की वितरण दक्षता सामान्यतया संतोषजनक है। फिर भी, ऐसे विभिन्न कारणों से डाक में विलम्ब की घटनाएं हो जाती हैं जो विभाग के नियंत्रण से बाहर हैं जैसे डाक ले जाने वाले हवाई जहाजों, रेलगाड़ियों और बसों का देर से चलना/रद्द हो जाना, एयरलाइन्स द्वारा डाक उतार देना, डाक की मात्रा में अचानक व अप्रत्याशित वृद्धि, प्राकृतिक आपदाएं, बंद जैसे नागरिक उपद्रव। कभी-कभी मानवीय चूक के कारण भी डाक में विलंब हो जाता है। दोषी कर्मचारियों को उनकी लापरवाही के लिए दंडित किया जाता है।

रोजगार कार्यालय

1102. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार कितने रोजगार कार्यालय हैं;

(ख) इनमें से राज्य-वार कितने रोजगार कार्यालय कम्प्यूटरीकृत हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार नौवीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में सभी रोजगार कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में रोजगार कार्यालयों के विरुद्ध सम्पूर्ण कार्यकरण को बेहतर बनाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं/करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) और (ख) रोजगार कार्यालयों तथा केन्द्र प्रवर्तित योजना के तहत् कम्प्यूटरीकृत रोजगार कार्यालयों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) केन्द्र सरकार की नौवीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत करने की कोई केन्द्र प्रवर्तित योजना नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) रोजगार कार्यालय राज्य सरकार के प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रणाधीन हैं। रोजगार कार्यालयों को श्रम बाजार की मांग के अनुरूप बनाने के लिए उनके आधुनिकीकरण हेतु संगठित क्षेत्र में विद्यमान रोजगार स्थिति को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा श्रम बाजार सूचना संकलन, कैरियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन आदि को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	रोजगार कार्यालयों की संख्या	केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत कम्प्यूटरीकृत रोजगार कार्यालयों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	31	22
2.	अरूणाचल प्रदेश	8	—
3.	असम	53	2
4.	बिहार	34	4
5.	छत्तीसगढ़	17	—
6.	दिल्ली	14	5
7.	गोवा	1	1
8.	गुजरात	43	13
9.	हरियाणा	61	—
10.	हिमाचल प्रदेश	15	3
11.	जम्मू और कश्मीर	14	—
12.	झारखंड	34	—
13.	कर्नाटक	40	3
14.	केरल	82	2
15.	मध्य प्रदेश	58	9
16.	महाराष्ट्र	46	6

1	2	3	4
17.	मणिपुर	11	1
18.	मेघालय	10	—
19.	मिजोरम	3	—
20.	नागालैण्ड	7	—
21.	उड़ीसा	40	3
22.	पंजाब	47	2
23.	राजस्थान	40	1
24.	सिक्किम*		—
25.	तमिलनाडु	37	10
26.	त्रिपुरा	5	—
27.	उत्तरांचल	20	—
28.	उत्तर प्रदेश	83	24
29.	पश्चिम बंगाल	75	3
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	1
31.	चंडीगढ़	2	1
32.	दादर व नगर हवेली	1	—
33.	दमन व दीव	2	—
34.	लक्षद्वीप	1	—
35.	पांडिचेरी	1	1
	योग	937	117

नोट :— *इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

[अनुवाद]

सार्वजनिक दूरभाष कार्यालय

1103. **श्रीमती जयाबहन बी० ठक्कर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कितने सार्वजनिक दूरभाष कार्यालय कार्य कर रहे हैं;

(ख) आज की तारीख के अनुसार उनमें से कितने बंद पड़े हैं;

(ग) क्या बड़ी संख्या में ऐसे पी०सी०ओ० नए प्रकार के मल्टी मीडिया खोखों के चालू होने के कारण अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कठिन संघर्ष कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

डाल्फिन मोबाइल टेलीफोन सेवा

1104. **श्री अजय सिंह चौटाला** :
श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल :
श्री भीम दाहाल
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री सनत कुमार मंडल :
श्री शिवाजी माने :
डा० वी० सरोजा :
श्री ए० वेंकटेश नायक :
श्री के०ई० कृष्णमूर्ति :
श्री राममोहन गाड्डे :
श्री बाबूभाई के० कटारा :
डा० जसवंत सिंह यादव :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपने डॉल्फिन मोबाइल टेलीफोन सेवा के लिए दिल्ली और मुम्बई के बीच मासिक किराया और काल दरें घटा दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दिल्ली और मुम्बई में अन्य निजी सेल्युलर/मोबाइल टेलीफोन आपरेटरों की तुलना में किस सीमा तक शुल्क दर घटाई गई;

(घ) निजी सेल्युलर/मोबाइल आपरेटरों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या अन्य रूटों पर काल दरें और मासिक किराया घटाने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक घटाए जाने की संभावना है;

(छ) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने आस-पास के शहरों में भी डॉल्फिन सेवा का विस्तार करने का प्रस्ताव किया है;

(ज) यदि हां, तो शहर-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(झ) क्या सेल्युलर टेलीफोन के उपभोक्ता दो सौ किलोमीटर तक स्थानीय काल कर सकते हैं;

(ञ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ट) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के उक्त निर्णय की आलोचना की है; और

(ठ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां। मासिक किराया और कॉल दरें घटा दी गई हैं, लेकिन दिल्ली और मुम्बई के बीच एस०टी०डी० दरें पहले जैसी हैं।

(ख) ब्यौरे निम्नानुसार है :

	पैकेज क	पैकेज ख
किराया (रुपये)	250.00	375.00
जाने वाली/30 सेकेंड (रु०)	1.00	0.70
आने वाली/30 सेकेंड (रु०)	0.75	0.70
पल्स दर : 30 सेकेंड		

(ग) टैरिफ का तुलनात्मक विवरण नीचे दिया गया है :

टैरिफ योजना

विभिन्न सेल ऑपरेटरों का तुलनात्मक विवरण

	एमटीएनएल (डॉल्फिन) पैकेज क	एयरटेल ड्रीम योजना	एस्सार (टॉक नाऊ) टाक नाऊ
किराया (रुपये)	250.00	295.00	295.00
जाने वाली कॉल/ 30 सेंकेंड (रुपये)	1.00	1.15	1.15
आने वाली कॉल/ 30 सेंकेंड (रुपये)	0.75	1.15	1.15

	पैकेज ख	स्वीट 99	टॉक ईजी
किराया (रुपये)	375.00	395.00	395.00
जाने वाली कॉल/30 30 सेंकेंड (रुपये)	0.70	0.99	0.99
आने वाली कॉल/ 30 सेंकेंड (रुपये)	0.70	0.99	0.99

(घ) निजी ऑपरेटरों की कोई प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया देखने में नहीं आई है।

(ङ) जी, नहीं, इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) और (ज) जी, हां। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम०टी०एन०एल०), दिल्ली में नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुड़गांव जैसे आस-पास के शहरों में डॉल्फिन सेवा का विस्तार कर रहा है, जबकि एम०टी०एन०एल० मुम्बई में कल्याण को सेल्यूलर सेवा प्रदान करने हेतु एम०टी०एन०एल० के कार्यक्षेत्र में शामिल किया गया है।

(झ) जी, नहीं।

(ञ) प्रश्न नहीं उठता।

(ट) और (ठ) ट्राई ने बी०एस०एन०एल० द्वारा अपने उपभोक्ताओं को दी जाने वाली रियायती स्थानीय कौल सुविधाएं निजी आपरेटरों को भी दिए जाने का निश्चय किया है। बी०एस०एन०एल० ने ट्राई के इस निर्णय के खिलाफ दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण (टी०डी०एस०ए०टी०) में अपील की है। टी०डी०एस० ए०टी० ने ट्राई के निर्णय पर स्थगन आदेश दे दिया है।

[अनुवाद]

टेलीफोन सुविधा

1105. श्री आर०एल० जालप्पा :
श्री कोलुर बसवनागौड़ :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चिक-बल्लापुर और बेलारी क्षेत्रों के कितने ग्रामों में इस समय टेलीफोन सुविधा नहीं है;

(ख) वर्ष 2001-2002 के दौरान इन क्षेत्रों के कितने ग्रामों में उक्त सुविधा प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) शेष ग्रामों को इसमें कब तक शामिल किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार इन क्षेत्रों में मल्टी एक्सेस रूरल रेडियो (एम०ए०आर०आर०) प्रौद्योगिकी को वायरलैस इन लोकल लूप प्रौद्योगिकी द्वारा बदलने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) चिक-बल्लापुर और बेलारी क्षेत्रों के सभी गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन उपलब्ध कराए जा चुके हैं।

(घ) से (च) भारत संचार निगम लिमिटेड ने चिक-बल्लापुर में 500 लाइनों की क्षमता वाली वायरलेस इन लोकल लूप प्रणाली की संस्थापना की योजना बनाई है। डब्ल्यू०एल०एल० उपस्कर के नवंबर, 2001 तक प्रदान कर दिए जाने कि संभावना है। एम०ए० आर०आर० आधारित टेलीफोनों को उत्तरोत्तर रूप से डब्ल्यू०एल०एल० आधारित टेलीफोनों से बदल दिए जाने की योजना बनाई गई है।

[हिन्दी]

पुलों का निर्माण

1106. श्री सुबोध राय :
श्री रघुराज सिंह शाक्य :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा पुलों और राष्ट्रीय राजमार्ग-80 के निर्माण हेतु कितनी धनराशि खर्च की जा रही है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग पर वर्ष 2000 में निर्मित पुलों का पुनर्निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है; और

(घ) पुलों के निर्माण हेतु क्या समय सीमा निर्धारित की गई है ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 80 के विकास के लिए 1.49 करोड़ रु० की लागत से एक पंटून पुल के निर्माण सहित अब तक 18.28 करोड़ रु० के निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

प्रोजेक्ट टाइगर

1107. श्री अनन्त नायक : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में "प्रोजेक्ट टाइगर" की स्थापना की गई है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक "प्रोजेक्ट टाइगर" के लिए कितना धन आवंटित किया गया;

(ग) क्या इसके उद्देश्यों की उपलब्धियों के संबंध में कोई समीक्षा की गई है; और

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक ऐसे "प्रोजेक्ट टाइगर" द्वारा वर्ष-वार कितनी सफलता प्राप्त की गई ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। पर्यावरण एवं वन मंत्री की अध्यक्षता में गठित बाघ परियोजना संचालन समिति बाघ परियोजना स्कीम के कार्यान्वयन की प्रगति की समय-समय पर पुनरीक्षा कर रही है। सभी बाघ रिजर्वों में बाघों के वासस्थलों में स्थिरता तथा उनकी आबादी में वृद्धि दर्शाती है। बाघ रिजर्वों में बाघों की संख्या संलग्न विवरण-III में दी गई है।

विवरण-I

बाघ रेंज राज्यों में बाघ रिजर्वों के सृजन के वर्ष और क्षेत्र सहित बाघ रिजर्वों के नाम

क्र० सं०	सृजन का वर्ष	बाघ रिजर्व का नाम	राज्य	कुल क्षेत्र (कि०मी० में)
1	2	3	4	5
1.	1973-74	बांदीपुर	कर्नाटक	866
	1999-2000	नागरहोल (विस्तार)		643
2.	1973-74	कार्बेट		1316
3.	1973-74	कान्हा	मध्य प्रदेश	1945
4.	1973-74	मानस	असम	2840
5.	1973-74	मेलघाट	महाराष्ट्र	1677
6.	1973-74	पलामू	बिहार	1026
7.	1973-74	रणथंभौर	राजस्थान	1334
8.	1973-74	सिमिलीपाल	उड़ीसा	2750
9.	1973-74	सुन्दरबन	पश्चिम बंगाल	2585
10.	1978-79	पेरियार	केरल	777
11.	1978-79	सरिस्का	राजस्थान	866
12.	1982-83	बुक्शा	पश्चिम बंगाल	759
13.	1982-83	इन्द्रावती	मध्य प्रदेश	2799
14.	1982-83	नागार्जुनसागर	आंध्र प्रदेश	3568
15.	1982-83	नामदाफा	अरुणाचल प्रदेश	1985
16.	1987-88	दुधवा	उत्तर प्रदेश	811
	1999-2000	कतर्निघाट (विस्तार)		551
17.	1988-89	कलाकड़-मुंडनथुराई	तमिलनाडु	800
18.	1989-90	वाल्मिकि	बिहार	840
19.	1992-93	पेंच	मध्य प्रदेश	758
20.	1993-94	ताडोबा-अंधेरी	महाराष्ट्र	620
21.	1993-94	बांधवगढ़	मध्य प्रदेश	1162
22.	1994-95	पन्ना	मध्य प्रदेश	542

1	2	3	4	5
23.	1994-95	दाम्फा	मिजोरम	500
24.	1998-99	भद्रा	कर्नाटक	492
25.	1998-99	पेंच	महाराष्ट्र	257
26.	1999-2000	पखुई-नेमरी	अरुणाचल प्रदेश असम	1206
27.	1999-2000	बोरी, सतपुडा, पंचमढ़ी	मध्य प्रदेश	1486
			कुल	37761

विवरण-II

1998-99 से 2001-2002 के दौरान बाघ परियोजना स्कीम के अंतर्गत बाघ रिजर्वों को रिलीज राशियां दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपए)

क्र० सं०	बाघ रिजर्व का नाम	1998-99	1999-2000	2000-2001	2001-2002 20.7.01 के अनुसार*
1	2	3	4	5	6
1.	बांधवगढ़	22.29	37.025	33.607	111.52
2.	बांदीपुर	67.34	91.37	96.70	135.25
3.	भद्रा	2.00	75.709	96.66	62.184
4.	बुक्शा	58.895	56.37	53.18	79.50
5.	कार्बट	137.88	162.95	99.215	182.26
6.	दाम्फा	9.65	21.43	27.58	27.71
7.	दुधवा	61.87	71.28	82.44	प्रक्रियाधीन
8.	इंदरावती	37.54	46.205	15.00	प्रक्रियाधीन
9.	कालाकाड मुंडनथुरई	32.50	58.78	60.315	प्रक्रियाधीन
10.	कान्हा	113.85	164.895	222.15	258.20
11.	मानस	35.00	87.29	89.00	135.30
12.	मेलघाट	68.28	52.00	62.93	114.58
13.	नागार्जुनसागर	18.01	29.036	45.00	प्रक्रियाधीन
14.	नामदाफा	47.68	30.590	32.607	85.725
15.	नामरी	0.00	0.00	67.10	17.50
16.	पलामू	84.55	78.912	86.662	146.97
17.	पन्ना	26.935	42.235	35.00	76.20
18.	पेंच (मध्य प्रदेश)	24.51	41.80	97.59	प्रक्रियाधीन
19.	पेंच (महाराष्ट्र)	17.15	43.80	59.241	109.68
20.	पेरियार	39.19	43.665	50.00	प्रक्रियाधीन
21.	रणथम्भौर	88.265	110.635	122.325	231.30
22.	सरिस्का	384.00	111.94	177.380	प्रक्रियाधीन
23.	सतपुड़ा	0.00	0.00	30.22	प्रक्रियाधीन
24.	सिमलीपाल	67.65	84.95	83.31	146.17
25.	सुन्दरबन	121.09	80.77	45.00	98.10
26.	तादोबा-अंधेरी	25.31	38.95	45.76	57.11
27.	वाल्मिकि	69.44	87.04	0.415	123.59
	जोड़	1660.875	1749.627	1916.387	2198.849

*मंजूर राशि

विवरण-III

बाघ रिजर्वों में राज्यों द्वारा सूचित बाघों की संख्या

क्र० सं०	रिजर्व का नाम	1993	1995	1997
1	2	3	4	5
1.	बांदीपुर (कर्नाटक)	66	74	75
2.	कॉर्बेट (उत्तर प्रदेश)	123	128	138
3.	कान्हा (मध्य प्रदेश)	100	97	114
4.	मानसा (असम)	81	94	125
5.	मेलघाट (महाराष्ट्र)	72	71	73
6.	पलामऊ (बिहार)	44	47	44
7.	रणथम्भौर (राजस्थान)	36	38	32
8.	सिमिलिपाल (उड़ीसा)	95	97	98
9.	सुन्दरबन (पश्चिम बंगाल)	251	242	263
10.	परियार (केरल)	30	39	40
11.	सरिस्का (राजस्थान)	24	25	24
12.	बुक्शा (पश्चिम बंगाल)	29	31	32

1	2	3	4	5
13.	इंदरावती (मध्य प्रदेश)	18	15	15
14.	नागार्जुन (आंध्र प्रदेश)	44	34	39
15.	नामधापा (अरुणाचल प्रदेश)	47	52	57
16.	दुधवा (उत्तर प्रदेश)	94	98	104
17.	कालाकाड (तमिलनाडु)	17	16	28
18.	वाल्मिकि (बिहार)	49	N.R.	53
19.	पेंच (मध्य प्रदेश)	39	27	29
20.	टाडोबा (महाराष्ट्र)	34	36	42
21.	बांधवगढ़ (मध्य प्रदेश)	41	46	46
22.	पन्ना (मध्य प्रदेश)	25	22	22
23.	दाम्फा (मिजोरम)	7	4	5
	जोड़	1366	1333	1498
24.	पेंच (महाराष्ट्र)	—	10 (1994)	राज्य द्वारा सूचित नहीं किया गया
25.	भद्रा (कर्नाटक)	—	—	34
26.	पाकुई-नामेरी			
27.	बोरी-सतपुड़ा-पंचमढ़ी (मध्य प्रदेश)	1999-2000 के दौरान बनाए गए बाघ रिजर्व		

कार्य कर रहे और बंद पड़े विमान पत्तन

1108. **श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विमान पत्तनों के नाम क्या हैं जो कार्य कर रहे हैं और जो बंद पड़े हैं;

(ख) क्या बंद पड़े विमान पत्तनों का उपयोग करने के लिए कोई प्रस्ताव/योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) देश में प्रचालनरत हवाई अड्डों के नाम अगरतला, अगत्ती, अहमदाबाद, अमृतसर, औरंगाबाद, भावनगर, भोपाल, भुवनेश्वर, कालीकट, चेन्नई, कोयम्बतूर, डिब्रूगढ़, दीमापुर, देहरादून, दिल्ली, कांगडा, गुवाहाटी, हैदराबाद, इम्फाल, इन्दौर, जयपुर, जबलपुर, कोलकाता, कुल्लू-मनाली, केशोद, लखनऊ, मदुरै, मंगलौर, मुम्बई, नागपुर, पटना, पोरबन्दर, रायपुर, राजकोट, रांची, त्रिची, तिरूपति, वडोदरा, वाराणसी, बेहाला, बेलगाम, जूहू, सफदरजंग, हुबली, काण्डला, कानपुर, कोटा, लुधियाना, उत्तरी लखीमपुर, पन्तनगर, पांडिचेरी, सलेम, शिलांग, त्रिवेन्द्रम, तूतिकोरिन, विजयवाड़ा, राजामुन्दरी हैं। आगरा, बागडोगरा, बंगलौर, भुज, चण्डीगढ़, गोवा, ग्वालियर, जम्मू, जामनगर, जोधपुर, जोरहाट, लेह, पोर्ट ब्लेयर, पुणे, सिल्चर, श्रीनगर, तेजपुर और विशाखापट्टनम प्रचालनरत सिविल एन्क्लेव हैं। ऐजवाल, अकोला, बेलुरघाट, बिलासपुर, चाकुलिया, कूचबिहार, कुड्डापाह, दीसा, दोनाकोंडा, गया, हासन, हडाप्सर, झांसी, झारसुगुडा, जोगबानी, कैलाशहर, कमालपुर, खण्डवा, खोवाई, ललितपुर, माल्दा मुजफ्फरपुर, मैसूर, नादिरगुल, पन्ना, पासीघाट, रक्सौल, रूपसी, सतना, शोला, शोलापुर, और वारंगल गैर-प्रचालनरत हवाई अड्डे हैं। इलाहाबाद, एलोंग, बीकानेर, डपोरिजा, गोरखपुर, जैसलमेर, कानपुर (चकेरी) तेजु और जेरो गैर-प्रचालनरत सिविल एन्क्लेव हैं। उपरोक्त के अलावा, लेंगपुई, कोल्हापुर, सूरत, दिऊ के हवाई अड्डे संबंधित राज्य सरकारो के हैं, पुट्टापर्थी श्री साई बाबा ट्रस्ट का है और कोचीन जिसका स्वामित्व कोचीन इन्टर्नेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के पास है, ये भी प्रचालनरत हवाई अड्डे हैं।

(ख) और (ग) यातायात की मात्रा और विमानों की उपलब्धता के आधार पर, एयरलाइनें देश में किसी भी हवाई अड्डे से प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने राज्य सरकारों से गैर-प्रचालनरत हवाई अड्डों को अपने अधिकार में लेने और नागर विमानन कार्यकलापों के लिए इनका विकास करने का अनुरोध किया है। केवल शोलापुर और कोल्हापुर के हवाई अड्डों को महाराष्ट्र राज्य सरकार को पट्टे पर दिया गया है। किसी अन्य राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव पर अपने रूख से अवगत नहीं कराया है।

त्रिवेन्द्रम विमान पत्तन पर एअर बे पुल

1109. **श्री रमेश चेन्नितला :**
श्री कोडीकुनील सुरेश :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की क्या कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का त्रिवेन्द्रम अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन पर एअर बे पुल का निर्माण करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(ग) उक्त एअर बे पुल के निर्माण में विलंब के क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) तिरूवनन्तपुरम हवाई अड्डे पर अन्तरराष्ट्रीय टर्मिनल भवन में एयरोब्रिज की व्यवस्था करने के लिए विभिन्न विकल्पों को प्रतिपादित किया गया है और इनका साध्यता अध्ययन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त तिरूवनन्तपुरम एयरपोर्ट डेवलपमेंट सोसायटी (टीएडीस) के माध्यम से केरल राज्य सरकार ने त्रिवेन्द्रम अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के चक्काई नहर की तरफ नए अन्तरराष्ट्रीय टर्मिनल के निर्माण के लिए परियोजना कार्य आरंभ करने का प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव में टर्मिनल भवन में

एयरोब्रिज की व्यवस्था करना भी शामिल है। चूंकि इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, अभी कोई नियत समय-सीमा नहीं बताई जा सकती।

एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

1110. **श्री चन्द्रनाथ सिंह :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया और इंडियन एअरलाइंस के कर्मचारियों के पास स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प चुनने हेतु कुछ मानदंड हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का लाभ लेने वाले पायलटों और इंजीनियरों ने भी अपने लिए लाभ की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (घ) चूंकि एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स दोनों के निवेशन के काम की प्रक्रिया आगे तक बढ़ चुकि है, सरकार का ऐसा अनुभव है कि ऐसी स्थिति में एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी०आर०एस०) लागू करने से भावी बोलीकर्त्ताओं की वित्तीय बोलियों में ह्रास होने की आंशका है। इसलिए सरकार ने निर्णय किया है कि चल रही निवेशन प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स के पुनर्गठित बोर्ड के ऊपर इस मुद्दे को व्यावसायिक नीति विकल्प के रूप में छोड़ दिया जाना चाहिए। इसे देखते हुए इस समय एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी०आर०एस०) शुरू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

वन्य जीवों के अवैध व्यापार में वृद्धि

1111. **डा० रमेश चंद तोमर :**
श्रीमती श्यामा सिंह :
वैद्य विष्णु दत्त शर्मा :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 28 मई, 2001 के ''दि टाइम्स आफ इंडिया'' में ''ट्रेड इन एनीमल स्किन्स राइजिंग इन कैपिटल'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या वर्ष 1994-95 से लेकर आज तक इस व्यापार में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा अवैध व्यापार रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) दिनांक 28.5.2001 को ''टाइम्स ऑफ इंडिया'' में ''ट्रेड इन एनीमल स्किन्स राइजिंग इन कैपिटल'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार में यह कहा गया है कि तस्करों द्वारा वन्यजीवों और उनके व्युत्पन्नों के अवैध लेन-देन तथा खरीद फरोख्त के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है। रिपोर्ट में उल्लेख है कि भारत नेपाल सीमा के निकटवर्ती इलाकों में लगातार निगरानी के कारण तस्करों ने दिल्ली जैसे शहरों में अपनी गतिविधियां चलानी शुरू कर दी हैं। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बाघ जो कि दुर्लभ होते जा रहे हैं, के स्थान पर तेंदुओं के अवैध शिकार में वृद्धि हो रही है।

समाचार में उल्लिखित तथ्यों की प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा की गई जांच से पुष्टि हुई है। तस्करी से लाई गई वन्य जीव निर्मित वस्तुओं के लिए दिल्ली एक बेहतर पारगमन स्थल माना जाता है क्योंकि यहां विदेशी खरीददारों जिन पर ज्यादा ध्यान नहीं जाता, से सौदा करने के बेहतर अवसर होते हैं :—

(ग) और (घ) हाल के वर्षों में की गई जब्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है। इन जब्तियों की संख्या में वृद्धि का कारण केवल अवैध शिकार की घटनाओं में वृद्धि से नहीं जोड़ा जा सकता। विशेषज्ञता प्राप्त प्रवर्तन एजेंसियों जैसे केन्द्रीय जांच ब्यूरों, कस्टम विभाग, राजस्व आसूचना निदेशालय, उत्तर प्रदेश सरकार का विशेष कार्यबल, इन सभी की भागीदारी से भी जब्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है।

(ङ) अवैध व्यापार को रोकने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) **राज्य स्तर पर उठाए गए कदम**

(i) वन्य प्राणियों को उनके शिकार और वाणिज्यिक प्रयोग से बचाने के लिए वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अन्तर्गत कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है।

(ii) वन्यजीवों के अवैध शिकार और व्यापार को रोकने के लिए अनेक राज्यों में राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर समन्वय समितियां गठित की गई हैं।

(iii) सभी चार दक्षिणी राज्यों के मुख्य वन्यजीव वार्डन सीमा क्षेत्र की सुरक्षा तथा अवैध शिकार व व्यापार की समस्याओं से निपटने के लिए आवधिक रूप से बैठकें करते हैं।

(iv) अवैध रूप से शिकार करने वालों और तरस्करों से निपटने के लिए नियमित कार्य बल जिसमें पुलिस और वन अधिकारी शामिल हैं, गठित किया गया है।

(v) दक्षिण भारत राज्यों के संवेदनशील क्षेत्रों में अवैध शिकार रोधी कैंप लगाए गए हैं।

(vi) कर्नाटक राज्य ने वन संबंधी अपराधों से निपटने के लिए पुलिस विभाग में एक विशेष वन सैल स्थापित किया है जिसमें 300 कार्मिक हैं और एक पुलिस महानिरीक्षक को इसका अध्यक्ष बनाया गया है।

(vii) वन सुरक्षा अधिकारियों को अवैध शिकार करने वालों और तस्करों पर यदि गोली चलानी पड़ती है तो इस कृत्य के लिए उन्हें उनकी गिरफ्तारी से प्रतिरक्षा प्रदान की गई है।

(2) राष्ट्रीय स्तर पर उठाए गए कदम :

(i) भारत सरकार ने वन्यजीवों और उनके उत्पादों की तस्करी को रोकने के लिए देश के प्रमुख निर्यात और व्यापार केन्द्रों में वन्यजीव परिरक्षण हेतु क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए हैं।

(ii) केन्द्रीय जांच ब्यूरो को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत वन्यजीव अपराधियों को पकड़ने और उन पर मुकदमा चलाने के लए शक्तियां प्रदान की गई हैं। इंटरपोल की मदद से अवैध शिकार विरोधी प्रयासों का समन्वय किया जा रहा है।

(iii) विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों, अर्थात् बाघ परियोजना, हाथी परियोजना, राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास और वन्यजीवों को प्रभावी सुरक्षा देने के लिए राज्यों की क्षमता और ढांचागत सुविधाओं में वृद्धि के प्रयोजन से संरक्षित क्षेत्रों के आसपास पारि-विकास आदि स्कीमों के अंतर्गत राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता दी जा रही है, विशेषकर संगठित अवैध शिकारियों का मुकाबला करने के लिए स्ट्राइक फोर्स तैयार करने और सुरक्षा कर्मियों को हथियार आदि मुहैया कराने के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। अवैध शिकारियों और तस्करों के बारे में सूचना देने वाले व्यक्तियों को ईनाम देने के लिए भी सहायता दी जाती है।

(iv) अवैध शिकार और वन्यजीवों के अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए सचिव, पर्यावरण एवं वन, भारत सरकार की अध्यक्षता में एक विशेष समन्वय समिति गठित की गई है।

(v) निर्यात-आयात नीति के अंतर्गत वन्यजीवों और उनके व्युत्पन्नों के निर्यात पर प्रतिबंध है।

(vi) राज्य सरकारों के पर्यावरण एवं वन मंत्रियों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन 29 और 30 जनवरी, 2001 को आयोजित किया गया था। अवैध शिकार को प्रभावी ढंग से रोकने और संरक्षित क्षेत्रों के भीतर और बाहर, दोनों स्थानों पर प्रवर्तन संबंधी आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए इस सम्मेलन में मौजूदा सुरक्षा कर्मियों को व्यावहारिक स्वरूप में संगठित करने का संकल्प लिया गया।

(vii) गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को लिखा है कि वे वन्यजीवों के अवैध शिकार और अवैध व्यापार को रोकने के लिए फील्ड फारमेशन्स की मदद करें।

(3) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाए गए कदम :

(i) भारत सरकार वन्यजीवों के अवैध शिकार और व्यापार को नियंत्रित करने के लिए कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एन्डेंजर्ड स्पीसिज़ आफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फाउना (साइट्स) के प्रावधानों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करती है।

(ii) सीमा पारीय व्यापार को नियंत्रित करने के लिए पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चीन के साथ एक प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेपाल सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(iii) बाघ संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर विचार करने के लिए टाइगर रेंज देशों का एक विश्व स्तरीय मंच तैयार किया गया है।

हड़तालें और तालाबंदी

1112. **श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : क्या श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में जनवरी, 2000 से लेकर आज तक कितनी हड़तालें और तालाबंदिया हुई;

(ख) कर्मचारियों, केन्द्र और राज्य सरकार, जनता और मालिकों को प्रत्येक मामले में अलग-अलग किस सीमा तक नुकसान हुआ;

(ग) उद्योग द्वारा कितने श्रम दिवसों का नुकसान हुआ है कितने मूल्य के उत्पादन का नुकसान हुआ;

(घ) ऐसी हड़तालों और तालाबंदियों से बचने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) हड़तालों की अवधि के दौरान आपराधिक गतिविधियों हेतु कितने कामगार और कर्मचारी हिरासत में लिए गए; और

(च) सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बिहार में खेल परिसर का निर्माण

1113. **मोहम्मद शहाबुद्दीन : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार सरकार से राज्य में खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए खेल परिसर के निर्माण हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन खेल परिसरों के निर्माण हेतु राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) जी, हां। बिहार सरकार ने कंकड़बाग, पटना में एक राज्य स्तरीय खेल परिसर के निर्माण के लिए 11.6.2001 को एक संशोधित प्रस्ताव भेजा है जिसकी अनुमानित लागत 20.00 करोड़ रु० है।

(ग) से (ङ) यह परियोजना जो 6.73 करोड़ रु० की अनुमानित लागत के साथ 26.12.95 को पहले भेजी गयी थी, 1.86 करोड़ रु० की स्वीकार्य केन्द्रीय सहायता के साथ अनुमोदित हुई थी। 31.3.99 को 19.29 लाख रु० की केन्द्रीय सहायता भी जारी की गई थी। तथापि, बिहार सरकार ने अभी तक इस वित्तीय सहायता का उपयोग नहीं किया है और तीन अन्य खेल परियोजनाओं के लिए जारी किया गया अप्रयुक्त अनुदान भी वापस नहीं किया है। तद्नुसार, 23.7.2001 को बिहार सरकार को पहले अप्रयुक्त अनुदान वापस करने तथा संशोधित प्रस्ताव पर विचार करने से पूर्व, राज्य स्तरीय खेल परिसर, पटना संबंधी उपयोग प्रमाण पत्र/प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

[अनुवाद]

सुपर राजमार्गों में अत्याधिक विलम्ब

1114. डा० नीतिश सेनगुप्ता : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री योजना के तहत सुपर राजमार्गों पर कार्य शुरू होने में विलम्ब हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन राजमार्गों के निर्माण का वित्त पोषण प्रधानतया विदेशी निधियों के अन्तर्वाह पर आधारित है;

(घ) क्या एनरान विवाद ने इन राजमार्गों के निर्माण हेतु आवश्यक निधियां शीघ्र जारी करने के सहायता दाताओं के रूझान को प्रभावित किया है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे राजमार्गों पर कार्य पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द खण्डूड़ी) : (क) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना जिसमें स्वर्णिम चतुर्भुज (दिल्ली-मुम्बई-कोलकाता-चेन्नै महानगरों को जोड़ने वाला) और उत्तर-दक्षिण एवं पर्व-पश्चिम महामार्ग (श्रीनगर को कन्याकुमारी और पोरबंदर को सिलचर से जोड़ने वाला) शामिल है, पर नियत समय के अनुसार कार्य चल रहा है और इस परियोजना के कार्यान्वयन में अधिक विलंब का पूर्वानुमान नहीं है। वस्तुतः स्वर्णिम चतुर्भुज के पूरा होने की तारीख दिसम्बर, 2004 से सरका कर दिसम्बर, 2003 की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

अपरदन संबंधी समिति

1115. श्री रूपचन्द पाल : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा के महत्वपूर्ण स्थानों में अपरदन की समस्या का अध्ययन करने के लिए गठित उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जी, हां। बक्सर और मोकामा के बीच गंगा के संवेदनशील क्षेत्रों में कटाव की समस्या का अध्ययन करने के लिए गठित उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ख) इस समिति ने अपने निष्कर्षों में संवेदनशील क्षेत्रों/स्थलों की पहचान की है और बक्सर और मोकामा के बीच गंगा नदी द्वारा होने वाली कटाव की समस्या का समाधान करने के लिए कई अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपाय करने का सुझाव दिया है। इस समिति ने नदी के कटाव की प्रवृत्ति और इसके लिए उत्तरदायी विभिन्न कारकों को सही प्रकार से जानने के लिए आकमरिकी अध्ययन और हाइड्रोलिक माडल अध्ययन शुरू करने पर जोर दिया है। इस समिति ने बाढ़ नियंत्रण और कटावरोधी कार्यों, तटबंधों के रखरखाव तथा आपातिक बाढ़ का सामना करने के लिए लोगों की भागीदारी पर भी जोर दिया है।

(ग) इस समिति की विभिन्न सिफारिशों पर आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए यह रिपोर्ट संबंधित राज्य सरकारों को भेजी गई है।

[हिन्दी]

दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

1116. डा० सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री नवल किशोर राय :
श्री जी०एस० बसवराज :
श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी :
श्री जी० मल्लिकार्जुनप्पा :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा अगस्त 1991 से अक्तूबर 2000 के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के कितने प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया और उन्हें कार्यान्वित किया गया; और

(घ) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के इस अन्तर्वाह ने किस हद तक ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार क्षेत्र और दूरसंचार सुविधाओं का विकास करने में सहायता की है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) जी, हां। दूरसंचार के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ० डी०आई०) का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। वर्ष 2001 के पहले चार माह में 534.6 करोड़ रु० का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है जो वर्ष 1999 और वर्ष 2000 में हुए कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से भी अधिक है।

(ग) अगस्त 1991 से अक्तूबर 2000 के दौरान दूरसंचार क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 680 प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को क्रियान्वित करने के लिए वही कंपनी जिम्मेदार है जो उसके लिए अनुमोदन प्राप्त करती है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रस्तावों के क्रियान्वयन का ब्यौरा केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखा जाता है।

(घ) बुनियादी, सेल्यूलर, वी सेट, इंटरनेट आदि सेवाएं प्रदान करने वाली अधिकांश निजी दूरसंचार कंपनियों ने कुछ न कुछ मात्रा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाले विदेशी भागीदारों के साथ मिल कर अपनी परियोजनाओं को क्रियान्वित किया है। इन निजी दूरसंचार ऑपरेटरों ने अपने संगत लाइसेंसों में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले गांवों और ग्रामीण क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अपना नेटवर्क स्थापित किया है। निजी बुनियादी टेलीफोन ऑपरेटरों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार जून 2001 तक 547 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वी०पी०टी०) उपलब्ध कराए गए हैं।

विवरण

अगस्त, 91 से अप्रैल 2001 तक दूरसंचार क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का वास्तविक अन्तर्वाह

वर्षवार

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अन्तर्वाह
1	2
1993	2.1
1994	14.0
1995	206.7
1996	764.8
1997	1245.2
1998	1775.6
1999	212.7
2000	288.6
2001 (अप्रैल 2001 तक)	534.6
कुल	5044.3

[अनुवाद]

इंडियन एयरलाइन्स हेतु छोटे वायुयान की खरीद

1117. **श्री भीम दाहाल :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंडियन एयरलाइन्स हेतु पट्टे के आधार पर वायुयान लेने की बजाय छोटे वायुयान खरीदने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अन्य बातों के साथ-साथ कितने वायुयान खरीदे जाने की संभावना है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप क्या वित्तीय प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) इन वायुयानों के कब तक खरीदे जाने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (घ) जी, नहीं। तथापि, इंडियन एयरलाइन्स की पूर्ण स्वामित्व वाली, एलाइंस एयर ने छः एटी आर 42-500 विमान को ड्राई लीज पर लेने के लिए 1 जुलाई, 2001 को विश्वस्तरीय निविदाएं आमंत्रित की हैं। निविदा प्राप्ति की अंतिम तारीख 31 जुलाई, 2001 है।

[हिन्दी]

टेलीफोन सलाहकार समिति

1118. **श्री बाबूभाई के० कटारा :**
श्री चन्द्रेश पटेल :
श्रीमती सुशीला सरोज :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीफोन सलाहकार समिति का गठन करने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या बिहार और गुजरात में टेलीफोन सलाहकार समिति का गठन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो जिले-वार अलग-अलग तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त टेलीफोन सलाहकार समितियों का गठन कब तक किए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) माननीय संचार मंत्री जी द्वारा माननीय संसद सदस्यों, विधानसभा सदस्यों, केन्द्रीय मंत्रियों, अति विशिष्ट व्यक्तियों, क्षेत्रीय कार्यालयों और अन्यों से प्राप्त सभी अभ्यावेदनों और सिफारिशों पर विचार करने के बाद विभिन्न टेलीफोन सलाहकार समितियों में निर्धारित श्रेणियों में नामांकन किया जाता है।

(ख) और (ग) जी, हां। इस समय बिहार में 20 (बीस) और गुजरात में 18 (अठारह) दूरसंचार/टेलीफोन सलाहकार समितियां काम कर रही हैं। बिहार और गुजरात की टेलीफोन सलाहकार समितियों के जिलेवार ब्यौरे क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

बिहार

क्र० सं०	टीएसी का नाम	टीएसी का अध्यक्ष	मौजूदा सदस्यों की संख्या	टीएसी का कार्यकाल
1	2	3	4	5
1.	बिहार (सर्किल)	सीजीएम	103	31.12.2001
2.	दरभंगा	जीएम	87	31.01.2002
3.	गया	जीएम	48	31.05.2003
4.	मुजफ्फरपुर	जीएम	106	31.01.2002
5.	पटना (सेन्ट्रल)	पीजीएम	95	31.01.2002
6.	मोतीहारी	टीडीएम	74	31.05.2003
7.	कटिहार	टीडीएम	61	31.05.2003
8.	भागलपुर	टीडीएम	28	31.05.2003
9.	छपरा	टीडीएम	60	31.01.2002
10.	मुंगेर	टीडीएम	86	31.01.2002
11.	सहरसा	टीडीएम	69	31.01.2002
12.	आरा	टीडीएम	52	30.11.2001
13.	हाजीपुर	टीडीएम	131	31.01.2002
14.	सासाराम	टीडीएम	63	31.05.2002
15.	खगडिया	टीडीएम	65	31.01.2002
16.	समस्तीपुर	टीडीएम	95	31.01.2002
17.	पटना (पूर्व)	पीजीएम	96	31.01.2002
18.	मधुबनी	जीएम (दरभंगा)	72	31.01.2002
19.	सिवान	टीडीएम (छपरा)	89	31.01.2002
20.	किशनगंज	टीडीएम (कटिहार)	16	31.05.2003

उन माननीय सांसदों को छोड़कर जो अपने निर्वाचन क्षेत्र/विकल्प के अनुसार एक अथवा दूसरी टीएसी के भी सदस्य हैं।

संक्षिप्तियां

सीजीएम : मुख्य महाप्रबंधक

पीजीएम : प्रधान महाप्रबंधक

जीएम : महाप्रबंधक

टीडीएम : दूरसंचार जिला प्रबंधक

विवरण-II

गुजरात

क्र० सं०	टीएसी का नाम	टीएसी का अध्यक्ष	मौजूदा सदस्यों की संख्या	टीएसी का कार्यकाल
1	2	3	4	5
1.	गुजरात (सर्किल) टीएसी	सीजीएम	19	30.04.2003
2.	अहमदाबाद	पीजीएम	70	30.04.2003
3.	बनासकांठ-पीएलएन पीयूआर	जीएम	15	30.11.2001
4.	भडुंच	जीएम	11	31.05.2003
5.	भावनगर	जीएम	23	31.05.2003
6.	जामनगर	जीएम	14	31.07.2002
7.	जूनागढ़	जीएम	26	31.07.2002
8.	खेड़ा (नडियाड)	जीएम	04	30.04.2003
9.	कच्छ (भुज)	जीएम	11	31.07.2002
10.	मेहसाना	जीएम	25	31.05.2003
11.	पंचमहल (गोधरा)	जीएम	18	31.12.2002
12.	राजकोट	जीएम	53	30.03.2003

1	2	3	4	5
13.	साबरकांठा (एचएमटी नगर)	जीएम	14	31.07.2002
14.	सूरत	जीएम	25	31.05.2003
15.	सुरेन्द्र नगर	जीएम	06	31.07.2002
16.	बडोदरा	जीएम	46	31.05.2003
17.	बलसाड़ (बुलसाड)	जीएम	27	28.02.2003
18.	अमरौली	जीएम	29	30.04.2003

उन माननीय सांसदों को छोड़कर जो अपने निर्वाचन क्षेत्र/विकल्प के अनुसार एक अथवा दूसरी टीएसी के भी सदस्य है।

संक्षिप्तियां

सीजीएम : मुख्य महाप्रबंधक

पीजीएम : प्रधान महाप्रबंधक

जीएम : महाप्रबंधक

टीडीएम : दूरसंचार जिला प्रबंधक

दूरभाष केन्द्र

1119. **श्री वाई०जी० महाजन :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख के अनुसार महाराष्ट्र के जलगांव जिले में कितने दूरभाष केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) उनमें से कितने दूरभाष केन्द्र पिछले एक माह से बेकार पड़े हैं;

(ग) सरकार द्वारा उन्हें कार्यशील बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) 30.6.2001 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र के जलगांव जिले में 209 टेलीफोन एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं।

(ख) शून्य

(ग) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में वन कटाई

1120. **श्रीमती हेमा गमांग :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान उड़ीसा के कोरापुट और रायगडा जिलों में बड़े पैमाने पर वन कटाई पर नियंत्रण करने और रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : भारत सरकार के एक संगठन, भारतीय वन सर्वेक्षण (एफ०एस०आई०) द्वारा हर दो वर्ष बाद देश के वनावरण को मानीटर किया जाता है। वर्ष 2000 में प्रकाशित भारतीय वन सर्वेक्षण की नवीनतम "वन स्थिति रिपोर्ट (1999)" के अनुसार कोरापुट के वन आवरण में वर्ष 1997 के मूल्यांकन की तुलना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जहां तक रायगडा का सम्बन्ध है, वहां पर वर्ष 1997 के मूल्यांकन की तुलना में वर्ष 1999 के मूल्यांकन में वनावरण में केवल 1 वर्ग कि०मी० की मामूली गिरावट आई है।

अधिक भूमि को वन/वृक्षावरण के अंतर्गत लाने के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकार द्वारा उड़ीसा में वनीकरण एवं विकास कार्यक्रम चलाए गए हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा उड़ीसा सरकार को वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान वनीकरण कार्यों के लिए क्रमशः 442.27 लाख रुपये और 987.32 लाख रुपये तथा दावानल निवारण एवं नियंत्रण हेतु क्रमशः 118.40 लाख रुपये और 38.87 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि वह वनों की सुरक्षा, संरक्षण और पुनरूद्भव में स्थानीय ग्राम वासियों को शामिल करे। स्थानीय लोगों को शामिल करके वनों की सुरक्षा हेतु राज्य सरकार को फरवरी, 2000 में संयुक्त वन प्रबंधन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा जून, 2000 में आग से वन सम्पदा की सुरक्षा के संबंध में भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

समेकित संचार नीति

1121. **श्री टी०टी०वी० दिनाकरन :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार समस्त दूरसंचार सुविधाओं के लिए एक समेकित संचार नीति विकसित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) संचार क्षेत्र में एक समेकित दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए, दूरसंचार, कम्प्यूटर, टेलीवीजन और इलेक्ट्रानिक्स की त्वरित समाभिरूपता को ध्यान में रखते हुए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के स्थान पर एक नया व्यापक विधान तैयार करने का प्रस्ताव है। मसौदा विधेयक, जिसे अभी भी अंतिम रूप दिया जा रहा है, में अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय संचार आयोग नामक एक एकल स्वायत्त सांविधिक निकाय की स्थापना की व्यवस्था है जो संचार (दूरसंचार, प्रसारण और मल्टीमीडिया सहित) के वहन और विषय वस्तु का विनियमन करेगा। मसौदा विधेयक के वर्तमान प्रावधानों के अनुसार,

आयोग को अन्य बातों के साथ-साथ लाइसेंस या पंजीकरण जारी करने, सेवाओं के लिए लाइसेंस और पंजीकरण शुल्क, प्रतिस्पर्धा, टैरिफ और दरें तय करने, स्पेक्ट्रम आबंटित करने, प्रतिस्पर्धा को सुकर करने, उपभोक्ता हितों का संरक्षण करने आदि की शक्तियां प्रदान की जायेंगी।

[हिन्दी]

अन्तर-राज्यीय बाणसागर सिंचाई परियोजना

1122. **श्री रामानन्द सिंह :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश की अन्तर-राज्यीय बाणसागर सिंचाई परियोजना के तहत नहरों के निर्माण संबंधी कितने प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है; और

(ख) शेष कार्य कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) मध्य प्रदेश में बाणसागर नहर प्रणाली का निर्माण मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है ताकि वह बाणसागर बांध में जल के अपने हिस्से का उपयोग कर सके। प्राप्त सूचना के अनुसार इस परियोजना के तहत कार्य की प्रगति इस प्रकार है :

क्र० सं०	नहर का नाम	कार्य की मद	प्रगति
1.	शिहवाल नहर	मिट्टी कार्य चिनाई	81% पूरा 32% पूरा 6% चल रहा है।
2.	पूर्वा नहर	मिट्टी कार्य	34% पूरा
3.	किउती नहर	मिट्टी कार्य	21% पूरा
4.	दायां तट नहर		आगे के छोरों में निर्माण कार्य चल रहा है।
5.	भीतरी नहर		कार्य शुरू होना है।
6.	थियोंथर लिफ्ट नहर		कार्य शुरू होना है।
7.	गढ़ मऊगंज लिफ्ट नहर		कार्य शुरू होना है।

(ख) इस परियोजना की 1991 के मूल्य स्तर पर अनुमानित लागत 344.66 करोड़ रुपये है तथा 10/2000 तक इस पर 118.29 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। अक्तूबर, 2000 तक शेष कार्यों की लागत 1991 के मूल्य स्तर पर 226 करोड़ है। वर्तमान मूल्य स्तर पर शेष कार्यों की लागत लगभग 500 करोड़ रुपये है। इस परियोजना का कार्यान्वयन राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त निधियों का प्रावधान करने पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

विदेशों से सहायता प्राप्त सिंचाई परियोजनाएं

1123. **श्री सी०पी० राधाकृष्णन :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विदेशों से सहायता प्राप्त प्रत्येक जल संसाधन परियोजना में कुल कितना-कितना निवेश किया गया है;

(ख) क्या विदेशी सहायता का पूर्ण उपयोग किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और निधियों का पूर्ण उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) इस समय देश में 20 जल संसाधन परियोजनाएं विदेशी सहायता से क्रियान्वित की जा रही हैं। प्रत्येक परियोजना में किया गया कुल निवेश और बाह्य सहायता के उपयोग की स्थिति संलग्न विवरण में दशाई गई है।

जल राज्य का विषय होने के कारण, जल संसाधन परियोजनाओं की आयोजना, वित्त पोषण एवं कार्यान्वियन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। बाह्य सहायता, सामान्य राज्यों के मामलों में 70% ऋण तथा 30% अनुदान तथा विशेष श्रेणी के राज्यों के मामले में 90% अनुदान तथा 10% ऋण अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में भारत की राज्य सरकारों को दिया जाता है। राज्य सरकारें पहली बार अपनी योजना निधियों से व्यय करती हैं तथा उसके बाद उस धन राशि की प्रतिपूर्ति वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग से प्राप्त करती हैं। राज्य योजना में पर्यापत आबंटन न होने के कारण कुछ परियोजनाओं का कार्य निर्धारित समय के अनुसार नहीं हो पा रहा है। सहायता राशि के कम उपयोग के अन्य कारण भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय मामलों में हुए विलम्ब तथा अन्य प्रशासनिक कारण हैं।

बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की प्रगति भारत सरकार, दाता अभिकरण तथा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। इन परियोजनाओं की सहायता राशि का पूरा उपयोग करने के लिए इन परियोजनाओं का कार्यान्वियन तेज करने के वास्ते उच्च स्तर पर कार्यान्वित अभिकरणों पर जोर डाला जाता है।

विवरण

क्र० सं०	राज्य	परियोजना का नाम	दाता अभिकरण	समझौत पर हस्ताक्षर/पूरा होने की निर्धारित तारीख	परियोजना की कुल लागत (करोड़ रु० में)	सहायता की राशि (मिलियन दाता मुद्रा)	31.5.2001 तक प्राप्त प्रतिपूर्ति (मिलियन दाता मुद्रा)	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	(i) आन्ध्र प्रदेश-III सिंचाई परियोजना	विश्व बैंक	03.06.1997 31.01.2003	203.956	325.00 अमेरिकी डालर	113.966 अमेरिकी डालर	चल रही है।
		(ii) आंध्र प्रदेश आर्थिक पुनर्संरचना परियोजना	विश्व बैंक	03.01.1999 31.3.2004	1115.085	170.00 अमेरिकी डालर	53.200 अमेरिकी डालर	चल रही है।
		(iii) के०सी० नहर परियोजना का आधुनिकीकरण	जे०बी० आई०सी०, जापान	25.01.1996 26.3.2003	1033.74	16049.00 येन	3276.470 येन	चल रही है।
		(iv) अपवेल सिंचाई परियोजना	नीदरलैंड	14.11.1994 14.11.2002	73.00	26.847 एन०एल०जी०	12.282 एन०एल०जी०	चल रही है।
2.	गुजरात	(v) हाइड्रोप्लस फयूजगेट प्रणाली	फ्रांस	10.12.1998 31.12.2001	40.28	34.74 एफ०एफ०	31.700 एफ०एफ०	चल रही है।
3.	हरियाणा	(vi) हरियाणा जल संसाधन समेकन परियोजना	विश्व बैंक	06.04.1994 31.12.2001	1432.998	209.700 अमेरिकी डालर	185.492 अमेरिकी डालर	चल रही है।
4.	केरल	(vii) सामुदायिक सिंचाई परियोजना	नीदरलैंड	15.12.1993 30.6.2000	16.32	2.328 एन०एल०जी०	2.149 एन०एल०जी०	विस्तार के लिए प्रस्तावित।
		(viii) केरल लघु सिंचाई परियोजना	ई०ई०सी०	21.05.1992 31.12.2001	60.00	11.80 ई०सी०यू०	3.390 ई०सी०यू०	चल रही है।
5.	महाराष्ट्र	(ix) महाराष्ट्र लघु सिंचाई परियोजना	केएफडब्ल्यू, जर्मनी	31.12.1998 31.12.2006	115.79	45.00 डी०एम०	0.467 डी०एम०	चल रही है।
		(x) लवण भूमि सुधार परियोजना-II	ई०ई०सी०	11.7.1995 31.12.2005	79.02	15.5 ई०सी०यू०	0.00 ई०सी०यू०	चल रही है।
6.	मध्य प्रदेश	(xi) राजघाट नहर परियोजना	जे०बी० आई०सी० जापान	25.02.1997 31.03.2002	523.41	13222.00 येन	3108.700 येन	चल रही है।
7.	मणिपुर	(xii) भूजल अन्वेषण परियोजना	फ्रांस	23.11.1998 31.12.2001	2.94	4.53 एफ०एफ०	4.621 एफ०एफ०	चल रही है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	उड़ीसा	(xiii) उड़ीसा जल संसाधन समेकन परियोजना	विश्व बैंक	05.01.1996 30.09.2002	1395.29	290.90 अमेरिकी डालर	154.596 अमेरिकी डालर	चल रही है।
		(xiv) रेंगाली सिंचाई परियोजना	जे०बी० आई०सी० जापान	12.12.1997 05.02.2003	510.90	7760.00 येन	3065.30 येन	चल रही है।
		(xv) लिफ्ट सिंचाई परियोजना	के०एफ० डब्ल्यू० जर्मनी	19.02.1993 31.12.2000	119.55	50.00 डी०एम०	40.57 डी०एम०	विस्तार के लिए प्रस्तावित
		(xvi) उड़ीसा लघु सिंचाई परियोजना	ई०ई०सी०	03.07.1995 31.12.2004	50.80	10.70 ई०सी०यू०	1.108 ई०सी०यू०	चल रही है।
9.	पांडिचेरी	(xvii) टैंक सिंचाई प्रणाली का आधुनिकीकरण	ई०ई०सी०	21.02.1997 31.12.2004	32.84	6.65 ई०सी०यू०	0.72 ई०सी०यू०	चल रही है।
10.	राजस्थान	(xviii) सिधमुख और नोहर सिंचाई परियोजना	ई०ई०सी०	07.06.1993 31.12.2001	186.00	45.00 ई०सी०यू०	34.229 ई०सी०यू०	चल रही है।
11.	तमिलनाडु	(xix) तमिलनाडु जल संसाधन समेकन परियोजना	विश्व बैंक	22.09.1995 31.03.2002	905.00	282.90 अमेरिकी डालर	125.831 अमेरिकी डालर	चल रही है।
12.	बहुराज्यीय	(xx) जलविज्ञान परियोजना	विश्व बैंक	22.09.1995 31.03.2002	600.08	122.4 अमेरिकी डालर	58.120 अमेरिकी डालर	चल रही है।

[हिन्दी]

गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा/विस्तार/मरम्मत किया जाना

1124. श्री मानसिंह पटेल : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के उन राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्यौरा क्या है जिन्हें चौड़ा, विस्तार और मरम्मत किए जाने का काम फरवरी, 1997 में शुरू किया गया था और आज तक जारी है;

(ख) गुजरात से गुजरने वाले शेष राष्ट्रीय राजमार्गों के संबंध में उपरोक्त कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(ग) इन कार्यों पर कितनी राशि खर्च किए जाने का अनुमान था और वस्तुत: कितनी राशि खर्च की गई है ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) गुजरात में ऐसा कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है जिसे चौड़ा करने/जिसका विस्तार और मरम्मत कार्य फरवरी, 1997 में शुरू किया गया और अब तक चल रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पोर्ट ब्लेयर में अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा

1125. श्री चन्द्र विजय सिंह : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अण्डमान-निकोबार द्वीप के पर्यटक स्थल पोर्ट ब्लेयर में अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे पर एक सिविल एन्क्लेव का अनुरक्षण कार्य करता है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने हाल ही में 19.83 करोड़ रुपए की लागत से 400 यात्रियों की आवश्यकताओं को एक ही समय में पूरा करने के लिए एक नये टर्मिनल भवन का निर्माण किया है। अण्डमान और निकोबार प्रशासन द्वारा धावनपथ का 11000 फुट तक विस्तार करने

का कार्य प्रगति पर है और इसके मार्च, 2002 तक पूरा हो जाने की आशा है। इन सुविधाओं को सम्भावित (आशातीत) यातायात की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझा गया है।

[हिन्दी]

टेलीफोन कनेक्शन

1126. डा० बलिराम : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और मुंबई में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड एक सप्ताह के भीतर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने संबंधी प्रचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में टेलीफोन लगाने/स्थानान्तरित करने संबंधी जारी ओ०बी० पत्र 15 से 30 दिन तक पड़े रहते हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार के अनुदेशों का उल्लंघन करने के लिए जिम्मेवार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) एम०टी०एन०एल०, दिल्ली सीमित समयावधि के लिए कुछ क्षेत्रों में 7 दिनों के भीतर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है।

(ग) तकनीकी रूप से व्यवहार्य सभी क्षेत्रों में शिफ्टिंग/संस्थापना सामान्यत: 15 दिनों की निर्धारित सीमा के भीतर की जाती है। तकनीकी रूप से अव्यवहार्य क्षेत्रों में अधिक समय लगता है।

(घ) टेलीफोन प्रदान करने/शिफ्टिंग में जानबूझ कर विलम्ब के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाती है।

केबल की कमी

1127. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के काम में केबल और एस०डी०पी०ई० पाइप आदि की कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो आज की तारीख में प्रत्येक राज्य की मांग और आपूर्ति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए क्या उपाय किए है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) आप्टिकल फाइबर केबल और एच०डी०पी०ई० पाइप की राज्यवार मांग/आबंटन संलग्न विवरण-I में और सप्लाई-स्थिति संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) वर्ष 2001-2002 के लिए निविदा के माध्यम से आप्टिकल फाइबर केबल के प्रापण की प्रक्रिया चल रही है। एच०डी०पी०ई० पाइप के प्रापण के लिए दूरसंचार सर्किलों द्वारा पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय (डी०जी०एस० एंड डी०) की ठेका दरों पर आपूर्तिकर्ताओं को आदेश दिए गए हैं।

विवरण-I

वर्ष 2001-2002 के लिए आप्टिकल फाइबर केबल और एच०डी०पी०ई० पाइप की मांग और आबंटन

क्रम सं०	दूरसंचार सर्किल	ओ०एफ०सी० (कि०मी० में)	एच०डी०पी०ई० पाइप (कि०मी० में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	6500	2879
2.	अंडमान निकोबार	130	150
3.	असम	643	372
4.	बिहार	4224	4924
5.	झारखंड	1275	1172
6.	गुजरात	7000	12459
7.	हरियाणा	1651	1250
8.	हिमाचल प्रदेश	1835	2100
9.	जम्मू और कश्मीर	900	668
10.	कर्नाटक	6990	7342
11.	केरल	1600	1600
12.	मध्य प्रदेश	8588	11283
13.	छत्तीसगढ़	3360	3360
14.	महाराष्ट्र, गोवा	11500	12974
15.	उत्तर पूर्व-I (मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा)	555	733
16.	उत्तर पूर्व-II (अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एवं नागालैंड)	295	225
17.	उड़ीसा	3050	3040
18.	पंजाब	4186	4197

1	2	3	4
19.	राजस्थान	9750	12886
20.	तमिलनाडु	4000	700
21.	उत्तर प्रदेश (पू०)	12400	13799
22.	उत्तर प्रदेश (प०)	1990	2220
23.	उत्तरांचल	1150	950
24.	पश्चिम बंगाल, सिक्किम	4800	1657
25.	चेन्नई (टी०डी०)	700	350
26.	कोलकाता (टी०डी०)	694	350
	कुल	99766	103640

#उपर्युक्त के अतिरिक्त, अंतः राज्य/सर्किल लम्बी दूरी नेटवर्क के लिए निम्नलिखित आबंटन परियोजना सर्किलों को दिए गए हैं :

पूर्वी दूरसंचार परियोजनाएं	3500	4000
उत्तरी दूरसंचार परियोजनाएं	5000	8000
पश्चिम दूरसंचार परियोजनाएं	5820	7500
दक्षिणी दूरसंचार परियोजनाएं	7000	8500
पूर्वोत्तर टास्क फोर्स	364	364

विवरण-II

वर्ष 2001-2002 के लिए आप्टिकल फाइबर केबल और एच०डी०पी०ई० पाइप की आपूर्ति की स्थिति

क्रम सं०	दूरसंचार सर्किल	ओ०एफ०सी० (कि०मी० में)	एच०डी०पी०ई० पाइप (कि०मी० में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	975	2800
2.	अंडमान निकोबार	0	0
3.	असम	0	236
4.	बिहार	700	305
5.	झारखंड	0	702
6.	गुजरात	8196	5809
7.	हरियाणा	350	231
8.	हिमाचल प्रदेश	0	0
9.	जम्मू और कश्मीर	0	0
10.	कर्नाटक	1355	2995
11.	केरल	0	454
12.	मध्य प्रदेश	0	4007
13.	छत्तीसगढ़	0	0
14.	महाराष्ट्र, गोवा	1124	279
15.	उत्तर पूर्व-I (मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा)	0	487
16.	उत्तर पूर्व-II (अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एवं नागालैंड)	0	0
17.	उड़ीसा	100	1047
18.	पंजाब	200	376
19.	राजस्थान	0	3952
20.	तमिलनाडु	300	894
21.	उत्तर प्रदेश (पू०)	3250	4420
22.	उत्तर प्रदेश (प०)	0	0
23.	उत्तरांचल	0	0
24.	पश्चिम बंगाल, सिक्किम	200	0
25.	चेन्नई (दू० जिला)	0	0
26.	कोलकाता (दू० जिला)	0	35
	कुल	16750	31776

#उपर्युक्त के अतिरिक्त, अंतः राज्य/सर्किल लम्बी दूरी नेटवर्क के लिए निम्नलिखित सप्लाई परियोजना सर्किलों को दी गई थी।

पूर्वी दूरसंचार परियोजनाएं	0	2751
उत्तरी दूरसंचार परियोजनाएं	0	5886
पश्चिम दूरसंचार परियोजनाएं	500	1249
दक्षिणी दूरसंचार परियोजनाएं	274	2056
पूर्वोत्तर टास्क फोर्स	0	0

राष्ट्रीय राजमार्गों की दुर्दशा

1128. श्रीमती जसकौर मीणा : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के विशेषतः राजस्थान के राष्ट्रीय राजमार्ग खस्ता हाल में हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्ष के दौरान राज्य-वार कुल कितना व्यय किया गया;

(घ) क्या इसके परिणामस्वरूप पर्यटक राज्यों में पर्यटन हेतु आने के लिए आकर्षित नहीं होते;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश में विशेषत: राजस्थान में इस कार्य के लिए 'सड़क पैकेज' जारी करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) और (ख) अभी हाल की वर्षा/बाढ़ से प्रभावित राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों और नव घोषित राष्ट्रीय राजमार्गों जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, को छोड़कर राजस्थान सहित देश में राष्ट्रीय राजमार्गों को सामान्यत: उपलब्ध संसाधनों के अंतर्गत यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार किया गया कुल व्यय संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) से (छ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण/विकास और अनुरक्षण पर व्यय

(लाख रु०)

क्रम सं०	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	1998-99	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	8094.01	10377.58	16652.42
2.	असम	3800.32	5837.96	8626.76
3.	बिहार	6575.57	15232.67	11900.44
4.	चंडीगढ़	116.22	192.23	167.32
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	1357.05
6.	दिल्ली	1435.36	689.23	337.67
7.	गोवा	1789.62	2718.83	2700.12
8.	गुजरात	9798.78	12449.89	11234.37
9.	हरियाणा	7873.52	4730.66	6847.24
10.	हिमाचल प्रदेश	4756.01	5931.16	7240.35
11.	जम्मू और कश्मीर	10.66	24.90	135.01
12.	झारखंड	0.00	0.00	1960.59
13.	कर्नाटक	6345.87	13499.17	13076.16
14.	केरल	10666.26	13209.01	7476.94
15.	मध्य प्रदेश	11095.54	8486.68	14356.15
16.	महाराष्ट्र	16046.41	20022.25	16977.06
17.	मणिपुर	1193.58	1479.50	1222.93
18.	मेघालय	1531.53	2187.45	2437.89
19.	मिजोरम	0.00	821.31	1747.93
20.	नागालैंड	593.77	1907.80	1847.69
21.	उड़ीसा	11911.75	10145.55	10540.93
22.	पांडिचेरी	104.36	433.54	269.85
23.	पंजाब	9089.93	1657.78	4114.56
24.	राजस्थान	7657.70	11195.06	12713.36
25.	तमिलनाडु	7222.60	18906.00	14836.40
26.	त्रिपुरा	0.00	24.00	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	16729.39	20290.67	21078.15
28.	उत्तरांचल	0.00	0.00	533.07
29.	पश्चिम बंगाल	11124.23	10255.94	11376.65

कानपुर-इलाहाबाद के बीच गंगा की सफाई

1129. **राजकुमारी रत्ना सिंह :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर और इलाहाबाद के बीच गंगा नदी बहुत प्रदूषित हो गई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने गंगा की सफाई के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ग) कानपुर और इलाहाबाद के बीच गंगा नदी की सफाई पर कितनी राशि खर्च की गई है और उन शीर्षों का ब्यौरा क्या है जिनके तहत यह राशि खर्च की गई है;

(घ) क्या सरकार को इस संबंध में अनियमितताओं के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इन पर क्या कार्यवाही की है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) गंगा नदी का कानपुर और इलाहाबाद के बीच का क्षेत्र नदी में नगरीय अपशिष्ट और औद्योगिक अपशिष्ट जल निस्तारण के कारण प्रदूषित है। सरकार गंगा नदी के प्रदूषण को रोकने के लिए कानपुर और इलाहाबाद सहित विभिन्न शहरों में गंगा कार्य योजना का कार्यान्वयन कर रही है। गंगा कार्य योजना में शुरू किए गए कार्यों में नदी में बहने वाले अपशिष्ट जल का अवरोधन, दिशा परिवर्तन और शोधन, अल्प लागत शौचालय, शवदाहगृह, नदी तटाग्र विकास और अन्य सम्बद्ध कार्य शामिल है। औद्योगिक प्रदूषण की पर्यावरणीय कानूनों के अंतर्गत निगरानी और नियंत्रण किया जाता है। यद्यपि गंगा कार्य योजना चरण-I के अंतर्गत दोनों शहरों का काम पहले ही पूरा हो चुका है तथापि गंगा कार्य योजना चरण-II के अंतर्गत कार्यों का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

(ग) कानपुर और इलाहाबाद में गंगा नदी के प्रदूषण निवारण के लिए जून 2001 तक खर्च की गई राशि का शीर्षवार विवरण नीचे दिए अनुसार है :—

शहर	सीवरेज स्कीमें	सीवेज शोधन संयंत्र	अल्प लागत शौचालय	शवदाह गृह	नदी तटाग्र सुविधाएं	अन्य	जोड़
गंगा कार्य योजना चरण-I							
कानपुर	1326.23	5182.23	257.88	77.22	—	353.98	7197.54
इलाहाबाद	800.22	1670.62	174.21	47.11	209.91	120.27	3022.34
गंगा कार्य योजना चरण-II							
कानपुर	1220.14	151.26	147.59	—	—	779.77	2298.76
इलाहाबाद	491.96	—	—	—	—	—	491.96
जोड़	3838.55	7004.11	579.68	124.33	209.91	1254.02	13010.60

(घ) सरकार को गंगा कार्य योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

छत्तीसगढ़ की भैंसाझल जलाशय परियोजना

1130. श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिलासपुर (छत्तीसगढ़) में भैसाझल जलाशय परियोजना के निर्माण का अनुमोदन कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त परियोजना का अनुमोदन कब तक कर दिए जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) केन्द्रीय जल आयोग को तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए भैंसाझाल जलाशय परियोजना का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिला में स्थित भैंसाझाल के समीप अर्पा परियोजना 32.13 करोड़ रुपये से वर्ष 1979 में योजना आयोग द्वारा अनुमोदित की गई थी। इसका 265.71 करोड़ रुपये से संशोधित लागत प्राक्कलन सितम्बर, 1992 में केन्द्रीय जल आयोग को प्राप्त हुआ था। उसकी जांच की गई तथा टिप्पणियां अनुपालन करने के लिए राज्य सरकार को भेजी गई थीं। राज्य सरकार ने अभी संशोधित रिपोर्ट केन्द्रीय जल आयोग को नहीं भेजी है।

(ग) परियोजना की स्वीकृति, राज्य सरकार द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की तत्काल अनुपालना करने पर निर्भर करती है।

[अनुवाद]

पेंशन संशोधन

1131. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के कर्मचारी भविष्य निधि पेंशनभोगी संघ ने केन्द्र सरकार को पेंशन संशोधन और पेंशनभोगियों की कुछ अन्य मांगों के संबंध में एक ज्ञापन दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एसोसिएशन ने मांग की है कि पेंशनभोगियों को सेवानिवृत्ति के समय या तो वेतन का आधा अथवा 2,500/-रुपये निर्वाह व्यय सूचकांकों पर आधारित आवधिक महंगाई भत्ता वृद्धि, जैसाकि औद्योगिक कामगारों के मामले में लागू है, का भुगतान किया जाए, पेंशन लाभों को निर्धारित करने के लिए, पेंशनभोगी द्वारा की गई कुल सेवा तथा लिए गए अंतिम वेतन पर विचार किया जाए, चिकित्सा

भत्ते के रूप में प्रतिवर्ष एक माह की पेंशन का भुगतान हो तथा त्यौहार भत्ते का भुगतान किया जाए।

न्यूनतम पेंशन निधि की शोधनक्षमता और बीमांककीय गणना पर निर्भर करता है। न्यूनतम पेंशन में किसी वृद्धि को पेंशन निधि परिणामों के वार्षिक मूल्यांकन के साथ जोड़ा जाता है।

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत पेंशन को निर्वाह लागत सूचकांक पर आधारित महंगाई भत्ते के साथ नहीं जोड़ा जाता। तथापि, कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में कर्मचारी पेंशन निधि के वार्षिक मूल्यांकन का प्रावधान है। 16.11.1995 से 15.11.1996, 16.11.1996 से 31.3.1998 और 1.4.1998 से 31.3.1998 की अवधि के पिछले तीन मूल्यांकनों में क्रमशः 4 प्रतिशत, 5.5 प्रतिशत और 4 प्रतिशत राहत प्रदान की गई।

कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 तथा कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत कुल सदस्यता अवधि को कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत पेंशनी लाभों के लिए पात्रता अवधि समझा जाता है। पेंशन की राशि विगत सेवा और पेंशन योग्य सेवा के संबंध में परिकलित पेंशन का कुल योग है।

कर्मचारी पेंशन योजना में त्यौहार और चिकित्सा भत्ता दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

गांवों में टेलीफोन कनेक्शन

1132. **श्री पवन कुमार बंसल : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सभी गांवों में टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने संबंधी लक्षित कार्यक्रम को धक्का लगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) सरकार 2002 तक देश के सभी गांवों में टेलीफोन सुविधा प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। 30.6.2001 तक 607,491 गांवों में से कुल 410,422 गांवों में टेलीफोन सुविधा प्रदान कर दी गई है। चालू वर्ष के लिए बी०एस०एन०एल० का वी०पी०टी० का लक्ष्य 143,255 है। बकाया वी०पी०टी० निजी बुनियादी सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान किए जाने हैं।

इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण नेटवर्क में बड़े पैमाने पर वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यू०एल०एल०) प्रणाली शामिल की जा रही है। चालू वित्त वर्ष के लिए डब्ल्यू०एल०एल० प्रणाली की 600के लाइनों के प्रापण के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। उपस्कर की सप्लाई शुरू कर दी गई है।

इंस्ट्रयूमेंट लैंडिंग सिस्टम कैटेगरी-III

1133. **श्रीमती रेनु कुमारी : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमान चालक इस्ट्रयूमेंट लैंडिंग सिस्टम (आई०एल०एस०) कैटेगरी-III के संचालन के प्रशिक्षित नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मौजूदा विमान भी कैटेगरी-III के तहत उतरने के लिए उपयुक्त नहीं हैं;

(घ) आई०एल०एस० कैटेगरी-III के प्रतिस्थापन पर कितना धन खर्च किया गया है;

(ङ) ऐसे हवाई अड्डों का ब्यौरा क्या है, जहां आई०एल०एस० कैटेगरी-II नहीं है, और

(च) हमारे विमान चालकों को कैटेगरी-III के तहत विमान उतारने का प्रशिक्षण देने और तद्नुसार विमानों का उन्नयन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) इस समय एअर इंडिया, इंडियन एयरलाइन्स और जेट एयरवेज के विमानचालकों को इंदिरा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली से/के लिए उपकरण अवतरण प्रणाली श्रेणी-II प्रचालनों के लिए अनुमोदित किया गया है। विमानचालकों द्वारा अनिवार्य प्रशिक्षण पूरा कर लेने और नागर विमानन महानिदेशक द्वारा निर्धारित अनुभव पा लेने के बाद, श्रेणी-III उपकरण अवतरण प्रचालन वाले प्रचालनों के लिए अनुमोदित किया जाएगा।

(ग) एयरबस ए-320 बी 2/बी 4 विमानों का प्रचालन इंडियन एयरलाइन्स द्वारा किया जाता है। बोइंग 737-200 विमानों का प्रचालन एलाइंस एयर द्वारा किया जाता है। बोइंग 737-400/700/800 विमानों का प्रचालन सहारा इंडिया एयरलाइन्स द्वारा और बोइंग-747-200/300 विमानों और एयरबस 300 विमानों का प्रचालन एअर इंडिया द्वारा किया जाता है और ये उपकरण अवतरण प्रणाली श्रेणी-III प्रचालनों के लिए अनुमोदित नहीं है।

(घ) इंदिरा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उपकरण अवतरण प्रणाली श्रेणी-III ए प्रणाली के संस्थापना और प्रचालनात्मक किये जाने पर लगभग 50 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है। इसमें धावनपथ पर पुनः कारपेटिंग का व्यय भी सम्मिलित है।

(ङ) इस समय किसी भी हवाई अड्डे पर उपकरण प्रणाली श्रेणी-II उपलब्ध नहीं है।

(च) नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं के अनुरूप अपने विमानचालकों को प्रशिक्षण देने तथा अपने विमानों का दर्जा बढ़ाने के लिए, एयरलाइनों द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं। नये विमानों में सामान्यतया श्रेणी-III उपकरण अवतरण प्रणाली लगी हुई है।

[हिन्दी]

ओलम्पिक खेलों में कबड्डी/खो-खो को शामिल किया जाना

1134. **श्री उत्तमराव ढिकले :** क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कबड्डी और खो-खो जैसे भारतीय खेलों को आगामी ओलम्पिक खेलों में शामिल कराने के लिए कोई प्रयास कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बहुमूल्य और संकटापन्न वन्यजीवों को राजनयिक स्तर पर उपहार स्वरूप दिया जाना

1135. **श्री रामजीवन सिंह :**
श्री दिनेश चन्द्र यादव :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजनयिक स्तर पर दूसरे देशों को बहुमूल्य और संकटापन्न वन्यजीवों को उपहार के रूप में दिए जाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्ष के दौरान अन्य देशों को ऐसे कितने उपहार दिए गए और प्राप्त हुए और इस आदान-प्रदान वाले सरंक्षित/संकटापन्न वन्य जीव और देश कौन-कौन से है;

(ग) इस प्रकार की नीति/प्रचलन के पीछे क्या औचित्य है; और

(घ) स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (घ) भारत समय-समय पर विदेशों को सद्भावना-प्रकट करने के रूप में वन्य जीवों को राजनयिक उपहारों के रूप में देता रहा है। इन उपहारों का प्रमुख उद्देश्य, उन्हें प्राप्त करने वाले देश के लोगों को भारत के वन्य प्राणियों के बारे में शिक्षा देना और जागरूक बनाना है। प्रकृति संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संघ ने भी इस प्रकार के उपहारों की अपरिहार्यता को स्वीकार किया है तथा इस विषय पर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिनका कड़ाई से अनुपालन किया जाता है। वन्यजीवों को उपहार स्वरूप देने से प्रजातियों के संरक्षण पर कोई असर नहीं पड़ता है क्योंकि राजनयिक उपहारों के प्रयोजनार्थ किसी भी जानवर को जंगल से नहीं पकड़ा जाता। हालांकि जंगल से बचाए गए जानवर, जिन्हें चिड़ियाघरों में लाया जाता है उन्हें अमूल्य आनुवंशिक संसाधन समझा जाता है तथा उनका निर्यात करने अथवा उपहार देने की अनुमति नहीं दी जाती। भारत सरकार द्वारा पिछले 3 वर्षों के दौरान राजनयिक उपहार के रूप में दिए गए और प्राप्त किए गए वन्यजीवों संबंधी विवरण निम्नलिखित हैं :—

क्र० सं०	स्वीकृति संबंधी वर्ष	राजनयिक उपहार प्रदान करने वाले पदाधिकारी का नाम	दानकर्ता चिड़ियाघर का नाम	दिया गया जानवर (पुल्लिंग : स्त्रीलिंग)	प्राप्तकर्ता चिड़ियाघर एवं देश
01.	1998-1999	भारत के राष्ट्रपति	नन्दनकानन चिड़ियाघर भुवनेश्वर उड़ीसा	हाथी (0 : 1)	इजमीर* चिड़ियाघर तुर्की
02.	1999-2000	रक्षा मंत्री, भारत सरकार	असम राज्य चिड़ियाघर गोहाटी	हाथी (0 : 1)	उनेव चिड़ियाघर जापान
		विदेश मंत्रालय, भारत सरकार	राष्ट्रीय प्राणि उद्यान	पी-फॉल्स (2 : 2)	राष्ट्रीय चिड़ियाघर, ढाका
03.	2000-2001	विदेश मंत्रालय, भारत सरकार	एम०सी० प्राणि उद्यान, छतबीर, पंजाब	बंगाल टाइगर (1 : 1)	त्रिपोली चिड़ियाघर, लिबिया

क्र० सं०	प्राप्ति का वर्ष	विदेशी चिड़ियाघर/विदेशी पदाधिकारी का नाम	दिए गए जानवर	प्राप्तकर्ता भारतीय चिड़िया घर का नाम
01.	1998-1999	जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति	अफ्रीकन हाथी (1 : 1)	दिल्ली चिड़ियाघर

नालकों में एल्युमिनियम का उत्पादन

1136. **श्री प्रभात सामन्तराय :** क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड (नालकों) में एल्यूमिनियम के उत्पादन की स्थापित क्षमता कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी क्षमता का उपयोग किया गया;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान नालकों में कितने उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया और लक्ष्य को किस सीमा तक हासिल किया गया; और

(घ) नालकों ने अपना उत्पादन और निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंग राव गायकवाड़ पाटील) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, नालकों में एल्युमिनियम की स्थापित क्षमता, क्षमता उपयोग, उत्पादन के निर्धारित लक्ष्य एवं प्राप्ति, निम्नवत हैं :–

(आंकड़े मीट्रिक टन में)

वर्ष	स्थापित क्षमता	लक्ष्य	उत्पादन (उपयोगिता क्षमता)
1998-99	2,30,000	2,18,000	1,46,206 (63.56%)
1999-2000	2,30,000	2,18,000	2,12,663 (92.46%)
2000-2001	2,30,000	2,18,000	2,30,516 (100.22%)

(घ) नालको अपना उत्पादन तथा निर्यात बढ़ाने के लिए, फिलहाल, अपने विस्तार कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रहा है जिससे इसकी धातु उत्पादन क्षमता 2,30,000 मी० टन से बढ़कर 3,45,000 मी० टन हो जाएगी। परियोजना को मई, 2002 तक पूरा किया जाना है। एल्युमिनियम का निर्यात वर्ष 1999-2000 में 95,185 मी० टन से बढ़कर वर्ष 2000-2001 में 1,18,869 मी० टन हो गया है।

सीधी टेलीफोन सुविधा

1137. **श्री दिनेश चन्द्र यादव :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही की नीति के अनुसार 200 कि०मी० की परिधि के अंदर आने वाले शहरों को सीधी टेलीफोन सेवा प्रदान की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त सुविधा कोसी-मथुरा और आगरा के बीच उपलब्ध है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो यह सुविधा कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) नीति के अनुसार इन्ट्रा सर्किल कॉलों और दिल्ली कम दूरी प्रभारण क्षेत्र तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित कम दूरी प्रभारण क्षेत्र के बीच 200 कि०मी० तक के ''0'' रहित सीधी डायलिंग सुविधा की शुरूआत की गई है।

(ख) जी, हां। कोसी-मथुरा और आगरा के बीच ''0'' रहित सीधी डायलिंग सुविधा उपलब्ध है।

(ग) ब्यौरे निम्नानुसार हैं :–

	कॉलों के लिए	डायलिंग प्रक्रिया
(i)	कोसी से आगरा तक	95 + आगरा का क्षेत्रीय कोड + उपभोक्ता सं०
(ii)	मथुरा से आगरा तक	-वही-
(iii)	आगरा से कोसी तक	95 + कोसी का क्षेत्रीय कोड + उपभोक्ता सं०
(iv)	आगरा से मथुरा तक	95 + मथुरा का क्षेत्रीय कोड + उपभोक्ता सं०

(घ) उपरोक्त (ग) को देखते हुए लागू नहीं होता।

क्रिकेट के बल्लों का विनिर्माण

1138. **डा० बी०बी० रमैया :** क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्रिकेट के बल्लों के विनिर्माण में 'कश्मीर विलो' सर्वाधिक मांग वाली लकड़ी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने कश्मीर में अन्तरराष्ट्रीय स्तर के बल्लों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार खेल सामग्री निर्यात संवर्धन परिषद के सहयोग से इन संभावनाओं का वास्तविक दोहन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बकाया राशियों की वसूली

1139. **श्री शीशराम सिंह रवि :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दूरसंचार सर्किलों के सेकेंडरी क्षेत्र (एस०एस०ए०) किराया शुल्क और गैर बिलिंग लाइसेंस शुल्क की वसूली नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामले प्रकाश में आए हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप सरकार को कितनी हानि हुई है; और

(घ) ई०पी०ए०बी०एक्स०/पी०ए०एक्स०/पी०मी०ओ०/आई०एस०डी०/एस०टी०डी० उपभोक्ताओं से बकाया शुल्क की वसूली के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां। कुछ सर्किलों में, कुछ मामलों में किराये की वसूली नहीं की गयी। लाइसेंस शुल्क की वसूली दूरसंचार विभाग मुख्यालय द्वारा की जाती है न कि सेकंडरी स्विचन क्षेत्रों द्वारा।

(ख) ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में मामलों की संख्या	—	874
भारत संचार निगम लिमिटेड में मामलों की संख्या	—	6333
योग	—	7207

(ग) उपरोक्त मामलों में राशि निम्न थी :—

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	—	48,39,831 रुपये
भारत संचार निगम लिमिटेड	—	7.10 करोड़ रुपये

तथापि, संपूर्ण राशि की वसूली हो जाने की संभावना है। इस तरह सरकार को कोई वास्तविक हानि नहीं हुई है।

(घ) इस संबंध में निम्न कदम उठाये गये हैं :—

(i) चूककर्ताओं के टेलीफोन तुरंत काट दिये जाते हैं और पार्टी के अन्य टेलीफोनों को भी काटने के लिए अभिज्ञात किया जाता है ताकि जहां कहीं अपेक्षित हो, बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित हो सके।

(ii) बकारा राशि परिसमाप्त करने के लिए सभी फील्ड इकाइयों के लिए वर्ष में दो बार लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं और इस संबंध में कार्यनिष्पादन की निगरानी की जाती है।

(iii) बकाया राशि की जल्दी वसूली के लिए कर्मचारियों हेतु हाल ही में अच्छी प्रोत्साहन राशि घोषित की गयी है।

(iv) बकाया राशि की शीघ्र परिसमाप्ति के लिए फील्ड में उच्चाधिकार प्राप्त समितियां और परिसमापक बोर्ड स्थापित किये गये हैं।

(v) प्रत्येक सर्किल की संग्रहण कुशलता की निगरानी प्रत्येक माह बी०एस०एन०एल०/एम०टी०एन०एल० के निगमित कार्यालय द्वारा की जाती है।

राष्ट्रीय राजमार्ग-2 का पथ-परिवर्तन

1140. श्री सुनील खां : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के पानागढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग-2 को चार-लेन में परिवर्तित करते समय मूल राजमार्ग को बाई पास कर पथ परिवर्तित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस कार्य पर कितना अतिरिक्त व्यय किया गया है;

(ग) क्या सरकार को उक्त पथ-परिवर्तन के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार ने क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) जी, हां।

(ख) पानागढ़ बाजार से गुजरने वाला विद्यमान मार्ग भीड़भाड़ वाला है और विद्यमान संरेखण पर सेवा सड़क के साथ चार लेन बनाने के लिए भूमि और ढांचों का अधिग्रहण करना होगा। चूंकि संपत्ति के हक का सत्यापन मुश्किल था, इससे मुकदमेबाजी और विलंब हुआ होता। बाइपास के निर्माण की लागत 45 करोड़ रु० है।

(ग) और (घ) जी, हां। बाजार क्षेत्र से होते हुए सड़क को चौड़ा करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। एक मामले में बाजार क्षेत्र से सड़क को चौड़ा करना संभव न होने की स्थिति में डी०वी०सी०/सरकारी भूमि से बाइपास के निर्माण का सुझाव दिया गया था।

(ङ) यातायात की सुविधा के लिए भीड़भाड़ वाले पानागढ़ बाजार को बाइपास करने का निर्णय लिया गया है क्योंकि बाजार क्षेत्र से होते हुए सेवा सड़क के साथ चार लेन बनाना संभव नहीं है।

तिरूपति, विजयवाड़ा विमानपत्तनों की धावन पट्टियों का विस्तार

1141. श्री बी०के० पार्थसारथी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए०ए०आई०) ने आंध्र प्रदेश में तिरूपति और विजयवाड़ा विमानपत्तनों पर बड़े विमानों के संचालन के लिए धावनपट्टी का विस्तार करने हेतु अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन विमानपत्तनों पर निर्माण कार्य पूरा किए जाने के लिए निर्धारित की गई लक्षित तिथि क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को विजयवाड़ा में लगभग 69 एकड़ भूमि और तिरूपति में 58 एकड़ भूमि दे दी है।

(ग) तिरूपति हवाई अड्डे पर, धावनपथ को 6000 फुट से बढ़ाकर 7500 फुट तक करने का कार्य पूरा हो गया है। विजयवाड़ा हवाई

अड्डे पर, वर्तमान धावनपथ का सुदृढ़ीकरण किया गया है और बी-737 श्रेणी के विमानों के प्रचालन के लिए लिंक टैक्सीपथ के साथ एक नये एप्रन का निर्माण किया गया है।

एन०एच०डी०पी० के भाग के रूप में द्रुतगामी राजमार्ग

1142. **श्री वी०एस० शिवकुमार : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एन०एच०डी०पी०) के भाग के रूप में पारस्सला (दक्षिणी सीमा) से थलपदी (उत्तरी गॉर्डन) तक द्रुतगामी राजमार्ग के संबंध में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) केरल राज्य सरकार उक्त खंड को रा०रा० विकास कार्यक्रम में शामिल करने के लिए अनुरोध करती रही है।

(ख) प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्गों को शामिल करने के राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार कर पाना संभव नहीं हो सका क्योंकि क्षेत्र और जनसंख्या, मार्गों पर यातायात, निर्माण की इष्टतम लंबाई आदि जैसे अनेक कारकों को ध्यान में रखते हुए रा०रा० विकास परियोजना के मार्ग को पहले ही अंतिम रूप दे दिया गया था। इसके अलावा केरल राज्य से गुजरने वाले सलेम-कोचीन खंड की 160 कि०मी० लंबाई पहले ही रा०रा० विकास परियोजना में शामिल है।

सिलचर-सौराष्ट्र एक्सप्रैस राजमार्ग परियोजना

1143. **श्री दिन्शा पटेल : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिलचर-सौराष्ट्र एक्सप्रैस राजमार्ग परियोजना में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या धन की अनुपलब्धता के कारण इस परियोजना में रुकावट आई थी;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस परियोजना को शीघ्र पूरा किए जाने के लिए कोई धनराशि नियत की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम राज्यों में सिलचर-पोरबंदर पूर्व-पश्चिम महामार्ग पर कुल 106 कि०मी० लम्बाई में कार्य शुरू किया गया है जिसमें से गुजरात में 10 कि०मी० लंबाई में यह कार्य पूरा कर लिया गया है। शेष खंड चरणबद्ध रूप में शुरू किए जाने हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

थालेस्सरी माहे बाई-पास

1144. **श्री ए०पी० अब्दुल्लाकुट्टी : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) थालेस्सरी माहे बाई-पास के लिए भूमि अधिग्रहण की मौजूदा स्थिति क्या है; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) और (ख) प्रस्तावित थालेस्सरी माहे बाइपास की लंबाई लगभग 18.03 कि०मी० है। भूमि अधिग्रहण चरणों में शुरू किया गया है। 7.14 कि०मी० में भूमि अधिग्रहण पूरा हो गया है और 2.602 कि०मी० में यह कार्य प्रगति पर है।

[हिन्दी]

उत्तरांचल को केंद्रीय सड़क निधि से अनुदान

1145. **श्री जय प्रकाश : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा उत्तरांचल में सड़कों की स्थिति सुधारने के लिए उसे केंद्रीय सड़क निधि से अनुदान दिए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) और (ख) वर्ष 2001-02 के दौरान राज्यीय सड़कों पर निर्माण कार्य के लिए केन्द्रीय सड़क निधि से उत्तरांचल राज्य सरकार को 11.02 करोड़ रु० आबंटित किए गए जिसमें से 3.67 करोड़ रु० पहले ही जारी कर दिए गए हैं। उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात और धनराशि जारी की जाएगी।

(ग) इस स्कीम से राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों में वृद्धि होगी।

लंबित सिंचाई परियोजनाएं

1146. **श्री रामदास आठवले : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार/वर्षवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास कितने समय से लंबित पड़े हैं;

(घ) इन प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने में हो रहे विलंब के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) केन्द्रीय जल आयोग को पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में वृहद सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित 35 प्रस्ताव तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन के लिए प्राप्त हुए हैं। इन परियोजनाओं के राज्यवार/वर्षवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) परियोजना की स्वीकृति अन्य बातों के साथ-साथ राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की तत्काल अनुपालना पर निर्भर करती है।

विवरण

क्र०सं०	परियोजनाओं का नाम	राज्य का नाम	प्राप्त होने की तिथि	श्रेणी
1	2	3	4	5
1.	वम्सधारा चरण-II व फेज-I	आन्ध्र प्रदेश	11/99	बी
2.	नेत्तमपादु लिफ्ट सिंचाई स्कीम	आन्ध्र प्रदेश	11/2000	ए
3.	कलवा कुरथी लिफ्ट सिंचाई स्कीम	आन्ध्र प्रदेश	11/2000	ए
4.	पुनपुन बराज	बिहार	5/2000	ए
5.	ऊपरी महानन्दा सिंचाई स्कीम	बिहार	5/2001	ए
6.	रेवाड़ी सिंचाई स्कीम चरण-II	हरियाणा	5/99	सी
7.	कन्हर जलाशय परियोजना	झारखण्ड	11/98	ए
8.	उत्तर किओर जलाशय	झारखण्ड	5/99	ए
9.	कोनार सिंचाई	झारखण्ड	7/99	बी
10.	सिंगतलुर (हुलीगुड्डा) लिफ्ट सिंचाई स्कीम	कर्नाटक	7/98	ए.
11.	हेलोन सिंचाई परियोजना	मध्य प्रदेश	1/2000	ए
12.	मध्य प्रदेश जल संसाधन समेकन परियोजना	मध्य प्रदेश	1/2000	सी
13.	तराली	महाराष्ट्र	7/98	सी
14.	उदुमोदी	महाराष्ट्र	11/98	सी
15.	निरादेवघर	महाराष्ट्र	1/86 2/99	सी
16.	भामा अशखेद	महाराष्ट्र	3/99	सी
17.	सिनावोलेगांव	महाराष्ट्र	10/99	सी
18.	धोम बाल्कवाड़ी टनल परियोजना	महाराष्ट्र	3/2000	सी
19.	तेमघर बहुउद्देश्यीय परियोजना	महाराष्ट्र	8/2000	सी
20.	ऊपरी इन्द्रावती विस्तार परियोजना ई०आर०एम०	उड़ीसा	9/98	बी
21.	ऊपरी कोलाब विस्तार परियोजना	उड़ीसा	9/98	बी
22.	तालाडंडा नहर और वितरणी सं० 12 की प्रणाली में सुधार-ई०आर०एम०	उड़ीसा	9/99	ए

1	2	3	4	5
23.	हीराकुड वितरण प्रणाली संबंधी ससोन नहर प्रणाली का सुधार-ई०आर०एम०	उड़ीसा	1/2000	बी
24.	महानदी डेल्टा चरण-I और II के अंतर्गत जल निकास विकास फेज-I	उड़ीसा	2/2000	ए
25.	आनन्दपुर बराज परियोजना	उड़ीसा	1/2001	बी
26.	होशियारपुर से बालाचौड़ तक कांडी नहर विस्तार-ई०आर०एम०	पंजाब	9/98	बी
27.	भाखड़ा मुख्य नहर को पक्का करना-ई०आर०एम०	पंजाब	6/99	बी
28.	शाहपुर कांडी बांध परियोजना (रावी परियोजना यूनिट-V)	पंजाब	2/2000	ए
29.	श्री दशमेश सिंचाई परियोजना	पंजाब	2/2001	ए
30.	राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना-ई०आर०एम०	राजस्थान	1/2001	बी
31.	इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना	राजस्थान	11/2000	सी
32.	आगरा नहर का आधुनिकीकरण-ई०आर०एम०	उत्तर प्रदेश	8/98	बी
33.	कन्हर सिंचाई	उत्तर प्रदेश	6/99	ए
34.	पूर्वी यमुना (हथिनीकुंड) संपर्क चैनल	उत्तर प्रदेश	9/99	बी
35.	कचनोदा बांध	उत्तर प्रदेश	11/2000	ए

ए = पत्राचार चल रहा है।

बी = टिप्पणियों के अधीन तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत।

सी = राज्य सरकार को वापस लौटाई गई।

[अनुवाद]

सेल्युलर टेलीफोन सेवा

1147. **श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार, आन्ध्र प्रदेश में कितने शहरों में सी-डॉट प्रौद्योगिकी पर आधारित सेल्युलर/मोबाइल टेलीफोन सेवा उपलब्ध है;

(ख) क्या सरकार द्वारा मार्च, 2002 तक राज्य के 84 नगरों में मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) शून्य

(ख) जी, हां। आशा की जाती है कि वर्ष 2001-02 की अंतिम तिमाही में नेटवर्क का उत्तरोत्तर विकास होगा।

(ग) आन्ध्र प्रदेश सहित सेल्यूलर सेवाओं की व्यापक स्तर पर शुरूआत करने हेतु जनवरी-2001 में आमंत्रित निविदाओं का इस समय मूल्यांकन किया जा रहा है।

[हिन्दी]

झारखंड में डाक-तार सेवाओं का आधुनिकीकरण

1148. **श्री राम टहल चौधरी : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने झारखंड में डाक-तार सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए कोई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजन के लिए कोई बजट आबंटन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस आधुनिकीकरण कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) झारखंड में कुछ हद तक टेलीग्राफ सेवाओं को आधुनिक बनाया गया है। टेलीग्रामों के शीघ्र पारेषण के लिए माइक्रोप्रोसेसर

आधारित स्टोर एण्ड फारवर्ड मेसेज स्विचिंग (एस०एफ०एम०एस०) सिस्टम के नेटवर्क के टेलीग्राफ कार्यालयों में पोर्टस प्रदान किये गये हैं।

(ग) और (घ) कोई पृथक, बजट आबंटन नहीं किए गए हैं। तथापि, ऐसे कार्यक्रमों के लिए मांग वर्ष में टेलेक्स और टेलीग्राफ कार्यों के लिए आवंटित विकासात्मक निधियों से पूरी की जाती है।

(ङ) आधुनिकीकरण एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है और इसे आवश्यकता आधार पर किया जा रहा है।

[अनुवाद]

जोधपुर में भू-जल स्तर का ऊपर उठना

1149. डा० जसवंत सिंह यादव :
श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जोधपुर और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में भू-जल स्तर के अचानक बढ़ जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जोधपुर में भू-जल स्तर में वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जी, हां।

(ख) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, मुंबई, क्षेत्रीय दूर संवेदी केन्द्र, जोधपुर, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड तथा राजस्थान सरकार के भू-जल विकास विभाग ने शहर के भू-जल स्तर में वृद्धि के कारणों संबंधी अध्ययन शुरू किए हैं।

(ग) जल राज्य का विषय होने के कारण, यह संबंधित राज्य की प्रमुख जिम्मेदारी है कि वह इस स्थिति के निवारण के लिए कदम उठाए।

कर्नाटक में खेल परिसर के निर्माण के लिए सहायता

1150. श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री जी० मल्लिकार्जुनप्पा :
श्री जी०एस० बसवराज :

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कर्नाटक में बीजापुर के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संघ की ओर से हॉकी, बास्केट बाल, टेनिस कोर्ट और तरणताल के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार किया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस प्रस्ताव पर कब तक विचार कर लिए जाने की संभावना है और कब तक राशि जारी कर दी जाएगी?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) चूंकि प्रस्ताव राज्य सरकार के माध्यम से प्रस्तुत नहीं किया गया था, अत: संघ को दिनांक 12.6.2001 को सलाह दी गयी थी कि वह प्राथमिकता के अनुसार, एक समय पर एक परियोजना के लिए तद्नुसार प्रस्ताव भेजें। संशोधित प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

बिहार में अवसंरचनात्मक सुविधाएं

1151. श्री राजो सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में संचार व्यवस्था के विकास और दूरवर्ती शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां। बी०एस०एन०एल० द्वारा बिहार में दूरसंचार व्यवस्था के विकास के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव है, जिसका प्रयोग दुरवर्ती शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा सकता है।

(ख) दूरसंचार के विकास के लिए अवसंरचना प्रदान करने संबंधी निम्नानुसार हैं :—

(i) 110 नए छोटे ग्रामीण एक्सचेंज खोलना।

(ii) मौजूदा एक्सचेंजों की क्षमता में 140800 लाइनों की वृद्धि करना।

(iii) 1,70,000 नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करना।

(iv) विश्वसनीय माध्यम प्रदान करना और 4000 रूट कि०मी० अतिरिक्त ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाकर माध्यम को अपग्रेड करना।

(v) नए वी०पी०टी० खोलने, दोषयुक्त एम०ए०आर०आर० वी०पी०टी० बदलने, और जरूरतमंद व्यक्तियों को टेलीफोन लाइनें प्रदान करने के लिए सभी 21159

सुविधारहित गांवों को डब्ल्यू०एल०एल० सुविधाएं प्रदान करना।

(vi) जिला मुख्यालयों में इंटरनेट नोड तथा ब्लॉक मुख्यालयों में इंटरनेट ढाबे खोलना।

(vii) बिहार में मोबाइल टेलीफोन सेवाएं प्रदान करना।

[अनुवाद]

बकाया राशि

1152. **डा० वी० सरोजा : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ ऐसी कंपनियों को सेल्युलर लाइसेंस के लिए बोली लगाने की अनुमति दी गई है जिन्होंने पूर्व में लाइसेंस शुल्क का भुगतान नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बकाया राशि वसूल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) चूककर्ता कम्पनी द्वारा अगले सेल्यूलर लाइसेंस के लिए बोली लगाने के स्तर पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। तथापि, सफल बोलीदाता कम्पनी को, लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर करने से पहले, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की धारा 4 (भारतीय बेतार टेलीग्राफी अधिनियम 1933 सहित) के अन्तर्गत सफल बोलीदाता कम्पनी या उसके किसी प्रवर्तक/साझीदार या सहयोगी/सहायक संस्था को प्रदान किए गए लाइसेंस जनित सभी भुगतानों के सम्बन्ध में, दूरसंचार विभाग से ''बेबाकी प्रमाण पत्र'' प्रस्तुत करना होगा।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाएं

1153. **श्री सुबोध मोहिते : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं को समय से पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने संविदाओं में कोई बोनस और दंड संबंधी शर्त शामिल की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) संविदाओं में ऐसी शर्तों को शामिल किए जाने के क्या कारण हैं ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए प्रतिमाह ठेका मूल्य के 1% के बराबर राशि, बोनस के लिए ठेकेदार को देय हो जाती है जो अधिकतम 6% के अध्यधीन है। कार्य पूरा करने में विलंब के लिए ठेका मूल्य के 1/2000 के बराबर राशि प्रत्येक विलंब दिवस के लिए (1.5%) ठेकेदार से वसूल करने योग्य हो जाती है जो ठेका मूल्य के अधिकतम 10% के अध्यधीन है।

(ङ) समय से परियोजनाओं का पूरा होना सुनिश्चित करने के लिए ठेकों में बोनस और अर्थदंड खंड शामिल किए गए हैं।

विशेष सुविधाओं का दुरूपयोग

1154. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कई शहरों में ऊंची इमारतों में सीमित प्रयोग के लिए दी जाने वाली डी०आई०डी०/पी०ए०बी०एक्स० नेटवर्क जैसी विशेष सुविधाओं का कुछ कम्पनियों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने इस संबंध में कोई जांच समिति गठित की थी;

(घ) यदि हां, तो कौन-कौन से शहरों में दुरुपयोग की घटनाएं पाई गई; और

(ङ) इन कम्पनियों के खिलाफ और इस प्रकार के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है।

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

इंडियन एयरलाइंस का कार्यनिष्पादन

1155. **श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंडियन एयरलाइंस के कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इंडियन एयरलाइंस पिछले तीन वर्षों के दौरान अपने घाटों को पूरा कर सकी है;

(ग) यदि हां, तो क्या वर्ष 2001-2002 के दौरान इंडियन एयरलाइंस के बेहतर कार्य-निष्पादन के लिए कोई योजना तैयार की गई है।

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इंडियन एयरलाइंस के कब तक संकट से उबरने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) इंडियन एयरलाइंस के कार्य निष्पादन में और सुधार लाने की दृष्टि से निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :–

- 25 मई, 2001 से इसके घरेलू नेटवर्क पर एक लचीली (फ्लेक्सीबल) किराया नीति अपनाई गई है। फ्लेक्सी किरायों के अंतर्गत, किराए का निर्धारण सीजन, प्रतिस्पर्धा, उड़ान समयावलि तथा अन्य मांग एवं आपूर्ति परिवर्तनशील कारकों के आधार पर होगा। इससे कम्पनी की आय में अपेक्षाकृत अधिक क्षमता उपयोग तथा बेहतर उपलब्धियों की वजह से सुधार आने की आशा है।

- सभी मुख्य व्यय मदों सहित कड़े बजटीय नियंत्रण लागत लाभ विश्लेषण, प्रचालन एवं वाणिज्यिक समीचीनता, वित्तीय प्रतिबंधों आदि के अधीन हैं।

- बेहतर विमान बेड़ा उपयोग : पायलेटों, विमान इंजीनियरों की उत्पादकता में सुधार, ग्राउंड टर्न अराउंड समय की न्यूनता, कतिपय घरेलू सेक्टरों पर रात्रि उड़ान, वर्धित अंतरराष्ट्रीय प्रचालन सेवाओं, विमानों और मार्ग आयोजना की बेहतर शड्यूलिंग, विपणन अपेक्षाओं के अनुरूप क्षमता तैनाती तालमेल आदि पर आधारित है।

- उत्पाद/सेवा की गुणवत्ता में सुधार : समयबद्ध निष्पादन में सुधार, सामान्य सेवाओं में सुधार तथा प्रयोक्ताओं की सेवाओं में उन्नयन आदि पर आधारित है।

- विपणन पहल : विदेशी एयरलाइनों के साथ कोड-शेयरिंग, कम्प्यूट्रीकृत आरक्षण प्रणाली में उच्च स्तरीय भागीदारिता, निगमित पहल सहित विभिन्न संवर्धन योजनाएं आदि पर आधारित है।

- लागत नियंत्रण उपाय : ओवर टाइम, कैजुवल श्रमिक, होटल/यात्रा व्यय, कर्मी ले-ओवर व्यय पर नियंत्रण, भर्ती पर जब तक प्रचालनात्मक कारणों की वजह से नितांत रूप से आवश्यक न हो, प्रतिबंध, ईंधन मानिटरिंग व टैंकरिंग, विमान अनुरक्षण पर नियंत्रण, प्रचार-प्रसार तथा बिक्री संवर्धनात्मक व्यय में कमी लाने, गैर किफायती उड़ानों एवं इंवेंटरी प्रबंधन की समीक्षा, साध्यता सीमा तक सेवाओं की आउटसोर्सिंग आदि पर आधारित है।

(ख) कंपनी ने वित्तीय वर्ष 1997-98 से वर्ष 1999-2000 के दौरान मुनाफा कमाया जो निम्नानुसार है :–

वर्ष	शुद्ध लाभ (कर पूर्व) (करोड़ रु० में)
1997-98	47.27
1998-99	14.17
1999-2000	51.42

वर्ष 2000-2001 के लिए कंपनी के राजस्व और व्यय संबंधी बजट तैयार किया गया जिसका अनुमोदन दिसम्बर, 1994 में किया गया, तत्कालीन व्याप्त निवेश मूल्यों के अनुसार 28.75 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ परियोजित था। दिसम्बर, 1994 में बजट अनुमोदन के परिणामस्वरूप, ए०टी०एफ० मूल्यों और अन्य निवेश संबंधी लागतों में त्वरित वृद्धि हुई थी, जिसकी वजह से कंपनी के ऊपर 300 करोड़ रुपए से अधिक अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा। परिणामस्वरूप वर्ष 2000-2001 के लिए संशोधित प्राक्कलन (आर०ई०) की वजह से 177.25 करोड़ रुपए की हानि हुई। वर्ष के लिए वार्षिक लेखे इस समय लेखा परीक्षाधीन है।

यदि उक्त लागत वृद्धि न हुई होती तो कंपनी को वित्तीय वर्ष 2000-2001 के दौरान 28.75 करोड़ रुपए के बजटीय लाभ की अपेक्षा कहीं अधिक लाभ हुआ होता।

(ग) और (घ) जी, हां। वर्ष 2001-2002 के लिए कंपनी द्वारा तैयार की गई संदर्श योजना के अन्तर्गत मौजूदा कम्प्यूटरीकृत चेक-इन प्रणाली में यात्रियों को वर्धित सुविधाओं जैसे प्रोडेक्ट अपग्रेडस और होलीडे पैकेज जैसे विभिन्न विपणन पहल, एक्जिक्यूटिवं क्लास के यात्रियों के लिए कंपलीमेंटरी ड्रोप सुविधा, काल सेंटर आदि सुविधाएं शामिल हैं।

(ङ) कंपनी द्वारा अपनाई गई फ्लेक्सी किराया नीति के साथ विभिन्न अन्य उपायों को भी शामिल किया गया है जिनकी वजह से कार्य निष्पादन और लाभप्रदत्ता में और सुधार लाने में सहायता मिलेगी। चालू वित्तीय वर्ष यानी अप्रैल और मई, 2001 के पहले दो महीनों में कंपनी को 35.09 करोड़ रुपए के बजटीय शुद्ध घाटे की तुलना में 32.70 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ है।

निजी बुनियादी टेलीफोन आपरेटर

1156. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी बुनियादी टेलीफोन आपरेटर अपने दावे सरकार को प्रस्तुत कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन सी कम्पनियों ने ऐसे दावे प्रस्तुत किए हैं;

(ग) क्या इन कम्पनियों द्वारा ग्रामीण टेलीफोनों के लिए दी गई राशि को अन्यत्र उपयोग किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) किसी भी निजी बुनियादी टेलीफोन ऑपरेटरों ने अभी तक सरकार को कोई भी दावा प्रस्तुत नहीं किया है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

युवकों को पुरस्कार

1157. श्री ए० ब्रह्मनैया : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक वर्ष कुछ युवकों को खेल में उनके अच्छे प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2000-2001 के दौरान ऐसे युवकों को दिये गये पुरस्कारों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि ऐसे कई युवकों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा सिफारिश किए बिना ही ऐसे पुरस्कार प्रदान कर दिए जाते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस मामले में राज्य सरकारों की सिफारिश की उपेक्षा के क्या कारण हैं ?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विकासपरक गति-विधियों तथा समाज सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में प्रदर्शनीय उत्कृष्ट युवा कार्य के लिए दिया जाता है। एक युवा पुरस्कार प्रतिवर्ष विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों में लगे हुए स्वैच्छिक युवा संगठन को भी दिया जाता है।

(ख) वर्ष 2000-2001 के दौरान ऐसे युवाओं तथा स्वैच्छिक संगठनों को दिए गए पुरस्कारों का राज्यवार अपेक्षित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) सामान्यतया तथा जैसा कि प्रक्रिया संहिता में दिया गया है, राष्ट्रीय युवा पुरस्कारों के नामांकनों पर तभी विचार किया जाता है जब उनकी सिफारिश जिला स्तरीय समिति, जिसके अध्यक्ष जिला कलेक्टर होते हैं तथा राज्य स्तरीय समिति जिसके अध्यक्ष, राज्य युवा बोर्ड/युवा कार्य के प्रभारी सचिव होते हैं, द्वारा की जाती है। तथापि, पुरस्कारों के लिए प्रक्रिया संहिता में यह भी व्यवस्था की गयी है कि विभिन्न स्तरों पर चयन समिति, अपने विवेक से, गुण-दोषों के आधार पर, उन अलग-अलग व्यक्तियों अथवा युवा संगठनों के नाम पर विचार कर सकती हैं जिसकी सिफारिश किसी ने नहीं की है किन्तु जिन्हें चयन समिति द्वारा उपयुक्त समझा गया है।

विवरण

वर्ष 2000-2001 के लिए 51 राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का राज्य वार ब्यौरा

1. (अलग-अलग)

क्र० सं०	राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के नाम	राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के नाम व पते
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	श्री नंदूरी रमेश, एस०एस० ग्राम व डाकघर मंचिली, अतीली मंडल, पश्चिमी गोदावरी, जिला – आंध्र प्रदेश
2.	आन्ध्र प्रदेश	श्री एस० वेनुगोपल, मकान नं० 5-5-55, लश्कर बाजार, हनामकोंडा, जिला वारंगल, आंध्र प्रदेश।
3.	आन्ध्र प्रदेश	सुश्री भानुमति पांड्य, 12-1-6, मताम स्ट्रीट, थाई टावर्स के सामने, वीरभद्रम, राजामुंद्री, पूर्वी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश
4.	आन्ध्र प्रदेश	श्री जी० राजकुमार, मकान नं० 4 7-78, मार्किट रोड, कुमार पल्ली वारंगल, आन्ध्र प्रदेश
5.	आन्ध्र प्रदेश	श्री बी० गंगाधर, द्वारा वाई०एम०सी०ए०, डाकघर बेलुगुप्पा, जिला अनंतपुर आन्ध्र प्रदेश
6.	असम	श्री प्राज्ञज्योति गोगोई, ग्राम व डाकघर हाथीगढ़, जिला धेमाजी, असम
7.	बिहार	श्री जयप्रकाश मेहता, ग्राम व डाकघर फुलवारिया, वाया दोमचंच, जिला कोडरमा, बिहार
8.	गुजरात	श्री घनश्याम पटेल, डाकघर अम्बापुर, जिला गांधीनगर, गुजरात
9.	गुजरात	मौहम्मद अशरफ पटेल, बालूजी-ना-मुवादा, पानम दाम के निकट, ताल-शहेरा, जिला – पंचमहल, गुजरात
10.	हरियाणा	श्री इंद्रजीत, 281-ए, शाम नगर, करनाल, हरियाणा
11.	हरियाणा	श्री संजी कुमार, ग्राम ताजकपुर, डाकघर पंसरा, जिला यमुना नगर, हरियाणा
12.	हरियाणा	श्री शैल सिंह, द्वारा श्री हीरा सिंह, मकान नं० 854, सेक्टर 10, फरीदाबाद, हरियाणा

1	2	3
13.	जम्मू व कश्मीर	श्री शक्ति कुमार, चाटा गुजरान, डाकघर हलोआमार, जिला – जम्मू
14.	जम्मू व कश्मीर	श्री खेमराज शर्मा, ग्राम व डाकघर सरना, तहसील साम्बा, जिला जम्मू तवी
15.	कर्नाटक	नगनागोडा सी० पाटिल, पिथ्रू प्रेसाने एन, 39/1, फोर्ट धारवाड़, कर्नाटक
16.	कर्नाटक	डा० प्रभुलिंग ए० बिरादर, हुडको एम० आई०जी० 11, जनवाड़ा रोड़, बीदर, कर्नाटक
17.	कर्नाटक	श्री नबीसब, द्वारा श्री महबूब कुशन वर्क्स, गंगावटी रोड़, सिदानुर जिला रायचूर, कर्नाटक
18.	कर्नाटक	श्री जावेद जामेदार, प्लाट नं० 558, कीर्ति नगर, के०ई०बी० के सामने, जिला बीजापुर, कर्नाटक
19.	केरल	श्री ब्रह्म नायकम एम, टी०सी० 26/792 (1), अवस्थी, नं० 74, चेम्पाका, तिरुअनंतपुरम, केरल
20.	मध्य प्रदेश	सुश्री मंजू अग्रवाल, गोविंद भवन, ग्राम व डाक घर खजूरी सड़क, भोपाल, मध्य प्रदेश
21.	मध्य प्रदेश	श्री महेन्द्र कुमार दीक्षित, ग्राम व डाकघर तेजगढ़, तेंदूखेड़ा, जिला दमोह, मध्य प्रदेश
22.	मध्य प्रदेश	श्री हनुमंत किशोर शुक्ला, पवार कोठी, जी०आर० मैडिकल कालेज के पास, लश्कर, ग्वालियर म०प्र०
23.	मध्य प्रदेश	श्री विभांशु जोशी, एफ-4/4, प्रोफेसर कालोनी, भोपाल, मध्य प्रदेश
24.	मध्य प्रदेश	श्री हनमंत राव प्रभाकर, कमरा नं० 20, ओल्ड होस्टल, राक कालेज आफ एग्रीकल्चर, जिला सिहोर मध्य प्रदेश
25.	महाराष्ट्र	श्री सुभाष दलवी, फ्लैट नं० 2, तीसरा तल, नेहरू रोड़, विले पार्ले (पूर्वी), मुम्बई, महाराष्ट्र
26.	महाराष्ट्र	श्री मसूद इशरत मिर्जा, द्वारा इशरत अजीज मिर्जा, पोस्ट काली महागांव, जिला यावतमाल, महाराष्ट्र
27.	महाराष्ट्र	श्री शाहिद शरीफ, 1140, मोहम्मद अली रोड़, मोमिनपुरा, नागपुर, महाराष्ट्र
28.	महाराष्ट्र	सुश्री परमीला एम० सिखारे, इलाविया बिल्डिग, प्रथम तल, मनमाला टैंक रोड, महीम, मुम्बई, महाराष्ट्र
29.	महाराष्ट्र	श्री अमर के० दिनकर, गवर्नमैंट क्वार्टर, चपमनवाड़ी, जि० यावतमाल, महाराष्ट्र
30.	मणिपुर	श्री टी० डामलियान वैफेई, फेताईचिंग, सदर हिल्स, मणिपुर
31.	मणिपुर	सुश्री मेमा माचा देवी, लंगथाबाल्लेप मयाई लैकाई, इम्फाल मणिपुर
32.	उड़ीसा	श्री अरूण कुमार सत्पथी, डाकघर चत्रापुर, जिला गंजम, उड़ीसा
33.	उड़ीसा	श्री दुर्गा प्रसाद त्रिपाठी, डाकघर तुलसीपुर, वाया ब्रह्माकुडी, पी०एस० नीमपारा, जिला पुरी, उड़ीसा
34.	उड़ीसा	श्री नसीम अहमद शाह अंसारी, अंसारा, डाकघर धानीत्री, वाया कोणार्क, जिला पुरी, उड़ीसा।
35.	उड़ीसा	श्री संजिब कुमार जोशी, ग्राम रामासागर पारा, डाकघर भवानी पटना, जिला कालाहांडी, उड़ीसा
36.	पंजाब	श्री दयाल दास, ग्राम व डाकघर टुंगवाली, जिला भटिंडा, पंजाब
37.	राजस्थान	श्री विजय कुमार डाबला, द्वारा श्री माला राम, पिलानी रोड़, ग्राम व डाकघर चिड़ावा, जिला झुंझुनू, राजस्थान
38.	राजस्थान	सुश्री ज्योति शर्मा, 63/एच०, ब्लाक, नेहरू पार्क के पास, श्री गंगा नगर, राजस्थान
39.	तमिलनाडु	डा० टी० सोमा सुन्दरम, तमिलनाडु, रूरल डेवलपमेंट सैंटर, 101, जवान बिल्डिंग, वेस्ट वैली स्ट्रीट, मदुरई, तमिलनाडु
40.	तमिलनाडु	श्री विजयाराघवन, 1/1168, विवेकानंद स्ट्रीट, पांडियान नगर, विरूधुनगर, तमिलनाडु
41.	त्रिपुरा	सुश्री मौमिता भट्टा, एच०जी०बी० रोड़, मेलारमठ, डाकघर अगरतला, त्रिपुरा
42.	त्रिपुरा	श्री रतन अचारजी, चंद्रपुर, जनताला, डाकघर रेशमबागान, अगरतला
43.	उत्तर प्रदेश	सुश्री सपना सक्सेना, द्वारा श्री रमेश बिहारी लाल सक्सेना, 178, एन०पी० हाऊस नं० 6, वार्ड नं० 2, आदर्श नगर कालोनी, रोजा जंक्शन, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश
44.	उत्तर प्रदेश	श्री ओम प्रकाश राजपूत, गांव लोकाबाली (धर्मशाला), डाकघर कलाल खेरिया, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश

1	2	3
45.	पश्चिम बंगाल	सुश्री सुलोचना कोलेम, द्वारा श्री जोयदेब कोलेम, ग्राम व डाकघर शिपाती, जिला बर्दवान (ग्रामीण), पश्चिम बंगाल
46.	पश्चिम बंगाल	श्री जोयदेब कहार, ग्राम दिरहा देरिया, डाकघर गोपालपुर, पी०एम० हरोआ, जिला उत्तरी 24 परगना, पश्चिम बंगाल
47.	चण्डीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	श्री हरिन्दर पाल सिंह, मकान नं० 3178, सैक्टर-23-डी, चण्डीगढ़
48.	दादर व नगर हवेली (संघ राज्य क्षेत्र)	श्री प्रशांत पी, बर्दे,, टाइप-ए, क्वाटर नं० 25, पावर हाऊस के पीछे, जांदा चौक, दादर व नगर हवेली, सिलवासा
49.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	सुश्री राजबाला, द्वारा श्री रमेश चंद, मकान नं० 3723, कुचा मोहत्तर खान, मोरी गेट, दिल्ली
	2-स्वैच्छिक संगठन	
1.	आंध्र प्रदेश	विशिष्ट ग्रामोद्योग स्वयं साधना परिषद् जी० अनाका पल्ले (वी) थोटाडा पोस्ट, मुनागापाका मंडल, जिला विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश
2.	उड़ीसा	इंदिरा समाज कल्याण संगठन, कुंजाकांता, चांदिया साही, धेनकनाल, उड़ीसा

कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय

1158. **श्री पी०डी० एलानगोवन : क्या श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय विभिन्न भविष्य निधि और कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालयों में कितने अंशदाता है;

(ख) इनमें से प्रत्येक कार्यालय में राज्यवार कितना धन एकत्र किया जाता है;

(ग) सरकार ने देश में कर्मचारी भविष्य निधि के कुछ और कार्यालय खोलने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार धर्मपुरी जिला, तमिलनाडु में कर्मचारी भविष्य निधि का एक उपक्षेत्रीय कार्यालय खोलने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंशदाताओं की कुल संख्या 2,59,65,502 थी।

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में वर्ष 2000-2001 के दौरान एकत्र की गई कुल राशि के क्षेत्रवार ब्यौरे विवण के रूप में संलग्न हैं।

(ग) से (ङ) उप क्षेत्रीय कार्यालय, उपलेखा कार्यालय और सेवा केन्द्र खोलने के प्रस्तावों की निर्धारित मानकों के आधार पर जांच की जाती है। तमिलनाडु के धर्मापुरी जिले के होसुर में उप क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के प्रस्ताव को व्यावहारिक नहीं पाया गया है क्योंकि यह निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करता है।

विवरण

(करोड़ में)

क्र०सं०	राज्य/क्षेत्र	एकत्र की गई राशि
1.	आन्ध्र प्रदेश	713.38
2.	बिहार	202.01
3.	दिल्ली	746.81
4.	गुजरात	762.59
5.	हिमाचल प्रदेश	349.85
6.	हरियाणा	63.50
7.	कर्नाटक	917.07
8.	केरल	417.16
9.	महाराष्ट्र	412.83
10.	मध्य प्रदेश	2573.21
11.	उत्तर पूर्व क्षेत्र	72.85
12.	उड़ीसा	164.83
13.	पंजाब	453.61
14.	राजस्थान	328.43
15.	तमिलनाडु	1260.55
16.	उत्तर प्रदेश	587.85
17.	पश्चिम बंगाल	624.93

पूर्वोत्तर राज्यों में वनों का अवक्रमण

1159. **श्री एम०के० सुब्बा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 5 जून, 2001, पर्यावरण दिवस पर सरकार ने पूर्वोत्तर में असम और अन्य राज्यों में वनों के अवक्रमण का कोई जायजा लिया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान इस क्षेत्र में वनों का कितना विनाश हुआ है; और

(ग) इन वनों के रोपण और वृद्धि के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है और इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) 5 जून, 2001 को ऐसी कोई समीक्षा नहीं की गई थी। तथापि, वर्ष 1987 से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा देश के वन आवरण का हर दो वर्ष बाद मूल्यांकन किया जा रहा है। वन आवरण के नवीनतम मूल्यांकन के अनुसार 1996 से 1998 की अवधि के दौरान विभिन्न उत्तर पूर्वी राज्यों के वन आवरण में निम्नलिखित परिवर्तन हुआ है :

राज्य	वन आवरण में परिवर्तन (वर्ग कि०मी० में)
अरूणाचल प्रदेश	+245
असम	-136
मणिपुर	-34
मेघालय	-24
मिजोरम	-437
नागालैण्ड	-57
त्रिपुरा	+199
कुल	-278

(ग) देश के वन आवरण में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं :–

(i) राज्य/केन्द्र शासित सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों तथा भारत सरकार की वित्तीय सहायता से वनीकरण कार्यक्रम चलाए जाते हैं।

(ii) वनों के विकास और अनुरक्षण के लिए विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

(iii) अवक्रमित वनों की सुरक्षा और पुनरूद्भव में ग्रामीण समुदायों को शामिल करने के संबंध में सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

(iv) वन भूमियों के अपवर्तन को विनियमित करने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का अधिनियमन किया गया है।

(v) सुरक्षित क्षेत्रों का एक नेटवर्क बनाया गया है।

(vi) वन संसाधनों के संरक्षण और विकास हेतु निवेश में वृद्धि करके पारिस्थितिक स्थायित्व और लोक केन्द्रित विकास हेतु वानिकी और वृक्ष संसाधनों के योगदान में वृद्धि करने के संबंध में इस मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय वानिकी कार्ययोजना तैयार की है।

(vii) इस मंत्रालय द्वारा उत्तर-पूर्वी राज्यों सहित पूरे देश में वनों के पुनरुद्धार के लिए निम्नलिखित केन्द्र प्रायोजित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं :–

(क) एकीकृत वनीकरण एवं पारिविकास परियोजना स्कीम

(ख) क्षेत्रोन्मुखी ईंधन की लकड़ी और चारा परियोजना स्कीम

(ग) गैर-इमारती वनोपज स्कीम

(घ) अवक्रमित वनों के पुनरूद्भव में अनुसूचित जन जातियों/ग्रामीण निर्धनों को शामिल करने से संबंधित योजना।

उद्योग बन्द करना

1160. **श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कई उद्योग विभिन्न कारणों से बंद किये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से इन उद्योगों के श्रमिकों की छंटनी करने की अनुमति हेतु कोई संपर्क किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने इन उद्योगों से इन श्रमिकों की छंटनी करने की अनुमति राज्य सरकारों को दे दी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (च) प्रतिस्पर्द्धा में वृद्धि और तीव्र प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों के कारण बंदियों के मामले बढ़े हैं – खासकर ऐसे विमिर्नाण उद्योगों की बंदी के मामले जो प्रतिस्पर्द्धी नहीं रह गए हैं। सभी प्रकार के प्रतिष्ठानों की बंदी से संबंधित सम्पूर्ण आंकड़े नहीं रखे जाते। तथापि, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत बंदी के लिए अनुमति देने वाली समुचित सरकार की परिभाषा तथा केन्द्रीय क्षेत्र और राज्य क्षेत्र का उल्लेख औद्योगिक विवाद अधिनियम में किया गया है। इन उपबंधों के अनुसार, श्रमिकों की छंटनी संबंधी अनुमति के लिए किसी भी राज्य सरकार को केन्द्र सरकार से संपर्क करने की जरूरत नहीं है। श्रम ब्यूरो को दी गई सूचना के आधार पर औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों द्वारा की गई बंदियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1998-2001 के दौरान बंदियों तथा प्रभावित श्रमिकों की राज्यवार संख्या

	1988		1999 (अ)		2000 (अ)		2001 (अ) (जन०-मई)	
	क	ख	क	ख	क	ख	क	ख
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	—	—	2	114	3	393	—	—
अरूणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—
अमस	—	—	1	21	—	—		
बिहार	4	219	3	90	—	—		
गोवा	2	36	4	163	6	326	1	58
गुजरात	34	1,067	14	272	23	891	10	290
हरियाणा	2	83	2	187	4	262	—	—
हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	6	186	—	—
जम्मू और कश्मीर	—	—	—	—	—	—	—	—
कर्नाटक	3	182	3	2,237	9	624	4	119
केरल	—	—	9	293	9	367	3	247
मध्य प्रदेश	4	274	9	1,552	—	—	—	—
महाराष्ट्र	1	70	—	—	—	—	—	—
मणिपुर	—	—	—	—	—	—	—	—
मेघालय	—	—	—	—	—	—	—	—
मिजोरम	—	—	—	—	—	—		
नागालैंड	—	—	—	—	—	—		
उड़ीसा	13	2,537	5	350	8	498	—	—
पंजाब	1	1,425	51	8,202	1	22	1	91
राजस्थान	1	350	5	269	4	348	—	—
सिक्किम	—	—	—	—	—	—	—	—
तमिलनाडु	7	94	2	630	3	737	—	—
त्रिपुरा	42	742	18	139	7	104	—	—
उत्तर प्रदेश	38	5,190	13	559	31	6,356	—	—
पश्चिम बंगाल	—	—	10	463	5	426	—	—
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	—	—	—	—	—
चंडीगढ़	—	—	3	75	—	—		..

1	2	3	4	5	6	7	8	9
दादरा और नगर हवेली	–	–	–	–	–	–	–	–
दिल्ली	2	607	–	–	–	–	–	–
दमन और दीव	–	–	–	–	–	–	–	–
लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	–		
पांडीचेरी	21	510	5	91	17	256	1	4
महायोग	175	13,386	159	15707	136	11,796	20	809

क = बंद इकाइयों की संख्या

ख = प्रभावित श्रमिकों की संख्या

– = शून्य

= उपलब्ध नहीं

(अ) = अनंतिम

स्रोत = श्रम ब्यूरो, शिमला

इंटरनेट धोखाधड़ी

1161. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो को, जैसाकि दिनांक 3 मार्च, 2001 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में प्रकाशित हुआ है, किसी इन्टरनेट धोखाधड़ी का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार को इसके परिणामस्वरूप कितना घाटा हुआ; और

(घ) सरकार ने इसमें शामिल दोषी कंपनियों और अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है/की जा रही है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) 3 मार्च, 2001 के टाइम्स ऑफ इंडिया में यथा प्रकाशित इन्टरनेट धोखाधड़ी का पता दूरसंचार विभाग के सतर्कता स्कंध, सी०बी०आई०, एम०टी०एन०एल०, वी०एस०एन०एल०, बेतार अनुश्रवण संगठन ने 9.2.2001 को संयुक्त रूप से छापा मारकर लगाया था।

(ख) एक "क" श्रेणी इंटरनेट सेवा प्रदाता (आई०एस०पी०) लाइसेन्सधारक इनकमिंग अन्तर्राष्ट्रीय वायस कालों को इन्टरनेट के माध्यम से प्राप्त करने और वी०एस०एन०एल० के गेटवे को बाय-पास करते हुए बल्कि टेलीफोन लाइनों और अनधिकृत उपस्कर की सहायता से स्वयं एवं एक अन्य कम्पनी के सहयोग से उन्हें वितरित करने में संलिप्त था।

(ग) सरकार को इससे हुआ काल्पनिक घाटा लगभग 3 करोड़ रु० का है।

(घ) उपस्कर जब्त कर लिए गए तथा गैरकानूनी प्रचालन तत्काल बंद करवा दिया गया। आई०एस०पी० लाइसेंस रद्द कर दिया गया। कर्मचारियों के लिप्त होने की सी०बी०आई० द्वारा जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

भविष्य निधि खातों से धन निकाला जाना

1162. **श्री पदमसेन चौधरी : क्या श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भविष्य निधि खातों से धन निकासी के रास्ते में आने वाली रूकावटों को हटाने के लिए एक महत्वकांक्षी योजना आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना को कब तक आरंभ कर दिए जाने की संभावना है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा "भारत में कर्मचारी भविष्य निधि का आधुनिकीकरण" नामक एक आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें मौजूदा कार्य प्रक्रिया का नवगठन, लेखा प्रणालियों को पुनर्व्यवस्थित किया जाना तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सभी कार्यालयों की नेटवर्किंग के माध्यम से एक सूचना प्रौद्योगिकी/कम्प्यूटर सक्षम प्रणाली की स्थापना किया जाना शामिल है। इसके तहत कर्मचारी भविष्य निधि के किसी भी स्थान से प्रत्येक सदस्य को नियत समय पर सभी सेवाएं मुहैया कराने पर ध्यान केन्द्रित करना है। यह आधुनिकीकरण कार्यक्रम अंशदाता को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के किसी भी कार्यालय में खाता शेष की जानकारी प्राप्त

करने और अपना दावा प्रपत्र प्रस्तुत करने में सक्षम बनाएगा, जबकि वर्तमान प्रणाली में वह केवल उसी कार्यालय तक सीमित है जहां वह पंजीकृत हो तथा दावे की प्राप्ति से चैक जारी करने में लगने वाले समय में कमी लाकर इसे वर्तमान निर्धारित समय 30 दिन की बजाए 2/3 दिन करना है।

(ग) आधुनिकीकरण कार्यक्रम के प्रथमचरण में सभी चार अंचलों को दायरे में लेते हुए छः स्थानों पर प्रायोगिक केन्द्रों की स्थापना किए जाने को शामिल करके 24 माह की समयावधि के भीतर उन्हें प्रचालित किए जाने का प्रस्ताव है। छः प्रायोगिक केन्द्रों के स्थायीकरण के बाद पूरे देश में इस संशोधित प्रणाली को एक चरणबद्ध रूप में दोहराने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

इंडियन एयरलाइंस द्वारा 50 सीटों वाले विमान को पट्टे पर लिया जाना

1163. **श्री टी०एम० सेल्वागनपति :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस से छोटे कस्बों और पर्यटक गंतव्यों के बीच निकटता लाने के लिए 50 सीटों वाले विमान को पट्टे पर लेने पर विचार करने के लिए कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से क्षेत्र में इस 50 सीटों वाले विमान को चलाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार को सेलम तक उड़ान भरने का कोई अन्य प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने उक्त प्रस्ताव पर क्या कार्रवाई की है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) जी, हां। इंडियन एयरलाइंस की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी कंपनी एलायंस एअर ने 6 ए०टी०आर० 42-500 विमानों को ड्राइलीज पर लेने के लिए पहली जुलाई, 2001 को विश्वस्तरीय निविदा जारी की है। निविदा प्राप्ति की अंतिम तारीख 31.07.2001 है। इन विमानों को उत्तर पूर्व में मौजूदा बोइंग 737/ए-320 विमानों के गंतव्य स्थलों में और देश के बांकी हिस्से में लगाने का विचार है ताकि छोटे-छोटे नगरों व पर्यटक स्थलों तक विमान सेवाएं उपलब्ध हो सके साथ ही व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी लाभप्रदत्ता आदि का ध्यान रखा जाएगा।

(ग) और (घ) रख-रखाव और प्रचालनात्क अपेक्षाओं के कारण इन्डियन एयरलाइंस कलकत्ता और दिल्ली में 50 सीटर विमानों को लगाएगी इसके बाद इनमें से एक विमान को गुवाहाटी में लगाने का प्रस्ताव है। अभी सेलम तक वैमानिक सेवा उपलब्ध कराने का इंडियन एयरलाइंस का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि चेन्नई में किसी भी 50 सीटर विमान को लगाने का प्रस्ताव नहीं है। यद्यपि, अन्य अनुसूचित एयरलाइन ऑपरेटर्स अपने व्यावसायिक सूझ-बूझ के आधार पर किसी मार्ग/स्थान के लिए प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं किन्तु उन्हें सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन करना होगा।

भारतीय संचार आयोग

1164. **श्री अशोक ना० मोहोल :**
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय संचार आयोग (सी०सी० आई०) को स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त आयोग के मुख्य कार्य क्या हैं;

(ग) क्या भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (टी०आर० ए०आई०) के अध्यक्ष और सदस्यों को प्रस्तावित भारतीय संचार आयोग (सी०सी०आई०) में समान पदों पर नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो क्या किसी मंत्रालय ने उक्त प्रस्ताव का विरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) नई दूरसंचार नीति-99 के अनुपालन में, दूरसंचार, कम्प्यूटर, टेलीविजन और इलैक्ट्रॉनिक्स के तीव्र कन्वर्जेंस के मद्देनजर भारतीय तार अधिनियम 1885 के स्थान पर एक नया व्यापक कानून तैयार करने का प्रस्ताव है। यह मामला वित्त मंत्री की अध्यक्षता में गठित दूरसंचार और आई०टी० कन्वर्जेंस दल का विचारार्थ विषय बना। इस दल ने उक्त विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए विख्यात न्यायविद श्री फली एस० नरीमन, संसद-सदस्य, की अध्यक्षता में एक उप-दल गठित किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ संचार (दूरसंचार, प्रसारण और मल्टीमीडिया सहित) के व्यवस्थित तरीके से कैरिज और विषयवस्तु को कारगार बनाने, प्रोत्साहित करने और विकसित करने के लिए भारतीय संचार आयोग नामक एकल स्वायत्तशासी सांविधिक निकाय की स्थापना की परिकल्पना की गई है। इस निकाय के पास लाइसेंस अथवा पंजीकरण जारी करने, लाइसेंस तथा पंजीकरण शुल्क सेवाओं के लिए टैरिफ तथा दरें निर्धारित करने, स्पैक्ट्रम आबंटित करने, प्रतियोगिता को कारगर बनाने, उपभोक्ता हितों की रक्षा करने इत्यादि का अधिकार हो। टी०आर०ए०आई० के वर्तमान अध्यक्ष और सदस्यों के लिए अस्थायी प्रावधान होने चाहिए अथवा नहीं, इस मुद्दे सहित अनेक विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। तथापि, विधेयक के प्रारूप को अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है और इस संबंध में दूरसंचार और आई०टी० कन्वर्जेंस दल की रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त भाग (क) से (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

नेशनल रिकंस्ट्रक्शन क्रोप्स स्कीम

1165. डा० रघुवंश प्रसाद सिंह :
श्री राम प्रसाद सिंह :

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** नेशनल रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के बारे में 12.3.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2079 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 30 जून, 1999 को आरंभ की गयी नेशनल रिंकस्ट्रक्शन क्रोप्स स्कीम के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को दूर कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कितनी धनराशि जारी की गयी;

(ग) प्रत्येक राज्य में नियुक्त किये गये परियोजना अधिकारियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस परियोजना के अन्तर्गत स्वयंसेवियों के चयन के लिए क्या योजना तैयार की गयी है और अब तक प्रत्येक राज्य में कितने स्वयंसेवी नियुक्त किये गये हैं ?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) जी, हां।

(ख) नेहरू युवा केन्द्र संगठन को अब तक 3.61 करोड़ रु० की राशि जारी की जा चुकी है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय पुनर्निर्माण वाहिनी योजना के अंतर्गत, निर्धारित मानदण्डों को परियोजना अधिकारियों और स्वयंसेवकों के चयन और नियुक्ति के लिए अपनाया गया था। प्रत्येक राज्य में नियुक्त परियोजना अधिकारियों और स्वयंसेवकों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

प्रत्येक राज्य में (जिले-वार) नियुक्त एन०आर०सी० परियोजना अधिकारियों और स्वयं सेवकों की संख्या

क्र० सं०	राज्य	एन०आर०सी० वाले जिले का नाम	परियोजना अधिकारियों की नियुक्तियों की संख्या	चयनित/नियुक्त स्वयंसेवकों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	पूर्वी गोदावरी	1	100
2.		हैदराबाद	1	100
3.		करीमनगर	1	100
4.		विशाखापत्तनम	1	100
5.	अरुणाचल प्रदेश	तेजु (लोहित)	1	100
6.	असम	कछार	1	100
7.		गुवाहाटी (कामरूप)	1	100
8.		नागौन	1	100
9.	बिहार	गुमला	1	100
10.		जहानाबाद	1	100
11.		किशनगंज	1	100
12.		नालंदा	1	100
13.		नवादा	1	100
14.		पटना	1	100
15.		सीतामढ़ी	1	100
16.	छत्तीसगढ़	कांकेड़	1	112
17.		सरगुजा	1	100
18.	दिल्ली	अलीपुर	1	100
19.		महरौली	1	100
20.	गुजरात	गांधीनगर	1	100
21.	हिमाचल प्रदेश	सिरमौर	रिक्त	100
22.		ऊना	1	100
23.	हरियाणा	नारनौल	1	100
24.	जम्मू और कश्मीर	लेह	1	100
25.		उधमपुर/श्रीनगर	1	104
26.	झारखंड	दुमका	1	100
27.		हजारीबाग	1	100
28.	कर्नाटक	बीदर	1	100
29.		बीजापुर	1	100
30.		शिमौगा	1	95
31.	केरल	कासरगौड	1	100
32.		वायानाड	1	100
33.	मध्य प्रदेश	भोपाल	1	100
34.		छत्तरपुर	1	115
35.		ग्वालियर	1	102
36.		जबलपुर	1	104

1	2	3	4	5
37.		झाबुआ	1	100
38.		सियोनी	1	100
39.		शाहडौल	1	100
40.		टीकमगढ़	1	100
41.	महाराष्ट्र	बीड	1	100
42.		गाड़चिरौली	1	100
43.		जालना	1	100
44.		मुम्बई	1	100
45.		सिन्धुदुर्ग	1	100
46.	मणिपुर	बिशनपुर	1	100
47.	मेघालय	पश्चिम गारो हिल्स	1	100
48.	मिजोरम	लुंगलई	1	100
49.	नागालैंड	कोहिमा	1	100
50.	उड़ीसा	बोलंगीर	1	100
51.		कालाहाण्डी	1	100
52.		खुर्द	1	100
53.		कोरापुट	1	100
54.		मयूरभंज	1	100
55.		नौपाडा	1	100
56.		फूलबनी	1	100
57.	पंजाब	गुरदासपुर	रिक्त	चयन को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।
58.	राजस्थान	भरतपुर	1	100
59.		जयपुर	1	100
60.		झालावाड़	1	100
61.		सीकर	1	100
62.	सिक्किम	गंगटोक	1	100
63.	तमिलनाडु	चेन्नई	1	100
64.		कांचीपुरम	1	100
65.		कन्याकुमारी	1	100
66.		रामनाथपुरम	1	100
67.		त्रिचुरापल्ली	1	100

1	2	3	4	5
68.	त्रिपुरा	धरमनगर	1	100
69.	उत्तर प्रदेश	बांदा	1	100
70.		कानपुर	1	100
71.		ललितपुर	1	100
72.		लखनऊ	1	100
73.		मथुरा	1	100
74.		मेरठ	1	100
75.		पीलीभीत	1	100
76.	उत्तरांचल	टिहरी गढ़वाल	1	100
77.	पश्चिम बंगाल	बांकुरा	1	युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अगले आदेशों तक चयन प्रक्रिया आस्थगित कर दी गई है।
78.		कोलकात्ता	1	-वही-
79.		मालदा	1	-वही-
80.		दक्षिणी दिनाजपुर (एन)	1	-वही-

सी०डी०एम०ए० डब्ल्यू०एल०एल० बोली

1166. **श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सी०डी०एम०यू० डब्ल्यू०एल०एल० बोली संबंधी पहले आओ पहले पाओ की नीति की घोषणा किस तिथि को की गयी;

(ख) क्या इस प्रकार की नीति की घोषणा से पहले मंत्रिमंडल ने इसे अनुमोदित किया था;

(ग) यदि हां, तो क्या बोली में विगत समय में विफल रही कंपनियों को न लेने का कोई मानदंड है; और

(घ) किसी कंपनी का गैर-निष्पादनता का निर्धारण करने के क्या मानदंड हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) नई दूरसंचार नीति 99 (एन०टी०पी० 99) के अनुसरण में मांगी गई भारतीय दूरसंचार विनियामक प्रधिकरण की सिफारिशों के आधार पर बुनियादी सेवा का प्रचालन करने के लिए लाइसेंस प्रदान करने संबंधी दिशानिर्देशों की घोषणा 25 जनवरी, 2001 को की गई थी। 23 मार्च, 2001 को यथा घोषित स्पेक्ट्रम आबंटन की प्रक्रिया,

एन०टी०पी०-99 में यथापेक्षित तर्क युक्त ढंग से इस प्रकार तैयार की गई थी कि पादर्शिता, दक्षता, स्पेक्ट्रम उपयोगिता को कारगर और अनुकूल बनाना सुनिश्चित किया जा सके। अत: जैसा कि लाइसेंस करार में अनुबंधित है, स्पेक्ट्रम आबंटन को, लाइसेंसधारकों द्वारा चरणबद्ध रूप में पूरे किए जाने वाले अपेक्षित निष्पादन दायित्वों के साथ विशेष रूप से जोड़ दिया गया है।

(ग) और (घ) आवेदक कंपनी अथवा प्रवर्तकों/उसके भागीदार अथवा सहयोगी/सहायक संस्थाओं को पहले प्रदान किए गए किसी भी लाइसेंस से अर्जित भुगतान के संबंध में उनसे बेबाकी प्रमाण-पत्र के अलावा रॉल आऊट दायित्वों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी और गारंटी विलेख (डीड ऑफ गारंटी) भी मांगा गया है।

उड़ीसा में टेलीफोन सुविधा

1167. **श्री भर्तृहरि महताब :**
श्रीमती हेमा गमांग :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2002 तक उड़ीसा के सभी गांवों को टेलीफोन से जोड़ने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार एम०ए०आर०आर० प्रौद्योगिकी पर आधारित टेलीफोन सुविधा जिलावर कितने गांवों को प्रदान की जा चुकी है;

(ग) इस समय कितने टेलीफोन खराब पड़े है;

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त प्रौद्योगिकी के स्थान पर किसी अन्य प्रौद्योगिकी को लाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने चक्रवात के बाद राज्य के विभिन्न ब्लॉक मुख्यालयों में सेटेलाइट टेलीफोन प्रदान किये हैं;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो उक्त सुविधा को कब तक प्रदान कर दिये जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) अभी तक कुल 11,863 गांवों को एम०ए०आर०आर० प्रौद्योगिकी पर आधारित टेलीफोन सुविधा प्रदान की गई है। इनका जिले-वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) इनमें से 8153 एम०ए०आर०आर० पर आधारित टेलीफोन भारी चक्रवात तथा हाल की बाढ़ से हुई तबाही के कारण खराब हो गए हैं। भारी चक्रवात से पहले 3470 एम०ए०आर०आर० आधारित टेलीफोन खराब थे।

(घ) और (ङ) बी०एस०एन०एल० ने इसी वर्ष से चरणबद्ध रूप से एम०ए०आर०आर० पर आधारित टेलीफोनों को वायरलैस इन लोकल लूप (डब्ल्यू०एल०एल०) से बदलने की योजना बनायी है।

(च) से (ज) जी, नहीं। राज्य के सभी ब्लॉक मुख्यालयों को परम्परागत प्रौद्योगिकी पर दूरसंचार सुविधा प्रदान की गई है।

विवरण

क्रम सं०	राजस्व जिले का नाम	प्रदान किए गए एम०ए०आर०आर० वी०पी०टी०
1	2	3
1.	अंगुल	482
2.	बालासोर	620
3.	बारगढ़	540
4.	भद्रक	342
5.	बोलंगीर	621
6.	बौद्ध	197
7.	कटक	345
8.	देवगढ़	154
9.	धेनकनाल	203
10.	गजापति	88
11.	गंजम	855
12.	जगतसिंहपुर	200
13.	जाजपुर	226
14.	झारसुगदा	151
15.	कालाहाण्डी	463
16.	कन्धामल (फूलबनी)	62
17.	केन्द्रपारा	398
18.	क्योंझर	548
19.	खुर्द	444
20.	कोरापुत	705
21.	मलकानगिरी	244
22.	मयूरभंज	974
23.	नौरंगपुर	438
24.	नयागढ़	185

1	2	3
25.	नौपड़ा	230
26.	पुरी	483
27.	रायगढ़	470
28.	सम्भलपुर	451
29.	सोनपुर	173
30.	सुन्दरगढ़	571
	जोड़	11863

दिल्ली में राष्ट्रीय प्राणि उद्यान

1168. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान की जल आपूर्ति और जल-मल व्ययन नेटवर्क को सुधारने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित कर दिए जाने की संभावना है; और

(ग) दिल्ली प्राणी उद्यान में स्वस्थ, स्वास्थ्यकर और प्राकृतिक पर्यावरण बनाए रखने के लिए क्या नए कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार द्वारा चिड़ियाघर के जानवरों को फिल्टर किए गए पेयजल की आपूर्ति के लिए पहले ही प्रबंध किए गए हैं। इसके लिए अलग से पाइप लाइनें बिछाना और ओवरहैड टैंक का निर्माण सहित आवश्यक आधारभूत ढांचा भी प्रदान किया गया है।

जहां तक मल-जल की निकासी में सुधार करने का संबंध है, दिल्ली नगर निगम, उत्तरी रेलवे और इन्द्रप्रस्थ थर्मल पावर प्लांट द्वारा कार्यान्वित विकास कार्यों से नाले के जरिए जमुना नदी में मल-जल के प्राकृतिक बहाव में रूकावट हुई है। चूंकि मल-जल निकासी को फिर से बहाल करने का काम अनेक अभिकरणों से संबंधित है, मल-जल निकासी को पुन:बहाल करने की स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए कोई समय-सीमा नहीं दी जा सकती।

(ग) दिल्ली के चिड़ियाघर में स्वस्थ, स्वास्थ्यकर और प्राकृतिक पर्यावरण को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

1. संगरोध वार्ड का दर्जा बढ़ा दिया गया है।
2. बाड़ों में जलापूर्ति में वृद्धि की गई है।
3. पशु बाड़ों में रेंगने की सुविधाओं में और सुधार किया गया है।
4. विडालवंशी पशु गृहों का नवीनीकरण किया गया है।
5. बड़ी संख्या में वृक्षारोपण किया गया है।

[हिन्दी]

डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण

1169. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न भागों में डाकघरों के कम्प्यूटरीकरण का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार गुजरात में डाकघरों में उक्त सुविधा प्रदान करने का भी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) डाक विभाग का देश के प्रधान डाकघरों में विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों का कम्प्यूटरीकरण करने का प्रस्ताव है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ फ्रंट ऑफिस (डाकघर काउंटरों) के लिए बहुउद्देशीय काउंटर मशीनों की संस्थापना करना शामिल है। डाकघर की अन्य शाखाओं जैसे लेखा शाखा, खजाना शाखा आदि का भी कम्प्यूटरीकरण किए जाने का प्रस्ताव है। ये कम्प्यूटर एक सेंट्रल सर्वर का उपयोग करते हुए एक लोकल एरिया नेटवर्क के रूप में एक साथ जुड़े होंगे।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में जिन डाकघरों को कम्प्यूटरीकरण के लिए शामिल किए जाने का प्रस्ताव है, उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) वर्तमान वर्ष के दौरान गुजरात के निम्नलिखित डाकघरों में काउंटर लेन-देन तथा बचत बैंक लेन-देन का कम्प्यूटरीकरण करने की विभाग की योजना है :

(i) भरुच

(ii) नादियाड

(iii) पालनपुर

(vi) पाटण

(v) पोरबंदर

(vi) रेवड़ी बाजार

(vii) सूरत

(ङ) उपर्युक्त (घ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2001-2002 के दौरान कम्प्यूटरीकृत किए जाने वाले डाकघरों की सूची

क्र०सं०	राज्य	डाकघर
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	अदिलाबाद
2.	आंध्र प्रदेश	गुडूर
3.	आंध्र प्रदेश	करीम नगर
4.	आंध्र प्रदेश	नांदयाल
5.	आंध्र प्रदेश	आर०सी० पुरम
6.	आंध्र प्रदेश	सामलकोट
7.	आंध्र प्रदेश	तेनाली
8.	बिहार	बक्सर
9.	बिहार	डालटनगंज
10.	बिहार	गोपालगंज
11.	बिहार	हजारीबाग
12.	बिहार	लहरियासराय
13.	बिहार	रामगढ़ कैंट
14.	बिहार	समस्तीपुर
15.	छत्तीसगढ़	रायगढ़
16.	छत्तीसगढ़	दुर्ग
17.	दिल्ली	नारायणा
18.	दिल्ली	तिलकनगर
19.	गुजरात	नदियाड
20.	गुजरात	सूरत
21.	गुजरात	रेवड़ीबाजार
22.	गुजरात	पालनपुर
23.	गुजरात	पाटण
24.	गुजरात	भरुच
25.	गुजरात	पोरबंदर
26.	हिमाचल प्रदेश	चम्बा
27.	हिमाचल प्रदेश	पालमपुर
28.	हिमाचल प्रदेश	हमीरपुर
29.	हिमाचल प्रदेश	ऊना
30.	हिमाचल प्रदेश	शिमला जी०पी०ओ०
31.	हिमाचल प्रदेश	मण्डी
32.	जम्मू व कश्मीर	बारामूला
33.	जम्मू व कश्मीर	राजौरी
34.	झारखंड	चाइबासा
35.	झारखंड	लोहारडगा
36.	कर्नाटक	बीदर
37.	कर्नाटक	चन्नापटना
38.	कर्नाटक	देवेनगेरे
39.	कर्नाटक	गुलबर्गा
40.	कर्नाटक	मांडिया
41.	कर्नाटक	रायचूर
42.	कर्नाटक	राजाजी नगर, बेंगलूर
43.	केरल	पटनमथिट्टा
44.	केरल	नेयादिनकारा
45.	केरल	कोट्टायम
46.	केरल	त्रिचूर
47.	केरल	पल्लकाड
48.	केरल	तिल्लिचेरी
49.	मध्य प्रदेश	खांडवा
50.	मध्य प्रदेश	रतलाम
51.	मध्य प्रदेश	सागर कैंट
52.	मध्य प्रदेश	विदिशा
53.	महाराष्ट्र	कल्याण सिटी
54.	महाराष्ट्र	इच्छलकरंजी
55.	महाराष्ट्र	नागपुर सिटी
56.	महाराष्ट्र	नासिक रोड
57.	महाराष्ट्र	शिवाजी नगर, पुणे
58.	उत्तर-पूर्व	कोहिमा

1	2	3
59.	उत्तर-पूर्व	इम्फाल
60.	उत्तर-पूर्व	धर्म नगर
61.	उड़ीसा	अस्का
62.	उड़ीसा	जगतसिंहपुर
63.	उड़ीसा	झारसुगुडा
64.	उड़ीसा	नयागढ़
65.	उड़ीसा	जाजपुर
66.	पंजाब	जगरांव
67.	पंजाब	राजपुरा
68.	राजस्थान	जयपुर जी०पी०ओ०
69.	राजस्थान	शास्त्री नगर, जयपुर
70.	राजस्थान	जवाहर नगर, जयपुर
71.	राजस्थान	अजमेर
72.	राजस्थान	उदयपुर
73.	तमिलनाडु	ताम्ब्रम
74.	तमिलनाडु	कुड्डालोर
75.	तमिलनाडु	कांचीपुरम
76.	तमिलनाडु	पुडुकोट्टई
77.	तमिलनाडु	शिवकाशी
78.	तमिलनाडु	सेंट थॉमस माउंट
79.	तमिलनाडु	तिरूपुर
80.	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़
81.	उत्तर प्रदेश	देवरिया
82.	उत्तर प्रदेश	कानपुर
83.	उत्तर प्रदेश	कानपुर कैंट
84.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ चौक
85.	उत्तर प्रदेश	मथुरा
86.	उत्तर प्रदेश	मुरादाबाद
87.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी
88.	उत्तरांचल	अल्मोड़ा
89.	उत्तरांचल	नैनीताल
90.	उत्तरांचल	पीलीभीत
91.	उत्तरांचल	रामपुर
92.	पश्चिम बंगाल	आसनसोल
93.	पश्चिम बंगाल	बड़ा बाजार
94.	पश्चिम बंगाल	बैरकपुर
95.	पश्चिम बंगाल	दुर्गापुर
96.	पश्चिम बंगाल	जलपाईगुड़ी
97.	पश्चिम बंगाल	मालदा

दूरसंचार सुविधाएं

1170. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक देश में राज्यवार कितने दूरभाष केन्द्र स्थापित किये गये;

(ख) क्या सरकार ने देश में विशेषकर झारखण्ड और बिहार में नियमित और प्रभावी दूरभाष सेवाएं और उक्त केन्द्रों के सुचारू संचालन के लिए कोई नये उपाय किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में 8370 टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए गए हैं और 1.4.2001 से 30.6.2001 तक 148 टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए गए हैं। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) झारखंड और बिहार सहित देश में नियमित और प्रभावी टेलीफोन सेवाएं प्रदान करने और एक्सचेंजों के सुचारू संचालन के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

1. एक्सचेंजों को विश्वसनीय पारेषण माध्यम प्रदान करना।
2. लम्बी अवधि के पावर-ब्रेक डाउन से निपटने के लिए जनरेटर सेट की व्यवस्था।
3. एनालॉग एक्सचेंजों के स्थान पर डिजिटल एक्सचेंज स्थापित करना।
4. बाह्य संयंत्र की पुनर्स्थापना/उन्नयन।
5. चरणबद्ध तरीके से वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यू० एल०एल०) प्रौद्योगिकी की शुरूआत करना।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान और 1.4.2001 से 30.6.2001 तक स्थापित किए गए टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या

क्रम	राज्य	पिछले तीन वर्षों के दौरान स्थापित किए गए टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या				2001-2002 (1.4.2001 से 30.6.2001 तक)
		1998-99	1999-2000	2000-2001	जोड़	30.6.2001 तक
1.	आंध्र प्रदेश	83	358	367	808	17
2.	अरूणाचल प्रदेश	13	8	5	26	शून्य
3.	असम	52	54	61	167	10
4.	बिहार	43	100	272	415	3
5.	छत्तीसगढ़	10	45	54	109	1
6.	दिल्ली	14	15	9	38	शून्य
7.	गोवा	6	17	20	43	1
8.	गुजरात	72	122	453	647	8
9.	हरियाणा	63	51	68	182	7
10.	हिमाचल प्रदेश	36	64	69	169	4
11.	जम्मू और कश्मीर	18	27	15	60	शून्य
12.	झारखंड	10	39	51	100	2
13.	कर्नाटक	68	115	144	327	15
14.	केरल	37	79	69	185	3
15.	मध्य प्रदेश	41	97	101	239	4
16.	महाराष्ट्र	253	428	954	1635	24
17.	मणिपुर	3	1	1	5	शून्य
18.	मेघालय	9	7	13	29	शून्य
19.	मिजोरम	5	4	12	21	शून्य
20.	नागालैण्ड	2	7	5	14	शून्य
21.	उड़ीसा	38	71	133	242	2
22.	पंजाब	92	106	94	292	17
23.	राजस्थान	153	181	103	437	शून्य
24.	सिक्किम	9	3	3	15	2
25.	तमिलनाडु	126	109	195	430	13
26.	त्रिपुरा	5	5	3	13	शून्य
27.	उत्तर प्रदेश	295	401	486	1182	5
28.	उत्तरांचल	23	23	35	81	1
29.	पश्चिम बंगाल	139	110	210	459	4
30.	योग	1718	2647	4005	8370	148

[अनुवाद]

उड़ीसा में रेंगाली सिंचाई परियोजना

1171. **श्री के०पी० सिंह देव : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार रेंगाली बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के कार्यान्वयन के लिए उड़ीसा सरकार को सहायता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार और इसकी एजेन्सियों द्वारा प्रदान की गयी सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार, वर्ष 1996-97 में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की शुरूआत के समय से रेंगाली बहुउद्देश्यीय परियोजना की बायां तट प्रणाली को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत केन्द्रीय ऋण सहायता (सी०एल०ए०) मुहैया करा रही है। पिछले तीन वर्षों (1998-2001) के दौरान इस परियोजना के लिए कुल 112.30 करोड़ रुपए की केन्द्रीय ऋण सहायता जारी की गई है।

(ग) रेंगाली सिंचाई परियोजना निर्माणाधीन है। इस बैराज का कार्य पूरा हो गया है। तथा बायीं मुख्य नहर और शाखा नहर 68.50 कि०मी० तक पूर्ण कर ली गई है। दायीं मुख्य नहर 17 कि०मी० तक सभी प्रकार से पूर्ण कर ली गई है तथा 79 कि०मी० तक खोद ली गई है। यह सूचना मिली है कि इससे मार्च, 2000 तक 1.90 हजार हेक्टेयर की क्षमता का सृजन किया गया है।

इंडियन एयरलाइंस और एअर इंडिया के कर्मचारियों की संख्या में कमी

1172. **श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस और एअर इंडिया ने उच्च स्तर के विभिन्न पदों को समाप्त करके कर्मचारियों की संख्या में भारी कमी कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इससे विनिवेश की प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या उपाचारात्मक उपाय किए हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) एअर इंडिया प्रबंधक वर्ग ने शीर्ष स्तरीय पदों को समाप्त करने संबंधी कोई कार्रवाई नही की है। यद्यपि, इंडियन एयरलाइन्स के प्रबंधक वर्ग ने शीर्षस्तरीय पदों पर भर्ती की जांच करने के लिए एक समिति गठित की थी। समिति की सिफारिशें बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई हैं और तदनुसार, निदेशकगण तथा महाप्रबंधकों के संस्वीकृत पदों की संख्या घटाई जा रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पर्यावरण संबंधी कार्यशालाएं

1173. **श्री अरूण कुमार : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998-99, 1999-2000, 2000-01 के दौरान पर्यावरण शिक्षा तथा प्रशिक्षण और वानिकी अनुसंधान, पर्यावरणीय सूचना प्रणाली कार्यक्रम, संगोष्ठी/परिसंवाद/कार्यशालाओं आदि पर राज्यवार कितना धन व्यय किया गया और वर्ष 2001-2002 के लिए राज्यवार कितना धन व्यय करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्ष 2001-02 के दौरान बिहार में पर्यावरण संबंधी संगोष्ठी/परिसवांद/कार्यशालाएं आयोजित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) पर्यावरण शिक्षा और प्रशिक्षण, वानिकी अनुसंधान, पर्यावरण सूचना प्रणाली और सेमीनार/संगोष्ठी/कार्यशाला स्कीमों के लिए राज्यवार कोई बजट आबंटन नहीं है। इन स्कीमों पर वर्षवार किए गए व्यय का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र० सं०	स्कीम	किया गया व्यय (रुपयों में) 1998-99	1999-2000	2000-01	वर्ष 2001-02 के लिए बजट आबंटन
1.	पर्यावरण शिक्षा और प्रशिक्षण	3,18,13,949	3,51,74,241	4,52,00,321	8,03,00,000
2.	वानिकी शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान	10,07,747	7,84,926	7,32,820	7,09,755
3.	सेमिनार/संगोष्ठी/कार्यशालाएं	27,68,757	43,28,906	22,46,644	25,00,000
4.	पर्यावरण सूचना प्रणाली	1,79,00,000	1,83,56,000	1,86,78,000	1,51,10,000

(ख) और (ग) सेमीनार/संगोष्ठी/कार्यशालाओं से संबंधित स्कीम के अंतर्गत, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण से जुड़ी इस प्रकार की गतिविधियों को चलाने के लिए विश्वविद्यालयों/अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं तथा गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। बिहार राज्य से प्राप्त ऐसे किसी प्रस्ताव पर जो कि निर्धारित दिशा-निर्देशों को पूरा करता है, पर गुणावगुण आधार पर विचार किया जाएगा।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में खातों का रख-रखाव

1174. **श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 13 जून, 2001 के "द इकॉनॉमिक टाइम्स" में प्रकाशित समाचार के अनुसार नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने खातों के उचित रख-रखाव को न बनाये रखने के लिए महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की आलोचना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के तहत 31.3.2000 को समाप्त अवधि के लिए, एम०टी०एन०एल० द्वारा अपनाई गई कतिपय लेखा पद्धतियों के संबंध में तथा साथ ही लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर ही टिप्पणी की है और यह कम्पनी अधिनियम की आवश्यकताओं के अनुसार प्रथा है।

(ख) प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत तथ्य तथा उत्तर विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(ग) चूंकि यह मामला निदेशक मण्डल, वार्षिक आम बैठक तथा संसद के समक्ष रखा गया है, इसलिए सरकार से किसी प्रतिक्रिया की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कम्पनी द्वारा सुधारात्मक उपाय पहले ही कर लिए गए हैं।

विवरण

1. एम०टी०एन०एल० की स्थापना, दिल्ली और मुम्बई टेलीफोन्स की परिसंपत्तियां अंतरित करके, वर्ष 1986 में की गई थी। एम०टी०एन०एल० अचल परिसंपत्तियों की लेखा पद्धतियों के संबंध में सरकार/दूरसंचार विभाग की प्रक्रिया का पालन कर रहा है, जो कि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा निर्धारित लेखा मानकों से भिन्न है। तथापि, कम्पनी ने अचल परिसंपत्तियों की जांच के लिए पहले ही कार्रवाई कर ली है। अचल परिसंपत्तियों के परिणाम और विस्तार को ध्यान में रखते हुए कम्पनी के निदेशक मण्डल ने तीन वर्ष की अवधि के दौरान बारी-बारी से इन परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन करने का निर्णय लिया है। वर्ष 2000-2001 के लिए कम्पनी की भूमि तथा भवनों का वास्तविक सत्यापन कर लिया गया है। लेखा परीक्षकों ने भी कम्पनी द्वारा अपनाई गई पद्धति को स्वीकृत कर लिया है।

2. दूरसंचार विभाग तथा एम०टी०एन०एल० के बीच लेखा-समाधान के लिए डी०ओ०टी० तथा एम०टी०एन०एल० दोनो के अधिकारियों का एक कोर ग्रुप बनाया गया है और समाधान कार्य चल रहा है।

3. 62.10 मिलियन रु० की अग्रिम टेलीफोन आय को मार्च, 2001 में सेवाओं से हुई आमदनी के साथ पहले ही समायोजित कर लिया गया है।

4. सहस्त्राब्दि के तोहफों से संबंधित खर्च, कर्मचारियों के पारिश्रमिक तथा लाभ संबंधी राशियां जो 17.77 मिलियन रुपए हैं, को एम०टी०एन०एल० की जून, 2001 की लेखा बहियों में दर्ज कर लिया गया है।

5. 1999-2000 के लिए एमटीएनएल के लेखों में संपत्ति कर के लिए अधिक प्रावधान को अगस्त 2000 में समायोजित कर लिया गया था।

6. (i) 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा निर्धारण वर्ष 1995-96 से 1998-99 तक के लिए 553.00 करोड़ की मांग की गई थी, जो कि विवादास्पद है और इस राशि को लेखों में "आकस्मिक देयता" के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

   (ii) तुलन-पत्र तथा कम्पनी के "जनरल बिजनेस प्रोफाइल" का उल्लेख मुद्रित वार्षिक रिपोर्ट, 1999-2000 में किया गया था।

   (iii) दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दर्ज की गई थी और उसे स्वीकार कर लिया गया था। सुनवाई की तारीख 17.1.2001 को निश्चित की गई थी। इस मामले पर निर्णय कम्पनी के पक्ष में हुआ है। चूंकि मामला न्यायाधीन था, अत: इस संबंध में लेखों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

7. (i) अचल परिसंपत्तियों में शामिल की गई अस्वीकृत व्यय की सही राशि 2554.88 मिलियन रुपए थी।

   (ii) 1986-87 से 1999-2000 तक डब्ल्यू०आई०पी० के पुराने मामलों की पुनरीक्षा के लिए कार्यबल गठित किया गया है और तदनुसार पूंजीकरण (कैपिटलाइजेशन)/बट्टे खाते डालने संबंधी करवाई की जाएगी।

   (iii) भविष्य निधि लेखे का आवश्यक समाधान कर दिया गया है और देय राशि का भुगतान भविष्य निधि न्यास को कर दिया गया है।

8. यह एक सतत् प्रक्रिया है और मीटरशुदा कॉलों के साथ लेखा रिकॉर्डों में दर्ज कॉलों का मिलान करने हेतु कदम उठाए जा रहे हैं।

मुम्बई विमानपत्तन का विकास

1175. श्री किरीट सोमैया : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुम्बई विमानपत्तन के विकास के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या झुग्गियों में रहने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए भूमि का पुनरावंटन कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रयोजनार्थ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और स्थानीय निकाय द्वारा कितनी धनराशि मंजूर की गई ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) जी, हां। मुम्बई हवाई अड्डे पर अंतर्देशीय यात्री टर्मिनल पर यात्री सुविधाओं के लिए तीन अतिरिक्त एयरोब्रिजों (हवाई पुलों) की स्थापना, और निर्यात और आयात कार्गो सुविधाओं के विस्तार, सम्पूर्ण रूप से आधुनिक निर्यात कार्गो टर्मिनल 3ए और अंतरराष्ट्रीय कार्गो टर्मिनल पर आयात कार्गो टर्मिनल फेज-II अंतरराष्ट्री कार्गो टर्मिनल के निर्माण किये जाने का प्रस्ताव किया गया है।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। झोपड़-वासियों के पुनर्वास के लिए किसी भी भूमि का पुन: आवंटन नहीं किया गया है। शेष बचे झोपड़ पट्टी निवासियों को जिन्होंने हवाई अड्डे की भूमि पर कब्जा किया हुआ है, इन्हें शिवसाही पुनर्वासन प्रकल लिमिटेड के माध्यम से पुनर्वासित किया जा रहा है, जो महाराष्ट्र सरकार की एक कम्पनी और स्लम पुनर्वास प्राधिकरण है, जो महाराष्ट्र सरकार का एक विभाग है, जो एस०पी०पी०एल०, एस०आर०ए० और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच किये गये करार के अधीन है। एस०पी०पी०एल० उस सरकारी भूमि पर बहु-मंजिलें भवनों का निर्माण कर रही है जो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने पुनर्वास के लिए दी है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने हवाई अड्डे की भूमि से स्लम निवासियों के पुनर्वास के लिए 30 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है, चूंकि इस भूमि की आवश्यकता मुम्बई हवाई अड्डे पर प्रचालनात्मक प्रयोजनों के लिए है।

रोजगार के अवसर

1176. श्री जे०एस० बराड़ : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर के राज्यों, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में बेरोजगार कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रमिकों की अलग-अलग संख्या कितनी है;

(ख) उन्हें रोजगार देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या इनमें से किसी राज्य ने बंगलादेशियों को कार्यानुमति (वर्क-परमिट) देने पर आपत्ति जताई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) 31.12.1998 की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों की संख्या, जिनमें यह आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हों तथा उनमें से पूर्वोत्तर राज्यों पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली में शिक्षितों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। इन रोजगार चाहने वालों का कुशल, अर्ध-कुशल एवं अकुशल कामगारों के रूप में ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

(ख) रोजगार सृजन हेतु आयोजना पंचवर्षीय योजनाओं का एक भाग है। नौवीं योजना दृष्टिकोण में उत्पादक रोजगार जोकि बेरोजगारी तथा अल्प-रोजगार की उच्च दरों की प्रवत्ति वाले क्षेत्रों में श्रम सघन सैक्टरों, सब-सैक्टरों तथा प्रौद्योगिकियों पर संकेद्रण से विकासात्मक प्रक्रिया में स्वत: ही सृजित होगा, को प्राथमिकता दिए जाने की परिकल्पना की गई है।

सरकार रोजगार सृजन एवं गरीबी उन्मूलन हेतु विशेष कार्यक्रम भी कार्यान्वित कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्व-रोजगार योजना, जवाहर ग्राम स्मृद्धि योजना तथा रोजगार आश्वासन योजना, रोजगार उपलब्ध करवाने वाले प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हैं। शहरी क्षेत्रों में स्वर्ण जयंती शहरी रोजागार योजना (एस०जे०एस० आर०वाई०) 1.12.97 से चल रही है, जिसमें गरीबों को भी लाभप्रद रोजगार उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय प्लान स्कीम के रूप में प्रधान मंत्री रोजगार योजना कार्यान्वित की जा रही है।

(ग) और (घ) भारत एवं बंगलादेश के बीच मई 2001 में हस्ताक्षरित संशोधित वीजा करार के अनुसार एक देश के नागरिकों, जिन्हें दूसरे देश के नामोद्दिष्ट प्राधिकारियों द्वारा कार्य अनुज्ञा पत्र जारी किया जाता है, को वर्ष-दर-वर्ष आधार पर बहु-प्रवेश वीज़ा जारी किया जाए। इसके अतिरिक्त, किसी भी राज्य सरकार ने बंगला देशवासियों को कार्य अनुज्ञा पत्र प्रदान करने का विरोध नहीं किया है।

विवरण

दिसम्बर 1998 के अनुसार (हजार में)

	चालू रजिस्टर पर शिक्षित	कुल चालू रजिस्टर
	1	2
बिहार	2482.8	3310.0
महाराष्ट्र	3044.2	4103.1
दिल्ली	869.0	1128.2
उत्तर प्रदेश	2007.9	2638.5
पश्चिम बंगाल	3350.0	5724.7

	1	2
उत्तर-पूर्वी राज्य		
अरूणाचल प्रदेश	3.1	13.7
असम	932.5	1489.3
मणिपुर	218.6	334.7
मेघालय	18.9	33.4
मिजोरम	34.3	74.2
नागालैण्ड	19.2	27.7
त्रिपुरा	109.5	246.3
सिक्किम	इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है	

[हिन्दी]

एअर इंडिया का विनिवेश

1177. **श्री सुन्दर लाल तिवारी :**
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :
श्री प्रहलाद सिंह पटेल :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष तथा चालू वित्त वर्ष के पहले तीन महीनों के दौरान एअर इंडिया ने कितना लाभ अर्जित किया है; और

(ख) क्या सरकार का एअर इंडिया के विनिवेशार्थ विदेशी बोलीदाताओं को भी अनुमति देने का विचार है तथा इसके कारण क्या हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) वर्ष 2000-01 के दौरान एअर इंडिया को 52.00 करोड़ रुपए निवल हानि हुई है। अप्रैल-जून, 2001 की तिमाही के दौरान, एअर इंडिया को लगभग 2.5 करोड़ रुपए का निवल लाभ हुआ।

(ख) कंसोर्टियम के रूप में विदेशी बोलीकर्ता को भाग लेने की अनुमति दी जाती है बशर्ते कि एक वास्तविक भागीदार के मामले में विदेशी धारिता एअर इंडिया लिमिटेड की कुल इक्विटी का 26 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

[अनुवाद]

पत्तन-मार्ग का निर्माण

1178. **श्री के०ई० कृष्णमूर्ति : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की क्या कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन०एच०ए० आई०) ने पत्तन-मार्ग (पोर्ट रोड) के निर्माणार्थ विशाखापत्तनम पत्तन न्यास के साथ एक संयुक्त उद्यम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस मार्ग के निर्माण में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस पत्तन मार्ग का निर्माण कब तक किए जाने की संभावना है ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूडी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास के क्षेत्राधिकार में आने वाली सड़क को रा०रा० 5 से पत्तन तक चार लेन के स्तर का बनाने का प्रस्ताव है। तकनीकी परामर्शदाताओं के माध्यम से परियोजना तैयार करने का कार्य उन्नत अवस्था में है। एक विशेष प्रयोजन-कंपनी के माध्यम से परियोजना के कार्यान्वियन की रूपरेखा और वित्तपोषण की व्यवस्था पर कार्य किया जा रहा है। इसका निर्माण कार्य 2004 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

दूरभाष एक्सचेंज स्थापित किया जाना

1179. **श्री रतन लाल कटारिया : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को ग्रामीण क्षेत्रों में दूरभाष एक्सचेंज स्थापित करने के प्रयोजन से भूमि का अधिग्रहण करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां। बहुत से मामलों में ऐसा हुआ है।

(ख) टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के लिए भूमि के अधिग्रहण संबंधी मामले को दूरसंचार सर्किलों द्वारा उच्च स्तर पर राज्य सरकारों के साथ उठाया जाता है। विभाग के लिए उचित दर पर भूमि की व्यवस्था करने और प्राथमिकता के आधार पर उपयुक्त स्थान निश्चित करने के लिए उपयुक्त स्तर पर नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं।

खानों में दुर्घटनाएं

1180. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोई :**
श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न खानों में खानवार तथा वर्षवार कितनी दुर्घटनाएं हुईं और इनमें कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रभावित व्यक्तियों को दिए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भिन्न-भिन्न खानों में हुई दुर्घटनाओं और मारे गए व्यक्तियों की संख्या निम्नवत् है :—

वर्ष	घातक दुर्घटनाओं की संख्या		मारे गए व्यक्तियों की संख्या	
	कोयला	गैर-कोयला	कोयला	गैर-कोयला
1998	128	156	146	65
1999	127	61	139	72
2000	199	50	146	54

(ख) घायल व्यक्तियों को अथवा मृतक के परिवारों को कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान किया जाता है, इन अधिनियमों का क्रियान्वयम राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है।

(ग) और (घ) कोयला खानों/गैर-कोयला खानों में घातक दुर्घटनाओं के लिए उत्तरदायी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई निम्नवत् है :—

कार्रवाई का प्रकार	क. खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा की गई कार्रवाई	1998	1999	2000
1	2	3	4	5
1.	प्रमाणपत्र का निलम्बन/निरसन	0	1	0
2.	जारी की गई चेतावनियां	25	99	1
3.	आरम्भ किए गए अभियोजन	155	133	104
4.	दुर्घटना-कोई कार्रवाई नहीं	7	13	8
5.	की गई अन्य कार्रवाई	12	9	0
	ख. प्रबंधन द्वारा की गई कार्रवाई			
1.	निलम्बित किए गए	73	66	36
2.	पदोन्नति पर रोक	3	8	2
3.	पदावनत किए गए	3	2	4
4.	स्थानान्तरित किए गए	2	1	1
5.	वेतनवृद्धि रोकी गई	17	21	13
6.	सेवा बर्खास्त की गयी	14	15	11
7.	प्रबन्धन द्वारा चेतावनी दी गयी	47	42	10
8.	अनुशासनात्मक	6	4	2
9.	मृतक कोई कार्रवाई नहीं	51	44	50

[अनुवाद]

प्राणी उद्यान प्राधिकारियों द्वारा बाघों का भेंटस्वरूप दिया जाना

1181. श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्रीमती रेणूका चौधरी :
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 अप्रैल, 2001 के ''दि इंडियन एक्सप्रेस'' समाचारपत्र में ''नो बीस्टली टेल्स एट छतबीड़, हियर टाइगर्स और सिम्पली गिफ्टेड अवे'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तथ्य क्या हैं; और

(ग) भविष्य में इस प्रकार के कदाचार को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इंडियन एक्सप्रैस में दिनांक 24.4.2001 को ''नौ बीस्टली टेल्स ऐट छतबीर, हियर टाइगर्स आर सिम्पली गिफ्टिड अवे'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार में छतबीर चिड़ियाघर से लिबिया को दो बाघ उपहार स्वरूप देने की आलोचना की गई है। उक्त समाचार की पुष्टि में देश में बाघों की संख्या और बन्दीगृह तथा बन्दीगृह के बाहर बाघों की मौतों की संख्या दी गई है। विदेश मंत्रालय के अनुरोध पर बाघों का एक जोड़ा लिबिया को उपहार में दिया गया है। भारत सरकार द्वारा भारत के बाहर भारतीय वन्यजीवों के बारे में शिक्षा तथा जागरूकता के उद्देश्य से समय-समय पर सद्भावना प्रकट करने के लिए ऐसे उपहार दिए जाते रहे हैं। चूंकि उपहार में दिए गए बाघों की उत्पत्ति बन्दीगृह में हुई होती है इसलिए वन्य बाघों की संख्या पर इस उपहार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके अतिरिक्त, चिड़ियाघर में बाघों की संख्या इसमें रखे जा सकने की क्षमता से अधिक थी और यह चिड़ियाघर बाघों को उपहार हेतु उपलब्ध कराने के लिए तैयार था। चूंकि जंगल में केप्टिव ब्रैड लार्ज कैट्स के शुरू करने की दिशा में अभी सफलता हासिल की जानी है, इसलिए जीन-पूल के रूप में केप्टिव ब्रैड टाइगर्स का महत्व भी सीमित है।

[हिन्दी]

जल की आवश्यकता के संबंध में आकलन

1182. **श्री रामजीलाल सुमन :**
श्री नवल किशोर राय :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न क्षेत्र में जल की आवश्यकता के संबंध में कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो कृषि, औद्योगिक और घरेलू क्षेत्रों में पृथकत: कितनी आवश्यकता होगी;

(ग) इस समय इन क्षेत्रों के लिए कितनी मात्रा में जल उपलब्ध है; और

(घ) निकट भविष्य में इन क्षेत्रों में और अधिक जलराशि उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या योजना बनाई गई है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) जी, हां। विभिन्न क्षेत्रों में अनुमानित जल की आवश्यकताएं इस प्रकार हैं :

(बिलियन क्यूबिक मीटर/वर्ष में)

क्षेत्र	वर्तमान (वर्ष 2000)	वर्ष 2025
सिंचाई (कृषि)	541	910
घरेलू (पशुधन सहित)	42	73
औद्योगिक क्षेत्रों के लिए	8	23
उर्जा	2	15
अन्य उपयोगों के लिए	41	72
कुल	634	1093

(ग) यह अनुमान है कि इस समय 605 बिलियन घन मीटर (बी०सी०एम०) जल का उपयोग किया जा रहा है। इसमें से सिंचाई (कृषि) के लिए 501 बी०सी०एम०, घरेलू प्रयोजनों के लिए 30 बी०सी०एम०, उद्योगों के लिए 20 बी०सी०एम०, उर्जा के लिए 20 बी०सी०एम० तथा अन्य उपयोगों के लिए 34 बी०सी०एम० जल का उपयोग किया जा रहा है।

(घ) जल राज्य का विषय है, जल संसाधन विकास परियोजनाओं की आयोजना, क्रियान्वयन एवं उनका वित्त पोषण राज्य सरकार द्वारा उनकी स्वयं की प्राथमिकताओं के अनुसार तथा उनके निजी संसाधनों से किया जाता है। वर्ष 1995 तक, देश में बड़े बांधों का निर्माण करके 177 बी०सी०एम० सक्रिय भण्डारण क्षमता सृजित की गई है। इसके अतिरिक्त, लगभग 75 बी०सी०एम० अतिरिक्त भण्डारण क्षमता बढ़ाने वाली परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं तथा 132 बी०सी०एम० क्षमता बढ़ाने वाली परियोजनाओं के निर्माण की योजना की जा रही है। भारत सरकार वर्ष 1996-97 से प्रारंभ किये गए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता मुहैया कर रही है ताकि वे चल रही परियोजनाओं को शीघ्र पूरा कर सकें। दीर्घावधि उपाय के रूप में जल संसाधन संबंधी विकास के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की गई हैं, जिसमें अधिशेष जल वाले बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों में जल हस्तांतरित करने के लिए विभिन्न प्रायद्वीपीय तथा हिमालयी नदी प्रणालियों को परस्पर जोड़ने की योजना है। बहुउद्देश्यीय जल संसाधन परियोजनाएं घरेलू/सिंचाई/उद्योगों आदि की जरूरतें पूरा करती हैं। जहां कहीं पेय जल संबंधी वैकल्पिक स्रोत नहीं है वहां पर सभी नई बहुउद्देश्यीय और सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना करते समय शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए पेय जल आपूर्ति का विशेष प्रावधान करना, परियोजना के घटकों में से एक घटक है। भारत सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए०आर०डब्ल्यू०एस०पी०) तथा प्रधान मंत्री की ग्रामोद्योग योजना (पी०एम०जी०वाई०) ग्रामीण पेय जल घटक के तहत वित्तीय सहायता मुहैया कराकर राज्यों द्वारा किए जा रहे प्रयासों में सहायता प्रदान करती है।

भारत सरकार भी ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के क्षेत्र सुधार परियोजना के तहत जल विभाजक प्रबंधन कार्यक्रम, भू जल के कृत्रिम पुनर्भरण और छत के वर्षा जल के संचयन के माध्यम से वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए राज्य सरकारों और अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों को तकनीकी और वित्तीय सहायता मुहैया की जाती है।

इंडियन एयरलाइंस द्वारा किराये में कमी

1183. **श्री दानवे रावसाहेब पाटील :**
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री ए० वेंकटेश नायक :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस ने अपना किराया कम कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन वायुमार्गों पर इसे कम किया गया है साथ ही अन्य एयरलाइनों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान, इंडियन एयरलाइंस को बहुत अधिक घाटा उठाना पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इंडियन एयरलाइंस द्वारा अपने प्रशासकीय व्यय को कम करने तथा एयरलाइंस को लाभप्रद बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) 28 जून, 2001 से इंडियन एयरलाइंस ने निम्नलिखित 5 सैक्टरों पर अपने किराये में कमी कर दी है जिसमें से 3 सैक्टरों पर किराये में कमी इतने नीचे स्तर पर कर दी गयी है जो 25 मई, 2001 से पहले से लागू किराये से भी कम है, अर्थात् यह वह तारीख है जब फ्लेक्सी किराये आरंभ किये गये :–

अहमदाबाद–बंगलौर,

मुम्बई–बंगलौर,

मुम्बई–चेन्नई,

मुम्बई–कोलकाता,

मुम्बई–गोवा

इंडियन एयरलाइंस के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, अन्य एयरलाइनों ने भी अपने किराये में कमी कर दी है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। कम्पनी ने वित्तीय वर्ष में 1997-98 से 1999-2000 के दौरान लाभ अर्जित किया जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :–

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	निवल लाभ (कर-पूर्व)
1997-90	47.27
1998-99	14.17
1999-2000	51.42

वर्ष 2000-01 के लिए कंपनी का राजस्व और व्यय बजट तैयार कर लिया गया था और इसे दिसम्बर, 1999 में अनुमोदित कर दिया गया था जिसमें तत्कालीन पहले की लागत कीमतों पर 28.75 करोड़ रुपए का एक निवल लाभ का अनुमान लगाया गया था। दिसम्बर, 1999 में बजट अनुमोदन के बाद विमानन टरबाईन ईंधन लागतों और अन्य लागत कीमतों में बहुत तेजी से बढ़ोत्तरी हुई, जिससे कम्पनी पर 300 करोड़ रुपए से भी अधिक का अतिरिक्त भार आ पड़ा। इसके परिणामस्वरूप, वर्ष 2000-01 के लिए संशोधित बजट (आर०ई०) में 177.25 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया गया है। वर्ष के लिए वार्षिक लेखाओं की इस समय लेखा परीक्षा चल रही है। यदि उपरोक्त लागत में इस प्रकार की वृद्धि नहीं हुई होती, तो कम्पनी को 28.75 करोड़ रुपए की बजटीय लाभ से भी अधिक लाभ हुआ होता।

अप्रैल, 2001 के दौरान, जिसके लिए वित्तीय परिणाम उपलब्ध है, कम्पनी को 17.75 करोड़ रुपए की निवल हानि उठानी पड़ी थी जबकि बजटित हानि 26.30 करोड़ रुपए की थी।

(ङ) कम्पनी ने 25 मई, 2001 से अपनी अंतर्देशीय नेटवर्क पर एक फ्लैक्सीबल किराया नीति अपनाई है। फ्लैक्सी-किरायों के अंतर्गत, किरायों का निर्धारण सीजन, प्रतिस्पर्द्धा, उड़ानों के समय और अन्य मांग और पूर्ति घटकों के आधार पर किया जायेगा। इस प्रकार, फ्लैक्सी-किराये लागू किये जाने से उच्च क्षमता उपयोगिता और बेहतर उपलब्धि के कारण कम्पनी को राजस्व अर्जन में सुधार पाने की आशा की जाती है। फ्लैक्सी-किराये के अलावा, कम्पनी ने अपने वित्तीय और प्रचालनात्मक कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिए विभिन्न कदम उठाये हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सम्मिलित हैं।

(1) व्यय की सभी प्रमुख मदों पर कड़ा बजटीय नियंत्रण, जो लागत लाभ विश्लेषण, प्रचालनात्मक और वाणिज्यिक व्यथिता, वित्तीय स्वीकृतियों इत्यादि के आधार पर होगा।

(2) बेहतर विमान-बेड़ा उपयोगिता : – विमानचालकों, विमान इंजीनियरों की उत्पादकता में सुधार, ग्राउण्ड टर्न राउंड समय, कुछ अंतर्देशीय सैक्टरों पर रात्रि उड़ानों में कमी करना। अंतरराष्ट्रीय प्रचालनों में वृद्धि, विमान को सेवा में लगाने के लिए बेहतर समय-निर्धारण और मार्ग योजना, मार्केट आवश्यकताओं इत्यादि के साथ इसके अनुरूप क्षमता लगाना।

(3) उत्पाद गुणवत्ता में सुधार, समय-बद्ध कार्य-निष्पादन में सुधार, सामान्य सुधार और उपयोक्ताओं इत्यादि के लिए सेवाओं का स्तरोन्यन।

(4) मार्केटिंग पहल, विदेशी एयरलाइनों के साथ कोड-शेयरिंग, कम्प्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली में भागीदारी का उच्च स्तर, निगमित प्रोत्साहन इत्यादि सहित विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं।

(5) फ्लैक्सीबल किराये :– सीजन, प्रतिस्पर्द्धा, उड़ानों के समय और अन्य मांग और पूर्ति घटकों पर किराये का निर्धारण।

(6) लागत नियंत्रण उपाय :– ओवरटाइम, नैमित्तिक श्रम, होटल यात्रा व्यय, कर्मीदल ठहराव व्यय पर नियंत्रण, केवल प्रचालनात्मक कारणों के लिए आवश्यकताओं को छोड़कर भर्ती पर रोक, ईंधन और टैंकर भरने पर निगरानी, विमान अनुरक्षण पर नियंत्रण, प्रचार और विक्रय प्रोत्साहन व्यय में कमी, अलाभकारी उड़ान, माल सूची प्रबन्ध की संवीक्षा जहां तक संभव हो सके, बाहरी स्रोतों से सेवाओं को प्राप्त करना।

विमानपत्तनों की संख्या

1184. श्री हरिभाई चौधरी : क्या नागर **विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में देश में कितने विमानपत्तन हैं और ये कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) इनमें से स्थलवार कितने विमानपत्तन बंद पड़े हुए हैं;

(ग) क्या सरकार इन विमानपत्तनों से छोटे यात्री विमान चलाने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण देश में 94 हवाई अड्डों और 28 सिविल एन्क्लेवों का स्वामित्व और प्रबंधन का कार्य करती है। यह मिजोरम में लैंगपुईं और मेघालय में तुरा के हवाई अड्डों का भी प्रबंध करती है जो राज्य सरकारों के हैं। कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रबन्ध कोचीन अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा किया जाता है। राज्य-वार हवाई अड्डों की आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र प्रत्येक में 8, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में प्रत्येक में 7, आसाम, बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में प्रत्येक में 5, त्रिपुरा में 4, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में प्रत्येक में 3, छत्तीसगढ़, दिल्ली, झारखंड, केरल, उड़ीसा, पंजाब और उत्तरांचल में प्रत्येक में 2 और अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, पांडिचेरी और लक्षद्वीप में प्रत्येक में एक है। अरूणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में प्रत्येक में 4, आसाम, जम्मू और कश्मीर और राजस्थान में प्रत्येक में 3, गुजरात में 2 और आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार और चंडीगढ़ में प्रत्येक में एक सिविल एन्क्लेव हैं।

(ख) उपरोक्त में से, 33 हवाई अड्डे और 10 सिविल एन्क्लेव गैर प्रचालनात्मक हैं। ये मध्य प्रदेश और बिहार में प्रत्येक में 5, आंध्र प्रदेश में 4, महाराष्ट्र, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में प्रत्येक में 3, आसाम और कर्नाटक में प्रत्येक में 2, अरूणाचल प्रदेश, गुजरात, मिजोरम, उड़ीसा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में प्रत्येक में 1 हैं। अरूणाचल प्रदेश में 4, उत्तर प्रदेश में 3, राजस्थान में 2 और केरल में 1 सिविल एन्क्लेव हैं। इन हवाई अड्डों को पूर्ण रूप से बन्द नहीं किया गया है। एक मूल न्यूनतम अनुरक्षण किया जाता है जिससे चार्टरित होने अथवा गैर-अनुसूचित उड़ानों की कम अवधि में मांग आने पर इन हवाई अड्डों को प्रचालनात्मक बनाया जा सके।

(ग) से (ङ) अपने वाणिज्यिक विवेक पर और यातायात की मात्रा और विमानों की उपलब्धता के आधार पर एयरलाइनें किसी भी हवाई अड्डे के लिए/से प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

[अनुवाद]

विमानपत्तनों का निजीकरण

1185. **श्री नरेश पुगलिया :**
श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री एन० जनार्दन रेड्डी :
श्री अनन्त नायक :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार, दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई और कोलकाता के विमानपत्तनों को दीर्घावधि आधार पर निजी पार्टियों को पट्टे पर दे देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या इन विमानपत्तनों का मूल्यनिर्धारण कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन विमानपत्तनों पर खाली पड़ी भूमि के वाणिज्यिक उपयोग के बारे में कोई निर्णय भी लिया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) जब और जैसे ही उपयुक्त पाया जाएगा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के हवाई अड्डों की पुनर्संरचना दीर्घावधिक पट्टे के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है। इस समय, दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई और कोलकाता स्थित हवाई अड्डों की पुनर्संरचना की जा रही है। ऐसा करने का मुख्य कारण सेवा मानकों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप करना, प्रबंधन व्यवस्था में सुधार लाना, कार्यकुशलता और समग्र उत्पादकता में सुधार लाना, सु-प्रबंधन वाले हवाई अड्डों से होने वाले आर्थिक लाभ की संभाव्यता की खोज करना तथा उपयुक्त लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निजी निवेशकों को आकर्षित करना है।

(ग) और (घ) इन हवाई अड्डों का मूल्यांकन पट्टा प्रक्रिया का एक हिस्सा है। यद्यपि, पट्टे पर देने के प्रयोजन से मूल्यांकन रियायती करार के वृहत् नियम एवं शर्तों से संबद्ध है, यह वृहत् प्रक्रिया का एक हिसा है जिसके आधार पर पट्टाकर्ता के अंतिम चयन का निर्णय लिया जाता है।

(ङ) और (च) खाली पड़ी भूमि की वाणिजियक उपयोगिता पट्टा प्रक्रिया में परिकल्पित है। यह भूमि प्रयोग के प्रतिबंधों के अधीन होगा और तत्पश्चात ऐसा सुनिश्चित किया जाता है कि वैमानिकी प्रयोजनों से ऐसे भूमि की जरूरत नहीं पड़ेगी।

राष्ट्रीय पर्यावरणीय कार्य योजना

1186. **श्री ए० नरेन्द्र :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक राष्ट्रीय पर्यावरणीय कार्य योजना की रूप-रेखा तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य योजना के अन्तर्गत किन-किन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है; और

(ग) इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (ग) सरकार ने राष्ट्रीय पर्यावरण कार्य योजना तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति द्वारा सरकार को उक्त अन्तिम कार्य योजना अभी भेजी जानी है।

मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजनाएं

1187. **श्री वीरेन्द्र कुमार :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कितनी बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाएं चल रही हैं और इनके नाम क्या हैं;

(ख) ये परियोजनाएं किस विशिष्ट योजनावधि में शुरू की गई थी;

(ग) इनके पूरा होने के लिए क्या लक्ष्य तिथि निर्धारित की गई है; और

(घ) प्रत्येक परियोजना की प्रगति का ब्यौरा क्या है और उसकी अनुमानित लागत कितनी है तथा प्रत्येक पर कितनी धनराशि व्यय की गई है और अब तक कितनी सहायता राशि जारी की गई है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (घ) मध्य प्रदेश में चल रही वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

चल रही वृहद और माध्यम परियोजनाओं के वित्तीय और वास्तविक ब्यौरे

मध्य प्रदेश

(राशि करोड़ रु० में)

क्रम सं०	परियोजना का नाम	वित्तीय ब्यौरे: किस योजना में शुरू हुई	अनुमानित लागत: मूल	अनुमानित लागत: नवीनतम	आठवीं योजना के अंत तक संचयी व्यय: राशि	आठवीं योजना के अंत तक संचयी व्यय: %	नौवीं योजना में आगे लाई गई लागत	3/2001 तक एआईबीपी के तहत जारी की गई केन्द्रीय ऋण सहायता	वास्तविक ब्यौरे: चरम क्षमता (हजार हेक्टयेर)	पूरा होने का लक्ष्य (नौवीं योजना अथवा उसके आगे
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	वृहत परियोजनाएं (आठवीं योजना से नौवीं योजना में लाई गई)									
1.	भान्डेर नहर	I	2.04	27.79	6.89	24.79%	20.90		44.50	IX
2.	बारना	II	5.55	34.26	27.95	81.58%	6.31		60.50	IX
3.	कोलार	IV	139.14	195.00	165.48	84.86%	29.52		60.90	IX
4.	सिन्ध फेज-1	IV	4.95	56.43	41.86	74.18%	14.57	4.500	53.00	IX
5.	बाणसागर (आईएस) यूनिट-1	V	91.31	936.00	346.22	36.99%	589.78	160.250	0.00	IX यो० से आगे
6.	बाणसागर (आईएस) यूनिट-11	V	344.66	344.66	130.19	37.77%	214.47		249.00	IX यो० से आगे
7.	बरियार पुर बायां तट नहर	V	18.40	204.43	51.53	25.21%	152.90	5.000	43.80	IX यो० से आगे
8.	राजघाट (आईएस) यूनिट-I	V	61.61	150.30	89.33	59.43%	60.97	27.803	0.00	IX
9.	राजघाट (आईएस) यूनिट-II	V	309.21	523.41	101.52	19.40%	421.89		121.45	IX यो० से आगे
10.	रानी अवंती वाई सागर (बारगी) (एनबीडीए)	V	566.34	759.00	397.41	52.36%	361.59		219.80	IX यो० से आगे
11.	ऊपरी वेनगंगा	V	50.60	249.72	161.67	64.74%	88.05	41.330	105.30	IX
12.	उर्मिल (आईएस)	V	6.41	22.01	16.39	74.47%	5.62	1.000	7.70	IX
13.	बावनथाडी (आईएस) यूनिट-I	VI	74.06	95.28	23.63	24.80%	71.65		0.00	IX यो० से आगे
14.	बावनथाडी (आईएस) यूनिट-II	VI	52.75	52.75			52.75		29.40	IX यो० से आगे
15.	इंदिरा सागर (एनवीडीए)	VI	752.16	1574.00	229.73	14.60%	1344.27	246.000	169.00	IX यो० से आगे

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	जोबत (एनवीडीए)	VI	30.75	67.23	26.57	39.52%	40.66		12.50	IX यो० से आगे
17.	महान	VI	39.00	155.10	33.49	21.59%	121.61		19.04	IX यो० से आगे
18.	माही	VI	61.52	192.85	42.51	22.04%	150.34	2.170	26.40	IX यो० से आगे
19.	मन (एनवीडीए)	VI	44.10	96.13	62.21	64.71%	33.92		17.70	IX यो० से आगे
20.	सिंध फेज-I	VI	510.94	607.67	108.95	17.93%	498.72	12.100	162.00	IX यो० से आगे
21.	थनवर	वा०यो० 78-80	24.38	27.22	22.66	83.25%	4.56		18.20	IX
22.	बारगी डाइवर्जन (एनवीडीए)	VIII	1101.23	1554.50	19.62	1.26%	1534.88		376.51	IX यो० से आगे
23.	ओमकारेश्वर (एनवीडीए)	VIII	350.00	755.00	5.49	0.73%	749.51		283.32	IX यो० से आगे
24.	पंच डाइवर्जन	VIII	91.60	184.04	6.15	3.34%	177.89		96.52	IX यो० से आगे
	कुल			8864.780	2117.450		6747.330	500.153	2176.540	
	मध्यम परियोजनाएं (आठवीं योजना से नौवीं योजना में लाई गई)									
1.	बंजर	V	2.09	11.72	6.72	57.34%	5.00	1.000	2.40	IX
2.	मकरोदा	V	1.81	18.00	8.34	46.33%	9.66		10.50	IX
3.	मतियारी	V	4.89	71.83	54.67	76.11%	17.16		13.70	IX
4.	बह	VI	19.38	54.30	3.48	6.41%	50.82		13.60	IX यो० से आगे
5.	बंदिया नलला	VI	1.80	20.00	12.43	62.15%	7.57		2.50	IX
6.	डेजला देवड़ा	VI	16.43	60.00	53.05	88.42%	6.95		12.20	IX
7.	कुंवारी लिफ्ट	VI	1.03	5.31	0.27	5.08%	5.04		3.90	IX यो० से आगे
8.	लखुन्दर	VI	4.27	50.00	31.12	62.24%	18.88		8.30	IX
9.	महुअर	VI		47.32	4.35	9.19%	42.97		13.80	IX यो० से आगे
10.	सागर	VI	10.68	31.99	1.17	3.66%	30.82		12.50	IX यो० से आग
11.	बुधना	वा०यो० 78-80	2.00	32.54	30.64	94.16%	1.90		3.20	IX
12.	बुन्दाला	वा०यो० 78-80	2.18	19.83	14.82	74.74%	5.01		4.50	IX
13.	चन्दोरा	वा०यो० 78-80	2.92	19.93	15.34	76.97%	4.59		3.80	IX
14.	चोरल	वा०यो० 78-80	3.96	44.00	41.44	94.18%	2.56		5.00	IX
15.	धोलावाड	वा०यो० 78-80	4.64	26.60	20.04	75.34%	6.56		6.50	IX
16.	दुधी	वा०यो० 78-80	2.86	31.00	15.90	51.29%	15.10		3.70	IX
17.	गोमुख	वा०यो० 78-80	3.51	45.50	32.99	72.51%	12.51		8.10	IX
18.	कलिया सोते	वा०यो० 78-80	7.84	69.52	54.35	78.18%	15.17		4.50	IX
19.	रामपुर कुर्द	वा०यो० 78-80	1.51	27.00	19.24	71.26%	7.76		3.10	IX

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	तिल्लर	वा०यो० 78-80	5.77	46.11	40.65	88.16%	5.46		9.90	IX
21.	गोपद लिफ्ट	VII		17.24	9.74	56.50%	7.50		5.70	IX यो० से आगे
22.	बरछर	VIII		20.87	13.87	66.46%	7.00		2.40	IX यो० से आगे
	कुल			770.61	484.62		285.99	1.00	153.80	

[हिन्दी]

इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन पर भवन और उपरिगामी सेतु का निर्माण

1188. **डा० अशोक पटेल :**
श्री राजैया मल्याला :
श्री रामपाल सिंह :
श्री एन० जनार्दन रेड्डी :
श्री अधीर चौधरी :

क्या **नागर विमान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमान यात्रियों को होने वाली असुविधाओं के निदानार्थ, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन पर एक नया भवन और उपरिगामी सेतु निर्मित करने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर कितनी लागत आने का अनुमान है;

(घ) यह निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जाएगा और इसके कब पूरा होने की संभावना है;

(ङ) देश के अन्य विमानपत्तनों का विस्तार करने की सरकार की क्या योजना है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (घ) जी, हां। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इन्दिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली में प्रस्थान स्तर पर अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल भवन के यात्री लॉज के विस्तार को मुख्य टर्मिनल तथा फ्लाईओवर के निर्माण से मिलाने की योजना बनाई है। मई, 2001 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड ने 24.99 करोड़ रु० की अनुमानित लागत से उपर्युक्त कार्य की स्वीकृति दे दी है निर्माण कार्य फरवरी, 2002 तक शुरू होने की संभावना है जो संभवत: जुलाई, 2004 तक पूरा हो जाएगा।

(ङ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने कांगड़ा, जयपुर, जम्मू, लेह, लखनऊ, पठानकोट, वाराणसी, भुवनेश्वर, गया, भुज, जबलपुर, पोरबन्दर, राजामुंद्री, अगरतला, दीमापुर, लीलाबाड़ी और इम्फाल हवाई अड्डों पर धावनपथ का सुदृढ़ीकरण व विस्तार, टर्मिनल भवन, तकनीकी खंड सह टावर, ऐप्रन, सिविल एनक्लेव आदि के निर्माण/विस्तार कार्य शुरू कर दिये हैं।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में फीडर-नहर परियोजनाएं

1189. **श्री आर०एल० जालप्पा :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने अनंतपुर तालुक में दो फीडर-नहर परियोजनाएं शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन परियोजनाओं से राज्य स्थित होनागोंडना हल्ली जलाशय, लिंगादेहल्ली जलाशय और सीरा तालुका स्थित जलाशयों में जल प्रवाह पर फर्क पड़ने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो क्या कर्नाटक सरकार ने इन परियोजनाओं पर आपत्ति प्रकट की है; और

(घ) सरकार द्वारा इस मामले को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवती) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कर्नाटक सरकार ने आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा (प) सिदगाप्पनकाट्टे से पी० बायेदागरे टैंक तक फीडर नहर (ii) आंध्र प्रदेश में रोला टैंक के स्थानीय खाली स्थान (हाल्ला) को कर्नाटक में उत्तरी-पेन्नार बेसिन में रेड्डीहाल्ली की ऊपरी धारा के आवाह क्षेत्र से जल मोड़ने के लिए फीडर नहर, नामक दो फीडर नहरों के निर्माण के संबंध में केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। कर्नाटक सरकार ने चिन्ता व्यक्त की है कि पहली फीडर नहर के कारण हौंनागोंडनाहल्ली टैंक के जल प्रवाह कम हो जाएंगे तथा दूसरी फीडर नहर के कारण कर्नाटक में रेड्डीहाल्ली टैंक के किसानों की अपूरणीय क्षति होगी। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि सिदगाप्पनकाट्टे से पी० बायेदागरे तक फीडर नहर का निर्माण कार्य रोक दिया गया है।

(घ) केन्द्रीय जल आयोग ने उल्लिखित सभी डायवर्सन कार्यो पर विचार-विमर्श करने के लिए 30 जुलाई, 2001 को आन्ध्र प्रदेश एवं कर्नाटक सरकार के प्रतिनिधियों की एक अन्तर्राज्यीय बैठक आयोजित की है।

इंडियन एयरलाइंस की संचालन-लागत

1190. **श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईंधन की कीमतों में हुई हाल की वृद्धि के फलस्वरूप, इंडियन एयरलाइंस की संचालन-लागत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या ईंधन की कीमतों में हुई इस वृद्धि के परिणामस्वरूप इस विमान सेवा को घाटा हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इन घाटों को दूर करने और इंडियन एयरलाइंस की वित्तीय दशा को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2000-01 के लिए कंपनी का राजस्व एवं व्यय बजट तैयार कर लिया गया है और दिसम्बर, 1999 में इसकी स्वीकृति मिल चुकी थी जिसमें 28.75 करोड़ रु० का निबल लाभ प्रक्षेपित था ऐसा अनुमान है कि क्षमता, लागत मूल्य और किराए में कोई अधिक फर्क नहीं पड़ेगा।

दिसम्बर, 1999 में बजट की स्वीकृति होने के बाद विमानन टरबाईन ईंधन (ए०टी०एफ०) के मूल्य में 23 मार्च, 2000 से 18.4 प्रतिशत की वृद्धि और फिर 30 दिसम्बर, 2000 से 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ए०टी०एफ० की मूल्य में निरंतर वृद्धि होने से कंपनी पर प्रतिवर्ष 225 करोड़ रु० से भी अधिक राशि का अतिरिक्त बोझ पड़ा। इसके साथ-साथ लागत मूल्य में और दूसरी बढ़ोतरी भी हुई यथा-अवतरण एवं मार्ग दिक्चालनात्मक प्रभार, विमानन टरबाईन ईंधन पर बिक्री कर, सुरक्षा व्यय, बीमा प्रीमियम, विदेशी मुद्रा दर इत्यादि जिनकी वजह से वर्ष 2000-01 में प्रचालन लागत बढ़कर 300 करोड़ रु० से भी अधिक हो गया।

लागत मूल्य में इस प्रकार की वृद्धि होने के बावजूद भी कंपनी वर्ष 2000-01 की पुनरीक्षित बजट अनुमानों के अनुसार 177.25 करोड़ रु० के घाटे तक ही टिका रहा।

(ग) इन घाटे को कम कर इंडियन एयरलाइंस की माली वित्तीय हालत में सुधार करने के लिए निम्नांकित कदम उठाए गए हैं :—

(i) अप्रैल, 2001 से सरकार ने भारत में विमानन टरबाईन ईंधन के मूल्य को गैर-विनियमित कर दिया है। इससे ए०टी०एफ० की दरों में कमी आई है और इसके फलस्वरूप विमानन टरबाईन ईंधन के लागत मूल्य में बचत होने की प्रत्याशा है।

(ii) हाल ही में कंपनी ने 25 मई, 2001 से घरेलू नेटवर्क में परिवर्तनीय किराए की नीति अपनाई है। परिवर्तनीय किराए से उच्चतर क्षमता उपयोगिता तथा बेहतर परिणामों के जरिए कंपनी के राजस्व अर्जन में सुधार होने की प्रत्याशा है।

(iii) इंडियन एयरलाइंस ने अपनी वित्तीय तथा प्रचालनात्मक कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए अन्य विविध कदम उठाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नांकित शामिल हैं :—

- सख्त बजटीय नियंत्रण जिसमें व्यय के सभी प्रमुख मद शामिल हैं बशर्ते यह लाभ विश्लेषण, प्रचालनात्मक व वाणिज्यिक तीव्रता, वित्तीय शर्तों आदि का पालन किया गया है।

- बेहतर विमान बेड़ा उपयोगिता, विमानचालकों, विमान अभियंताओं की कार्य-क्षमता में सुधार, ग्राउन्ड टर्न राउन्ड के समय को कम करना, कुछ घरेलू सैक्टरों में रात्रि के समय उड़ान, बढ़ा हुआ अंतरराष्ट्रीय प्रचालन, विमान और मार्ग आयोजना की बेहतर अनुसूची, विपणन अपेक्षाओं आदि को देखते हुए वैमानिक क्षमता का लगाया जाना चाहिए।

- विमान किस्म की गुणवत्ता में सुधार बिल्कुल ठीक समय पर प्रचालन में सुधार, प्रयोक्ता, अर्थात यात्रियों को दी जाने वाली सेवा का कोटिउन्नयन व सामान्य सुधार।

- **विपणन के क्षेत्र में किए गए पहल :—** विदेशी एयरलाइनों के साथ कोड-शेयरिंग व्यवस्था, कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था में उच्चस्तरीय भागीदारी, निगमित प्रोत्साहन इत्यादि सहित विविध प्रोत्साहन योजनाएं।

- **लागत नियंत्रण उपाय :—** ओवरटाइम, नैमित्तिक श्रम, होटल यात्रा व्यय, कर्मीदल ठहराव व्यय पर नियंत्रण, केवल प्रचालनात्मक कारणों के लिए आवश्यकताओं को छोड़कर भर्ती पर रोक, ईंधन और टैंकर भरने पर निगरानी, विमान अनुरक्षण पर नियंत्रण, प्रचार और विक्रय प्रोत्साहन व्यय में कमी, अलाभकारी उड़ान माल सूची प्रबन्ध की संवीक्षा जहां तक संभव हो सके, बाहरी स्रोतों से सेवाओं को प्राप्त करना।

नदियों को एन०आर०सी०पी० के अंतर्गत लाया जाना

1191. **श्री रमेश चेन्नितला :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों विशेषकर केरल की ओर से उनके राज्य क्षेत्र में पड़ने वाली अनेक नदियों को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एन०आर०सी०पी०) के अंतर्गत समाविष्ट करने के संबंध में कोई प्रस्ताव/परियोजनाएं प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे प्रत्येक प्रस्ताव/परियोजना के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल सहित विभिन्न राज्यों से राष्ट्रीय नदी

संरक्षण योजना में शामिल किए जाने, हेतु अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुए है। प्राप्त ऐसे प्रस्तावों का राज्यवार विवरण और उनकी मौजूदा स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है। राज्य सरकारों से प्राप्त अधिकतर प्रस्तावों में केवल परियोजना की रूपरेखा दी गई है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण की 13 मार्च, 2001 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में संबंधित राज्य सरकारों को ऐसे सभी प्रस्तावों को सरकार के सबसे हाल के मार्गनिर्देशों के अनुसार निश्चित लागत अनुमानों के साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

विवरण

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों की राज्यवार सूची

क्र० सं०	परियोजना का नाम	राज्य	अनुमानित लागत	वर्तमान स्थिति
1.	चेन्नई शहर नदी संरक्षण परियोजना	तमिलनाडु	491.52	सितम्बर, 2000 में अनुमोदित
2.	कावेरी, वीनार, वेगई और ताम्ब्रबरनी के किनारे 7 शहर	तमिलनाडु	575.30	जनवरी, 2001 में अनुमोदित
3.	यमुना कार्य योजना — विस्तारित चरण	उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली	220.60	मई, 2001 में अनुमोदित
4.	पश्चिम बैन (सतलुज की सहायक नदी) के किनारे 2 शहर	पंजाब	14.97	जुलाई, 2001 में अनुमोदित
5.	पाम्बा नदी	केरल	155.00	पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए राज्य सरकार को निधि जारी की जा रही है।
6.	चेलियार नदी	केरल	271.00	प्राप्त रिपोर्ट मंत्रालय के मार्गनिर्देशों के अनुरूप नहीं है। राज्य सरकार से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है।
7.	ब्यास नदी किनारे 11 शहर	हिमाचल प्रदेश	78.41	केवल रूपरेखा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया।
8.	भुवनेश्वर में खुआखाई और दया नदी	उड़ीसा	392.00	वही-
9.	यमुना किनारे 15 शहर	हरियाणा	72.50	-वही-
10.	घाघर नदी	हरियाणा	345.35	-वही-
11.	रावी नदी किनारे अमृतसर शहर	पंजाब	394.00	-वही-
12.	गंगा और गंडक किनारे सोनपुर शहर	बिहार	0.90	-वही-
13.	मूसी नदी किनारे हैदराबाद शहर	आन्ध्र प्रदेश	295.00	-वही-
14.	कृष्णा नदी किनारे वाई शहर	महाराष्ट्र	10.00	-वही-
15.	काली नदी किनारे दो शहर	उत्तर प्रदेश	26.19	-वही-
16.	कृष्णा, कावेरी, काली और नेत्रवाथी किनारे 20 शहर	कर्नाटक	प्रस्ताव में राशि नहीं दी गई।	-वही-

[हिन्दी]

पेट्रोल और डीजल पर अतिरिक्त उपकर

1192. श्री चन्द्रनाथ सिंह :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री विजय गोयल :
श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वार्षिकत: 1800 करोड़ रु० अधिक जुटाने के प्रयोजन से पेट्रोल और डीजल पर अतिरिक्त उपकर लगाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन०एच०ए०आई०) ने सरकार से यह अनुरोध किया है कि वर्ष 2003 के बाद यह धनराशि कम पड़ जाएगी;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर अतिरिक्त उपकर लगाकर कुल कितनी राशि संगृहीत की; और

(घ) इस धनराशि के उपयोग के संबंध में ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) और (ख) विद्यमान उपकर से उपलब्ध धनराशि लगभग 6000 करोड़ रु० प्रतिवर्ष है जिसमें लगभग 2000 करोड़ रु० राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए है। यह धनराशि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की आवश्यकताओं को पूर्णत: पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए रा०रा० विकास परियोजना हेतु अतिरिक्त संसाधन जुटाने के विभिन्न विकल्पों का पता लगाया जा रहा है।

(ग) और (घ) कोई अतिरिक्त उपकर नहीं लगाया गया है। तथापि वर्ष 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान विद्यमान उपकर में से राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए क्रमश: 1900 करोड़ रु०, 2010 करोड़ रु० और 2100 करोड़ रु० प्रदान किए गए और मुख्यत: राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के लिए ही इसका उपयोग किया गया/किया जा रहा है।

एफ्रो-एशियाई खेलों में खेलों को शामिल किया जाना

1193. श्री प्रहलाद सिंह पटेल :
श्री साहिब सिंह :
श्री भीम दाहाल :

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में होने वाले एफ्रो-एशियाई खेलों में शामिल किये जाने वाले खेलों के क्या नाम हैं;

(ख) क्या उक्त खेलों में कुश्ती और कबड्डी को शामिल किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) निम्नलिखित आठ प्रतियोगिताओं को दिल्ली में होने वाले एफ्रो-एशियाई खेलों में शामिल किया गया है :—

(1) एथलेटिक्स (पुरुष और महिला) (2) मुक्केबाजी (पुरुष) (3) फुटबाल (पुरुष) (4) हाकी (पुरुष और महिला) (5) निशानेबाजी (पुरुष और महिला) (6) तैराकी (पुरुष और महिला) (7) टेनिस (पुरुष और महिला) (8) भारोत्तोलन (पुरुष और महिला)

(ख) जी, नहीं।

(ग) इन खेलों के लिए विधाओं का दो महाद्वीपीय परिषदों अर्थात् एशिया की ओलम्पिक परिषद (ओ०सी०ए०) और अफ्रीका की राष्ट्रीय ओलम्पिक समितियों (ए०एन०ओ०सी०ए०) द्वारा निर्धारण किया गया है।

एफ्रो-एशियाई खेलों की तैयारी

1194. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 जून, 2001 के राष्ट्रीय सहारा" में एफ्रो एशियाई खेलों की तैयारी के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त खेलों की तैयारी समय से पूरा करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) जी, हां।

(ख) यह समाचार प्रथम एफ्रो-एशियाई खेलों के लिए अवस्थापना के उन्नयन के पूरा होने में विलंब की आशंका से संबंधित है जिससे भविष्य में, भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों के आयोजन पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है।

(ग) सरकार ने विभिन्न स्थानों पर अवस्थापना के उन्नयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

भारत सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रयोजन के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण को 15.00 करोड़ रुपये की धनराशि दी है तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए 15.00 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान रखा गया है।

भारतीय खेल प्राधिकरण के स्टेडियमों में सुविधाओं के अतिरिक्त, शिवाजी स्टेडियम, अम्बेडकर स्टेडियम तथा छत्रसाल स्टेडियम का भी उन्नयन किया जा रहा है। आर०के० खन्ना स्टेडियम के प्रबंधन द्वारा इसका नवीकरण किया जा रहा है, जिस के लिए भारत सरकार द्वारा 100.50 लाख रुपये का व्यय अनुमोदित किया गया है।

उपर्युक्त सुविधाओं के उन्नयन पर निगरानी रखने के लिए केन्द्रीय मंत्री जी की अध्यक्षता में एक संचालन समिति स्थापित की गई है। अवस्थापना के उन्नयन और दिल्ली शहर के सौंदर्यीकरण के लिए जिम्मेवार सभी एजेंसियों में समन्वय के लिए दिल्ली के उप राज्यपाल की अध्यक्षता में एक समन्वय समिति भी बनाई गई है।

खेलों के सुगम संचालन के लिए एक प्रथम एफ्रो-एशियाई खेल, 2001 आयोजन समिति गठित की गई है। यह समिति सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत है। खेलों के संचालन से संबंधित रोजमर्रा की गतिविधियों की देख-रेख के लिए समितियां गठित की गईं हैं।

खेलों के लिए समग्र तैयारियां समय-सूची के अनुसार चल रही हैं।

बिहार के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण

1195. मोहम्मद शहाबुद्दीन : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों विशेषकर फुटबाल और हाकी में बिहार के खिलाड़ियों का महत्वपूर्ण योगदान है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा बिहार के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) जी, हां।

(ख) बिहार में खेलों के उन्नयन के लिए, भारतीय खेल प्राधिकरण (एस०ए०आई०) ने 2000-2001 में दो विशेष क्षेत्र खेल केन्द्र, किशनगंज और मुजफ्फरपुर में फुटबाल, एथलेटिक्स, कबड्डी और वालीबाल की विधाओं और भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र, पटना में फुटबाल, कबड्डी, वालीबाल, टेबल टेनिस और बैडमिंटन की विधाओं के लिए स्थापित किए हैं।

उपर्युक्त के अलावा, सेना बाल खेल कम्पनी केन्द्र, दानापुर में भी फुटबाल और हाकी की विधाओं में सब-जूनियर स्तर के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

इन केन्द्रों में विभिन्न खेल सुविधाएं और विशेषज्ञता प्राप्त प्रशिक्षक हैं और इस राज्य से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

जल संसाधनों की उपलब्धता

1196. डा० सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री नवल किशोर राय :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के प्रत्येक राज्य में उपलब्ध जल संसाधनों का अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जल की राज्यवार प्रति व्यक्ति अनुमानित उपलब्धता कितनी है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) जल की उपलब्धता का आकलन नदी बेसिन-वार किया जाता है। केन्द्रीय जल आयोग के 1993 के आकलन के अनुसार, देश के नदी प्रणालियों में औसत वार्षिक जल प्रवाह 1869 बी०सी०एम० है, जिसमें से 1122 बी०सी०एम० जल उपयोग योग्य है। इसमें 690 बी०सी०एम० सतही जल के रूप में तथा 432 बी०सी०एम० पुनर्भरणीय भूजल के रूप में है।

नदी बेसिन-वार जल की उपलब्धता तथा प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता का आकलन संलग्न विवरण में दर्शाया गया है :—

विवरण

नदी-बेसिन-वार जल उपलब्धता तथा प्रति व्यक्ति उपलब्धता

क्र० सं०	नदी बेसिन	उपलब्ध औसत वार्षिक सतही जल (बिलियन घन मी०)	वर्ष 2000 में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता (घन मी०)
1	2	3	4
1.	सिन्धु	73.31	1482
2.	गंगा-ब्रह्मपुत्र बराक		
	(क) गंगा	525.02	1239
	(ख) ब्रह्मपुत्र एवं बराक	585.6	14057
3.	गोदावरी	110.54	1734
4.	कृष्णा	78.12	1088
5.	कावेरी	21.36	619
6.	पेन्नार पूरब की ओर बहने वाली नदी	6.32	550

1	2	3	4
7.	(क) महानदी और पेन्नार के बीच	22.52	808
8.	(ख) पेन्नार और कन्याकुमारी के बीच	16.46	311
9.	महानदी	66.88	2131
10.	ब्राह्मणी और बैतरणी	28.48	2463
11.	सुवर्णरेखा	12.37	1118
12.	साबरमती	3.81	307
13.	माही	11.02	888
14.	लुनी सहित कच्छ, सौराष्ट्र की पश्चिम की ओर बहने वाली नदी	15.1	579
15.	नर्मदा	45.64	2628
16.	तापी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी	14.88	583
17.	(क) तापी से तादी	87.41	2870
18.	(ख) तादी से कन्याकुमारी	113.53	125.00
19.	राजस्थान मरूस्थल में अन्तर्देशीय जल निकास क्षेत्र	नगण्य	
20.	बंगलादेश तथा म्यांमार में गिरने वाली लघु नदी-बेसिन	31.00	12500
	कुल	1869.35	1869

नोट :— पूर्णांक करने के कारण कुल का मिलान नहीं हो सका।

गुजरात में नागर विमानन के लिए परियोजनाएं

1197. **श्री मानसिंह पटेल :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नागर विमानन के विकास के लिए स्वीकृत की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं, जिनका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और क्या निर्माण कार्य की प्रगति निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन परियोजनाओं को समय से पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात में निम्नलिखित हवाई अड्डा विकास परियोजनाओं को स्वीकृति दी गयी है, और कार्य की प्रगति का उल्लेख नीचे किया गया है :—

अहमदाबाद : धावनपथ के 9000 फुट से 11500 फुट तक विस्तार और सुदृढ़ीकरण और ऐप्रन, टैक्सी-ट्रैक और संबद्ध कार्य के सुदृढ़ीकरण का कार्य निर्धारित अनुसूची के अनुसार पूरा हो गया है। नये अंतर्देशीय प्रस्थान टर्मिनल भवन के निर्माण के लिए, विस्तृत इंजीनियरिंग योजना तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। अग्नि-शमन केन्द्र, मोटर परिवहन पूल और कार्यशाला के निर्माण के लिए कार्य सौंपा जा रहा है। सामानान्तर टैक्सीपथ आईसोलेशन बे के निर्माण से संबंधित कार्य समय अनुसार प्रगति पर है।

भावनगर : नये अग्नि-शमन स्टेशन और चारदीवारी के निर्माण के लिए, कार्य सौंपा जा रहा है।

भुज : टर्मिनल भवन, ऐप्रन और टैक्सीपथ के निर्माण के लिए, कार्य प्रगति पर है। गुजरात में आये भूकम्प के कारण कार्य को पूरा करने में देरी हुई।

पोरबन्दर : टर्मिनल भवन, ऐप्रन और लिंक्स टैक्सीपथ का निर्माण, कार्य प्रगति पर है। परन्तु रेखांकन कार्य करने के लिए परामर्शदाता के साथ विवाद हो जाने के कारण प्रगति में देरी हुई। मामले का हल खोज लिया गया है और कार्य के अगले माह में पुन: आरंभ हो जाने की आशा है आपरेशनल दीवार के निर्माण के लिए कार्य सौंपा जा रहा हे।

वड़ोदरा : अग्नि-शमन स्टेशन और नियंत्रण टावर सह तकनीकी ब्लॉक के निर्माण से संबंधित कार्य निर्धारित अनुसूची के अनुसार पूरा हो गया है।

राजकोट : धावनपथ और सहायक कार्य के सुदृढ़ीकरण का कार्य निर्धारित समय के अनुसार पूरा हो गया है।

जामनगर : टैक्सीट्रैक को चौड़ा करने, ऐप्रन और शोल्डरों के सुदृढ़ीकरण का कार्य निर्धारित अनुसूची के अनुसार पूरा हो गया है।

नदियों की सफाई

1198. **श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले :**
श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :
श्री शिवाजी माने :
श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा :
श्री सी० श्रीनिवासन :
श्री हरीभाऊ शंकर महाले :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान आज की तिथि के अनुसार गोदावरी, कावेरी और कृष्णा नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने हेतु नदीवार कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) क्या कई फैक्ट्रियां अब भी इन नदियों को प्रदूषित कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विशेषकर गोदावरी कार्य योजना के अंतर्गत जलशोधन संयंत्र लगाये जाने के बाद भी वांछित परिणाम हासिल नहीं किये गये हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(च) उनको प्रदूषण मुक्त बनाने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में आज तक गोदावरी, कावेरी और कृष्णा नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी की गई राशि का नदीवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(लाख रुपये)

क्र० सं०	राज्य	नदियां	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	कुल
1.	तमिलनाडु	कावेरी	105.98	85.62	0.00	90.00	649.57	2896.00	3827.17
2.	कर्नाटक	कावेरी	79.72	115.00	0.00	90.00	435.65	309.00	1029.37
3.	आंध्र प्रदेश	गोदावरी	163.81	210.00	200.00	0.00	677.89	0.00	1251.70
4.	महाराष्ट्र	कृष्णा गोदावरी	140.01	12.79	100.00	0.00	233.00	1199.80	1685.60
		जोड़	489.52	423.41	300.00	180.00	1996.11	4404.80	7793.84

(ख) और (ग) तमिलनाडु में 82 फैक्टरियां और कर्नाटक में एक फैक्टरी है जो कावेरी में प्रदूषण फैला रही है, 2 फैक्टरियां कर्नाटक में जो कृष्णा में और 10 महाराष्ट्र में है जो गोदावरी में प्रदूषण फैला रही है।

(घ) और (ङ) इन कार्य योजनाओं के अंतर्गत शोधन संयंत्रों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। अपेक्षित परिणामों की संभावना केवल परियोजनाओं के पूरा होने के बाद ही की जा सकती है।

(च) इन नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए इन नदियों को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में शामिल किया गया है और इन नदियों के प्रदूषित क्षेत्रों के किनारे कार्यान्वयन की निम्न श्रेणियों का प्रदूषण निवारण कार्य किया जा रहा है :—

1. नदी में बहने वाले अशोधित सीवेज को रोकने के लिए अवरोधन और दिशा-परिवर्तन कार्य और शोधन के लिए इसका दिशा-परिवर्तन।
2. दिशा-परिवर्तित सीवेज के शोधन के लिए सीवेज शोधन संयंत्र।
3. नदी किनारे खुले में शौच को रोकने के लिए अल्प लागत शौचालयों का निर्माण।
4. काष्ठ संरक्षण और नदी प्रदूषण रोकने के लिए विद्युत एवं काष्ठ आधारित उन्नत शवदाहगृह।
5. नदी तटाग्र विकार्य कार्य जैसे स्नान घाटों आदि का सुधार।
6. अन्य विविध कार्य।

राज्यों में खेलों का स्तर

1199. राजकुमारी रत्ना सिंह : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सहित कुछ राज्यों में खेलों का स्तर उपयुक्त नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) राज्यों में केन्द्रीय स्तर पर खेलों का स्तर सुधारने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं ?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) प्रतिस्पर्धात्मक खेलों में खिलाड़ियों की सहभागिता में, अलग-अलग राज्य में अंतर हो सकता है। कुछ खेल विधाएं कुछ राज्यों की अपेक्षा दूसरे राज्य में ज्यादा लोकप्रिय हैं, जिसके परिणामस्वरूप अधिक सहभागिता तथा प्रतिस्पर्धा होती है जिससे विशिष्ट खेल विधा में समग्र रूप से उच्च स्तर प्राप्त होते हैं। उदाहरणार्थ, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में कुश्ती का उच्च स्तर है, मणिपुर और आन्ध्र प्रदेश मे महिलाओं का भारोत्तोलन में, केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश में एथलेटिक्स में उच्च स्तर है। जहां तक उत्तर प्रदेश का संबंध है, वहां पर हाकी, एथेटिक्स और कुश्ती की विधाओं में उच्च स्तर है।

(ग) भारत सरकार खेलों के स्तर में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित योजनाओं को क्रियान्वित करती है :—

1. स्कूलों में खेल-कूद का संवर्धन;
2. ग्रामीण खेल कार्यक्रम;

3. खेल छात्रवृत्ति योजना;

4. महिलाओं के लिए खेल महोत्सव;

5. खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदान;

6. विश्वविद्यालयों और कालेजों में खेलों के संवर्धन के लिए अनुदान

7. सिंथेटिक खेल सतह बिछाने के लिए अनुदान;

8. खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष;

9. उत्कृष्ट खिलाड़ियों को पेंशन के लिए खेल निधि;

10. अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के विजेताओं और उनके प्रशिक्षकों को विशेष पुरस्कार;

11. राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार;

12. अर्जुन पुरस्कार;

13. द्रोणाचार्य पुरस्कार;

14. मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्राफी।

इनके अलावा, भारती खेल प्राधिकरण भी निम्नलिखित योजनाएं चलाता है :—

1. राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता;

2. सेना बाल खेल कम्पनी

3. विशेष क्षेत्र खेल;

4. भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र;

5. उत्कृष्टता केन्द्र;

6. राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना।

इंटरनेट नोड

1200. **श्री पुन्नू लाल मोहले : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में अलग से इंटरनेट नोड उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक काम शुरू कर देने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) इंटरनेट नोड छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में पहले से ही मौजूद है।

(ख) और (ग) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

समुद्री तटों/किनारों पर प्रदूषण

1201. **श्री महेश्वर सिंह :**
श्री सुरेश चन्देल :
श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के समुद्री तटों/कूलों/किनारों पर बढ़ते प्रदूषण की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा प्रदूषण को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय सरकार द्वारा समुद्री तटों और तटीय जल के प्रदूषण के नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना, 1991 जारी करना जिसके अनुसार तटीय विनियमन क्षेत्र में उद्योगों, प्रक्रमों और संचालनों की स्थापना करने की मनाही है और बहिस्रावों के उत्सर्जनों एवं नगरीय मलजल को तटीय जल में उत्सर्जित करने को विनियमित किया जाता है।

(2) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 अधिनियमित करना जिसमें बहिस्रावों के उत्सर्जनों के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं।

(3) तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना, 1991 के उपबन्धों के प्रवर्तन और उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण और तटीय राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरणों की स्थापना।

(4) जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 को अधिनियमित करना जिसके अनुसार बहिस्रावों के उत्सर्जनों को विनियमित किया जाता है।

(5) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अशोधित मलजल/बहिस्रावों के उत्सर्जनों को विनियमित करने के लिए सभी तटीय राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रदूषण नियंत्रण समितियों को नोटिस जारी किए हैं।

(6) तटीय क्षेत्रों में जल कृषि को विनियमित करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत जल कृषि प्राधिकरण की स्थापना।

(7) पश्चिम बंगाल के कुछ तटीय शहरों में मलजल शोधन संयंत्रों की स्थापना के लिए स्कीमों को निधियां देना।

[अनुवाद]

भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट टेस्ट मैच पुनः शुरू करना

1202. **श्री भीम दाहाल :**
श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने भारत और पाकिस्तान के बीच टेस्ट क्रिकेट मैच पुन: शुरू करने का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार आगामी भविष्य में दोनों देशों के बीच हाकी मैच बहाल करने पर भी विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) सभी संबंधित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, सरकार का यह विचार है कि वर्तमान परिस्थितियां, भारतीय क्रिकेट टीम के लिए पाकिस्तान के विरुद्ध द्विपक्षीय मैच खेलने के लिए पूरी तरी से सहायक नहीं है। तथापि, नियमित स्थलों पर, बहुपक्षीय मैचों में पाकिस्तान के विरुद्ध खेलने में सामान्यत: कोई आपत्ति नहीं है।

(ग) और (घ) वर्तमान में, सरकार को संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघ से, पाकिस्तान के साथ हाकी मैचों के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। इस बारे में प्रस्ताव प्राप्त होने पर सरकार द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

औषधीय पादपों की वृद्धि और दोहन

1203. **श्री अनन्त नायक :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में औषधीय पादप संसाधनों का कोई व्यवस्थित आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो औषधीय पादपों का स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में वनों की अत्यधिक कटाई के कारण तेजी से समाप्त होने वाले विभिन्न तरह के पता लगाये गये पादपों का ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक राज्यवार विशेषकर उड़ीसा और तमिलनाडु में कितनी संख्या और कितनी श्रेणी के औषधीय/व्यावसायिक मूल्य वाले पादप लगाये गये;

(ङ) क्या विभिन्न राज्यों में प्रत्येक प्रकार के औषधीय पादपों के उचित विकास और दोहन को यथेष्ट संरक्षण प्रदान करने की जरूरत है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा हाल ही में प्रायोजित अध्ययन में फाऊंडेशन फार रिवाइटलाइजेशन आफ लोकल हेल्थ ट्रेडीशन, बंगलौर न उन सात हजार दो सौ बावन ऐसी पौध प्रजातियों की सूची तैयार की है जो अपने औषधीय गुणों के लिए देश में प्रयोग की जाती हैं। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने भी देश में पौध संसाधनों का निर्धारण शुरू किया है और एक रैड डेटा बुक तैयार की है जिसमें औषधीय पौधों सहित खतरे में पड़ी और संकटापन्न पौध प्रजातियों की सूची दी गई है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा तैयार की रैड डेटा बुक में उन उनतीस औषधीय पौधों की सूची हैं जो खतरे में पड़ी/संकटापन्न हैं।

(ग) भारतीय वन सर्वेक्षण 1987 से दो वर्षों में एक बार देश के वनों के निर्धारण का काम कर रहा है। 1996-98 के सबसे हाल के निर्धारण के अनुसार देश के वन क्षेत्र में मामूली सी वृद्धि हुई है और यह 19.27 प्रतिशत से बढ़कर 19.39 प्रतिशत हो गया है।

(घ) से (च) औषधीय पौधों सहित गैर इमारती वन उत्पाद की एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम देश भर में कार्यान्वित की जा रही है। यह एक निरंतर चलने वाली स्कीम है जिसके अंतर्गत राज्य सरकारों को औषधीय पौधों सहित गैर इमारती वन उत्पादों के संरक्षण, विकास और उपज में वृद्धि के लिए 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाती है। स्कीम मुख्यता अवक्रमित वन क्षेत्रों तक ही सीमित है। इस स्कीम के अंतर्गत औषधीय पौध रोपण भी एक घटक है।

उड़ीसा और तमिलनाडु में यह स्कीम कार्यान्वित की जा रही है जहां अल्प वन उत्पाद और औषधीय मूल्य के वृक्षों का मिश्रित पौध रोपण शुरू किया गया है। पिछले तीन वर्षों से आज तक का ब्यौरा इस प्रकार है :—

राज्य का नाम	वर्ष	दी गई राशि (रुपए लाख में)	उपलब्धि (क्षेत्र हैक्टेयर में)
उड़ीसा	1998-1999	102.88	1750
	1999-2000	77.06	1850
	2000-2001	132.20	1125
	2001-2002	41.37 (आज तक)	1200 (लक्ष्य)
तमिलनाडु	1998-1999	33.00	45
	1999-2000	0.00	250
	2000-2001	34.75	250
	2001-2002	19.00 (आज तक)	250 (लक्ष्य)

वर्ष 2000-2001 के दौरान मंत्रालय द्वारा औषधीय पौध रोपण को थ्रस्ट क्षेत्रों के रूप में घोषित किया गया है जिसमें इस स्कीम के अंतर्गत केवल औषधीय पौधों की खेती से संबंधित परियोजनाएं आमंत्रित और स्वीकृत की जाती है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के शेष दो वर्षों के दौरान 5285 हैक्टेयर क्षेत्र विकसित करने के लिए आज तक 8.55 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 18 ऐसी परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है।

भारतीय औषधीय प्रणाली और होम्योपैथी में प्रयोग होने वाले अभिनिर्धारित औषधीय पौधों की खेती के लिए औषधीय पौध उद्यान स्थापित करने के लिए भारतीय औषधि पद्धति और होम्योपैथी विभाग ''औषधीय पौधों के विकास एवं खेती की केन्द्रीय स्कीम'' नामक एक स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। इन उद्यानों का इस्तेमाल औषधीय पौधों के महत्व के बारे में प्रदर्शन, शिक्षा और जारूकता पैदा करने के केन्द्रों के रूप में किया जाएगा।

[हिन्दी]

मुंबई-नासिक रोड को 4 लेन में बदलना

1204. **श्री उत्तमराव ढिकले : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मुंबई से नासिक तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 को 4 लेनों वाला राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) और (ख) राज्य सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 3 के गोंडे-नासिक-पिंपल गांव खंड को चार लेन का बनाने के लिए साध्यता अध्ययन करने हेतु परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए एक प्रस्ताव भेजा है और इस प्रयोजन के लिए उन्होंने निविदाएं आमंत्रित कर ली हैं। गोंडे-नासिक खंड, थाणे (मुंबई) और नासिक के बीच में है।

[अनुवाद]

उड़ीसा की बाक्साइट खानों को निजी क्षेत्र को पट्टे पर देना

1205. **श्री प्रभात सामन्तराय : क्या खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा की कुछ बाक्साइट खानों को निजी क्षेत्र को पट्टे पर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन बाक्साइट खानों को किन नियम और शर्तों पर पट्टे पर दिया गया है ?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील) : (क) से (ग) खनिज रियायतें, राज्य सरकारों द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार दी जाती हैं।

उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 7 खनन पट्टे निजी पार्टियों को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार दिए गए हैं :—

क्रमांक	पट्टाधारी का नाम	क्षेत्र है० में	स्थान	खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख
1.	मैसर्स उड़ीसा इंडस्ट्रीज लिमिटेड	102.996	कुसुमडीही (सुन्दरगढ़ जिला)	1.8.77 (20 वर्ष) 25.6.96 को खनन पट्टे के नवीकरण का आवेदन दिया गया
2.	मैसर्स उड़ीसा इडस्ट्रीज लिमिटेड	106.138	तंत्रा (सुन्दरगढ़ जिला)	8.11.82 (20 वर्ष)
3.	श्री यू०सी० मिश्रा	43.067	कमारदा (सुन्दरगढ़ जिला)	26.2.85 (20 वर्ष)
4.	श्री एस०एन० मोहंति	333.275	जलडीही (सुन्दरगढ़ जिला)	20.1.87 (20 वर्ष)
5.	मैसर्स रूगटा संस (प्राइवेट) लि०	147.100	सान इंदुपुर (सुन्दरगढ़ जिला)	6.9.85 (20 वर्ष)
6.	मैसर्स बोनाई इंडस्ट्रिज कम्पनी	52.176	कुसुमडीही (सुन्दरगढ़ जिला)	14.1.81 (20 वर्ष)
7.	मैसर्स उत्कल एल्यूमिना इंटरनेशनल लि० (ओ०एम०सी० द्वारा 10.11.2000 को स्थानांतरित)	1388.74	बापनलीमाली (रायगढ़ जिला)	17.2.98 (30 वर्ष)

ये 7 खनन पट्टे खनिज रियायत नियम, 1960 में निर्धारित खनन पट्टे के मॉडल फार्म में दी गई सामान्य शर्तों के अनुसार दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त मैसर्स उत्कल एल्यूमिना इंटरनेशनल लि० पर उसके रायगढ़ जिलों में प्रस्तावित एल्यूमिना परियोजना के बारे में खनिज के कैप्टिव उपयोग के लिए एक विशेष शर्त लगाई गई है।

उच्च दर पर यंत्र की खरीद

1206. **श्रीमती रेनु कुमारी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऊंची दरों पर यंत्रों की खरीद करने के लिए दूरसंचार अधिकारियों के खिलाफ कोई जांच करवाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले तथा कितने अधिकारी गिरफ्तार किये गये;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितना घाटा हुआ है; और

(घ) सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

हैदराबाद-दिल्ली क्षेत्र में और उड़ानें

1207. **श्री बी०के० पार्थसारथी :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की हैदराबाद-दिल्ली क्षेत्र में उड़ानों की संख्या बढ़ाने की कोई योजना है क्योंकि वर्तमान में इस सैक्टर में उड़ानों की संख्या अपर्याप्त है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइंस इस समय दिल्ली-हैदराबाद सेक्टर पर प्रतिदिन दो हवाई सेवाएं प्रचालित कर रही हैं। इंडियन एयरलाइंस के अनुसार, वर्तमान क्षमता को इस सेक्टर पर यातायात मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझा जाता है। इसके अतिरिक्त जेट एयरवेज भी इस सेक्टर पर एक दैनिक उड़ान का प्रचालन करती है। इसके अतिरिक्त, इसकी 5 सितम्बर, 2001 से इस सेक्टर पर एक और उड़ान चालू करने की योजना है।

[हिन्दी]

एम०टी०एन०एल० के मामले

1208. **डा० बलिराम :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की क्या कृपा करेंगे कि :

(क) 1 मार्च, 2000 से 30 जून, 2001 तक मुख्य श्रम आयुक्त (सेन्ट्रल) के कार्यालय में दायर किये गये महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड से संबंधित मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त मामलों की दायर करने वाली यूनियनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) सरकार द्वारा उन मामलों के शीघ्र निपटान हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ङ) इन मामलों के कब तक निपटायें जाने की संभावना है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (ङ) उपलब्ध सूचनानुसार, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के संबंध में 1.3.2000 से 30.6.2001 के दौरान क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केंद्रीय) नई दिल्ली और क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केंद्रीय), मुंबई के पास क्रमशः 8 और 4 विवाद उठाए गए थे। ये विवाद अनुचित श्रम व्यवहार, मजदूरी सहमति तथा हड़ताल नोटिस संबंधी मांगों के विषय में थे। मामलों में की गई कार्रवाई सहित संगत जानकारी संबंधी विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम सं०	प्रबंधन	यूनियन	की गई कार्रवाई
1	2	3	4
1.	एम०टी०एन०एल० (दिल्ली)	बहुजन ट्रेड यूनियन ऑफ एम०टी०एन०एल०	पक्षों के बीच सहमति कायम कर 30.4.2001 को निपटान किया।
2.	एम०टी०एन०एल० (दिल्ली)	बहुजन ट्रेड यूनियन ऑफ एम०टी०एन०एल०	पक्षों के बीच सहमति कायम कर 30.4.2001 को निपटान किया।
3.	एम०टी०एन०एल० (दिल्ली)	एम०टी०एन०एल० स्टाफ यूनियन	पक्षों के बीच 21.7.2000 को सौहार्दपूर्ण निपटान।
4.	एम०टी०एन०एल० (दिल्ली)	एम०टी०एन०एल० स्टाफ यूनियन	पक्षों के बीच 18.7.2001 को सौहार्दपूर्ण निपटान।

1	2	3	4
5.	एम०टी०एन०एल० (दिल्ली)	भारतीय महानगर टेलीफोन निगम कर्मचारी संघ	पक्षों के बीच 16.12.2000 को सौहार्दपूर्ण निपटान।
6.	एम०टी०एन०एल० (दिल्ली)	भारतीय महानगर टेलीफोन निगम कर्मचारी संघ	संराधन कार्यवाही 19.7.2001 को निर्धारित की गई।
7.	एम०टी०एन०एल० (दिल्ली)	एम०टी०एन०एल० स्टाफ यूनियन	पक्षों के बीच सहमति कायम कर 14.5.2001 को निपटान।
8.	एम०टी०एन०एल० (दिल्ली)	एम०टी०एन०एल० स्टाफ यूनियन	पक्षों के बीच सहमति कायम कर अप्रैल, 2001 में निपटान।
9.	एम०टी०एन०एल० (मुंबई)	एम०टी०एन०एल० कामगार संघ	प्रबंधन के साथ विस्तृत चर्चा की और किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए आपसी सहमति से अगली चर्चा करने के साथ बैठक समाप्त हुई।
10.	एम०टी०एन०एल० (मुंबई)	भारतीय महानगर टेलीफोन निगम कर्मचारी संघ	प्रबंधन के साथ विस्तृत चर्चा की और किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए आपसी सहमति से अगली चर्चा करने के साथ बैठक समाप्त हुई।
11.	एम०टी०एन०एल० (मुंबई)	एम०टी०एन०एल० कर्मचारी मोर्चा	पक्षों के बीच सहमति के बाद मामले का निपटान हुआ।
12.	एम०टी०एन०एल० (मुंबई)	एम०टी०एन०एल० कामगार संघ	प्रबंधन के साथ विस्तृत चर्चा की और किसी नतीचे पर पहुंचने के लिए आपसी सहमति से अगली चर्चा करने के साथ बैठक समाप्त हुई।

[अनुवाद]

अपर्याप्त दूरसंचार सुविधाएं

1209. **वैद्य विष्णु दत्त शर्मा :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर के ग्रामीण और कांडी क्षेत्रों विशेषकर राजौरी और पुंछ के दूरदराज वाले इलाकों में टेलीफोन और दूरसंचार सुविधाएं अपर्याप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन क्षेत्रों में उक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विशेष अभियान शुरू करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) वर्ष 2001-2002 के लिए राजौरी और पुंछ जिलों के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं।

क्र०सं०	पैरामीटर	लक्ष्य
1.	टेलीफोन एक्सचेंज क्षमता में वृद्धि	6392 लाइनें
2.	निवल सीधी एक्सचेंज लाइनों (डी०ई०एल०) की व्यवस्था	3500 अदद
3.	ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों (वी०पी०टी०) की व्यवस्था	78 अदद
4.	ओ०एफ०सी० संपर्कता	13 एक्सचेंज
5.	माइक्रोवेव प्रणाली	3 एक्सचेंज
6.	एम०सी०पी०सी० वी-सैट	12 अदद

उपरोक्त के अतिरिक्त, 2001-2002 के दौरान राजौरी और पुंछ के जिला मुख्यालयों में इंटरनेट नोडों की योजना भी बनाई गई है।

त्रिवेन्द्रम विमानपत्तन से उड़ानों का रद्द किया जाना

1210. **श्री वी०एस० शिवकुमार :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नैदुमबसेरी विमानपत्तन के चालू होने के बाद एअर इंडिया द्वारा त्रिवेन्द्रम से खाडी देशों तक चलाई जाने वाली कितनी उड़ानें रद्द की गई हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इन उड़ानों का मार्ग बदलकर इन्हें वाया त्रिवेन्द्रम अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन करने के लिए एअर इंडिया को निर्देश देने का है;

(ग) यदि हां, तो इस मामले में कब तक फैसला लिये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) नेदुम्बसेरी हवाई अड्डे के चालू होने, तिरूवनन्तपुरम से/होकर प्रचालित 8 उड़ानों को रद्द कर दिया गया था और इसे एअर इंडिया द्वारा तिरूवनन्तपुरम के स्थान पर कोच्चि होकर पुनः नये मार्ग से चलाया गया है।

(ख) से (घ) जी, नहीं। यह एअर इंडिया का वाणिज्यिक निर्णय है। तथापि, एअर इंडिया ने तिरूवनन्तपुरम और आबू धाबी, दमन, दुबई, कुवैत, मस्कट और रियाद के बीच सीधी उड़ानें प्रचालित किया जाना जारी रखा हुआ है। इसके अतिरिक्त, ये उड़ानें मुम्बई के ऊपर ट्रांसफर सम्पर्क के साथ बहरीन, बैंकॉक, हांग-कांग, लन्दन, न्यूयार्क, ओसाका, सिंगापुर और टोकियो के लिए/से होकर उपलब्ध है।

कर्नाटक में इंडोर स्टेडियम के निर्माण हेतु सहायता

1211. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :**
श्री जी०एस० बसवराज :
श्री जी० मल्लिकार्जुनप्पा :

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कर्नाटक में वेंकटप्पा फीजिकल ट्रस्ट, चिकबल्लापुर में इंडोर स्टेडयिम के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय सहायता के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने प्रस्ताव पर विचार नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो विलंब के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस प्रस्ताव पर कब तक विचार किये जाने और धनराशि जारी किये जाने की संभावना है ?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) जी, हां। कर्नाटक सरकार ने खेल अवस्थाना के सृजन हेतु अनुदानों की योजना के अंतर्गत, के०वी० शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय में इंडोर स्टेडियम के निर्माण हेतु ट्रस्ट से प्राप्त प्रस्ताव दिनांक 2.6.99 को भेज दिया था।

(ग) से (ङ) इस प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया था क्योंकि खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदानों की योजना के अंतर्गत, कालेजों को वित्तीय सहायता स्वीकार्य नहीं है। राज्य सरकार/ट्रस्ट को सलाह दी गयी थी कि वे विश्वविद्यालयों और कालेजों में खेलों के संवर्धन की योजना के अंतर्गत प्रस्ताव पुन: तैयार करें। संशोधित प्रस्ताव अभी तक प्रापत नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

दिल्ली से पटना के लिए सीधी उड़ान

1212. **श्री राजो सिंह :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली से पटना के लिए सीधी उड़ान शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) इस समय इंडियन एयरलाइंस दिल्ली से पटना तक के लिए सीधी उड़ानें प्रचालित करने जैसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। यद्यपि, इंडियन एयरलाइंस/एलाइंस एयर दिल्ली और पटना के बीच रांची/लखनऊ से होकर वैमानिक सेवाएं प्रचालित कर रही हैं। एयरलाइन के ऑपरेटर किसी भी सेक्टर में प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं किन्तु इन्हें मार्ग संवितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों तथा वाणिज्यिक व्यवहार्यता का अनुपालन करना होगा।

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंज

1213. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में इस समय कितने टेलीफोन एक्सचेंज आप्टिकल फाइबर मीडिया से कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार कुछ एक्सचेंजों के लिए पारेषण संयंत्रों को आप्टिकल फाइबर द्वारा आधुनिक बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने टेलीफोन एक्सचेंजों को आधुनिक बनाया गया है; और

(ङ) यू०एच०एफ०/माइक्रोवेव और उपग्रह मीडिया से कितने एक्सचेंजों को आधुनिक बनाए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) 30.6.2001 की स्थिति के अनुसार आंध्र प्रदेश दूरसंचार सर्किल में आप्टिकल फाइबर मीडिया पर 1997 एक्सचेंज और माइक्रोवेव मीडिया पर 621 एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं।

(ख) आंध्र प्रदेश दूरसंचार सर्किल की यह योजना है कि मार्च 2002 तक संसाधन उपलब्ध होने पर, सभी एक्सचेंजों को आप्टिकल फाइबर केबल, माइक्रोवेव आदि जैसे विश्वसनीय माध्यम प्रदान कर दिए जाएं।

(ग) शेष 73 एक्सचेंज जो विश्वसनीय माध्यम पर नहीं है इनमें से 63 एक्सचेंजों को इस वर्ष के दौरान आप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ा जाएगा।

(घ) आंध्र प्रदेश दूरसंचार सर्किल में पिछले तीन वर्षों के दौरान 1940 एक्सचेंजों को विश्वसनीय माध्यम से जोड़ा गया था।

(ङ) शेष 73 एक्सचेंज जो इस समय विश्वसनीय माध्यम पर नहीं हैं, उनमें से 10 एक्सचेंजों को इस वर्ष के दौरान माइक्रोवेव पर विश्वसनीय माध्यम प्रदान किया जाएगा।

लंबी दूरी के टेलीफोन

1214. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यदि कतिपय अवधि के लिए लंबी दूरी के टेलीफोन संबंधी अधिकारों की नीलामी कर दी जाती है तो क्या सरकार ने इससे प्रस्तावित आय अर्जन के संबंध में कोई अध्ययन कराया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप कितने राजस्व का अर्जन होगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कृषि कामगारों को ई०एस०आई० की सुविधा दिलाया जाना

1215. **श्री ए० ब्रह्मनैया : क्या श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृषि कामगारों के लिए पेंशन योजना को लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कुछ अस्पताल ई०एस०आई०सी० की सदस्यता के अभाव के कारण अपेक्षा से कम उपयोग हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) और (ख) सरकार ने 1 जुलाई, 2001 से कृषि कर्मकारों के लिए 'कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 2001' प्रारंभ की है। श्रम मंत्रालय के तत्वाधान में, भारतीय जीवन बीमा निगम उक्त योजना को कार्यान्वित करेगा। इस योजना के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा के निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं :—

(क) जीवन-सह-दुर्घटना बीमा

(ख) धनवापसी, तथा

(ग) पेंशन और अधिवर्षिता लाभ।

18 से 50 वर्ष तक के आयु वर्ग वाले कृषि श्रमिक इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं। इस योजना के अंतर्गत कर्मकार 1/-रुपया प्रतिदिन या प्रतिवर्ष 365/-रुपए प्रतिवर्ष तथा भारत सरकार, सामाजिक सुरक्षा निधि से प्रतिलाभार्थी 2/-रुपए, प्रतिदिन अथवा 730/-रुपए, प्रतिवर्ष अंशदन करेगी। शुरू में यह योजना 50 जिलों में लागू की जाएगी।

(ग) और (घ) जी, हां। कर्मचारी राज्य बीमा योजना की सदस्य संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से, राज्य-सरकारों के परामर्श से नए क्षेत्रों में योजना को लागू करने का चरणबद्ध कार्यक्रम प्रतिवर्ष तैयार किया जाता है ताकि सृजित अवसंरचना का पूरा उपयोग किया जा सके। पहले से ही कार्यान्वित किए गए क्षेत्रों में उन कारखानों तथा प्रतिष्ठानों की पहचान करने के लिए एक व्यापक अध्ययन शुरू किया गया है जो योजना में शामिल किए जाने योग्य हैं किन्तु जिन्हें अभी तक योजना में शामिल नहीं किया गया है। कार्य योजनाओं के अंतर्गत अवसंरचना को आधुनिकीकृत/समुन्नत किया जा रहा है ताकि बीमित व्यक्ति विद्यमान अस्पतालों का उपयोग कर सकें।

तमिलनाडु में खनन संबंधी गतिविधियां

1216. **श्री पी०डी० एलानगोवन : क्या खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में चल रही खनन संबंधी गतिविधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विभिन्न खनन संबंधी गतिविधियों से राज्य सरकार को कुल कितनी वार्षिक आय प्राप्त हुई है; और

(ग) सरकार द्वारा तमिलनाडु राज्य में ग्रेनाइट उत्खनन में सुधार हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील) : (क) और (ख) खान मंत्रालय के एक अधीनस्थ कार्यालय भारतीय खान ब्यूरो द्वारा रखी गई सूचना के अनुसार तमिलनाडु राज्य में उत्पादित मुख्य खनिज हैं : लिग्नाइट, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम (अपरिष्कृत), बॉक्साइट, बालक्ले, डूनाइट, फेल्सपर, फायरक्ले, गारनेट (अब्रेसिव), ग्रेफाइट, जिप्सम, लेटराइट, लाइम कंकर, चूना पत्थर, मेग्नेसाइट, अभ्रक, क्वार्टज, सिलिका बालू, स्टीटाइट और वर्मिक्यूलाइट। 1999-2000 में तमिलनाडु राज्य में परमाणु खनिजों और गौण खनिजों (खान और खनिज (विकास और विनियमन) (एम०एम०डी०आर०) अधिनियम,

1957 की धारा 3(ई) में यथा-परिभाषित) को छोड़कर खनिज उत्पादन के कुल मूल्य का अनन्तिम अनुमान 1,182 करोड़ रु० लगाया गया था।

(ग) ग्रेनाइट एक गौण खनिज है। तमिलनाडु सहित राज्य सरकारों ने एम०एम०डी०आर० एक्ट, 1957 की धारा 15 के तहत् ग्रेनाइट समेत गौण खनिजों के लिए खनिज रियायतें प्रदान करने के विनियमन हेतु अपनी-अपनी गौण खनिज रियायत नियमावलियां (एम०एम०सी०आर०) तैयार की हैं। केन्द्र सरकार ने भी एम०एम०डी०आर० एक्ट की धारा 18 द्वारा संरक्षण और व्यवस्थित विकास और वैज्ञानिक खनन के लिए प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्रेनाइट संसाधनों के संरक्षण तथा देश भर में ग्रेनाइट के व्यवस्थित और वैज्ञानिक विदोहन के संबंध में एक समान फ्रेम वर्क निर्धारित करने के लिए ग्रेनाइट संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1999 तैयार की है।

[हिन्दी]

पॉलीथीन के निर्माण और प्रयोग पर प्रतिबंध

1217. **श्री जय प्रकाश : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ राज्य सरकारों से पॉलीथीन के प्रयोग और निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (ग) अन्य बातों के साथ-साथ प्लास्टिक कन्टेनरों के एकत्रण और रिसाइकल तथा पॉलीथीन थेलियों के उपयोग एवं विनिर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए विनिर्माताओं के लिए इसे अनिवार्य बनाने हेतु व्यक्तियों एवं संगठनों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

प्लास्टिक अपशिष्टों के अंधाधुंध बिखेरने विशेषकर उनके निपटान के संदर्भ में विभिन्न पर्यावरणीय मामलों की जांच करने और केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट निपटान संबंधी विभिन्न विनियमनों की जांच करने तथा प्लास्टिक अपशिष्टों के संग्रहण, प्रथ्थकरण, उपचार तथा निपटान के लिए उपयुक्त उपायों का सुझाव देने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री रंगनाथ मिश्र, जो इस समय संसद सदस्य हैं, की अध्यक्षता में प्लास्टिक अपशिष्ट निपटान पर एक समिति गठित की गई है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-44 की मरम्मत

1218. **श्री एम०के० सुब्बा : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-44 खराब स्थिति में है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय राजमार्ग के कितने हिस्से पर तत्काल ध्यान देने और उसकी मरम्मत की आवश्यकता है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग की अत्यावश्यक रूप से मरम्मत करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) और (ख) जी, नहीं। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र को जोड़ने वाला रा०रा० सं० 44 यातायात योग्य स्थिति में है। तथापि, सोनापुर के समीप एक छोटे से खंड में मानसून के दौरान भूस्खलन होता है जिसपर तत्काल ध्यान दिए जाने और मरम्मत की जरूरत होती है।

(ग) सड़क को यातायात के लिए खुला रखने के लिए ढलानों को रोकने, भूस्खलन रोकने में सहायक वृक्ष लगाने और मिट्टी की सफाई के लिए पर्याप्त जनशक्ति की व्यवस्था जैसे आवश्यक मरम्मत और निवारक उपाय किए गए हैं। सीमा सड़क संगठन सोनापुर में भूस्खलन की समस्या के स्थायी समाधान के तौर पर इस खंड के पुनर्सरेखन की संभावना का पता लगा रहा है।

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त पर्यावरणीय परियोजनाएं

1219. **श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा :**
श्री सी० श्रीनिवासन :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही पर्यावरणीय परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस उद्देश्य हेतु विश्व बैंक से परियोजनावार कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई है;

(ग) क्या इनमें से कुछ परियोजनाओं की प्रगति बहुत धीमी रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या विश्व बैंक ने इस पर गहरी चिंता व्यक्त की है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा परियोजनाओं में तेजी लाने हेतु क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (च) सभी परियोजनाओं की प्रगति मूल समय-सूची के अनुसार नहीं रही है। इनके कार्यान्वियन में राज्य सरकारों, स्वायत्त निकायों आदि सहित कई अभिकरणों के शामिल होने के कारण मुख्यत: ऐसा हुआ है। कुछ परियोजनाएं जो बिना किसी पूर्व अनुभव के पहली बार कार्यान्वित की गई, उन्हें शुरूआती समस्याओं का सामना करना पड़ा। विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के संबंध में सहायता प्राप्त करने वाली सरकार और कार्यान्वित करने वाले अभिकरणों द्वारा संयुक्त रूप से नियमित समीक्षा करने हेतु सुस्थापित तंत्र है। कुछ परियोजनाओं की प्रगति धीमी होने के कारण भारत सरकार के साथ वे भी चिंतित हैं।

इन परियोनाओं में गति लाने के लिए भारत सरकार द्वारा मानीटरन क्रियाविधि को सुदृढ़ बनाया गया है तथा राज्य सरकारों/कार्यान्वित करने वाले अभिकरणों के साथ गहन विचार-विमर्श के माध्यम से वास्तविक और वित्तीय तालिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण

क्र०	परियोजना का नाम और अवधि	कार्यान्वित करने वाला अभिकरण	राज्य	विश्व बैंक द्वारा स्वीकृति राशि
1.	पर्यावरणीय प्रबंधन क्षमता निर्माण तकनीकी सहायता परियोजना (मई, 1997-जून, 2003)	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, महासागर, विकास विभाग, भारत सरकार और वन एवं पर्यावरण विभाग, गुजरात	गुजरात	29.66 मिलियन अमरीकी डालर
2.	वानिकी अनुसंधान शिक्षा और विस्तार परियोजना (फ्रीप) (सितम्बर, 1994 से दिसम्बर, 2001)	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (आई०सी०एफ०आर०ई०) और हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के राज्य वन विभाग	हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु	47 मिलियन अमरीकी डालर
3.	भारत पारिविकास परियोजना (दिसम्बर, 1996 से जून, 2002)	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार और झारखंड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान के राज्य वन विभाग	झारखंड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान	28 मिलियन अमरीकी डालर
4.	औद्योगिक प्रदूषण निवारण परियोजना (मार्च, 1995 से मार्च, 2002)	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार और आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और मध्यप्रदेश के राज्य वन विभाग	आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और मध्य प्रदेश	23 मिलियन अमरीकी डालर
5.	केरल वानिकी परियोजना (1998 से 2002)	केरल सरकार	केरल	39 मिलियन अमरीकी डालर
6.	उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना (1998-2002)	उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल सरकार	उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल	52 मिलियन अमरीकी डालर

[हिन्दी]

औद्योगिक न्यायाधिकरण का गठन

1220. **श्री रामदास आठवले :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण और श्रम न्यायालयों को श्रमिक संख्या में गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने इसके बारे में मई, 2001 को दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रस्ताव की अद्यतन स्थिति क्या है;

(ङ) क्या देश में विशेषकर दिल्ली में श्रम न्यायालयों की स्थिति शोचनीय है क्योंकि वहां अधिकांश मुकदमें अभी भी लंबित है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या अधिकांश न्यायालयों और न्यायाधिकरणों में पीठासीन अधिकारियों के पदों को लंबे समय से नहीं भरा जा रहा है;

(ज) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(झ) सरकार द्वारा श्रम न्यायालयों के कार्यकरण में सुधार लाने हेतु क्या सुधारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) जी, हां।

(ख) अहमदाबाद, गुवाहाटी, एर्नाकुलम, में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण सह-श्रम न्यायालय तथा दिल्ली और चंडीगढ़ में अतिरिक्त शाखाएं खोली गई हैं।

(ग) जी, हां। जून 2001 में नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह श्रम न्यायालय की अतिरिक्त शाखा स्थापित किए जाने की सूचना श्री अजय भटनागर द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर लिखित याचिका में दे दी गई थी।

(घ) स्थायी वित्त समिति ने प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है और तकनीकी पहलुओं, यथा पीठासीन अधिकारी के पद के सृजन आदि के संबंध में विभिन्न सक्षम प्राधिकारियों का अनुमोदन प्राप्त करने की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।

(ङ) देश में स्थित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों में लंबन की स्थिति शोचनीय नहीं है तथा संतोषजनक भी नहीं है। केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय, दिल्ली में लंबित मामलों की स्थिति अनुबंध में दर्शाई गई है।

(च) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(छ) और (ज) जी, हां। पीठासीन अधिकारियों के पद चार केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों में रिक्त पड़े हैं। इनमें से दो पदों को भरने की कार्रवाई पूरी हो चुकी है जबकि शेष दो में यह कार्रवाई अग्रिम चरण में है।

(झ) (1) केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या में कमी लाने की जरूरत से पीठासीन अधिकारियों को अवगत कराया जाता है और इसके लिए उन्हें समय-समय पर मामले की जानकारी दी जाती है।

(2) केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों में पीठासीन अधिकारियों के पदों की भर्ती के लिए, सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर लेने के बाद, त्वरित कदम उठाए जा रहे हैं।

(3) 24 तथा 25 मई, 2001 को सभी पीठासीन अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई थी जिसमें श्रम न्यायालयों के कामकाज को बेहतर बनाने की जरूरत पर बल दिया गया था।

(4) केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों के उपयोग हेतु विभागीय प्रक्रिया नियम पुस्तक (मैनुअल) को अंमित रूप दे दिया गया है। उम्मीद की जाती है कि यह मैनुअल मामलों के त्वरित निपटान में पीठासीन अधिकारियों के लिए उपयोगी होगा।

विवरण

31.5.2001 तक लंबित मामलों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय का नाम	31.5.2001 तक लंबित मामले
आसनसोल	430
बंगलौर	494
कोलकाता	214 @
चडीगढ़	1886
धनबाद-I	1599
धनबाद-II	1476
जबलपुर	1375
कानपुर	590
मुम्बई-I	215
मुम्बई-II	308
नई दिल्ली	1082
जयपुर	110
नागपुर	286 #
लखनऊ	261
चेन्नै	563
हैदराबाद	8
भुवनेश्वर	405
योग	11,302

@31.3.2001 के अनुसार

#30.4.2001 के अनुसार

[अनुवाद]

ई०एस०आई० के अस्पतालों की स्थापना

1221. श्री टी०एम० सेल्वागनपति :
श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई०एस०आई०) ने ई०एस०आई० के मौजूदा अस्पतालों को आदर्श अस्पतालों में बदलने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अपने तीन अस्पतालों का निजीकरण करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) और (ख) कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने 15 कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों का आदर्श अस्पतालों के रूप में उन्नयन करने का प्रस्ताव किया है। राज्य सरकारों के परामर्श के ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) क०रा०बी० निगम ने महाराष्ट्र राज्य में बिबवेवाडी (पुणे) तथा कोल्हापुर स्थित दो कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों को निजी संगठनों के सहयोग से चलाने का निर्णय लिया है। निगम ने इन अस्पलों को चलाने के लिए रूपात्मकताओं को अंतिम रूप देने हेतु समाचार पत्रों में खुले विज्ञापन के माध्यम से रूचि व्यक्त करने के प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं।

राजस्थान में टेलीफोन एक्सचेंज

1222. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 2001-2002 के दौरान देश में विशेषकर राजस्थान में कुछ नए टेलीफोन एक्सचेंजों को स्थापित करने और मौजूदा एक्सचेंजों का उन्नयन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंजों के उन्नयन के लिए केबल पाइप उपकरणों की आवश्यकता का मूल्यांकन किया हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान इस उद्देश्य हेतु राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) नए एक्सचेंज संस्थापित करने तथा मौजूदा एक्सचेंजों का उन्नयन करने के लिए 2001-2002 के दौरान, राजस्थान सहित, सभी बी०एस०एन०एल० सर्किलों में 68,30,000 सीधी एक्सचेंज लाइनें जोड़ने की योजना बनाई गई है। सर्किल-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) मौजूदा एक्सचेंजों का उन्नयन करने संबंधी कारक को उस वर्ष विशेष के विस्तार-कार्य में शामिल किया गया है जहां विभिन्न सर्किलों को समान केबल, पाइप उपस्कर आदि का मानकों के अनुसार आबंटन किया जाता है।

(ङ) 2001-2002 के दौरान बी०एस०एन०एल० सर्किलों में नए टेलीफोन एक्सचेंज संस्थापित करने तथा मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंज का उन्नयन करने के लिए 12261.12 करोड़ रु० (बजट प्राक्कलन प्रावधान) की राशि आबंटित की गई है। सर्किल-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2001-2002 के लिए नियोजित सीधी एक्सचेंज लाइनें तथा आबंटित निधियां

सर्किल का नाम	सीधी एक्सचेंज लाइनों का लक्ष्य	वर्ष 2001-2002 के लिए बजट प्राक्कलन प्रावधान (करोड़ रु० में)
1	2	3
अंडमान व निकोबार	10000	22.17
आंध्र प्रदेश	530000	1251.94
असम	100000	179.87
बिहार	170000	299.53
झारखंड	82000	152.19
गुजरात	650000	1057.58
हरियाणा	245500	384.48
हिमाचल प्रदेश	90000	172.77
जम्मू कश्मीर	80000	142.09
कर्नाटक	500000	839.94
केरल	718000	1365.9
मध्य प्रदेश	155000	317.42
छत्तीसगढ़	40000	90.94
महाराष्ट्र	750000	1072.94
पूर्वोत्तर-I	32000	97.23
पूर्वोत्तर-II	21500	62.49

1	2	3
उड़ीसा	135000	194.49
पंजाब	460000	672.57
राजस्थान	300000	466.79
तमिलनाडु	396000	981.96
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	325000	766.45
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	300000	437.9
उत्तरांचल	75000	138.45
पश्चिम बंगाल	300000	481.38
कोलकाता	165000	380.12
चेन्नई	200000	231.53
जोड़	6830000	12261.12

वी०एस०एन०एल० द्वारा घरेलू सेवाएं

1223. श्री अशोक ना० मोहोल :
श्री ए० वेंकटेश नायक :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश संचार लिमिटेड (वी०एस०एन०एल०) का विचार देश में घरेलू सेवाओं को शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य हेतु परिचालन के लिए किन-किन क्षेत्रों की पहचान की गई है;

(ग) उक्त सेवाओं को कब तक शुरू किये जाने की संभावना है; और

(घ) विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा राज्यवार कुल कितने किलोमीटर के मार्ग को आप्टिकल फाइबर केबल (ओ०एफ०सी०) द्वारा बिछाए जाने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) विदेश संचार निगम लिमिटेड ने सीमित शहरों में राष्ट्रीय लम्बी दूरी (एन०एल०डी०) सेवा शुरू करने की योजना बनाई है।

(ग) यह सेवा चालू वित्त वर्ष में शुरू होने की संभावना है।

(घ) अभी तक, विदेश संचार निगम लिमिटेड का अपना ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सेटेलाइट मनीआर्डर स्पीड पोस्ट सुविधा

1224. डा० रघुवंश प्रसाद सिंह :
श्री अब्दुल रशीद शाहीन :
श्री राम प्रसाद सिंह :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय विभिन्न राज्यों के किन-किन कस्बों/शहरों में सेटेलाइट मनीआर्डर/स्पीड पोस्ट की सुविधा उपलब्ध है;

(ख) स्पीड पोस्ट वस्तुओं की सुपुर्दगी में कितना समय लिया जाता है;

(ग) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष में और कस्बों/शहरों को शामिल करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) आज की तारीख तक संलग्न विवरण-I में दी गई सूची के अनुसार देश में सतहत्तर (77) उपग्रह मनीआर्डर केन्द्र काम कर रहे हैं। इसके अलावा, मनीआर्डर पारेषण के लिए एक हजार तीन सौ पचास (1,350) डाकघर टेलीफोन लाइनों के जरिए इन उपग्रह केन्द्रों से जुड़े हुए हैं। स्पीड पोस्ट सुविधा वाले एक सौ बीस (120) स्टेशनों की सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ख) वितरण मानदंड स्टेशनों को जोड़ने के लिए उपलब्ध तीव्रतम परिवहन को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किए जाते हैं। स्पीड पोस्ट मदों का वितरण दैनिक हवाई उड़ान से जुड़े प्रमुख शहरों में अगले कार्यदिवस को हो जाता है जबकि अन्य शहरों में हवाई उड़ान/ट्रेन अनुसूची आदि के संयोजन के आधार पर वितरण तीसरे दिन या चौथे दिन होता है।

(ग) जी, हां।

(घ) सरकार का वर्तमान वर्ष के दौरान चौहत्तर (74) और शहरों में उपग्रह मनीआर्डर केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। नए उपग्रह केन्द्रों की सूची संलग्न विवरण-III दी गई है। वर्तमान वर्ष के दौरान चार सौ (400) और डाकघर टेलीफोन लाइनों के माध्यम से विस्तारित उपग्रह मनीआर्डर केन्द्रों के रूप में उपग्रह केन्द्रों से जोड़े जाएंगे। अन्य कस्बों और शहरों के लिए स्पीड पोस्ट सुविधा का विस्तार करने के बारे में बाजार की संभावना, अनुमानित राजस्व और परिवहन नेटवर्क के संयोजन का मूल्यांकन करने के बाद विचार किया जाएगा।

विवरण-I

वी०एस०ए०टी० स्टेशनों की राज्यवार सूची

क्र०सं०	राज्य	कार्यालय
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद

1	2	3
2.	आंध्र प्रदेश	कुर्नूल
3.	आंध्र प्रदेश	तिरुपति
4.	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा
5.	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम
6.	ए०पी०एस०	1 सी०बी०पी०ओ०
7.	ए०पी०एस०	2 सी०बी०पी०ओ०
8.	असम	डिब्रूगढ़
9.	असम	गुवाहाटी
10.	असम	सिल्चर
11.	असम	तेजपुर
12.	बिहार	दरभंगा
13.	बिहार	गया
14.	बिहार	मुजफ्फरपुर
15.	बिहार	पटना
16.	बिहार	पुर्णिया
17.	छत्तीसगढ़	जबलपुर
18.	छत्तीसगढ़	रायपुर
19.	दिल्ली	अशोक विहार
20.	दिल्ली	नई दिल्ली
21.	गोवा	पणजी
22.	गुजरात	अहमदाबाद
23.	गुजरात	राजकोट
24.	गुजरात	सूरत
25.	गुजरात	वडोदरा
26.	हरियाणा	अम्बाला
27.	हरियाणा	रोहतक
28.	हिमाचल प्रदेश	धर्मशाला
29.	हिमाचल प्रदेश	मण्डी
30.	हिमाचल प्रदेश	शिमला
31.	जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू

1	2	3
32.	झारखंड	रांची
33.	कर्नाटक	बेंगलूर
34.	कर्नाटक	गुलबर्गा
35.	कर्नाटक	हुबली
36.	कर्नाटक	मेंगलूर
37.	कर्नाटक	मैसूर
38.	केरल	कालीकट
39.	केरल	एर्नाकुलम
40.	केरल	कावारती
41.	केरल	तिरुवनंतपुरम
42.	मध्य प्रदेश	भोपाल
43.	मध्य प्रदेश	ग्वालियर
44.	मध्य प्रदेश	इंदौर
45.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद
46.	महाराष्ट्र	दादर
47.	महाराष्ट्र	मुम्बई
48.	महाराष्ट्र	नागपुर
49.	महाराष्ट्र	पुणे
50.	उत्तर-पूर्व	अगरतला
51.	उत्तर-पूर्व	आइज़ोल
52.	उत्तर-पूर्व	कोहिमा
53.	उत्तर-पूर्व	शिलांग
54.	उड़ीसा	बेहरामपुर
55.	उड़ीसा	भुवनेश्वर
56.	उड़ीसा	संबलपुर
57.	पंजाब	जालंधर
58.	पंजाब	लुधियाना शहर
59.	राजस्थान	अजमेर
60.	राजस्थान	जयपुर
61.	राजस्थान	जोधपुर

1	2	3
62	राजस्थान	उदयपुर
63.	तमिलनाडु	चेन्नई
64.	तमिलनाडु	कोयम्बतूर
65.	तमिलनाडु	मदुरै
66.	तमिलनाडु	त्रिची
67.	उत्तरांचल	सहारनपुर
68.	उत्तर प्रदेश	आगरा
69.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद
70.	उत्तर प्रदेश	बरेली
71.	उत्तर प्रदेश	कानपुर
72.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
73.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी
74.	पश्चिम बंगाल	आसनसोल
75.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
76.	पश्चिम बंगाल	पोर्ट ब्लेयर
77.	पश्चिम बंगाल	सिलीगुड़ी

विवरण-II

स्पीड पोस्ट केन्द्रों की राज्यवार सूची

क्र०सं०	राज्य	राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट केन्द्र
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	गुन्टूर
2.		हैदराबाद
3.		कुर्नूल
4.		तिरूपति
5.		विजयवाड़ा
6.		विशाखापटनम
7.	असम	डिब्रूगढ़
8.		गुवाहाटी
9.		जोरहाट
10.		सिल्चर
11.	बिहार	मुजफ्फरपुर
12.		पटना
13.	झारखंड	धनबाद
14.		जमशेदपुर
15.		रांची
16.	दिल्ली	नई दिल्ली
17.	गुजरात	अहमदाबाद
18.		राजकोट
19.		सूरत
20.		वडोदरा
21.	हरियाणा	अम्बाला
22.		फरीदाबाद
23.		गुड़गांव
24.		करनाल
25.		कुरुक्षेत्र
26.		पानीपत
27.	हिमाचल प्रदेश	धर्मशाला
28.		हमीरपुर
29.		मंडी
30.		शिमला
31.		सोलन
32.	जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू
33.		श्रीनगर
34.	कर्नाटक	बेंगलूर
35.		बेलगांव
36.		बेल्लारी
37.		देवनगेरे
38.		धारवाड़
39.		गुलबर्गा
40.		हुबली
41.		मेंगलूर
42.		मैसूर
43.		रायचूर

1	2	3
44.		उदिपी
45.	केरल	अल्वै
46.		कालीकट
47.		कोचीन
48.		कोट्टयम
49.		क्यूलोन
50.		तिरुवल्ला
51.		त्रिचूर
52.		तिरुवनंतपुरम
53.	मध्य प्रदेश	भोपाल
54.		ग्वालियर
55.		इंदौर
56.		उज्जैन
57.	छत्तीसगढ़	जबलपुर
58.		रायपुर
59.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद
60.		मुंबई
61.		नागपुर
62.		नासिक
63.		पुणे
64.		थाणे
65.	गोवा	पणजी
66.	मणिपुर	इम्फाल
67.	मेघालय	शिलांग
68.	मिजोरम	एज़वाल
69.	नागालैण्ड	कोहिमा
70.	त्रिपुरा	अगरतला
71.	उड़ीसा	बेहरामपुर
72.		भुवनेश्वर
73.		कटक
74.		राउरकेला
75.		संबलपुर
76.	पंजाब	अमृतसर
77.		चंडीगढ़
78.		जलंधर
79.		लुधियाना
80.		पठानकोट
81.		पटियाला
82.		फगवाड़ा
83.	राजस्थान	अजमेर
84.		जयपुर
85.		जोधपुर
86.		उदयपुर
87.	तमिलनाडु	चेन्नई
88.		कोयम्बतूर
89.		कुड्डालोर
90.		होसुर
91.		कांचीपुरम
92.		करुर
93.		मदुरै
94.		नागरकोइल
95.		पांडिचेरी
96.		सलेम
97.		तिरुपुर
98.		त्रिची
99.		तूतीकोरिन
100.		वेल्लूर
101.	उत्तर प्रदेश.	आगरा
102.		इलाहाबाद
103.		बरेली
104.		गाजियाबाद
105.		गोरखपुर
106.		कानपुर
107.		लखनऊ

1	2	3
108.		मेरठ
109.		मुरादाबाद
110.		नोएडा
111.		सहारनपुर
112.		वाराणसी
113.	उत्तरांचल	देहरादून
114.	पश्चिम बंगाल	हावड़ा
115.		खड़गपुर
116.		कोलकाता
117.		सिलीगुड़ी
118.	सिक्किम	गंगटोक
119.	सेना डाक सेवा	56 ए०पी०ओ०
120.		99 ए०पी०ओ०

विवरण-III

2001 में स्थापित किए जाने वाले उपग्रह केन्द्र

क्र०सं०	राज्य	कार्यालय
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	अनन्तपुर
2.	आंध्र प्रदेश	कुड्डापाह
3.	आंध्र प्रदेश	गुंटूर
4.	आंध्र प्रदेश	हनमकोंडा
5.	आंध्र प्रदेश	नंदयाल
6.	आंध्र प्रदेश	नेल्लोर
7.	आंध्र प्रदेश	निजामाबाद
8.	आंध्र प्रदेश	राजामुन्दरी
9.	आंध्र प्रदेश	श्रीकाकुलम
10.	आंध्र प्रदेश	विजयनगरम्
11.	असम	धुब्री
12.	असम	जोरहाट
13.	असम	करीमगंज
14.	असम	नौगांव
15.	असम	तिनसुकिया
16.	बिहार	भागलपुर
17.	बिहार	समस्तीपुर
18.	बिहार	सिवान
19.	छत्तीसगढ़	बिलासपुर
20.	दिल्ली	पार्लियामेंट स्ट्रीट
21.	गुजरात	आनन्द
22.	गुजरात	भावनगर
23.	गुजरात	गांधीनगर
24.	गुजरात	जामनगर
25.	गुजरात	महेसाना
26.	गुजरात	नदियाड
27.	गुजरात	नवसारी
28.	हरियाणा	फरीदाबाद
29.	हरियाणा	गुड़गांव
30.	हरियाणा	हिसार
31.	हरियाणा	करनाल
32.	जम्मू व कश्मीर	श्रीनगर
33.	झारखंड	हजारीबाग
34.	झारखंड	जमशेदपुर
35.	कर्नाटक	बेलगांव
36.	कर्नाटक	देवनगेरे
37.	कर्नाटक	हसन
38.	कर्नाटक	बीजापुर
39.	कर्नाटक	शिमोगा
40.	केरल	कोझीकोड
41.	केरल	कोल्लम
42.	केरल	कोट्टायम
43.	केरल	पालकाड
44.	केरल	त्रिशूर
45.	मध्य प्रदेश	उज्जैन
46.	महाराष्ट्र	नासिक

1	2	3
47.	महाराष्ट्र	रत्नगिरि
48.	मणिपुर	इम्फाल
49.	अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर
50.	उड़ीसा	कटक
51.	उड़ीसा	राऊरकेला
52.	पंजाब	अमृतसर
53.	पंजाब	भटिंडा
54.	पंजाब	चंडीगढ़
55.	पंजाब	पटियाला
56.	राजस्थान	कोटा
57.	तमिलनाडु	इरोड
58.	तमिलनाडु	पांडिचेरी
59.	तमिलनाडु	सलेम
60.	तमिलनाडु	तिरुनेलवेली
61.	तमिलनाडु	उडगमंडलम
62.	तमिलनाडु	विरुदनगर
63.	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़
64.	उत्तर प्रदेश	आजमगढ़
65.	उत्तर प्रदेश	बलिया
66.	उत्तर प्रदेश	फैजाबाद
67.	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद
68.	उत्तर प्रदेश	गोंडा
69.	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर
70.	उत्तर प्रदेश	झांसी
71.	उत्तर प्रदेश	मेरठ कैंट
72.	उत्तरांचल	देहरादून
73.	पश्चिम बंगाल	गंगटोक
74.	पश्चिम बंगाल	हावड़ा

लाइसेंस शुल्क

1225. **श्री प्रियरंजन दासमुंशी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मोबाइल सेल्यूलर ऑपरेशन से संबंधित प्रति मेगाहर्टज आवृत्तियों और सी०डी०एम०ए० – डब्ल्यू०एल०एल० ऑपरेटरों के लिए लाइसेंस शुल्क की मौजूदा दर क्या है;

(ख) क्या सरकार राजस्व वसूली के संबंध में सी०डी०एम०ए०–डब्ल्यू०एल०एल० ऑपरेटरों तथा सेल्यूलर ऑपरेटरों के हाथों प्रभावित हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) बुनियादी टेलीफोन सेवा और सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा आपरेटरों से क्रमशः क, ख तथा ग सेवों क्षेत्रों के लिए समायोजित सकल राजस्व के 12%, 10% और 8% की दर से लाइसेंस शुल्क वसूल किया जा रहा है। अभिगम्यता प्रणालियों में स्पेक्ट्रम का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं से अर्जित वार्षिक सकल राजस्व के 2% की दर से स्पेक्ट्रम प्रभार वसूल किया जा रहा है, बशर्ते कि यह तकनीकी रूप से व्यवहार्य हो और उनके लाइसेंस करारों की शर्तों के तहत अनुमत्य हो।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) तथा (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

टेलीफोन सुविधा

1226. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूमिगत केबल बिछाने हेतु मौजूदा नियम क्या हैं;

(ख) क्या झारखण्ड राज्य के कुछ जिलों में भूमिगत केबल को एक फीट से भी कम गहराई पर बिछाया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या राज्य में विशेषकर गिद्दी टेलीफोन एक्सचेंज सहित अनेक टेलीफोन एक्सचेंज एक महीने से खराब हैं; और

(च) यदि हां, तो इसे कब तक चालू किये जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) मौजूदा नियमों के अनुसार, भूमिगत केबल सामान्यतः जमीन में एक मीटर गहराई पर बिछानी होती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त भाग (ख) को देखते हुए लागू नहीं होता।

(ङ) और (च) गिद्दी टेलीफोन एक्सचेंज के एक माह से खराब पड़े रहने की कोई रिपोर्ट नहीं है। तथापि, संलग्न विवरण में दिए गए ब्यौरे के अनुसार निम्नलिखित कारणों की वजह से झारखंड दूरसंचार सर्किल के कुछ टेलीफोन एक्सचेंजों में कुछ समस्याएं हैं।

1. अविश्वसनीय माध्यम पर जुड़े एक्सचेंज।

2. मुख्यत: बिजली गिरने की वजह से छोटे एक्सचेंजों का खराब हो जाना।

3. वाणिज्यिक बिजली की सप्लाई लंबे समय तक न रहने के कारण।

4. उग्रवादी गतिविधियां।

विवरण

हजारीबाग एस०एस०ए०

1. हजारीबाग एस०एस०ए० के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित चार एक्सचेंज ओवर हैड एलाइनमेंट पर अविश्वसनीय माध्यम पर काम कर रहे हैं।

(क) बदाम

(ख) केरेडरी

(ग) अखौंगो

(घ) बरकाथा

इन सभी एक्सचेंजों को मार्च 2002 तक विश्वसनीय ऑप्टीकल फाइबर केबल पर जोड़ने की योजना है बशर्ते कि उपस्कर उपलब्ध हों।

2. डाल्टनगंज एस०एस०ए० :

पंडू : 16.2.01 को उग्रवादियों द्वारा एक्सचेंज जला दिया गया और वे संस्थापना प्रगति और बहाली प्रक्रिया में बाधा डाल रहे हैं।

3. धनबाद एस०एस०ए० :

(क) बरमो : तेज आंधी के कारण यू०एच०एफ० माध्यम के एन्टीना अपने स्थान से हट गए थे। इसके कारण एक्सचेंज को 12.5.2001 से 16.5.2001 तक अर्थात पांच दिन बिना माध्यम (मीडिया) के काम करना पड़ा। अब यह ठीक ढंग से काम कर रहा है।

(ख) नवादीह : इलेक्ट्रिक पावर यहां उपलब्ध नहीं है। माध्यम ओवर हैड एलानमेंट पर है। ओ०एफ०सी० माध्यम पर एक्सचेंज को जोड़ने का काम प्रगति पर है जिसके, उपस्कर प्राप्त होने के बाद, तीन माह के भीतर पूरा होने की संभावना है।

(ग) टुपकाडीह : माध्यम उपलब्ध न होने के कारण एक्सचेंज काम नहीं कर रहा है। ओ०एफ०सी० माध्यम पर एक्सचेंज पुन: स्थापित करने के लिए काम चल रहा है और एक माह के भीतर काम पूरा होने की संभावना है।

(घ) भंडारीदाह : यू०एच०एफ० प्रणाली में बड़ी खराबी के कारण 18.6.2001 से माध्यम काम नहीं कर रहा है। 15 दिनों के भीतर एक्सचेंज बहाल कर दिया जाएगा।

[अनुवाद]

टेलीफोन संबंधी बकाया देय धनराशि

1227. श्री अरूण कुमार : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में गया दूरसंचार सर्किल के अनेक टेलीफोन उपभोक्ताओं को भारत संचार निगम लिमिटेड की लंबित बकाया धनराशि का भुगतान अभी करना बाकी है;

(ख) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार तत्संबंधी जिलावार ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा चूककर्ता उपभोक्ताओं से उक्त बकाया धनराशि की वसूली हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) 30.6.2001 की स्थिति के अनुसार, बिहार के गया टेलीफोन जिले के कुल उपभोक्ताओं के लगभग 1/5 उपभोक्ताओं ने भारत संचार निगम लिमिटेड को बकाया राशि का भुगतान करना था।

(ख) 30.6.2001 की स्थिति के अनुसार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

जिले का नाम	उपभोक्ताओं की संख्या	धनराशि लाख रुपयों में
जेहानाबाद	1464	133
औरंगाबाद	1610	140
नवादा	1631	141
गया	3319	267
जोड़	8024	681 (अर्थात 6.8 करोड़)

(ग) बकाया धनराशियां वसूल करने के लिए बी०एस०एन०एल० द्वारा किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(i) बकाया धनराशियों के परिसमापन के लिए लक्ष्य निगमित कार्यालय द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और फील्ड यूनिटों की तत्संबंधी निष्पादन की मानीटरिंग की जाती है।

(ii) बकाया धनराशियों को शीघ्र वसूल करने के लिए स्टाफ को प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

(iii) बकाया धनराशियों के शीघ्र परिसमापन के लिए सर्किलों में उच्च स्तरीय समितियां और परिसमापन बोर्डों की स्थापना की गई है।

(iv) बी०एस०एन०एल० मुख्यालय द्वारा प्रत्येक माह सर्किलों की वसूली संबंधी कार्य कुशलता की मॉनिटरिंग की जाती है।

(v) यूनिटों को कहा जाता है कि वे सही टैरिफ लागू करें, बिल शीघ्र जारी करें और निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार भुगतान न करने पर चूककर्ताओं के टेलीफोन काट दें।

सेल्यूलर/मोबाइल टेलीफोनों पर आवक कालें

1228. **श्री किरीट सोमैया :**
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड का विचार सेल्यूलर/मोबाइल टेलीफोन पर आवक कॉलों को नि:शुल्क करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक लागू किये जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) जी, नहीं। सेल्यूलर सेवाओं की वर्तमान टैरिफ प्रणाली के अन्तर्गत भारत संचार निगम लिमिटेड (बी०एस०एन०एल०) का सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोनों की इनकमिंग कॉलों को नि:शुल्क करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

1229. **श्री नरेश पुगलिया :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस ने अपने कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी०आर०एस०) तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने दोनों विमान सेवाओं के लिए इस स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को मंजूरी दे दी है;

(घ) यदि हां, तो इसमें कितनी राशि लगने की संभावना है;

(ङ) एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस में कुल कितने कर्मचारियों ने इस योजना का लाभ उठाने की मांग की है; और

(च) विमान सेवा-वार कितने कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिए जाने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (च) चूंकि एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स दोनों के निवेशन के काम की प्रक्रिया आगे तक बढ़ चुकी है, सरकार का ऐसा अनुभव है कि ऐसी स्थिति में एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी०आर०एस०) लागू करने से भावी बोलीकर्ताओं की वित्तीय बोलियों में ह्रास होने की आंशका है। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि चल रही निवेश प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स के पुनर्गठित बोर्ड के ऊपर इस मुद्दे को व्यावसायिक नीति विकल्प के रूप में छोड़ दिया जाना चाहिए। इसे देखते हुए इस समय एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी०आर० एस०) शुरू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

मैच फिक्सिंग

1230. **श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी :** क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश जुडीशियल कॉ-आपरेशन यूनिट ने दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेट कप्तान के विरुद्ध मैच फिक्सिंग आरोपों के बारे में जानकारी प्रदान करने में अपने देश की सहायता की पुष्टि की है;

(ख) यदि हां, तो इससे मैच फिक्सिंग आरोपों की जांच में किस सीमा तक मदद मिली है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो जांच समिति की सिफारिशों को कब तक लागू किये जाने की संभावना है ?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सेल्यूलर हैंडसैट

1231. **श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कुल कितने सेल्यूलर हैंडसेट की आवश्यकता है;

(ख) क्या इन हैंडसेट की सम्पूर्ण आवश्यकता इस समय आयात से पूरी की जाती हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का ऐसे सेटों का देश में ही निर्माण करने हेतु ढांचा तैयार करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) इस समय देश में सेल्यूलर हैंड-सेटों की कुल मासिक आवश्यकता लगभग 1,50,000 से 2,00,000 हैंड सेट प्रतिमाह आंकी गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) ऑटोमेटिक आधार पर 100% तक अनुमत्य विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सहित, दूरसंचार उपस्कर का विनिर्माण प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी के लिए खोल दिया गया है। सरकार ने भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई प्रोत्साहनों की घोषणा की है। बाजार शक्तियां ऐसी यूनिटों की स्थापना का निर्धारण करती हैं, जिनमें सेल्यूलर हैंडसेटों का विनिर्माण, आर्थिक रूप मे व्यवहार्य क्षमताओं का निर्धारण करने संबंधी मात्रा, प्रौद्योगिकी पर निर्भरता संघटकों आदि का स्वदेशी आधार शामिल हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग-47 के लिए विकास योजना

1232. **श्री रमेश चेन्नितला** : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-47 के लिए विकास योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य में चार लेन परियोजनाओं को पूरा करने में असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग-47 में चार लेन बनाने के लिए कोई नई योजना है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण एक सतत् प्रक्रिया है और यह कार्य, निर्माण कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की उपलब्धता के आधार पर चरणों में किए जाते हैं। इस समय रा०रा० 47 पर 40.77 करोड़ रु० के विकास कार्य चल रहे हैं। इसके अलावा केरल में कोचीन से तमिलनाडु सीमा तक रा०रा० 47 के खंड जो उत्तर-दक्षिण महामार्ग के कोचीन-सलेम खंड का एक भाग है, को चार लेन बनाने का बनाने का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना और पत्तन संपर्क सड़क कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

(ख) रा०रा० 47 के चेरतलै से अलुवा (10 कि०मी० को छोड़कर) खंड को चार लेन बनाने के लिए स्वीकृत परियोजना कलमसेरी में आर०ओ०बी० के लिए पहुंच मार्गों को छोड़कर काफी हद तक पूरी कर ली गई है। पहुंच मार्गों को पूरा करने में विलंब कार्यस्थल की समस्याओं के कारण है।

(ग) और (घ) केरल में रा०रा० 47 को चार लेन का बनाने का कार्यक्रम इस प्रकार है :–

(i) 358.3 से 345.382 कि०मी० खंड-परियोजना तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।

(ii) अलुवा (332.6 कि०मी०) से अंगमाली (316 कि०मी०) खंड-कार्य सौंप दिया गया है।

(iii) अंगमाली से केरल/कोचीन-सलेम खंड के तमिलनाडु सीमा तक शेष खंड चरणों में शुरू किया जाएगा।

अंतरराष्ट्रीय कार्गो केन्द्र

1233. **डा० जसवंतसिंह यादव** : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में अंतरराष्ट्रीय कार्गो केन्द्रों को विकसित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन विमानपत्तनों पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इन विमानपत्तनों पर आवश्यक सुविधाएं कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) भारत से कार्गो के लिए 'मुक्त आकाश नीति' के अनुसार सीमा शुल्क/आव्रजन सुविधाएं उपलब्ध होने पर कोई भी एयरलाइन हवाई अड्डों से कार्गो उड़ानें प्रचालित करने के लिए स्वतंत्र है।

(ग) से (ङ) अपेक्षाओं को पूरा करने वाले दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई और कोलकाता स्थित चार महानगरीय हवाई अड्डों पर निम्नांकित सुविधाएं उपलब्ध हैं :– अंतरराष्ट्रीय हवाई कार्गो टर्मिनल, एक ही छत के नीचे सभी विनियामक/सुविधा प्रदायक एजेंसियों के लिए भवन व्यवस्था, आयात, निर्यात तथा टी०पी० कार्गो के लिए विशिष्ट भंडारण, प्रसंस्करण तथा परीक्षण क्षेत्र, माल भाड़ा वाहकों के लिए कार्गो ऐप्रन, एक्सरे जांच मशीन, क्षतिदायक कार्गो शेड, स्ट्रॉंग रूम, शीत भंडारण, भारमापक पुल/भारमापक स्केल, कागजात तथा बिल आदि की कंप्यूटरीकृत ऑन-लाइन प्रोसेसिंग (आई०सी०एम०एस०), रेस्तरां/कैंटीन, वाहन पार्किंग, बैंक, अलग से जन प्रतीक्षालय लौंज तथा सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली (पी०ए० सिस्टम) अलग से विशेष बैगेज यूनिट मुम्बई, दिल्ली और चेन्नई में उपलब्ध हैं। शीघ्र नष्ट होने वाले कार्गो के लिए दिल्ली और चेन्नई में राजनयिक डाक संलग्नक तथा अत्याधुनिक केन्द्र उपलब्ध हैं। मुम्बई और दिल्ली में जीवित जन्तुओं के लिए शेड की व्यवस्था है। यांत्रिकृत यूनिट लोड ब्रेक-अप/मेक-अप, स्टोरेज/रिट्राइवल सिस्टम (ई०टी०वी०) एण्ड सी०सी०टी०वी० और सर्वेलैंस कैमरा सिर्फ दिल्ली में उपलब्ध है। डाकघर सिर्फ मुम्बई में उपलब्ध है। बौंडेड ट्रेकिंग सुविधाएं सिर्फ चेन्नई में है।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को भंग किया जाना

1234. **श्री सुबोध मोहिते** :
श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को भंग करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का प्रदूषण कानूनों को और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एकीकृत केन्द्रीय प्राधिकरण गठित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठत।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

इलैक्ट्रॉनिक दूरभाष केंद्र

1235. श्री भीम दाहाल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का 2001-2002 के दौरान सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रत्येक राज्य में इलैक्ट्रॉनिक दूरभाष केन्द्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 2001-2002 के दौरान उत्तर पूर्वी क्षेत्र में खोले जाने वाले प्रस्तावित नए इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा

क्र०सं०	राज्य	केन्द्र का नाम
1	2	3
1.	असम	गोरचुक
		क्रिस्चियन बस्ती
		कहिलपाड़ा
		हाटीगढ
		बेजरा
		सिंगरा
		मुक्तापुर
		दिमऊ
		नगरबेड़ा
		डोमडोमा
		सोनाई रोड
		रंगपुर
		करीमगंज
		गनीरग्राम
		राजतिल्ला
		सपराकांडी
		लेजई
		ऊपापुर
		खरखाटी
		जोरहाट (इंजीनियरिंग कालेज)
		जयसागर
		मुदोईगांव
		गोवलगांव
		नेमुगुड़ी
		वनगांव
		गोमरीगुड़ी
		जजोली
		साउथ बोंगईगांव
		धामधामा
		रामपुर
		सतरूसल
		डोलगीमा
		नीलपुर (विश्वनाथ चराली)
		खौलमती
		खानामुख
		संवनसिरी
		दीमाकुची
		फुलोंगुढ़ी

1	2	3
		राजागांव
		खरीखाना
		टेम्परिंग
		काकी-I
2.	अरूणाचल प्रदेश	इटानगर
		हिरलागाम
		दुईमुख
		ओल्ड जीरो
		यचूली
		बसार
		दिओमली
		रूपा
		पैंगकिआंग
		यंगलांग
		खोंसा
3.	मेघालय	मावपुर
		मवलांग
4.	मिजोरम	ऐज़वाल यू०एच०एफ० 2nd आर०एस०यू०
		ऐज़वाल उपग्रह
5.	त्रिपुरा	अगरतला विभागीय
		तार घर
		जी०बी० बाजार
		कोलेज़टिल्ला
6.	मणिपुर	मणिपुर विश्वविद्यालय
		लेमाखांग
		लेंगिंग
		तदूबी
		आंदरों
		मारम
		नुंगबा, सेकू
7.	नागालैंड	टोबू
		नोकलोक
		लोंगलेग
		भंडारी
		धताशी
		वाखेहो
		निहोकु
		अतोईजु
8.	सिक्किम	माखा
		मजहितार
		यकशाम
		सिचें

भारत संचार निगम लिमिटेड

1236. श्री प्रभात सामान्तराय : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बी०एस०एन०एल०) ने चालू वित्त वर्ष के दौरान अपना बाजार का हिस्सा बढ़ाने तथा उपभोक्ताओं में वृद्धि के लिए कोई कदम उठाया हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान इस उद्देश्य के लिए कितनी निधियां आवंटित की गई हैं; और

(ग) इस वित्त वर्ष के दौरान बी०एस०एन०एल० द्वारा किन अन्य क्षेत्रों में और ध्यान देने का प्रस्ताव हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी हां। चालू वित्त वर्ष के दौरान सभी बी०एस०एन०एल० सर्किलों में 68,30,000 सीधी एक्सचेंज लाइनें जोड़ने की योजना बनाई गई है ताकि इसके बाजार शेयर में वृद्धि होने के साथ-साथ उपभोक्ताओं की संख्या में भी वृद्धि हो सकें।

(ख) इस प्रयोजनार्थ वर्ष 2001-2002 के दौरान 16574.00 करोड़ रु० की राशि निर्धारित की गई है।

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान इंटेलीजेंट नेटवर्क (आई०एन०), वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यू०एल०एल०), इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क (आई०एस०डी०एन०), सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन प्रणाली (सी०एम०टी०एस०), इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने और इनका विस्तार करने का प्रस्ताव है।

रोजगार सृजन

1237. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजना के अंत तक राज्य-वार रोजगार कार्यालयों में कितने बेरोजगार व्यक्ति पंजीकृत थे; और

(ख) आठवीं और नौवीं योजनाओं के दौरान अलग-अलग रोजगार प्रदान करने में क्या उपलब्धि रही ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) और (ख) 31.3.97 की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों की राज्य-वार संख्या, यह आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हों, संलग्न विवरण में दी गई है। अप्रैल, 1992-मार्च 1997 (आठवीं योजनावधि) तथा अप्रैल, 1997-अप्रैल, 2001 के दौरान रोजगार कार्यालयों द्वारा किया गया नियोजन क्रमशः 11.35 लाख और 8.87 लाख के लगभग था।

विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	31.3.1997 की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों की संख्या (हजार में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	2886.7
2.	अरूणाचल प्रदेश	7.0
3.	असम	1419.9
4.	बिहार	3488.7
5.	गोवा	103.0
6.	गुजरात	927.6
7.	हरियाणा	772.8
8.	हिमाचल प्रदेश	646.7
9.	जम्मू और कश्मीर	167.1
10.	कर्नाटक	1793.1
11.	केरल	3291.4
12.	मध्य प्रदेश	2274.4
13.	महाराष्ट्र	3801.1
14.	मणिपुर	298.9
15.	मेघालय	28.4
16.	मिजोरम	56.4
17.	नागालैण्ड	20.7
18.	उड़ीसा	943.2
19.	पंजाब	548.7
20.	राजस्थान	879.2
21.	सिक्किम*	
22.	तमिलनाडु	3648.3
23.	त्रिपुरा	205.9
24.	उत्तर प्रदेश	2500.3
25.	पश्चिम बंगाल	5519.3
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	23.2
27.	चंडीगढ़	137.8
28.	दादर व नगर हवेली	5.1
29.	दिल्ली	1088.1
30.	दमन व दीव	5.2
31.	लक्षद्वीप	9.0
32.	पांडिचेरी	133.8
	अखिल भारत	37631.2

नोट :— *इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है। हो सकता है पूर्णांकों के कारण आंकड़े योग से मेल न खाएं

राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान

1238. **श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार :**
श्री राजैया मल्याला :

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए कुछ गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे गैर-सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में उन्हें राज्य-वार कितना अनुदान दिया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा ''जल-खेलों'' को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा रहा है ?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) जी, हां।

(ख) अपेक्षित सूचना संकलित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) सरकार उन मान्यता प्राप्त परिसंघों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है जो भारत में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिपों

का आयोजन करने के लिए जल क्रीड़ा से संबंधित हैं। विदेश में अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिपों में भाग लेने, खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, प्रशिक्षण शिविरों और विदेशी प्रशिक्षकों हेतु भी इन परिसंघों को सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

एअर इंडिया में निवेश

1239. **श्री जे०एस० बराड़ :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया में एन०आर०आई०/ओ०सी०बी० निवेश को विदेशी निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जा रहा है जबकि इंडियन एयरलाइंस के मामले में यह घरेलू निवेश के रूप में माना जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोनों विमान सेवाओं के मामले में एन०आर०आई०/ओ०सी०बी० निवेश के साथ अलग-अलग व्यवहार किए जाने के क्या कारण और परिस्थितियां हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का निजीकरण

1240. **श्री उत्तमराव ढिकले :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम०टी०एन०एल०) का निजीकरण करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप सरकार तथा आम लोगों को क्या लाभ होने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

नवगठित राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

1241. **श्री पुन्नू लाल मोहले :**
श्री पी०आर० खूंटे :

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विशेषकर नवगठित राज्यों यथा-छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तरांचल में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास हेतु कोई कार्य-योजना तैयार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) और (ख) छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तरांचल सहित सभी राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए वार्षिक योजना 2001-02 को पहले ही अंतिम रूप दे दिया गया है। नवगठित छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तरांचल राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए वार्षिक योजना 2001-02 में निम्नलिखित प्रावधान है।

राज्य	योजना प्रावधान
छत्तीसगढ़	84.45 करोड़ रु०
झारखंड	71.05 करोड़ रु०
उत्तरांचल	98.88 करोड़ रु०

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दूरसंचार कम्पनियों को आशय-पत्र जारी करना

1242. **मोहम्मद शहाबुद्दीन :**
श्रीमती कान्ति सिंह :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन दूरसंचार कम्पनियों, जिन्हें बेसिक टेलीफोन सेवा प्रदान करने के लिए विभिन्न सर्किलों में आशय-पत्र (एल०ओ०आई०) जारी किए गए थे, ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) ये कम्पनियां कब तक कार्य करना प्रारम्भ कर देंगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दिनांक 25.1.2001 के दिशानिर्देशों के तहत बुनियादी टेलीफोन सेवा की व्यवस्था करने के लिए प्राइवेट कंपनियों को अब तक जारी 76 आशय-पत्रों में से, 20 जुलाई 2001 को, केवल 16 आशय-पत्रों के प्रति लाइसेंस करारों पर हस्ताक्षर किए गए थे।

(घ) आशय-पत्र धारक कंपनियां लाइसेंस करारों पर हस्ताक्षर करने के बाद ही सेवाओं का व्यवस्था करना शुरू करेंगी। रॉल आऊट दायित्वों में, लाइसेंस करारों पर हस्ताक्षर करने के दो वर्ष के भीतर

कम दूरी प्रभारण क्षेत्रों (विशेष रूप से तहसीलों में) का 15% ''प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस'' स्थापित करना निर्धारित हैं।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शन

1243. **श्री दानवे रावसाहेब पाटील : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने हेतु क्या मानदंड निर्धारित हैं;

(ख) क्या सरकार का गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को नि:शुल्क टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शन उन सभी लोगों को दिया जाता है, जो उपयुक्त पंजीकरण शुल्क सहित टेलीफोन के लिए आवेदन प्रस्तुत करते हैं बशर्ते टेलीफोन नियमों के तहत उन्हें विशेष रूप से वर्जित न किया गया हो। बारी आने पर और तकनीकी रूप से व्यवहार्य होने पर उन्हें टेलीफोन प्रदान करा दिया जाता है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) उपरोक्त भाग (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

एम०टी०एन०एल० सेल्युलर टेलीफोन सेवा

1244. **डा० सुशील कुमार इन्दौरा :**
श्री नवल किशोर राय :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और मुम्बई में इस समय महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) की सेल्यूलर सेवा में कितने सेल्यूलर टेलीफोन उपभोक्ता पंजीकृत है;

(ख) क्या एम०टी०एन०एल० ने अपनी सेवा आरम्भ करने से पूर्व दिल्ली और मुम्बई में ऐसे उपभोक्ताओं का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक किस सीमा तक उक्त लक्ष्य प्राप्त किया गया है; और

(घ) दोनों शहरों में सेल्यूलर सेवा के तीव्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एम०टी०एन०एल० द्वारा क्या कदम उठाये गए/उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) इस समय महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम०टी०एन०एल०), दिल्ली में 10,418 और एम०टी०एन०एल०, मुंबई में 10,529 सेल्युलर टेलीफोन उपभोक्ताओं के नाम पंजीकृत हैं।

(ख) और (ग) मांग पर सेल्युलर फोन प्रदान करने के लिए दिल्ली और मुंबई प्रत्येक में 1 लाख लाइनों का सेल्युलर नेटवर्क स्थापित किया गया है।

(घ) सेल्युलर सेवा के तीव्र विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :

I. बेसट्रांस्सीवर स्टेशन (बी०टी०एस०) तथा रेडियो फ्रीक्वेंसी (आर०एफ०) ऑप्टिमाइजेशन में और वृद्धि करके दिल्ली तथा मुंबई महानगरों में कवरेज़ में सुधार करना।

II. दूरसंचार विभाग (डी०ओ०टी०) द्वारा 11.1.2001 को एम०टी०एन०एल० को लाइसेंस जारी करने के पश्चात् गुड़गांव, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद तथा नौएडा के निकटवर्ती शहरों में शीघ्र सेवा प्रदान करना।

III. मुंबई तथा दिल्ली के बीच मौजूद रोमिंग व्यवस्था के अलावा देश के अन्य राज्यों में रोमिंग सुविधा की शुरूआत।

IV. दिल्ली तथा मुंबई में प्री-पेड (कैश कार्ड) सेवा की शुरूआत।

V. प्रतिस्पर्धी टैरिफ की शुरूआत।

VI. उत्साहवर्धक मार्केटिंग।

VII. प्रारम्भिक छूट की शुरूआत।

[अनुवाद]

हाथी परियोजना

1245. **श्रीमती रेनु कुमारी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संकटापन्न जंतुओं को बचाने के लिए हाल ही में हाथी परियोजना प्रारम्भ की है और उसके अंतर्गत प्रत्येक राज्य सरकार के लिए लगभग 5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या विभिन्न राज्य सरकारों के असहयोग के कारण परियोजना अधर में लटक गई;

(ग) यदि हां, तो स्थिति से निपटने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) संकटापन्न जंतुओं को बचाने के लिए प्रारम्भ की गई अन्य परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) हाथी परियोजना विशेषकर हाथी और उनके वासस्थलों की सुरक्षा के लिए फरवरी, 1992 में शुरू की गई थी। इस परियोजना के अंतर्गत 18

राज्य सरकारों को अभी तक 46.68 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता दी जा चुकी है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण हेतु राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अन्य स्कीमें तथा नौंवी पंचवर्षीय योजना के दौरान अभी तक हुई वित्तीय प्रगति नीचे दिए अनुसार है :—

क्र० सं०	स्कीम	वित्तीय प्रगति (करोड़ रुपए)
1.	बाघ परियोजना	68.10
2.	राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों का विकास	70.01
3.	केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण	32.44
4.	सुरक्षित क्षेत्रों और उसके आसपास पारि-विकास	40.57
5.	लाभोन्मुखी आदिवासी विकास	11.96
		223.08

त्रिवेन्द्रम राष्ट्रीय राजमार्ग-47 पर बाई पास का निर्माण

1246. **श्री वी०एस० शिवकुमार : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग-47 पर त्रिवेन्द्रम बाई-पास का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि के अनुसार चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) अब तक किए गए आवंटन तथा उपयोग की गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) कार्य कब तक पूर्ण होने की संभावना है ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) और (ख) लगभग 44.53 कि०मी० लंबे त्रिवेन्द्रम बाइपास का निर्माण दो चरणों में शुरू किया गया है। प्रथम चरण में कुल 22.63 कि०मी० लंबाई में से लगभग 19.5 कि०मी० में कार्य पूरा कर लिया गया है। कार्य की प्रगति नियत समय से पीछे है। चरण-II की कुल लगभग 21.9 कि०मी० लंबाई में से 3.271 कि०मी० में भूमि अधिग्रहण का कार्य चल रहा है।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य के लिए आबंटन राज्य वार किया जाता है न कि राष्ट्रीय राजमार्ग वार। इस बाइपास पर अब तक 44.81 करोड़ रु० खर्च हुए हैं।

(घ) इस बाइपास के चरण-I को दिसम्बर, 2002 तक पूरा करने का लक्ष्य है। बाइपास के चरण-II में भूमि अधिग्रहण का कार्य आंशिक लंबाई में शुरू किया गया है। अतः चरण-II का कार्य पूरा होने की तारीख के बारे में बता पाना अभी संभव नहीं है।

ग्राम्य दूरभाष निगम

1247. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु एक ग्राम्य दूरभाष निगम बनाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है; और

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों की दूरभाष सेवाओं में देखरेख के निम्न स्तर में सुधार लाने, उसका विस्तार करने और उससे निपटने तथा एस०टी०डी० प्रभार घटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर टेलीफोन सेवाएं मुहैया कराने के लिए सर्किलों में कार्य दलों का गठन करके अनुरक्षण संबंधी प्रयास तेज कर दिए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वी०पी०टी०) और टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए बड़े पैमाने पर वायरलैस इन लोकल लूप (डब्ल्यू०एल०एल०) प्रणाली लागू करने की योजना है। मल्टी एक्सेस रेडिया रिले (एम०ए०आर०आर०) आधारित वी०पी०टी० को, चालू वर्ष से शुरू करते हुए चरणबद्ध रूप में डब्ल्यू०एल०एल० टेलीफोन से प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की सिफारिशों के आधार पर एस०टी०डी० प्रभारों की नियमित रूप से पुनरीक्षा की जाती है।

[हिन्दी]

अवकाश की संख्या में कमी

1248. **श्री जय प्रकाश : क्या श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अवकाशों की संख्या में कमी के संबंध में विभिन्न श्रम संगठनों से ज्ञापन प्राप्त किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों,

में अवकाशों की संख्या कम करने के संबंध में विभिन्न श्रम संगठनों से श्रम मंत्रालय को कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दूरसंचार सुविधाएं

1249. **श्री ए० ब्रह्मनैया :**
श्री राजैया मल्याला :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद जिले में बिठाई गई/बिछाई जा रही ऑप्टिकल फाइबर केबल की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस प्रयोजन हेतु कितना धन आबंटित किया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार हैदराबाद विमानपत्तन पर डाकघर स्थापित करने और पर्याप्त दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध कराने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) वर्तमान में विमानपत्तन पर चल रहे एस०टी०डी०/आई० एस०डी०/पी०सी०ओ० बूथों की संख्या कितनी है; और

(च) वर्ष 2001-2002 के दौरान कितने नए बूथ खोले जाने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) हैदराबाद जिले में आज की तारीख तक कुल 1872 रूट कि०मी० आप्टिकल फाइबर केवल बिछाई गई है जिसमें से शहरी क्षेत्रों में 555 रूट कि०मी० और ग्रामीण क्षेत्रों में 1317 रूट कि०मी० केवल बिछाई गई है। इसके अतिरिक्त चालू वित्त वर्ष के दौरान 804 रूट कि०मी० आप्टिकल फाइबर केवल बिछाने की योजना है।

(ख) आवश्यकता के अनुसार निधियां उपलब्ध कराई जा रही है।

(ग) हैदराबाद विमानपत्तन पर डाक घर और पर्याप्त दूरसंचार सुविधाएं पहले से ही प्रदान कर दी गई हैं।

(घ) और (ङ) हैदराबाद विमानपत्तन पर दो नान-डिलिवरी उप डाक-घर 0600 से 1400 बजे और 1300 बजे से 2100 बजे तक काम कर रहें हैं। अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर एस०टी०डी०/आई० एस०डी०, वीडियो टेलीफोन (दृश्य), टेलेक्स और 197 डायरेक्टरी पूछताछ सुविधा उपलब्ध है। एस०टी०डी०/आई०एस०डी० संहित 6 पी०सी०ओ० बूथ काम कर रहे हैं।

(च) 2001-2002 के दौरान एन०टी०आर० डोमेस्टिक डिपार्चर टर्मिनल पर तीन एस०टी०डी०/आई०एस०डी०पी०सी०ओ० बूथों और एक दूरसंचार केन्द्र का प्रस्ताव है जिसके लिए विमानपत्तन प्राधिकारी से अनुमति प्रतीक्षित हैं।

विभिन्न राज्यों में तटीय रेखा

1250. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :** क्या जल संसाधन **मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित राष्ट्रीय तटीय संरक्षण परियोजना में शामिल किए जाने हेतु विभिन्न राज्यों, विशेषकर आंध्र प्रदेश से इन राज्यों के संवेदनशील तट-रेखा क्षेत्रों में तटीय संरक्षण कार्य हेतु सरकार को प्राप्त हुए प्रस्तावों की संख्या कितनी है;

(ख) इन प्रस्तावों में कुल कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है;

(ग) क्या इन प्रस्तावों को अनुपालन हेतु संबंधित राज्य सरकारों को वापस कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार इन प्रस्तावों पर निगरानी रखती है; और

(ङ) यदि हां, तो इन प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है और इनको कब तक पूरा किए जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) समेकित राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा परियोजना (एन०सी०पी०पी०) में शामिल करने के लिए आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और संघ राज्य क्षेत्र पाण्डिचेरी को मिलाकर तटवर्ती राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कुल दस प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। लक्षद्वीप और अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह से भी अनुरोध किया गया है। कि वे समेकित राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा परियोजना में शामिल करने के लिए अपने प्रस्ताव भेजें। परन्तु इस संबंध में उनके उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। आंध्र प्रदेश सरकार से अगस्त, 2000 में 43.00 करोड़ रु० की अनुमानित लागत से एक संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, जिसकी जांच की गई और प्रस्ताव को पुन: संशोधित करने के लिए सितम्बर, 2000 में आंध्र प्रदेश सरकार को टिप्पणियां भेजी गई थीं।

(ख) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त नवीनतम प्रस्तावों के आधार पर समेकित राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा परियोजना में शामिल कुल लागत का विवरण इस प्रकार है :

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रस्ताव की लागत (करोड़ रु० में)
1	2
1. आंध्र प्रदेश	43.000
2. गोवा	55.000
3. गुजरात	62.673
4. कर्नाटक	176.207
5. केरल	267.470

1	2
6. महाराष्ट्र	238.500
7. उड़ीसा	505.730
8. तमिलनाडु	169.390
9. पश्चिम बंगाल	257.650
10. संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी	25.500
समेकित राष्ट्रीय सुरक्षा परियोजना की कुल लागत	1801.120

(ग) जी, हां। आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, संघ राज्य क्षेत्र पाण्डिचेरी तथा पश्चिम बंगाल से प्राप्त संशोधित प्रस्तावों की जांच की गई और टिप्पणियों को अनुपालना के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र को भेजा गया था। अभी हाल में कर्नाटक, उड़ीसा और तमिलनाडु सरकार से प्राप्त संशोधित प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

(घ) केन्द्रीय जल आयोग (सी०डब्ल्यू०सी०) द्वारा भेजी गई टिप्पणियों को शामिल करते हुए अपने अंतिम प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सभी तटवर्ती राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से बराबर संपर्क किया जा रहा है। तथापि, इस राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा परियोजना के अनुमोदित और वित्त पोषित होने के पश्चात कार्यान्वियन स्तर पर इसकी मानीटरी केन्द्रीय जल आयोग द्वारा की जाएगी।

(ङ) जैसा कि पहले ही उल्लेख कर दिया गया है कि समेकित राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा परियोजना अभी तैयार की जा रही है। चूंकि समेकित राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा परियोजना प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जाना सभी तटवर्ती राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अंतिम प्रस्तावों के प्राप्त होने पर निर्भर करता है, इसलिए समेकित राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा परियोजना को अंतिम रूप दिए जाने संबंधी निश्चित समय को बता पाना कठिन है। तथापि, शीघ्रातशीघ्र समेकित राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा परियोजना तैयार करने के उद्देश्य से, राज्य सरकारों से सभी प्रकार से पूर्ण एन०सी०पी०पी० प्रस्तावों को शीघ्र प्रस्तुत करने के लिए आग्रह किया जा रहा है ताकि समेकित प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा सके और शीघ्र ही उसे तकनीकी सलाहकार समिति की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जा सके।

भाखड़ा और पौंग बांध में राजस्थान का हिस्सा

1251. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान की सरकार ने जल का अपना हिस्सा प्राप्त करने हेतु भाखड़ा और पौंग बांध के निर्माण पर होने वाले व्यय के हिस्से का भुगतान भाखड़ा व्यास प्रबंधक बोर्ड को कर दिया था;

(ख) यदि हां, तो बांध के पूरा होने के पश्चात् राजस्थान को कितना जल जारी किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या राजस्थान को कम जल की आपूर्ति किए जाने के कारण इन बांधों को क्षमता के अनुरूप नहीं भरा जाना है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राजस्थान को उसके हिस्से के अनुसार जल की आपूर्ति करने हेतु भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड से इस संबंध में अपने 1990 के निर्णय को लागू करने और बांधों को उनकी क्षमता के अनुरूप भरने का आदेश देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) राजस्थान सरकार के अनुसार भाखड़ा और पौंग बांधों के निर्माण के लिए व्यय का इसका हिस्सा भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड को दे दिया गया है। तथापि, सतजल, रावी और व्यास जल का राजस्थान का हिस्सा इन बांधों के निर्माण के लिए उनके द्वारा किए गए भुगतान से संबंधित नहीं है।

(ख) दिसम्बर, 1982 में बोर्ड की बैठक में किए गए तदर्थ अंतरिम व्यवस्था के अनुसार इन बांधों में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे भागीदार राज्यों की जल की मांग तथा बांधों में उपलब्ध जल को ध्यान में रखते हुए भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड द्वारा इसकी तकनीकी समिति की मासिक बैठकों में लिए गए निर्णयों के अनुसार जल छोड़ा जाता है, इस बैठकों में राजस्थान भी भाग लेता है।

(ग) राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि चालू वर्ष में बांधों का पूरा न भरा जाना भी कम जल आपूर्ति के कारणों में से एक कारण है।

(घ) और (ङ) राजस्थान ने बोर्ड की बैठक में इसी प्रकार के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श करने के लिए भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड की बैठक में पहले से ही यह मामला उठाया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु आबंटन

1252. **डा० रघुवंश प्रसाद सिंह :**
मोहम्मद शहाबुद्दीन :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान और अब तक देश में राष्ट्रीय राजमार्ग के आधुनिकीकरण, रख-रखाव और उसके विस्तार हेतु राज्यों को वर्ष-वार और राज्य-वार कितना धन आबंटित किया गया है;

(ख) अब तक कितनी धनराशि जारी की गई और प्रत्येक राज्य द्वारा वस्तुतः कितनी प्रयोग की गई; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान और अभी तक राष्ट्रीय राजमार्ग में किए गए कार्य की प्रगति कितनी है ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) और (ख) नौवीं योजना के दौरान देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, अनुरक्षण और मरम्मत के लिए वर्ष वार और राज्य वार आबंटन तथा वास्तविक खर्च के ब्यौरे संलग्न विवरण-I से V में दिए गए हैं।

(ग) नौवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में अभी तक की वास्तविक उपलब्धियां इस प्रकार हैं :–

1.	दो लेन बनाना	1366 कि०मी०
2.	चार लेन बनाना	342 कि०मी०
3.	कमजोर दो लेनों का सुदृढ़ीकरण	2824 कि०मी०
4.	बाइपास	9
5.	बड़े पुल	67
6.	छोटे पुल और आर०ओ०बी०	252
7.	सड़क गुणता में सुधार	लगभग 9000 कि०मी०

विवरण-I

राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण/विकास और अनुरक्षण के लिए आबंटन

1997-98 के दौरान (लाख रु०)

क्रम सं०	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	विकास के के लिए आबंटन	व्यय	अनुरक्षण और मरम्मत के लिए आबंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	5957.19	5200.16	3898.00	3507.24
2.	असम	1860.80	1388.24	1162.55	1215.98
3.	बिहार	1952.00	2094.54	3410.77	3410.77
4.	चंडीगढ़	30.00	29.20	71.00	42.93
5.	दिल्ली	800.00	858.21	330.20	264.80
6.	गोवा	971.56	1003.02	450.39	430.34
7.	गुजरात	4322.42	4916.93	3756.96	3835.81
8.	हरियाणा	10040.00	10191.24	772.34	845.19
9.	हिमाचल प्रदेश	1700.00	1664.94	2034.32	2034.32
10.	जम्मू और कश्मीर	150.00	25.50	87.40	8.00
11.	कर्नाटक	4236.78	8085.64	3002.90	3059.13
12.	केरल	8042.48	8182.48	2268.11	2702.97
13.	मध्य प्रदेश	4657.06	4215.68	3313.78	3313.78
14.	महाराष्ट्र	8062.43	8062.43	5157.68	5157.68
15.	मणिपुर	702.19	670.06	277.03	277.21
16.	मेघालय	979.50	900.51	584.54	512.72
17.	नागालैंड	100.00	134.77	37.11	42.22
18.	उड़ीसा	6475.20	6417.39	2522.00	2537.05
19.	पांडिचेरी	70.00	15.38	29.96	13.58
20.	पंजाब	5378.88	4977.53	1357.75	1400.13
21.	राजस्थान	4315.83	4521.80	3641.71	3536.19
22.	तमिलनाडु	2567.92	1948.93	2981.37	2525.58
23.	उत्तर प्रदेश	12535.27	11899.20	4949.19	4703.98
24.	पश्चिम बंगाल	7335.00	7641.88	3264.94	3832.06

विवरण-II

राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण/विकास और अनुरक्षण के लिए आबंटन

1998-99 के दौरान (लाख रु०)

क्रम सं०	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	विकास के के लिए आबंटन	व्यय	अनुरक्षण और मरम्मत के लिए आबंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	4879.82	4273.04	4568.40	4069.47
2.	असम	2661.10	1517.99	2815.51	2282.33
3.	बिहार	3417.35	3238.60	3336.97	3336.97
4.	चंडीगढ़	82.00	70.82	48.04	45.40
5.	दिल्ली	1400.00	1225.54	210.00	209.82
6.	गोवा	1100.00	1172.54	617.08	617.08
7.	गुजरात	6628.54	9332.70	3296.94	3296.94
8.	हरियाणा	7588.50	6913.18	1239.42	1040.32
9.	हिमाचल प्रदेश	2500.00	2500.00	2256.01	2256.01
10.	जम्मू और कश्मीर	100.00	6.15	129.65	4.51

1	2	3	4	5	6
11.	कर्नाटक	3709.01	3772.04	3111.75	3065.34
12.	केरल	7080.16	8820.63	2090.63	2090.63
13.	मध्य प्रदेश	8247.73	7932.47	3945.04	3787.80
14.	महाराष्ट्र	11382.63	11659.74	4957.67	4957.67
15.	मणिपुर	700.30	828.29	365.59	365.59
16.	मेघालय	1060.50	911.03	625.80	620.50
17.	नागालैंड	200.00	210.87	382.90	382.90
18.	उड़ीसा	9726.82	8711.02	2761.15	2760.77
19.	पांडिचेरी	100.81	86.30	64.18	18.06
20.	पंजाब	7148.88	7672.10	1538.81	1440.83
21.	राजस्थान	4605.81	4620.18	3718.19	3642.29
22.	तमिलनाडु	3921.37	3652.38	3740.00	3597.85
23.	उत्तर प्रदेश	12649.35	10722.86	6128.44	6071.00
24.	पश्चिम बंगाल	10150.94	8394.40	2757.83	2757.83

विवरण-III

राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण/विकास और अनुरक्षण के लिए आबंटन

1999-2000 के दौरान (लाख रु०)

क्रम सं०	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	विकास के के लिए आबंटन	व्यय	अनुरक्षण और मरम्मत के लिए आबंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	5707.87	3736.51	6897.26	5067.65
2.	असम	4239.32	2769.61	5420.00	3068.35
3.	बिहार	6117.52	5950.16	11907.64	9059.08
4.	चंडीगढ़	100.00	73.93	141.50	118.30
5.	दिल्ली	700.00	422.13	139.84	133.27
6.	गोवा	1700.00	1670.19	1426.69	1048.64
7.	गुजरात	8851.90	8683.39	3820.17	3660.72
8.	हरियाणा	10000.00	9046.65	2011.70	1544.73
9.	हिमाचल प्रदेश	4000.00	3502.72	2726.24	2428.44
10.	जम्मू और कश्मीर	100.00	0.91	302.36	23.99

1	2	3	4	5	6
11.	कर्नाटक	6113.84	6846.09	8445.04	6815.98
12.	केरल	12837.07	10808.59	5309.00	4769.37
13.	मध्य प्रदेश	12334.80	11546.69	6573.14	6038.04
14.	महाराष्ट्र	17808.08	16662.16	8648.63	8528.70
15.	मणिपुर	1014.15	894.90	876.08	584.60
16.	मेघालय	1785.28	1372.61	1305.89	814.84
17.	मिजोरम	300.00	282.90	780.00	538.41
18.	नागालैंड	800.00	886.17	924.63	1021.63
19.	उड़ीसा	9228.02	9198.19	5638.24	4713.20
20.	पांडिचेरी	319.46	281.27	269.00	152.27
21.	पंजाब	5300.10	4233.38	1635.80	468.77
22.	राजस्थान	5214.02	4311.94	7820.00	6336.13
23.	तमिलनाडु	6754.08	5348.20	13479.66	12160.40
24.	त्रिपुरा	50.00	0.00	24.00	24.00
25.	उत्तर प्रदेश	12647.45	11776.30	10179.49	10118.81
26.	पश्चिम बंगाल	8818.02	8072.55	6260.00	4756.96

विवरण-IV

राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण/विकास और अनुरक्षण के लिए आबंटन

2000-2001 के दौरान (लाख रु०)

क्रम सं०	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	विकास के के लिए आबंटन	व्यय	अनुरक्षण और मरम्मत के लिए आबंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	11188.26	10781.93	5413.75	5097.60
2.	असम	5253.64	4877.01	4778.92	3749.75
3.	बिहार	6927.56	6014.41	6448.55	4945.92
4.	चंडीगढ़	144.00	139.57	44.54	27.75
5.	छत्तीसगढ़	1227.80	472.08	1180.00	884.97
6.	दिल्ली	483.40	0.00	82.00	82.00
7.	गोवा	2300.00	2138.45	605.53	561.67
8.	गुजरात	9099.97	8675.49	2457.79	2182.89

1	2	3	4	5	6
9.	हरियाणा	10100.00	9290.11	1953.49	1466.93
10.	हिमाचल प्रदेश	4415.00	3889.36	3351.53	3350.99
11.	जम्मू और कश्मीर	250.00	51.59	284.42	83.42
12.	झारखंड	2200.00	1188.78	960.84	771.81
13.	कर्नाटक	8104.00	7451.90	4683.83	4583.98
14.	केरल	8978.03	4390.91	3340.03	3340.03
15.	मध्य प्रदेश	13472.11	12649.59	8634.19	8034.34
16.	महाराष्ट्र	21236.20	19631.80	4295.00	4295.00
17.	मणिपुर	851.31	535.31	824.49	687.62
18.	मेघालय	1708.34	1562.73	1016.71	875.16
19.	मिजोरम	1000.00	994.52	981.43	753.41
20.	नागालैंड	1500.00	1489.52	361.25	358.17
21.	उड़ीसा	10046.89	8388.97	4776.99	4047.26
22.	पांडिचेरी	200.00	146.65	182.10	123.20
23.	पंजाब	5365.00	3817.01	2085.62	1537.32
24.	राजस्थान	8720.00	8403.34	4104.10	3878.02
25.	तमिलनाडु	10342.21	8256.09	5380.57	4896.25
26.	उत्तर प्रदेश	14949.76	13938.82	6076.50	5579.02
27.	उत्तरांचल	199.35	123.88	459.30	409.19
28.	पश्चिम बंगाल	12800.00	10824.28	5374.80	2295.26

विवरण-V

राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण/विकास और अनुरक्षण के लिए आबंटन

2001-2002 के दौरान (लाख रु०)

क्रम सं०	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	विकास के के लिए आबंटन	व्यय**	अनुरक्षण और मरम्मत के लिए आबंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	9000.00	1500.00	1881.54	684.29
2.	असम	7000.00	67.62	1737.68	201.32
3.	बिहार	5500.00	417.00	2482.50	440.44
4.	चंडीगढ़	150.00	25.00	23.00	7.72
5.	छत्तीसगढ़	3000.00	500.00	1068.49	357.32
6.	दिल्ली	1000.00	अनुपलब्ध	51.00	अनुपलब्ध
7.	गोवा	2000.00	333.00	172.50	62.62
8.	गुजरात	8500.00	अनुपलब्ध	1316.12	115.39
9.	हरियाणा	7300.00	1550.00	780.28	272.98
10.	हिमाचल प्रदेश	4700.00	783.00	673.76	224.95
11.	जम्मू और कश्मीर	400.00	अनुपलब्ध	32.42	5.67
12.	झारखंड	2500.00	अनुपलब्ध	997.00	387.75
13.	कर्नाटक	7510.00	1251.67	1695.00	588.43
14.	केरल	7510.00	1251.67	910.83	359.24
15.	मध्य प्रदेश	9600.00	713.67	2846.93	269.57
16.	महाराष्ट्र	14300.00	1898.00	1989.00	666.49
17.	मणिपुर	1800.00	अनुपलब्ध	407.55	49.01
18.	मेघालय	2500.00	417.00	516.15	181.32
19.	मिजोरम	1800.00	अनुपलब्ध	230.53	44.92
20.	नागालैंड	1600.00	अनुपलब्ध	98.55	18.48
21.	उड़ीसा	7900.00	1175.40	1980.00	609.96
22.	पांडिचेरी	200.00	23.82	42.79	12.02
23.	पंजाब	5400.00	45.96	1157.50	102.20
24.	राजस्थान	10010.00	1668.67	2600.05	1005.04
25.	तमिलनाडु	9500.00	36.52	2092.15	255.96
26.	उत्तर प्रदेश	13600.00	748.26	2935.02	313.41
27.	उत्तरांचल	2000.00	अनुपलब्ध	669.36	136.83
28.	पश्चिम बंगाल	11208.00	1966.00	2014.46	980.37

**मई, 2001 तक व्यय

राष्ट्रीय राजमार्ग-7 के बंगलोर-होसूर-थोप्पुर खंड को चार लेनों वाला बनाया जाना

1253. श्री पी०डी० एलानगोवन :
श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 के बंगलोर-होसूर-थोप्पुर खंड को चार लेनों का बनाए जाने से संबंधित कार्य आरंभ हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो अब तक किए गए कार्य की प्रगति कितनी है; और

(ग) उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) से (ग) स्थिति नीचे दर्शाई गई है :–

क्रम सं०	खंड	स्थिति
(I)	कर्नाटक में बंगलौर–हाथीपल्ली खंड (0.0 से 33.015 कि०मी०)	पहले से चार लेन है
(II)	तमिलनाडु में हाथीपल्ली–होसूर खंड (33.015 से 48.6 कि०मी०)	कार्य चल रहा है। वास्तविक प्रगति-लगभग 35% कार्य पूरा करने की लक्ष्य तिथि-दिसम्बर, 2001
(III)	तमिलनाडु में होसूर–कृष्णागिरि खंड (48.6 से 94 कि०मी०)	कार्यान्वयन हो रहा है–कार्य अभी शुरू हुआ है। कार्य पूरा करने की लक्ष्य तिथि–मई 2004
(IV)	कृष्णागिरि–थोप्पुर खंड (94 से 156 कि०मी०)	कार्य अभी शुरू किया जाना है।
(V)	थोप्पुर खंड सं० (156 से 163.40 कि०मी०)	कार्यान्वयन हो रहा है। वास्तविक प्रगति-30% कार्य पूरा होने की लक्ष्य तिथि–दिसम्बर, 2001

सी०डी०एम०ए०–डब्ल्यू०एल०एल० संचालन

1254. **श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग ने प्रारंभिक चरण में प्रति मेगाहर्ट्ज की उपलब्ध दर पर वसूली किए जाने की अनुज्ञप्ति के बिना सी०डी०एम०ए०–डब्ल्यू०एल०एल० संचालन के पक्ष में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की अनुसंशाओं पर आपत्ति की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) जी, नहीं। दूरसंचार विभाग ने बुनियादी टेलीफोन सेवा लाइसेंस प्रदान करने सम्बन्धी कुछ सिफारिशों, जिसमें वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यू०एल०एल०) अभिगम्यता प्रौद्योगिकी का मुद्दा शामिल था, को वापस भेजते समय ट्राई से केवल डब्ल्यू०एल०एल० फ्रीक्वेंसी के आवंटन के लिए अतिरिक्त प्रवेश शुल्क के मामले में उपयुक्त सिफारिश करने हेतु सुझावों पर विचार करने के लिए कहा था। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के इस उद्देश्य के लिए किसी अतिरिक्त प्रवेश शुल्क की सिफारिश नहीं की जिसे सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया।

आंध्र प्रदेश में सिंचाई परियोजनाएं

1255. **श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा** :
श्री कोलुर बसवनागौड़ :
श्री आर०एस० पाटिल :
श्री के० येरननायडू :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने बछावत न्यायाधिकरण के निर्णयों की अवहेलना करते हुए अनेक परियोजनाओं नामत: पुलियिनतला विपथक, तेलगु गंगा नहर, श्रीसैलम बायीं और दाहिनी तटीय नहर और भीम उद्वाह सिंचाई नहर परियोजनाओं का कार्य शुरू किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) योजना आयोग ने 1981 में श्री सैलम दायां तट नहर को निवेश स्वीकृति प्रदान की थी। पुलिचिन्ताला और भीमा लिफ्ट को सलाहकार समिति ने कुछ शर्तों के तहत वर्ष 1996 में स्वीकार किया था लेकिन इन शर्तों का आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा अभी अनुपालन करना है। इसलिए इन दोनों परियोजनाओं को योजना आयोग की निवेश स्वीकृति अभी तक नहीं मिल पाई है। तेलुगू गंगा तथा श्रीसैलम लिफ्ट बैंक नहर को केन्द्र सरकार ने अनुमोदित नहीं किया है। सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण मूल रूप से संबंधित राज्य सरकारें, बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास सहित सभी प्रकार की सिंचाई परियोजनाओं/स्कीमों का आयोजना, वित्तपोषण तथा कार्यान्वयन आदि अपने संसाधनों से तथा अपनी प्राथमिकता के अनुसार करने के लिए उत्तरदायी है।

[हिन्दी]

आप्टिकल फाइबर को बिछाए जाने में अनियमितताएं

1256. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार और झारखंड में आप्टिकल फाइबर केबल को बिछाए जाने में की गई अनियमितताओं से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत दो वर्ष के दौरान इसमें शामिल पाए गए व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(घ) सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाई की है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) गत दो वर्षों के दौरान भागलपुर—मुंगेर—लक्ष्मीसराय आप्टिकल फाइबर केबल रूट पर कम गहराई में आप्टिकल फाइबर केबल बिछाए जाने में कथित अनियमितता की एक शिकायत प्राप्त हुई थी। जांच के बाद आरोप सावित नहीं हुआ। अत: व्यक्तियों के शामिल होने का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) उपर्युक्त भाग (ख) और (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारत गोल्ड माईन्स लिमिटेड को सहायता अनुदान

1257. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :** क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने भारत गोल्ड माईन्स लिमिटेड के लिए सहायता अनुदान के रूप में वर्ष 2001-02 हेतु बजटीय अनुमान में 83.62 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस अनुदान का उपयोग उन कर्मचारियों की सहायता के लिए किया जाएगा जिन्होंने केवल अंतस्थ लाभों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प लिया है;

(ग) यदि हां, तो भारत गोल्ड माईन्स लिमिटेड के उन कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प चुना है; और

(घ) उनको कितनी धनराशि दी गई है अथवा कितने का भुगतान किए जाने की संभावना है ?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंग राव गायकवाड़ पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सरकार, समय-समय पर, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी०आर०एस०)/स्वैच्छिक पृथक्करण योजना (वी०एस० एस०) की घोषणा करती रही है। पिछली बार वी०एस०एस० 10.12.2000 को, एक माह के लिए, खोली गई थी। कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश से वी०एस०एस० को 28.2.2001 तक बढ़ा दिया गया तथा कर्मचारियों से वी०एस०एस० की प्रत्याशा में बजट प्रावधान किया गया। भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड को, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 29.1.2001 के आदेश द्वारा, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 25 (ओ) के तहत, 1.3.2001 से बंद कर दिया गया है। इसलिए बी०आर०एस०/वी०एस०एस० के पुन: प्रवेश का प्रश्न नहीं उठता। तथापि, भारत गोल्ड माइन्स गोल्ड लिमिटेड को समाप्त/बंद करने संबंधी मामला कर्नाटक खंडपीठ के समक्ष विचाराधीन है।

वनों की कटाई संबंधी रिपोर्ट

1258. **श्री रामदास आठवले :**
श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पिछले कुछ वर्षों से वनों की कटाई बढ़ती रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने "टेकिंग ए स्टैंडिंग क्ल्टीवेटिंग ए न्यू रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड फारेस्ट्स" शीर्षक वाली रिपोर्ट का परीक्षण किया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का कार्यान्वियन करने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव किया है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) जी, नहीं। भारतीय वन सर्वेक्षण 1987 से द्विवार्षिक आधार पर देश के वन आवरण का मूल्यांकन कर रहा है। 1981-83 से 1993-95 की अवधि में देश का वन आवरण 19.49 प्रतिशत से घटकर 19.27 प्रतिशत रह गया है। तथापि 1996-98 की अवधि में देश के वन आवरण में 19.39 प्रतिशत तक मामूली वृद्धि हुई है।

(ख) अभी तक इस प्रकार की कोई रिपोर्ट मंत्रालय के ध्यान में नहीं आई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय नागर विमानन नीति के स्थगन का प्रभाव

1259. **श्री रामशेठ ठाकुर :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय नागर विमानन नीति को लगातार स्थगित रखा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इससे देश में विभिन्न फ्लाइंग क्लबों के कार्यकरण में बाधा आई है;

(घ) क्या इन क्लबों में विमानों की कमी के कारण प्रशिक्षणार्थियों को आधुनिक तकनीकों से वंचित रखा जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) विभिन्न मंत्रालयों और विभागों इत्यादि से विचार-विमर्श से प्रारूप नागर विमानन नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मौलिक दूरसंचार संचालकों के साथ भारत संचार निगम लिमिटेड का समझौता

1260. **श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड का विचार अपने राजस्व में वृद्धि करने की दृष्टि से मौलिक दूरसंचार संचालकों के साथ किए गए हस्ताक्षरित अन्तर्संबंध समझौते की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में मौलिक दूरसंचार संचालकों के साथ कोई वार्ता की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर मौलिक दूरसंचार संचालकों की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) भारत संचार निगम लिमिटेड ने राजस्व भागीदारी व्यवस्था में संशोधन हेतु बुनियादी आपरेटरों के साथ किए गए अन्तर्संबंध करार की समीक्षा इस प्रकार से करने का प्रस्ताव रखा है जो सभी आपरेटरों के लिए निष्पक्ष, न्यायसंगत और साम्यिक हो।

(ख) जी, हां।

(ग) बुनियादी सेवा आपरेटर वी०एस०एन०एल० द्वारा पेश किए गए राजस्व भागीदारी संबंधी संशोधित प्रस्ताव से सहमत नहीं थे और उन्होंने कोई वैकल्पिक प्रस्ताव भी नहीं रखा। उन्होंने इस मामले को दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण के समक्ष उठाया हैं।

[हिन्दी]

राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग के स्तरोन्नयन हेतु सहायता

1261. **श्री राजो सिंह :** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सड़क संबंधी मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दृष्टि से राष्ट्रीय राजमार्गों का स्तरोन्नयन करने हेतु पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए बिहार और झारखंड जैसे कुछ राज्यों से अभ्यावेदन प्राप्त किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव और उन्नयन पूर्णत: केन्द्रीय धनराशि से किया जाता है। इसलिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विश्व बांध आयोग (वर्ल्ड कमीशन ऑन डैम्स) की रिपोर्ट

1262. **श्री सुबोध मोहिते :**
श्री उत्तमराव ढिकले :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्व बांध आयोग की रिपोर्ट प्राप्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार इस संबंध में किसी अन्य योजना को कार्यान्वित कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (च) जी, हां। विश्व बांध आयोग (डब्ल्यू०सी०डी०); की रिपोर्ट के निष्कर्ष संलग्न विवरण में दिए गए हैं। विश्व बांध आयोग के ये निष्कर्ष सीमित ज्ञान पर आधारित हैं, जिनमें परियोजना क्षेत्रों में भाखड़ा बांध, नागार्जुन सागर बांध, तुंगभद्रा बांध आदि जैसी परियोजनाओं के समग्र विकास की अनदेखी हुई है। इसमें ऐसी बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं के योगदान की अनदेखी की गई है, जिन्होंने देश में ''हरित क्रान्ति'' लाने और खाद्यान्नों में भारत को आत्म निर्भर बनाने तथा सबसे सस्ता तथा स्थाई स्रोत जल विद्युत के माध्यम से देश की कुल ऊर्जा आवश्यकताओं के पन्द्रह प्रतिशत तक पूरा करने में अहम योगदान दिया है।

देश की सामाजिक-आर्थिक स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने पहले से ही राष्ट्रीय जल नीति तैयार की और अपनाई है जिसमें जल संसाधन विकास के विभिन्न पहलुओं के लिए दिशा-निर्देश की व्यवस्था है। विश्व बांध आयोग द्वारा उनकी अंतिम रिपोर्ट में सुझाए गए विकास के दिशा-निर्देश यूरोपियन स्वरूप के हैं और अपनी राष्ट्रीय विकास आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं हैं। खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने तथा हमारी बढ़ती जनसंख्या की ऊर्जा और पेयजल जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत ने अगले

25 वर्षों में 200 बिलियन घन मीटर और अधिक भंडारण क्षमता सृजित करने के लिए बांध निर्माण कार्यक्रम जारी रखने का प्रस्ताव किया है। जल संसाधन विकास तथा मौजूदा संसाधनों के कुशल प्रबंधन का काफी महत्व है। इसे ध्यान में रखते हुए देशी तकनीक का उपयोग करते हुए दीर्घकालीन भूजल निकासी के साथ-साथ वर्षा जल संचयन सहित वृहद, मध्यम तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं को, जल प्रबंधन में अधिक बल देने के बजाए, आयोजना दृष्टिकोण में एकीकृत किया गया है। इसे ध्यान में रखते हुए जल संसाधन मंत्रालय ने विश्व बांध आयोग को सूचित किया है कि उनकी सिफारिशें एवं दिशा-निर्देश भारत सरकार को स्वीकार नहीं हैं।

विवरण

विश्व बांध आयोग की रिपोर्ट के निष्कर्ष

- बड़े बांध अनुमानित जल और विद्युत सेवाओं तथा वास्तविक और आर्थिक लक्ष्यों में पर्याप्त कमी के साथ संबंधित सामाजिक लाभों में बहुत अधिक विषमता दर्शाते हैं, जबकि अन्य बांधों से 30 से 40 वर्षों के बाद भी लाभ मिलते रहते हैं।

- बड़े बांध कार्यक्रम में विलम्ब और महत्वपूर्ण लागत वृद्धि की प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं।

- सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए बड़े बांधों में वास्तविक लक्ष्यों में विशेष रूप से कमी आती है जिससे उनकी लागत पूरी नहीं होती और आर्थिक रूप से प्रत्याशित की तुलना में कम लाभ होता है।

- बड़े जल विद्युत बांधों का निष्पादन लक्ष्य के करीब होता है, विद्युत सृजन का लक्ष्य सामान्यत: वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करता है परंतु कई कम उल्लेखनीय और अधिक निष्पादनों सहित लक्ष्यों की अपेक्षा परिवर्तनीय आर्थिक निष्पादन प्रदर्शित करती है।

- बड़े बांध सामान्यतया नदियों, जल विभाजकों और जलीय पारिस्थितकीय तंत्र पर व्यापक प्रभाव वाले होते हैं—ये प्रभाव सकारात्मक की अपेक्षा अधिक नकारात्मक होते हैं और कई मामलों में प्रजातियों और पारिस्थितकीय तंत्रों को अनुत्क्रमणीय हानि होती है।

- बड़े बांधों के पारिस्थितिकी प्रभावों का सामना करने के लिए अब तक सीमित सफलता मिली है इनके कारणों में, प्रत्याशित और प्रभावों पर कम ध्यान देना, खराब गुणवत्ता और मूल्यांकन में अनिश्चितता, सभी प्रभावों को पूरा करने में कठिनाई और केवल आंशिक क्रियान्वयन तथा कमी वाले उपायों की सफलता।

- नकारात्मक क्षमता प्रभावों तथा पर्याप्त कमी के क्रियान्वयन का आकलन करने में व्यापक और प्रणालिक विफलता, विस्थापितों के लिए विकास कार्यक्रम और बड़े बांधों की परिणामी विफलता से निचले क्षेत्र की आजीविका को निर्धन कर दिया तथा करोड़ों लोगों को दु:ख झेलना पड़ा, विश्वव्यापी प्रभावित समुदायों द्वारा बांधों के विरोध में वृद्धि हुई।

- चूंकि बड़े बांधों की पर्यावरणीय और सामाजिक लागतों का आर्थिक रूप से खराब प्रदर्शन रहा है इसलिए इन स्कीमों की वास्तविक उपयोगिता में भ्रान्ति बनी रहती है।

दूरसंचार नेटवर्क का आधुनिकीकरण

1263. **श्री प्रभात सामन्तराय : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 2001-2002 के दौरान उड़ीसा के भुवनेश्वर जिले में दूरसंचार नेटवर्क का आधुनिकीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है/उठाए जा रहे हैं; और

(ग) इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) 2001-2002 के दौरान भुवनश्वर के दूरसंचार नेटवर्क की आधुनिकीकरण योजना नीचे दी गई हैं :

(i) विभिन्न एक्सचेंजों की स्विचन क्षमता को लगभग 30000 लाइनों तक बढ़ाने की योजना बनाई गई है।

(ii) डब्ल्यू०एल०एल० प्रणाली की शुरूआत।

(iii) सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा की शुरूआत।

(iv) हाई बैंड विड्थ प्रदान करने के लिए दो सिन्क्रोनस डिजीटल हाथरारकी (एस०डी०एच०) रिंग की व्यवस्था करना।

(v) दोष दर में सुधार के लिए और अधिक रिमोट स्विचिंग यूनिटों की योजना बनाई गई है।

(ग) वर्ष 2001-2002 के लिए पूंजीगत कार्यों के तहत कुल आंबटित निधि 29,48,93,000/-रु० है।

भोपाल विमानपत्तन का आधुनिकीकरण

1264. **श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास भोपाल विमानपत्तन का विस्तार और उसका आधुनिकीकरण किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि नियत है; और

(घ) इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) वर्ष 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान भोपाल स्थित हवाई अड्डे के विस्तार और आधुनिकीकरण के संबंध में निम्नलिखित कदम उठाए गए है :– (i) 4.48 करोड़ रुपए की लागत से 300 यात्रियों की आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए टर्मिनल भवन का विस्तार और परिवर्धन संबंधी कार्य किया गया। (ii) 5.51 करोड़ रुपए की लागत से धावनपथ का सुदृढ़ीकरण और शॉल्डर्स संबंधी व्यवस्था। (iii) मध्य प्रदेश राज्य सरकार से धावनपथ को 6700 फुट से बढ़ाकर 7500 फुट तक करने के लिए 24 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करने संबंधी अनुरोध किया गया है। (iv) 286.87 लाख रुपए की लागत से चारदीवारी का निर्माण कार्य अक्तूबर, 2001 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त निर्माण कार्यों के लिए चिह्नित 202.46 लाख रुपए की राशि में से 186.33 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं।

[हिन्दी]

टेलीफोन कनेक्शन

1265. **श्री उत्तमराव ढिकले :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बी०एस०एन०एल०) ने टेलीफोन बुकिंग के लिए पंजीकरण शुल्क लेने की प्रक्रिया को समाप्त करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत संचार निगम लिमिटेड का विचार ऐसे शुल्क को समाप्त करके टेलीफोन किराया और "पल्स रेट" को बढ़ाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) बी०एस०एन०एल० ने उन क्षेत्रों में ग्राहकों से पंजीकरण शुल्क न लेने का निर्णय लिया है, जहां "मांग पर" टेलीफोन उपलब्ध हैं।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

लन्दन में एअर इंडिया के आम बिक्री एजेन्ट्स

1266. **श्री अशोक ना० मोहोल :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने एअर इंडिया द्वारा अपने आम बिक्री एजेन्टों तथा समेकनकर्ताओं के साथ कारोबार को लेकर उसके अधिकारियों के एक के बाद एक किए गए गलत निर्णयों के कारण उसकी भर्त्सना की है;

(ख) यदि हां, तो लंदन स्थित वेलकम ट्रेवल एजेन्ट्स के साथ किए समझौते को रद्द न करने के क्या कारण हैं;

(ग) इस गलत निर्णय के कारण एअर इंडिया को कितना घाटा उठाना पड़ा; और

(घ) सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) जी, हां। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने वर्ष 1987-2000 की समयावधि के लिए यू०के०, में एअर इंडिया के पूर्ववर्ती जेनरल सेल्स एजेंट को उत्पादकता-संबद्ध प्रोत्साहन राशि (प्रोडक्टिवीटी लिंक्ड इन्सेंटिव) की अदायगी में वृद्धि पर प्रतिकूल टिप्पणी की है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने एअर इंडिया के अधिकारियों द्वारा ओमिशन एण्ड कमिशन जैसे दुष्कृत्यों के कारण जनरल सेल्स एजेंट को लगभग 57.02 करोड़ रुपए का अनुचित लाभ दिए जाने का भी मूल्यांकन किया है। दिनांक 9 जुलाई, 2000 से यू०के० में मैसर्स वेलकम ट्रैवेल्स का जी०एस०ए० कन्टैक्ट समाप्त हो गया है।

(घ) प्रथम दृष्टया अन्वेषण से पता चला है कि एअर इंडिया के चार अधिकारी इस मामले में संलिप्त हैं। संबंधित सक्षम प्राधिकारियों द्वारा दो अधिकारियों को दिनांक 22.5.2001 के आदेश द्वारा निलंबित कर दिया गया है और उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने पर विचार किया जा रहा है। एक अधिकारी ने मार्च, 1999 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है और दूसरा अधिकारी 31 अक्तूबर, 2000 को सेवानिवृत्त हो गया। छानबीन को देखते हुए एअर इंडिया ने इनके सेवानिवृत्ति के पश्चात् देय बकाए/अनुलाभ को रोक दिया गया है। दिनांक 23.5.2001 को मुख्य सतर्कता अधिकारी को एक वृहत् रिपोर्ट भेजी गई थी। पहले चरण में सलाह देने के लिए दिनांक 12.6.2001 को मुख्य सतर्कता अधिकारी से भी अनुरोध किया गया है। दिनांक 22.5.2001 को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को भी इस बारे में एक पत्र भेजा गया जिसने 7 जून, 2001 को प्रारंभिक इन्क्वायरी दर्ज की है।

[हिन्दी]

बिलासपुर (छत्तीसगढ़) के लिए विमान सेवाएं

1267. **श्री पुन्नू लाल मोहले :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में बिलासपुर (छत्तीसगढ़) के लिए विमान सेवा आरम्भ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार के पास बिलासपुर-चक्रभाटा की हवाई पट्टी को चौड़ा करने और बिलासपुर तथा कोरबा शहर के यात्रियों की

सुविधार्थ वहां से यात्री विमान सेवा आरम्भ करने की कोई योजना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) वायुदूत पहले बिलासपुर के लिए डोर्नियर सेवाओं का प्रचालन कर रहा था। यह सेवा जिसे 17 जनवरी, 1988 में आरंभ की गई थी इसे सितम्बर, 1990 में बन्द कर दी गई थी। इसके विमान-बेड़े में उपयुक्त विमानों के उपलब्ध न होने के कारण, इंडियन एयरलाइंस की इस समय बिलासपुर (छत्तीसगढ़) के लिए विमान सेवाएं आरंभ करने की कोई योजनाएं नहीं हैं। तथापि, मार्ग संवितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन के आधार पर तथा वाणिज्यिक साध्यता के आधार पर, किसी भी सेक्टर पर प्रचालन करने के लिए एयरलाइन ऑपरेटर स्वतंत्र हैं।

(घ) से (च) जी, नहीं। किसी भी एयरलाइन ऑपरेटर द्वारा बिलासपुर होकर अनुसूचित यात्री उड़ानों के प्रचालन के लिए आवश्यकताओं का आंकलन न किये जाने के कारण, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की बिलासपुर-चक्रभाटा पर हवाई पट्टी को चौड़ा करने की कोई योजनाएं नहीं है।

[अनुवाद]

रोजगार वृद्धि दर में कमी

1268. श्री टी०एम० सेल्वागनपति :
श्री बसुदेव आचार्य :
श्री समर चौधरी :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19 मई, 2001 को आयोजित 37वें भारतीय श्रमिक सम्मेलन के कार्यसूची पत्रों के अनुसार वार्षिक रोजगार वृद्धि दर में एक प्रतिशत की कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में रोजगार वृद्धि में कमी को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) और (ख) वर्ष 1993-94 एवं वर्ष 1999-2000 के दौरान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, वर्ष 1994-2000 की अवधि के दौरान रोज़गार की वार्षिक औसत वृद्धि दर 1% के लगभग थी और इसे 37वें भारतीय श्रम सम्मेलन के कार्यसूची पत्रों में दर्शाया गया था।

(ग) वित्तीय अवरोधों, मूल्य-वार तथा गुणवत्ता-वार, गैर-प्रतियोगितात्मक उत्पादन, निजी क्षेत्र में गैर-मुनाफे वाले उद्योगों को चलाए रखने की विवशता तथा सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार स्तर तथा नए रोजगार के सृजन पर अनुचित प्रभुत्व के बने रहने के कारण प्रौद्योगिकी उन्नयन का अभाव रहा। सार्वजनिक क्षेत्र में बढ़ती हुई प्रतियोगिता तथा उपयुक्त आकार की आवश्यकता को देखते हुए वहां रोजगार सृजन की सम्भावना सीमित है।

[हिन्दी]

रोजगार उपलब्ध करवाने की गति

1269. डा० जसवंतसिंह यादव :
श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रोजगार उपलब्ध करवाने की गति धीमी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कारणों सहित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वैश्वीकरण के कारण श्रमिक प्रभावित हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा श्रमिकों के हितों की सुरक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) और (ख) वर्ष 1993-94 तथा 1999-2000 के दौरान राष्ट्रीय नमूनी सर्वेक्षण संगठन द्वारा आयोजित सर्वेक्षणों के अनुसार देश में 1994-2000 की अवधि के दौरान सामान्य प्रमुख एवं गौण स्थिति दृष्टिकोण (यू०पी० एस०एस०) के अनुसार रोजगार की वार्षिक औसत वृद्धि दर लगभग 0.98% थी।

(ग) से (ङ) वैश्वीकरण एवं आर्थिक उदारीकरण के फलस्वरूप पुराने उद्योगों की घटती क्षमता के कारण रोजगार के अवसरों में कुछ कमी आई है। पर साथ ही, सूचना प्रौद्योगिकियों, पर्यटन, वित्तीय सेवाओं इत्यादि अनेक नए क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसरों का सृजन किया गया है।

[अनुवाद]

गुन्टूर में सम्पर्क सड़क का विकास

1270. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास बेहतर यातायात की आवाजाही के लिए गुन्टूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली को राज्य राजमार्ग से जोड़ने के संबंध में कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वहां सम्पर्क सड़क बनाने के लिए राज्य राजमार्ग प्रणाली तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की सड़कों के बीच सम्पर्क मार्गों/सड़कों के निर्माण हेतु कोई समझौता हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसी सम्पर्क सड़कों को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) से (ङ) जी, नहीं। यह मंत्रालय देश में मुख्यतः राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली के लिए संपर्क मार्गों की व्यवस्था करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

पर्वतीय और ग्रामीण क्षेत्रों में वनाच्छादन

1271. श्री पी०डी० एलानगोवन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में वनाच्छादन को लेकर कोई जोन निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में, विशेषकर पर्वतीय/ग्रामीण क्षेत्रों में वनाच्छादन बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) जी, नहीं।

(ख) वर्ष 1996 से 1998 के दौरान देश के वन आवरण में 3896 वर्ग कि०मी० की वृद्धि हुई है अर्थात् यह 633397 वर्ग कि० मी० से बढ़कर 637293 वर्ग कि०मी० हो गया है। इस अवधि के दौरान देश के पहाड़ी जिलों के वन आवरण में 600 वर्ग कि०मी० शुद्ध वृद्धि दर्ज की गई है। वन स्थिति रिपोर्ट 1999 के अनुसार वन आवरण का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) देश के वन आवरण में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार है :—

(i) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों तथा भारत सरकार की वित्तीय सहायता से वनीकरण कार्यक्रम चलाए जाते हैं।

(ii) वनों के विकास और अनुरक्षण के लिए विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

(iii) अवक्रमित वनों की सुरक्षा और पुनरूद्भव में ग्रामीण समुदायों को शामिल करने के संबंध में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

(iv) वन भूमियों के अपवर्तन को विनियमित करने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का अधिनियमन किया गया है।

(v) सुरक्षित क्षेत्रों का एक नेटवर्क बनाया गया है।

(vi) वन संसाधनों के संरक्षण और विकास हेतु निवेश में वृद्धि करके पारिस्थितिक स्थायित्व और लोक केन्द्रित विकास हेतु वानिकी और वृक्ष संसाधनों के योगदान में वृद्धि करने के संबंध में इस मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय वानिकी कार्ययोजना तैयार की है।

विवरण

राज्य वन रिपोर्ट, 1999 के अनुसार राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में वनावरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वन आवरण	
	क्षेत्र वर्ग कि०मी० में	भौगोलिक क्षेत्र का वनावरण प्रतिशत में
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	44,229	16.08
अरूणाचल प्रदेश	68,847	82.21
असम	23,688	33.20
बिहार	26,474	15.23
गोवा	1,251	33.79
गुजरात	12,965	6.61
हरियाणा	964	2.18
हिमाचल प्रदेश	13,082	23.50
जम्मू व कश्मीर	20,441	9.20
कर्नाटक	32,467	16.93
केरल	10,323	26.56
मध्य प्रदेश	131,830	29.73
महाराष्ट्र	46,672	15.17
मणिपुर	17,384	77.86
मेघालय	15,633	69.7
मिजोरम	18,338	86.99
नागालैंड	14,164	85.43
उड़ीसा	47,033	30.2
पंजाब	1,412	2.80
राजस्थान	13,871	4.05
सिक्किम	3,118	43.94
तमिलनाडु	17,078	13.13

1	2	3
त्रिपुरा	5,745	54.79
उत्तर प्रदेश	34,016	11.55
पश्चिम बंगाल	8,362	9.42
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	7,606	92.21
चण्डीगढ़	7	6.14
दादर और नगर हवेली	202	41.14
दमन और दीयु	3	2.68
दिल्ली	88	5.93
लक्षद्वीप	नगण्य	
पाण्डिचेरी	नगण्य	
कुल	637,293	19.39

[हिन्दी]

नए दूरभाष केन्द्र

1272. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम०टी०एन०एल०) ने हाल में 78 नए दूरभाष केन्द्र स्थापित करने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 2001-2002 के दौरान विदेश संचार निगम लिमिटेड का विचार दूरभाष केन्द्र स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन दूरभाष केन्द्रों की स्थापना कब तक कर लिए जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने वर्ष 2001-2002, 2002-2003 और 2003-2004 के दौरान क्रमशः 25,35 और 18 नये टेलीफोन एक्सचेंज खोलने की योजना बनायी है।

(ग) जी, हां।

(घ) विदेश संचार निगम लिमिटेड ने हैदराबाद और बंगलौर प्रत्येक में एक-एक अर्थात्, दो अंतर्राष्ट्रीय गेटवे स्विच स्थापित करने की योजना बनायी थी। ये स्विच इंटरनेट प्रोटोकॉल पर आधारित नवीनतम प्रौद्योगिकी के होंगे और ये इन नगरों के बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय परियात की आवश्यकताओं को पूरा होंगे। प्रत्येक स्थान पर 2900 अंतर्राष्ट्रीय सर्किट बनाने की योजना है।

(ङ) ऊपर दिए अनुसार महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के प्रस्तावित टेलीफोन एक्सचेंज 2003-2004 तक क्रमिक रूप से स्थापित किये जाएँगे। विदेश संचार निगम लिमिटेड के अंतर्राष्ट्रीय गेटवे स्विच 2002 के मध्य तक स्थापित किए जाएंगे।

[अनुवाद]

श्रम कानूनों में संशोधन

1273. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 2001 में भारतीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को निजीकरण और श्रम कानूनों में संशोधन तथा मात्रात्मक प्रतिबंध हटाए जाने के विरुद्ध चेतावनी दी गई है;

(ग) यदि हां, तो सम्मेलन द्वारा अन्य कौन सी सिफारिशें की गई है;

(घ) क्या सरकार ने सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार इन सिफारिशों को किस सीमा तक कार्यान्वित करने के लिए सहमत हुई है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) जी, हां। भारतीय श्रम सम्मेलन का 37वां सत्र, 18-19, 2001 को आयोजित किया गया था।

(ख) सम्मेलन में अन्य मुद्दों के साथ-साथ निजीकरण और श्रम कानूनों में संशोधन से संबंधित मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया गया था।

(ग) अन्य सिफारिशें/निष्कर्ष सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान से संबंधित थे और इन पर श्रम नीति निर्धारण के लिए सामाजिक भागीदारों के साथ परामर्श की जरूरत है।

(घ) और (ङ) सम्मेलन की सिफारिशों/निष्कर्षों पर सरकार द्वारा संबंधित विषयों पर नीति निर्धारण के समय विचार-विमर्श किया जाता है।

[हिन्दी]

आदिवासी क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण

1274. श्री रामदास आठवले : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार को राज्य सरकारों से विशेषकर गुजरात सरकार से आदिवासी क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान इन प्रस्तावों/परियोजनाओं के लिए वर्षवार कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ङ) लम्बित/विचाराधीन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) गुजरात सहित विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों के कुछ खंड आदिवासी क्षेत्रों से गुजरते हैं। इस तथ्य पर गौर किए बगैर कि राष्ट्रीय राजमार्ग आदिवासी क्षेत्र से गुजरता है अथवा गैर आदिवासी क्षेत्र से, राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार/विकास के लिए प्रस्ताव राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति, यातायात की आवश्यकता, वार्षिक योजना में प्रावधान और बजट सहायता के आधार पर प्राप्त किए जाते हैं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विमान दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजा

1275. **श्री राजो सिंह :**
श्री बाबूभाई के० कटारा :
श्री चन्द्रेश पटेल :
श्री उत्तमराव पाटील :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस द्वारा विमान दुर्घटनाओं के पीड़ितों को कितनी धनराशि का मुआवजा दिया गया;

(ख) इनमें मारे गए व्यक्तियों और प्रत्येक दुर्घटना में विमानों को हुई क्षति के कारण इन एयरलाइन्सों को हुए घाटे का ब्यौरा क्या है;

(ग) जांच आयोगों की स्वीकृत सिफारिशों और कार्यान्वित की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन एयरलाइन्सों को कितनी बीमा राशि का भुगतान किया गया और बीमा कम्पनियों पर अभी भी कितनी धनराशि का भुगतान बकाया है; और

(ङ) 30 जून, 2001 की तिथि के अनुसार न्यायाधिकरणों और उपभोक्ता न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या और यात्रियों को हुई असुविधा का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन

1276. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि उन राज्यों की संख्या और उनके नाम क्या हैं जिनमें 15 अगस्त, 2001 तक पूरी तरह से ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन लग जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : पांच राज्य, नामत: अंडमान और निकोबार, हरियाणा, पंजाब, केरल और तमिलनाडु में पूर्ण रूप से ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वी०पी०टी०) सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। चार अन्य राज्यों, नामत: आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के लिए भी भारत संचार निगम लिमिटेड हेतु उद्दिष्ट ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान किए गए हैं। इन चार राज्यों में शेष गांवों को निजी स्थिर सेवा प्रदाताओं द्वारा सुविधा उपलब्ध कराई जानी हैं। 15 अगस्त, 2001 तक किसी अन्य राज्य को पूर्ण रूप से वी०पी०टी० सुविधा उपलब्ध कराए जाने की संभावना नहीं है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अ०जा०/ अ०ज०जा० के कर्मचारी

1277. **श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अंतर्गत अ०जा०/अ०ज०जा० से संबंधित कितने कर्मचारी कार्यरत हैं और श्रेणीवार तथा सरकारी उपक्रमवार उनकी संख्या अलग-अलग कितनी है;

(ख) क्या इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कुछ नैमित्तिक कर्मचारी भी कार्यरत हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकारी उपक्रमवार उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) उनकी सेवाओं को नियमित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंग राव गायकवाड़ पाटील) : (क) खान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन पांच सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में कार्यरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों का श्रेणीवार विवरण संलग्न है।

(ख) जी, हां। कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर आकस्मिक कामगारों को रखते हैं।

(ग) खान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन पांच सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में कार्यरत आकस्मिक कामगारों का विवरण नीचे दिया गया है :—

सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम	आकस्मिक कामगारों की संख्या
हिन्दुस्तान कॉपर लि०	100 (लगभग)
भारत गोल्ड माइंस लि०	शून्य
नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लि०	शून्य
खनिज गवेषण निगम लि०	196
हिन्दुस्तान जिंक लि०	शून्य

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में नैमित्तिक कर्मचारी की नियुक्ति पूर्ण रूप से आकस्मिक प्रकृति के कार्य के लिए ही की जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का ऐसे नैमित्तिक कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने की कोई योजना नहीं है जिन्हें तात्कालिक आवश्यकताओं के लिए अस्थाई रूप से रखा जाता है।

विवरण

खान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन पांच सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचिज जनजाति के कर्मचारियों का श्रेणीवार विवरण

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	ग्रुप/ग्रेड	अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की सं०	अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की सं०
हिन्दुस्तान कॉपर लि०	ए	75	25
	बी	51	18
	सी	1231	1359
	डी	361	311
भारत गोल्ड माइंस लि०	ए	21	04
	बी	06	शून्य
	सी	686	17
	डी	1010	22
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि०	ए	160	64
	बी	318	234
	सी	584	802
	डी	41	93
खनिज गवेषण निगम लि०	ए	54	20
	बी	06	03
	सी	292	148
	डी	46	20
हिन्दुस्तान जिंक लि०	ए	93	21
	बी	97	33
	सी	1246	1070
	डी	262	212

वन्यजीव अभयारण्यों का संरक्षण

1278. **श्री नरेश पुगलिया :**
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन्यजीव संरक्षण विभाग के पास छापा मारने या विभिन्न वन्यजीव अभयारण्यों की सुरक्षा करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं, और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। वानिकी और वन्यजीव कार्मिकों की भर्ती पर लगे प्रति-बंध का सुरक्षित क्षेत्रों के भीतर और बाहर सुरक्षा प्रयासों पर कुप्रभाव पड़ा है। प्रभावशाली संचार व्यवस्था की कमी, गतिशीलता और परिष्कृत हथियारों की कमी के कारण यह समस्या और भी बढ़ गई है। मामलों से संबंधित आसूचना संग्रह, अन्वेषण और मुकद्मों के बारे में कौशल बढ़ाए जाने की भी आवश्यकता है।

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार हैं :—

(i) माननीय प्रधान मंत्री ने वन्यजीवों और उनके व्युत्पन्नों के चोरी-छिपे शिकार और अवैध व्यापार पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को लिखा है। उन्होंने मुख्य मंत्रियों से अनुरोध किया है कि वे रिक्त पदों को भरें, उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण दें, आसूचना संग्रह के लिए प्रभावशाली तंत्र का विकास करें तथा वन्यजीव अपराधों के संबंध में मुकद्में चलाने के लिए नामोदिष्ट न्यायालयों की स्थापना करें।

(ii) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सुरक्षित क्षेत्रों के विकास और सुरक्षा के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(iii) भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा क्षेत्रीय अधिकारियों को वन्यजीव प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जाता है।

(iv) राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया गया है कि वे अपने क्षेत्रीय सुरक्षा कर्मचारियों को व्यावहारिक फार्मेशन्स में पुनर्संगठित करें और उन्हें अधिक गतिशीलता, परिष्कृत आग्नेय हथियारों और प्रभावशाली संचार नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध कराएं।

(v) राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद द्वारा राज्य वन विभाग के अधिकारियों के लिए आसूचना संग्रह और अन्वेषण तकनीकों में प्रशिक्षण का आयोजना किया जाता है।

(vi) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत वन्यजीव अपराधियों को गिरफ्तार करने और उनके विरुद्ध मुकद्में चलाने हेतु शक्तियां प्रदान की गई हैं। इन्टरपोल के साथ अवैध शिकार-रोधी प्रयासों का समन्वय किया जा रहा है।

(vii) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे वन्यजीवों के चोरी छिपे शिकार और अवैध व्यापार को रोकने के लिए राज्य और जिला स्तर पर विशेष समन्वय समितियों की स्थापना करें।

[हिन्दी]

कृषि क्षेत्र में रोजगार

1279. श्री रामजीलाल सुमन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरोजगार लोगों की प्रतिशतता जो वर्ष 1993-94 में 1.9 प्रतिशत थी, वर्ष 1999-2000 में बढ़कर 2.2 प्रतिशत हो गई है;

(ख) यदि नहीं, तो सरकार का इस संबंध में क्या आकलन है; और

(ग) वर्ष 1999-2000 में प्रत्येक राज्य में कितने प्रतिशत व्यक्ति बेरोजगार थे और 1993-94 की तुलना में इसमें कितने प्रतिशत वृद्धि हुई ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) वर्ष 1993-94 तथा 1999-2000 के लिए बेरोजगारी दर का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्य-वार बेरोजगारी दर*							
		1993-94				1999-2000			
		ग्रामीण		शहरी		ग्रामीण		शहरी	
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	1.0	0.5	3.5	4.3	2.1	0.7	4.2	4.2
2.	अरूणाचल प्रदेश	1.7	0.3	1.7	7.7	0.9	0.1	1.4	10.0
3.	असम	6.2	14.3	6.2	28.9	4.7	11.9	9.1	22.3
4.	बिहार	2.3	0.8	7.1	11.2	2.4	0.6	7.6	9.4
5.	गोवा	9.0	17.0	8.4	18.2	7.0	18.7	15.3	35.2
6.	गुजरात	1.5	0.5	3.3	6.2	0.8	0.3	2.1	2.6
7.	हरियाणा	2.4	5.3	2.6	8.0	1.3	0.5	2.7	4.6
8.	हिमाचल प्रदेश	2.3	0.6	4.1	0.4	3.0	1.8	6.3	11.8
9.	जम्मू और कश्मीर	1.3	2.2	6.2	15.2	2.6	7.1	4.7	12.8
10.	कर्नाटक	1.3	0.6	3.4	7.5	1.0	0.3	3.0	4.7
11.	केरल	7.2	15.8	7.6	24.4	7.6	19.7	6.9	4.26
12.	मध्य प्रदेश	0.8	0.2	5.7	4.6	0.7	0.2	4.3	1.6
13.	महाराष्ट्र	1.7	0.7	4.6	5.8	2.4	1.1	6.1	7.8
14.	मणिपुर	1.9	1.1	5.3	4.4	2.4	2.5	7.4	10.3
15.	मेघालय	0.4	—	1.3	3.2	0.5	0.3	3.4	6.8
16.	मिजोरम	1.6	0.6	0.5	0.5	2.1	0.5	4.4	2.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	नागालैण्ड	2.1	—	6.9	7.0	3.0	3.8	9.3	10.8
18.	उड़ीसा	2.6	1.7	7.3	7.8	3.1	1.6	7.2	6.7
19.	पंजाब	1.4	7.1	3.3	8.6	2.3	6.2	3.1	3.5
20.	राजस्थान	0.4	0.2	2.0	0.8	0.8	0.2	2.7	3.7
21.	सिक्किम	0.6	3.9	1.2	6.7	3.5	2.0	6.7	10.0
22.	तमिलनाडु	2.7	1.3	4.9	8.4	3.0	1.2	3.9	5.8
23.	त्रिपुरा	1.5	8.4	6.2	20.1	0.8	4.6	5.5	8.8
24.	उत्तर प्रदेश	1.2	0.4	3.6	1.6	1.3	0.6	4.5	4.6
25.	पश्चिम बंगाल	2.8	4.6	7.7	19.6	3.4	3.8	7.7	11.1
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	5.0	9.4	8.0	20.8	3.3	7.6	3.8	23.9
27.	चंडीगढ़	2.9	3.1	3.4	23.5	1.0	—	3.9	14.4
28.	दादर व नगर हवेली	0.9	1.8	—	—	1.6	—	1.6	—
29.	दमन व दीव	1.7	—	4.9	13.6	1.3	—	1.4	8.3
30.	दिल्ली	—	—	0.9	6.4	3.9	26.0	3.2	5.3
31.	लक्षद्वीप	6.8	50.0	16.3	35.7	10.9	52.9	8.2	26.3
32.	पांडिचेरी	3.5	—	5.7	12.6	4.7	2.6	3.5	6.9
	अखिल भारत	2.0	1.4	4.5	8.2	2.1	1.5	4.8	7.1

*सामान्य स्थिति दृष्टिकोण के अनुसार।
श्रम बल के संदर्भ में बेरोजगारी दर से तात्पर्य बेरोजगारों की प्रतिशतता से है।

[अनुवाद]

ई०एस०आई० अस्पतालों का विस्तार

1280. **श्री ए० ब्रह्मनैया :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा इंदिरा नगर, बंगलौर और आंध्र प्रदेश के सनत नगर में स्थित ई०एस०ई० अस्पतालों के विस्तार की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन दो अस्पतालों के अतिरिक्त भवनों के निर्माण पर कितनी लागत आएगी; और

(घ) इन दो अस्पतालों में कितने अतिरिक्त बिस्तर उपलब्ध होने की संभावना है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

हैदराबाद से विदेशी एयरलाइनों की अंतरराष्ट्रीय उड़ानें

1281. **श्री जी० गंगा रेड्डी :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया ने राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन, हैदराबाद से किसी अंतरराष्ट्रीय उड़ान की शुरूआत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ और विदेशी एयरलाइनों ने भी हैदराबाद से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने के बारे में रूचि दिखाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) एअर इंडिया इस समय हैदराबाद से सिंगापुर, दुबई ओर जेद्दाह के लिए सीधी उड़ानों का प्रचालन कर रही है।

(ग) और (घ) मलेशियाई एयरलाइंस और अमीरात ने हैदराबाद के लिए/से पहले ही प्रचालन आरंभ कर दिए हैं। इसके अतिरिक्त, श्रीलंका, सिंगापुर, यूनाईटेड किंगडम और स्विटजरलैंड की नामित विमान कंपनियों ने भी हैदराबाद के लिए/से प्रचालन करने में रूचि दिखाई है।

ताज की निकटवर्ती औद्योगिक इकाईयों को अन्यत्र ले जाना

1282. श्री ए०पी० जितेन्द्र रेड्डी :
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आगरा में यमुना नदी के पूर्व में स्थित सभी औद्योगिक इकाइयों को बंद करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या यमुना नदी के पूर्व में स्थित औद्योगिक इकाइयां ताज के लिए खतरा उत्पन्न कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या ताज की निकटवर्ती सभी औद्योगिक इकाइयों को अन्यत्र ले जाने के लिए कोई विशेष समयावधि निश्चित की गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने ताज को प्रदूषण से बचाने के लिए अन्य क्या कदम उठाए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (घ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सितंबर, 2000 को उच्चतम न्यायालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें आगरा नगर पालिका क्षेत्र को उद्योग मुक्त क्षेत्र घोषित करने की सिफारिश की गई है। इसमें केवल ऐसे उद्योगों को छूट प्रदान की गई है जिसमें ऊर्जा चलित मशीनों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। आगरा में यमुना के पूर्वी ओर स्थित उद्योग मुख्यत: फाउण्डरी नगर और नुन्हाई में हैं। ये औद्योगिक क्षेत्र ताजमहल की अप-विंड दिशा में स्थित है जिनसे ताजमहल को वायु प्रदूषण की समस्या का खतरा पैदा हो सकता है।

उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, उद्योगों में प्राकृतिक गैस का प्रयोग करना अनिवार्य है। यह मामला निर्णयाधीन है और विभिन्न मुद्दे जिसमें औद्योगिक इकाइयों को स्थानान्तरित करने के लिए समय सीमा निर्धारित करना भी शामिल है, उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन हैं।

(ङ) ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(i) ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में एक हरित पट्टी का निर्माण किया गया है।

(ii) ताजमहल से 500 मीटर दूरी के भीतर पेट्रोल और डीजल चलित वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं है। इस क्षेत्र में केवल बैटरी चलित वाहनों को चलने की इजाजत है।

(iii) ईंट भट्टा, फाउण्डरी आदि जैसे उद्योग जो फोसिल ईंधन का प्रयोग करते हैं और ताजमहल के आस-पास प्रदूषण पैदा करते हैं, उन्हें बन्द कर दिया गया है।

(iv) 10,400 वर्ग कि०मी० क्षेत्र को शामिल करके ताज ट्रेपेजियम जोन अधिसूचित किया गया है जहां केवल प्रदूषण न फैलाने वाले उद्योगों को अनुमति दी गई हैं और अन्य पाबन्दियां लगाई गई हैं।

(v) ताज सुरक्षा मिशन के अन्तर्गत चलायी गई विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की मानीटरी करने के लिए एक ताज ट्रेपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) प्राधिकरण का गठन किया गया है।

(vi) क्षेत्रों में परिवेशी वायु गुणवत्ता की मानीटरी के लिए, ताजमहल के आस-पास अनेक वायु गुणवत्ता मानीटरी स्टेशन स्थापित किए गए हैं।

(v) प्रदूषक उत्सर्जनों को कम करने के लिए मथुरा रिफाइनरी ने आवश्यक उपाय किए हैं।

[हिन्दी]

श्रम प्रधान क्षेत्र

1283. डा० सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री नवल किशोर राय :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में श्रम प्रधान क्षेत्रों/क्षेत्रकों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो ये श्रम प्रधान क्षेत्र कौन-कौन से हैं और इनके परिसराधीन अपना जीविकोपार्जन कर रहे श्रमिकों का क्षेत्रवार प्रतिशत कितना है; और

(ग) सूचना-प्रौद्योगिकी, संचार तथा प्रसारण आदि, जैसे नवीन क्षेत्रकों में नियोजित श्रम का प्रतिशत कितना है तथा नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक इन क्षेत्रों में कितने अतिरिक्त श्रमिकों के रोजगार पाने की संभावना है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) और (ख) कृषि एवं सम्बद्ध कार्य-कलाप, खाद्य प्रसंस्करण, लघु उद्योग, सेवा क्षेत्र, यात्रा एवं पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी, आवास एवं जमीन जायदाद विकास एवं निर्माण, सड़क परिवहन, वितरण व्यवसाय, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं तथा नए उभरते हुए सेवा क्षेत्रों में गुणवत्तात्मक रोजगार की पर्याप्त संभावनाएं हैं।

(ग) राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार व्यापक वर्गीकरण के अनुरूप सूचना रखी जाती है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 1999-2000 के परिणामों से यह अनुमान लगाया गया कि कुल कामगारों का लगभग 4% परिवहन, भण्डारण एवं संचार सेवाओं में कार्यरत है। वर्ष 1994-2000 के दौरान इस क्षेत्र में वार्षिक औसत वृद्धि दर 6.04% के लगभग थी। नौवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान इसी वृद्धि दर के बने रहने की संभावना है।

[अनुवाद]

मैच फिक्सिंग घोटाला

1284. श्री जी०एस० बसवराज : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी०बी०आई०) ने मैच फिक्सिंग पर अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सी०बी०आई० द्वारा अब तक सरकार को मैच फिक्सिंग पर कितनी रिपोर्ट सौंपी गई हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन रिपोर्टों पर क्या कार्रवाई की गई है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) से (घ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी०बी०आई०) ने सरकार को 30 अक्तूबर, 2000 को, मैच फिक्सिंग तथा संबंधित कदाचारों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। सी०बी०आई० ने 5 खिलाड़ियों अर्थात मोहम्मद अजहरूद्दीन, अजय जडेजा, मनोज प्रभाकर, अजय शर्मा, तथा नयन मोंगिया को दोषी ठहराया था। दोषी खिलाड़ियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करने के लिए रिपोर्ट बी०सी०सी०आई० को भेज दी गई थी। अंत में, बी०सी०सी०आई० ने मोहम्मद अजहरूद्दीन पर जीवनपर्यंत प्रतिबंध तथा अजय जडेजा, मनोज प्रभाकर और अजय शर्मा पर 5 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। बी०सी०सी०आई० ने नयन मोंगिया को निर्दोष ठहराया था। सरकार ने मोहम्मद अजहरूद्दीन, अजय जडेजा और मनोज प्रभाकर को प्रदत्त अर्जुन पुरस्कार वापस लेने के लिए इन खिलाड़ियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। मोहम्मद अजहरूद्दीन ने कानूनी न्यायालय, हैदराबाद में प्रतिबंध संबंधी आदेश को चुनौती दी है और अजय जडेजा ने दिल्ली उच्च न्यायालय में प्रतिबंध आदेश और अर्जुन पुरस्कार को वापस लेने के लिए उसे जारी किए गए कारण बताओ नोटिस को चुनौती दी है। दोनों याचिकाएं माननीय न्यायालयों के समक्ष विचाराधीन है।

उड़ीसा में चिल्का पक्षी अभयारण्य का संरक्षण

1285. डा० प्रसन्न कुमार पाटसाणी : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार उड़ीसा में सबसे बड़े चिल्का पक्षी अभयारण्य के संरक्षण के लिए कदम उठाने के लिए योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार द्वारा भारत पर्यटन विकास निगम के अंतर्गत उत्खनन और अवसादन का कार्य किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) भारत सरकार चिल्का पक्षी अभयारण्य के संरक्षण और विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। नौंवी पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत मिट्टी के टीलों के निर्माण, पुरानी संकरी खाड़ियों की खुदाई, जल के तालाबों की खुदाई, नौकाओं की खरीद, शुष्क टहनियों की कटिंग को रोपित करने, बागानों के माध्यम से बालू फिक्सिंग निगरानी टावरों के निर्माण और कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट टापू के लिए वित्तीय सहायता दी गई जो निम्न प्रकार है :–

	97-98	98-99	99-200	2000-01	2001-02
राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास	7.2	6.9	21.7	23.06 (पुनर्वैध)	11.5 (पुनर्वैध)
आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम	–	–	35.98	55.0	6.84

(ख) पर्यटन मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा किसी भी खुदाई का काम अथवा गाद निकालने का कार्य नहीं किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रक्षा विमानपत्तनों का उपयोग

1286. श्री प्रकाश वी० पाटील :
श्रीमती डी०एम० विजया कुमारी :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रक्षा विमानपत्तनों का वाणिज्यिक विमानों द्वारा उपयोग किया जाना प्रस्तावित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन विमानपत्तनों में से कोई महाराष्ट्र में स्थित है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने रक्षा विमानपत्तनों का उपयोग वाणिज्यिक विमानों द्वारा करने की अनुमति देने के पूर्व सुरक्षा पहलू की छान-बीन कर ली है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) जहां से अनुसूचित उड़ानों का प्रचालन किया जा रहा है उन रक्षा हवाई

अड्डों के नाम इस प्रकार हैं :— आगरा, बागडोगरा, भुज, चंडीगढ़, गोवा, ग्वालियर, जम्मू, जामनगर, जोधपुर, जोरहाट, लेह, पोर्ट-ब्लेयर, पुणे, सिलचर, श्रीनगर, तेजपुर, विजाग और जैसलमेर।

(ग) और (घ) पुणे हवाई अड्डा महाराष्ट्र में स्थित है।

(ङ) और (च) उन रक्षा हवाई अड्डों पर जिन्हें सिविल प्रचालनों के लिए खोला गया है इलाहाबाद, गोरखपुर, जैसलमेर, लेह और तेजपुर को छोड़कर, जहां सिविल एप्रन अलग नहीं है, स्वतंत्र आवाजाही के लिए अलग-अलग सिविल एप्रन और एन्क्लेव हैं। पर्याप्त सुरक्षा कदम उठाए जाते हैं जिससे सुरक्षा पहलु पर कोई समझौता न हो।

अपराह्न 12.01 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

[अनुवाद]

सेवानिवृत्त वायुसेना अधिकारियों के आवासों पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मारे गए छापे

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवन्त सिंह) : अध्यक्ष महोदय, केंन्द्रीय जांच ब्यूरो, आसूचना ब्यूरो तथा वायुसेना की आसूचना एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से चलाए गए अभियान में कुल सेवानिवृत्त वायुसेना अधिकारियों तथा कुछेक सिविलियनों को रक्षा सौदों में राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल संदिग्ध गतिविधियों के लिए 26 एवं 27 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था।

कुछ महीने पहले वायुसेना आसूचना को यह मालूम हुआ था कि वायुसेना मुख्यालय, डी स्टोर्स में उपस्कर सहायक के रूप में तैनात सार्जेंट के०सी० सैनी धन लेकर रक्षा खरीदारियों के संबंध में सूचनाएं दे रहा है। इसके बाद इस बात की भी पुष्टि हुई कि सार्जेंट सैनी ने वायुसेना मुख्यालय के एक संवेदनशील निदेशालय में कार्यरत एक अन्य एन०सी०ओ० को भी इसी कार्य के लिए अपने साथ मिलाने का प्रयास किया था। इस पर इस नए एन०सी०ओ० ने इस संबंध में वायु सेना मुख्यालय में ही अपने वरिष्ठ अधिकारी को सूचना दी जिसने कि यह सूचना तत्काल वायुसेना आसूचना को पहुंचा दी।

इसके बाद यह निर्णय लिया गया कि इस मामले को ऐसे ही चलने दिया जाए और उपर्युक्त 'वरिष्ठ अधिकारी' को छद्म मुखबिर के रूप में कार्य करने दिए जाए ताकि इस गतिविधि के सारे आयामों का पर्दाफाश किया जा सके। इस चरण पर आसूचना ब्यूरो को इस मामले में शमिल किया गया और उक्त अधिकारी की सभी अनुवर्ती बैठकों की आसूचना ब्यूरो तथा वायुसेना आसूचना द्वारा संयुक्त रूप से निगरानी की गई। इस स्तर पर सार्जेंट सैनी ने इस 'वरिष्ठ अधिकारी' की मुलाकात एयर वाइस मार्शल जे०एस० कुमार (सेवानिवृत्त) से करवाई। यह मुलाकात मई, 2001 में हुई। इस प्रारंभिक मुलाकात के दौरान ही एयर वाइस मार्शल जे०एस० कुमार (सेवानिवृत्त) ने सार्जेंट सैनी को लगभग 19,000/-रु० दिए। इसके बाद की बैठक में एयर वाइस मार्शल जे०एस० कुमार (सेवानिवृत्त) ने इस 'वरिष्ठ अधिकारी' को 50,000/-रु० दिए और वाणिज्यिक सूचना उपलब्ध कराने के बदले और भी अच्छे-खासे पुरस्कार देने का वायदा किया। तत्पश्चात् एयर वाइस मार्शल कुमार द्वारा भारतीय वायुसेना की कुछ खरीदों के बारे में विशिष्ट सूचना की मांग की गई।

इस स्तर पर केंद्रीय जांच ब्यूरो का सहयोग लेने का निर्णय लिया गया और ब्यूरो में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई। इसके बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा इस मामले को हाथ में लेकर आसूचना ब्यूरो तथा वायुसेना आसूचना के साथ 26 जुलाई, 2001 को 1830 बजे कार्यवाही शुरू की गई। एयर वाइस मार्शल, सार्जेंट सैनी तथा 'वरिष्ठ अधिकारी' के बीच पूर्व निर्धारित बैठक के दौरान केंद्रीय जांच ब्यूरो ने एयर वाइस मार्शल और सार्जेंट को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने भारतीय वायुसेना के 4 अन्य सेवानिवृत्त अधिकारियों, रक्षा मंत्रालय के एक सिविलियन कार्मिक तथा 4 असैनिक व्यक्तियों के आवासों पर छापे मारे।

केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अब तक ली गई तलाशी में पाया गया है कि सेवा-निवृत्त एयर वाइस मार्शल के आवास पर रक्षा सौदों से संबंधित दस्तावेज तथा भारी मात्रा में नकद राशि मौजूद थी। भारतीय वायुसेना के अन्य सेवा-निवृत्त अधिकारियों के आवासों से भी इसी तरह के रक्षा सौदों से संबंधित वाणिज्यिक प्रकृति के दस्तावेज जब्त किए गए। अब तक 7 व्यक्तियों को पूछताछ हेतु गिरफ्तार किया गया है।

मैं वायुसेना आसूचना, आसूचना ब्यरो तथा केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा इस पूरे मामले की संयुक्त रूप से पूरी दक्षता, आपसी सहयोग तथा धैर्यपूर्वक पर्दाफाश करने के लिए रक्षा मंत्रालय की ओर से सराहना दर्ज कराना चाहूंगा।

माननीय सदस्य गण् नि:सन्देह सहमत होंगे कि चूंकि वर्तमान में इस प्रकरण में विस्तृत जांच चल रही है, इसलिए इससे अधिक जानकारी देना जनहित में उपयुक्त नहीं होगा।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.06 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का०आ० 329(अ), जो 12 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तटीय विनियमन क्षेत्र

[श्री टी०आर० बालू]

में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि उक्त जोन में उद्योगों की स्थापना और उसके विस्तार, प्रचालन तथा प्रसंस्करण पर प्रतिबंध लगाया जा सके, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल०टी० 3828/2001]

(2) अंडमान एंड निकोबार आईलैंड्स फारेस्ट एण्ड प्लांटेशन डेवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड और पर्यावरण और वन मंत्रालय के बीच वर्ष 2000-2001 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 3829/2001]

(3) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ फारेस्ट मैनेजमेंट, भोपाल के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ फारेस्ट मैनेजमेंट, भोपाल के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल०टी० 3830/2001]

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) इंडियन एयरलाइन्स लिमिटेड और इसकी सहायक एयरलाइन एलाएड सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन एयरलाइन्स लिमिटेड और इसकी सहायक एयरलाइन एलाएड सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(तीन) इंडियन एयरलाइन्स लिमिटेड और इसकी सहायक एयरलाइन एलाएड सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के लेखाओं पर लेखापरीक्षकों और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों की सरकार द्वारा समीक्षा।

(3) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल०टी० 3831/2001]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उप-धारा 4 के अंतर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) केन्द्रीय मोटर यान (तीसरा संशोधन) नियम, 2001 जो 24 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 284(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) केन्द्रीय मोटर यान (दूसरा संशोधन) नियम, 2001 जो 24 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 286(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा०का०नि० 428(अ) जो 12 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केन्द्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 1998 में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल०टी० 3832/2001]

(2) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) का०आ० 512(अ) जो 12 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा डिप्टी कलेक्टर, सदर, चन्दौली, उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर सैयद रज़ा और नौबतपुर बाईपास पर 21 कि०मी० से 46.25 कि०मी० तक की सड़क को चार लेन का बनाने के लिए भूमि के अधिग्रहण के संबंध में ऐसे प्राधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(दो) का०आ० 513(अ) जो 12 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अपर नगर मजिस्ट्रेट III, वाराणसी, उत्तर प्रदेश राज्य

में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर 21 कि०मी० से 46.25 कि०मी० तक की सड़क को चार लेन का बनाने के लिए भूमि के अधिग्रहण के संबंध में ऐसे प्राधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(तीन) का०आ० 514(अ) जो 12 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय गुजरात राज्य में सूरत से मनोर के बीच 271.50 कि०मी० से 318.60 कि०मी० तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 को चार लेन वाला बनाना है।

(चार) का०आ० 524(अ) जो 16 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय उड़ीसा राज्य में 61,000 कि०मी० से 136.500 कि०मी० तक (भुवनेश्वर–कलकत्ता सैक्शन) राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर बाई पास के निर्माण सहित, यदि कोई हो, वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्ग को लोक प्रयोजन हेतु चौड़ा करना है।

(पांच) का०आ० 529(अ) जो 18 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय गुजरात राज्य में सूरत से मनोर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 को चार लेन का बनाने वाली सूरत मनोर टोलवे प्रोजेक्ट हेतु भूमि अधिगृहीत करना है।

(छः) का०आ० 530(अ) जो 18 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य (पथकर के संग्रहण हेतु पथकर दरें) में राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर मुरादाबाद बाईपास के निर्माण में शामिल व्यय के बारे में है।

(सात) का०आ० 532(अ) जो 18 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में 0.00 कि०मी० से 53.410 कि०मी० तक (बालासोर से लक्ष्मणनाथ सैक्शन) राष्ट्रीय राजमार्ग–60 को चौड़ा करने के बारे में है।

(आठ) का०आ० 533(अ) जो 18 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय आगरा से सिकन्दरा (कानपुर देहात) के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 को चौड़ा करने और उसका उन्नयन करने के लिए भूमि अधिगृहीत करना है।

(नौ) का०आ० 534(अ) जो 18 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर नगर में बौंती तथा खागा के बीच 470 कि०मी० से 492 कि०मी० (दिल्ली, कानपुर सैक्शन) तथा 9 कि०मी० से 38 कि०मी० (कानपुर वाराणसी सैक्शन) के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के निर्माण, रखरखाव, प्रबंधन तथा संचालन के लिए लोक प्रयोजन हेतु भूमि अधिगृहीत करना है।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल०टी० 3833/2001]

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : मैं शिक्षु अधिनियम 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) शिक्षु (संशोधन) नियम, 2001 जो 16 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 188(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) शिक्षु (संशोधन) नियम, 2001 जो 9 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 249(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) शिक्षु (संशोधन) नियम, 2001 जो 18 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 375(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल०टी० 3834/2001]

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : मैं भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :–

(एक) भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण (अध्यक्ष तथा पूर्णकालिक सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 2001, जो 25 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 290(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) दूर संचार विवाद निपटान तथा अपीली अधिकरण (अध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 2001, जो 25 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 291 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा इसका एक शुद्धि पत्र (केवल हिन्दी में) जो 18 मई, 2001 की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 376(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) भातीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण (अंश कालिक सदस्यों के भत्ता) संशोधन नियम, 2001, जो 25 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 292(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल०टी० 3835/2001]

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : मैं क्रिकेट मैच फिक्सिंग तथा उससे सम्बद्ध कदाचारों के बारे में प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 3836/2001]

अपराह्न 12.09 बजे

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

छठा प्रतिवेदन

[हिन्दी]

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : महोदय, मैं एम०एम०टी०सी० लिमिटेड सोने का व्यापार (एम०एम०टी०सी० द्वारा सोने का आयात) के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का छठा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में 'शून्य काल' आरम्भ होगा।

श्री के० येरननायडू (श्रीकाकुलम) : महोदय, मैंने आन्ध्र प्रदेश में सूखे की स्थिति के बारे में सूचना दी है। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है।

अध्यक्ष महोदय : आप श्री माधवराव सिन्धिया के बाद अपना मुद्दा उठायें।

[हिन्दी]

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : महोदय, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण बात उठाना चाहता हूं। 23 जुलाई की मध्य रात्रि, शेषवान गोड, मुरादाबाद जिले के गांव में एक घृणित और भयानक घटना घटी है। जानकारी मिलते ही, हमारी संसद सदस्या बेगम नूर बानो, सुजान सिंह और जफरान जैदी उस स्थान पर गए। वहां उन्होंने देखा कि हमारे अल्पसंख्यक भाइयों और बहनों के ऊपर एक भयानक आक्रमण हुआ है। छः लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। इनमें जो महिलायें थीं, उनके साथ मरने से पूर्व बलात्कार किया गया। एक महिला जो गर्भवती थी, उसके साथ बालत्कार किया गया और उसके बाद उसको मारा गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस मामले को गत सप्ताह भी उठाया गया था।

[हिन्दी]

श्री माधवराव सिंधिया : अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण बात है। 13 अल्पसंख्यक लोगों को जख्मी किया है और महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया है। *(व्यवधान)* एक अनोखी बात है और वह बात यह है कि जो लोग मारे गए हैं। *(व्यवधान)* उनकी नाक में से रूई निकली है। जाहिर है, रूई में क्लोरोफार्म डालकर उनको बहोश किया गया है और बहोश करके बलात्कार किया गया और जख्मी किया गया। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने मैंने उनका नाम पुकारा है। यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो उनके बाद कह सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री माधवराव सिंधिया : एक और बात भी है। जिस महिला के साथ पेड़ के नीचे रेप किया गया, वहां पुलिस की टोपी, उसका पट्टा और चिह्न, जो कन्धे पर पहनते हैं, एक-दो दिन पूर्व मिले हैं। यह बहुत भयानक बात है। पिछले महीने फतेहपुर में छः दलित, अलीगढ़ में चार और सिद्धार्थ नगर में दलितों के 29 घरों को जलाया गया है। कहा जाता है, इसमें किसी कैबिनेट मिनिस्टर का हाथ है। *(व्यवधान)*

महोदय, मेरा कहना है कि उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था ठप होती जा रही है, उसके कारण महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। *(व्यवधान)*

अपराह्न 12.10 बजे

(इस समय श्री अवतार सिंह भडाना तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री माधवराव सिंधिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह केन्द्र का विषय है। हम चाहते हैं कि गृह मंत्री जी इस पर वक्तव्य दें, ब्यान दें। *(व्यवधान)* महोदय, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। यह मानवाधिकारों का सवाल है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया अपने स्थानों पर वापस जाएं। यह ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : अब, सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.11 बजे

तत्पश्चात लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.01 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.01 बजे पुनः समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

(व्यवधान)

श्री के० येरननायडू (श्रीकाकुलम) : महोदय, मैं सूखे की स्थिति से संबंधित अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं। कृपया मुझे बोलने की अनुमति दे। *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : कृपया हमें अत्यन्त महत्वपूर्ण मामले पर बोलने की अनुमति दें। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 9 पर चर्चा शुरू करेंगे।

अपराह्न 2.02 बजे

खाद्य निगम (संशोधन) विधेयक*

[हिन्दी]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खाद्य निगम अधिनियम, 1964 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खाद्य निगम अधिनियम, 1964 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री शांता कुमार : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II खण्ड 2, दिनांक 30.7.2001 में प्रकाशित।

अपराह्न 2.02½ बजे

खाद्य निगम (संशोधन) अध्यादेश के बारे में व्याख्यात्मक विवरण — *सभा पटल पर रखा गया*

[हिन्दी]

श्री शांता कुमार : अध्यक्ष जी, मैं खाद्य निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2001 द्वारा तुरंत विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं। *(व्यवधान)*

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 3837/2001]

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : अध्यक्ष जी, मुरादाबाद इश्यू पर गृह मंत्री जी कब बयान दे रहे हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया समझें, सुबह आपने सारा समय बर्बाद कर दिया। पुनः अपराह्न 2.00 बजे भी आप वही कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस प्रकार की व्यवस्था बना रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह सुबह भी हुआ था। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष जी, 24 तारीख की घटना पर बयान कब आयेगा ? *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : आप हमें बोलने का मौका क्यों नहीं दे रहे हैं ? गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट कब आयेगा, यह ही बता दें तो अच्छा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मुलायम सिंह जी, यह ठीक नहीं है। आप भी वही कर रहे हैं। यह क्या है ? सुबह के समय आपने सभा का पूरा समय बर्बाद कर दिया। पुनः 2.00 बजे भी आप वही कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप किस प्रकार की व्यवस्था बना रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ०प्र०) : अध्यक्ष जी, पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज्य स्थापित हो चुका है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री जी०एम० बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, मुझे मुरादाबाद की सिर्सवा गौर घटना पर बोलने का मौका दिया जाए। कृपया मुझे अनुमति दें। *(व्यवधान)* हमें इस गंभीर घटना के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह 2.00 बजे नहीं हो सकता। कृपया, समझें। शून्य काल है। आप शून्य काल में सभा नहीं चलने दे रहे हैं। आप सभा की कार्यवाही में व्यवधान डाल रहे हैं। आप 2.00 बजे भी यही कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि सभा को चलाने के लिए कौन सा तरीका अख्तियार करूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठें। यह ठीक नहीं है। मंत्री महोदय बोल रहे हैं।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : अध्यक्ष महोदय, को सहयोग की आवश्यकता है। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, दोपहर को जब मुरादाबाद का मुद्दा उठाया गया था, अगर तभी मुझे अवसर मिलता और सदन की कार्यवाही को रोका नहीं जाता, तो जो अब मैं कह रहा हूं यह बात तभी कह देता कि परसों गृहमंत्री जी इस संबंध में अपना वक्तव्य सदन में देंगे। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री येरननायडू जी आप अपना मुद्दा कल उठा सकते हैं आज नहीं। 'शून्य काल' के मामले कल उठाए जा सकते हैं।

श्री जी०एम० बनातवाला : महोदय, हमें मंत्री द्वारा वक्तव्य दिये जाने के बाद प्रश्न पूछने और स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति दी जानी चाहिए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला, आप वरिष्ठ सदस्य हैं। आपको अध्यक्षपीठ से सहयोग करें न की उसके कार्यों में व्यवधान डालें। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम मद संख्या 11 पर चर्चा शुरू करेंगे।

अपराह्न 2.04 बजे

[अनुवाद]

पशुधन आयात (संशोधन) विधेयक*

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : महोदय, मेरे अपने सहयोगी श्री अजित सिंह की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे पशुधन आयात अधिनियम, 1898 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पशुधन आयात अधिनियम, 1898 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा० देवेन्द्र प्रधान : महोदय मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 2.04½ बजे

[अनुवाद]

पशुधन आयात (संशोधन) अध्यादेश के बारे में व्याख्यात्मक विवरण — *सभा पटल पर रखा गया*

डा० देवेन्द्र प्रधान : महोदय, मेरे अपने सहयोगी श्री अजित सिंह की ओर से मैं पशुधन आयात (संशोधन) अध्यादेश, 2001 द्वारा तुरंत विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 3838/2001]

अपराह्न 2.05 बजे

[हिन्दी]

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) मध्य प्रदेश में मलेरिया के प्रकोप को रोकने के लिए तुरन्त उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट) : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश सहित देश के अन्य प्रान्तों में मलेरिया ने महामारी का रूप धारण कर लिया है विशेष कर वन आच्छादित क्षेत्रों और धान की सघन एवं लगातार खेती वाले जिलों में मलेरिया का प्रभाव अन्य क्षेत्रों से कई गुना अधिक है। परिणामस्वरूप मध्य प्रदेश के बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, सिवनी, छिंदवाड़ा तथा होशंगाबाद सहित अनेक जिले प्रभावित हुए हैं।

---

* भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II खण्ड 2, दिनांक 30.7.2001 में प्रकाशित।

मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में तो सैंट्रल स्कूल के छात्रों की मृत्यु मलेरिया के कारण हो गई। यह घटना अति गम्भीर हैं। इस गम्भीर स्थिति से निपटने के लिए प्रदेश एवं केन्द्र सरकार ऐसे क्षेत्रों में मलेरिया की रोकथाम के लिए अतिशीघ्र कार्य योजना बना कर प्रयास प्रारम्भ करे ताकि मलेरिया से होने वाली मौतों को रोका जा सके।

[अनुवाद]

(दो) सैन्य कार्यवाही में मारे गए अर्द्धसैनिक बलों अथवा सशस्त्र सेनाओं के तीनों स्कन्धों के शहीदों को कारगिल शहीदों के समान सुविधाएं देने के लिए नीति बनाए जाने की आवश्यकता

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत) : महोदय, देश 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मना रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि कारगिल की दुर्गम पहाड़ियों पर विजय हमारे जवानों की वीरता और साहस से ही संभव हो सकी है, विशेषकर उन जवानों की वीरता के कारण जिन्होंने देश की खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कारगिल शहीदों के प्रति उनके दुर्भाग्य के बाद जो व्यवहार किया गया वह निश्चय ही सराहनीय है। संपूर्ण देश ने एक होकर शहीदों के प्रति अपना सम्मान प्रकट किया। अर्द्ध-सैनिक बलों और सेनाओं के जवान तकरीबन रोज ही आंतकवादियों के हाथों निर्दयता पूर्वक मारे जाते हैं। बांग्लादेश की गोलीबारी में जो लोग मारे गये या आंतकवादियों द्वारा घाटी में जो सैनिक मारे गये उनका बलिदान कारगिल युद्ध के शहीदों से किसी प्रकार कम नहीं है। इसलिए एक ऐसी नीति बनाने की अत्यंत आवश्यकता है जिसके तहत अर्द्ध-सैनिक बलों या सेना के तीनों अंगों के जो जवान या अधिकारी देश की रक्षा के लिए मारे जाएं उनको भी वहीं सम्मान दिया जाए जो कारगिल के वीरों को प्राप्त हुआ था।

(तीन) उड़ीसा में ट्रालर द्वारा मछली पकड़ना तट से सात किलोमीटर की परिधि से बाहर तक सीमित रखने की आवश्यकता

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा) : माननीय, अध्यक्ष महोदय, उड़ीसा की तटरेखा लगभग 400 कि०मी० लम्बी है। तटीय क्षेत्रों के मछुआरे परम्परागत रूप से मछली पकड़ते हैं। मत्स्य नौकाओं द्वारा अवैध रूप से तट के आस-पास मछली पकड़ने के कारण मछुआरे अधिक मछली नहीं पकड़ पाते। समुद्र में भी झींगा मछली अधिक मात्रा में नहीं हो पाती क्योंकि मादा झींगा मछली को प्रजनन के लिए मत्स्य पालन केंद्रों पर लाया जाता है। उड़ीसा समुद्री मत्स्यन (विनियामक) अधिनियम इन गैर-कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए काफी नहीं है।

चूंकि तटीय नियंत्रण क्षेत्र में ये औद्योगिक गतिविधियां होती है इसलिए भारत सरकार को इन ट्रालर्स को समुद्र तट से सात कि०मी० की दूरी पर ही रोक देना चाहिए। तट से लगे मछली प्रजनन केन्द्रों को बाध्य किया जाना चाहिए कि वे निश्चित मात्रा में छोटी झींगा मछली को विशेषज्ञों की उचित निगरानी में समुद्र में छोड़े।

[हिन्दी]

(चार) गुजरात के गोधरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ग्रामीण विद्युतीकरण किए जाने की आवश्यकता

श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी (गोधरा) : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो सम्पूर्ण देश के निवासी बिजली संकट को झेल रहे हैं लेकिन अभी भी स्वतंत्रता के 50 वर्ष से अधिक व्यतीत होने के बावजूद ऐसे भी गांव हैं जिन का अभी तक विद्युतीकरण नहीं हो पाया है। विद्युतीकरण का कार्य इतनी धीमी गति से हो रहा है कि यह कहना बड़ा कठिन है कि कब तक देश के सभी गांवों का विद्युतीकरण होगा ? सरकारी आंकड़ों के अनुसार अभी 80 हजार गांवों का विद्युतीकरण होना शेष है लेकिन यदि वास्तविकता देखी जाए तो शायद इनकी संख्या और भी अधिक होगी क्योंकि किसी गांव में एक बल्ब जलने लगता है तो सरकार उसे विद्युतीकरण में सम्मिलित कर लेती है चाहे पूरा गांव अंधेरे में डूबा हो। विद्युतीकरण की धीमी गति का कारण धनाभाव बताया जाता है। गुजरात के गोधरा संसदीय क्षेत्र में अनेक ऐसे गांव हैं जहां विद्युतीकरण नहीं हो पाया है जबकि यहां पर अधिकाश लोग अनूसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति से संबंधित हैं। सरकार ऐसे गांवों का विद्युतीकरण प्राथमिकता के आधार पर करती है लेकिन गुजरात सरकार धन की कमी बता कर पिछले कई वर्षों से इन गांवों का विद्युतीकरण नहीं कर रही है।

अत: मेरी विद्युत मंत्री से अनुरोध है कि मेरी संसदीय क्षेत्र गोधरा के ऐसे गांवों के विद्युतीकरण के लिए आर्थिक सहयाता प्रदान करने का कष्ट करें ताकि इन गांवों का विद्युतीकरण हो जाए।

[अनुवाद]

(पांच) केन्द्र द्वारा प्रयोजित योजनाओं के विलय/उनमें कटौती करने के प्रस्ताव पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता

श्री के०एच० मुनियप्पा (कोलार) : महोदय, मैं सरकार का ध्यान विभिन्न मंत्रालयों द्वारा केन्द्र द्वारा प्रायोजित कई योजनाओं को अति व्यापित के कारण आपस में मिलाने/कम करने के लिए चलाए गये अभियान की ओर दिलाना चाहता हूं।

मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अनेक स्वयं सेवी संस्थाएं कार्य कर रही हैं वे इन योजनाओं के अंतर्गत जारी किए गये अनुदानों का लाभ उठा रही है। इसमें से अधिकांश सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, महिला और बाल कल्याण विकास विभाग, और जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत हैं। स्वयं सेवी संस्थाएं अच्छा कार्य कर रही हैं, और इनके कार्य की निगरानी प्रायोजक मंत्रालय द्वारा निरन्तर की जाती है। मैंने यह पाया कि प्रायोजक मंत्रालय समय पर धन उपलब्ध नहीं कराते जिसके कारण इन स्वयं सेवी संस्थाओं पर काफी दबाव पड़ता है क्योंकि इन संस्थाओं के पास अपना काम जारी रखने के लिए कोई संसाधन नहीं होता।

ऐसी योजना के आवंटन को एक-दूसरे में मिलाकर या खत्म कर के रोकने के बजाय, अच्छा यही होगा कि प्रायोजक मंत्रालयों के बीच एक समन्यवय स्थापित किया जाए जो एक अंतर मंत्रालयी

[श्री के०एच० मुनियप्पा]

केंद्रीय समिति के माध्यम से यह सुनिश्चित करें कि किसी भी स्वयं-सेवी संस्था को किसी परियोजना विशेष के लिए एक से अधिक मंत्रालय से न मिल सकें।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस प्रस्ताव की पुनरीक्षा कर यथास्थिति बनाएं रखें।

[हिन्दी]

(छह) प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत बिहार के लखीसराय जिले में बाईपास का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री राजो सिंह (बेगूसराय) : अध्यक्ष महोदय, हमारे बेगुसराय संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत लखीसराय जिला में लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि बाईपास नहीं होने के कारण आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत रामगढ़ चौक से भाया अशोक धाम होते हुये नेशनल हाइवे-80 में जोड़ दिया जाता तो इससे कई गांव जो पिछड़े इलाके के हैं, जिसकी आबादी एक हजार से ऊपर की है, लाभान्वित होते।

मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाकर आग्रह करना चाहता हूं कि शीघ्र इस सड़क को प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत लखीसराय जिला में स्वीकृत कराकर कार्य प्रारम्भ कराने का आदेश देने की कृपा की जाये।

[अनुवाद]

(सात) केरल के तटीय क्षेत्रों के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए तटीय विनियामक क्षेत्र अधिनियम में संशोधन किए जाने की आवश्यकता

श्री टी० गोविन्दन (कासरगौड़) : महोदय, तटवर्ती विनियामक क्षेत्र अधिनियम को भारत की विशालता और प्रकृति में विविधता को न देखते हुए लाया गया था। दक्षिण भारतीय राज्य जैसे केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ने इस अधिनियम में संशोधन की मांग की थी। भारत में तटीय क्षेत्रों का स्वरूप बहुत भिन्न है। कुछ क्षेत्रों में मछुवारों की सघन बस्ती है और उसमें मत्स्य उद्योग से संबंधित संस्थाएं हैं, और नारियल के पेड़ बहुतायत में हैं। इस क्षेत्र में, हम स्कूलों, डाकघरों और तारघरों, अस्पतालों और लघु उद्योग इकाइयों को देख सकते हैं। कुछ क्षेत्रों में पर्यटन की संभावनाएं हैं। केरल के तटीय क्षेत्र में मछुवारों के लाखों परिवार रहते हैं। वे ऐसे कार्य में लिप्त है, जिससे मूल्यवान विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है। इस कानून के लागू होने से, इन लोगों को घर, दुकान और यहां तक कि उन्हें कार्यशाला बनाने में भी कठिनाइयां आ रही है। सरकार ने बालकृष्ण समिति नियुक्त की है। मुझे लगता है, समिति की सिफारिशों को काफी मान्यता मिली है।

मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि केरल के विशाल समुद्रीय तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लाखों लोगों की भावनाओं और आवश्यकताओं को देखते हुए इस अधिनियम में संशोधन किया जाए।

(आठ) आन्ध्र प्रदेश में खड़ी फसलों को बचाने के लिए कर्नाटक सरकार को कृष्णा नदी से अधिक जल छोड़े जाने की सलाह दिए जाने की आवश्यकता

डा० मन्दा जगन्नाथ (नगर कुरनूल) : महोदय, आंध्र प्रदेश के किसानों को मानसून की विफलता के कारण भयावह संकट की स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। कुछ जिलों को अभूतपूर्व सूखे का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि पिछले एक महीने में कुछ भी वर्षा नहीं हुई। पानी की कमी के कारण बीज आधारित धान की फसल सूख रही है। जुलाई और अगस्त के महीने में कृषि कार्य अपनी चरम सीमा पर होते हैं, परंतु सूखे की स्थिति को देखते हुए किसानों की ओर से कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। कृष्णा और अन्य नदियों का जल स्तर इतना कम है कि खेतों को जलाशयों के माध्यम से नहीं सींचा जा सकता। यदि ऐसी स्थिति बनी रहती है तो, किसान अपनी फसल नहीं उगा पाऐंगे, और सूखा बना रहेगा।

इसलिए मैं, केन्द्र सरकार से निवेदन करता हूं कि वह कर्नाटक सरकार को कृष्णा नदी से जल को अधिक मात्रा में छोड़ने का सुझाव दें जिससे कि आन्ध्र प्रदेश की फसल को बचाया जा सके और आंध्र प्रदेश के उन किसानों के दुखों का निवारण किए जाए जो अलमाटी बांध से आंध्र प्रदेश को पानी न मिलने के कारण बहुत उत्तेजित है।

[हिन्दी]

(नौ) फूलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बरुणा नदी से उत्पन्न जल भराव की समस्या के समाधान के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री धर्मराज सिंह पटेल (फूलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने फूलपुर संसदीय क्षेत्र, जनपद इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या बरुना नदी की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बरुना नदी फूलपुर से वाया जिला भदोही से होकर वाराणसी तक जाती है। बरुना नदी में जल भराव के कारण फूलपुर संसदीय क्षेत्र के लगभग सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में रहते हैं तथा हजारों एकड़ जमीन पर बारहों महीने खेती नहीं हो पाती। जिला कलेक्टर, इलाहाबाद द्वारा इस बरुना नदी का सर्वे कराया जा चुका है जिसकी सर्वे रिपोर्ट उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को भी भेज दी गई है परन्तु धन के अभाव के कारण सैकड़ों गांवों में लोगों को अपनी खेती न करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

मैं, अपनी सांसद निधि से भी बरुना नदी की सफाई के लिए धन देने की स्वीकृति जिलाधिकारी, इलाहाबाद को कर चुका हूं। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि बरुना नदी की सफाई के लिए राज्य सरकार को धन उपलब्ध कराने तथा बरुना नदी की सफाई कराने का कष्ट करें। धन्यवाद।

[अनुवाद]

(दस) तमिलनाडु में पेयजल की भारी समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता

***श्री डी० वेणुगोपाल** (तिरूपत्तूर) : स्वतंत्रता के 50 वर्षों के बाद भी, देश के अन्य भागों के समान तमिलनाडु में पेयजल की आपूर्ति की समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। हमें आशा है थी कि गंगा-कावेरी लिंक योजना से पेयजल और सिंचाई दोनों की समस्याएं दूर हो जाएगी। तमिलनाडु के उत्तरी जिले विशेष रूप से उत्तरी अरकाट और तिरूअन्नामाली जिलों और तिरूपत्तूर लोक सभा चुनाव क्षेत्र में आने वाले तिरूपत्तूर, नरमपल्ली, वैनियामपाड़ी जैसे स्थानों को गंभीर जल संकट से गुजरना पड़ रहा है। वहां पेयजल का संकट है और प्रत्येक परिवार कम से कम 20 रुपये प्रतिदिन पानी पर खर्च करता है। एक तरफ सूखे जैसी कठिन स्थिति है। दूसरी तरफ बाढ़ से उत्पन्न परिस्थितियां है। इसी के साथ, नदी का पानी समुद्र में व्यर्थ चला जाता हैं एक के बाद एक आने वाली सरकारों के पेयजल प्रौद्योगिकी मिशन असफल रहे हैं। भूमिगत जल भी समाप्त हो गया है।

अत: मैं संघ सरकार से निवेदन करता हूं कि वह शीघ्रातिशीघ्र एक नया राष्ट्रीय पेयजल मिशन बनाएं और उसे युद्धस्तर पर लागू करें।

[हिन्दी]

(ग्यारह) परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के बदले किसानों को मिले मुआवजे को आयकर से मुक्त किए जाने की आवश्यकता

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी) : अध्यक्ष महोदय, वित्त अधिनयम, 1999 द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 में एक धारा 194 एल० जोड़ी गई है जिसके अनुसार जो परियोजना प्रभावित व्यक्ति, जिनकी जमीन किसी परियोजना हेतु सरकार द्वारा अधिग्रहीत की गई है, को सरकार से मिलने वाले मुआवजे में से 10 प्रतिशत इनकम टैक्स देना होगा। इससे जो थोड़ा बहुत मुआवजा किसान को मिलता हैं वह भी सरकार छीन लेती है। महाराष्ट्र सरकार ने अपने 5 मई, 2000 के पत्र द्वारा सरकार का ध्यान इस विसंगति की ओर खींचा है तथा उनसे मुआवजे को इनकम टैक्स से मुक्त करने की मांग की गई है। एक साल से भी अधिक समय बीत जाने पर भी सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है।

अत: इस सम्माननीय सदन के माध्यम से सरकार से मेरी प्रार्थना है कि परियोजना प्रभावित व्यक्ति को मिलने वाले मुआवजे को इनकम टैक्स से मुक्त किया जाए तथा इस हेतु आयकर अधिनियम की धारा 194एल में संशोधन किया जाए। धन्यवाद।

(बारह) उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद में और अधिक रेल सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्र विजय सिंह (मुरादाबाद) : महोदय, मुरादाबाद निर्यात के माध्यम से प्रतिवर्ष भारत को 2000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा कमाकर लाभ पहुंचाता है, परन्तु जनहित में कोई ऐसी रेल सुविधा उपलब्ध नहीं है जिसके द्वारा मुरादाबाद से दिल्ली व्यापारी सुबह चलकर उसी शाम वापिस लौट आएं। प्रतिदिन इंटर सिटी रेल सेवा की अति आवश्यकता है। निर्यात को बढ़ावा देने हेतु मुम्बई के लिए मुरादाबाद से सीधी रेल सेवा की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त चन्दौसी मण्डी के लिए दिल्ली-बरेली रूट पर चलने वाली किसी रेल को चन्दौसी होकर चलाया जाए तो जनता को लाभ होगा। यह तीन रेल संबंधित ऐसी मांगें हैं जिनके द्वारा रेल विभाग, मुरादाबाद-चन्दौसी क्षेत्र व राष्ट्र को आर्थिक लाभ पहुंचेगा।

अत: सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि जनहित के आधार पर उक्त तीनों मांगों पर अविलम्ब व गंभीरतापूर्वक विचार कर जनता को लाभान्वित किया जाए।

* मूलत: तमिल में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

अपराह्न 2.22 बजे

[अनुवाद]

मणिपुर राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा की गई उद्घोषणा का अनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प – *स्वीकृत*

गृहमंत्री (श्री लालकृष्ण आडवाणी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा मणिपुर राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत 2 जून, 2001 को राष्ट्रपति द्वारा की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

महोदय, जब इस विशेष उपबंध को संविधान का अंग बनाया जा रहा था तब संविधान सभा में भी जोरदार वाद-विवाद हुआ कि क्या संघीय ढांचे में इस प्रकार का मौलिक उपबंध होना चाहिए अथवा नहीं जो केन्द्र सरकार को राज्य विधानसभा को निलंबित करने तथा राज्य की शक्तियों के अधिग्रहण का अधिकार देता है। वाद-विवाद का उत्तर देते हुए डा० भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, "इस समस्या के सभी पहलुओं, विशेषकर हम अभी-अभी स्वतंत्र हुए है, यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि देश की एकता और अखंडता के लिए कदापि खतरा नहीं हो, तथा हमारे द्वारा अपनाया गया संविधान सभी के द्वारा सम्मानित हो तथा सभी राज्य संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य करें, इसके लिए शायद इस प्रकार का उपबंध आवश्यक है। परंतु मैं आशा करता हूं कि इसका बहुत कम उपयोग किया जाएगा।" उन्होंने इस वाक्यांश का उपयोग किया, "मैं आशा करता हूं कि यह उपबंध अप्रचलित नियम की तरह रहेगा।"

ठीक है, वैसा नहीं हुआ है। इस उपबंध का उपयोग बार-बार हुआ है जिसके परिणामस्वरूप कुछ राजनीतिक दलों का प्राय: यह दृष्टिकोण रहा है कि इसे निरस्त कर दिया जाए। यद्यपि मैंने ऐसे राजनीतिक दलों को भी देखा है जिन्होंने इस अनुच्छेद के निरसन की जोरदार और सशक्त वकालत की है, अनेक अवसरों पर वे ऐसी

[श्री लालकृष्ण आडवाणी]

स्थिति का सामना करते हैं जिसमें वे उत्सुक हो जाते हैं कि इस उपबंध का अवलंब लिया जाए। यह बार-बार हुआ है। मेरा दल और मैं यह बात जानता हूं कि इस देश का मुख्य विपक्षी दल, जो केन्द्र में लंबे समय तक सतारूढ़ रहा है, का वास्तविक अनुभव तथा अपने मूल्यांकन के आधार पर यह विचार है कि यह संविधान का एक अनिवार्य उपबंध है। परंतु हम सब इस बात पर सहमत हुए हैं कि इसका बहुत कम उपयोग किया जाए। हमारी सरकार का दृष्टिकोण भी वैसा ही है।

महोदय, यह तीसरी बार है कि जब सरकार इस प्रकार का प्रस्ताव इस सभा में लायी है। पहली बार हम इसे गोवा के मामले में लाये तथा हम लोगों ने इसे एकमत से स्वीकार किया। दूसरी बार जब हम लोग बिहार के मामले में इसे लाये तो सभा में मतविभाजन हुआ। अब, यह तीसरी बार है कि मैं इस प्रस्ताव को प्रस्तुत कर रहा हूं तथा आशा करता हूं कि इस बार यह एकमत से स्वीकार किया जाएगा।

1983 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने सोचा कि केन्द्र-राज्य संबंधों के सभी पहलुओं की जांच करना आवश्यक है। उन्होंने एक आयोग का गठन किया जिसे आज सरकारिया आयोग के नाम से जाना जाता है। सरकारिया आयोग ने संविधान के सभी आपात उपबंधों के साथ इस विशेष उपबंध पर पर्याप्त विस्तार से विचार किया। उन्होंने यह *अभिनिर्धारित किया है :*

''कि अनुच्छेद 356 का उपयोग गंभीर मामलों में आखिरी उपाय के रूप में बहुत कम प्रयोग किया जाना चाहिए जब कि राज्य में सांविधानिक तंत्र की विफलता को रोकने अथवा सुधारने में सभी उपलब्ध विकल्प असफल हो गए हो।''

और तत्पश्चात् यह सांविधानिक तंत्र की विफलता को व्याख्यायित करता है। मैं पुन: उद्धृत करता हूं :

''सांविधानिक तंत्र की विफलता कई प्रकार से हो सकती है। ऐसी स्थिति के लिए उत्तरदायी कारक विविध और अतिसूक्ष्म है। इसलिए उन परिस्थितियों की सम्पूर्ण सूची देना कठिन है जो इस वाक्यांश की व्यापकता को पूरा करता हो कि 'संविधान के उपबंधों के अनुसार राज्य सरकार नहीं चलायी जा सकती है।' फिर भी इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए क्या सांविधानिक विफलता है और क्या नहीं के कुछ दृष्टांतों को निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है और उसपर विचार किया जा सकता है ''

आयोग ने विस्तार पूर्वक बताया है किसे सांविधानिक विफलता माना जाए और किसे नहीं तथा यह बताया है कि इस अनुच्छेद का प्रयोग कहां अनुचित होगा।

अब, पहली बात इसने राजनीतिक संकट के बारे में कही है तथा सरकारिया आयोग ने निम्नलिखित शब्दों में राजनीतिक संकट को परिभाषित किया है :

''सांविधानिक विफलता राजनीतिक संकट अथवा गतिरोध का परिणाम हो सकती है। यह स्थिति तब पैदा होती है जब कि मंत्रिमंडल विधानसभा में बहुमत का समर्थन खोने पर त्याग-पत्र देता है अथवा उसे बर्खास्त कर दिया जाता है तथा विधानसभा में विश्वास प्राप्त किसी वैकल्पिक सरकार का गठन नहीं हो पाता है।''

महोदय, मैं इस सभा को यह बताना चाहता हूं कि मणिपुर का मामला पूर्णत: इस परिभाषा के अंतर्गत आता है। वस्तुत: वहां परिभाषानुसार राष्ट्रपति शासन को न्यायसंगत ठहराने का यह बिल्कुल सही मामला है।

अब, यदि मुझे मणिपुर की घटनाओं के क्रम को संक्षेप में पुन: कहना हो तो जहां तक इस मामले का सारोकार है, मैं कहूंगा कि मणिपुर की वर्तमान विधानसभा का गठन 1 मार्च 2000 को किया गया था। उसके बाद कई सरकारें आई तथा निरंतर अस्थिरता बनी रही है। दल के प्रति निष्ठा अत्यधिक नाजुक प्रतीत होती है। दल-बदल हुआ तथा दलों में निरंतर विभाजन हुआ। पिछली सरकार ने 15 फरवरी 2001 को कार्यभार ग्रहण किया। यह उल्लेखनीय है कि इस सरकार को 60 सदस्यीय सभा में 59 सदस्यों का समर्थन प्राप्त था। *(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : आपके दल के सदस्यों की संख्या तीन थी *(व्यवधान)* आपके दल के जो 59 सदस्य हुए, शुरू में उनकी संख्या तीन थी। *(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यह मेरे दल की सरकार नहीं थी। मैं इस अवसर का उपयोग एक ऐसी टिप्पणी करने के लिए बिल्कुल ही नहीं कर रहा हूं।

दूसरे सदन में मैंने एक मात्र उस कांग्रेसी के प्रति आदर व्यक्त किया है जिसने विपक्ष में रहना पसंद किया। जब वह मुझसे मिले तब मैंने व्यक्तिगत रूप से भी उनकी प्रशंसा की। उस पक्ष में केवल वही एक सदस्य थे। यद्यपि वह अकेले थे, मैंने कहा कि मैं उनका सम्मान करता हूं। वह मुझसे भी मिले। वह मेरे पास आकर यह कहने वाले पहले व्यक्ति थे कि मणिपुर की स्थिति की प्रकृति ऐसी है कि वहां संख्या मायने नहीं रखती, विधानसभा सदस्यों (एम०एल०ए०) के इस समूह तथा इस विधानसभा से बनने वाली कोई भी सरकार इस स्थिति का समाधान करने में सक्षम नहीं होगी। मेरे पास आने वाले वह पहले व्यक्ति थे। मैंने उनके दृष्टिकोण का समर्थन किया है तथा मैंने इसका खंडन नहीं किया।

आज मैं केवल यह बता रहा हूं कि इस सरकार के समर्थन में 59 विधायक थे; इसने एक मंत्रिपरिषद् बनाई जिसमें 34 मंत्री शामिल थे इसका अर्थ है कि 60 सदस्यों की सभा में 34 मंत्री थे। फिर भी, इस सरकार ने अचानक समर्थन खो दिया। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से सभा में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कहा। उन्होंने विश्वास प्रस्ताव की सूचना दी। 21 मई, 2001 को मुख्यमंत्री ने विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो अस्वीकृत हुआ। 17 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव

के पक्ष में और 39 विधायकों ने विपक्ष में मतदान किया। उसी दिन शाम को वह राज्यपाल के पास गए और अपना त्यागपत्र दे दिया। राज्यपाल में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक उन्हें मुख्यमंत्री बने रहने के लिए कहा। 21 मई से लेकर 31 मई तक अर्थात् दस दिनों तक राज्यपाल ने कठोर प्रयास किया कि सरकार का गठन हो जाए।

सभी माननीय सदस्यगणों को परिचालित अपनी रिपोर्ट के पैरा 9 में उन्होंने बताया है :

"कि मैंने 21 मई से लेकर इन सभी दिनों तक धैर्यपूर्वक इंतजार किया है।"

इससे पहले उन्होंने उनसे मिलने वाले सभी विधायकों और दल के नेताओं के नाम का उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने उन लोगों के इस कथन का उल्लेख किया है कि वे सरकार के गठन की स्थिति में नहीं है तथा उन्हें बताया कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। तत्पश्चात् वह लिखते है :

"21 मई से लेकर इन सभी दिनों तक मैंने धैर्यपूर्वक इंतजार किया है तथा विश्वसनीय विकल्प के साथ आने के लिए सभी रानजीतिक समूहों को पर्याप्त समय दिया है।

फिर भी, स्थिर मंत्रिमंडल के गठन की संभावनाओं का पता लगाने के मेरे सभी प्रयासों के बावजूद अभी तक कोई भी समूह अथवा दल स्थिर मंत्रिमंडल के गठन के विश्वसनीय दावा के साथ आगे नहीं आया है। लोकतंत्र की संसदीय प्रणाली की गरिमा, प्रमाणिकता और प्रभावोत्पादकता में अटूट आस्था होने के कारण इस निष्कर्ष पर पहुंचने में मुझे दु:ख है कि राज्य में सांविधिनिक तंत्र विफल हो गया है। सभी बड़ी राजनीतिक दलों की लगभग सर्वसम्मत मांग के मद्देनजर मैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने के लिए बाध्य हूं।

यद्यपि विधानसभा को भंग करने तथा नए चुनावों का आदेश देने की पुख्ता स्थिति है विशेषकर इस तथ्य के मद्देनजर कि 15 महीने की छोटी अवधि के भीतर कई सदस्यों ने एक से अधिक बार पक्ष बदले है, कुछ मामलों में 4-5 बार, फिर भी मैं ऐसी सिफारिश इन दो कारणों से नहीं कर रहा हूं।"

उन्होंने अपने कारण दिए हैं, उनमें से एक कारण यह है कि चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं आदि। जहां तक हमारी सरकार का संबंध है, जब इसे राष्ट्रपति शासन लागू करने की यह सिफारिश मिली तो, हमने बोम्मई वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गये अधिनिर्णय में की गई टिप्पणी का ध्यान रखा। उच्चतम न्यायालय ने यह कहा था :

"कि यद्यपि विधानसभा के विघटन की शक्ति अनुच्छेद 356 के खंड 1 में अंतर्निहित होना बताया जा सकता है, यह अभि-निर्धारित किया जाए, कि सम्पूर्ण सांविधानिक योजना का ख्याल रखते हुए, कि खंड 3 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों द्वारा उद्घोषणा के अनुमोदन के बाद ही, उसके पहले नहीं, राष्ट्रपति इसका व्यवहार करेगा ...।"

"ऐसा अनुमोदन प्राप्त होने तक राष्ट्रपति खंड 1 के उप-खंड (ग) के अंतर्गत विधानसभा के संबंध में संविधान के उपबंधों को स्थगित कर विधानसभा को केवल निलंबित कर सकता है। विधानसभा को बार-बार विघटित, न किया जाए बल्कि इसका उपयोग, केवल तभी किया जाना चाहिए जब उद्घोषणा के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए यह आवश्यक हो।"

इसलिए, सरकार ने निर्णय लिया कि इस समय यह अनुच्छेद 356 के अवलंबन की तथा राज्य को राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत लाने परंतु विधानसभा विघटित नहीं करने की राज्यपाल की सिफारिश को स्वीकार किया जाए। विघटन के संबंध में निर्णय बोम्मई निर्णय के अनुप्रयोग के बाद तथा उद्घोषणा का दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन के बाद ही, लिया जा सकता है।

दूसरे सदन में, जब इस मामले पर चर्चा हो रही थी, सदस्यगण ने जोर दिया कि विधानसभा विघटित कर दी जाए। मैंने कहा कि सरकार सभा की इच्छाओं का सम्मान करेगी।

श्री के० येरननायडू (श्रीकाकुलम) : दूसरी सभा में क्या सभी सदस्यों ने विधान सभा भंग करने के लिए एकमत से सहमति व्यक्त की ?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : किसी ने यह नहीं कहा कि यही स्थिति बनी रहनी चाहिए। हालांकि, जिन्होंने प्रस्ताव से असहमति व्यक्त की थी उनके वक्ताओं ने भी कहा है कि सभा भंग होनी चाहिए और चुनाव कराए जाने चाहिए। इस पर सभी का एकमत था।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर पश्चिम) : किन्तु यह राज्यपाल की संस्तुति से भिन्न है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : राज्यपाल ने कोई संस्तुति नहीं है उन्होंने केवल यही कहा है कि चुनाव तुरंत नहीं कराए जाने चाहिए।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : उन्होंने विधानसभा को स्थगन अवस्था में रखने की संस्तुति की है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद सभी की यही राय बन गई है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : इसे कब तक स्थगन अवस्था में रखा जाएगा ?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : इसे छ: महीनों से अधिक स्थगित अवस्था में नहीं रखा जा सकता। इसकी इतनी ही सीमा है किन्तु जहां तक हमारा संबंध हैं, हमारा विचार है कि यह कार्य यथाशीघ्र किया जाना चाहिए। मैं आपकी इस भावना से सहमत हूं कि वहां की जनता और वहां के विधायक, जो अपने निर्वाचन क्षेत्रों में नहीं जा सकते हैं, चाहते हैं कि यह कार्य तुरंत न किया जाए। वहां की खराब स्थिति से निपटने के लिए वे समय मांग रहे हैं। मैंनें सभा, को यह आश्वासन दिया है कि नई सरकार के गठन का प्रयास नहीं किया जाएगा। कुछ सदस्यों के मन में यही आशंका है। मैंने उन्हें

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

आश्वासन दिया है कि सरकार के गठन का प्रयास नहीं किया जाएगा और सभा भंग कर दी जाएगी। मैं सभा से आशा करता हूं कि इस मामले में मुझे कुछ छुट दी जाए ताकि वहां की स्थति से उचित प्रकार से निपटा जा सके। *(व्यवधान)*

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा) : यदि भाजपा, समता पार्टी का *(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : चूंकि यह मामला दूसरी सभा में उठाया गया था इसलिए मुझे यह कहने का अवसर मिला कि वहां ऐसी स्थिति है जिसमें मेरे दल के लोग भी सरकार बनाने में सक्षम हैं किन्तु मैं इसका समर्थन नहीं करूंगा। निश्चित रूप से मैं उन पर अपनी राय नहीं थोप सकता किन्तु मैंने अपने दल के अध्यक्ष को यही सलाह दी कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए उन्होंने, उन्हें सलाह दी, जो उन्होंने स्वीकार कर ली। *(व्यवधान)* मैं या तो सरकार की ओर से और या फिर कुछ सीमा तक अपने दल की ओर से बोल रहा हूं *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह उत्तर नहीं बल्कि केवल प्रारम्भिक टिप्पणियां हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं कुछ और नहीं कहना चाहता।

श्री बसुदेव आचार्य : अब स्थिति कैसी है ?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अपने उत्तर के दौरान मैं आपको बता दूंगा। वैसे सभी पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्य मंत्रियों से प्रधान मंत्री जी की बैठक के बाद पिछले दो-तीन दिनों में वहां स्थिति धीरे-धीरे सामान्य होती जा रही है यद्यपि हमें यह सुनिश्चित करना है कि जनता का प्रत्येक वर्ग वहां की स्थिति से संतुष्ट हो।

हमें यह भी देखना होगा कि किसी के भी साथ कोइं अन्याय न हो ताकि नागालैण्ड में एन०एस०सी०एन० (आई०एन०ए०) अथवा एन०एस०सी०एल० (के) के संदर्भ में शुरू की गई शांति प्रक्रिया जारी रहे।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा मणिपुर राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत 2 जून, 2001 को राष्ट्रपति द्वारा की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

श्री संतोष मोहन देव : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री ने राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए सभा की सहमति प्राप्त करते समय, संविधान निर्माता स्वर्गीय डा० अम्बेडकर के भाषण का, जो उन्होंने संविधान सभा में दिया था, हवाला दिया। उन्होंने सरकारिया आयोग का भी जिक्र किया। पूर्वोत्तर क्षेत्र का होने के नाते मेरे लिए यह दुख: का दिन है, फिर भी मुझे खुशी है कि कम से कम आपको और आपका दल को, जिसने देश के विभिन्न राज्यों में आवश्यकतानुसार उचित कारणों के आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू करने की 45 वर्षों तक हमारी आलोचना की है, आज यह विश्वास हो गया है कि कभी-कभी कुछ विशेष परिस्थितियों में इसे लागू करने की आवश्यकता पड़ती है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि मणिपुर का मामला इस दृष्टि से सर्वथा उपयुक्त है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री और माननीय राज्यपाल ने राजनैतिक दलों की तुलना में मणिपुर की वर्तमान स्थिति की बड़े ही रोचकढ़ंग से टाल दिया है। मैं यह मानता हूं कि यह माननीय गृह मंत्री के लिए असुविधाजनक है। कल भी हमने टी०वी० पर देखा था कि वे भाजपा में दूसरे स्थान पर हैं। श्री वाजपेयी को माला पहनाते हुए दिखाया गया। उसके बाद कुछ अन्तर रहा और फिर कुछ देर बाद वे आए और उन्हें भी माला पहनाई गई। आपने अभी-अभी कहा कि आप अपने दल के बारे में नहीं जानते।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैंनें यह नहीं कहा।

श्री संतोष मोहन देव : आपने क्या कहा ?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैंनें कहा था कि मैं अपनी ओर से और कुछ सीमा तक अपने दल की ओर से बोल रहा हूं।

श्री संतोष मोहन देव : मैं आपको दिखावटी बधाई देना चाहता था। क्योंकि आप दिल्ली में बैठे हैं। आपने कहा कि किसी भी हालत में आप वहां किसी सरकार की अनुमति नहीं देंगे। आपने वहां भाजपा को भी सरकार बनाने की अनुमति नहीं दी। क्या आप इसका खण्डन करते हैं ? आपने नहीं कहा था, मैं इसकी प्रशंसा करता हूं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैंने कहा कि एक समय भाजपा सरकार बनाने की स्थिति में थी, किन्तु मैंनें उनको ऐसा न करने की सलाह दी लेकिन मैंनें यह नहीं कहा कि मैं भाजपा का प्रतिनिधित्व नहीं करता।

श्री संतोष मोहन देव : मेरा मुद्दा यह है कि गृह मंत्री होने के नाते आपने ऐसा क्यों नहीं किया जबकि श्री राधाकृष्णन कोईजाम वहां आए थे ? उन्होंने समता पार्टी का प्रतिनिधित्व किया और यहां कई दलों के कई विधायकों को लेकर आए। आपने ऐसा क्यों नहीं किया ?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : क्योंकि एक गृह मंत्री के रूप में मैं श्री कोईजाम को रोक नहीं कर सकता था।

श्री संतोष मोहन देव : आप उन्हें रोक सकते हैं। वे एन०डी०ए० के भागीदार हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, यह स्पष्ट होना चाहिए कि जहां तक मेरे दल का संबंध है, यदि मेरे दल का कोई सदस्य कहता है कि वह इस तरह सरकार का गठन करना चाहता है तो निश्चय ही मैं अपने दल के अध्यक्ष से कह सकता हूं कि मैं इसकी सलाह नहीं दूंगा, किन्तु एक गृह मंत्री के रूप में दूसरे दलों के ऐसे

सदस्यों को मैं रोक नहीं सकता जो कहते हैं कि उनके पास बहुमत है। मैं उन्हें कैसे रोक सकता हूं ? मैं ऐसा नहीं कर सकता।

[हिन्दी]

श्री मुलाय सिंह यादव (सम्भल) : जब आपका रिप्लाई हो तब आप जवाब दें। अभी इन्हें बोलने दीजिए।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : गृह मंत्री महोदय, मैं कह रहा हूं कि गृह मंत्री के रूप में आप अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन तीन माह पहले कर सकते थे। न तो विधानसभा ही जली होती और न ही मुख्य मंत्री का घर जला होता। आप कहते हैं कि राज्यपाल ने रिपोर्ट दी है। आप ही बताइए कि क्या स्वतंत्र भारत में राज्यपाल अपने घर से सेना के हेलीकॉप्टर में बैठकर सेना कैम्प में गया है ? किन्तु वे पूरे मणिपुर को छोड़कर चले गए। राज्यपाल के शासन का अर्थ है केन्द्रीय शासन। वहां आपका क्या शासन हैं ? 55 हजार पुरुष और स्त्रियां सड़कों पर निकल आए और यह मांग करने लगे कि इस सरकार पर रोक लगाई जाए। आपको और क्या चाहिए ? आपने श्री रिशन किशिंग की प्रशंसा करी। वे नागा आदिवासी हैं।

किन्तु उन्होंने यह साबित कर दिया है कि अनुशासन बनाए रखना होगा। मैं यही संकेत दे रहा हूं कि हालांकि आपने कई अच्छी बातें कहीं आपको उन दलों की आलोचना में भी कुछ कहना चाहिए जो मणिपुर की स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं।

जब यह नाटक चल रह था तो अचानक संघर्ष विराम का निर्णय लिया गया। इससे मणिपुर में स्थिति और भी विस्फोटक हो गई। वहां संघर्ष विराम हुआ ही नहीं बल्कि संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस सम्मानीय सभा को पता होना चाहिए कि इन सभी आंदोलनों के बावजूद वहां किसी प्रकार की जातीय समस्या उत्पन्न नहीं हुई। इसका श्रेय ए०एम०एस०यू० और ए०एम०सी०यू० जैसे छात्र संगठनों को जाता है। कांग्रेस, सी०पी०आई०(एम०) और सभी ने यह श्रेय उन्हें दिया क्योंकि वे सरकार के विरुद्ध लड़े न कि आपस में।

मणिपुर में तेरह जिले हैं। वहां कई जाति'समूह हैं जैसे मणिपुरी, नागा, कूकी और मणिपुरी मुस्लिम लेकिन फिर भी वहां कोई समस्या नहीं थी, भले ही कोई किसी के विरुद्ध क्यों न हो। उन्होंने सामन्जस्य बनाए रखा। मुझे नहीं पता कि क्या आसूचना विभाग ने गृह मंत्री को समाचार पत्रों में प्रकाशित उस चित्र को दिखाया, जिसमें गोलीबारी के दौरान प्रत्येक को कमर से ऊपर गोली से घायल दिखाया गया था। मैं करीब ढाई साल तक गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री रहा हूं। उस समय केन्द्रीय रिवर्ज पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल को हमेशा यह निर्देश दिया जाता था कि उनका पहला कर्तव्य है लोगों को चेतावनी देना और फिर आंसू गैस छोड़ना और उसके बाद कमर से नीचे गोली चलाएं। किन्तु इस मामले में लोगों को मारने के लिए गोलीबारी की गई। सरकार को निष्पक्षता से निर्णय लेना होगा। राज्य में बड़ी समस्या पैदा हो गई है। इससे न केवल मणिपुर में ही समस्या उत्पन्न हुई है बल्कि यह समस्या पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में फैल गई है।

परसों, पूर्वोत्तर के हम सभी सांसद माननीय गृह मंत्री से मिले और हमने उनके द्वारा उठाए गए कदमों के लिए उन्हें बधाई दी। किन्तु क्या आपने आज और कल का समाचार पत्र पढ़ा ? नागालैंड के गुट कह रहे हैं कि प्रधान मंत्री या गृह मंत्री जो भी कह रहे हैं वह उन्हें स्वीकार नहीं है। इस संबंध में कोई गुप्त एजेंडा है।

इसलिए गृह मंत्री जी को आज इस सभा में यह बताना चाहिए कि इस मामले में कोई गुप्त एजेंडा नहीं है छठी अनुसूची में नागालैंड के कतिपय क्षेत्रों को स्वायत्तता दी जाए। आपको मालूम होना चाहिए कि नागालैंड, असम और अरुणाचल प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री हैं।

उन सभी ने यहां आकर आपको सहयोग दिया था। यहां तक कि त्रिपुरा की कम्युनिष्ट (मा०) पार्टी के मुख्य मंत्री ने भी यहां आकर आपको सहयोग दिया। हम आपसे जानना चाहते हैं कि वहां आज यह स्थिति किसने पैदा की है। मैं इसके लिए राजग के सहयोगियों और उन अन्य लोगों को पूरी तरह दोषी ठहराता हूं जिन्होंने दल-बदल को बढ़ावा दिया है। यह अच्छी बात है कि मेरे एक अच्छे मित्र श्री चाओबा सिंह आज केंद्र में मंत्री पद संभाले हुए हैं।

मैं 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने विभिन्न दलों की ताजा स्थिति इस प्रकार बताई हुई थी – राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-2, कांग्रेस (इं)–1 (मैं सिंधिया जी का समर्थन करता हूं क्योंकि उन्हें कम से कम एक सीट तो मिली), एस०एफ०पी०एम०-2, भाजपा-26 और समता पार्टी-13। आरंभ में स्थिति इसके ठीक विपरीत थी। मणिपुर में इस तरह की व्यवस्था चल रही है जैसाकि आंकड़े दर्शाते हैं कि 29 वर्षों में 25 मुख्य मंत्री बन चुके हैं। क्या आप आंध्र प्रदेश में ऐसी स्थिति की कल्पना कर सकते हैं ? ऐसा और कहीं नहीं हो सकता। इसलिए, इसमें न तो मेरा दोष है और न ही आपका, दोष है उन लोगों का, जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं।

बोम्मई मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उदाहरण देते हुये आपने हमें बताया था कि आप विघटन पर विचार करेंगे लेकिन उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार आप ऐसा नहीं कर सकते।

मैं इस बात से सहमत हूं। मैं इस बात से इंकार नहीं करता लेकिन जब आप कहते हैं कि आपको लगभग छः महीने का समय चाहिए तो आपकी इस बात से मैं कतई सहमत नहीं हूं। अभी-अभी आपने कहा 'अधिक से अधिक छह महीना।' हम चाहते हैं कि आप एक निश्चित समय बतायें क्योंकि हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि इससे ज्यादा बदतर नहीं हो सकते। हम चाहते हैं कि जनता के प्रतिनिधि वहां जायें। आप जानते हैं कि 60 विधायकों में से 48 विधायकों ने कम से कम पांच बार दल-बदल किया है। यह एक ट्रेक रिकार्ड है। कल मैंने उनमें से एक विधायक से कहा कि 'आप हर बार अलग-अलग पार्टी से आते हैं। लोग आपको चुनते क्यों हैं ? आप भी समस्या पैदा कर रहे हें।'' मणिपुर में वे हमें पसंद करते हैं। वे चाहते हैं कि जब वहां अन्याय हों, हम उसका विरोध करें। अध्यक्ष भी इसमें शामिल हैं।

[श्री संतोष मोहन देव]

समय चाहे कितना भी लगे, चाहे छः महीने लगें या तीन महीने, माननीय गृह मंत्री जी को मणिपुर के लिए विशेष पैकेज तैयार करना चाहिए। पिछले 16-17 महीनों से वहां की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। आपके राज्यपाल ने रिपोर्ट दी। आपने रिपोर्ट दी। आपने उसमें, यह नहीं बताया कि नीपामाचा सिंह मंत्रिमंडल के एक मंत्री ने 8 करोड़ रुपये निकाले और 6 करोड़ रुपये अपराध जगत (अंडरवर्ल्ड) को दे दिए। वह भी एक कारण था। हमें यह इसलिए पता है क्योंकि हम पूर्वोत्तर क्षेत्र के हैं। चाओबा सिंह जी यहां उपस्थित हैं, उन्हें यह मालूम है। यहां तक कि उन्होंने लोगों के पास जाकर यह कहा कि यह बहुत गलत हुआ है। यह सरकार का पैसा है। आपके मुख्य सचिव क्या कर रहे हैं ? जब थानों पर आक्रमण किया गया और वहां से ए०एस०एल०आर० तथा ए०के०-47 बंदूकें ले जाई जा रहीं थीं, उस समय भाजपा ने क्या रूख अपनाया ? मणिपुर की स्थिति यह है। एक गुट थाने में से सभी हथियार लेकर जा रहा था। वे गलती से वहां कुछ छोड़ गये। ओ०सी० ने उसे बुलाया और कहा, "आपने एक बंदूक छोड़ दी है, कृपया इस तरह दुबारा मत आना। सुरक्षा के लिए यह बंदूक भी ले जाओ।" यह 100 करोड़ की आबादी वाला देश है। हमारी सरकार निर्वाचित सरकार है। हमने जाकर जनता को संबोधित किया है। आप दूसरे सरदार पटेल के नाम से जाने जाते हैं। *(व्यवधान)*

मेरा मुद्दा यह है कि आपको यह संदेश देना होगा कि राष्ट्रपति शासन के तहत आप सामान्य स्थिति बहाल कर सकते हैं जहां सभी जातियों तथा धर्मों के लोग सौहार्दपूर्ण ढंग से रह सकें और कोई लड़ाई-झगड़ा न हो। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी लोग रहते हैं। वे सभी वहां से निकल गये हैं। महिलायें तो तीन महीने पहले ही आ गई थीं। लोगों का कहना है कि स्थिति बहुत खराब है। लेकिन आपको वहां स्थिति सामान्य करनी होगी। इस प्रयोजनार्थ मेरी पार्टी और यहां तक कि सभी दूसरी पार्टियां आपको सहायता देंगी। हम आपकी सहायता के लिए हाज़िर हैं। हम वहां शांति वापस लाना चाहते हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि आप कौन-कौन से पैकेंज दे रहे हैं। आप यह काम कर सकते हैं क्योंकि आप पूर्वोत्तर परिषद् के प्रभारी भी हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 10 प्रतिशत अधिक राशि नियत की गई है। अब देखना यह है कि यह राशि केंद्र से प्राप्त होकर वहां तक पहुंचती है या नहीं।

मैं कुछ और भी कहना चाहता हूं। लेकिन मैं इसका उल्लेख नहीं करना चाहता क्योंकि ऐसा करना नैतिकता नहीं है। हमें सभा में अनुपस्थित किसी व्यक्ति के खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहिए। लेकिन आम तौर पर, जब आप राज्यपाल के सलाहकार की नियुक्ति करते हैं तो आप उस क्षेत्र में उनके अनुभव को देखते हैं और इस बात पर ध्यान देते हैं कि क्या उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्य किया है, उनका 'ट्रेक रिकार्ड' कैसा है और अच्छी स्थिति बनाये रखने के लिए वह किस प्रकार लोगों को आश्वस्त कर सकते हैं। आपको इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये सलाहकारों की नियुक्ति की पुनरीक्षा करनी चाहिए।

मैंने वह रिपोर्ट देखी है जिसमें यह कहा गया है कि राज्यपाल को बदला जा रहा है। मैं उनके पक्ष में कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन राज्यपाल का फौरन तबादला करने से गलत संदेश जाएगा। मैं उन्हें जानता हूं। उन्होंने अपनी ओर से भरसक प्रयास किया हैं। जब मैं केन्द्र में प्रभारी राज्य मंत्री था तब उन्होंने मेरे साथ काम किया था। मैं जानता हूं कि वह खराब अधिकारी नहीं हैं। यदि उन्हें तत्काल बदला जाता है तो उससे गलत संदेश जाएगा और उन्हें पूरी तरह बदला ही जाता है और यदि आप उन्हें बदलना ही चाहते हैं तो उनके स्थान बेहतर व्यक्ति आना चाहिए। उनका तबादला केवल उन राज नेताओं की खातिर नहीं किया जा सकता जो वहां जाकर भाजपा की सरकार बनाना चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए।

अब मैं वित्तीय अनियमितताओं की बात पर आता हूं। गृह मंत्री महोदय, मैं आपसे साग्रह निवेदन करता हूं कि आप मंत्रालय से एक अधिकारी दल वहां भेंजें और देखें कि भारत सरकार द्वारा दी गई धनराशि का किस प्रकार अपव्यय हो रहा है। जो उत्पाद 20 रुपये में मिलता है, वह 150 रुपये में खरीदा जा रहा है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। लोग कष्ट उठा रहे हैं। लेकिन पैसा बर्बाद किया जा रहा है। यदि आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको पुलिस व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। आपको इस बात पर विचार करना होगा और यह देखना होगा कि इस संबंध में क्या किया जा सकता है।

मणिपुर में आज जो स्थिति बनी हुई है, वह कोई एक दिन में नहीं बनी है। हम भी वहीं पर थे। हम जानते हैं कि आज तक वहां जितनी भी सरकारें बनी हैं, उनमें से सबसे अच्छी सरकार श्री रिशांग कीशिंग की थी। श्री दोरेन्द सिंह भी कुछ समय के लिए मुख्य मंत्री बने। श्री राधाबिनोद कांग्रेस सरकार में मंत्री भी थे। सारे निकम्मे, बेकार लोग वहां इकट्ठे हो गये और उन्होंने मणिपुर में यह स्थिति उत्पन्न कर दी जो वहां सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए ठीक नहीं है। हमें लोगों के बीच जाने की आवश्यकता है। सभी राजनैतिक दलों को उनके बीच जाकर ऐसे लोगों की निंदा करनी चाहिए। हमारे दौरे के दौरान छात्रों ने कहा कि मणिपुर, जो बर्मा के बिल्कुल निकट है, जैसे संवेदनशील राज्य में ऐसे लोगों को कार्य करने की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। सीमावर्ती क्षेत्र शस्त्रों और तस्करों का बाजार है। यह बात सभी जानते हैं। अतः मैं आपसे अपील करता हूं कि राष्ट्रपति शासन पर हमारी सहमति देना ही काफी नहीं है। इसके लिए और भी बहुत कुछ जरूरी है।

मुझे नहीं मालूम कि आप कौन सी प्रणाली अपनाते हैं। सामान्यतः जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन होता है और जब विधानसभा को निलंबित रखा जाता है तो एक परामर्शदात्री समिति नियुक्त की जाती है। इसमें राज्यपाल बार-बार बैठक करते हैं और सलाह लेते हैं। ऐसा किया जाना चाहिए। कुछ दलों का इनमें प्रतिनिधित्व होना चाहिए। मणिपुर के संसद सदस्यों को भी इस परामर्शदात्री समिति में शामिल किया जाना चाहिए ताकि पूरा मामला नौकरशाहों अथवा राज्यपाल पर न छोड़ दिया जाये। पंजाब में इससे हमें कई फायदे हुये हैं। श्री पी०वी० नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान हमने

वहां एक समिति बनाई थी और जब कभी वहां शिकायतें मिलती थीं तो उन्हें दूर किया जाता था। उससे माहौल अच्छा बन गया था।

आपको और आपकी सरकार को पूरा सम्मान देते हुये मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक आप सत्ता में हैं और राजग में हैं तो कृपया आप अपने घटक दलों को वहां जाने और अस्थिरता पैदा करने के लिए सरकारी तंत्र का उपयोग करने की अनुमति न दें। मणिपुर में आज जो कुछ हुआ है, वह सब हमारे एक अच्छे मित्र, श्री जार्ज फर्नान्डीज की अत्यधिक महत्वाकांक्षा का परिणाम है। मंत्रालय से बाहर निकाले जाने के बाद वह चाहते थे कि मंत्रालय उनके कब्जे में रहे, जिसे वह नहीं कर सके। इस कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई। मैं मानता हूं कि आपने मंत्रालय में क्या कहा है लेकिन उसे सुना नहीं गया। आपकी बात सुनी जानी चाहिए थी। हम सब भारतवासी भाई-भाई हैं। हम पूर्वोत्तर राज्यों को सात बहनें कहते हैं। इन सभी सात राज्यों को सरकार और सभी राजनैतिक दलों से सहयोग मिलना चाहिए और हमें यह देखना चाहिए कि पूर्वोत्तर राज्यों में सौहार्दता बनी रहे। किसी भी व्यक्ति को अपने स्वार्थ के लिए मौके का फायदा नहीं उठाना चाहिए। मणिपुर में कई लोग मारे गये हैं। हमारे लड़के, लड़कियां, मां-बहनें सड़कों पर आ गई हैं। हमें उनकी भावनाओं को समझना चाहिए।

अपराह्न 3.00 बजे

हमें ज्ञापन मिला था जिसमें कहा गया था कि हमें चेतावनी दी जा रही है। वहां स्थिति शांत हो जाये। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। जब असम में भावात्मक लहर उठ रही थी तो हमने देखा कि किसी व्यक्ति ने गोलियों की परवाह नहीं की, किसी ने मतदान के बारे में नहीं सोचा। इस प्रकार, ऐसी स्थिति में लोग अपनी मातृभूमि के बारे में सोचते हैं। अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनमें से किसी भी लड़के ने किसी पुलिस अधिकारी अथवा किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई शस्त्र नहीं उठाया। यह सही है कि हम विधान सभा को जलाने मुख्य मंत्री के घर को जलाने, कुछ अन्य अधिकारियों के घर अथवा मंत्री के घर को जलाने, मेरे सहयोगी श्री टी०एच० चाओबा सिंह के घर पर हमला करने को सही नहीं समझते। हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब हम चाहते हैं कि सामान्य स्थिति बहाल की जाये। आर्थिक विकस किया जाना चाहिए। हमें उन भ्रष्ट अधिकारियों को वहां से हटा देना चाहिए और सुशासन प्रदान करना चाहिए क्योंकि मंत्री महोदय यह आपके नियंत्रण में होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं आपकी बातों पर पूरी तरह विश्वास न करते हुये आपको धन्यवाद देता हूं। हम आपके इस आश्वासन पर विश्वास करते हैं कि राष्ट्रपति शासन छ: महीने तक के लिए ही होगा। अगस्त के बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र में वातावरण हमेशा अच्छा रहता है। किसी भी शुभ कार्य के लिए सितंबर, अक्तूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने अच्छे होते हैं। हम यह आशा करें कि वहां चुनाव और विधानसभा का विघटन न हो। हम यह भी आशा करते हैं कि वहां शांति बहाल होगी।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर) : महोदय, मैं मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने का समर्थन करता हूं। यह वास्तव में विकल्प न होने का एक विशिष्ट मामला है। माननीय मंत्री आडवाणी जी उस स्थिति के बारे में विस्तार से बता चुके हैं जिसके कारण वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। लेकिन मुझे पता है कि वहां किसी वैकल्पिक सरकार के गठन के लिए राजनैतिक स्थिति अनुकूल नहीं थी साथ ही राज्य में अव्यवस्था भी थी। श्री आडवाणी ने उन दिनों मणिपुर में अव्यवस्था के बारे में नहीं बताया। लेकिन माननीय राज्यपाल श्री वेद मरवाह उन सभी पहलुओं के बारे में बता चुके हैं। मैं इसके बारे में संक्षेप में बता दूं। 40 लोग भूमिगत व्यक्तियों की गति-विधियों के कारण मारे गए। भूमिगत लोगों द्वारा बढ़ी हुई जबरन वसूली ने मणिपुर में असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है। लुटेरों की मांग पूरी न करने के कारण तीन कैथोलिक पादरियों की हत्या कर दी गई। कैथोलिक मिशनरी स्कूल कुछ माह के लिए बंद कर दिए गए जिसके कारण लगभग 15000 विद्यार्थियों की मिलने वाली शैक्षिक सुविधाएं बाधित हुई। इस प्रकार, वहां इस तरह की स्थिति है। इस स्थिति के कारण राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा करनी पड़ी।

मुझ से पहले जब श्री संतोष मोहन देव इस विषय पर बोल रहे थे तो उन्होंने एकाध मुद्दे उठाए थे। एक मुद्दा यह है कि मणिपुर में युद्धविराम से अशांति फैल गई है। इसके अतिरिक्त उन्होंने मणिपुर में ऐसी स्थिति उत्पन्न करने के लिए माननीय गृह मंत्री, राजग सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने जो कुछ कहा उसे मैं समझ नहीं पा रहा। उनके कहने का अभिप्राय कहीं यह तो नहीं कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने से गड़बड़ी फैली है ? मणिपुर में अव्यवस्था किसी अन्य कारण से फैली थी। इसका कारण है मणिपुर के बाहर युद्धविराम भी उद्घोषणा अथवा घोषणा अथवा युद्धविराम की अवधि बढ़ाना है लेकिन उन्होंनें कहा कि वहां कोई मंत्रालय न होने से यह समस्या पैदा हुई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी यह सुनिश्चित करे कि पूर्वोत्तर राज्यों में शांति बनी रहे।

महोदय, सभी लोग जानते हैं कि असम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो कांग्रेस दल के हैं, माननीय गृह मंत्री से मिले। उन्होंने कहा कि वे मणिपुर के बाहर नागा युद्धविराम लागू करने का सख्त विरोध करते हैं। लेकिन अब मेरे पास नागालैण्ड प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रत्येक को जारी किया गया संकल्प है। संभवत: यह संकल्प अधिकांश माननीय संसद सदस्यों को दिया गया है। संकल्प में, कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा है ? इसमें कहा गया है :

> "नागालैण्ड प्रदेश कांग्रेस कमेटी हाल ही में 14 जून, 2001 को युद्धविराम लागू किए जाने का एक बड़े कदम तथा समग्र पूर्वोत्तर क्षेत्र में भावी शांति की प्रस्तावना के रूप में पूर्ण रूप से समर्थन करती है। युद्धविराम समझौते में समग्र पूर्वोत्तर क्षेत्र को शामिल करने की परिकल्पना कोई नया विकास नहीं है। 1964 में नागालैंड के बाहर भी युद्धविराम लागू हुआ था जैसाकि इस समय भारत सरकार और एन०एल०सी०एन० (आई०एम०) के बीच हुए

[श्री खारबेल स्वाइं]

मौजूदा युद्धविराम समझौते में हुआ है। एक राजनैतिक दल के रूप में जो 1960 के 16 सूत्रीय समझौते में की गई व्यवस्थाओं के अनुरूप कार्य करती है। हम समझौते के खण्ड 13 का समर्थन करते हैं जो नगालैण्ड से सटे हुए नागा बाहुल्य क्षेत्रों के एकीकरण से संबद्ध है।''

महोदय, खण्ड 13 में क्या कहा गया है ? इसमें कहा गया है :

''वर्तमान नागालैण्ड से सटे हुए क्षेत्रों में रहने वाली अन्य नागा जातियों को, यदि वे चाहें तो, नागालैण्ड में शामिल किए जाने की अनुमति दी जानी चाहिए।''

अपराह्न 3.07 बजे

[**माननीय उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

यह राज्य की कांग्रेस पार्टी का निर्णय है जहां मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी का ही है। यदि कांग्रेस पार्टी वास्तव में इस क्षेत्र में शांति चाहती है तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री अलग-अलग तरह की बाते कैसे कह रहे हैं ? एक युद्धविराम लागू किए जाने का समर्थन कर रहा है तो दूसरा उसका विरोध कर रहा है। तो, कांग्रेस पार्टी किस तरह यह कह सकती है कि वे शांति चाहते हैं ? इसी कारण से श्री संतोष मोहन देव ने नागालैण्ड प्रदेश कांग्रेस समिति द्वारा प्रत्येक को भेजे गए प्रस्ताव के बारे में कुछ नहीं बताया।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : भाजपा की कार्यकारिणी का संकल्प, सरकार द्वारा सभा में दिए गए वक्तव्य से बिल्कुल अलग है। कृपया उसका भी उल्लेख करें। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया, उन्हें बीच में मत टोकिए।

(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाइं : महोदय, मैं श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा का पूरा सम्मान करता हूं। वे सभा में सभापति तालिका की एक सदस्या हैं। में एक कनिष्ठ सदस्य हूं। *(व्यवधान)* तर्क के लिए यदि मैं कहता हूं कि हमने गलती की है तो क्या कांग्रेस पार्टी के लिए यह अनिवार्य है कि क्योंकि 'राजग' ने गलती की है तो वे भी इस तरह भी गलती कर सकते हैं ? क्या वे ऐसा कहेंगे ? *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रघुनाथ झा, कृपया व्यवधान न डाले।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें बीच में मत टोकिए। अपनी बारी आने पर बोलिए।

(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाइं : महोदय, अब दो दृष्टिकोण हैं। एक नागा दृष्टिकोण है और दूसरा गैर-नागा दृष्टिकोण।

अब यदि नागा दृष्टिकोण यह है कि मौजूदा नागालैण्ड से सटे क्षेत्रों में रहने वाली अन्य नागा जातियों को नागालैण्ड में शामिल करने की अनुमति दी जानी चाहिए तो मेरा प्रश्न यह है कि तो हम यह किस तरह पता लगाएंगे कि सटे राज्यों में रहने वाली अन्य नागा जातियां नागालैण्ड में शामिल होना चाहती है ? क्या हम मणिपुर में रायशुमारी करवाएंगे ? क्या हम असम, अरुणाचल प्रदेश अथवा मिजोरम के नागा बहुल क्षेत्रों में जनमतसंग्रह करवाएंगे ? क्या यह संभव है।

यदि आप पूरे भारत को देखें तो आप पाएंगे कि उड़ीसा से सटे कतिपय क्षेत्रों में कुछ उड़िया भाषी लोग भी रह रहे हैं जैसे पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में। उड़ीसा में कई तेलुगू भाषी लोग भी रह रहे हैं। इसका अभिप्राय है कि गजपति जिले में 'पारला खेमुंडी' है। उड़ीसा में हिन्दी भाषी लोग भी रहते हैं। उड़िया भाषी लोग झारखण्ड अथवा छत्तीसगढ़ में भी रहते हैं। तब, हम क्या करेंगे ? क्या हम जोरदार आंदोलन चलाएंगे कि उन सभी दोलों को जहां उड़िया भाषा बोली जाती है को उड़ीसा में मिलाया जाना चाहिए या हिन्दी भाषी लोग हाथों में बंदूक लिए जोरदार आंदोलन चलायेंगे कि सभी हिन्दी भाषी क्षेत्रों को उनके राज्यों में सम्मिलित किया जाए ? यह संभव नहीं है। इसलिए मैं उन सभी नागा भाइयों, जिन्होंने बताया है कि 1960 के संकल्प में म्यांमार में कतिपय नागा-भाषी क्षेत्र हैं, से करना चाहता हूं कि क्या हमें म्यांमार के उन सभी नागा-भाषी क्षेत्रों को नागालैण्ड में शामिल करने हेतु म्यांमार के साथ लड़ाई करनी चाहिए ? व्यावहारिक रूप से यह संभव नहीं है।

दूसरी ओर, मैं मणिपुरी भाइयों से अपील करूंगा कि उन्हें आने वाले समय में उखरूल, तामिलांग तथा सेनापति जैसे अनेक जिलों के नागा-भाषी लोगों के साथ रहना होगा। इस हिंसक स्थिति ने उन नागा लोगों में दुर्भावना पैदा कर दी है जो मणिपुर में रह गए हैं। यह एक अति दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम है कि तांखुल नागा, जो एन०एफ० सी०एन० (आईसैक मुइवाह) में अधिकाशं में है, मणिपुर के इस क्षेत्र से है। यह सबसे अधिक आश्चर्यजनक बात है कि नागालैण्ड से सटे मणिपुर के क्षेत्र एन०एस०सी०एन० आंदोलन के मुख्य केन्द्र है। एन०एस०सी०एन० गतिविधियों का मुख्यालय नागालैण्ड के बाहर है। इसलिए मणिपुर के लोगों को यह बात समझनी चाहिए। मैंने सुना है कि नागालैण्ड के लोग भी युद्धविराम समाप्त होने के पश्चात् आंदोलन करेंगे इन नागालैण्ड क्षेत्र से इम्फाल की ओर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात अवरुद्ध करेंगे। ये राष्ट्रीय राजमार्ग '39' और '53' हैं। यदि ऐसा होता है तो वस्तुओं, समान तथा ईंधन को मणिपुर ले जाने में बाधा होगी। इसलिए मैं, पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी नागा और गैर नागा लोगों से अपील करता हूं कि उन्हें वास्तविकताओं को समझना होगा। उन्हें यह बात समझनी होगी कि किसी राज्य के क्षेत्र का विस्तार करना संभव नहीं है।

जब नागालैण्ड से सटे अन्य क्षेत्रों में युद्धविराम लागू किया गया तो मुझे प्रसन्नता हुई क्योंकि मेरे विचार से सरकार ने ऐसे समय में बहुत अच्छा निर्णय लिया है। आप केवल नागालैण्ड में युद्धविराम लागू नहीं कर सकते हैं। नागालैण्ड में युद्धविराम नागालैण्ड के बाहर लड़ाई करने की अनुमति नहीं देता है। इसलिए सरकार ने नागालैण्ड

के बाहर के क्षेत्रों में युद्धविराम लागू करके बहुत अच्छा काम किया। सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए तथा अन्य राज्यों के एकजुट होने के कारण प्रक्रिया ही उलट कर दी है। मणिपुर के पीपल्स लिबरेशन आर्मी और नेशनल लिबरेशन फ्रंट जैसे उग्रवादी गुट भी जो पहले नागालैण्ड उग्रवादी गुटों का समर्थन कर रहे थे अब उनका विरोध कर रहे हैं।

उल्फा, अखिल असम छात्र संघ, असम जातीयतावादी युवा छात्र परिषद्, पूर्वोत्तर छात्र संगठन तथा सभी मणिपुर छात्र संगठन, पूर्वोत्तर राज्यों के सभी छात्र संगठन एकजुट हो गए हैं और उन्होंने भारत सरकार से अपील की है कि वे नागालैण्ड के बाहर लागू युद्धविराम को समाप्त कर दे।

मेरे विचार से सरकार ने उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए ऐसा कर दिया है। लेकिन मैं माननीय मंत्री महोदय से अपील करता हूं कि वे नागा उग्रवादियों को कड़ी चेतावनी दें कि बृहत्तर नागालैण्ड बनाने की उनकी मांग पूरी नहीं हो सकती है और यह संभव नहीं है।

मैं श्री वी० उराम, सचिव, एन०एस०सी०एन० (आइसेक मुइवाह) के साक्षात्कार के वाक्य का उल्लेख करता हूं। उनसे पूछा गया कि यदि नागालैण्ड के बाहर के नागा क्षेत्रों में युद्धविराम समझौता कर समाप्त किया जाता है तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी ? उन्होंने कहा कि एन०एस०सी०एन० (आई०एम०) अपनी मांग पर दृढ़ है कि सभी नागा बहुल क्षेत्रों में युद्धविराम लागू होना चाहिए। यदि केन्द्र सरकार युद्धविराम समाप्त करती है तो हम भारत के विरुद्ध युद्ध शुरू कर देंगे। इसलिए गैर-नागा राज्यों का यह विचार है कि यदि एन०एस०सी०एन० (आई०एम०) को नागालैण्ड के बाहर युद्धविराम लागू करने दिया जाता है तो भविष्य में वे वृहत् नागालैण्ड की मांग करेंगे। महोदय, आप उनकी मंशा समझिए। वे कहते हैं कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो वे भारत के विरुद्ध युद्ध करेंगे। यह बात उनकी विस्तारवादी मंशा को सिद्ध करती है। हमारे गृह मंत्री तथा सरकार को स्पष्ट रूप से उन्हें बता देना चाहिए कि यह संभव नहीं है।

अंत में, मैं अपनी बात पर आता हूं कि मणिपुर के लोगों को भी यह बताया जाना चाहिए उन्हें आने वाले समय में उन क्षेत्रों में नागा लोगों के साथ रहना होगा जो नागालैण्ड से सटे हुए हैं। इसलिए नागा लोगों का विरोध करना, उन्हें नागालैण्ड से बाहर निकालना, उनके विद्यार्थियों को स्कूलों में पढ़ने न देना और उन्हें नागालैण्ड से बाहर निकालना, ये सब नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में यह मणिपुर के हित में नहीं होगा।

इन शब्दों के साथ, मैं भारत के सभी राजनैतिक दलों से अपील करता हूं कि वे साम्प्रदायिक दृष्टिकोण न अपनाए। विशेषकर अखिल भारतीय दलों के विचार एक होने चाहिए। पूर्वोत्तर समस्याओं को निपटाने के संबंध में विशेषकर, नागा और मणिपुर समस्याओं पर उनका संकल्प समान होना चाहिए। इसलिए, यदि उनका अपना संकल्प दृढ़ होगा, तभी यह समस्याएं सुलझ सकती है। अन्यथा, विभिन्न राज्यों के लिए भिन्न संकल्प से कुछ भी प्रगति नहीं हो सकती।

श्री बाजू बन रियान (त्रिपुरा, पूर्व) : महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरी पार्टी (सी०पी०आई०) एम ने अनुच्छेद 356 को लागू करने का हमेशा विरोध किया है। हमारी पार्टी ने केवल एक बार अनुच्छेद 356 को लागू करने का समर्थन किया था। जब उत्तर प्रदेश में वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद गिराई गई थी। परन्तु, अब मणिपुर में अनुच्छेद 356 को लगाए जाने का मामला उठ रहा है और विधानसभा का कार्यकाल केवल एक वर्ष और तीन महीने है, जबकि तीन साल और नौ महीने अभी बाकी हैं।

चुनाव के बाद, एक भी पार्टी या दल ऐसा नहीं था जो सरकार बना सके। पहली सरकार की स्थापना दूसरे दलों के समर्थन से या अन्य दलों के सदस्यों को खरीद कर हुई और करीब 4 से 5 या नौ सदस्यों ने दल बदले। इन 15 महीनों में हमने दो सरकारें वहां देखी। इस प्रकार, दल-बदल से, उनके दलों में विघटन और वफादारियां बदलने के कारण ही सरकार को वहां राष्ट्रपति शासन को लागू करने पर बाध्य होना पड़ा।

विशेष मामला होने के कारण, हमारे दल को इसके समर्थन के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

महोदय, राष्ट्रपति शासन लागू करने के पश्चात, केन्द्र सरकार और एन०एस०सी०एन उग्रवादी समूह के बीच युद्ध विराम में विस्तार करने का समझौता हुआ था। पहले यह युद्ध विराम सिर्फ नागालैण्ड क्षेत्र तक सीमित था। इस बार इसे नागालैण्ड क्षेत्र से आगे भी लागू किया गया है। समझौते के अनुसार, नागालैण्ड से बाहर रहने वाले नागाओं को भी इस युद्ध विराम में शामिल किया गया है। बैंकाक में इस युद्धविराम पर समझौता होने के बाद, मणिपुर जल उठा। हमने वामपंथी दलों की ओर से — मेरे समेत छ: वामपंथी सदस्य — 7 जुलाई को उस स्थान का दौरा किया था। हमनें उन स्थानों का दौरा किया जहां तोड़-फोड़ और नुकसान हुआ था। हमने शमशान घाटों को भी देखा और उनको भी देखा जो 18 जून को घायल हुए थे। हमने उनमें से अधिकांश से जैन अस्पताल और मणिपुर के क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान जाकर मुलाकात की। हमने वहां देखा कि कितना नुकसान हुआ है। राजनीतिक दलों के लगभग सभी कार्यालय या तो जला दिए गये या उनको नुकसान पहुंचाया गया या उनकी तोड़-फोड़ की गई। राजनीतिक नेताओं के, भूतपूर्व मंत्रियों के अध्यक्ष, विधान सभा सदस्यों के और अनेक राजनैतिक दलों के सभी केन्द्रीय मंत्रियों के घरों को जला कर राख कर दिया गया। इस संबंध में हमारी पार्टी यह जानने में इच्छुक है कि इतना नुकसान कैसे हुआ। यह नुकसान करोड़ों का होगा। हम यह जानना चाहते हैं कि कितने करोड़ रुपये की सम्पत्ति का नुकसान हुआ।

18 जून की घटना में 13 लोगों की जान गई। कुछ दिनों बाद, एक व्यक्ति जो घायल था, की मौत हो गई। इस को मिला कर, 14 जानें गई। अब तक, सरकार का विचार इस लोकप्रिय लोकतांत्रिक

[श्री बाजू बन रियान]

आंदोलन को सिर्फ रोकना था। मणिपुर के सभी वर्ग के लोग इस युद्धविराम को बढ़ाए जाने के विरोध में सड़कों पर आए और इस लोकप्रिय लोकतांत्रिक विरोध में भाग लिया। इस प्रक्रिया में, करीब 58 लोग घायल हुए। हमने उनमें से कुछ घायलों को अस्पताल में जाकर देखा। उनकी टांगे काटनी पड़ी और इस प्रकार उनका जीवन बर्बाद हो गया। हमारे इस दौरे में, हमने माननीय राज्यपाल से भी भेंट की। हमें उनसे यह सूचना मिली कि सरकार ने सहायता राशि के रूप में मृतकों के परिवारों को एक लाख रुपये और साथ ही घायलों को कुछ रकम देनी की घोषणा की थी।

घायल व्यक्तियों ने और मृतकों के परिवारों ने इस राशि को लेने से इंकार कर दिया। मणिपुर के लोगों की यह मांग है। मणिपुर के लोगों की यह मांग है कि वर्तमान मुआवजे की राशि को एक लाख रुपये से बढ़ाया जाए। कुछ लोगों की मांग है कि यह राशि दस लाख से अधिक की होनी चाहिए। हमारी यह मांग है कि मुआवजे की राशि कम से कम इतनी होनी चाहिए कि लोगों का पुनर्वास ठीक प्रकार से हो सके।

हमारे वहां दौरे के दौरान, हम कुछ जनजातीय संगठनों और कुछ गैर-राजनैतिक संगठनों से मिले। वहां के कुछ संगठन गैर-राजनैतिक संगठन होने का दावा करते हैं। उन्होंने पछतावा व्यक्त करते हुए बताया कि 1992 के दौरान, दो जनजातियों के मध्य संघर्ष हुआ। उनमें से एक जनजाति है नागा और दूसरी कूकी। इस प्रकार, इनके संघर्ष में 885 जानें गई। एन०एस०सी०एन० द्वारा मारे गये की संख्या 885 है; एन०एस०सी०एन० द्वारा जलाए गये कूकी ग्रामीणों की संख्या 350 है; और भारतीय सैनिक बलों द्वारा मारे गये कूकी लोगों की संख्या 53 है। परंतु यह बहुत दुखद बात है कि मारे गये या घायल लोगों को, जिनके घर जलाए गये या जो विस्थापित व्यक्ति के रूप में शरणार्थी की तरह मणिपुर और विभिन्न इलाकों में रह रहे हैं को एक पैसे का भी मुआवजा नहीं दिया गया। उनके पुनर्वास के लिए एक भी पैसा नहीं दिया गया। इसलिए, हमारी पार्टी की मांग है कि अपनी भूमि से विस्थापित तथा मारे गये कूकियों को उचित मुआवजा दिया जाए और उनका समुचित पुनर्वास किया जाना चाहिए।

अब, पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बाद, हमारे प्रधान मंत्री ने यह घोषणा की है कि इस क्षेत्रफल के विस्तार की पुनरीक्षा की जाएगी और 'क्षेत्रीय सीमा' जैसे कुछ शब्दों को, जिसे समझौते में शामिल किया गया था, निकाल दिया जाएगा। यह एक अच्छा निर्णय है। मुझे आशा है कि मणिपुर के लोग अपने आंदोलन को समाप्त कर देंगे और नागालैण्ड के लोग भी इस पर सहमत होंगे। यह इस पर निर्भर करता है कि, हम राजनैतिक दल इस पर कैसा दृष्टिकोण अपनाते हैं।

मैं त्रिपुरा राज्य से हूं। मेरा राज्य भी आतंकवाद से पीडित है। हम नेशनल लिब्रेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स जैसे संगठनों के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये ग्रुप वहां सक्रिय है। केन्द्र सरकार ने उन्हें गैर कानूनी उग्रवादी ग्रुप घोषित किया है। हम उनसे लड़ रहे हैं। परंतु, जैसे मुझसे पूर्व बोलने वाले श्री खारबेल स्वाइं ने यहां उल्लेख किया है, कि कांग्रेस पार्टी का नागालैण्ड में एन०एस०सी०एन० के प्रति रवैया एक तरह का है। और देश के अन्य भागों में कांग्रेस पार्टी का रवैया दूसरी तरह का है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक राजनीतिक दलों के रूप में, हमारे विचार एक होने चाहिए। हमें किसी भी आंतकवादी आंदोलन का हमेशा विरोध करना चाहिए। त्रिपुरा में, वास्तव में जनजातीय क्षेत्र में और उन इलाकों में जो आंतकवाद प्रवण क्षेत्र है और जहां आंतकवादी सक्रिय है, सरकार विकास संबंधी नियमीत कार्य लागू नहीं किए जा सकते। वहां यह लागू करना बहुत कठिन है।

सरकारी अधिकारी और कर्मचारी उन योजनाओं को लागू करने वहां नहीं जा पाते हैं। इस प्रकार, त्रिपुरा के जनजातीय लोग, जहां यह क्षेत्र उग्रवाद प्रवण है, बहुत तकलीफ में है। इस तरह, सम्पूर्ण पूर्वोत्तर में जहां भी उग्रवादी ग्रुप सक्रिय है — कभी मिजोरम, असम या अन्य भागों में — विकास का कार्य प्रभावित हुआ है। इस तरह, पूर्वोत्तर का आर्थिक विकास देश के अन्य भागों से काफी पीछे हैं। मुझे आशा है, कि सभा के माध्यम से और सभी राजनीतिक दलों के माध्यम से, इन उग्रवादी दलों तक यह संदेश पहुंचेगा कि हम सब उनके खिलाफ हैं।

भारत और भारत से बाहर भी, एक भी उग्रवादी दल ऐसा नहीं है जो किसी वर्ग या अपने ही समुदाय के लोगों की मदद कर सके। विश्व में कहीं भी, वे केवल देश को नुकसान ही पहुंचा सकते हैं और विकास कार्य रोक सकते हैं। इसलिए, मेरा पार्टी की ओर से, हम मणिपुर में अनुच्छेद 356 लागू करने के इस संकल्प को विशेष मामले के रूप में समर्थन करते हैं।

श्री के० येरननायडू (श्रीकाकुलम) : माननीय, उपाध्यक्ष महोदय, मणिपुर राष्ट्रपति शासन के अधीन हैं और वहां विधान सभा निलम्बित है। मेरी पार्टी शुरू से ही अनुच्छेद 356 लागू करने का विरोध करती रही है। हमें हमारे राज्य पर अनुच्छेद 356 लगाए जाने का अनुभव है। तेलुगू देशम पार्टी की स्थापना 1982 में हुई थी। नौ महिने बाद, हम सत्ता में आए। हम टी०डी०पी० विधाई दल की बैठक कर रहे थे। 294 सदस्यों की सभा में, टी०डी०पी० के 159 सदस्य थे। जब हम विधाई दल की बैठक कर रहे थे, हमें राज्यपाल से इस आशय का पत्र मिला कि श्री एन०टी० रामाराव को बर्खास्त कर दिया गया है। हम बहुमत में थे। हम बैठक कर रहे थे। निर्वाचित प्रतिनिधि लोगों की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए बैठक का आयोजन कर रहे थे और हमें इस आशय का पत्र मिला कि सरकार बर्खास्त कर दी गई है। इसलिए, हमें अनुच्छेद 356 लागू करने का अनुभव है। उस दिन, हमने यह निर्णय लिया कि इस अनुच्छेद का सर्वाधिक दुरुपयोग हुआ है।

संविधान की भावना भिन्न है, परंतु राजनैतिक लाभ के लिए और विपक्ष को अस्थिर करने के लिए, उस समय राज्यपाल रामलाल ने अनुच्छेद 356 लागू किया था। इसी कारण टी०डी०पी० शुरू से ही यह कह रही है, अंतर्राज्जीय कांउसिल में भी, इस अनुच्छेद को हटा देना चाहिए। कई बैठकों के बाद भी, इस पर एकमत नहीं है।

अधिकतर मुख्यमंत्रियों ने अभी तक इस संबंध में कोई विकल्प और सुरक्षोपाय नहीं बताये हैं। इसलिए हमने अब निर्णय लिया है कि अनुच्छेद 356 को जारी रखा जाए परंतु इसका इस्तेमाल बहुत कम हो और हो भी तो उस परिस्थिति में जब यह अत्यंत आवश्यक हो।

यहां, दो मुद्दे शामिल है, एक युद्धविराम का मुद्दा है और दूसरा अनुच्छेद 356 लागू करने का। जहां तक युद्ध विराम बढ़ाए जाने का प्रश्न है, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री, ने मणिपुर की जनता की भावनाओं को देखते हुए एक विशेष खंड को वापस लिया और अब जनता बहुत खुश है।

[अनुवाद]

जहां तक अनुच्छेद 356 को लागू करने का सम्बन्ध है, दल-बदल रोधी कानून पर पुनर्विचार करने के लिए मणिपुर का मामला एक अच्छा उदाहरण है। दसवीं अनुसूची का क्या मतलब है ? क्या किसी दल विशेष से निर्वाचित संसद सदस्य जितनी बार चाहे दल बदल सकता है ? हम क्या कर रहे हैं। यह देश का शीर्ष निकाय है और हम इस पर रोक नहीं लगा रहे हैं। यह लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। इसीलिए, हमें पुनर्विचार करना पड़ेगा। एक बार किसी दल से सदस्य चुने जाने के उपरांत यदि वह किसी अन्य दल में जाना चाहे तो उसकी सदस्यता समाप्त की जानी चाहिए। यह मेरे दल का मानना है। अन्यथा लोकतंत्र का अथवा इस सभा में इस मुद्दे पर घंटों चलने वाली चर्चा का कोई अर्थ नहीं होगा। इसीलिए प्रत्येक राज्य में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है।

इस प्रकार, संविधान की दसवीं अनुसूची के अंतर्गत निर्देश देकर हम आयाराम-गयाराम पर रोक लगा सकते हैं। यह स्पष्ट मामला है।

महोदय, इसके दो पहलू हैं – राजनीतिक अस्थिरता और संवैधानिक तंत्र का असफल होना। मणिपुर में ये दोनों बातें हुई है। इसलिए मेरा दल वहां इस घोषणा का समर्थन कर रहा है। वहां लोकप्रिय सरकार के गठन के लिए किसी भी दल के पास बहुमत-नहीं है। जहां तक संवैधानिक तंत्र के असफल होने तथा कानून और व्यवस्था की स्थिति का संबंध है, माननीय सदस्य श्री संतोष मोहनदेव ने विस्तार से बताया है कि 40 लोग मारे गये, कैथोलिक पादरी मारे गये, विद्यार्थी स्कूल नहीं जा रहे हैं यहां तक कि जबरन पैसा वसूलने की घटनाएं भी हुई हैं। यह राष्ट्रपति शासन लागू करने का स्पष्ट मामला बनता है। उसमें कोई शक नहीं है। इसलिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई इस उद्घोषणा का मेरा दल समर्थन कर रहा है। *(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरांयिकिल) : व्यक्तिगत मामलों में ऐसा किया जाता है परंतु यदि समूह की बात हो तो क्या कार्यवाही की जायेगी ? *(व्यवधान)*

श्री के० येरननायडू : यह कोई प्रश्न नहीं है। यह व्यक्तिगत मामले की क्या बात है ? *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन, कृपया व्यवधान न डालें। हमारे पास पहले ही बहुत कम समय है।

श्री के० येरननायडू : महोदय, यह हमारे दल का दृष्टिकोण है। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री येरननायडू के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

श्री के० येरननायडू : महोदय, यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) का मत है। भारत में इस 'आयाराम-गयारामों' का वजूद है। एक बार लोग आपको एक चिह्न पर जनादेश देते हैं, तो आपको उसी पर टिके रहना चाहिए। यदि तीन सदस्यों की पार्टी में से एक-तिहाई के आधार पर एक सदस्य पार्टी छोड़ता है तो यह उचित नहीं है। इसमें लोगों का हित नहीं है। हमें ये चुनाव-सुधार करने ही पड़ेंगे। केवल तभी लोकतंत्र का अस्तित्व रहेगा और इस देश में दल बदल पर रोक लगेगी। अन्यथा अस्थिरता और अन्य समस्यायें बनी रहेंगी और प्रत्येक सरकार अनुच्छेद 356 लागू करती रहेगी। मेरा दल इससे सहमत नहीं है। *(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन : इसे व्यक्तिगत आधार पर लागू नहीं किया जा सकता। *(व्यवधान)*

श्री के० येरननायडू : इस संदर्भ में, हम पूर्वोत्तर राज्यों में अनुच्छेद 356 लागू करने का समर्थन करते है। महोदय, मेरे अधीन ग्रामीण विकास मंत्रालय था। हम अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने पर पुनर्विचार करना चाहते थे कोई विकास नहीं हो रहा है। हमने श्री एच०डी० देवगौड़ा के प्रधान मंत्रित्व काल में भी राज्य के राजकोष से 10 प्रतिशत देने का निर्णय किया था। परन्तु पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्या हुआ ? नब्बे प्रतिशत धनराशि का गलत उपयोग हो रहा है। इस सभा को इस मुख्य समस्या का समाधान करना चाहिये। सभी राजनीतिक दलों में, सर्वसम्मति होनी चाहिए। अलग-अलग राजनीतिक दल अलग-अलग तरीके से लाभ उठाते हैं और इस पर भिन्न प्रतिक्रियाएं तथा भिन्न-भिन्न चर्चाएं होती हैं। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों में विद्रोह बढ़ रहा है। स्वतंत्रता के 53 वर्षों के पश्चात् प्रत्येक राजनीतिक दल को इससे सीख लेनी पड़ेगी। हमें इस पर गहन चर्चा करनी होगी। एक दिन हम सर्वसम्मत पर पहुंचेंगे कि अर्थव्यवस्था का निर्माण और पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकाल कैसे किया जाये। हम सभी के सामने यह मुख्य मुद्दा है। मेरे दल का यही मत है। हमें इस मुद्दे पर एक दो दिन चर्चा करके सर्वसम्मति पर पहुंचना होगा।

हमें इन सब बातों पर रोक लगानी पड़ेगी। उन्हें हजारों लाखों और यहां तक करोड़ों रुपये दिए गए। पूर्वोत्तर राज्यों में कितने परिवार हैं ? वहां की जनसंख्या 6-8 लाख होगी। 1952 से हमने वहां जितनी धनराशि भेजी है आप उस पर विचार कीजिए। यदि आपने वह धनराशि प्रत्येक परिवार को दी होती तो अब तक उनमें से प्रत्येक परिवार करोड़पति हो गया होता। आपको कुछ विकास करने की जरूरत नहीं है। यदि आपने सारी धनराशि प्रत्येक परिवार को बांट दी होती तो प्रत्येक परिवार को लाखों रुपये मिल गए होते। फिर गरीबी कहां

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री के० येरननायडू]

होती ? यहां इसी समस्या को सुलझाना है। केवल तभी प्रत्येक समस्या हल होगी। इस चर्चा से कोई समस्या हल नहीं होगी।

अत:, मेरी पार्टी की यही विचाराधारा है, हमें इस पर चर्चा करनी पड़ेगी और पूर्वोत्तर राज्यों का विकास करना होगा। मेरे भाई, माननीय सदस्य ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के सात राज्यों के बारे में यहां बताया है। हमें अपने इन सात राज्यों को सम्मान देना है। उसके लिए सर्वसम्मति चाहिए। हमें संकल्प पारित करना पड़ेगा और कोई राजनीतिक दल उस संकल्प से अलग मत नहीं रखेगा और हम इस देश की मुख्य धारा में हैं।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी ने अभी मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए 6 महीने की अवधि सदन से मांगी है। *(व्यवधान)*

श्री लालकृष्ण आडवाणी : नहीं, नहीं, मैंने यह कहा कि यह अवधि अधिक से अधिक 6 महीने रह सकती है जब तक अगर सदन फिर से तय करे तो मैक्सिमम एक साल है। लेकिन इस समय जो हम स्वीकार करेंगे, उसका मतलब है कि वह 6 महीने के लिए रहेगा। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन, क्या आप बोलना बन्द करेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : हम चाहते थे, पूर्वोत्तर राज्यों, मणिपुर राज्य के बारे में, नागालैंड के बारे में और समस्त पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में, वहां की स्थिति के बारे में ज्यादा जानकारी देनी चाहिए थी, जिससे हम लोगों को अपनी बात रखने तथा सुझाव देने का अवसर मिलता कि उसका समाधान कैसे निकले। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि प्राय सरकारी एजेंडे में काश्मीर का विस्फोटक स्थिति छाया रहता है। मैंने पहले दिन भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि आगरा शिखर सम्मेलन से पहले पूर्वोत्तर राज्यों की समस्या पर विशेषकर मणिपुर पर चर्चा होनी चाहिए थी। मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, नेताओं के माध्यम से हर स्तर पर काश्मीर की समस्या भी चर्चा में होती है। लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों की विस्फोटक स्थिति ज्यादा भयावह है। आज हम इस बात को स्वीकार करते हैं और यह हमारी राय है। उपाध्यक्ष महोदय मणिपुर की सीमा बर्मा से लगी हुई है, इसलिए सामरिक दृष्टि से और सुरक्षा की दृष्टि से बहुत देश की एकता के लिए बहुत जरूरी है, आप पाकिस्तान का नाम अच्छी तरह से ले देंगे, सब लोग ले देंगे, पूरा सदन ले देगा, लेकिन असल स्थिति यह है कि पूर्वोत्तर राज्यों में एके-47 कहां से आती है और कहां से इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। क्या थाईलैंड की राजधानी बैंकाक में नहीं ली जा रही है ? इस तरफ भी गम्भीरता से विचार करके बतायेंगे उत्तर दें, जब आप अपना उत्तर देंगे। इसके लिए सरकार का उपाय क्या है और बातचीत क्या है। अगर नागा विद्रोही थाईलैंड की राजधानी बैंकाक में है, जहां से एके-47, तमाम तस्करी और सारे हथियार और एके-47, चाइना की निर्मित हुई, सप्लाई होती है, जिसमें बर्मा का भी हाथ है, इस बात को बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। देश की एकता का सवाल है। देश में स्थिति खराब है, तो आई०एस०आई० रेल पलट गई तो आई०एस०आई० आग लग गई तो आई०एस०आई० बारूद में आग लगी तो आई०एस०आई० विश्वविद्यालय में कुछ हुआ तो आई०एस०आई० तो आई०एस०आई० तो हर जगह है, लेकिन असली स्थिति पूर्वोत्तर राज्यों की है। मैं आज भी कह रहा हूं, हमारी फौज खड़ी है, काश्मीर को छीनने की पाकिस्तान कभी हिम्मत नहीं करेगा, न कभी कर सकता है। लेकिन ध्यान मणिपुर पर देना चाहिए। यह हमारी राय है।

जहां तक राष्ट्रपति शासन का सवाल है, यह तो समता पार्टी और आपके दल के बीच संघर्ष का परिणाम है। इसका जिक्र भी किया है और इशारा भी किया है। समता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच का संघर्ष है। मतभेदों की वजह से ही वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है और उसी की वजह से आप इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।

दूसरी बात, हम यह कहना चाहते हैं कि म्यांमार की सीमा के पास मणिपुर का एक छोटा सा गांव है – मोरे, जो तस्करी का स्वर्ग द्वार है। चीन निर्मित AK-47, अन्य घातक हथियार, सोने व अफीम की तस्करी तथा अन्य बहुमूल्य पत्थरों की व्यापक तस्करी का सबसे बड़ा केन्द्र बन गया है। इस पर आपको ध्यान देना होगा, इस बारे में जवाब देना होगा और इसको आपको गम्भीरता से लेना चाहिए। इसी तरह से राष्ट्रीय राजमार्ग-39 नागाओं के कब्जे में है। कभी-कभी नागालोग एक-एक माह तक के लिए ब्लोकेड (बन्द) कर देते हैं। मणिपुर को परेशानी उठानी पड़ती है। उनका जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। सामान रोक लिया जाता है, ट्रक लूट लिया जाता है, इस वजह से मणिपुर को हर स्तर पर तकलीफ सहन करनी पड़ती है। वहां पर लोग सामान से वंचित रह जाते हैं। उनका आना-जाना बन्द रहता है। खाने-पीने तक के मामले में जनता को सबसे ज्यादा परेशानी हो जाती है। दीमापुर नागालैण्ड का गेट होने के कारण रेलमार्ग से भी, मणिपुर संकट में पड़ जाता है। चाहे नागालैंड हो, चाहे असम हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे त्रिपुरा हो या मणिपुर, सारा देश हमारा है। लेकिन वहां के लोगों में यह भावना धीरे-धीरे हो गई है कि दिल्ली से हम बहुत दूर हैं।

समाजवादी पार्टी वहां नहीं है। यह सही है कि डा० राम मनोहर लोहिया जी के जमाने में वहां मजबूत समाजवादी पार्टी थी। अब कुछ लोग जार्ज फर्नांडीज़ के साथ समता पार्टी में हैं। यह बात सही है कि कभी वहां हमारी पार्टी थी और तब हमारी पार्टी में प्रस्ताव आता था कि समाजवादियों का कम से कम वहां आना-जाना जारी रखना चाहिए। वहां आना-जाना जार्ज साहब करते रहे – यह मानना पड़ेगा। उन्होंने एक काम अच्छा किया कि उनका दौरा पूर्वोत्तर राज्यों में बराबर

चलता रहा। हम ज्यादा दौरा नहीं कर पाये लेकिन हम आपसे कह रहे हैं कि यह राजनैतिक सवाल और पार्टी का सवाल नहीं है। वहां हमारा कोई एम०पी०, एम०एल०ए० लड़े, संगठन बने या न बने, हम चाहते हैं कि सदन में जितने नेता बैठे हैं, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस भी है, भारतीय जनता पार्टी है तथा और भी दल के लोग हैं, उन नेताओं का इन प्रदेशों में बराबर आना-जाना रहना चाहिए। पूर्वोत्तर के निवासियों को ऐसा अनुभव हो कि हमारा सम्पर्क पूरे देश से है और दिल्ली हमारे लिए दूर नहीं है। अगर यह भावना वहां के लोगों में पैदा कर सकें तो वहां की स्थिति में सुधार आ सकता है। वहां के लोगों की जो भावना है वही सबसे ज्यादा खतरनाक है कि दिल्ली हमारे लिए दूर है। इतनी जल्दी मणिपुर के लोग, बच्चे और महिलाएं निकल आए। उन्होंने यह भी ऐलान कर दिया कि अगर 31 तारीख तक फैसला नहीं होता है तो हम अपनी लोक सभा बना लेंगे। प्रधान मंत्री जी का बयान आया, उन्होंने यह आश्वासन दिया कि हम युद्ध विराम पर पुन: विचार करेंगे, यह उन्होंने अच्छी बात नहीं की। जिस दिन युद्ध विराम की आपने घोषणा की कि हम विचार करेंगे, अगर विचार करने के बाद उसी दिन निर्णय ले लिया जाता तो अच्छा था या यह बयान देश के सामने नहीं जाना चाहिए। जब यह बयान गया कि हम युद्ध विराम पर विचार करेंगे तब वहां हिंसा बढ़ी।

महोदय, वहां के जन प्रतिनिधि हम से स्पीकर के साथ मिले हैं। यह स्थिति कितनी भयावह एवं गंभीर है कि एक महीने लगातार आग लगी रही। अब मैं उस बात को दोहरा कर सदन का समय नहीं लेना चाहता। वहां सचिवालय में आग लगी, मुख्य मंत्री, स्पीकर महोदय और विधायकों के घर पर हमला हुआ। सारे जनप्रतिनिधि सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री एंव गृहमंत्री से गुहार करने लगे कि हमारी सुरक्षा कीजिए और लगातार दिल्ली में वहां के सभी दलों के जनप्रतिनिधि आ गए। यह हालत कैसे पैदा हुई — यह हालत इसलिए पैदा हुई क्योंकि वहां आग लगी रही। संतोष मोहन देव जी ने बहुत कुछ कह दिया, हम उनकी बातों को दोहराना नहीं चाहते। हम इतना कहना चाहते हैं कि लगभग डेढ़ दर्जन निदोष एवं निहत्थे लोगों की हत्याएं हुई। गृहमंत्रीजी ने तस्वीर देख ली, हम पहले ही देख चुके हैं, जो वहां के जनप्रतिनिधियों ने दिखाई हैं कि सीधे जन पर हत्या की भावना से गोलियां मारी गई हैं। गृह मंत्री जी, हमने एक बार बहुत पहले इसी सदन में कहा था। आप पटेल बनिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आपका स्वागत करेंगे, कि कोई दूसरा पटेल पैदा हुआ, लेकिन आपके जमाने में, आपके राज में पुलिस सीधे गोलियां हत्या के इरादे से चलाती है। 20 साल के लड़के (पारसनाथ यादव) की बनारस में हत्या हुई। 26 जुलाई को वह फूलनदेवी की हत्या के सिलसिले में प्रदर्शन कर रहा था ठीक है, उनको गुस्सा था, उन्होंने सड़क रोक दी तो उसे सीधे गोली मारी गई। किस प्रकार से मारा जा रहा है इसकी आपको जांच करनी चाहिए तथा उत्तर प्रदेश सरकार से पूछना चाहिए। हम निर्दोष और निहत्थों पर गोली चलाने के पक्ष में नहीं हैं। जब तक वे हथियार लेकर हिंसा नहीं करते हैं तब तक गोली नहीं चलनी चाहिए। हम इसके पक्ष में नहीं है। हम मानते हैं कि हिंसकों पर गोली चलेगी। अगर कोई हथियार लेकर हिंसा करता है।

(व्यवधान)

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर) : वहां जीप और मोटर-साइकिल जलाई गई। वहां के अधिकारी घायल हुए। *(व्यवधान)* तब भी गोलियां न चलें। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हमारे पास अधिक समय नहीं है। कृपया उनके भाषण के बीच में व्यवधान न डालें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : मिश्राजी ने अपने मन की बात निकाली है। इन्हें तो घूम-फिर कर वहीं आना है। *(व्यवधान)* हम आपको राय दे रहे हैं, कि शायद हमारी बात आपकी समझ में आ जाए। आप पटेल के समान देश में इज्जत पा जाएं, गृह मंत्री जी को हम अच्छी तरह से जानते हैं। बीच में ऐसा बोलने से वे आपको मंत्रीपद की शपथ नहीं दिला देंगे, मिश्रा जी, हम आपको भी अच्छी तरह से जानते हैं, आप हमारे पुराने मित्र हैं। हमारे लिए भी सभाओं में न जाने आप कितनी तारीफों के पुल बांध देते थे, न जाने क्या-क्या बना देते थे। आप बैठ जाइये और हमको बोलने दीजिए।

मणिपुर में हिंसा के 20 दिन बाद आपका प्रतिनिधि जाता है लेकिन तमिलनाडु में पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि जी की गिरफ्तारी एवं केन्द्रीय मंत्रियों की मारपीट की घटना, सरकार को हिला देती है और सरकार के, गृहमंत्रालय के अधिकारी और राजग घटक दलों के नेता वहां शीघ्र पहुंच जाते हैं। हमने उस घटना की भी निंदा की है लेकिन साथ ही दो-तिहाई बहुमत से चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करने का भी हमने विरोध किया है। जिस राज्य में एक महीने तक आग लगी हो, जहां के जनप्रतिनिधि अपनी जान बचाने हेतु दिल्ली में शरण लिये हों, जहां रक्षाबलों की गोली से 1/2 दर्जन पुरुष शहीद हो जाएं तथा करोड़ों की सम्पत्ति जलकर राख हो जाए। वहां आपके प्रतिनिधि स्थिति का आकलन करने 20 दिन बाद इम्फाल पहुंचे और तमिलनाडु में 24 घंटे के अंदर पहुंच गये — ऐसा दोहरा मापदण्ड नहीं होना चाहिए। मणिपुर को क्या आप नौकशाहों के हाथों में सुपुर्द कर देंगे। और क्या पूर्वोत्तर की समस्याओं का समाधान भारत सरकार अफसरशाही के जरिए कराना चाहती है। अगर राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन अभी नहीं हुआ है तो वह होना चाहिए था और उसकी बैठक बुलानी चाहिए और उसमें सारे राजनैतिक दलों के नेताओं की राय लेनी चाहिए और वहां पर हस्तक्षेप करते जिससे मणिपुर में इतनी गंभीर स्थिति पैदा न होती। करोड़ों-अरबों रुपयों की सम्पत्ति का नुकसान वहां हुआ है तथा वहां से जनप्रतिनिधियों का भागना — यह कोई अच्छा संकेत नहीं है।

मैं कहना चाहता हूं कि मणिपुर और नागालैंड में आपकी छवि अच्छी नहीं है। आपको यहां पर डरकर नहीं बैठना चाहिए था, वहां की स्थिति का मुकाबला करने के लिए जाना चाहिए था। आप वहां शीघ्र क्यों नहीं गये ? तमिलनाडु में तो आप 24 घंटे के अंदर पहुंच जाते हैं और वहां मणिपुर में आग लगने तथा करोड़ों की सम्पत्ति

[श्री मुलायम सिंह यादव]

की क्षति हुयी वहां 20 दिन बाद पहुंचे – यह दोहरा पैमाना गलत है। आपने वहां की स्थिति को नौकरशाहों के हाथों में छोड़ रखा है और जम्मू-कश्मीर को गृह मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी मिलकर उसको देखते हैं। आपको पूर्वोत्तर के राज्यों की स्थिति को भी गंभीरता के साथ ठीक नजरिये से देखना चाहिए। यह दोहरा पैमाना क्यों ?

जैसा माननीय संतोष मोहन देव जी ने कहा और मेरी राय भी यही है। कि आपको पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए एक स्पेशल पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। लेकिन केवल घोषणा ही नहीं उस पर अमल भी होना चाहिए क्योंकि सरकार घोषणाएं तो कर देती है लेकिन उन पर अमल नहीं होता है। इसलिए आप एक स्पेशल पैकेज की घोषणा के साथ-साथ उस पर तत्काल समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर अमल करें जिससे पूर्वोत्तर के लोगों को लगे कि दिल्ली में हमारी ताकत बैठी है, लोग बैठे जो हमें मदद करने के लिए तैयार हैं। यह हमारी आपको राय है।

जहां तक चुनाव की बात है तो एक महीने, दो महीने, तीन महीने में जब स्थिति सामान्य हो जाए तो चुनाव कराएं – चुनाव के लिए 6 महीने का इंतजार न करें, क्योंकि वहां 1972 से अब तक 24 मुख्यमंत्री हो चुके हैं और छः बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। सातवीं बार अब होने जा रहा है। मुख्यमंत्री 24 हों या 25 लेकिन इसी तरह वहां निरन्तर हो रहा है। मेरे ये कुछ सुझाव थे। उन्हीं पर पुनः जोर देना चाहता हूं। संतोष मोहन देव जी और हमारे त्रिपुरा के साथी ने सारे बातें कहीं। अच्छा हुआ उन्होंने उसे कह दिया क्योंकि मैं भी उन्हें कहना चाहता था। मैंने तीन-चार सुझाव आपको दिए हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आप केवल नौकरशाहों पर इसे न छोडिए। यह एक बहुत बड़ा गम्भीर सवाल है। आप इसे गम्भीरता से देखें वरना देश में बिखराव और अलगाव पैदा हो जाएगा तथा देश की एकता को खतरा पहुंचेगा। वहां सबसे ज्यादा विध्वंसकारी घटनाएं हुई हैं और करोड़ों की सम्पत्ति को नुकसान हुआ है। दूसरी जगहों में भी हुआ है। हम चाहते हैं कि केन्द्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक स्पैशल पैकेज और समयबद्ध कार्यक्रम लागू करने की व्यवस्था करे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। केन्द्र सरकार कभी भी अपने मन से राष्ट्रपति शासन नहीं लगाती है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनने वाली एन०डी०ए० की सरकार की कभी ऐसी मंशा नहीं रही कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। यदि पिछले चार वर्षों में इसका विश्लेषण किया जाए तो पाएंगे कि बहुत कम ऐसे अवसर और परिस्थितियां उत्पन्न हुई जब कहीं राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत महसूस हुई हो। आडवाणी जी ने बताया कि तीन बार ऐसा हुआ। एक बार बिहार के मामले में हुआ। राज्य सभा में कांग्रेस का समर्थन न मिलने के कारण हम इस बड़े अभियान में विफल रहे। शायद आज कांग्रेस पार्टी खुद इस बात को महसूस कर रही है। यदि वह इस अभियान में हमें समर्थन देती तो आज एक प्रान्त जो जल रहा है, उसे हम बचा सकते थे, लेकिन हम इसमें विफल हुए। ऐसे समय में इस सरकार ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया। आज मणिपुर के सवाल पर सब एकमत हैं। सब ने देखा, सब ने समझा, सब ने परखा और सब का समर्थन इस विषय में प्राप्त हुआ लेकिन जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो लोकतंत्र को चोट पहुंचती है क्योंकि उसे लगाने की इच्छा नहीं होती है। जिन छोटे-छोटे राज्यों की सरकारों को अपने राज्य में सरकार चलाने का अधिकार है, उन्हें स्वायत्तता मिलनी चाहिए। वहां सरकार के होने से उसे मजबूती मिलती है लेकिन मणिपुर में ऐसा नहीं हुआ। वहां पिछले तीन माह की गतिविधियों को दो बिन्धुओं पर अलग-अलग देख सकते हैं। वहां सरकार गठित करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों ने प्रयास किया, कई प्रकार के जोड़-तोड़ और गठबंधन किए, जन प्रतिनिधियों ने आपा-धीमी मचाई लेकिन स्थिरता प्राप्त नहीं हुई। अंत में वहां केन्द्र सरकार को बाध्य होकर राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। गवर्नर की रिपोर्ट आई। उसका राजनीतिक रूप से विश्लेषण करने पर जो परिस्थितियां दिखाई दीं, उनसे स्पष्ट हो गया कि वहां राष्ट्रपति शासन लगाने के अलावा कोई और उपाय नहीं है।

अपराह्न 4.00 बजे

उपाध्यक्ष महोदय, मणिपुर में पिछले 3-4 महीनों से जिस दूसरी घटना की चर्चा होती आई है जिसमें नागा लोगों के लिये टैरीटोरियल लिमिट्स बढ़ाने के लिये एन०एस०,सी०एन० के साथ समझौता करने का सवाल है, उसे मणिपुर की समस्याओं से जोड़ा जा सकता है। यह समझौता पिछले 3-4 माह के भीतर उत्पन्न हुआ जिसमें विस्तार के समझौते को जोड़ा गया। इसके कारण वहां उथल-पुथल का माहौल उत्पन्न हुआ। नागा समस्या इस देश में पिछले 50 सालों से है। इस समस्या के निदान के लिये हर सरकार अपने ढंग से प्रयत्नशील रही है। इसकी शुरूआत श्री नरसिंहराव के समय हुई, श्री देवेगौड़ा की सरकार ने प्रयास किया, स्विट्ज़रलैंड में जाकर एन०एस०सी०एन० के साथ एक समझौता किया और अंत में श्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ, पेरिस में वार्ता का क्रम चला लेकिन उस वार्ता में कुछ विवाद उत्पन्न हुये।

नागा समस्या अपने आप में एक सैनसेशनल, सैंटिमेंटल सिचुएशन उत्पन्न करता है क्योंकि एक तरफ हमारे देश के वे लोग हैं जिनको ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी उपेक्षा की जाती है। उनकी मांग सौवरिन स्टेट बने लेकिन केन्द्र सरकार, चाहे वह बी०जे०पी० नेतृत्व वाली एन०डी०ए० सरकार हो, या इसके अतिरिक्त कोई भी सरकार हो, वह सौवरिन स्टेट के मुद्दे पर कतई समझौता नहीं कर सकती। हम भी जानते हैं कि इस बात पर सभी सरकारें अडिग रही हैं और अपनी सरकार भी अडिग है। यदि देखा जाये तो मालूम होगा कि एक तरफ छोटे-छोटे नागा समुदाय हैं जो देश के पूर्वोत्तर राज्यों में फैले हुये हैं तो दूसरी तरफ ऐसी जाति प्रवृत्ति के कुछ लोग दूसरे देश में भी हैं और उनकी तरफ से एक नया प्रान्त, अपनी स्वायत्तता पाने के लिये प्रयास जारी हैं। जब यह तय किया गया कि एन०एस०सी०एन० की टैरीटोरियल लिमिट्स को बढ़ाया जाये और ईसा मोवई समूह से

बातचीत की गई तो मणिपुर में उथल-पुथल उत्पन्न हो गई। इसका परिणाम यह हुआ कि वहां गोलिया चलीं और स्थिति बदतर हुई। उस स्थिति पर काबू पाने के लिये केन्द्र सरकार को फिर से पहल करनी पड़ी। सरकार ने अपनी काबलियत के आधार पर, अपने तरीके से और कठोर परिस्थितियां होते हुये भी एक इनफौर्मल समझौता किया जिसका परिणाम यह निकला कि पूरे पूर्वोत्तर राज्यों में उथल-पुथल उत्पन्न हो गई। ऐसी परिस्थिति में इस सरकार ने एक बार फिर अपनी काबलियत के आधार पर एक इनफौर्मल समझौता किया और जो टैरिटोरियल लिमिट्स की बात थी, उसे समाप्त किया गया। सरकार ने इनफौर्मले सीज़ फायर का माहौल तैयार करने के लिये राजीनामा किया। आज हम देखते हैं कि हमारे सामने एक समझौता उभरकर सामने आया है। हो सकता है कि किसी को यह दिखाई न देता हो लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार ने उसके भीतर से एक रास्ता निकालने का प्रयास किया है। इस के बीच में हमारे वरिष्ठ सांसद श्री संतोष मोहन देव ने कहा कि ऐसी कौन सी घटना थी जिससे यह स्थिति बनी, लोगों पर गोलियां चलवाई गई और राष्ट्रपति शासन लगाये जाने की नौबत आई। कई बार ऐसे वरिष्ठ सांसदों को देखते हुये हमारे जैसे लोग चुप होना चाहते हैं लेकिन कभी-कभी मजबूरी में हम चर्चा करना चाहते हैं।

इसी देश में कांग्रेस सरकार के समय दिल्ली में एक ऐसी घटना हुई कि सरकार होते हुये भी दिल्ली की सड़कों पर एक छोटे समुदाय के लोगों को जला-जलाकर और भून-भूनकर, मारकर रख दिया गया। उस समय किसकी सरकार थी ? जब वे इस तरह का आरोप आज की सरकार पर लगाते हैं तो उन्हें पुराने इतिहास को देखना चाहिये जहां इन लोगों की सरकार के होते हुये ऐसी घटना यहां घटी। शायद इतिहास इन लोगों को माफ नहीं करेगा। जब आप एक उंगली उठाते हैं तो तीन उंगलियां आपकी तरफ देखती हैं *(व्यवधान)* इसलिये इन जैसे वरीय लोगों को आरोप लगाने से पहले सोचना चाहिये। आज मणिपुर की समस्या के समाधान के लिये यह समझौता उत्पन्न हुआ। इसमें सांझेदारी सबको दिखाई दे रही है क्योंकि वहां राजनैतिक हालात बिगड़ गये थे। सरकार द्वारा एन०एस०सी०एन० के साथ बात करने का प्रयास किया गया और मैं समझता हूं कि सरकार को बहुत हद तक सफलता प्राप्त हुई है।

उपाध्यक्ष जी, मैं राष्ट्रपति शासन के पक्ष में और पूरे सदन की तरफ से इस प्रकार के राजनैतिक सोच को उत्पन्न करने के लिये सरकार को बधाई देता हूं कि उसने एक साझेदारी उत्पन्न करके देश के अंदर उन मुद्दों को सुलझाने का प्रयत्न किया है। अगर सरकार की यह सोच, यह नीति और यही मंशा चलती रही तो इस देश को हमेशा एक अच्छा नेतृत्व मिलेगा और इस देश का भविष्य सुखद होगा।

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर (मयिलादुतुरई) : उपाध्यक्ष महोदय, मणिपुर में जो असंतोष की आग भड़क गई है, वह कोई दुर्घटना नहीं है। यह हाल ही के महीनों के दौरान घटी तीन अलग-अलग घटनाओं का परिणाम है। इन तीनों घटनाओं के समग्र प्रभाव के कारण केवल मणिपुर में ही नहीं अपितु भारत के अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र, पूर्वोत्तर में भी असंतोष की लहर फैल गई है।

ये तीनों घटनाएं क्रमशः राज्य में हुए राजनीतिक हेराफेरी, सांप्रदायिक तनाव और मणिपुर तक युद्ध-विराम के विस्तार, जिससे हम अभी भी जूझ रहे हैं, से जुड़ी हुई हैं हुई।

मैं इनमें से प्रत्येक पर अलग-अलग बोलूंगा। मैं मणिपुर विधान सभा के लिए फरवरी, 2000 में चुनाव-परिणामों में की गई राजनीतिक हेराफेरी से आरंभ करूंगा। ये परिणाम यह दर्शाते हैं कि छह विधानसभा क्षेत्रों में अर्थात् सिंगजेमी, याइसकुल, बांधेई, सेकमई सुगनू और उखरूल में भाजपा विजयी रही। जबकि समता पार्टी एक भी सीट जीतने में असफल रही। इस निलंबित विधानसभा, जिसे भंग किए जाने का इंतजार है ने हमें आश्चर्यजनक स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया जहां, भाजपा की सीटे छह से बढ़कर 26 हो गई है और समता पार्टी की शून्य से बढ़कर 13 सीटें हो गई। इस प्रकार मणिपुर में इन दो दलों का गठजोड़ इतना सशक्त हो गया है कि वे 60 विधायकों में से 59 का समर्थन प्राप्त करने में समर्थ हो गए। यदि आप इस प्रकार का खेल खेलेंगे तो फिर उसकी परिणति इसी प्रकार की समस्याओं में होगी।

महोदय, श्री जॉर्ज फर्नान्डीज़ का उल्लेख किए जाने पर मैं उत्तेजित हो जाता है। मैं अपने शब्दों में उनका उसी रूप में उल्लेख करूंगा जो एक पत्रकार करता है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने आप पर नियंत्रण रखें।

श्री मणिशंकर अय्यर : महोदय, मैं अपनी तरफ से एक शब्द भी नहीं कहूंगा।

मैं प्रख्यात पत्रकार श्री शंकरशान ठाकुर को द इंडियन एक्सप्रेस में जो लिखना पड़ा केवल उसका उल्लेख ही करना चाहते हूं। महोदय, जब मैं इसे पढ़कर सुनाता हूं तब कृपया मेरा साथ दें। वह कहते हैं :

> "इसलिए जब पिछले नवम्बर में मणिपुर की अस्थिर राजनीति में एक बार फिर असंतोष गूंजने लगा तो फर्नांडीस ने इस अवसर का उपयोग किया जिसकी प्रतीक्षा वे लंबे समय से कर रहे थे। रक्षा मंत्री के रूप में वह तुरन्त मणिपुर राज्य कांग्रेस पार्टी के संकट से जुड़ गए तथा अपने पुराने संपर्कों का उपयोग करते हुए पर्याप्त दल-बदल कराते हुए निपामाचा सिंह की सरकार गिराने में सफल रहे। फर्नांडीस के पुराने मित्र कोइजाम ने नई दिल्ली की पर्याप्त मदद से विरोधियों का नेतृत्व किया ..."

महोदय, मैं इस वाक्य पर जोर देता हूं :

> " नई दिल्ली से पर्याप्त सहायता के बल पर वे (कोइजाम) समता पार्टी के नाम से राज्य में सरकार के गठन में सफल रहे। वास्तव में, फर्नांडीस ने अपने वृहतर सहयोगी भाजपा को

[श्री मणिशंकर अय्यर]

पीछे छोड़ दिया। जबकि वे भी पूर्वोत्तर में आधार प्राप्त करने को उत्सुक थी।''

इसके बाद, यह भी लिखा है :

''जैसा कि एक वरिष्ठ समता पार्टी नेता ने कहा, 'हम नई दिल्ली में कनिष्ठ सहयोगी है, परंतु मणिपुर में हमारा दल बड़ा है और यह स्वीकार किया जाना चाहिए।''

यदि केन्द्र सरकार का गठन करने वाले राजग सहयोगियों का भारत के सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्र में बर्ताव करने का यह तरीका है तथा वह भी उस राज्य में जो एक ऐसे राज्य के रूप में प्रसिद्ध है जहां सुभाषचन्द्र बोस के इंडियन नेशनल आर्मी ने पहले तिरंगा झंडा गाड़ा, तो मैं समझता हूं कि यह अपने आप ही इन तथाकथित जिम्मेदार राष्ट्रीय दलों के भारत के अत्यधिक संवेदनशील हिस्से के साथ व्यवहार में अनुत्तरदायित्व को व्यक्त करती है।

यह केवल अभी समाप्त नहीं हुआ है। आज, 30 जुलाई 2001 का द हिन्दु यह लिखता है :

''ऐसा समझा जाता है कि केन्द्रीय गृहमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने चर्चा के दौरान दल के पूर्वोत्तर मामलों के प्रभारी श्री पद्मनामाचार्य को वस्तुतः चुप करा दिया। गृहमंत्री ने उनपर आरोप लगाया कि वे मणिपुर की स्थिति को स्पष्ट समझने में बिल्कुल गैर-जिम्मेदार और अपरिपक्व रहे है जिसने भाजपा को राज्य में दल बदल कराकर अपनी सरकार प्रतिष्ठापित कराने के लिए प्रयासरत के रूप में चित्रित किया है।''

इस दौर में भी यही स्थिति व्याप्त है। तथा जब राष्ट्रीय राजनीतिक दल ऐसा अत्यन्त गैर-जिम्मेदाराना बर्ताव करते हैं कि हम देश के इस अत्यधिक संवेदनशील हिस्से में ऐसी स्थिति पाते हैं जहां तीन चिंगारियों में से एक तो दहक उठी है। अब मैं दूसरी चिंगारी का जिक्र करता हूं जो उस क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव को भड़का रही है।

मुझे दु:ख है और मैं उपाध्यक्ष महोदय की जानकारी में भी लाना चाहता हूं कि संसद में पीछे बैठने वाले भाजपा के संसद-सदस्यों के पुराने तरीकों से भाषण दिए जाते हैं तथा तत्पश्चात संबंधित व्यक्ति सदन से बाहर चला जाता है। न तो श्री खारबेल स्वाइं और न ही श्री रूडी यहां उपस्थित हैं। यह सभा के शिष्टाचार अथवा सदाचार का अंग नहीं है। ऐसा बार-बार होता है। परन्तु वह यहां है अथवा नहीं उनके शब्द कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित कर लिए जाते हैं तथा यही मणिपुर राज्य के विभिन्न समुदायों के निवासियों के बीच अनावश्यक सांप्रदायिक तनाव को उकसाने के लिए वे इसी सोच का प्रदर्शन करते हैं और यही सोच है जो मणिपुर में दहकी दूसरी आग का कारण है।

महोदय, मेरे पास भारत सरकार तथा उस राज्य का दौरा करने वाले राजनीतिक दलों को मणिपुर के विभिन्न संगठनों द्वारा दिए गए कई अभ्यावेदन है। उस राज्य में कितना सांप्रदायिक सद्भाव व्याप्त है इसकी एक झलक आपको दिखाने के लिए महोदय, मैं यही कहूंगा कि – तथा आपसे अनुरोध करता हूं कि मैं जो कुछ कहने जा रहा हूं उसकी महत्ता को अभिपुष्ट करने के लिए मेरा वक्तव्य समाप्त होने तक सहयोग करें – कि हमारे मुकुट का प्रमुख धर्मनिरपेक्षीय रत्न जम्मू और कश्मीर उतना नहीं है जितना मणिपुर राज्य। उस सीमा तक मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि कुछ मिनट मेरा साथ दे ताकि वह मणिपुर की आवाज सुन सके जो इस सभा में विरले ही सुनी जाती है। सर्वप्रथम मेरे पास लिलौंग यूनाइटेड क्लब ऑर्गेनाइजेशन का प्रतिनिधिमंडल आया, जो मणिपुर के बारे में जानते हैं, यह राज्य का प्रमुख मुस्लिम अल्पसंख्यक संगठन है। उन्होंने मणिपुर का वर्णन इस प्रकार किया :

''मणिपुर एक लघु भारत है जहां पहाड़ियों और घाटियों के सभी समुदाय पिछले दो हजार साल अथवा अधिक समय से एक साथ शांतिपूर्वक रहते आ रहे हैं।''

और, यहां हमारे पास श्री स्वाइं है जो सम्प्रदायिक सद्भाव से कैसे रहे – इसपर मणिपुर को व्याख्यान दे रहे हैं। महोदय तत्पश्चात दिनांक 26 जून 2001 के पीपुल्स डिक्लेरेशन के जरिए मेरे पास अखिल मणिपुर छात्र संघ का अभ्यावेदन आया जिसके अनुसार :

''मणिपुर के लोग एक दूसरे के आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का सम्मान तथा संरक्षण करते हुए तथा यह मानते हुए कि वे सब एक हैं और जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी एक ही है और इस तरह उनकी नियत्ति भी साक्षी हैं, सभी स्थानीय लोगों के भावनात्मक और सामाजिक संबंधों को सुदृढ़ करने की अनिवार्यता को महसूस करते हैं।''

मेरे पास मणिपुर राजनीतिक पीड़ित संघ यह कहते हुए आया जिसे मैं उद्धृत करता हूं :

''मणिपुर में सदियों से 30 से अधिक जाति समूह एक साथ सद्भावना पूर्वक निवास करते रहे हैं। वहां विभिन्न समुदायों के बीच परिहार्य अविश्वास उत्पन्न करने के लिए सांप्रदायिकतावाद उत्पन्न करने के अतिरिक्त मुश्किल से ही कुछ हो सकता है जब यह सब हो जाएगा तो इसके अत्यंत अवांछित और दु:खद परिणाम होंगे।''

महोदय, मैं नहीं समझता कि किसी भी व्यक्ति को मणिपुर को यह बताने की आवश्यकता है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या होता है। मेरे पास अखिल मणिपुर शिक्षक संघ का यह वक्तव्य है :

जनसांख्यिकीय दृष्टि से मणिपुर के पहाड़ी जिलों में विभिन्न जनजातियां वास करती है। अति प्राचीनकाल से मेटियों के साथ इन जनजातियों का सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक संबंध है। मणिपुर के कई जातीय समूह परस्पर अविभाज्य रूप से मिलजुल गए हैं।

महोदय, मेरे पास मणिपुर विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का यह कथन है :

"युद्धविराम को बढ़ाने से निश्चित रूप से मणिपुरी समाज की बहुत्ववादी, बहुजातीय, बहुभाषिक और बहुधार्मिक प्रकृति की समरसता में व्यवधान उत्पन्न होगा।"

और अंत में, मैं लायरर्स फोरम के इन शब्दों को आपको बताता हूं :

"युद्धविराम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में कई गैर-नागा रह रहे हैं। मणिपुर के नागाओं और गैर-नागाओं के कई समूहों ने युद्धविराम समझौते की सीमा के विस्तार का विरोध किया है।

परंतु कुछ लोग राजनीतिक लाभ और वैयक्तिक लाभ प्राप्त करने के लिए मणिपुर की पहाड़ियों और घाटियों में रहने वाले लोगों के बीच खाई उत्पन्न करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं।"

परन्तु महोदय, मैं समझता हूं कि इन सभी तथ्यों से अधिक प्रभावशाली आवाज है उस सज्जन की जो सिंगजामेई चुनाव क्षेत्र से भाजपा के टिकट पर चुने गए थे और जो सेना के अत्यधिक प्रसिद्ध सेवानिवृत्त अधिकारी है अर्थात कर्नल एच० भुवन सिंह। अब मैं जो कुछ कहने जा रहा हूं इसके लिए मैं पूर्णत: उनका ऋणी हूं। सर्वप्रथम उन्होंने बताया है कि प्रत्येक मैटेई लड़की के विवाह में लेइरम अर्थात टंगखुल नागा शाल दहेज में अवश्य दिया जाता है। लाई हारोबा उत्सव में कुछ टंगखुल नागा नर्तक अवश्य होने चाहिए। मेरा थाओमेई थम्बा नामक उत्सव होता है जिसमें बांस के खंभे के ऊपर एक लैम्प जलाया जाता है जिसे टंगखुल नागाओं और मेइटियों के बीच का प्रकाश संकेत माना जाता है कि वे भाई हैं।

यही राज्य है जिसे साम्प्रदायिक असंगति की इस भयावह स्थिति पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। कर्नल भुवन सिंह ने ही मुझे ये आंकड़े (तथ्य) दिए है जिससे अब मैं आपको अत्यधिक गर्व के साथ अवगत कराना चाहता हूं कि मणिपुर भारत का अंग है तथा भारत एक देश है जिसका मैं सदस्य हूं। महोदय, जबकि मणिपुर में दो-तिहाई से ज्यादा आबादी मेइटी समुदाय की है तथा टंगखुल नागा, जैसा की उन्हें कहा जाता है, अल्पसंख्यक है तथा मणिपुर के मुस्लिम ही एकमात्र दूसरे अल्पसंख्यक है जिन्हें इनसे भी छोटा माना जाता है फिर भी मणिपुर राज्य के गठन की 29 वर्ष और 6 महीने की अवधि में केवल 9 वर्ष और 10 महीने तक मेइटी समुदाय के मुख्यमंत्री रहे है जो टंगखुल समुदाय के केवल एक मुख्यमंत्री श्री रिशांग कीशिंग के मणिपुर के मुख्यमंत्रित्व की अवधि से कम है।

महोदय, यह एक ऐसा राज्य है जो समकालीन समय में मो० अलीमुद्दीन नामक मुस्लिम मुख्यमंत्री के समय से अस्तित्व में आया। वह पहले मुख्यमंत्री थे तथा उन्होंने 20 मार्च 1972 से 27 मार्च 1973 तथा पुन: 4 मार्च 1974 से 9 जुलाई 1974 तक मुख्यमंत्री के पद को सुभोभित किया। तत्पश्चात् टंगखुल नागा समुदाय के श्री वाई सैजा मुख्यमंत्री बने, जिनके पुत्र मणिपुर की निलंबित विधानसभा में भाजपा के एम०एल०ए० है। श्री सैजा दो बार 10 जुलाई 1974 से 5 दिसम्बर 1974 तक तथा पुन: दो वर्ष से अधिक की अवधि के लिए 29 जून, 1977 से 13 नवम्बर 1979 तक मुख्यमंत्री रहे। 10 वर्ष और 7 महीने की अवधि के लिए श्री रिशांग कीशिंग मणिपुर के मुख्यमंत्री रहे जो एक टंगखुल नागा है।

महोदय, लोकसभा में इस राज्य के दो संसदीय क्षेत्र है। एक भीतरी मणिपुर निर्वाचन संसदीय क्षेत्र है तथा दूसरा बाहरी मणिपुर संसदीय क्षेत्र है। बाहरी मणिपुर घाटी के चारों ओर पहाड़ियों पर स्थित है तथा मुख्यत: यहां जनजातियों के दो समूह रहते है – नागा और कुकी। महोदय, अभी तक मणिपुर के नौ संसद सदस्य हुए है। नौ संसद सदस्यों में पांच टंगखुल नागा तथा चार कुकी थे। पांच टंगखुल नागा सांसद ये है : सर्वश्री रिशांग कीशिंग, यंगमासो सैजा, आर० सुइसा, कोलो कैइहो, मेइजिंगलुंग कामसन-I बाहरी मणिपुर के चार संसद सदस्य ये है – श्री पाओकाई हौकिप, श्री एन० गोउजागिन, श्रीमती किमनेइल्हिंग गंगते तथा श्री होलखोमांग हौकिप।

महोदय, यह एक ऐसा राज्य है जहां घाटी में कहा जाता है कि बहुसंख्यक समुदाय के लिए शासन करना आवश्यकत नहीं है।

पहाड़ियों पर यह कहा जाता है कि जनजातियों के दो समूहों – नागा और कुकी – के बीच सांसदों की साझेदारी कर लेते हैं। और इस सभा से उन्हें यह अध्याय पढ़ाया जा रहा है कि सांप्रदायिक सद्भाव में कैसे रहे। क्या पिछले तीन दशकों में कभी कोई सांप्रदायिक तनाव देखा गया है जो पिछले डेढ़ महीनों से हमने देखा है ?

नागालैंड और मणिपुर से सटे क्षेत्रों की समस्या कल की समस्या नहीं है। यह एक ऐसी समस्या है जो 1960 की पहली संधि के समय से विद्यमान है।

इन सालों के दौरान हमने किसी भी तरह सामर्थ्य से, संवेदनशील से और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्तों के प्रति अपनी दृढ़ निष्ठा से हम मणिपुर में हर समय सांप्रदायिक एकता बनाए रखने में सफल रहे हैं। समूची स्थिति में खराबी आने का कारण, विप्लव आने का कारण देश के इस संवेदनशील क्षेत्र में नए सरदार पटेल अर्थात नए शासनाप्रमुख द्वारा शासन के नए सिद्धान्तों को लागू करना है। इसके लिए मैं वर्तमान सरकार को ही पूरी तौर पर जिम्मेदार मानता हूं। जिसने इस क्षेत्र की ज्वलंत समस्या को पुन: हवा दी।

नागालैंड के बाहरी क्षेत्रों में युद्ध विराम का विस्तार करना इस समस्या को हवा देने की तीसरी चिन्गारी थी। इसके लिए मैं थोड़ा सा इतिहास में जाना चाहूंगा ताकि हम इसे सही परिप्रेक्ष्य में देख सकें।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया संक्षेप में कहिए।

श्री मणि शंकर अय्यर : कृपया मुझे अपनी बात कहने का अवसर दीजिए।

मैं इतिहास में इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि गृह मंत्री बाद में कहें कि उन्हें यह सुनकर हैरानी हुई कि ऐसी प्रतिक्रिया 14 जून के बैंकाक समझौते पर होनी चाहिए थी। इसके लिए मैं 27 फरवरी, 1997 से शुरू करता हूं। जब जैसा कि हमें अभी कुछ ही मिनट पहले बताया गया प्रधान मंत्री श्री देवगौड़ा मुइवा से मिले

[श्री मणि शंकर अय्यर]

थे। 21 जुलाई, 1997 को हुई इस बातचीत के परिणामस्वरूप पूर्व प्रधानमंत्री आई०के० गुजराल ने इस सभा में घोषणा करी कि 1 अगस्त, 1997 से युद्ध विराम लागू किया जागए। उसी समय यह संदेह उभरे थे कि क्या यह संघर्ष विराम नागालैंड में ही होगा अथवा इसे नागा बहुल क्षेत्रों में भी लागू किया जाएगा। चूंकि उस समय उस मुद्दे को ठीक प्रकार से सुलझाया नहीं गया था इसलिए, इम्फाल में एक बड़ी रैली हुई थी जिसमें एक संकल्प पारित किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से यह कहा गया :

''मणिपुर की जनता, सभी उपलब्ध साधनों से मणिपुर राज्य की विद्यमान क्षेत्रीय अखंण्डता और सीमाओं की रक्षार्थ हर तरह की समस्याओं के विरुद्ध एकजुट रहे और मौजूदा आंतरिक-सामुदायिक गठबंधकों को मजबूत करने के लिए सभी कदम उठाएं और आवश्यक व उपयोगी उपाय करें और जातीय सद्भावना को अधिकाधिक सार्थक और शाश्वत बनाएं।''

यह संकल्प भारत सरकार को भेजा गया जो श्री आडवाणी की फाइलों में है। तत्पश्चात् 7 अगस्त, 1997 की स्थिति आई जब इस संकल्प को भारत के प्रधान मंत्री को भेजा गया जो उनकी फाइलों में है। जिसमें यह कहा गया है :

''4 अगस्त, 1997 को हुई रैली में पांच लाख मणिपुरी लोगों में आपकी सरकार से यह अनुरोध किया कि संसद में आधिकादिक तौर पर एक स्पष्ट वक्तव्य दिया जाए कि जब तक मणिपुर राज्य भारत संघ का एक भाग है तब तक आप किसी भी समय मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता भंग करने का कोई कार्य नहीं करेंगे।''

7 अगस्त, 1997 को भी यह स्पष्ट था कि युद्ध विराम के भौगोलिक विस्तार को लेकर कई संदेह थे।

अब मैं मार्च, 1998 में गठित सरकार का उद्धरण दूंगा जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधान मंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण किया और तत्पश्चात उन्होंने एन०एस०सी०एन० (आई०एम०) नेतृत्व से बातचीत की श्री राजीव प्रताप रूडी ने भी इसका उद्धरण प्रस्तुत किया है। तत्पश्चात् उन सज्जन श्री स्वराज कौशल ने एक वक्तव्य दिया जिन्हें आपने एन०एस०सी०एन० (आई०एम०) से युद्ध विराम पर बातचीत करने के लिए नियुक्त किया था। श्री कौशल ने कुछ ऐसी टिप्पणियां की जिससे समस्या और गंभीर हो गई। मणिपुर में आंदोलन का सालों से नेतृत्व करने वाले ऑल मणिपुर युनाइटेड क्लबस संगठन (ए०एम०यू०सी०ओ०) ने आपकी एक पत्र लिखा।

13 नवम्बर, 1998 को श्री अटल बिहारी वाजपेयी को संबोधित इस पत्र में कहा गया कि ''भारत सरकार सहित किसी भी बातचीत करने वाले पक्ष के द्वारा मणिपुर की क्षेत्रीय अखण्डता का सौदा नहीं किया जा सकता।'' उन्होंने यह भी कहा कि ''यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि श्री स्वराज कौशल जिन्हें भारत सरकार ने एक दूत के रूप में नियुक्त किया था, ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर मणिपुर के विभाजन की बात की।''

आपको 1997 में चेतावनी दी गई, आपको 1998 में चेतावनी दी गई और 23 सितम्बर, 2000 को श्री स्वराज कौशल के स्थान पर श्री पद्मनाभैया को नियुक्त किया गया, सम्भवतः इसलिए क्योंकि श्री कौशल की टिप्पणी पर मणिपुर ने आपत्ति व्यक्त करी थी। आप एक ऐसी अपारदर्शी सरकार चला रहे हैं कि हमें पता नहीं, आपने श्री स्वराज कौशल को क्यूं हटाया किंतु हम इतने बुद्धिमान तो हैं कि हम यह समझ सकें कि आपने ऐसा क्यूं किया। सितम्बर, 2000 में आए श्री पद्मनाभैया पर भी उन्होंने संदेह किया। महोदय, मैं करीब एक साल पहले की स्थिति के बारे में बात कर रहा हूं। यह कहा गया कि उन्होंने भी ऐसी टिप्पणियां देनी शुरू कर दी जिससे ए०एम०यू०सी०ओ० ने भारत के प्रधानमंत्री को लिखा जो ''नई दिल्ली और कलकत्ता के दैनिक पत्रों में छपा कि श्री पद्मनाभैया सुरक्षा बलों और एन०एफ०सी०एन० (आई०एम०) के बीच संघर्ष विराम की बातचीत कराकर इसे मणिपुर के नागा बहुल क्षेत्रों में लागू करना चाहते हैं।'' उन्होंने कहा कि ''उनकी टिप्पणियों से मणिपुर में विनिभन्न वर्गों के बीच संदेह का वातावरण पैदा हो गया। जिससे मणिपुर में, तनाव की स्थिति पैदा हो गई। मणिपुर के किसी भाग में संघर्ष विराम लागू करना एक संवदेनशील मुद्दा बन गया है।'' उक्त वक्तव्य से जनता व्यथित हो गई। यह कोई भी कल्पना कर सकता है कि यदि सरकार युद्ध विराम के विस्तार के लिए कदम उठाती तो क्या होता। यह स्थिति 23 सितम्बर, 2000 की है।

ए०एम०यू०सी०ओ० ने आपको चेतावनी दी है कि जो आपने किया यदि आप पुनः वैसा ही करते हैं तो आप गंभीर समस्या में पड़ सकते हैं। और आपने किया क्या ? जहां तक मैं देखता हूं गृह मंत्रालय ने इस मामले को भुला दिया, उसने इसके प्रति आखें मूंद ली, और सम्भवतः इससे स्थिति और बदतर हो गई। आप फिर उसी लीक पर चलना चाहते थे। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य समय समाप्त हो गया है।

श्री मणिशंकर अय्यर : महोदय, जब तक आप मुझे अनुमति देंगें, मैं तभी तक बेलूंगा और फिर बैठ जाऊंगा। किन्तु ऐसे कई मुख्य प्रश्न हैं जो उठाए जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के पूर्वोत्तर के प्रभावी महासचिव के रूप में, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मुझे यह मामला गृह मंत्री के समक्ष रखने की अनुमति दी जाए।

23 सितम्बर के बाद एक बहुत ही अजीब घटना हुई। 28 सितम्बर को प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाने के स्थान पर केवल कुछ मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाने का निर्णय लिया। उस बैठक में असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मणिपुर के मुख्यमंत्री तो थे किंतु उसमें नागालैण्ड के कांग्रेसी मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया गया। हमें नहीं मालूम कि उस बैठक में क्या हुआ लेकिन हमें कुछ इस प्रकार पता चला और हमने गृह मंत्री से इसकी पुष्टि भी की कि 28 सितम्बर, 2000 की बैठक में उपस्थित चारों मुख्यमंत्रियों ने आपको नागालैंड से बाहर संघर्ष विराम लागू करने के विरुद्ध चेतावनी

दी थी। और आपसे कहा था कि यदि आपने ऐसा किया तो आप समस्या में पड़ जाएंगे। आप जानते थे कि यह सब 28 सितम्बर को हुआ और 9 महीने बाद भी यानि 14 जून, 2001 को आप नागालैण्ड के बाहरी भागों में संघर्ष विराम की बात करके पुन: उसी लाइन पर चल रहे हो।

जनवरी, 2001 में माननीय गृह मंत्री ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात कही थी क्योंकि श्री जार्ज फर्नान्डीज ने जैसा कि श्री शंकरशान ठाकुर ने कहा है, व्यर्थ दखल देकर, नीपामाचा सिंह की सरकार को गिरवा दिया था। उस समय कांग्रेस पार्टी से औपचारिक रूप से कहा गया कि "क्या हम राष्ट्रपति शासन लगाएं ?" और कांग्रेस पार्टी ने गृह मंत्री से कहा कि हम इसका आक्षेप अपने ऊपर नहीं लेना चाहते। आप कृपया देखिए और अन्य सभी दलों को टटोलिए क्या वे भी राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं और तब हम से बात कीजिए। गृह मंत्री ने इस बारे में पुन: कांग्रेस पार्टी से बात नहीं की बल्कि खेल शुरू हो गया। पहले राधाविनोद कोरजाम सरकार थी फिर हमने देखा कि वहां हर कोई अपना दल छोड़कर दूसरे दल में जा रहा है और अंतत: पाया गया कि भाजपा भी अपने पत्ते खेल रही है। सभा में अस्तित्व विहीन समता दल, अस्तित्वविहीन भाजपा से लड़ रही थी जिसमें समता दल का कोई सदस्य चुन कर नहीं आया था मात्र भाजपा के कुछ ही सदस्य चुन कर आए थे।

इसका परिणाम यह हुआ कि समूचा राजनीतिक वर्ग मणिपुर की जनता के लिए पूर्णतया तिरष्कृत हो गया है। 23 मई की ए०एम० आई०सी०ओ० ने एक बार फिर भारत के प्रधान मंत्री को पत्र लिखा — मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 14 जून के बैंकाक समझौते को तीन सप्ताह हो चुके हैं। इसमें कहा गया "पिछले साल जब मणिपुर में युद्ध विराम बढ़ाए जाने का प्रस्ताव पुन: रखा गया तो 28 सितम्बर, 2000 को लाखों लोग सड़कों पर उत्तर आए और मणिपुर में किसी भी प्रकार से उसकी एकता और अखण्डता को भंग करने को "नहीं" कहा और युद्ध विराम को एक स्वर से 'नहीं' कहा। मणिपुर की क्षेत्रीय अखण्डता को सुरक्षित रखने के लिए मणिपुर विधानसभा ने चार बार संकल्प किया — पहला, 24 मार्च, 1995 को, दूसरा 14 मार्च, 1997 को, तीसरा 17 दिसम्बर, 1998 को और आखिर में 22 मार्च, 2001 को गृह मंत्रालय यह सब जानता है। वे इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। इस सभा के कई सदस्य नहीं जानते होंगे क्योंकि मणिपुर एक दूरस्थ राज्य है और यह एक छोटा राज्य है तथा और भी कई समस्याएं हैं जिनका हमें हल करना है। गृह मंत्रालय यह सब जानता था और यह सब जानते हुए भी यह बात यह समझ में नहीं आती कि उन्होंने श्री पद्मनाभैया को युद्ध विराम विस्तार पर बातचीत के लिए क्यूं भेजा जिससे युद्ध विराम, नागालैण्ड से लगे हुए नागा बहुल तीन अन्य राज्यों की सीमाएं भी लांघ गया।

परिणाम यह हुआ कि हम खुद से ही यह पूछना होगा कि युद्ध विराम से उठे मुख्य प्रश्न कौन से हैं।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : उपाध्यक्ष जी, और भी कई माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपको भी चांस मिलेगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मणिशंकर अय्यर : महोदय, मणिपुर इंटरनेशनल यूथ सेंटर ने प्रधानमंत्री को निम्नलिखित संवैधानिक बिंदूओं पर ई-मेल भेजा था।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा : उपाध्यक्ष महोदय, एक ही बात को चार बार रिपीट कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री झा, मैं आपको अवसर दूंगा। इस प्रकार व्यवधान न डाले।

श्री मणिशंकर अय्यर : हम अत्यन्त उचित मामले उठा रहे हैं। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृपया व्यवधान न डालें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अय्यर, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री मणि शंकर अय्यर : ये प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण जिनका उत्तर गृह मंत्री महोदय को देना है। राज्य सरकार से परामर्श किए बगैर तथा उसकी सहमति के बिना आपने बैंकाक युद्ध विराम समझौता पर हस्ताक्षर करके संवैधानिक उलट फेर कैसे किया ? संविधान के किस प्रावधान के अधीन आपको ऐसी शक्ति मिली कि आपने एक तरफा निर्णय लेकर राज्य के विषय को अपने पास ले लिया। संविधान के अनुच्छेद 263 का सहारा लिए बगैर संवेदनशील संघीय ढांचे में व्यवधान डालने वाले अपने कार्य का औचित्य किस प्रकार सिद्ध करेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय आप चाहते हैं कि मैं अपनी बात समाप्त करूं तो अन्त में मुझे यह कहने दीजिए कि हमें अभी तक यह ज्ञात नहीं है कि इन तीन शब्दों को निकलाने के लिए कथित रूप से किया गया समझौता वैध है या नहीं। आज के 'द हिन्दू' में मणिपुर के एन०एस०सी०एन० (आई०एम०) के एक स्थानीय वरिष्ठ प्रति-निधि के हवाले से रिपोर्ट छपी है जिसमें इस बात से इन्कार किया गया है कि एन०एस०सी०एन० (आई०एम०) ने इन तीन शब्दों

[श्री मणि शंकर अय्यर]

'विदाउट टेरिटोरियल लिमिट' को हटाया जाना स्वीकार कर लिया है। *(व्यवधान)* मैं एक वाक्य कहकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

महोदय, हमारे पास यह स्वीकार करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन होना चाहिए। लेकिन हम इस बात पर बल देते हैं कि मणिपुर में छह माह के अन्दर चुनाव कराये जाने चाहिए और इसे छह माह से ज्यादा नहीं बढ़ाया जाए। हम मणिपुर के लोगों की सहमति से ही राज्य में सामान्य स्थिति बहाल कर सकते हैं। हम सिविल अधिकारियों को ऐसे कार्य करने हेतु, जिनके वे योग्य नहीं हैं, प्रश्रय प्रदान करने के हाल ही के वर्षों में शुरू की गई अनुचित व्यवस्था के द्वारा इसे और आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी असम के मुख्यमंत्री और नागालैण्ड के मुख्य मंत्री की उस मांग का समर्थन करती हैं कि पद्मनाभैया की सेवाओं को तत्काल समाप्त किया जाए तथा उस क्षेत्र की जानकारी रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति को बातचीत के लिए वहां भेजा जाए।

श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल (बुलढाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मणिपुर में संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन लगाये जाने का समर्थन करता हूं। मैं अपनी पार्टी शिवसेना की तरफ से इसका समर्थन करता हूं। लेकिन, वास्तव में हम संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन लगाये जाने के विरुद्ध हैं क्योंकि हमारा विगत अनुभव अच्छा नहीं है। एक क्षेत्रीय दल होने के नाते हमारे विगत के अनुभव अच्छे नहीं रहे हैं।

मूल विषय पर आते हुए मेरा कहना है कि मणिपुर में अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन लगाने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। हमने मणिपुर के राज्यपाल द्वारा भेजी गई रिपोर्ट को पढ़ा है। उन्होंने 1 मार्च, 2000 को 'एसेम्बली' के गठन के पहले दिन से लेकर एसेम्बली की प्रतिदिन की घटनाओं की रिपोर्ट दी है। यू०एफ० सरकार ने 15 फरवरी, 2001 को त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद से वहां कोई सरकार नहीं है। राज्यपाल ने सभी प्रकार के अवसर दिये हैं तथा प्रजातन्त्र का सम्मान करने के सभी प्रयास किए हैं। उन्होंने मणिपुर में सरकार बनाने के अवसर प्रदान किये। लेकिन दुर्भाग्य से, वे सफल नहीं हुए। दूसरा कोई विकल्प नहीं था। अंततः मामले की कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए कि सीधे एसेम्बली को भंग नहीं किया जा सकता है, जैसा कि माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है, उन्होंने एसेम्बली के निलम्बन के लिए कहा है। साढ़े पांच महीने बाद भी किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं हुई है। मणिपुर में सरकार के गठन के लिए कोई आगे नहीं आया। इसी कारण से संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन लगाना ही विकल्प था।

मेरे सामने सभी दलों के वक्ताओं ने इस बात पर सहमति जतायी थी कि अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन लगाने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। इस मामले में मैं श्री येरननायडू की इस बात का समर्थन करता हूं कि अनेक दलों की कुछ एसेम्बली सदस्यों ने सरकार के गठन के लिए एक, दो बार नहीं बल्कि चार बार अभ्यावेदन पर हस्ताक्षर किये। यह गंभीर मामला है। हमें संसद सदस्य के रूप में इस पर गंभीरता से ध्यान देना है। जैसा कि यहां प्रत्येक ने मांग की कि एसेम्बली को भंग किया जाना चाहिए तथा जितना शीघ्र हो सके वहां चुनाव कराये जाने चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि मणिपुर में सामान्य स्थिति बहाल की जानी चाहिए तथा जितना शीघ्र हो सके वहां चुनाव कराये जाने चाहिए।

अपराह्न 4.39 बजे

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ, मैं एक बार पुनः मणिपुर में संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन लगाने का अनुमोदन करने संबंधी संकल्प का समर्थन करता हूं।

श्री पी०एच० पांडियन (तिरूनेलवेली) : अध्यक्ष महोदय, मैं ए०आई०ए०डी०एम०के० पार्टी की तरफ से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाये जाने का निम्न आधारों पर विरोध करता हूं। संविधान सभा में संविधान निर्माता डा० अम्बेडकर ने बहस में भाग लेते हुए कहा था कि संविधान का अनुच्छेद 356 निष्क्रिय पड़ा रहना चाहिए। वे इसको सक्रिय क्यों करना चाहते हैं ? अतः, मैं डा० अम्बेडकर की भावनाओं और शब्दों का सम्मान करने के लिए, गृह मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस उद्घोषणा को वापस लिया जाए।

महोदय, राष्ट्रपति शासन लगाना केन्द्र में सत्तासीन सरकार के लिए अत्यन्त सुविधाजनक एवं महत्वपूर्ण विकल्प है। अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग दलों की सरकार हैं। अनुच्छेद 356 केन्द्र में सत्तासीन सरकार के दल के अतिरिक्त अन्य दल के मुख्यमंत्री, चाहे वह भाजपा या अन्य किसी दल का हो, के लिए आसन्न खतरा है। अत: मेरा कहना है कि अनुच्छेद 356 संविधान की संघीय भावना के अनुरूप नहीं है। राज्यों को शासन करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। राज्य सूची में रखे गए विषयों पर उन्हें कार्य करने की गांरटी है। केन्द्र को चाहिए कि पुलिस, कानून और व्यवस्था, वित्त आदि राज्य सूची के विषयों पर अधिक्रमण न करे।

अत: यह उद्घोषणा संविधान की संघीय भावना के अनुरूप नहीं है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद नागालैण्ड और मणिपुर में हिंसात्मक घटनायें घटी हैं। बहुत अधिक हत्यायें हुई हैं लेकिन इससे समस्या हल नहीं होती है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने के पहले मई महीने से हम देख रहें हैं कि अलग तरह की हत्यायें हो रही है। केन्द्र सरकार कुछ कहने में सक्षम नहीं है, वह शासन करने में सक्षम नहीं है, और वह सरकार को इस बारे में कोई निर्देश नहीं दे सकती कि विद्रोह को कुचलने के लिए सख्त कदम उठाए जायें। उन्होंने नागा उग्रवादियों, एन०एस०सी०एन० से बात की। लेकिन सरकार उस 'ग्रुप' के साथ कोई सहमति नहीं बना सकी। उस 'ग्रुप' में मतभेद थे। प्रधानमंत्री से मिलने के बाद मुख्यमंत्री श्री जमीर ने कहा कि उन्हें समस्या का समाधान नहीं मिल सका है। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा संविधान की भावना के अनुरूप नहीं है। अतः, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री और केन्द्र सरकार से अनुरोध करता

हूं कि इस परिस्थिति में संविधान के अनुच्छेद 356 का प्रयोग न किया जाए।

महोदय, मैंने समाचार पत्र में एक रिपोर्ट पढ़ी है – मैंने वह आदेश या वैसा कुछ नहीं देखा है – कि केन्द्र सरकार किसी अधिकारी को सीधे अन्य राज्य में स्थानान्तरित कर देती है। ऐसा, करने का कानूनी प्रावधान कहां है ? मैं गत तीस वर्षों से वकालत कर रहा हूं। किसी कानून के अधीन ऐसा करने का प्रावधान नहीं है। अत:, जब किसी प्रकार का संवैधानिक प्रावधान नहीं, है तो क्या यह केन्द्र सरकार को लाभ पहुंचाने के लिए किसी उच्च अधिकारी को दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित करना संवैधानिक कार्य है ? महोदय, प्रधानमंत्री ने शपथ ली है कि वह अपना कार्य बिना किसी भय या पक्षपात के करेंगे तथा संविधान और कानून के अनुसार सभी प्रकार के लोगों के साथ न्याय करेंगे।

आपको सभी राज्यों के साथ एक सा व्यवहार करना चाहिए। आप किसी राज्य विशेष पर किसी प्रावधान विशेष का आरोपण नहीं कर सकते। इस प्रकार की उद्घोषणा जारी करते समय आप राज्यों के बीच अन्तर नहीं कर सकते। दिशानिर्देश कहां है ? गृह मंत्री महोदय मैंने बोम्मई मामले में दिए गए फैसले के अन्तिम पैराग्राफ को पढ़ा हैं। क्या कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने पर संविधान में किस प्रकार का प्रावधान है ? जब दिल्ली शहर के बीचोबीच हत्यायें हो रही हों तो क्या आप वहां राष्ट्रपति शासन लगायेंगे ? केन्द्र सरकार का कोई विकल्प नहीं है। यदि आप अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन उचित रूप से नहीं कर सकते तो, संभवत:, संविधान में किसी प्रकार का व्यवहारिक विकल्प नहीं है। देश का यही भाग्य है। कोई विकल्प नहीं है। लोग आपसे छोड़ने या मिट जाने के लिए कहते हैं। जब संविधान में आपके लिए कोई विकल्प नहीं है तो अकेले इस राज्य पर ही अनुच्छेद 356 क्यों लगा रहे है ? आप संविधान में कुछ विकल्प तलाश कीजिए। 'एसेम्बली' की बैठक छह माह में एक बार हो सकती है। आप इसे स्थगित कर देते हैं। छह माह बाद फिर मिलें। आप राष्ट्रपति शासन क्यों लगाना चाहते हैं ?

मैं सता पक्ष अथवा विपक्ष का समर्थन नहीं करता। संवैधानिक कानून के तौर पर यह उपबंध प्रत्येक सरकार के लिए मध्यवर्ती उपबन्ध है। राजद सरकार को बर्खास्त किया गया और फिर उसे बहाल किया गया। क्या आप अन्य राज्य सरकारों के साथ भी इसी प्रकार का व्यवहार करना चाहते हैं ? अत:, अनुच्छेद 356 संवैधानिक नहीं अपितु एक गैर-संवैधानिक कार्य है। सरकार को सत्ता का कोई असंवैधानिक कार्य नहीं करना चाहिए। संघीय ढांचे को बनाये रखने के प्रश्न पर इस समय सिद्धान्तत: किसी को भी अनुच्छेद 356 को लागू करने का स्वागत नहीं करना चाहिए।

मेरे मित्र, श्री के० येरननायडू ने कहा है कि 1980 में उन्हें इसका अनुभव हुआ था। अनुच्छेद 356 के द्वारा उनकी 194 विधायकों वाली सरकार को बर्खास्त कर दिया ग्या था। अनुच्छेद 356 को लागू करने के प्रश्न पर सभी राजनीतिक दलों ने शोरशराबा किया। अत:, गृह मंत्री जी, इस संकट से उबरने के लिए कोई संवैधानिक अथवा असंवैधानिक उपाय कीजिए। अत:, आपने यह सादृश्य तर्क दिया है कि केन्द्र सरकार के पास शासन करने का कोई विकल्प नहीं है।

यह संवैधानिक रूप से निर्वाचित सरकार है। आपने एक समझौता किया है। आपने विश्व व्यापार संगठन के साथ भी समझौता किया है। लोग सज़ा भुगतते हैं। यही हमारे देश का भाग्य है। हम कुछ नहीं कर सकते। संसद सदस्य के रूप में हम कुछ करने में समर्थ नहीं हैं। यह नियति है। आपको संवैधानिक रूप से अपने मन और मस्तिष्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यदि आप संवैधानिक रूप से विचार नहीं करते तो भारत के लोगों का यही भविष्य है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री पी०एच० पांडियन : घंटी की आवाज ने मेरे विचार प्रवाह में व्यवधान उत्पन्न कर दिया है। मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा।

हम कितने ही अवसरों और मामलों पर संसदीय प्रक्रियाओं का अनुपालन करते रहे हैं। इसमें विश्वास प्रस्ताव की बात है। हमने सर्वदलीय बैठक में कहा था कि हम आपके साथ हैं। आपने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी हमसे परामर्श नहीं किया। बातचीत असफल होने पर आपने हमसे उस चर्चा का विश्लेषण करने के लिए परामर्श किया। यह इस देश की नियति है। पाकिस्तानी जनरल से मिलने से पहले आपको हमे विश्वास में लेना चाहिए था। उस दिन मैं राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में विचार कह रहा था। आप अपने राजग की बैठक कीजिए। आप आपस में बातचीत कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर यहां सभी से परामर्श कीजिए। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, जो हमारे राष्ट्र से जुड़ा हुआ है। यह कोई दलगत मुद्दा नहीं है। अत:, दलीय भावना से प्रेरित होकर अनुच्छेद 356 को लागू न करें। किसी भी सरकार को कोई ऐसा निदेश जारी न करें या लिखित रूप में न दें, जिसकी व्यवस्था संविधान में न की गई हो। *(व्यवधान)*

संविधान के अनुसार राज्य की सुरक्षा केन्द्र सरकार का दायित्व है। यह सरकार का प्रावधान है यह केन्द्र सरकार का कर्तव्य है कि वह राज्य सरकार की सुरक्षा करे। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान न डालें।

श्री पी०एच० पांडियन : यह उसका कर्त्तव्य है कि वह राज्य सरकार के विरुद्ध काम न करे। मैं यह बताना चाहता हूं कि आप अनुच्छेद 355 के प्रावधान लागू कर सकते हैं। इसमें यह व्यवस्था की गई है कि राज्य की सुरक्षा और वहां सरकार स्थापित करना केन्द्र का दायित्व होगा। किसी ने भी उस प्रावधान को नहीं पढ़ा है। वे केवल संख्या पढ़ते हैं। अनुच्छेद 355 का क्या अर्थ है ? इसका तात्पर्य यह है कि राज्य की सुरक्षा करना केन्द्र का दायित्व है। अत:, प्रत्येक राज्य की सुरक्षा आपका दायित्व है और आप यह नहीं कह सकते कि हम अमुक राज्य की सुरक्षा करेंगे और अमुक राज्य की सुरक्षा नहीं करेंगे। यह आपका दायित्व है। केन्द्र सरकार, आम आदमी की संपत्ति है, यह आम राजनीतिक संपत्ति है। यह केवल राजग की ही मिल्कियत नहीं है। अत:, अनुच्छेद 356 पर चर्चा करते समय,

[श्री पी०एच० पांडियन]

ऐसी घोषणा जारी करते समय, सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लिया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा है कि यह एक अलग बात है और मणिपुर और नागालैण्ड में बिल्कुल अलग स्थितियां हैं। वहां हत्याएं हो रही हैं, कानून और व्यवस्था संबंधी समस्यायें हैं, विदेशियों संबंधी मुद्दा है, तस्करी हो रही है, और बहुत से ऐसे मामले शामिल हैं। अत:, मैं माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इसके, पश्चात् देश के किसी भी भाग में राष्ट्रपति शासन लागू न किया जाये। जैसाकि डॉ० अम्बेडकर ने कहा है, कि इसे अप्रचलित प्रावधान के रूप में रखा जाना चाहिये। यदि आप डॉ० अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, तो आपको उनकी भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : महोदय, मैं मणिपुर में अनुच्छेद 356 लागू करने का समर्थन करता हूं। मणिपुर की भावनाएं नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के बलिदानों के कारण पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई हैं। जिनका श्री मणिशंकर अय्यर ने स्पष्ट उल्लेख किया है और उन्हें श्रंद्धाजलि अर्पित की है। हम इस बात की पूर्ण सराहना करते हैं कि वहां इंडियन नेशनल आर्मी का मुख्यालय था और जब भारत आजाद नहीं था तब इम्फाल में ही पहली बार हमारा राष्ट्रीय झंडा फहराया गया था।

मणिपुर राज्य कांग्रेस पार्टी के निपामाचा सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में अब सरकार की पहली वर्षगांठ मनाई गई थी, उस समय मुझे मुख्य अतिथि, कुमारी ममता बनर्जी के साथ जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। सारे मणिपुर राज्य में बड़े उत्साह का माहौल था। मणिपुर की जनता बहुत खुश थी और उनकी सरकार की पहली वर्षगांठ की सभी सराहना कर रहे थे। हम सभी ने उसमें भाग लिया था।

बहुत से मामले, जिनका उल्लेख किया गया है, मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता। हम यह अनुभव करते हैं कि राष्ट्रपति सुशासन लागू होना चाहिए और कम से कम कुछ समय के लिए सुशासन होना चाहिए। उसके पश्चात्, हम अगले चुनाव करवा सकते हैं। परन्तु जहां तक पूर्वोत्तर राज्यों का सम्बन्ध है, वहां अभी भी विद्रोह की नियति बनी हुई है।

मैं माननीय गृह मंत्री से उत्तर चाहता हूं। क्या आप हमें यह बतायेंगे कि जो लोग अब भूमिगत हो गये हैं, उनसे आप बातचीत शुरू करने जा रहे हैं ? ये यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, पी०आर०ई०पी०ए०के०, के०वाई०के०ए० इत्यादि हैं। इन लोगों से परामर्श किए बिना आपने नेशनेलिस्ट सोसलिस्ट कांउसिल आफ नागालैंड (आई०एम०) से बातचीत शुरू कर दी है। क्या ऐसे लोग के साथ जो पूरे तौर पर भूमिगत हो गये हैं और वहीं से अराजक गतिविधियां चला रहे हैं, बातचीत शुरू की जायेगी?

महोदय, हालांकि नागालैण्ड में युद्ध विराम और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करना दो अलग-अलग विषय हैं परंतु फिर भी उनका एक दूसरे से सम्बन्ध है। हालांकि प्रादेशिक ''सीमाओं के बिना'' (विदाउट टेरीटोरियल लिमिट्स शब्द हटाने का निर्णय विलंब से किया गया है फिर भी हम इसका स्वागत करते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में से आने के बाद, आपने स्पष्ट तौर पर कहा है कि युद्ध विराम नागालैण्ड तक ही सीमित रखा जायेगा, अन्य पूर्वोत्तर राज्यों तक इसे नहीं बढ़ाया जायेगा। उपर्युक्त तीन शब्दों को हटाकर सरकार ने इस मुद्दे का सही समाधान निकाला है। हम इस संशोधित निर्णय का पूर्ण समर्थन करते हैं। वास्तव में, आपने वास्तविकता का सही अनुमान लगाया है और आपको इस पर पुनर्विचार करना होगा। इससे अभी भी कुछ प्रश्न पैदा हो रहें हैं।

हम यह जानना चाहते हैं कि क्या इस घोषणा के उपरांत पूर्वोत्तर राज्य के लोगों की नजर में सरकार की विश्वसनीयता समाप्त हो जायेगी अथवा उस पर शंका की जायेगी; क्या एन०एस०सी०एन० उस प्रस्ताव से सहमत है जिसमें दूसरे चरण में आपने संशोधन किया है। यह दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुझे मणिपुर के लोगों से एक प्रकाशन प्राप्त हुआ है। जिसमें उन्होंने नागालिम का जिक्र करते हुए छापा है जिसका एन०एस०सी०एन० (आई०एम०) सम्प्रभुता सम्पन्न देश के रूप प्रस्ताव कर रहा है। जब वे नागालिम को एक पृथक सम्प्रभुता सम्पन्न देश बनाने का प्रस्ताव कर रहे हैं तो हम यह जानना चाहते हैं कि क्या भारत की जनता एन०एस०सी०एन० (आई०एम०) के साथ वार्ता करना ठीक समझती है।

श्री मणि शंकर अय्यर ने श्री पद्मनाभैया की भूमिका के बारे में उल्लेख किया है। यह बात पूर्वोत्तर राज्यों के विभिन्न मुख्य मंत्रियों की बैठक में भी उठाई गई थी। आपके साथ बैठक के उपरांत उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में भी यह कहा कि उन्हें इस बातचीत से हटाया जाना चाहिए। मेरे विचार से, सरकार को पारदर्शक होनी चाहिए और इस सम्बन्ध में सरकार जो भी निर्णय ले, उसकी सूचना उसे स्पष्ट रूप से सभा को देनी चाहिए। राजनीतिक दल उसका विरोध भी कर सकती हैं और समर्थन भी। समाचारपत्रों में इस संदर्भ में कुछेक टिप्पणियां की गई हैं चाहे ये युद्ध विराम विस्तार में परिवर्तन या इस निर्णय से केन्द्र के समक्ष पहले जैसी स्थिति पैदा होने से संबंधित हों। हमारा अभी भी विश्वास है कि पूर्वोत्तर राज्यों के हित में ये तीन शब्द 'विदाउट टेरीटोरियल लिमिट' हटाकर सरकार ने सही निर्णय लिया है।

मैं श्री येरननायडू की भावनाओं की सराहना करता हूं और उनकी इस बात से सहमत हूं कि जहां तक दल-बदल रोधी कानून का सम्बन्ध है, बहुत से लोग इसका फायदा उठाते हैं। किसी व्यक्ति को एक दल से निलंबित किए जाने पर उसे अकाली सरकार में मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यदि कोई प्रणाली इन्हीं विचारों पर आधारित हो तो वह लम्बे समय तक नहीं चल सकती।

जहां तक अनुच्छेद 356 के अंतर्गत मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने के निर्णय का सम्बन्ध है। हमारी यह धारणा थी कि माननीय प्रधान मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों के चहुंमुखी विकास के लिए एक पैकेज सभा में रखा है। पूर्वोत्तर राज्यों में जो मास्टर प्लान लागू किए जाने का प्रस्ताव था, उसे धनराशि की कमी के कारण मूर्त रूप नहीं दिया

सका। हमें उसकी प्रतियां मिली हैं। भिन्न मत वाले अनेक प्रस्ताव सभा में रखे गये। पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों में असुरक्षा की भावना घर कर गई है कि उनका समुचित ध्यान नहीं रखा जा रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों के प्रत्येक भाग में अराजकता फैल रही है जिससे वे असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हम समझते हैं कि सरकार को इसका ध्यान रखना चाहिए। आप घटना स्थल पर जाकर जांच कर रहे हैं और उन स्थानों पर जा रहे हैं, जहां गड़बड़ उत्पन्न हो रही है।

अपराह्न 5.00 बजे

हम इसका पूर्ण समर्थन करते हैं और यह विश्वास करते हैं कि आप अपनी प्रबंध-कुशलता और दूरदर्शिता का परिचय देते हुए इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि इन समस्याओं को सुलझाया जाये। पूर्वोत्तर राज्यों में अराजकता से भारतीय अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो रहा है। उसे यह संकेत देना चाहिए कि भारत एक सुसंगठित देश है और पूर्वोत्तर भाग इससे अलग नहीं है। उन्हें यह महसूस नहीं करना चाहिए कि वे अलग हैं। वे हमारे एक अभिन्न अंग हैं। इस सभा से यह आम भावना परिलक्षित होनी चाहिए कि इस देश की सर्वोच्च संस्था, यह संसद इस देश के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ है। हम मणिपुर में अनुच्छेद 356 को लागू करने संबंधी निर्णय की सराहना करते हैं।

श्री होलखोमांग हौकिप (बाह्य मणिपुर) : महोदय, मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेषरूप से मणिपुर का सबसे प्रभावित संसद सदस्य हूं। अपनी बात कहने से पहले मैं इस माननीय सभा में दो मुद्दे उठाना चाहता हूं पहला, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा ? यह माननीय सभा बिल्ली के गले में घंटी बांध सकती है। बिल्ली दसवीं अनुसूची है। दसवीं अनुसूची बहुत कमजोर है और आप मणिपुर के सभी विधायकों को दोष देते हैं। आप अन्य राज्यों के सभी विधायकों को दोष दे सकते हैं। केवल इसी राज्य में आयाराम और गयाराम दिक्कत नहीं है। अब अगर तीन में से एक विधायक पार्टी छोड़कर जाता है तो उसके लिए यह बहुत आसान है। दसवीं अनुसूची ने मुझे बचाया है। अथवा यदि 30 विधायकों में से 10 विधायक पार्टी छोड़ कर जाते हैं तो दसवीं अनुसूची उन्हें सुरक्षा प्रदान करेगी *(व्यवधान)* हमारे संविधान का यह भाग सही नहीं है। यह अनुसूची आयाराम और गयाराम के लिए ठीक है। यह अनुसूची सशक्त होनी चाहिए। अत:, में दीर्घावधि में इस समस्या के समाधान करने प्रस्ताव करता हूं। हमें इस दसवीं अनुसूची को हटा देना चाहिए और इससे कड़ा कानून लागू करना चाहिए। इस तरह हमारी पार्टी में विधायकों की संख्या कम नहीं होगी और कोई भी आयाराम गयाराम नहीं होगा। यह प्रवृति कम होगी। पूरे भारत में एक स्थायी सरकार होगी।

दूसरा, हम एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहते हैं। हम मौजूदा सरकार पर दोष रोपण करते हैं। यह प्रवृत्ति विशेषरूप से 'राजग' की सहयोगी पार्टियों यथा समता पाटी तथा भाजपा पार्टी की उपज है। मैं उन लोगों के नाम नहीं लेना चाहता हूं। आपने समता पार्टी को एक विधायक के साथ सरकार बनाने की अनुमति दे दी। उस विधायक की मृत्यु हो गई तो उनके विधायकों की संख्या 14 हो गई। आपने उन्हें सरकार बनाने की अनुमति दे दी। तब भाजपा ने पुन: अपने विधायकों की संख्या 6 से बढ़ाकर 26 कर ली। आपको इस बात की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी क्योंकि आप लोकतांत्रिक सरकार के विरुद्ध नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, अब आप अलोकतांत्रिक हो गए हैं। आप एक पार्टी को ऐसा करने की अनुमति देते हैं और दूसरी पार्टी को नहीं। यह बहुत गलत बात है। संविधान सर्वोच्च होना चाहिए। तथापि, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि कोई पार्टी अथवा सभा में कोई अन्य सरकार बनाए। जब सभा में बहुमत के विधायकों को सरकार बनाने की अनुमति नहीं दी जाती है तो क्या हम आयाराम और गयाराम के साथ न्याय कर रहे हैं ? आगे जाकर हम उस स्तर तक गिर सकते हैं। जहां तक दसवीं अनुसूची का संबंध है हम कोई प्रयास किए बिना हम अत्यधिक दोषारोपण कर रहे हैं क्योंकि दलबदल बहुत आसान है।

मुझे तीसरी बात उन छोटे राज्यों के बारे में कहनी है जहां विधायकों की संख्या बहुत कम है। मिजोरम में विधायकों की संख्या 40, मणिपुर में 60, मेघालय में 60 तथा त्रिपुरा में 60 है। विधायकों की संख्या बहुत कम है। यदि कोई विधायक पार्टी छोड़कर जाता है तो सरकार भी गिर जाती है। इसलिए, यह देखते हुए मैं इस संबंध में आपका सुविचारित मत चाहता हूं जो व्यक्ति विशेष अथवा पार्टी विशेष पर आधारित न हो क्योंकि जब तक हम इसे रोकेंगे नहीं यह ऐसे ही चलता रहेगा। इसलिए मुख्य उत्तरदायित्व हमारा, संसद का है।

हम बहुत अभागे हैं; मणिपुर के लोग बहुत अभागे हैं।

दूसरी ओर, महत्वपूर्ण बात है यह कि हमें मंत्रिपरिषद् में मंत्रियों की संख्या कम करनी होगी। यह दस प्रतिशत अथवा इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। माननीय गृह मंत्री ने कहा है कि यह संख्या 39 हो गई थी। मंत्रिपरिषद् में 60 में से 39 सदस्य थे। वे सभी मंत्री थे और फिर भी सरकार दसवीं अनुसूची की कमजोरी अर्थात् 'आयाराम, गयाराम' के कारण गिरा दी गई।

मणिपुर में दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटी हैं। भारत सरकार और सभी दलों ने सामान्य स्थिति बहाल करने में हमारी सहायता की है। मुझे प्रसन्नता है कि विपक्षी दलों सहित सभी दलों ने मणिपुर, नागालैण्ड, अरुणांचल प्रदेश, असम और मेघालय तथा आंशिक रूप से त्रिपुरा की सहायता की है।

मेरी मुख्य बात यह है कि चाहे किसी भी कारण से ही सही इन दिनों मणिपुर पर संसद के बाहर काफी ध्यान दिया गया है। तथापि, इसकी समस्या का उचित विश्लेषण का बहुत अभाव है। अतिव्यापक निष्कर्षों तथा समस्याओं पर सही ढंग से ध्यान न देने से भ्रम पैदा हुआ है और गलत संकेत गए हैं। इसलिए, मैं समस्या का समाधान चाहता हूं।

वर्ष 1949 में मणिपुर का भारत में विलय किया गया। उपेक्षा और भेदभाव के कारण इसका विकास होने के बजाय क्षति हुई। मणिपुर में नागा बगावत पर उतर आए और उसकी प्रादेशिक अखण्डता को खतरा पैदा हो गया। इनका मुकाबला करने हेतु मेटई और कुकी विद्रोही

[श्री होलखोमांग हौकिप]

दल बन गए। उन्होंने भारी भारी वसूली तथा अन्य लूटपाट से अपने समुदायों को बचाने हेतु आत्मरक्षा के लिए हथियार उठा लिए। इसके कारण समग्र राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित करना पड़ा, और यह स्थिति पिछले 25 वर्षों से जारी है *(व्यवधान)*

महोदय, मैं प्रभावित राज्य का संसद सदस्य हूं। कृपया मुझे बोलने के लिए थोड़ा और समय दें।

सशस्त्र बल विशेप शक्तियां अधिनियम तथा आतंकवादी अधिनियम जैसे काले कानून लागू किए जाते हैं। इन कानूनों के अंतर्गत सुरक्षा बलों को किसी भी संदिग्ध आतंकवादी को गोली मारने की शक्ति दी गई है। आम आदमी के लिए शिकायत करना संभव नहीं है। इसलिए वे शिकायत करने के लिए यंत्रणा सहे जाने की बजाय कष्ट सहन करते हैं। कौन जाने कि पाकिस्तानियों को मणिपुर के लोगों से अधिक स्वतंत्रता प्राप्त है।

जब वहां पहले से काले कानून लागू हो ऐसे में वहां राष्ट्रपति शासन लागू करने से नौकरशाहों तथा सुरक्षा बलों को असीम शक्तियां प्राप्त हो गई हैं जिनका वे दुरुपयोग करते हैं। मुझे पता चला हैं कि राष्ट्रपति शासन के दौरान प्रशासन में कार्यकुशलता बढ़ाने तथा भ्रष्टाचार कम करने में कोई सुधार नहीं हुआ है। *(व्यवधान)*

महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है इसलिए मैं जल्दी ही अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैंने दसवीं अनुसूची की कमजोरी के बारे कहा है। मैं समस्या का समाधान चाहता हूं। यदि आप अचानक विधानसभा भंग कर देते हैं तो नौकरशाह के मणिपुर राज्य नियंत्रणाधीन हो जाएंगे। वे वहां विफल रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में शुरू से ही वे विफल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि केन्द्र सरकार परिपक्व राजनैतिकों को वहां भेजे न कि डी०जी०पी० और आई०पी०एस० अधिकारियों को जो पूरी व्यवस्था को बर्बाद कर देते हैं क्योंकि बदतर से बदतर, राजनैतिक इन अफसरों से हमेशा बेहतर होते हैं क्योंकि वहां मेटई और नागा जातियों के बीच संघर्ष चल रहा है। अब उनहोंने राष्ट्रीय राजमार्ग 39 और सं० 53 को अवरूद्ध करना शुरू कर दिया है। हमारे नागा मित्रों ने शुक्रवार और शनिवार को सभी जिला मुख्यालय कार्यालयों को बंद कर दिया था। वहां यह स्थिति चल रही है। यदि आप एक समम्या सुझलाते है तो दूसरी खड़ी हो जाती है और यह क्रम चलता रहता है। इसलिए हमें इसके बारे में अच्छी तरह से सोच-विचार करना है। हमें बार-बार इसके बारे में विचार करना है और विद्वान तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों से सलाह लेनी चाहिए क्योंकि पिछले 45-50 वर्षों से पूर्वोत्तर क्षेत्र पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया है।

आप हमारे बारे में जानना नहीं चाहते हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमें ठीक से जानें, हमारी संस्कृति और पृष्ठभूमि के बारे में जानें। आप उचित प्रशिक्षण के बाद अधिकारियों को वहां पर भेजे और धोखेबाज अफसरों को वहां न भेजें क्योंकि उन्होंने मणिपुर को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने वहां काफी नुकसान किया है। वहां स्थिति में सुधार किए जाने की आवश्यकता है।

मैं, अनुरोध करता हूं कि इन विधायकों, 'आयाराम और गयाराम' को संविधान की दसवीं अनुसूची के अंतर्गत कुछ समय के लिए काम करने की अनुमति दी जाए और आप उनके कार्यों को देखें और उसके बाद आप आगे कार्यवाही कर सकते हैं। मणिपुर के राज्यपाल ने विधानसभा भंग करने के लिए अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं दी है। माननीय गृहमंत्री किस तरह वचन दे सकते हैं ? मैं माननीय अध्यक्ष के माध्यम से अनुरोध करता हूं कि कोई वचन न दे क्योंकि यह मंत्रिमण्डल द्वारा किया जाना है न कि सभा द्वारा। सभा विधानसभा को भंग नहीं करेगी।

मेरे विचार से इतना काफी है।

श्री पी०आर० किन्डिया (शिलांग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन अनुमोदित करने हेतु संकल्प पर बोलते हुए मैं व्यक्तिगत तौर पर महसूस करता हूं कि अनुच्छेद 356 लागू नहीं किया जाना चाहिए। सरकारिया आयोग ने भी इस प्रश्न का गहन अध्ययन किया था। डा० बी०आर० अम्बेडकर ने संविधान सभा में वक्तव्य दिया था कि इस अनुच्छेद का प्रयोग ऐसी, अतिवादी परिस्थितियों में ही किया जाए जब स्थिति नियन्त्रण से बाहर हो जाए। सरकारिया आयोग ने इसे अंतिम विकल्प बताया है। आज मैं मणिपुर के मामले में राजनैतिक संकट और राजनैतिक गतिरोध के बीच अंतर बताना चाहता हूं। कि बहुत असामान्य तरीके से होने वाले दलबदल के कारण यह सही है। वहां सरकार बनाने के लिए गतिरोध रहा है। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या गतिरोध उस स्थिति तक पहुंच गया है कि वह राजनैतिक संकट बन जाए। प्रश्न यह है।

मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मणिपुर विधानसभा में वाद-विवाद के दौरान मुख्यमंत्री, श्री नीपामाचा सिंह ने एक वक्तव्य दिया था कि इस समय राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को एन०एस० सी०एन०(आई०एम०) के साथ हुए युद्धविराम समझौते की पूर्व-सूचना के रूप में देखा जाएगा। उन्होंने यह चेतावनी दी थी। आज मेरा प्रश्न यह है कि इसी समय राष्ट्रपति शासन लगाने का क्या औचित्य है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या 2 जून को राष्ट्रपति शासन की उद्घोषण करना सही था क्योंकि इसके तत्काल बाद, कुछ दिन के भीतर एन०एस०सी०एन० (आई०एम०) तथा भारत सरकार के बीच बैंकाक समझौता हुआ जिसमें तीन शब्द ''प्रादेशिक सीमाओं के बिना'' अंतस्थापित किए गए हैं और इसके कारण राजनैतिक विस्फोट अथवा खलबली मची है।

मेरा प्रश्न है कि क्या भारत सरकार ने न केवल राज्यपाल की रिपोर्ट वरन् अपनी आसूचना एजेंसियों के माध्यम से एक विशेष उल्लेख किया था और क्या-क्या सरकार ने पहले ही यह जान लिया था कि क्या होगा ? हमने हर जगह आसूचना एजेंसियों की विफलता देखी है।

स्थिति का मूल्यांकन गंभीरता से नहीं किया गया। मणिपुर के लोग ऐसा सोच रहे हैं। मैं मणिशंकर अय्यर और दूसरे सहयोगियों के साथ वहां था तथा मैं यह समझ सकता हूं कि बैंकाक समझौते

पर हस्ताक्षर करने के प्रयोजन से मणिपुर में स्थिति के निर्माण के लिए राष्ट्रपति शासन का अधिरोपण ही एकमात्र उपाय था। यह नौकरशाही की गड़बड़ी पर आधारित राजनीतिक दुर्घटना है। अब यहां संसद एक संस्था है जहां गृहमंत्री को बयान देना होगा तथा हमें आश्वस्त करना होगा कि उनका दृष्टिकोण और समय सही है। कई लोगों और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि भारत सरकार की प्राथमिकता युद्धविराम के विस्तार की है न कि मणिपुर की समस्या के समाधान की। यही कारण है कि मेरे सहयोगी श्री मणि शंकर अय्यर जी ने राजदूत के कार्यकलापों, और उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में प्रश्न उठाया है। मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि वह सभा में उपस्थित नहीं है। परंतु मैं दूसरा प्रश्न उठाऊंगा।

मैं जानना चाहता हूं क्या वार्ताकार अपने शासनादेश से आगे चले गए हैं। हमारी सूचना है कि वे अपने शासनादेश से आगे चले गए है। यही कारण है कि हम सभा के इस पक्ष से स्थानापन्न की मांग करते है। संभवत: अब समय आ गया है कि वार्ताकारों का एक दल होना चाहिए क्योंकि मणिपुर के आदर्श उदाहरण से हमें एक बात स्पष्ट हो गई है कि वे अपने आप में समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। उनका ध्यान नागा युद्ध विराम इतना ज्यादा था कि वे मणिपुर को भूल गए, वे अरुणाचल प्रदेश को भूल गए, वे असम को भूल गए तथा मेरे अपने राज्य मेघालय और सम्पूर्ण पूर्वोत्तर को भूल गए।

एन०एस०सी०एन० (आई०एम०) के साथ किसी भी समझौते के पूर्व परामर्श किया जाना चाहिए तथा न कि बाद में। इस मामले में क्या यह हो रहा है कि उन्होंने बैंकाक में पहले समझौता किया तथा बाद में वे मुख्यमंत्री से परामर्श करते हैं। यह मेरा तर्क है। इस बात की स्पष्ट समझ होनी चाहिए कि परामर्श पहले होना चाहिए न कि बाद में। पूर्वोत्तर के साथ यही समस्या है। यही कारण है कि जब हम दिल्ली में गृहमंत्री से मिले, तब हमने किए जाने वाले कुछ कार्य के बारे में उन पर जोर डाला है। मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि यह सच है कि 1972 में राज्य बनने के बाद पिछले 29 वर्षों में मणिपुर में 25 मुख्यमंत्री हुए है तथा राष्ट्रपति शासन सात बार लगाया गया है। यह सच है कि अभी तक दीर्घकालिक राजनीतिक अस्थिरता रही है परंतु इसके साथ ही हमारी भी जिम्मेदारी है।

व्यक्तिगत रूप से मैं मणिपुर की प्रशंसा करता हूं यह सुंदर प्रदेश है और समृद्ध सांस्कृतिक विविधता से युक्त है। मणिपुर के शास्त्रीय नृत्य को भारत में मान्यता प्राप्त है। उनके नाटक, उनके संगीत और उनके फिल्मों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा की जाती है। मणिपुर के लोग खेल के मैदान में भी सर्वोच्च है तथा वे कई राज्य के लोगों से आगे हैं। वे बहुत ही प्रतिभावान है। सामाजिक और राजनीतिक रूप से हमने देखा है कि मणिपुर कितना पंथनिरपेक्ष है। मुस्लिम आबादी केवल 3.5 प्रतिशत है फिर भी इस समुदाय का एक मुख्यमंत्री हुआ है। थंगुल नागा केवल 15.5 प्रतिशत है और फिर भी इतने वर्षों तक उनका एक मुख्यमंत्री रहा है। मणिपुर में साक्षरता दर भी बहुत ऊंची है। यह पंथनिरपेक्ष लघु भारत है।

यह कुछ महान है। जब हम राजनीतिक अस्थिरता की बात करते हैं, तो हमें पता लगाना होगा कि इसका मूल कारण क्या है। आप इस रोग का निदान कैसे करते है ? क्या यह अंतर्निहित है अथवा क्या यह बाह्य कारकों के कारण है ? मैं समझता हूं कि यही बिन्दु है जिसपर गृहमंत्री हमें जवाब देंगे।

इस समय मेरा प्रश्न यही है। एक दिन हम गृह मंत्री से पूर्वोत्तर सांसदों के मंच के रूप में मिलें। हमारे पास आठ सूत्रीय कार्यक्रम था। यह कार्यक्रम दलगत विचारों से ऊपर है क्योंकि हम चाहते हैं कि यदि हमें पूर्वोत्तर की समस्याओं का समाधान करना है तो पूर्वोत्तर के साथ पक्षपातरहित आधार पर बर्ताव करना चाहिए। यही कारण हैं कि जब हम एक दिन गृह मंत्री से मिले तो हमने गृह मंत्री से यही कहा कि सम्पूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र का केन्द्रबिन्दु शांति है तथा आर्थिक विकास और रोजगार की भरमार के जरिए ही शांति हासिल की जा सकती है। हम देश की कीमत पर पूर्वोत्तर की समस्याओं के समाधान में कई बार विफल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जी पूर्वोत्तर की समस्या शिक्षित बेरोजगारों की समस्या है, निराशा युवकों की समस्या है जो उपद्रवी संगठनों के भर्ती केन्द्रों पर चले जाते हैं। मुझे बहुत विश्वास है कि पूर्वोत्तर में शांति आएगी।

मैं अध्यक्ष महोदय और गृह मंत्री जो को एक विचार से अवगत कराना चाहता हूं। 1997 से नागालैंड में युद्धविराम है। एन०एस०सी०एन० के महासचिव नागालैंड आए; आई०एस०एस०ए०सी०एस०डब्ल्यू०ओ० के अध्यक्ष नागालैंड आए जो स्वतंत्र नागरिक है। प्रश्न यह है कि हमें बैंकाक अथवा एमस्टर्डम क्यों जाना पड़ा ? यह क्या है ? वे कोहिमा, कलकत्ता, शिलांग अथवा कहीं भी जहां चाहे आने को स्वतंत्र है। यह संविभ्रम क्यों है ? वहां कुछ गलत है। हमारे दूत को दक्षिणपूर्व एशिया में बैंकाक तथा तत्पश्चात् यूरोप जाना पड़ता है। मैं समझता हूं यह उपयुक्त तरीका नहीं है। वे हमारे अपने लोग है। वे जमीन पर आए हैं। हमने उन्हें अनुमति दी है। वे नागालैंड में और मणिपुर में लोगों से मिले तथा फिर भी हम उनसे बात नहीं कर सकते हैं। हमें बैंकाक और एमस्टर्डम एक दूत भेजना पड़ता है। यह ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि यह सही समय है कि हम इसकी पुनरीक्षा करें।

अब मैं महात्मा गांधी के शब्दों में विश्वास करता हूं : "जो समय बीत गया वह हमारा था। परंतु हम उससे जुड़े हुए नहीं है। हमारा संबंध वर्तमान से है। हम भविष्य निर्माता है, परंतु हम भविष्य से संबद्ध नहीं है।" मैं कहता हूं कि हमें पूर्वोत्तर की समस्या को भविष्य के प्रति वृहतर परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। हमें पूर्वोत्तर को संसाधनों की भूमि समझना चाहिए। यहां केवल खनिज पदार्थ ही नहीं है। हम अपने आप पर चाय, तेल और सागवान का उत्पादक होने पर गर्व किया करते थे तथा फिर भी, आज हम निर्धन हैं। भारत के विभाजन से पूरी पूर्वोत्तर की अर्थव्यवस्था को गहरा आघात लगा। विभाजन के फलस्वरूप हम भारत से अलग हो गए है। हम केवल एक संकीर्ण रास्ते – चिकेन नेक से जुड़े हुए है। यही समय है कि अब, हम पूर्वोत्तर को भिन्न तरीके से देखे। इस समय आपको अपना आसूचना नेटवर्क अद्यतन बनाना होगा। बार-बार यह विफल

[श्री पी०आर० किन्डिया]

हुआ है। हाल ही में आसूचना रिपोर्ट की विफलता के कारण कई जवान मारे गए हैं। इस बार भी हम इम्फाल में असफल हो गए हैं क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि जमीनी स्थिति क्या है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है।

मैं अपनी बात इसके साथ समाप्त करता हूं कि अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण, संचार नेटवर्क, पूंजीनिवेश और रोजगार अवसरों के सृजन के जरिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक विकास को तेज करना होगा। समय-समय पर पूर्वोत्तर के लंबित मुद्दों का उल्लेख किया गया है। उन पर अविलंब विचार करने की आवश्यकता है। हम पूर्वोत्तर को दूसरा कश्मीर बनाना नहीं चाहते हैं। हमें आज ही कार्रवाई करनी होगी क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता है।

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की स्वीकृति हेतु जो प्रस्ताव सदन में रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं। मैं सर्वप्रथम येरननायडू जी द्वारा सुझाये गये उस सुझाव को गृह मंत्री जी से और इस सदन से अर्ज करना चाहता हूं कि एंटी-डिफैक्शन लॉ के बारे में जो आज यह परिस्थिति चाहे मणिपुर में हो या सारे देश में दूसरी जगहों पर क्यों हो रही है — सबसे बड़ी आवश्यकता आज यह है कि उसमें परिवर्तन लाया जाये और कठोर कानून बनाया जाये तथा दसवें शेड्यूल को हटाया जाये जिससे कोई भी सदस्य अगर अपनी सदस्यता छोड़े तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाये और जिस दल में जाये, उसके चुनाव टिकट पर वह चुनकर आये। यह बात जब तक नहीं होगी, तब तक मणिपुर में जो हुआ और दूसरे राज्यों में या दूसरी जगहों पर जो हो रहा है, वह होता रहेगा। कांग्रेस पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है, हम चाहेंगे कि उनकी तरफ से खुलकर इसमें सहयोग का वचन इस सदन को होना चाहिए और अगर कोशिश की जाये तो एंटी-डिफैक्शन बिल में परिवर्तन करने के इस प्रस्ताव को इसी सदन में, इसी सत्र में लाया जाना चाहिए।

महोदय, आज 'आयाराम गयाराम' के बारे में जो हम सुन रहे हैं, लेकिन जो 'आयाराम गयाराम' के जनक लोग हैं, जिनके समय से यह 'आयाराम गयाराम' की कहानी शुरू हुई, उनसे जब हम उपदेश सुनते हैं तो मन को बड़ी कचोट लगती है और अच्छा नहीं लगता है। *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : जनक तो आप लोग ही हैं। *(व्यवधान)*

श्री कांतिलाल भूरिया (झाबुआ) : जनक तो उधर से ही हैं। *(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा : आप जरा बैठिए। अभी तो शुरू ही किया है और जो लोग इस देश में व्यवहार को, आचरण को लाने के लिए प्रख्यात रहे हैं, उनकी तरफ से इस तरह की बात शोभा नहीं देती। जरा आइने में अपनी तस्वीर को झांकिये, आत्म-मंथन करिए, सोचिए और विचारिये और भविष्य में यह काम नहीं हो, इसके लिए जनता को, देश को वचन देने का काम करिए। मणि शंकर अय्यर जी कम्युनल हार्मनी की बात कर रहे थे, बड़ी अच्छी बात है। इस देश में कम्युनल हार्मनी रहनी चाहिए लेकिन यह है कहां और उसकी शुरूआत कहां से हो ? माननीय इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई और हत्या होने के बाद इसी दिल्ली शहर में, जहां सारी फौज, सारे पदाधिकारी, प्रधानमंत्री जी सारे लोग रह रहे थे, कितने सिखों की हत्या हुई और उसका क्या रिपर्कसन सारे देश में हुआ, सारी दुनिया जानती है और इसके जवाबदेह आदमी ने कहा कि 'जब बड़े वृक्ष गिरते हैं तो धरती हिलती है।' आज ईमानदारी से हमें और आपको इस सदन में अगर कम्युनल हार्मनी के बारे में विचार करना है तो उसके लिए कदम बढ़ाना चाहिए, काम करना चाहिए। बाबरी मस्जिद का ताला शुरू में किसने खुलवाया ? किसने उसमें काम शुरू किया ? इस देश में जितनी भी समस्या है, उनकी सबकी जड़ में आप लोग हैं और उसका निबटारा भी आपको ही करना पड़ेगा। *(व्यवधान)* लेकिन वह एन०डी०ए० के लोगों को करना पड़ रहा है। *(व्यवधान)* अगर आपने ताला नहीं खुलवाया होता तो यह समस्या नहीं होती। आज गिरने का दोष इस पर नहीं आता। ताला खुलवाएं आप लोग, पूजा-पाठ करवाएं आप लोग, सब काम आपने किया। *(व्यवधान)*

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : मस्जिद तुड़वाने का काम किसने किया ? *(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा : आज हम प्रेसीडेंट रूल की बात कर रहे हैं।

1954-55 में स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी प्रधान मंत्री थे और स्वर्गीय इंदिरा जी कांग्रेस की प्रैजीडेंट थी। उस समय पथमथानू पिल्लै की चुनी हुई समाजवादी सरकार को आपने गिराने का काम किया। उस जमाने में शुरूआत आपने की। इस देश में सौ से भी ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, तो 90 से ज्यादा आपने राष्ट्रपति शासन लागू किया है। आपने किसी भी सरकार को ठीक से काम करने का मौका नहीं दिया। किसी भी विपक्ष की सरकार को आपने चलने नहीं दिया। अभी बता रहे थे, किस तरह से एन०टी०आर० की सरकार को आपने डिसमिस किया। अन्य किसी भी दल की सरकार को आपने बर्दाश्त नहीं किया। अस्थिरता को देश में आपने जन्म देने का काम किया है। आप इस सोच को बदलिए, लेकिन — कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना — नहीं होना चाहिए। हम लोगों के यहां बिहार में एक कहावत है — चलनी हसलन सूप के, जेकरा अपने सहतर को छेद। चलनी यानि जिसमें चाल जाता है और सूप जिसमें फटका जाता है। *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : आप हमारे मंत्रिमंडल में थे *(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा : दासमुंशी जी, आप पहले इस छेद को बन्द करिए। भविष्य में ऐसा मत करिए। *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : आप मंत्रिमंडल में थे और आज तक उसका प्रायश्चित कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा : आपने जो किया है, सारा देश उसका गवाह है। इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप दूसरों को उपदेश मत दीजिए। ईमानदारी से देश के सामने अपनी बात रखिए और विचार प्रस्तुत करिए। इस संकलप को सपोर्ट कीजिए। हम इसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन एक बात गृह मंत्री जी से कहना चाहते हैं, इन लोगों से जरा सावधन रहिए। ये बार-बार कह रहे हैं कि एसेम्बली को डिजोल्व कर दीजिए। जब वातावरण ठीक नहीं है और नेता, कार्यकर्ता, एम०पी०, एम०एल०ए० ठीक से मूव नहीं कर रहे हैं, तो उसमें डिजोल्व करने की जरूरत क्या है *(व्यवधान)* शासन जनता के हाथों से आप अधिकारियों के हाथ हाथ में क्यों देना चाहते हैं। यह इन लोगों का षडयन्त्र है। इसी तरह से इन्होंने असम में उल्फा के बल पर सरकार बनाई। कोई काम इन्होंने नहीं किया है। *(व्यवधान)* उग्रवादियों को समर्थन कर जनता द्वारा चुनी हुई विधान सभा को, जिसकी अवधि तीन वर्ष नौ माह बाकी है, उसे डिजोल्व करना चाहते हैं, उसे डिजोल्व नहीं करें। हम इस संकल्प का समर्थन करते हैं।

डा० जयन्त रंगपी (स्वशासी जिला असम) : अध्यक्ष महोदय जी, मैं पूर्वोत्तर की अपूर्व परिवर्तनशील स्थिति को और उकसाने और भड़काने के लिए सरकार को दोषी ठहराने के लिए खड़ा हुआ हूं।

पूर्वोत्तर में शांति, अत्यधिक विरल वस्तु हो गई है। हमने पूर्वोत्तर में शांति भंग करने के लिए उत्तरदायी विद्रोही संगठनों और आतंकवादी संगठनों के बारे में सुना है। परंतु स्वतंत्र भारत में यह पहलीबार हुआ है कि सरकार पूर्वोत्तर में शांति भंग के लिए खुद उत्तरदायी है।

माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि 2 जून के पहले कुछ घटनाएं घटित होने के कारण संवैधानिक व्यवस्था ध्वस्त हो गई जिसके कारण राष्ट्रपति शासन लगाया गया तथा वह इसकी पुष्टि के लिए संसद के समक्ष आए। यदि 2 जून के पहले सांविधानिक व्यवस्था ध्वस्त हुई थी, तो जो हमने 2 जून से 30 जुलाई के बीच देखा वह केवल संविधान का ध्वस्त होना नहीं था बल्कि यह मणिपुर में सांवैधानिक तंत्र का बिल्कुल गायब हो जाना था। मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस संबंध में वह किसे दोषी ठहराएंगे।

गृह मंत्री जी ने कहा है कि वे वहां कानून का शासन बहाल करना चाहते हैं तथा इसी कारण से उन्होंने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया है। अब राष्ट्रपति शासन के दौरान सम्पूर्ण संविधान ही लुप्त हो गया है। क्या इसके लिए केन्द्र सरकार को भी भंग किया जाना चाहिए ? समाधान क्या है ?

महोदय, हम सभी आगरा शिखरवार्ता के बारे में जानते हैं। बार-बार कुछ मीडिया रिपोर्टें आई कि राष्ट्रपति मुर्शरफ से मिलने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कोई तैयारी नहीं की गई, गृहकार्य ठीक से नहीं किया गया। परंतु यहां भी, देश की आंतरिक व्यवस्था के प्रबंधन में भी एन०एस०सी०एन० (आई०एम०) के साथ चर्चा करते समय मैंने देखा है कि पहले से कोई तैयारी नहीं की गई थी। मैं सोचता हूं कि यहां विदेश मंत्री अथवा प्रधानमंत्री कार्यालय से संकेत लिया गया है क्योंकि गृह मंत्री जी ने भी नागालैंड से बाहर संघर्ष विराम के विस्तार के प्रस्ताव पर सहमत अथवा असहमत होते समय कोई गृह कार्य (पहले से तैयारी) नहीं किया गया था। अन्यथा वह मणिपुर की सरकार, असम सरकार और अरुणाचल प्रदेश की सरकार की राय लेते। परंतु वह ऐसा करने में असफल रहे।

पहले दृष्टांत में, 2 जून के पहले राजग द्वारा राजनीतिक कुप्रबंधन किया गया। अब हमने मणिपुर में जो कुछ भी देखा है, वह राजग के स्तर पर कुप्रबंधन का स्पष्ट मामला है। 2 जून को राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद केन्द्र सरकार के स्तर पर कुप्रबंधन हुआ। मुझे यह कहना चाहिए कि जिस किसी ने भी किया है, यह बहुत ही गलत समझौता था। मैं नहीं जानता हूं। मेरे पास सूचना नहीं है कि वार्त्ताकार ने अपने शासनादेश का अतिक्रमण किया है अथवा नहीं। परंतु अब जो प्रतीत होता है, वह काफी स्पष्ट है कि यह बहुत गलत समझौता था तथा एन०एस०सी०एन० (आई०एम०) से वार्त्ता करते समय केन्द्र सरकार के स्तर पर बिल्कुल ही तैयारी नहीं की गई थी।

अब प्रतीप मोड़ लिया गया है। उन्होंने कहा है कि तीन शब्द — "बिना क्षेत्रीय सीमा" — निकाल दिया गया है। अभिलेखों उन्होंने कहा है कि एन०एस०सी०एन० (आई०एम०) भी इन तीन शब्दों — "बिना क्षेत्रीय सीमा" को निकालने पर सहमत हो गई है। आज इसका अर्थ यह है कि संघर्षविराम केवल नागालैंड तक ही सीमित रहेगा। परंतु समाचारपत्र के रिपोर्टों में एन०एस०सी०एन० (आई०एम०) को यह कहते हुए उद्धृत किया गया है कि वे केवल नागालैंड तक ही संघर्षविराम को सीमित रखने के लिए सहमत नहीं हुए है। यदि ऐसी स्थिति है तो मणिपुर को नियंत्रित करने का प्रयास करते हुए वे नागालैंड में भड़काऊ स्थिति उत्पन्न करेंगे।

दूसरे, मान लें कि एन०एस०सी०एन० (आई०एम०) भी नागालैंड के भीतर ही संघर्षविराम सीमित रखने के लिए सहमत हो गया है। इस स्थिति में भी मैं माननीय गृह मंत्री जी से एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य जानना चाहता हूं। हम सभी पूर्वोत्तर की स्थिति से अच्छी तरह से परिचित है। एन०एस०सी०एन० (आई०एम०) के कार्य का क्षेत्र नागालैंड के बाहर अधिक विस्तृत है। उनके कार्य का क्षेत्र नागालैंड के बाहर भी फैला हुआ है।

वास्तव में उनके कार्य का क्षेत्र नागालैंड के वास्तविक क्षेत्रफल से ज्यादा विस्तृत है। वे असम के दो पहाड़ी जिलो—कारबी अंगलांग और उत्तरी कोचर पहाड़ियों में कार्य कर रहे हैं। वे अरुणाचल प्रदेश के तिराप और चांगलंग तथा लोहित जिले के कुछ भाग में कार्य कर रहे हैं। उनका कार्य क्षेत्र मणिपुर के पांच पहाड़ी जिलों में भी फैला हुआ है।

आंतकवादी मेघालय में भी सक्रिय है। वे असम के लगभग आठ जिलों में सक्रिय है।

इसलिए, युद्धविराम को नागालैण्ड तक सीमित रख कर, मैं माननीय गृह मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या असम, मणिपुर ओर अरुणाचल प्रदेश में एन०एस०सी०एन० (आई०एम०) के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई

[डा० जयन्त रंगपी]

की जाएगी ? मैं उनसे इसका स्पष्ट उत्तर चाहता हूं। युद्ध विराम को नागालैंड तक ही सीमित रखने का अर्थ क्या है ? क्या इसका ये अर्थ लिया जाए कि एन०एस०सी०एन० (आई०एम०) के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई, और पुलिस कार्रवाई नागालैण्ड के अलावा और अन्य भागों में जारी रहेगी ?

इस स्थिति को माननीय गृह मंत्री द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए। हमें मणिपुर प्रकरण से सबक सीखना होगा। इसने हमारी गुप्तचर एजेन्सियों के खोखलेपन को उजागर कर दिया है। 2 जून से वहां राष्ट्रपति शासन लागू है। उन्होंने 14 को युद्धविराम के क्षेत्र का विस्तार किया। इसलिए, युद्धविराम को बढ़ाए जाने से पूर्व मणिपुर पर उनका सीधा नियंत्रण था। राज्यपाल उनको सीधे ही रिपोर्ट दे रहे थे। परंतु, उस समय उन्हें इस बात का कोई अंदेशा नहीं था कि 'युद्धविराम विस्तार समझौते' के विरुद्ध इतनी हिंसात्मक जन प्रतिक्रिया होगी। इसलिए, संपूर्ण गुप्तचर प्रणाली असफल हो गई।

दूसरे, ये इतना गंभीर मामला है जो न केवल मणिपुर को प्रभावित कर रहा है, अपितु संपूर्ण देश को प्रभावित कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

डा० जयन्त रंगपी : ऐसा पहली बार हुआ है कि लोगों ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के प्रति अविश्वास दर्शाया है। इस अवधि में 14 जुलाई से लेकर अब तक, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बार-बार कह रहे हैं कि हालांकि युद्धविराम में विस्तार किया गया है, मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता सुरक्षित रखी जाएगी। यह बात माननीय गृह मंत्री और माननीय प्रधान मंत्री बार-बार कह रहे हैं। परंतु दुर्भाग्य से मणिपुर में इन वक्तव्यों पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है। यह पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों द्वारा संपूर्ण सरकार पर किया गया गंभीर अविश्वास है क्योंकि उनके शब्दों में सच्चाई नहीं है। वे बार-बार अपनी बात से पीछे हट जाते हैं, और उन्होंने एक भी समझौते को लागू नहीं किया है। इसीलिए, पूर्वोत्तर के लोगों के लिए उनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है। आज सरकार के पास बहुमत है और वह राष्ट्रपति शासन लागू करने के प्रस्ताव अनुमोदन कर सकती है, परंतु वह पूर्वोत्तर के लोगों का विश्वास खो चुकी है। इस सबसे सबक सीखना होगा।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, कृपया बोलना समाप्त कीजिए। आप पहले ही 10 मिनट ले चुके हैं।

डा० जयन्त रंगपी : महोदय, आम तौर पर मैं सभा का अधिक समय नहीं लेता; और मैं यथा तथ्य बोलता हूं। मैं अधिक समय नहीं लूंगा।

चूंकि कांग्रेस पार्टी और भाजपा दोनों ने ही राष्ट्रपति शासन लागू करने का अनुमोदन करने पर सहमति जताई है। इसका अनुमोदन हो जाएगा। छ: महीने बाद, वहां चुनाव हो सकते हैं परंतु स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

मैंने श्री मणिशंकर अय्यर और अन्य कांग्रेस नेताओं के भाषण को बहुत ध्यान से सुना है। मैं कई मुद्दों पर उनसे सहमत हूं। चाहे वे कितना भी प्रभावशाली भाषण दें, परंतु वे इस तथ्य को नहीं छुपा सकते है कि इसका श्रेय या बदनामी कांग्रेस को जाती है जिसने 25 वर्षों में 27 मुख्यमंत्री दिए। वे अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते।

केन्द्र सरकार पर यह अविश्वसनीयता कोई इन एक या दो वर्षों में अचानक नहीं पैदा हुई है। कांग्रेस भी इसके लिए बराबर की जिम्मेदार है। आज जो कुछ उन्होंने कहा नि:संदेह मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं, परंतु वे भी अपना आत्मपरीक्षण करें। यह आज की सच्चाई है। यदि आज भाजपा विपक्ष में नहीं है, तो कांग्रेस उस ओर विपक्ष में है, इसका सिर्फ यहीं कारण है कि कांग्रेस पिछला चुनाव हार गई थी, और वह विपक्ष में बैठी है। जिससे उन्हें सत्ता पक्ष को राय देने का नैतिक अधिकार नहीं मिल जाता। कांग्रेस पार्टी को भी आत्मपरीक्षण करना चाहिए।

शुरूआत में, पूर्वोत्तर में सिर्फ एक ही उग्रवादी संगठन नागा उग्रवादी संगठन था। पिछले 5 दशकों में स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि केन्द्रीय सरकार ने वहां सैना तैनात की हुई है। वहां उग्रवाद पर अंकुश लगाने के लिए उन्होंने असम मणिपुर विशेष सैन्य बल अधिनियम, असम अशांत क्षेत्र अधिनियम आदि कानून बनाए। इस प्रकार पिछले पांच दशकों में, पूर्वोत्तर में पांच दर्जन उग्रवादी दल उभर आए हैं। इसलिए, इसका श्रेय या इसकी कुख्याति कांग्रेस को भी जाती है।

महोदय, मैं अब अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं।

मैं सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि राष्ट्रपति शासन लागू करके, चुनाव करवा कर और इस पद्धति से पूर्वोत्तर के मामलों को निपटाने से इस क्षेत्र में शांति नहीं आएंगी। इसकी बजाय सरकार को बेरोजगारी, त्वरित विकास और आर्थिक विकास जैसे बुनियादी मुद्दों से निपटना चाहिए।

चूंकि अब मणिपुर का मामला उठ खड़ा हुआ है, मैं उन सदस्यों को जिन्होंने मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता' की वकालत की है, बताना चाहता हूं कि, पूर्वोत्तर राज्यों की सीमाओं के संबंध में कुछ मतभेद है। पूर्वोत्तर क्षेत्र देश का ऐसा भाग है जहां राज्यों में परस्पर सीमा को लेकर काफी मतभेद हैं, चाहे वह असम और मेघालय हो, चाहे असम और नागालैण्ड हो, चाहे असम और अरुणाचल प्रदेश या असम और मिजोरम हो। अत: लगभग सम्पूर्ण पूर्वोत्तर राज्यों के मध्य सीमा को लेकर विवाद है। हमें उड़ीसा की तेलुगू जनसंख्या की तुलना छत्तीसगढ़ की उड़िया जनसंख्या से नहीं करनी चाहिए। पूर्वोत्तर की हालत एकदम भिन्न है। मणिपुर के पांच पहाड़ी जिलों के लोगों की राजनैतिक महत्वकांक्षा को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

मैं न तो किसी नागा संगठन की ओर से बोल रहा हूं ना ही मैं मणिपुर संगठन का पक्ष ले रहा हूं। परंतु मैं यह कहना चाहता हूं कि संसद को निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करते हुए, हमें मणिपुर राज्य के कुकी और थंगकुल्स

जनजातीय लोगों की राजनैतिक महत्वाकांक्षा की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। असम के पहाड़ी जिलों और पूर्व कच्छार पहाड़ियों के लिए अनुच्छेद 244(क) के रूप के एक विशेष प्रावधान है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

डा० जयन्त रंगपी : इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी आज यहां मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की मंजूरी का प्रस्ताव लेकर आए हैं। इसमें इन्होंने चालाकी जरूर बरती। उन्होंने इसे राज्य सभा से पहले पास करा लिया और इसके बाद लोक सभा में लाए। जब बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू किया था तो वह प्रस्ताव यहां पहले पास हुआ था लेकिन वहां के भय से बीच में वापस लेकर भाग खड़े हुए। इन्होंने इस बार सावधानी बरती और राज्य सभा से इसे पहले पास करा लिया। गृह मंत्री जी ने अपने स्पष्टीकरण में दावा किया कि दलबदल के चलते वहां राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुई इसलिए प्रेजीडैंट रूल लागू करने के लिए लाचार होना पड़ा — मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या प्रेजीडैंट रूल दलबदल का इलाज है ? टी०डी०पी० के येरननायडू और समता पार्टी के रघुनाथ झा इनके सपोर्टर हैं। इन्होंने कहा कि 10वां शेडयूल और 56वां संविधान संशोधन विधेयक — जो एंटी डिफैक्शन के संबंध में है, वह काफी नहीं है इसलिए इस संबंध में एक कॉम्प्रीहैंसिव बिल आना चाहिए जिससे दलबदल पर रोक लगाई जा सके। मैं ऐसा समझता हूं कि इससे इनकी मांग पूरी होने वाली नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ? इन्हें जब तक दल-बदल से लाभ होता रहेगा तब तक यह जानबूझ कर ऐसा कानून लेकर नहीं आएंगे। इन्होंने कड़ा कानून नहीं बनाया। इनके छः विधायक मणिपुर में जीते थे लेकिन एकदम 26 हो गए। इतनी भारी वृद्धि कैसे हो गई ? वहां से समता पार्टी का एक विधायक जीता था लेकिन उनकी पार्टी का राजपाट हो गया। एन०डी०ए० के खिलाफ अजित सिंह जी ने चुनाव लड़ा था, उन्हें मंत्री पद दे दिया और वह उधर चले गए। आया राम, गया राम, जय श्रीराम। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा ? *(व्यवधान)*

इनकी पार्टी दल-बदल कराने के लिये कसूरवार है और दल-बदल कानून लाने की इन लागों की हिम्मत नहीं है। ये दल-बदल का कड़ा कानून नहीं ला सकते। ये दल-बदल कराकर लाभ उठा रहे हैं और ''आया राम गया राम'' हो रहा है। क्योंकि टी०एम०सी० पहले उधर था, निकल गया और अब फिर वापस आने की सोच रहा है। इसी प्रकार श्री अजित सिंह की बात हुई है। उन्हें मंत्रीपद दिया गया है। पैट्रोल पम्प बांटे जा रहे हैं। *(व्यवधान)* हम उनका भंडा फोड़ करेंगे क्योंकि श्री अजित सिंह तो आपके खिलाफ लड़े थे और आज ये उन्हें मंत्री बना रहे हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : रघुवंश प्रसाद सिंह जी, यहां मणिपुर पर चर्चा हो रही है।

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : इसलिये कहता हूं कि पार्टी इन पॉवर कसूरवार है और मणिपुर में दल-बदल कस रही है। आज मणिपुर में भारी राजनैतिक अस्थिरता है, इनसरजैंसी की प्राब्लम है, गरीबी है, गैर-बराबरी है, अशान्ति है और मार-काट है। जब वहां राजनैतिक अस्थिरता है, आप जले पर नमक डाल रहे हैं। यह बहुत ही पीड़ादायी, दुखदायी है और यह सरकार कहती है कि हमारे पास राष्ट्रपति राज लागू करने के अलावा कोई इलाज नहीं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्लीज डिस्टर्ब न करें।

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, ये पार्टी दल-बदल करवाकर कसूरवार है और एन०डी०ए० में समता और बी०जे०पी० के चलते मणिपुर में गड़बड़ी हुई है और अब इस सदन में बतला रहे हैं कि इनके पास और कोई उपाय नहीं है। कांस्टीट्यूशनल क्राइसिस है, इसलिये राष्ट्रपति शासन की मंजूरी दी जाये। हम लोग कैसे इनको मंजूरी देंगे ? इन्होंने होशियारी से राज्यसभा में पास करा लिया और यहां इन लोगों का बहुमत है तो आज कुछ ज्यादा ही उत्साहित नजर आ रहे हैं। इन्होंने कसूर किया है लेकिन फिर भी उत्साहित नजर आ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, एन०एस०सी०एन० के साथ जो समझौता हुआ, उसके बारे में यहां हमारे काबिल विद्वानों में श्री अय्यर साहब वगैरा ने कागज देखकर, पढ़कर, समझाकर बताया। लेकिन मणिपुर असेम्बली ने प्रस्ताव पास किया कि समझौते का नागालैंड के आगे विस्तार न किया जाये। उन्होंने बार-बार सावधान किया लेकिन वहां के चीफ मिनिस्टर को कांफिडेंस में नहीं लिया गया। इन लोगों ने मणिपुर के साथ इस तरह का क्रिमिनल बिहेव किया जो बहुत ही खतरनाक बात है। इन लोगों ने अपराध किया है। वहां गोलियां चलीं, विधानसभा में आग लगाई गई, स्पीकर को चोट पहुंचाई गई। वहां अशान्ति के लिये गृह मंत्री और गवर्नमेंट आफ इंडिया एक्यूज्ड है और सारा कसूर इन पर आता है। बिना समझे इन्होंने यहां काम किया। *(व्यवधान)*

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा) : अध्यक्ष महोदय, नौ सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली।

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस खुशामद से देश बरबाद हो रहा है। देश का कोना-कोना जल रहा है। क्या देश खुशामद के सहारे खड़ा होता है या देश खुशामद से खड़ा होने वाला है ?

अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने जो गलत काम किया, देश में उसकी चर्चा हो रही है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इंडो-

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह]

पाक समिट के समझौते पर हस्ताक्षर होने जा रहे थे कि किसी अदृश्य शक्ति ने रोक दिया। हम नहीं जानते लेकिन कल बतायेंगे कि इंडो-पाक समझौते पर क्या बातें लिखी गई थीं और किस शक्ति ने उसे रोका ?

अध्यक्ष महोदय : आगरा समिट पर कल चर्चा होगी, आज नहीं।

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : एन०एस०सी०एन० के साथ जो समझौता हो रहा है। *(व्यवधान)*

श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर) : अध्यक्ष जी, आगरा में ताजमहल है लेकिन रघुवंश बाबू को दूसरे महल में भेज दीजिए।

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : ये लोग खुशामद कर रहे थे। *(व्यवधान)* देश भले ही गर्त में चला जाए। जब तक यह सरकार रहेगी, ऐसे ही लोगों के द्वारा शासन चलेगा। इससे देश का भला होने वाला नहीं है। मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट सैन्सिटिव इलाके हैं, जहां इतनी समस्याएं हैं जिनका समाधान इस सरकार के हाथ में नहीं है। यह मामलों को बिगाड़ने वाली है और वहां आग लगाने वाली है। इसलिए वहां इतनी समस्याएं हैं। मणिपुर पर 1500 करोड़ रुपया केन्द्र सरकार का कर्जा है। वहां 24 लाख लोग बेरोजगार हैं। वहां अभी हाल में पुलिस विद्रोह हुआ था। वहां की वित्तीय स्थिति खराब है। वहां पंचम वेतन आयोग लागू हुआ, उसका पैसा केन्द्र सरकार ने नहीं दिया, इस वजह से वहां के विकास के पैसे से वेतन बांटना पड़ा। वहां की वित्तीय स्थिति बहुत खराब है और उसे खराब करने का जिम्मा इनका है। ये वहां प्रेसीडेन्ट रूल लागू करने के लिए यह प्रस्ताव लाये हैं। वहां बहुत सी समस्याएं हैं।

अध्यक्ष महोदय, अभी डा० रोंगपी बोल रहे थे कि वहां गैस की समस्या है। जब इतना मणिपुर जल गया तो इनकी आंख खुली। ये बैंकाक से एम्सटरडम गये और वहां से दस्तखत कराकर लाये। ये खुश हो गये कि अब नागालैण्ड तक यह समझौता रहेगा। लेकिन अब वे वहां बोल रहे हैं कि यह गलत है। रामचरित मानस में कहा गया है – यदि सांप छछूंदर को पकड़ लेता है और उसे निगल जाता है तो वह सांप कोढ़ी हो जाता है और यदि पकड़े हुए छछूंदर को छोड़ देता है तो सांप अंधा हो जाता है। इनकी भी वही स्थिति है। अभी इन्होंने समझौता बढ़ा दिया, उस पर वहां आग लग गई, अब कहते हैं कि नागालैण्ड तक समझौता रहेगा। मुइवा कहते हैं कि हम नहीं मानेंगे, नागालैण्ड के लोग कहते हैं कि हम नहीं मानेंगे। वहां फिर से दूसरा आन्दोलन शुरू होगा। इसलिए वहां जो बरबादी और गड़बड़ पैदा हुई है उसके कसूरवार गृह मंत्री हैं। इन्हें लोग पटेल-पटेल कहकर पटेल जैसे महापुरुष की फजीहत कर रहे हैं। यह भी एक खराब स्थिति है। सरदार पटेल की जीवनी को हम लोग भी जानते हैं, हम लोगों ने भी पढ़ा है, पुरखों से जानने की कोशिश की है। *(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं : सर, यह किसी ढंग से बात कर रहे हैं *(व्यवधान)* यह सरदार पटेल का नाम किस तरह से ले रहे हैं। महोदय, इन्हें ऐसे शब्द इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। इन्हें ऐसा बोलने से आपको रोकना चाहिए। *(व्यवधान)* आप इन्हें बैठाइये, इन्हें चुप कराइये।

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : इन्होंने वहां आग लगवाने का काम किया। वहां शांति होने वाली नहीं है। इस सब के बाद भी वहां स्थिति खराब होने वाली है। *(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं : सर, यह बहुत कुछ बोल चुके हैं, आप इन्हें चुप कराइये। *(व्यवधान)*

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : वहां मामला बहुत संवदेनशील है, वहां शांति होने वाली नहीं है। जब तक वहां के मामलों को इस हल्की तरफ से, अज्ञानता से लिया जायेगा, तब तक समस्या का समाधान संभव नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये।

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : इसलिए हम सभी विपक्षियों से आग्रह करते हैं कि इसके लिए पार्टी इन पावर कसूरवार है। सरकार और उसके गृह मंत्री मणिपुर की समस्या के लिए कसूरवार हैं। इसलिए जब तक यह रहेंगे देश में समस्याएं सिर उठायेंगी। इसलिए हम प्रेसीडेन्ट रूल के खिलाफ हैं। हम कभी इसका समर्थन नहीं कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, माननीय गृह मंत्री उत्तर देंगे।

श्री जी०एम० बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, हमें सभा में अपने विचार रखने से क्यों रोका जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : बनातवाला जी, आप अगली बार बोल सकते हैं।

श्री जी०एम० बनातवाला : आप चाहते हैं कि मणिपुर की स्थिति को बार-बार दोहराया जाएं ताकि हमें उस पर बोलने का अगली बार मौका मिले। बहुत खूब, महोदय!

अध्यक्ष महोदय : आप मणिपुर पर नहीं किसी अन्य विषय पर बोल सकते हैं।

सायं 6.00 बजे

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, आज जितनी सरकार की आलोचना में भाषण हुए, उनमें से एक प्रमुख भाषण मेरे मित्र श्री मणि शंकर अय्यर का था और बाकी चीजों की आलोचना आज की परिस्थिति में स्वाभाविक है लेकिन उसमें से उन्होंने जो कुछ मणिपुर के बारे में कहा, मणिपुर की प्रकृति के बारे में कहा, वहां की जनता के बारे में कहा, वहां के सांप्रदायिक सौहार्द, सामाजिक सौहार्द, वहां की असाधारण मिलकर रहने की क्षमता जिसके कारण मैतेयी भले

ही वहां सबसे प्रमुख होंगे, बहुत बड़ी संख्या में होंगे, लेकिन वहां पिछले सालों में मुख्य मंत्री में मुस्लिम भी रहे, नागा भी रहे और इस कारण उन्होंने उस संदर्भ में जो कुछ कहा, उसके एक-एक शब्द की मैं ताईद करता हूं। वास्तव में मणिपुर की इस प्रकृति के कारण ही जब वहां पर इतना रोष उत्पन्न हुआ तो चाहे साधारणतः कोई सरकार कोई फैसला करती है और उसके आधार पर कोई ऐग्रीमेन्ट करती है तो वह अगर बदलेगी तो उसकी कितनी आलोचना होगी इसका अंदाजा कोई भी लगा सकता है लेकिन हमको लगा कि इसमें जिसको लोग यू टर्न कहते हैं, उसके बिना कोई तरीका नहीं है, वही उपयुक्त होगा। और मणिपुर के साथ-साथ जो भावना पहले ही कुछ उत्तर पूर्वी राज्यों में विशेषकर असम और अरुणाचल में है, उसका आदर करने के लिए यू टर्न करना पड़े तो वह भी करना चाहिए, यह मानकर हमने किया, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए उस बारे में मैं कहूंगा कि चाहे उसका सीधा संबंध इससे नहीं था लेकिन फिर भी उन्होंने जो कुछ कहा, उस संदर्भ में मैं उनकी प्रशंसा करता हूं, उनका अनुमोदन करता हूं।

अब मैं इस बात पर आता हूं कि जिस आधार पर हम आज यह प्रस्ताव कर रहे हैं उसका संबंध सीज़फायर के बाद की स्थिति से नहीं है और यह सोचना कि छः महीने का राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रस्ताव सीज़फायर के लिए किया गया, यह जो बात किंडिया जी ने कही और जो वहां पर भी कुछ लोग कहते हैं और आशंका कुछ लोगों के मन में है, वह सरासर निराधार है। सीज़फायर के संदर्भ में जो तीन शब्द जोड़े गए, 14 जून को, उस विषय में चर्चा वहां के लोगों से हुई थी, ऐसा नहीं की नहीं हुई थी। मुख्य मंत्रियों की बैठक का उल्लेख किया गया जो सन् 2000 में हुई थी। सही है कि उस बैठक में जो मुख्य मंत्री आए थे वे सहमत नहीं थे लेकिन फिर दूसरी बैठक हुई मार्च 2001 में। यह बात सही है कि कोई कांस्टीट्यूशनल ऑब्लिगेशन नहीं है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट अगर किसी से समझौता करती है तो उसके लिए उस प्रदेश के लोगों की सहमति ज़रूरी है। कांग्रेस पार्टी के समय के अनेक समझौते जो केन्द्रीय सरकार ने किये हैं, इस प्रकार की बातों में कभी भी स्टेट गवर्नमेंट को विश्वास में नहीं लिया गया, उनसे सलाह भी नहीं की गई और यह कोई आवश्यक भी नहीं है। मैं जिक्र कर सकता हूं उनका भी, लेकिन इस केस में हम जानते थे कि जहां तक टैरिटोरियल इंटीग्रिटी का सवाल है, मणिपुर तो विशेष रूप से लेकिन बाकी स्टेट्स को भी चिन्ता होती है कि कहीं जो पुरानी बात है कि नागा इनहैबिटेड एरियाज़ भी उसके साथ जोड़े जाएं, उसको कहीं सरकार क्रियान्वित न कर डाले, इसलिए हमारी तरफ से एन०डी०ए० के मैनीफैस्टो में भी लिखा गया कि सरकार की ओर से अधिकृत रूप से कई बार कहा गया जिसका ज़िक्र अभी रंगपी जी ने किया जिसके बाद भी उन पर विश्वास नहीं होता था, लेकिन सही बात है कि हमारी ओर से कहा गया और टैरिटोरियल इंटीग्रिटी पर असर नहीं होगा और इसलिए जब कभी यह मांग की गई कि नागा इनहैबिटेड एरियाज़ को ऐक्सटेन्ड किया जाए तो हमने उसको नहीं माना।

अध्यक्ष महोदय, हमने कहा कि नागा इनहैबीटेंट एरियाज को एक्सटेंड करने की बात अगर हम करेंगे, तो उससे स्वाभाविक रूप से उनके मन में यह आशंका आएगी कि बाई इम्पलीकेशन हम यह मान रहे हैं कि ग्रेटर नागालैंड या नागालिन बनेगा। इसीलिए नागा इनहैबीटेंट शब्द का प्रयोग हमने कभी नहीं किया। तीन शब्द ये जरूर सूझे और वह निर्णय करने से पहले मुख्य मंत्रियों को फिर से बुलाया गया और मार्च की बैठक में मुख्य मंत्रियों ने स्वीकार किया कि हां, आप कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि और भी जितनी सारी संस्थाएं हैं, जितने मिलीटेंट आर्गेनाइजेशन्स हैं, उनके साथ भी बढ़ाओ। इसीलिए 14 जून को किया गया।

अध्यक्ष महोदय, जब दुबारा मुख्य मंत्रियों को बुलाकर फिर से प्रधान मंत्री जी ने सलाह की, तो सभी मुख्य मंत्रियों ने एक स्वर से कहा, थोड़ा सा अपवाद था, नागालैंड के मुख्य मंत्री की राय भिन्न थी, लेकिन उन्होंने भी कहा कि यदि एन०एस०सी०एन० (आई०एम०) के लोग मानते हैं, तो ये तीन शब्द हटा देने चाहिए और 14 जून के पूर्व की स्थिति को वापस लाना चाहिए। इस कारण प्रधान मंत्री जी ने उस दिन घोषणा की। अगर इस घोषणा में विलम्ब हुआ, तो उसका कारण था कि जो समझौता एन०एस०सी०एन० (आई०एम०) से हुआ था, यदि उस समझौते को सरकार बदलना चाहती है, तो एन०एस०सी०एन० (आई०एम०) से फिर बातचीत करना जरूरी है और इसीलिए दुबारा बातचीत की गई और जब उनकी सहमति हुई कि यह घोषणा की जाए कि ये तीन शब्द हटाए जाएं और उनकी अनुमति से ही घोषणा की गई। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल) : मंत्री महोदय, आप गलती करने के बाद समझदारी दिखा रहे हैं। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : हम आपके 50 साल के इतिहास से भी कुछ सीखे हैं और इसीलिए वाइजर होना अच्छा ही है, जरूरी भी है, इसमें कोई बात नहीं है।

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी : आपके लिए ये सब कहने का अवसर नहीं है।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि मणिपर में जो स्थिति पैदा हुई और बाकी क्षेत्रों में भी जो वातावरण पैदा हुआ, उसके निवारण के लिए, सरकार को लगा कि, चाहे इसके कारण आलोचना भी हो, यू टर्न लेना जरूरी है और हमने यू टर्न लिया। यू टर्न लेने से पहले एन०एस०सी०एन० (आई०एम०) से चर्चा की और चर्चा करके हमने यू टर्न लिया। इसीलिए आज जो पूछा गया, मणि शंकर अय्यर जी ने पूछा कि क्या एन०एस०सी०एन० (आई०एम०) से बात हुई, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि उनसे बात

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

हुई और उनकी सहमति से ही ये तीन शब्द हटाकर पूर्व स्थिति लाने का निर्णय हुआ है।

श्री मुणि शंकर अय्यर : सर, मेरा सवाल वह नहीं था। मेरा सवाल यह था कि आपके बयान के पश्चात् क्या यह जरूरी नहीं है कि उनके नुमाइंदे जो कि मणिपुर में हैं, इनहोंने इंकार किया है कि मुईवा साहब ने इसे स्वीकार किया था ?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : पत्र-पत्रिकाओं में बहुत सारी चीजें छपती रहती हैं, लेकिन मैं आप से जो बात कह रहा हूं वह सदन में कह रहा हूं। अगर हम उनसे बात किए बिना करते, तो फिर शायद यह दिक्कत पैदा होती। विलम्ब अगर हुआ, तो उसका मुख्य कारण यह है कि हमको स्वयं यह लगा कि मणिपुर के लोगों से बातचीत की जाए, मुख्य मंत्रियों से भी बात करें, क्योंकि मुख्य मंत्रियों को प्रधान मंत्री जी ने घोषणा कर के कहा था कि जो हमने रिव्यू की घोषणा की है वह रिव्यू करने से पहले मैं मुख्य मंत्रियों से बात करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, उन सबके दृष्टिकोण का हमें पता था। उन्होंने सार्वजनिक रूप से या लिख कर अपने विचार हमारे पास भेजे हुए थे और इसीलिए हमको लगा कि उनसे बातचीत करने से पहले अगर एन०एस०सी०एन० (आई०एम०) से भी बातचीत हो जाए, तो ज्यादा उपयुक्त होगा। इसीलिए यह सारा विलम्ब हुआ, अन्यथा इतना विलम्ब नहीं होता। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मणिशंकर अय्यर, आपने भी इस चर्चा में भाग लिया है।

श्री मणिशंकर अय्यर : उन्होंने मुझे ऐसा कहने के लिए अवसर दिया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री महोदय से एक सवाल करना चाहता हूं कि जो मार्च, 2001 को वे मुख्य मंत्रीगण से मिले, क्या मार्च 2001 और 14 जून, 2001 के बीच में दो परिवर्तन नहीं आए थे – एक असम में और एक मणिपुर में, और क्या आपने असम के जो नए मुख्य मंत्री जी हैं, उनसे बात की और जो मणिपुर के गवर्नर साहब हैं, उनसे राय-मशविरा किया ?

लाल कृष्ण आडवाणी : आपका कहना सही है कि असम के मुख्य मंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया था कि असम में चुनाव होने वाले हैं। इसलिए राजनीतिक परिवर्तन या कुछ होता है, तो उसको देख लीजिए, लेकिन यह बात सही है कि जिस समय मार्च में बात हुई थी, तब असम के मुख्य मंत्री दूसरे थे और मणिपुर के मुख्य मंत्री वही थे जो बाद में भी रहे। यह स्थिति बनी रही, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। *(व्यवधान)* मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा कि किसी भी समय मणिपुर या उत्तर पूर्वी राज्यों के लोग एन०एस० सी०एन० (आई०एम०) के साथ सीज़फायर के खिलाफ नहीं थे। आज कुछ ये बातें कही गईं और उनका भी मैं आदर करता हूं कि यह क्या तरीका है कि आप एन०एस०सी०एन० (आई०एम०) से बात करने के लिए बैंकॉक जाते हैं, भारत के बाहर जाते हैं। मैं इस बात का आदर करता हूं और मुझे खुशी होगी कि यह व्यवस्था बदले। लेकिन आपको इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि यह निर्णय, कि उनसे बाहर बात करनी है, इस सरकार के समय में नहीं हुआ है। हमने कुछ तो उत्तराधिकार में पाया है ? और वह इनहैरिट करने के बाद हमारी स्थिति यह थी कि अगर हम उसके आधार पर कहें कि नहीं, हम बात नहीं करेंगे, बाहर किसी को नहीं भेजेंगे तो परिणाम यह होता कि वे घोषणा करते कि इस आधार पर बात हुई थी, हम सीज़फायर कैंसिल करते हैं, हम सीज़फायर नहीं करेंगे। उसके कारण नागालैंड में ही नहीं लेकिन उत्तर पूर्व के बाकी राज्यों में भी लोग कहते कि यह क्या कर रहे हैं। इसलिए एक स्थिति जो हमने स्वीकार की, इनहैरिट की, उसे आगे बढ़ाते हुए हमने चलाया है। लेकिन आज भी हम चाहते हैं और बातचीत होते हुए भी हमने कभी-कभी प्रकट किया है कि अच्छा होगा कि आप यहां आकर बात करें और उसके लिए अगर आपको किसी भी प्रकार का इम्युनिटी का आश्वासन चाहिए, वह देने में भी हमको कोई आपत्ति नहीं कि आपको इस कारण से नहीं पकड़ा जाएगा कि आपने सैडेशन किया या वह किया। उसमें भी हमको कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं और मैं इस बात का आदर करता हूं जो बात दो-तीन सदस्यों की ओर से कही गई और मुझे खुशी होगी जिस दिन श्री मुईवा भारत में आकर जो भी चर्चा करनी है, हमसे करें। लेकिन यह बात सही है कि अब तक यह नहीं हो सका है लेकिन आशा करता हूं कि होगा। मैं चाहूंगा कि पीस प्रोसैस आगे बढ़े और उसमें केवल एन०एस०सी०एन० (आई०एम०) से नहीं एन०एस०सी०एन० (के) को भी जोड़ा गया है और अन्य मिलिटैंट ऑर्गनाइजेशन्स, जो नार्थ ईस्ट में हैं, उनमें से जिन-जिन को भी लाया जा सके, लाया जाए – हमें बहुत खुशी होगी।

पिछले दिनों सरकार के प्रतिनिधियों की ओर से असम के मुख्य मंत्री से भी बात हुई है और उनको भी कहा गया है कि बी०एल०टी० के साथ जिस प्रकार हमारी वार्ता चल रही है, वैसी चर्चा अगर उलफा के साथ हो सके तो बहुत अच्छा है। जब उन्हें ऐसा कहा गया तो उनको भी लगा कि हां, बात बहुत अच्छी होगी। यह एक दृष्टिकोण हमने देशभर के जितने लोग मिलिटैंसी के रास्ते पर हैं, उनके बारे में अपनाया हुआ है कि अगर वे हथियार छोड़ कर भारत के साथ आकर वार्ता करने को तैयार हैं तो भारत सरकार हमेशा उनके साथ बातचीत करने को तैयार रहेगा और यह नार्थ ईस्ट को भी ऐप्लाई करता है।

मैं रोंगपी जी की व्यथा पहचानता हूं, समझता हूं। उन्होंने सही कहा है कि पिछले पचास सालों में बहुत सारी चीजें ऐसी होती रही हैं जिनके कारण आज की स्थिति पैदा हुई है। हम बहुत बार विकास

पर बल न देकर पोलीटिकल मैनेजमैंट में लगे रहे और कभी-कभी तो केवल पैसे के आधार पर पोलीटिकल मैनेजमैंट करते रहे, जिसके कारण बहुत नकुसान हुआ। मैं चाहूंगा कि अब इसके बाद पूरा का पूरा कन्सैनट्रेशन, जितना हो सके, वह हम डैवलपमैंट पर करें।

डैवलपमैंट पर चर्चा करें तो पिछले साल जब प्रधान मंत्री जी नार्थ ईस्ट की एक कौन्फ्रैंस ऐड्रैस करने के लिए शिलांग गए थे, तब उन्होंने लगभग दस हजार करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की थी जिसमें मणिपुर के लिए भी बहुत कुछ है। उसकी मौनीटरिंग लगातार होती रहती है, पीरियोडीकली उसकी रिपोर्ट आती रहती है और पी०एम०ओ० की ओर से अधिकृत रूप से उसकी मौनीटरिंग होती रहती है कि कितनी प्रगति हुई, कितनी प्रगति नहीं हुई। किसी दिन यहां बैठ कर उसकी चर्चा भी कर सकते हैं लेकिन कुल मिला कर मैं मानता हूं कि आज के प्रैज़ीडैंट रूल की स्थिति का संबंध ज्यादा पोलीटिकल स्थिति से है और उस पोलीटिकल स्थिति में भी कम से कम इस सरकार ने सही ऐप्रोच अपनाने की कोशिश की है। उसके मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, क्योंकि फिर लोग कहेंगे कि बी०जे०पी० और समता पार्टी का मतभेद सामने आ गया। हमें जो ठीक लगा, वह हमने किया और उसके आधार पर ऐसी स्थिति पैदा हुई कि सारे राजनैतिक दलों ने निर्विवाद रूप से उसे माना। वहां बी०जे०पी० की स्थिति थी सरकार बनाने की, लेकिन उसने भी गवर्नर के पास जाकर कहा कि आज की स्थिति में इस स्थिति को सुलझाने के लिए राज्यपाल का शासन या राष्ट्रपति का शासन ही उचित रास्ता है। मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि हमारी तरफ से हम वहां कोई दूसरी सरकार बनाने का इरादा नहीं रखते, लेकिन डिसोल्यूशन किस समय करेंगे, कितने दिन में करेंगे, इसके लिए मैं चाहूंगा कि मणिपुर की स्थिति सामान्य हो जाए, वहां के विधायक वहां ठीक प्रकार से जा सकें, इसमें थोड़ी सावधानी बरतने की आप मुझे अनुमति दीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा मणिपुर राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत 2 जून, 2001 को राष्ट्रपति द्वारा की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कल पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.17 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मंगलवार, 31 जुलाई, 2001/9 श्रावण, 1923 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी०एल०एस०-48/7/6/2001 (एन०)
280

© 2001 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशि
और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)
सोमवार, 30 जुलाई,2001/8 श्रावण,1923 (शक)
का

शुद्धि-पत्र

कॉलम	पक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
16	4	अध्यक्षा	अध्यक्ष
24	6	(क) से (ङ)	(क) से (घ)
63	22	श्री मुनी लाल	श्री मुनि लाल
157	नीचे से 8	प्रचालनात्क	प्रचालनात्मक
321	4	श्री मुलाय सिंह यादव	श्री मुलायम सिंह यादव